लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

(खंड 24 में अंक 11 से 20 तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No ....A....
Dated.....1 May 2008

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ट
सम्पादक

नारद प्रसाद किमोठी
सहायक सम्पादक

शिवाजी श्रीवास्तव
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 24, नौवां सत्र, 2006/1928 (शक)]

अंक 19, सोमवार, 18 दिसम्बर, 2006/27 अग्रहायण, 1928 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1–2
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	2–3
सुश्री ममता बनर्जी, संसद सदस्य द्वारा की गई भूख हड़ताल पर चिंता के बारे में	2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 362, 363, 365, 366 और 369	4–34
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 364, 367, 368 और 370 से 381	34–76
अतारांकित प्रश्न संख्या 3593 से 3764	76–461
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
(एक) दोहा में आयोजित 15वें एशियाई खेलों में भारत द्वारा 10 स्वर्ण, 18 रजत और 26 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में आठवां स्थान प्राप्त करने पर पदक विजेताओं को बधाई	461–463
(दो) सार्वभौमिक अल्पसंख्यक अधिकार दिवस	463
सभा पटल पर रखे गए पत्र	464–476
राज्य सभा से संदेश	477
प्राक्कलन समिति	478
बारहवां प्रतिवेदन	478
लोक लेखा समिति	478
अड़तीसवां प्रतिवेदन	478
महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति	478
दसवां प्रतिवेदन	478
विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति	479
बारहवां और तेरहवां प्रतिवेदन	479

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति	
सैंतीसवां, अड़तीसवां और उनतालीसवां प्रतिवेदन	479–480
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति	
विवरण	480
सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति	
(एक) बीसवां, इक्कीसवां और बाईसवां प्रतिवेदन	480–481
(दो) विवरण	481
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	481–498
(एक) संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में किए गए संशोधन	
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	481–483
(दो) कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री राम विलास पासवान	483–484
(तीन) जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-2007) के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 5वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
प्रो. सैफुद्दीन सोज	484–485
(चार) वित्त संबंधी स्थायी समिति के 32वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री प्रेमचन्द गुप्ता	485
(पांच) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-2007) के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
कुमारी सैलजा	485–486
(छह) (1) रसायन और पेट्रो-रसायन से संबंधित रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति और	486–489
(2) उर्वरक विभाग से संबंधित रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री विजय हान्डिक	489–492
(सात) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-2007) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 160वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री पृथ्वीराज चव्हाण	493

विषय	कॉलम
(आठ) रेल संबंधी स्थायी समिति के 19वें और 20वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री आर. वेलु	493–494
(नौ) विदेश मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-2007) के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री आनन्द शर्मा	494–496
(दस) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें (2006-2007) के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 9वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री दिनशा पटेल	497–498
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
(एक) भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता	500–510
श्री प्रभुनाथ सिंह	500
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	501–503
श्री शैलेन्द्र कुमार	503–508
प्रो. रासा सिंह रावत	508
श्री सीताराम सिंह	508–509
(दो) कन्या भ्रूण हत्या की बढ़ती घटनाओं के कारण बालिकाओं की संख्या में आ रही, निरंतर गिरावट से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम	510–533
श्री गुरुदास दासगुप्त	510
डा. अंबुमणि रामदास	511–517
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	521–522
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी	522–524
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा	524
श्रीमती मिनाती सेन	525
विधेयक–पुरःस्थापित	
भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) विधेयक, 2006	533
केंद्रीय सड़क निधि (संशोधन) विधेयक, 2006	533–534
नियम 377 के अधीन मामले	534–535
(एक) आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में नागरिक सुविधाएं बढ़ाने हेतु शहरी विकास योजनाओं का कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता	
श्री एम. अंजनकुमार यादव	534

विषय कॉलम

(दो) राजस्थान के बहरोड में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 और राजस्थान राजमार्ग संख्या 14 के चौराहे पर यातायात सिगनल लगाए जाने की आवश्यकता

डा. करण सिंह यादव 534–535

(तीन) गुजरात के जूनागढ़ में ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ 535–536

(चार) कर्नाटक राज्य की मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित लंबित परियोजनाओं को स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता

श्री इकबाल अहमद सरडगी 536

(पांच) असम के मालेगढ़ में 1857 के सैनिक विद्रोह वाले ऐतिहासिक स्थल पर लगाई गई बाड़ को बदले जाने की आवश्यकता

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य 536–537

(छह) गुजरात के अमरेली में स्थित 'कृषि विज्ञान केन्द्र' को चालू किए जाने की आवश्यकता

श्री वी.के. ठुम्मर 537

(सात) रेवाड़ी-सादुलपुर, सादुलपुर-हिसार, सादुलपुर-बीकानेर और रतनगढ़-डेंगाना रेल खंड के आमान परिवर्तन हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री राम सिंह कस्वां 537–538

(आठ) कर्नाटक के बेल्लारी में एसजीएसवाई के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री जी. करूणाकर रेड्डी 538–539

(नौ) पंचायतें अपने क्षेत्रों में विकास कार्य कर सकें इसके लिए उनके वित्तीय संसाधनों को बढ़ाए जाने हेतु योजनाएं बनाए जाने की आवश्यकता

श्री अविनाश राय खन्ना 539

(दस) महाराष्ट्र में मुर्तिजापुर और आकोट रेलवे स्टेशनों पर कंप्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण केंद्र खोले जाने की आवश्यकता

श्री संजय धोत्रे 539–540

(ग्यारह) राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री गिरधारी लाल भार्गव 540

(बारह) सूचना का अधिकार अधिनियम का परिकल्पित मार्गनिर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील खां 540–541

(तेरह) पाय्यान्नूर से बंगलौर तक अंतर्राज्यीय सड़क का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. करूणाकरन 541

विषय कॉलम

(चौदह) केंद्रीय विद्यालयों में प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के बजाय प्रोन्नति द्वारा भरे जाने की आवश्यकता

श्री शैलेन्द्र कुमार 542

(पन्द्रह) गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिकेवल प्रसाद 542

(सोलह) बिहार के पटना में एक और केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव 542–543

(सत्रह) उत्तर प्रदेश में रामगढ़ चीनी मिल के कार्यकरण की जांच किए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक कुमार रावत 543

(अठारह) महाराष्ट्र के परभनी और जालना जिलों में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय योजना कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील 543

(उन्नीस) उड़ीसा के लोगों को मोबाईल टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु फूलबनी के प्रखंडों में बीएसएनएल मोबाइल/डब्ल्यूएलएल टावर लगाए जाने की आवश्यकता

श्री सुग्रीव सिंह 543–544

(बीस) कर्नाटक में बंगलौर के आस-पास पांच सेटेलाइट नगर विकसित करने हेतु एक हजार करोड़ रुपये दिए जाने की आवश्यकता

श्री एम. शिवन्ना 544–545

(इक्कीस) उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित जिलों में पुनर्वास/पुनर्निर्माण कार्यों हेतु केंद्रीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव 545

नियम 193 के अधीन चर्चा

विदेश मंत्री द्वारा भारत-अमरीका असैनिक नाभिकीय सहयोग के संबंध में 12.12.2006 को दिया गया वक्तव्य 562–645

श्री लालकृष्ण आडवाणी 563–579

श्री रूपचंद पाल 579–587

श्री निखिल कुमार 587–597

श्री रवि प्रकाश वर्मा 597–602

डा. मनमोहन सिंह 602–608

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव 608–612

श्री भर्तृहरि महताब 612–617

विषय	कॉलम
श्री गुरुदास दासगुप्त	618–622
प्रो. एम. रामदास	622–626
श्री मानवेन्द्र सिंह	626–628
श्री अधीर चौधरी	628–631
श्री पी.सी. थामस	631–632
श्री खारबेल स्वाईं	632–636
श्री रामदास आठवले	636–637
श्री प्रणव मुखर्जी	637–645
सरकारी विधेयक—पारित	
(एक) प्रशासनिक अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2006	545–552
विचार करने के लिए प्रस्ताव	546
खण्ड 2 से 15 और 1	549
पारित करने के लिए प्रस्ताव	552
श्री सुरेश पचौरी	546–549
श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी	550
श्री गुरुदास दासगुप्त	550
श्री बसुदेव आचार्य	550–551
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी	551
(दो) सिक्किम विश्वविद्यालय विधेयक, 2006	553
(तीन) त्रिपुरा विश्वविद्यालय विधेयक, 2006	553
(चार) राजीव गांधी विश्वविद्यालय विधेयक, 2006	553–562, 645–696
विचार करने के लिए प्रस्ताव	553
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी	553
श्री कीरेन रिजीजू	554–558
श्री फ्रांसिस फैन्थम	558–560
श्री खगेन दास	560–562
श्री शैलेन्द्र कुमार	646–647
श्री अजय चक्रवर्ती	647–649
श्री बृज किशोर त्रिपाठी	649–652

विषय	कॉलम

श्री तापिर गाव 652–656

श्री रामकृपाल यादव 656–659

श्री अधीर चौधरी 659–660

प्रो. बसुदेव बर्मन 661–664

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी 664–668

श्री नकुल दास राय 669–671

डा. टोकचोम मैन्या 671–672

डा. अरूण कुमार शर्मा 672

श्री मो. ताहिर खान 672–673

श्री मणि चारेनामै 673

प्रो. महादेवराव शिवनकर 674–675

श्री रविप्रकाश वर्मा 676–677

श्री वरकला राधाकृष्णन 677–679

खंड 2 से 46 और 1 686–696

पारित करने के लिए प्रस्ताव 696

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 721

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 722–726

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 727–728

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 727–728

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

सोमवार, 18 दिसम्बर, 2006/27 अग्रहायण, 1928 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मुझे सभा को राज्य सभा की एक वर्तमान सदस्य श्रीमती सुखबंस कौर के दु:खद निधन की सूचना देनी है।

श्रीमती सुखबंस कौर ने पंजाब के गुरुदासपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया तथा वे 1980 से 1984, 1985 से 1991 तथा 1992 से 1996 तक सातवीं से ग्यारहवीं लोक सभा की सदस्य भी रहीं।

वे जुलाई 1992 से मई 1996 तक नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्रालय में केन्द्रीय राज्य मंत्री रहीं।

एक योग्य संसदविद् के रूप में वे 1981-82 के दौरान दहेज निषेध अधिनियम की जांच संबंधी संयुक्त समिति की सदस्य भी रहीं। नौवीं लोक सभा के दौरान वे सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सलाहकार समिति तथा "पंजाब तथा विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1987 के अंतर्गत सलाहकार समिति की सदस्य रहीं।

एक कृषक तथा सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते वे महिलाओं की अधिकारिता तथा विकास से संबंधित मामलों से नजदीकी रूप से संबद्ध थी।

श्रीमती सुखबंस कौर का निधन 63 वर्ष की आयु में कुछ समय बीमार रहने के पश्चात् 5 दिसंबर, 2006 को नई दिल्ली में हुआ।

मुझे विश्वास है कि सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

सभा के सदस्य अब दिवंगत आत्मा के सम्मान में मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

तत्पश्चात्, सदस्य थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अभी नहीं। माफ करें। कृपया कुछ काम करने दें। हमारे पास केवल दो दिन का समय बचा है। किसी चीज की अनुमति नहीं दी जाएगी।

...*(व्यवधान)**

पूर्वाह्न 11.02 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

सुश्री ममता बनर्जी, संसद सदस्य द्वारा की गई भूख हड़ताल पर चिंता के बारे में

अध्यक्ष महोदय: मेरे पास एक दूसरा मामला है जिसके बारे में हम सभी चिंतित हैं। इस सभा की एक प्रतिष्ठित सदस्या भूख हड़ताल पर बैठी हैं। मुझे विश्वास है कि उनसे भूख हड़ताल समाप्त करने का अनुरोध करने में आप सभी मेरे साथ हैं। निश्चित रूप से वे अपनी मांग को उठा सकती हैं तथा इसे मनवाने के लिए विरोध का कोई रास्ता अपना सकती हैं। लेकिन उनके जीवन की सुरक्षा होनी चाहिए।

हम उनके स्वास्थ्य के प्रति काफी चिंतित हैं। मुझे विश्वास है कि उनसे यह अनुरोध करने में मेरा आप सब साथ देंगे।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां, महोदय।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, माननीय प्रधानमंत्री ने भी अपनी चिंता व्यक्त की है। हम सभी अपनी चिंता व्यक्त करते हैं तथा आप के साथ-साथ इस मामले पर चिंता व्यक्त करते हैं।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद। मुझे आशा है कि वे पूरी संसद के मत को सुनेंगी।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष जी, वेस्ट बंगाल सरकार से भी कहें कि वह उनसे बातचीत करें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: छोड़िए, यहां से कहने का सवाल नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, वहां के मुख्य मंत्री से भी कहा जाए कि उनके साथ बात करें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बात कीजिए।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदय, राज्य सरकार पहले से ही उनके संपर्क में है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसे वाद-विवाद का मुद्दा न बनने दें।

श्री रूपचंद पाल: मुख्य मंत्री ने उनसे भूख हड़ताल वापस लेने तथा कोई सुझाव देने का अनुरोध किया है। ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: पश्चिम बंगाल सरकार को भी पहल करनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। आपने अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं। मैं आप सभी की ओर से, पूरी सभा की ओर से उनसे अनुरोध करता हूं कि वे अपनी भूख हड़ताल समाप्त करें। मैं उनसे दावे या मांग या विवाद पर कुछ नहीं कह रहा हूं।

अब प्रश्न काल शुरू करते हैं।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर प्रश्न संख्या 362।

[अनुवाद]

प्लास्टिक की थैलियों का प्रभाव

***362. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्लास्टिक की थैलियों के प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने कतिपय प्रकार की प्लास्टिक थैलियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(ङ) पूरे देश में प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने हेतु क्या ठोस कदम उठाने का विचार है; और

(च) प्लास्टिक के स्थान पर किन वस्तुओं की थैलियों का उपयोग करने का प्रस्ताव किया गया है/सुझाव दिया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (च) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) और (ख) प्लास्टिक बैग पालीथीन (हाइड्रोकार्बन की दीर्घ श्रृंखला) के बनते हैं। प्लास्टिक सामान्यतया रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं इसलिए इनका बड़ी संख्या में उपभोक्ता मदों को बनाने जैसे कि बैग, निजी देखभाल की वस्तुएं, खाद्य सामग्री पैक करने, दवाईयां, शिशु देखभाल उत्पाद आदि में प्रयोग किया जाता है। इंडिया सेंटर फार प्लास्टिक इन द एन्वायरमेंट, मुंबई और सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टैक्नालाजी, चेन्नई, रसायन संस्थान जो एक सामग्री के रूप में प्लास्टिक की सतता से संबंधित मामलों और उनका पर्यावरण पर प्रभाव का व्यापक

आकलन करते हैं, द्वारा 2003 में 'प्लास्टिक फार एन्वायरमेंट और सस्टेनेबल विकास' नामक निबंध प्रकाशित किया गया था। तथापि प्लास्टिक के अंधाधुंध इधर-उधर फेंकने और पर्यावरणीय प्रतिकूल पुर्नचक्रमणन अभ्यास पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने में सक्षम हैं।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत वर्ष 2003 में यथासंशोधित प्लास्टिक विनिर्माण एवं उपयोग नियमावली, 1999 को अधिसूचित किया है। इन नियमों के अनुसार 20×30 सैंटीमीटर के आकार के और 20 माइक्रोन से कम मोटाई के नये या पुनर्चक्रित प्लास्टिक से बने भार ढोने के थैलों के निर्माण, भंडारण, वितरण, या विक्रय पर प्रतिबंध है। इन नियमों के अनुसार खाद्य पदार्थों के भंडारण, भार ढोने, वितरण या पैकेजिंग के लिए पुनर्चक्रित प्लास्टिक के उपयोग पर भी प्रतिबंध है। इसके अतिरिक्त नये या पुनर्चक्रित प्लास्टिक से बने थैलों या डिब्बों का निर्माण करने वाली इकाईयों द्वारा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति के साथ पंजीकृत कराना अपेक्षित है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, केरल, मेघालय और गोवा ने प्लास्टिक थैलों की मोटाई अर्थात् क्रमशः 50, 30, 30, 30, 40 और 40 माइक्रोन के संबंध में और भी अधिक कड़े मानदंड निर्धारित किए है। हिमाचल प्रदेश ने 70 माइक्रोन की मोटाई से कम और 30×45 से.मी. से कम आकार के गैर जैव अवक्रमित पदार्थों से बने भार ढोने के थैलों पर प्रतिबंध लगाया है। इसके अतिरिक्त गुजरात, उड़ीसा और गोवा सरकार ने गुजरात में अम्बाजी, डाकोर, सोमनाथ जैसे धार्मिक और पर्यटन स्थलों, उड़ीसा में पुरी और कोणार्क के नगर क्षेत्र और गोवा में कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर प्लास्टिक थैलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। संबंधित राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन कार्यान्वयन की निगरानी कर रहे हैं।

(ङ) और (च) उपभोग की जा रही प्लास्टिक की मात्रा, प्लास्टिक उद्योग की व्यापकता और इसका विकल्प उपलब्ध न होनें के कारण वर्तमान में भारत सरकार के पास पूरे देश में प्लास्टिक थैलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जहां कहीं लागू हो सकता है वहां प्लास्टिक थैलों के स्थान पर कपड़ा, जूट और कागज के थैलों पर विचार किया जा रहा है। प्लास्टिक के प्रबंधन के लिए कुछ राज्यों द्वारा अनुसरण की गई कुछ सफल एपरोचों के अभिनिर्धारण के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार भावी स्थिति पर निगरानी रख रही है।

[हिन्दी]

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब तो दिया है, लकिन अगर प्लास्टिक बैग्स पर पूरे देश में बैन लगा हो, तो ठीक है। कुछ राज्यों ने इस पर बैन स्वीकार करते हुए, अपने राज्यों में इसको प्रमाणित किया है, लागू किया है, लेकिन जिन राज्यों में यह बैन नहीं लगा है, उन राज्यों में आज भी पालिथीन बैग्स का उत्पादन जारी है। इसमें वे लोग कोई मानदण्ड नहीं मानते हैं। मैं यह जानना चाहती हूं कि इस संबंध में मंत्री जी क्या करने जा रहे हैं और किन राज्यों में कितने उत्पादकों ने अपने उत्पादन का प्रदूषण बोर्ड में पंजीकरण करवाया है?

श्री नमोनारायन मीना: जहां तक प्लास्टिक उत्पादों का सवाल है, इस संबंध में सरकार ने प्लास्टिक मैन्यफैक्चर्स एंड यूसेज रूल, 1999 बनाये थे। उसके बाद इनमें 2003 में संशोधन किया गया था। कई राज्यों ने इसके बाद प्लास्टिक बैग्स के उपयोग पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, कुछ ने माइक्रोन बढ़ाई है, कुछ ने साइज बढ़ाया है। दिल्ली सरकार ने इसके डिग्रेडेबल बैग यूज के लिए फोर एंड फाइव स्टार होटल्स तथा बड़े अस्पतालों को कहा है। यह एक ऐसा इश्यू है जिस पर प्लास्टिक फार एन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डैवलपमेंट पर काफी स्टडी हुई है। उसमें सस्टेनेबिलिटी को माना है, लेकिन साथ ही साथ प्लास्टिक की जिस तरह पर्यावरण में अनसाउंड रिसाइक्लिंग हो रही है, उससे यह हैजार्डस हो सकता है। कुछ राज्यों ने थोड़ा-बहुत इस पर प्रतिबंध लगाया है, किसी ने माइक्रोन की थिकनैस को बढ़ा दिया है, किसी ने रिलिजीयस प्लेसेज पर और टयूरिस्ट प्लेसेज पर बैन किया है, दिल्ली सरकार ने डिग्रेडेबल प्लास्टिक को कुछ स्थानों पर लागू किया है। यह एक ऐसा मामला है, जिसके एप्रोचेज को केन्द्र सरकार देख रही है और आवश्यक होगा तो समय-समय पर इस पर विचार किया जा सकता है। जहां तक उत्पादन का सवाल है, काफी उद्योग इसका उत्पादन कर रहे हैं। 2003 में जो संशोधन किया गया था, उसमें उत्पादन करने वाले सभी उद्योगों को सबसे पहले पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या कमेटी में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है।

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने लिखित (ङ) और (च) में कहा है कि उपभोग की जा रही प्लास्टिक की मात्रा, प्लास्टिक उद्योग की व्यापकता और इसका विकल्प उपलब्ध न होने के कारण वर्तमान में भारत सरकार के पास पूरे देश में प्लास्टिक थैलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस कारण पूरे देश में हम इसे लागू नहीं कर पाए हैं। जिन राज्यों में प्लास्टिक उत्पाद चालू है, वे लोग इसे

दूसरे राज्यों में भी बेच रहे हैं और वहां भी ये प्लास्टिक बैग्स पहुंच रहे हैं। इसलिए अगर यहां से नियम बने, तभी वह सभी पर लागू हो सकता है। अगर प्रतिबंध लगाना है, तो सभी राज्यों में इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। हम जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, उसके लिए आप क्या कारगर कदम उठाने जा रहे हैं?

श्री नमोनारायन मीना: जहां तक राज्यों का सवाल है, उन्होंने अपने यहां इस संबंध में कानून बनाए हुए हैं। जो विद्यमान कानून है, उसके तहत भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था, जो सारे देश में एपलिकेबल है। जिस राज्य ने अपने यहां इस पर प्रतिबंध लगाए हैं, उस राज्य में वह लागू है, जैसे किसी ने थिकनैस बढ़ाई है।

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: जिन राज्यों ने कानून को नहीं माना है, आपके मानदंडों को नहीं माना है, उनके खिलाफ आप क्या करने जा रहे हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह केवल दूसरे अनुपूरक प्रश्न का हिस्सा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने इसकी अनुमति दी है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण विषय है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नमोनारायन मीना: भारत सरकार का जो कानून है, वह पूरे देश के लिए मान्य है इसलिए वह सभी को मानना पड़ेगा।

[अनुवाद]

श्री जी.वी. हर्ष कुमार: धन्यवाद, महोदय। कई राज्य प्लास्टिक उद्योग पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। भारत सरकार भी प्लास्टिक उद्योगों के विकल्प के रूप में सुझाव दे रही है। लेकिन अभी यह निर्धारित स्तर का नहीं है। यदि प्लास्टिक उद्योग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाता है तो प्लास्टिक उद्योगों के कर्मचारियों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री नमोनारायन मीना: अध्यक्ष जी, भारत सरकार के पास इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। अगर एनवायरनमेंट को लेकर कोई बात सामने आती है तो कोई हैल्थ-हैजर्ड बनता है, तो बीच-बीच में हम अमेंडमेंट्स लाते रहते हैं, वर्ष 2003 में भी लाए थे, आगे आवश्यकता होगी तो आगे भी लाएंगे। कुछ स्टेट्स ने डिफरेंट कदम उठाए हैं, उनको हम देख रहे हैं। यदि आवश्यकता होगी तो हम अमेंडमेंट्स भी लायेंगे। इस तरह का प्रस्ताव अभी सामने नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूं कि इसकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जिसमें काफी लोग रोजगार में लगे हुए हैं। लेकिन अभी इस तरह का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के पास नहीं है।

[अनुवाद]

डा. बाबू राव मिडियम: महोदय, धन्यवाद। प्लास्टिक का इस्तेमाल जंगल की आग की तरह व्यापक रूप से फैल रहा है क्योंकि प्लास्टिक बैग और अन्य ऐसे उत्पाद लगभग पूरे देश में उपलब्ध हैं। हालांकि, कुछ राज्यों ने इन पर प्रतिबन्ध लगाया है किन्तु फिर भी इस पर पूरी तरह से अमल नहीं हो रहा है। हाइड्रोकार्बन पोलीइथाईलीन जैव अपघटनीय नहीं है और मृदा से मिश्रित नहीं होता है। यह पर्यावरण के लिए एक खतरा होगा।

क्या मंत्रालय प्लास्टिक के स्थान पर अन्य उत्पादों यथा पटसन, कागज के थैले इत्यादि के विकल्प का उपयोग करने का प्रस्ताव कर रही है? यदि इस प्लास्टिक को जला दिया जाये तब भी इससे बचा जा सकता है, इसे सीमित किया जा सकता है। क्या सरकार का विचार इसके इस्तेमाल को सीमित करने का है?

[हिन्दी]

श्री नमोनारायन मीना: सर, जहां तक आल्टरनेटिव्ज की बात है आल्टरनेटिव्ज हमेशा उपलब्ध हैं, अभी भी उपलब्ध हैं। अगर कोई उन्हें यूज करना चाहता है, तो कर सकता है। जूट का थैला मिलता है, पेपर का थैला मिलता है, यहां तक कि टिन-कंटेनर्स भी मिल रहे हैं। जहां तक बैन का सवाल है, कहीं भी, किसी भी स्टेट ने इसे कंप्लीटली बैन नहीं किया है। जैसे महाराष्ट्र, पंजाब, यूटी चंडीगढ़, केरल, मेघालय और गोवा हैं, इन्होंने माइक्रोन थिकनैस बढ़ा दी है क्योंकि छोटे बैग्स जो कम थिकनैस के होते हैं वे ज्यादा हैल्थ-हैजार्डस होते हैं। इसके लिए विकल्प हमेशा उपलब्ध हैं।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: अध्यक्ष जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यू है और यहां प्लास्टिक के बारे में चिंता जताई जा रही है। मेरा मानना है कि प्लास्टिक ने आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की है, प्लास्टिक समस्या नहीं है, समस्या उसका डिस्पोजल है। माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि प्लास्टिक मैन्यूफैक्चरर्स एंड यूसेज एक्ट, जो 1995 का है, उसके माध्यम से

इसे रैगुलेट करने की कोशिश की गयी है, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप पालीथीन के प्रोपर डिस्पोजल और रिसाइक्लिंग के लिए कोई कानून बनाने जा रहे हैं, जो बहुत आवश्यक है।

श्री नमोनारायन मीना: सर, इसके लिए कानून में नोटिफिकेशन पहले से ही है। रिसाइक्लिंग के लिए कानून है कि किस प्रकार से रिसाइक्लिंग होगा, उसका डिस्पोजल मैन्युफैक्चरर का भी है। उसके लिए कंडीशन होगी कि उसकी क्या थिकनैस होगी, क्या लम्बाई-चौड़ाई होगी—इन सारी चीजों को पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट्स की कमेटीज देखती हैं। जहां तक उसका डिस्पोजल है, ट्रांसपोर्टेशन है, स्टोरेज है, इसके लिए जिलों के कलैक्टर्स और डिप्टी कमीश्नर्स को कहा हुआ है और कई अथारिटीज भी स्टेट्स ने बना रखी हैं, नोटिफिकेशन्स हैं, सारी व्यवस्था है। यदि इम्पलीमेंटेशन यदा-कदा नहीं होता है, तो मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि ऐसी स्पैसिफिक बात हमारे नोटिस में लाएं, उसके लिए हम स्टेट को लिखेंगे।

[अनुवाद]

कूड़ा फैलाना मुख्यतः इसमें मुख्य समस्या है।

श्रीमती मेनका गांधी (पीलीभीत): धन्यवाद, महोदय। प्लास्टिक का न तो निपटान किया जा सकता है और न ही दूसरे प्लास्टिक में बदले जाने को छोड़कर इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हमने इसे छह महीने के लिए प्रतिबंधित किया था और तीन सप्ताह में ही बदबू खत्म हो गयी; सफाई आ गयी; सीवेज पाइप साफ हो गए; नदी स्वच्छ हो गयी; और सबके जीवन स्तर में सुधार आया। कुछ चीजें हैं जो लोग खुद कर सकते हैं और कुछ चीजें हैं जिन्हें सरकार को करना है।

ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जाना चाहिए कि इसे जारी रखना चाहिए क्योंकि इससे लोगों को रोजगार मिलता है। अन्यथा ऐसा ही मादक दवाओं के बारे में कहा जा सकता है। इसी तरह कई अवैध वस्तुओं के निर्माण के बारे में कहा जा सकता है; पाकेटमारी आदि के बारे में कहा जा सकता है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्रीमती मेनका गांधी: अतएव, सरकार को इस मामले में निर्णय लेना है।

क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि हजारों वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार अब प्लास्टिक उपयोग किए जाने योग्य नहीं है?

दूसरे, नागपुर में एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने प्लास्टिक बैग को तेल में बदलने के तरीके का आविष्कार किया है। क्या मंत्री को इसकी जानकारी है? उसको प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं।

[हिन्दी]

श्री नमोनारायन मीना: अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य की बात से समहत हूं कि इसकी इंडिस्क्रीमिनेट लिटरिंग्स होती हैं, जिससे कई तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं, आपकी नालियां बंद हो जाती हैं और अगर इसे जानवर खा जाते हैं तो उनकी डैथ हो जाती है। इससे काफी परेशानियां हैं। लेकिन स्टेट्स के बारे में जहां तक प्रश्न है,

[अनुवाद]

मुझे किसी के द्वारा किए गए किसी अध्ययन के बारे में जानकर प्रसन्नता होगी। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि मुझे वह यह जानकारी भेजे। पर्यावरण और सतत विकास हेतु प्लास्टिक नामक एक अध्ययन किया गया है। केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्लास्टिक संस्थान, चेन्नई एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम भी इसमें शामिल है। यदि कोई अध्ययन कराया गया है तो कृपया इसे मेरे पास भेजें।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, प्लास्टिक जैसे थैले के उपयोग से बहुत सारे राज्यों में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। उसे कम करने के लिए महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, केरल, मेघालय और गोवा ने इस पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय ले लिया है। बाकी राज्यों में भी इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारत सरकार को गाइड-लाइन्स देने की आवश्यकता है, कानून बनाने की आवश्यकता है, सुधार लाने की आवश्यकता है। इसलिए भारत सरकार को राज्य सरकारों को आदेश देना चाहिए। दूसरे, भारत में जो हमारा समाज है, उसमें भी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसकी अनुमति नहीं दी गई है। दूसरा भाग कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: दूसरा भाग कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं नहीं जानता था वह क्या कहने जा रहे हैं। मैंने इसे तुरंत कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह एक राष्ट्रीय समस्या है। अतएव मैं कुछ और प्रश्नों की अनुमति दे रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कह रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप किस लिए ये सब कह रहे हैं?

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री नमोनारायन मीणा: अध्यक्ष जी, भारत सरकार ने प्लास्टिक बैग्स के लिए 20 माइक्रोन और 20 बाई 30 सेंटीमीटर साइज से कम के बैग्स पहले से ही बैन किये हुए हैं। महाराष्ट्र के बारे में बताया गया कि महाराष्ट्र सरकार ने बैग्स की थिकनैस को 50 माइक्रोन बढ़ाया है, बैन नहीं किया है। इससे नीचे वाले बैग्स को बैन किया है। कई स्टेट्स ने भी जो कम थिकनैस के बैग्स हैं उनको बैन किया है, लेकिन इससे ऊपर की थिकनैस के बैग्स वहां भी जारी हैं।

प्रेस सूचना ब्यूरो (पी.आई.बी.) का कार्यकरण

***363. श्री एम. अंजनकुमार यादव:**
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रेस सूचना ब्यूरो (पी.आई.बी.) के कार्य क्या हैं और इसके कार्यकरण की निगरानी हेतु क्या तंत्र उपलब्ध हैं;

(ख) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रेस सूचना ब्यूरो पर कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी नीतियों, कार्यक्रम पहलों और उपलब्धियों के संबंध में प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया को सूचना देने में पी.आई.बी. के कार्य-निष्पादन का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो पी.आई.बी. के कार्यकरण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) पत्र सूचना कार्यालय (पी.आई.बी.) प्रेस विज्ञप्तियों, प्रेस टिप्पणियों, फीचर आलेखों, पृष्ठभूमि टिप्पणियों, प्रेस संक्षेपणों एवं छायाचित्रों, प्रेस सम्मेलनों, साक्षात्कारों, प्रेस दौरों आदि जैसे संचार के विभिन्न तरीकों के माध्यम से सरकारी नीतियों, कार्यक्रम संबंधी पहलों एवं उपलब्धियों के बारे में प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया को सूचना उपलब्ध कराने की बाबत भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। यह सरकार और मीडिया के बीच एक माध्यम के रूप में कार्य करता है और मीडिया में यथा परिलक्षित जन प्रतिक्रिया से सरकार को अवगत भी कराता है। हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू और 13 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में जारी की गई सूचना लगभग 8400 समाचारपत्रों और मीडिया संगठनों को सुलभ होती है। पी.आई.बी. के कार्यकरण की मानीटरिंग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अन्य किसी माध्यम एकक के समान, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, संसदीय समितियों, योजना आयोग आदि द्वारा कार्य-निष्पादन की नियमित एवं आवधिक समीक्षा प्रणाली के जरिए की जाती है।

(ख) वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान पी.आई.बी. पर किया गया व्यय क्रमशः 1937.58 लाख रु. 2106.49 लाख रु. और 2867.37 लाख रु. था।

(ग) जी, हां।

(घ) गत तीन वित्त वर्षों के दौरान पी.आई.बी. के कार्य-निष्पादन में सतत् सुधार हुआ है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री एम. अंजनकुमार यादव: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पीआईबी की भूमिका

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

वर्तमान समय में प्रभावशाली नहीं है, जिसके कारण सरकारी नीतियों, स्कीमों और कामकाज की सूचना जनता तक नहीं पहुंच रही है। पीआईबी अधिकांश काम अंग्रेजी में करती है जबकि अंग्रेजी जानने वालों की संख्या देश में पांच प्रतिशत से कम है। पीआईबी से स्थानीय भाषा में जो प्रैस-रिलीज की जाती हैं वह अंग्रेजी से ट्रांसलेट करके की जाती हैं जिससे प्रैस-रिलीज की भाषा आम आदमी की समझ में नहीं आती है। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने कर्मचारी पीआईबी में हिंदी और तमिल भाषा में प्रैस-रिलीज करते हैं और उन्होंने इस साल कितनी प्रैस-रिलीज हिन्दी और तेलुगु में तैयार की हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, जहां तक पीआईबी का वर्तमान कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम से मैं आपके माध्यम से सदन को और माननीय सदस्य को भी अवगत कराना चाहता हूं। लगभग 200 जिलों का चयन एनआरईजीपी, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण और आरएसजीवाई के लिए किया गया है। इन दो सौ जिलों के अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर 52 जिलों तक (17 दिसम्बर 2006 तक) हमने पब्लिक इंफोर्मेशन कैम्पेन के जरिए सारी सूचना उपलब्ध कराई है। हमारा लक्ष्य है कि 31 मार्च, 2007 तक 100 जिलों में यह सूचना उपलब्ध कराई जा सके और इस प्रकार के कार्यकाल के अंतिम दिनों तक हमारा टार्गेट 350 जिलों तक कवर करने का है, क्योंकि एनआरईजीपी का दायरा और ज्यादा बढ़ेगा, जहां सूचना उपलब्ध कराई जा सकेगी।

जहां तक भाषा का सवाल है, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में सूचना उपलब्ध कराई जाती है। इनके अलावा 13 रीजनल भाषाओं में भी हम सूचना उपलब्ध करवा रहे हैं।

कर्मचारियों की संख्या के विषय में जो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और दूसरी भाषाओं में काम करते हैं, इस बारे में माननीय सदस्य को मैं तुरंत सूचना उपलब्ध करवाऊंगा।

श्री एम. अंजनकुमार यादव: महोदय, हिन्दी एवं अन्य भाषाओं में प्रैस रिलीज पीआईबी द्वारा जारी की जाती है और उसे अंग्रेजी भाषा से ट्रांसलेट करके की जाती है क्या यह प्रणाली ठीक है? इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: जब किसी अंग्रेजी पेज को हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ता है, तो हिंदी के सलाहकार से बात करके ही ट्रांसलेट किया जाता है, लेकिन अक्सर हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू ट्रांसलेशन इंडिपेंडेंटली ही इलेक्ट्रोनिक मीडिया और डिस्ट्रिक्ट इंफोर्मेशन सेंटर और पत्रकार संघों के बीच पहुंच जाता है। अगर कभी कोई चूक हो जाती है कि अंग्रेजी का हूबहू अनुवाद हिंदी में नहीं हुआ, तो तुरंत उसे रोक कर संशोधन के लिए भेजा जाता है।

श्री जीवाभाई ए. पटेल: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार को गुजरात राज्य में पीआईबी द्वारा पक्षपात ढंग से कार्य किए जाने की जानकारी है और पीआईबी के अधिकारी राज्य सरकार से अप्रत्यक्ष रूप से सुविधा प्राप्त कर रहे हैं? अगर हां, तो आपकी सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, जहां तक गुजरात राज्य का संबंध है, लोगों के माध्यम से, सांसद के माध्यम से कोई लिखित जानकारी हमारे पास नहीं पहुंची है। अगर ऐसी कोई याचिका हमारे पास आएगी, तो उस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।

श्री निहाल चन्द: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पीआईबी भारत सरकार की नोडल एजेंसी है, इसका कार्यनिष्पादन और नियमित समीक्षा किन-किन समितियों के द्वारा होती है? पीआईबी के कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए सरकार क्या कार्य कर रही है और क्या नए कदम उठाए गए हैं?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, पीआईबी के कार्यनिष्पादन के लिए यूपीए सरकार का सबसे नया कदम यह है कि आजादी के बाद से भारत में कोई नेशनल मीडिया सेंटर नहीं था। नेशनल मीडिया सेंटर को शुरू करने के लिए हमारी सरकार की तरफ से जो राशि निश्चित की गई है, उसमें से 25 परसेंट राशि हमने एजेंसियों को दे दी है, जो हमारा एनपीसीसी है, 7-रायसीना रोड के सामने, वह हमारे भारत के पहले नेशनल मीडिया सेंटर के रूप में काम करेगी। उसकी सारी ड्राइंग, नक्शे और उस हिसाब से, लुटियन के डायरेक्शन में यह काम होगा जो अर्बन आर्ट कमीशन के सामने पड़ा है। मुझे लगता है कि अगले साल भारत पहली बार नेशनल मीडिया सेंटर का काम शुरू कर पाएगा।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। मैं उड़ीसा के बारे में एक विशेष प्रश्न पूछता हूं। ऐसा क्यों है कि पीआईबी की स्थापना के समय से कटक उड़ीसा में कार्य करते रहे, इसके कार्यालय में पिछले 3-4 महीनों से एक भी आदमी नहीं है? क्या ऐसा कार्मिकों अथवा श्रमबल की कमी के कारण है या उस क़ार्यालय को बंद करने के लिए ऐसा किया गया है?

कुछ वर्ष पूर्व कटक में उस कार्यालय को बंद करने का प्रयास किया गया था। किंतु बहुत दबाव और जन विरोध था और तब सरकार ने लिखित रूप से कहा कि कटक में वह कार्यालय कार्य करेगा। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या वे उस कार्यालय को बंद करने जा रहे हैं अथवा वह कार्यालय जारी

रहेगा। मंत्रालय में ऐसी प्रवृत्ति है कि पीआईबी कार्यालय केवल राज्यों की राजधानी में कार्य करेंगे। मैं जानना चाहूंगा कि किन राज्यों में पीआईबी कार्यालय राज्य की राजधानी से अन्यत्र कार्य कर रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: वस्तुत: एक नीति है कि प्रत्येक राज्य की राजधानी में ही इस प्रकार का एक कार्यालय होना चाहिए। किन्तु उड़ीसा में दो कार्यालय हैं—एक राजधानी भुवनेश्वर में और दूसरा कटक में है। निश्चय ही, इसी कारण से व्यय वित्त आयोग के निर्देश के अनुसार एक निर्णय लिया गया था कि दो कार्यालय नहीं होने चाहिए और कटक स्थित कार्यालय बंद किया जाना चाहिए। किन्तु फिर भी, हमने राज्य के लोगों की इच्छा का आदर किया। मैं इस सत्र के बाद समूची बातों की स्वयं समीक्षा करूंगा, मैं उड़ीसा में इस कार्यालय के भविष्य के बारे में माननीय सदस्य को भी विश्वास में लूंगा।

श्री अब्दुल्लाकुट्टी: हमारी प्रसारण प्रणाली की मुख्य समस्या युवा पीढ़ी की कमी है। वहां काम करने वाले कार्मिक 40 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। उस विभाग में कोई भर्ती या पदोन्नति नहीं हो रही है। हमारी प्रसारण प्रणाली में जब युवा न हों, तो वह अन्य प्रणालियों का मुकाबला कैसे कर सकती है।

अध्यक्ष महोदय: यह पीआईबी कार्यालयों से संबंधित है, हमारी प्रसारण प्रणाली से नहीं। आप अपने प्रश्न पीआईबी तक ही सीमित रखें।

श्री अब्दुल्लाकुट्टी: किन्तु यह मूल समस्या है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार के पास युवा वर्ग की कमी की समस्या से निपटने का कोई उपाय है।

अध्यक्ष महोदय: ये विभाग में युवा वर्ग चाहते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: सर्वप्रथम, मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि व्यय वित्त आयोग की ओर से अभी उपलब्ध रिक्तियों को सरकार के बचत अभियान के कारण नहीं भरे जाने के लिए अत्यधिक दबाव है। तथापि, मैं इनसे सहमत हूं कि और युवा वर्ग हमारे पास आ रहे हैं तथा युवा वर्ग से और उत्साह आएगा। जब कभी हम रिक्तियों को भरेंगे हम माननीय सदस्य के सुझावों को ध्यान में रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय: वृद्ध लोगों की कोई देखभाल नहीं करता।

प्र.सं. 364 श्री नवीन जिन्दल—उपस्थित नहीं।

कृषि क्षेत्र में कमी

***365. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों से विभिन्न फसलों के कृषि क्षेत्र में लगातार कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) नौवीं और दसवीं योजनाओं के दौरान राज्यवार दर्ज किए गए कृषि क्षेत्र के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, नहीं। वर्ष 2003-04 के दौरान 'खाद्यान्नों, तिलहनों, गन्ना, कपास, जूट और मेस्टा के अंतर्गत कुल क्षेत्र 159.65 मिलियन हैक्टेयर था जो कि 2004-05 में बढ़कर 160.97 मिलियन हैक्टेयर और 2005-06 (चौथे अग्रिम अनुमान) में बढ़कर 163.71 मिलियन हैक्टेयर हो गया। हालांकि भिन्न स्तर पर दलहनों के अंतर्गत क्षेत्र पिछले तीन वर्षों के दौरान लगातार गिरा है और 2003-04 में 23.46 मिलियन हैक्टेयर से क्रमश: घटकर 2005-06 में 22.43 मिलियन हैक्टेयर हो गया।

दलहनों की खेती कम उत्पादकता और उत्पादन वाली वर्षा सिंचित सीमांत और उप-सीमांत भूमि पर होती है। दूसरे तथ्यों के साथ ये तथ्य दूसरी फसलों की तुलना में दलहन की खेती को किसानों के लिए कम आकर्षक कर देते हैं।

(ग) खाद्यान्नों, तिलहनों, गन्ना, कपास, जूट और मेस्टा के अंतर्गत कुल क्षेत्र के राज्यवार तुलनात्मक आंकड़े (नौवीं योजना के पांच वर्षों का औसत और दसवीं योजना के पहले चार वर्षों का औसत) संलग्न अनुबंध में दिए गए हैं।

(घ) दलहनों के अंतर्गत क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सरकार कम अवधि की दलहन फसलों की अन्तर्बुआई, फैलो भूमि का प्रयोग

और अधिक सिंचाई सुविधा को बढ़ाने के साथ एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना तिलहन, दालों, खजूर तेल, तथा मक्का की एक संघटित स्कीम (आइसोपाम) को लागू कर रही है। इस स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच 75:25 प्रतिशत के आधार पर, अन्य के साथ, बीज उत्पादन और वितरण, मिनीकिट्स तथा संघटित कीटनाशक प्रबन्ध के लिए सहायता प्रदान की जाती है। रबी और गर्मी 2006-07 के लिए सरकार ने प्रमुख दलहन उत्पादक राज्यों के लिए एक पूरक योजना को मंजूरी दी है और आइसोपाम के अंतर्गत 14.48 करोड़ रुपयों का अतिरिक्त फण्ड आवंटित किया है। इसके अतिरिक्त रबी 2006-07 के दौरान आइसोपाम लागू करने वाले राज्यों को बड़ी संख्या में दलहन बीज मिनीकिट्स दिए गए हैं। मूल्य सहायता प्रावधान के तहत दलहन उत्पादकों को एक न्यूनतम मूल्य की गारन्टी दी जाती है।

अनुबंध

खाद्यान्नों, तिलहनों, गन्ना, कपास, जूट और मेस्टा के अंतर्गत राज्यवार औसत क्षेत्र

राज्य	औसत क्षेत्र (मिलियन हैक्टेयर)	
	नवीं योजना (1997-98 से 2001-02)	दसवीं योजना (2002-03 से 2005-06)
1	2	3
आंध्र प्रदेश	11.13	10.55
असम	3.20	3.02
बिहार	8.66	7.19
छत्तीसगढ़	2.13	5.43
गुजरात	8.23	8.71
हरियाणा	5.56	5.59
हिमाचल प्रदेश	0.85	0.83
जम्मू-कश्मीर	0.96	0.97
झारखंड	0.76	1.94
कर्नाटक	10.41	10.29
केरल	0.40	0.31
मध्य प्रदेश	21.64	18.19
महाराष्ट्र	19.54	18.98
उड़ीसा	5.84	5.65
पंजाब	6.95	6.97
राजस्थान	16.68	16.17
तमिलनाडु	5.06	4.27
उत्तर प्रदेश	24.05	22.69
उत्तरांचल	0.46	1.19
पश्चिम बंगाल	7.79	7.80
समस्त भारत	161.75	158.22

[अनुवाद]

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: धन्यवाद महोदय। देश की मिट्टी और भूमि संसाधनों का समुचित उपयोग किए बिना देश का किसी प्रकार से विकास नहीं हो सकता है। मुख्य कृषि भूमि कई वर्षों की जैव-भौतिक और प्राकृतिक प्रक्रियाओं से सृजित होती है। इसे मुख्य भूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अन्य भूमि की अपेक्षा ज्यादा उत्पादन करने की अन्तर्निहित क्षमता होती है। एक इंच मिट्टी के विकास में हजारों वर्ष लग जाते हैं किंतु वह मिनटों में ही वह जाती है। इसलिए मुख्य भूमि एक राष्ट्रीय संपत्ति है और इसका उचित संरक्षण आवश्यक है। किंतु इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है। इसके बजाय कृषि भूमि को गैर-कृषि भूमि में बदलने हेतु आयोजनाएं और योजनाएं तैयार की जाती हैं। अधिकतर शहरी मास्टर प्लान में कृषि भूमि को गैर-कृषि उपयोग में लाने का प्रावधान होता है। इसके फलस्वरूप, विभिन्न फसलों का पैदावार क्षेत्र 133 मिलियन हेक्टेयर से घटकर 107 मिलियन हेक्टेयर रह गया है।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनकी कृषि भूमि को बचाने हेतु ऐसे कुछ विशेष दिशानिदेश जारी करने की कोई योजना है जिसका सभी राज्य सरकारें अनिवार्य रूप से पालन करें और क्या उनका एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण के माध्यम से हमारे शहरों के आस-पास की सभी मुख्य कृषि भूमि की पहचान करने और उसे संरक्षित भूमि घोषित करने का कोई प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): महोदय, मुख्य प्रश्न यह है कि

क्या गत तीन वर्षों से विभिन्न फसलों के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में लगातार कमी आ रही है। किंतु माननीय सदस्य कृषि भूमि को गैर-कृषि भूमि में बदलने के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। इसलिए, उनका प्रश्न मुख्यत: प्र.सं. 370 से संबंधित है। जब हम प्र.सं. 370 पर विचार करेंगे तब मैं इसका उत्तर दूंगा।

जहां तक प्र.सं.-365 का संबंध है, यह सच है कि कुछ वर्षों से कृषि क्षेत्र में कमी आई है।

किंतु यह कोई सामान्य वक्तव्य नहीं है। वर्ष 2003-04 के दौरान 159.65 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर खेती हुई थी, वर्ष 2004-05 में, यह क्षेत्र 160.97 मिलियन हेक्टेयर था और वर्ष 2005-06 में यह 163.71 मिलियन हेक्टेयर है। इसलिए, क्षेत्र में वृद्धि हुई है किंतु मुझे एक बात तो स्वीकार करनी ही है। यह जानकारी मुख्य फसलों अर्थात्, खाद्यान्न, तिलहन, गन्ना, कपास जूट और मेस्ता के संबंध में है। किंतु यदि आप दलहन की स्थिति का अध्ययन करें तो पाएंगे कि दलहन के कृषि क्षेत्र में गिरावट आई है। वर्ष 2003-04 के दौरान यह 23.46 मिलियन हेक्टेयर था और अब घटकर 22.43 मिलियन हेक्टेयर रह गया है। दलहन के कृषि क्षेत्र में कमी आने का कारण यह है कि दलहन अनिवार्यत: सीमांत, उप-सीमांत भूमि और वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसलिए पर्याप्त पैदावार नहीं होती है। यही कारण है कि केवल दलहन के कृषि क्षेत्र में दिन-प्रतिदिन कमी हो रही है।

मैंने प्रश्न के (घ) भाग में यह बताया है कि भारत सरकार ने कौन-कौन सी योजनाएं शुरू की हैं और हम दलहन क्षेत्र की स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। जब प्र.सं. 370 पूछा जाएगा तो मैं आपको एक अवसर दे सकता हूं। तथापि, आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: कृषि भूमि में कमी आ रही है।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी ने कहा है कि ऐसा नहीं है।

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: महोदय, हाल ही में एन एस एस ओ द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, कृषि भूमि में कमी आ रही है। वास्तव में, माननीय मंत्री जी ने 6 दिसम्बर को राज्य सभा में यह उत्तर दिया था कि कृषि भूमि में कमी आई है।

मेरा मुख्य प्रश्न यह है कि क्या कृषि विभाग की कृषि भूमि में कमी आने को रोकने हेतु अनुसंधान करने की कोई योजना है?

श्री शरद पवार: वस्तुत: आईसीएआर की एक या दो संस्थाएं हैं जो इस पर नजदीकी नजर रख रही है, सूचना प्राप्त कर रही है और सरकार को फसलवार सूचना भी प्रदान कर रही है। यह सच है कि कुछ क्षेत्र गैर-कृषि क्षेत्र बन रहे हैं किंतु जब मुझे अवसर मिलेगा तो मैं इस पर अलग से चर्चा करूंगा और अधिक क्षेत्र पर विभिन्न प्रकार भी फसल उगाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए देश में कई योजनाएं शुरू की गई हैं। ये योजनाएं राज्य सरकारों के माध्यम से लागू की गई है। सरकार राज्यों को इन्हें निष्पादित करने हेतु वित्तीय सहायता दे रही है और राज्य सुधारात्मक उपाय कर रहे हैं।

श्री एस.के. खारवेन्थन: माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए लिखित उत्तर के अनुसार सूखे अथवा अन्य कारणों से गत तीन वर्षों से दलहन की खेती में लगातार गिरावट आ रही है। जटरोफा की कहीं भी यहां तक कि शुष्क भूमि में भी खेती की जा सकती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का तिलहन, दलहन, आयल पाम और मक्का संबंधी समेकित योजना के अंतर्गत जटरोफा की खेती को प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है?

श्री शरद पवार: महोदय, निश्चित रूप से जटरोफा एक उपयोगी फसल है किंतु आज देश को दलहन की जरूरत है। देश में दालों की कमी है। वास्तव में, मैं आपको आंकड़े देकर यह समझाऊंगा कि हम दालों का कितनी मात्रा में आयात कर रहे हैं। गत वर्ष, 2346 करोड़ रुपये मूल्य की दालों का आयात किया गया और गत वर्ष से एक वर्ष पूर्व 1700 करोड़ रुपये मूल्य की दालों का आयात किया गया था। वर्ष 2002 में यह आंकड़ा 2284 करोड़ रुपये था। हम दालों का इसलिए आयात कर रहे हैं कि आज या कल हमें इस समस्या को स्वयं सुलझाना है। हमें यह देखना है कि हमें किस प्रकार आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसलिए आप दलहन की तुलना जटरोफा से नहीं कर सकते हैं। जटरोफा एक ऐसी फसल है जिसे बंजर भूमि में भी उगाया जा सकता है। निश्चित रूप से यह उपयोगी फसल है और देश में जटरोफा को लोकप्रिय बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह बताया है और हम यह जानते हैं कि हम कृषि उत्पादन के संबंध में दसवीं योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहे हैं। सरकार ने भी यह बात मानी है और माननीय मंत्री जी ने यह बताया है कि दलहन के उत्पादन में गिरावट आई है और हम यह भी जानते हैं कि गेहूं के उत्पादन में गिरावट क्यों आई है उसका क्या प्रभाव पड़ा है और सरकार इसका आयात करने पर विवश क्यों हुई। इस परिप्रेक्ष्य में, जिन लक्ष्यों को हम प्राप्त करने में असफल रहे हैं, उसके संबंध में क्या सरकार कोई कदम उठा रही

है अथवा कोई संदर्शी योजना बनाएगी ताकि हम ग्यारहवीं योजना के दौरान दसवीं योजना की कमी को पूरा कर सकें।

श्री शरद पवार: जैसा कि मैंने कहा है। फसल दर फसल स्थिति भिन्न है। गेहूं का ही मामला लीजिए। पिछले एक या दो सालों में गेहूं के उत्पादन में गिरावट आई थी। गत वर्ष उत्पादन में इतनी अधिक गिरावट नहीं आई थी। किंतु हम कुछ अन्य कारण से इसकी खरीद नहीं कर सके थे। इसलिए, सरकार का स्टाक प्रभावित हुआ है। उदाहरण के लिए, इस वर्ष बुआई का काम पूरा हो गया है। गेहूं के संबंध में मुझे यह जानकारी है कि 20 प्रतिशत अतिरिक्त क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन हो रहा है और स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा। चावल के मामले में, गत दो से तीन वर्षों के दौरान, चावल का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन हुआ है और हमने उसकी खरीद भी की है। तिलहन, कपास और गन्ने के मामले में भी ऐसी ही स्थिति है। किंतु दलहन के उत्पादन में गिरावट आई है और हम इस संबंध में सुधारात्मक उपाय कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री महावीर भगोरा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान एक तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि दलहनों के क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में धीरे-धीरे कमी आती जा रही है। यह बात मंत्री जी के ध्यान में होगी कि यह कमी क्यों आ रही है। जो बीज दिये जाते हैं, वे घटिया किस्म के दिये जाते हैं— भले ही आप मिनी सीड दें। मौके पर क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और वहां की मिट्टी का कोई परीक्षण नहीं किया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आपके कृषि वैज्ञानिक मौके पर मिट्टी का तथ्यात्मक अध्ययन करके बीज उपलब्ध कराते हैं या ऐसे ही बांट देते हैं, यह बात मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री शरद पवार: महोदय, वैज्ञानिक कोई सीड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, उनका काम सीड डैवलप करने का है। जहां तक सीड वैरायटीज का ताल्लुक है, कुछ वैरायटीज पल्सेज में नई डैवलप की गई हैं, जो शार्ट पीरियड की हैं, जिनमें पानी कम लगेगा। यह ड्राउट रेसिस्टैन्स कैरेक्टर की वैरायटी है। लेकिन यह बात मैं स्वीकार करता हूं कि इसमें हमें ब्रेकथ्रू नहीं मिला है, परंतु इस पर ध्यान दिया गया है।

श्री ब्रजेश पाठक: सर, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा चल रही है। माननीय मंत्री जी के बारे में सर्वविदित है कि वह कृषि के वैज्ञानिक रहे हैं। महाराष्ट्र में उनके अनुभवों का बहुत लाभ मिला है। देश में कृषि उत्पादन में लगातार गिरावट आ रही है लेकिन मंत्री जी कृषि क्षेत्र में बढ़ोत्तरी की बात कर रहे हैं। यह बात मंत्री जी ने जवाब में बताई है कि कृषि क्षेत्र में कमी नहीं हो रही है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि अगर कृषि क्षेत्र में कमी नहीं आ रही है, तो कृषि उत्पादन कैसे गिर रहा है और गेहूं जैसा सामान्य पदार्थ जिसे सामान्यजन खाते हैं, उसे भी आयात करना पड़ रहा है। जैसा मैंने बताया कि माननीय मंत्री जी के अनुभवों से महाराष्ट्र को लाभ मिलता रहा है। अभी माननीय सदस्य, भगोरा जी ने भी बीज की बात उठाई। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी कोई ऐसी मुकम्मल व्यवस्था करेंगे जिससे कि किसानों को कानून बनाकर पानी बिजली के अलावा सीधे केन्द्र सरकार द्वारा लाभ दिया जा सके?

श्री शरद पवार: इसमें दो-तीन सवाल पूछे गये हैं। लेकिन जहां तक गेहूं की बात कही गई है, मैंने इस सदन में इससे पहले भी कहा था कि इस साल गेहूं का प्रोक्योरमैन्ट कम हुआ है और इसके कई रीजन्स हैं। इस देश में सबसे ज्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में होता है। दूसरे नम्बर पर पंजाब आता है, तीसरे नम्बर पर हरियाणा आता है। मध्य प्रदेश और गुजरात इनके बाद आते हैं। पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों ने साढ़े आठ मिलियन टन गेहूं भारत सरकार को प्रोक्योरमैन्ट करके दिया। उत्तर प्रदेश, जहां सबसे ज्यादा गेहूं पैदा होता है, इस साल उत्तर प्रदेश सरकार को हमने जो प्रोक्योरमैन्ट की जिम्मेदारी दी थी, उन्होंने पूरे देश के पैमाने पर 48 हजार टन प्रोक्योरमैन्ट किया, जबकि उस स्टेट में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने दो हजार टन गेहूं का प्रोक्योरमैन्ट किया। गुजरात में प्रोक्योरमैन्ट नहीं हो सका। इसलिए जिनके यहां गेहूं का ज्यादा एरिया है, वहां जो काम करने की जिम्मेदारी थी, उसमें कमी आई है। लेकिन साथ-साथ मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि जो कीमत हम लोगों ने तय की थी, उससे मार्केट में कीमत ज्यादा थी और इसलिए इसका भी असर इसके ऊपर हुआ है। इसलिए इस साल हमने करैक्टिव मैजर्स लिये हैं। पहली बार सरकार ने गेहूं की कीमत सौ रुपये प्रति क्विंटल से आगे बढ़ाई है, जो इससे पहले कभी नहीं बढ़ाई गई थी और इसके फायदे के रूप में हमें एरिया ज्यादा मिल रहा है।

इसके अलावा जो दूसरे सुझाव इन्होंने दिये हैं, चाहे इर्रिगेशन हो या कुछ और हो ये सब वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमैन्ट देखती है। इस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, यह बात मैं स्वीकार करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बी. विनोद कुमार: जहां तक इस प्रश्न के भाग (क) का संबंध है, मंत्री महोदय ने अपने लिखित उत्तर में बताया है: "नहीं"। परिशिष्ट से यह पता चलता है कि नौवीं योजना की तुलना में दसवीं योजना के दौरान संबंधित कृषि-भूमि के क्षेत्रफल में कमी आयी है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि दलहनों के अलावा अन्य फसलों हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है। छत्तीसगढ़, झारखण्ड और उत्तरांचल जैसे नवगठित राज्यों के अलावा सभी राज्यों में या तो यह घटा है अथवा पहले जैसा बना हुआ है। मात्र छत्तीसगढ़, झारखण्ड और उत्तरांचल में खेती की जा रही भूमि के क्षेत्रफल में काफी वृद्धि हुई है।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि दलहनों के अलावा अन्य फसलों हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे सिंचाई प्रणाली आदि को सुदृढ़ बनाने जा रहे हैं।

श्री शरद पवार: महोदय, जैसा कि मैंने कहा है, सिंचाई प्रणाली का मुझसे सीधा ताल्लुक नहीं है। परन्तु इस वर्ष भारत सरकार द्वारा सिंचाई हेतु बजटीय आवंटन को निश्चित रूप से बढ़ाया गया है। जब हम अगली योजना पर चर्चा करेंगे और उसे अंतिम रूप देंगे तो इस संबंध में सरकार का विचार और अधिक भूमि को सिंचाई सुविधा के अंतर्गत लाने हेतु राज्यों को पर्याप्त संसाधन मुहैय्या कराने का है।

मोहम्मद सलीम: मुझे मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर पर कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु मंत्री जी द्वारा मुहैय्या कराए गए आंकड़े पर आपत्ति है। मंत्री महोदय ने राष्ट्रीय आंकड़े वार्षिक तथा पिछले तीन वर्षों का औसत दिया है। यह स्पष्ट है कि अखिल भारतीय औसत सही है। कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी नहीं आयी है। परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य पहले ही बता चुके हैं, कुछ राज्यों में कृषि भूमि के क्षेत्रफल में भारी कमी हो रही है।

मंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2003-04 से 2005-06 तक के दिए गए वार्षिक आंकड़े औसत से मेल खाते हैं। वर्ष 1997-98 से 2001-02 तक जो नौवीं योजना की संगत अवधि है, के आंकड़ों की स्थिति सही है। परन्तु वर्ष 2002-03 में भारी गिरावट के क्या कारण हैं? यदि मैं मंत्री जी द्वारा दिए गए आंकड़े को दसवीं योजना के चार वर्षों में से तीन वर्ष औसत के रूप में लूं तथा वर्ष 2002-03 के वार्षिक आंकड़े का पता करूं तो भारी कमी देखने को मिलेगी।

श्री शरद पवार: मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। वर्ष 2002-03 में यही स्थिति रही है। वर्ष 2002-03 में, अनेक राज्यों में सूखे की स्थिति रही। जब सूखा पड़ता है तो किसान बुआई नहीं करते हैं। यही कारण है कि उन विशेष वर्षों के दौरान खेती की गयी भूमि का क्षेत्रफल घटा है।

अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद

***366. श्री एम. राजामोहन रेड्डी:**
श्री फ्रांसिस फैन्थम:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई अन्तर्राज्यीय जल विवाद कई दशकों से लंबित पड़े हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन विवादों का समाधान करने हेतु कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक विवाद में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इन विवादों के शीघ्रतापूर्वक समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (आईएसआर डब्ल्यूडी) अधिनियम, 1956 के अनुसार दो या अधिक राज्यों के बीच जल विवाद तब उत्पन्न होता है जब केन्द्र सरकार इस अधिनियम की धारा 3 के तहत बेसिन राज्यों में से किसी एक से जल विवाद के मौजूद होने के संबंध में अनुरोध प्राप्त करती है। आईएसआरडब्ल्युडी अधिनियम, 1956 के तहत वर्तमान अंतर्राज्यीय जल विवादों का ब्यौरा नीचे दिए गए अनुसार है:—

क्र.सं.	नदी/नदियां	संबंधित राज्य	केन्द्र सरकार को भेजे जाने की तारीख	अधिकरण को भेजे जाने की तारीख
1.	रावी और व्यास	पंजाब, हरियाणा और राजस्थान	-	अप्रैल, 1986
2.	कावेरी	केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी	जुलाई, 1986	जून, 1990
3.	कृष्णा	कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र	सितम्बर, 2002-जनवरी, 2003	अप्रैल, 2004
4.	मादेई/मंडोवी/महादायी	गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र	जुलाई, 2002	-
5.	वंसधारा	आंध्र प्रदेश और उड़ीसा	फरवरी, 2006	

उक्त अधिनियम के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा कोई विवाद किसी अधिकरण को तभी भेजना अपेक्षित होता है जब वह इस बात के लिए संतुष्ट हो जाए कि इस विवाद का समाधान बातचीत के जरिए नहीं हो सकता। तदनुसार, कावेरी और कृष्णा से संबंधित जल विवादों को अधिनिर्णय के लिए क्रमशः 1990 और 2004 में अधिकरणों को भेजा गया। कावेरी जल विवाद अधिकरण (सीडब्ल्यूडीटी) ने 25.6.1991 को एक अंतरिम आदेश पारित किया और कृष्णा जल विवाद अधिकरण ने राज्यों के अंतरिम राहत प्रार्थना पत्रों पर 9.6.2006 को आदेश पारित किए।

रावी और व्यास से संबंधित जल विवादों को उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत 1986 में रावी और व्यास जल अधिकरण को भेजा गया था। रावी व्यास जल अधिकरण ने अपनी रिपोर्ट 30.1.1987 को प्रस्तुत की। पक्षकार राज्यों और केन्द्र सरकार ने इस अधिकरण से इस अधिनियम की धारा 5(3) के तहत स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन मांगा है। अधिकरण ने अपनी अगली रिपोर्ट अभी सरकार को नहीं सौंपी है।

गोवा सरकार द्वारा उठाए गए महादायी/मंडोवी नदी जल विवादों के संबंध में जल संसाधन मंत्रालय का यह मत है कि गोवा सरकार के अनुरोध में शामिल जल विवाद का बातचीत के द्वारा समाधान नहीं किया जा सकता है। इस अनुरोध की जांच उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की गई और इसे अधिनियम के अनुरूप नहीं पाया गया और इसीलिए 21.11.2006 को गोवा राज्य से संशोधित रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया है।

वंसधारा जल विवाद के संबंध में केन्द्र सरकार अभी तक इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है कि इस विवाद का समाधान बातचीत के जरिए नहीं किया जा सकता है।

जल विवाद के समाधान संबंधी तंत्र आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम, 1956 के रूप में पहले से ही विद्यमान है। आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम, 1956 को वर्ष 2002 में संशोधित किया गया जिसके द्वारा अधिकरण द्वारा जल विवाद के अधिनिर्णय को समयबद्ध कर दिया गया है।

(ख) रावी और व्यास जल अधिकरण, कावेरी जल विवाद अधिकरण और कृष्णा जल विवाद अधिकरण द्वारा अपने गठन से नवम्बर, 2006 तक किया गया व्यय क्रमशः 5.45 करोड़ रुपए, 10.43 करोड़ रुपए और 2.05 करोड़ रुपए है। अधिकरणों द्वारा किया गया व्यय पक्षकार राज्यों द्वारा वहन किया जाना है।

श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या संविधान में प्रावधान है कि अंतर-राज्यीय नदियों के विनियमन का कार्य जनहित में केन्द्र सरकार के पास होगा, क्या सरकार सभी नदियों को राष्ट्रीय संसाधन के रूप में घोषित करके तथा क्रियान्वयन हेतु सांविधिक शक्तियों से युक्त एक केन्द्रीय जल प्राधिकरण की स्थापना के द्वारा नदी जल विवादों के निपटारे हेतु किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं।

प्रो. सैफुद्दीन सोज: महोदय, संसद ने भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसरण में अनुच्छेद 262 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम को अधिनियमित किया है जिसमें एक अधिकरण के गठन का प्रावधान है। जब हमारे पास विवाद आते हैं तो हम मंत्रालय में उन विवादों को मंत्रालय में सुलझाते हैं। यदि बातचीत से इसका हल नहीं निकलता है तो हम आवश्यकता पड़ने पर अधिकरण का गठन करते हैं।

श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: महोदय, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने मई, 2005 में केन्द्र सरकार से यह कहते हुए शिकायत की थी कि श्रीराम सागर प्रोजेक्ट टिप्पणी रिजरवायर के जलमग्न क्षेत्र के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार द्वारा बबलो बैराज का निर्माण गोदावरी जल विवाद अधिकरण पंचाट का उल्लंघन है। यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है।

प्रो. सैफुद्दीन सोज: बबली मामला हमारे पास आया था। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ मेरी बैठक हुई थी। जब मैंने कहा कि हम पुन: बैठेंगे और इसका समाधान करेंगे—यह काफी छोटा विवाद था और मैं आश्वस्त था कि इसे सुलझाया जा सकता है—अगले दिन समाचार-पत्रों से पता चला कि उनमें से एक राज्य माननीय उच्चतम न्यायालय में यह मामला ले गया। मामला यही समाप्त हो गया। अब यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है। यह मंत्रालय में सुलझ गया होता। मैं इसके बारे में आश्वस्त था। दोनों मुख्यमंत्री सहमत थे। यह राज्य का विषय है। उच्चतम न्यायालय ने अक्सर संभवत: अपने दो अथवा तीन निर्णयों में कहा है कि संप्रभु भारत के अंतर्गत राज्य जल संसाधनों के बारे में संप्रभु है। इस तथ्य के बावजूद मुख्य मंत्री मुझसे सहमत थे कि बबली विवाद विचार-विमर्श के माध्यम से निपटा लिया जाएगा, वह इस मामले को लेकर न्यायालय चले गए।

श्री फ्रांसिस फैन्थम: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय जल संसाधन मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि राज्यों के बीच जल विवादों को सुलझाने हेतु क्या कोई नए प्रयास किए जा रहे हैं। रावी-ब्यास विवाद करीब 20 वर्षों से अधिकरण के पास है। कावेरी जल विवाद 15 वर्षों से अधिक समय से अधिकरण के पास लम्बित पड़ा है। महोदय, 16 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं तथा अधिकरण से कोई समाधान निकलने की उम्मीद नहीं दिखती। मैं मंत्री जी से इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया देने का अनुरोध करता हूं।

प्रो. सैफुद्दीन सोज: रावी ब्यास विवाद से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से जुड़े हुए हैं। इस अधिकरण की स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी। उनका यह कहना सही है कि अक्सर कोई भी सरकार न्यायालय या अधिकरण के मामले को लेकर चली जाती है। महोदय, 5.4 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। पंचाट आना अभी बाकी है। परन्तु इसी बीच पंजाब ने 12 जुलाई, 2004 को पंजाब टर्मिनेशन आफ एग्रीमेंट एक्ट पारित कर दिया। तत्पश्चात्, भारत के माननीय राष्ट्रपति ने 22 जुलाई, 2004 को उच्चतम न्यायालय को एक संदर्भ (रेफरेन्स) भेजा था। अधिकरण माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का इंतजार कर रहा है। ...*(व्यवधान)* हां, विलम्ब हुआ है। परन्तु विलम्ब इस वजह से हुआ है कि आपस में बैठकर मंत्रालय में ही मामलों को निपटाने पर सहमत नहीं हैं। ...*(व्यवधान)* कृपया मेरी बात सुनें। इसलिए, यह कार्य करने हेतु अधिकरण अस्तित्व में हैं तथा इस पर एक संदर्भ दिया गया है। पंजाब टर्मिनेशन आफ एग्रीमेंट्स एक्ट पारित किया गया। भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को संदर्भ भेजा गया। इसलिए, अधिकरण माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किए जाने वाले निर्णय का इंतजार कर रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी: अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जैसा अभी-अभी उन्होंने जवाब दिया कि सरकारें बैठकर बात नहीं करना चाहती हैं और अन्तर्राज्यीय जल विवाद के तहत राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, जिस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने के बाद, पंजाब के मुख्य मंत्री ने विदड्रा कर लिया और राजस्थान को जो पानी का शेयर मिलना चाहिए था, वह शेयर नहीं दिया। मैं केन्द्रीय सरकार से जानना चाहती हूं कि इस विषय में केन्द्र सरकार की क्या योजना है, सरकार क्या कर रही है, क्योंकि बीबीएमबी का जो बोर्ड बना हुआ है, उसमें राजस्थान का प्रतिनिधि होना चाहिए। इस संदर्भ में बार-बार हमने यह बात कही कि जब हरियाणा का प्रतिनिधि है, पंजाब का प्रतिनिधि है लेकिन राजस्थान का प्रतिनिधि आपने नहीं रखा है। यही कारण है कि राजस्थान बार-बार उपेक्षित हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि बीबीएमबी में आप कब तक राजस्थान के प्रतिनिधि की नियुक्ति करेंगे? क्या इसके बारे में आप स्पष्ट करेंगे?

प्रो. सैफुद्दीन सोज: मैं इस मामले को देखूंगा कि राजस्थान को क्यों इंवाइट नहीं किया जा रहा है?

[अनुवाद]

मैं माननीय सदस्य को इस संबंध में दो या तीन दिनों में सूचित करूंगा। परन्तु इसमें अत्यधिक कठिनाइयां हैं। उदाहरणार्थ, अपर यमुना रीवर कमिटी की पिछले नौ वर्षों से बैठक नहीं हुई है। मैंने अप्रैल, 2006 में सदस्य राज्यों को आमंत्रित किया था और इसमें छह मुख्य मंत्रियों ने भाग लिया और इसमें सद्भावना का माहौल था। परन्तु इसमें अंतर्निहित कठिनाई यह है कि जल राज्य

का विषय है और हमारे राज्य सम्प्रभु हैं। जैसा आप कहते हैं— अंग्रेजी में एक कहावत है—कि आप घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हैं परन्तु आप घोड़े को पानी नहीं मिला सकते हैं। मेरी कठिनाई यह है कि मैं केवल मुख्य मंत्रियों की बैठक आयोजित कर सकता हूं। मैंने चर्चा के अच्छे परिणामों को भी देखा है। मुझे विश्वास है कि ऐसा किया जा सकता है। कठिनाई यह है कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के मुख्य मंत्री एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। मैं उनमें से हूं। मैं समन्वय कर सकता हूं परन्तु निर्णय तो राज्यों को स्वयं लेना है।

जहां तक राजस्थान का संबंध है, मैं इस पर विचार करूंगा कि क्यों राजस्थान को इससे सम्बद्ध नहीं किया गया है। मैं माननीय सदस्य को भी सूचित करूंगा।

श्री एन.एन. कृष्णदासः महोदय, इनमें से कुछ नदी परियोजनाओं का निर्माण ब्रिटिश काल में किया गया था और इनमें से कुछ का निर्माण भाषायी फार्मूला के अंतर्गत राज्यों के गठन से पूर्व किया गया था। मैं उक्त परियोजनाओं के उदाहरणों को उद्धृत नहीं कर रहा हूं और सरकार इनके बारे में जानती होगी। परन्तु इन समझौतों में से अब कुछ राज्यों के बीच रद्द कर दिये गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार उक्त परियोजनाओं के उक्त रद्द किये गये समझौतों की समीक्षा करने जा रही है जिनका निर्माण भाषाई फार्मूला के अंतर्गत राज्यों के गठन के पहले किया गया था और जिनका निर्माण ब्रिटिश काल में किया गया था।

प्रो. सैफुद्दीन सोजः महोदय, हमें मंत्रालय को भेजे जाने वाले विवादों पर अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम और इसके मापदंडों के अंतर्गत विचार करना होगा। संसद के अधिनियम द्वारा मानदंड निर्धारित किए गए हैं। अतएव हम उक्त अधिनियम अथवा अन्तर राज्यीय जल विवाद अधिनियम की अवहेला नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार, इसके मानदंड हैं और हम इससे आगे नहीं जा सकते हैं। हम इन विवादों का इस अधिनियम के मापदंडों के अंतर्गत समाधान करते हैं।

श्री किन्जरपु येरननायडुः अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता के समय से कई विवाद लंबित हैं। भारत सरकार इन अन्तर्राज्यीय विवादों का समाधान नहीं कर रही है। वर्तमान में, जल राज्य का विषय है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन सभी विवादों का शीघ्र समाधान करने हेतु इसे समवर्ती सूची में रखने का कोई प्रस्ताव है। अन्यथा, यह एक कठिन कार्य होगा।

समस्या यह है कि जल मुख्यतः राज्य का विषय है और यही कारण है कि भारत सरकार राज्यों पर कोई दबाव नहीं डाल रही है और इसे राज्यों पर छोड़ रही है। ऐसा कई वर्षों से जारी है। यदि यह विषय समवर्ती सूची में रखा जाता है, तो उनके पास सत्ता होगी और वे मुद्दे का लोकतांत्रिक ढंग से समाधान कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदयः वह इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। सभा इसे बदल सकती है।

प्रो. सैफुद्दीन सोजः महोदय, जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति ने यह सिफारिश की है कि यह विषय समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिए। मैं इससे आगे नहीं जा सकता हूं। न तो मैं स्थायी समिति का अध्यक्ष हूं और न ही मैं स्थायी समिति का सदस्य हूं। यह संसद का प्रतिनिधित्व करने वाला एक स्वतंत्र निकाय है। इसलिए, इस पर यह सम्मानीय सभा निर्णय लेगी। इस देश का नागरिक होने के नाते, मैं यही कह सकता हूं कि "हां", जल संसाधन को समवर्ती सूची में रखने के बारे में इस सम्मानीय सभा को अवश्य विचार करना चाहिए। मैं ऐसा एक भारतीय नागरिक के नाते कहता हूं न कि मंत्री के रूप में। यही सीमा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः वे बहुत ही स्पष्ट और निष्पक्ष रूप से बोल रहे हैं। वह आपसे सहमत हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)* *

डा. सी. कृष्णनः माननीय अध्यक्ष महोदय, जल संसाधन के संबंध में तमिलनाडु के रामनाथपुरम, मदुरई, डिंडीगुल एवं शिवगंगा, थेनी जैसे क्षेत्रों को पेयजल और सिंचाई हेतु मुल्लापेरियर बांध के जल की अत्यधिक आवश्यकता है।

उक्त समझौता वर्ष 1886 के दौरान त्रावणकोर के तत्कालीन राजा के साथ हस्ताक्षरित किया गया था। राजवंश ने 152 फीट के लिए अंग्रेजों के साथ समझौता किया था। अब जल का स्तर 136 फीट है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः नहीं, यह मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है।

डा. सी. कृष्णनः उच्चतम न्यायालय ने इसे प्राधिकृत एवं प्रमाणित किया है कि जल स्तर को बढ़ाकर 142 फीट किया जाए।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: जी नहीं, यह प्रश्न की सीमा के अंतर्गत नहीं आता है।

...(व्यवधान)

डा. सी. कृष्णन: इस प्रयोजनार्थ मेरे नेता श्री वाइको आज पदयात्रा भी कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

महोदय, मैं चाहता हूं कि बांध के स्तर को बढ़ाकर 142 फीट किया जाए।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, उनका प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है। क्या आप इसका जवाब देंगे।

प्रो. सैफुद्दीन सोज: महोदय, यह मामला उच्चतम न्यायालय में है। परन्तु इस बीच माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सुझाव दिया है कि दो राज्यों मुख्यत: केरल और तमिलनाडु को केन्द्र सरकार की सहायता या इसकी सहायता के बगैर अपने विवाद का समाधान करना चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मेरी अनुमति के बिना कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

प्रो. सैफुद्दीन सोज: महोदय, पहले मैंने तमिलनाडु एवं केरल के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की थी और आज तमिलनाडु और केरल के दो जल संसाधन मंत्री मुझसे मिल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: अच्छी बात है।

प्रो. सैफुद्दीन सोज: हम देखेंगे आगे कैसे इसका समाधान होता है।

अध्यक्ष महोदय: शुभकामनाएं। सभी को मेरी शुभकामनाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब, प्रश्न संख्या 367 पर विचार करेंगे: श्री एम शिवन्ना-उपस्थित नहीं हैं, श्री हरिकेवल प्रसाद-उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न संख्या 368: श्री रायापति सांबासिवा राव—उपस्थित नहीं हैं। मेरे विचार से, सोमवार को कोई प्रश्न काल नहीं होना चाहिए।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अब प्रश्न संख्या 369—श्री काशीराम राणा—उपस्थित रहने के लिए धन्यवाद।

[हिन्दी]

डी.टी.एच. सेवा

+*369. श्री काशीराम राणा:
श्री वी.के. ठुम्मर:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अब तक लोगों को 'डायरेक्ट-टू-होम' (डी.टी.एच.) सेवा उपलब्ध करवा पाई. है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार वर्तमान डी.टी.एच. दर्शकों की संख्या से संतुष्ट है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये गए हैं?

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सरकार, प्रसार भारती की डी.डी. डायरेक्ट सेवा को छोड़कर लोगों को डी.टी.एच. की सेवाएं सीधे उपलब्ध नहीं कराती है। तथापि, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दिनांक 15.03.2001 को निजी डीटीएच सेवाओं हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं जो कि मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.nic.in पर उपलब्ध हैं।

(ख) प्रसार भारती, लोक सेवा प्रसारक, नि:शुल्क डी.डी.-डायरेक्ट डी.टी.एच. सेवा उपलब्ध करा रहा है। डी.डी.-डायरेक्ट डी.टी.एच. सेवा के अतिरिक्त, मैसर्स ए.एस.सी. इंटरप्राइजेज लिमिटेड और मैसर्स टाटा स्काई लिमिटेड नामक दो निजी कंपनियां भी देश में डी.टी.एच. सेवा उपलब्ध करा रही हैं।

(ग) सरकार डी.टी.एच. सेवा के संबंध में दर्शकों की संख्या के बारे में कोई रिकार्ड नहीं रखती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री काशीराम राणाः अध्यक्ष महोदय, प्रसारण के क्षेत्र में और विशेषकर डी.टी.एच. में हमने बहुत ही रिमार्केबल प्रोग्रैस की है। अभी मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि डी.टी.एच. सेवा केवल दो प्राइवेट कम्पनियां दे रही हैं। मेरी जानकारी के अनुसार देश में ऐसी कई प्राइवेट कम्पनियां हैं जिन्होंने डी.टी.एच. के माध्यम से लोगों तक सेवा पहुंचाने के लिये मंत्रालय से परमीशन मांगी है लेकिन यह परमीशन उन्हें अभी तक नहीं मिली है। जहां तक डी.टी.एच. के माध्यम से व्युअर्स को चैनल दिखाने का सवाल है, यह संख्या 34 है, जिनसे उन्हें लाभ मिल रहा है। हमारे देश में बहुत अधिक चैनल्स उपलब्ध होते हुये भी, बहुत कम कम्पनियों को डी.टी.एच. सेवा देने के लिये परमीशन दी गई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार के पास कितनी कम्पनियों की प्रपोजल आई है और सरकार ज्यादा से ज्यादा चैनल्स दिखाने के लिये कैसे कदम उठायेंगे?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः श्री काशीराम राणा, मुझे खेद है। यह मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणाः अध्यक्ष महोदय, इन कम्पनियों द्वारा जो चार्ज किया जाता है, आप उसे कैसे कम करेंगे?

श्री प्रियरंजन दासमुंशीः अध्यक्ष महोदय, जहां तक डी.टी.एच. सेवा देने का सवाल है, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रसार भारती द्वारा डी.टी.एच. पूरे हिन्दुस्तान में सब से ज्यादा पापुलर हो चुका है। जहां तक प्राइवेट आपरेटर्स का सवाल है, 6 प्राइवेट आपरेटर्स ने मंत्रालय को दरख्वास्त दी है, जिनमें से तीन को मंजूरी दी गई है। इन तीन में से दो आपरेशन में हैं और एक जल्दी ही आपरेशन शुरू करेगा। दो को हमने रिजैक्ट कर दिया है और एक को लैटर आफ इंटैंट दे दिया है।

श्री काशीराम राणाः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया कि डी.टी.एच. सेवा के लिये जिन आपरेटर्स को परमीशन दी गई है, मैं जानना चाहता हूं कि डी.टी.एच. सेवा के लिये जो चार्ज किया जा रहा है, चाहे वह सरकार की ओर से हो या उसके बाद जिन्होंने डी.टी.एच. सेवा ली है, वे कंज्यूमर्स से जो चार्ज करते हैं, क्या सरकार के पास उन चार्जेज को कम करने के लिये कोई प्रपोजल है जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा डी.टी.एच. सेवा का लाभ उठा सकें?

श्री प्रियरंजन दासमुंशीः अध्यक्ष महोदय, डी.टी.एच. ही एकमात्र ऐसी सेवा है जिससे कंज्यूमर्स को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होता है। यह फ्री टू एअर है जिसे केबल के जरिये नहीं लेना पड़ता है। अगले साल डी.टी.एच. का काम इस ढंग से होगा, जिसका गांव-गांव आदर करेगा क्योंकि इसमें पैसा बहुत कम लगता है। जहां तक चाजेर्ज कम करने का सवाल है, इस पर हम विचार करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः अब, श्री वी.के. ठुम्मर—उपस्थित नहीं।

अब प्रश्न संख्या 370, श्री के.एस. राव—उपस्थित नहीं।

अभी भी आधा मिनट का समय बचा हुआ है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट

***364. श्री नवीन जिन्दलः** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गंगा कार्य योजना (जीएपी) और यमुना कार्य-योजना (वाईएपी) के अंतर्गत "सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट" (एसटीपीज) स्थापित करना अनिवार्य हैं;

(ख) यदि हां, तो गंगा कार्य योजना और यमुना कार्य-योजना के अंतर्गत राज्यवार कुल कितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए गए हैं;

(ग) ऐसे प्लांट्स (संयंत्रों) की स्थापना में कितनी लागत आई और इस प्रयोजनार्थ किन-किन स्रोतों से धनराशि जुटाई गई;

(घ) क्या केन्द्र सरकार किसी योजना के अंतर्गत ऐसे प्लांट्स (संयंत्रों) के लिए धनराशि उपलब्ध कराती है;

(ङ) यदि हां, तो राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या ये प्लांट्स संयंत्र निर्धारित प्रचालनात्मक मानदंडों का पूरी तरह से अनुपालन कर रहे हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी, नहीं तथापि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है, जिसके अंतर्गत गंगा कार्य योजना और यमुना कार्य योजना के कार्य शामिल हैं। नदियों में प्रदूषण भार का मुख्य भाग घरेलू सीवेज के कारण होता है। योजना के अंतर्गत शुरू किए गए प्रदूषण निवारण के कार्यों में खुले नालों के माध्यम से नदी में बहने वाले अशोधित सीवेज का अवरोधन एवं दिशापरिवर्तन के मुख्य कार्य और योजना के अंतर्गत संस्थापित सीवेज शोधन संयंत्रों में उनके शोधन के लिए उनका दिशा परिवर्तन करना शामिल है।

(ख) से (ङ) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत सीवेज शोधन संयंत्रों के सृजन को केन्द्र और राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के बीच 70:30 लागत आधार पर प्रदूषण निवारण स्कीमों को निधि प्रदान की जाती है। यमुना कार्य योजना चरण-2, जिसे जापान बैंक फार इन्टरनेशनल को-आपरेशन से सहायता प्राप्त है, में कार्य केन्द्र और राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के बीच 85:15 लागत हिस्सेदारी आधार पर हैं। सीवेज शोधन संयंत्रों की स्थापना, स्वीकृत लागत का राज्यवार विवरण संलग्न है।

(च) से (ज) राज्य सरकार कार्यक्रम के अंतर्गत सृजित सीवेज शोधन सहित परिसंपत्तियों के प्रचालन और रखरखाव के प्रति उत्तरदायी है। गंगा कार्य योजना और यमुना कार्य योजना के छह राज्यों में वर्ष 2005 के दौरान 60 सीवेज शोधन संयंत्रों के लिए स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा की गई निष्पादन निगरानी के आधार पर 61% सीवेज शोधन संयंत्र जैव रसायन आक्सीजन मांग, जो आर्गेनिक प्रदूषण का द्योतक है, के संदर्भ में निर्धारित मानकों को पूरा करते हैं। उत्तरांचल, बिहार, दिल्ली और पश्चिम बंगाल राज्यों में यह सीवेज शोधन संयंत्र सामान्यतया, संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं। कुछ सीवेज शोधन संयंत्रों द्वारा मानकों का पालन न होना संयंत्रों का घटिया प्रचालन और रख-रखाव, राज्यों द्वारा पर्याप्त संसाधन उपलब्ध न करवाना, समर्पित विद्युत आपूर्ति की अनुपलब्धता आदि जैसे मुख्य कारण हैं।

विवरण

गंगा एवं यमुना कार्य योजना के अंतर्गत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट

क्र.सं.	कार्य योजना/राज्य	एसटीपी की संख्या		एसटीपी के लिए स्वीकृत राशि (रुपए लाख में)
		स्वीकृत	स्थापित	
1	2	3	4	5
क.	**गंगा कार्य योजना चरण-I**			
1.	उत्तर प्रदेश	13	13	10225.2
2.	बिहार	7	5	1901.62
3.	पश्चिम बंगाल	15	15	7360.72
	कुल :	35	33	19487.54
ख.	**गंगा कार्य योजना चरण-III (गंगा एवं इसकी मुख्य सहायक नदियों सहित)**			
(i)	**गंगा कार्य योजना चरण-II**			
1.	उत्तर प्रदेश	8	0	2941.55
2.	उत्तरांचल	4	0	462.71
3.	झारखंड	0	0	0

1	2	3	4	5
4.	बिहार	0	0	0
5.	पश्चिम बंगाल	22	4	1877.3
	सी ई टी पी	1	1	6104
	उप-योग :	35	5	11385.56
(ii)	**यमुना कार्य योजना (दोनों चरणों सहित)**			
1.	दिल्ली	3	3	1344.4
2.	उत्तर प्रदेश	17	15	9421.53
3.	हरियाणा	17	13	11066.93
	उप-योग :	37	31	21832.86
(iii)	**गोमती कार्य योजना**			
1.	उत्तर प्रदेश	3	1	12381.42
	उप-योग :	3	1	12381.42
(iv)	**दामोदर कार्य योजना**			
1.	झारखंड	0	0	0
2.	पश्चिम बंगाल	1	0	165.51
	उप-योग :	1	0	165.51
	गैप-II (i+ii+iii+iv)	76	37	45765.35
	गैप-I + गैप-II (क+ख)	111	70	65252.89

बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत सब्जियों की खरीद

***367. श्री एम. शिवन्ना:**
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में कतिपय सब्जियों, विशेषकर टमाटर और आलू की कीमतों में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इन वस्तुओं की बाजार हस्तक्षेप योजना (मार्किट इंटरवेल स्कीम) के अंतर्गत खरीद करने हेतु राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) थोक मूल्य: जनवरी-नवम्बर, 2005 तथा 2006 अवधि के लिए प्रमुख विपणनों में प्रचलित आलू तथा टमाटर के बारे में औसत मासिक थोक मूल्य की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है:

देश के प्रमुख बाजारों में आलू तथा टमाटर के मासिक औसत थोक मूल्य (रुपए/क्विंटल)

मास	आलू		टमाटर	
	2005	2006	2005	2006
जनवरी	325	624	525	456
फरवरी	317	526	517	456
मार्च	354	554	582	486
अप्रैल	491	594	682	470
मई	536	651	666	642
जून	562	685	546	1289
जुलाई	584	691	909	993
अगस्त	574	713	1003	963
सितम्बर	573	800	985	1126
अक्तूबर	661	886	984	1038
नवम्बर	831	937	1050	740
दिसम्बर	768	*	628	*

*उपलब्ध नहीं

स्रोत: राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

खुदरा मूल्य: जनवरी से नवम्बर, 2006 के दौरान, चुने हुए केन्द्रों के लिए आलू तथा टमाटर के मासान्त खुदरा मूल्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) किसी भी राज्य सरकार से कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

2006 के दौरान कुछ चुने हुए केन्द्रों के लिए आलू तथा टमाटर के लिए मासान्त खुदरा मूल्य

(रुपए प्रति किलोग्राम)

जिन्स	केन्द्र का नाम	जनवरी, 2006	फरवरी, 2006	मार्च, 2006	अप्रैल, 2006	मई, 2006	जून, 2006	जुलाई, 2006	अगस्त, 2006	सितम्बर, 2006	अक्टूबर, 2006	नवम्बर, 2006	औसत मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
आलू	मुम्बई	10	10	10	10	10	8	12	13	16	16	16	12
एफ.ए.क्यू.	दिल्ली	7	7	8	8	8	10	12	12	14	14	10	10
	चेन्नई	16	10	10	10	11	9	9	उ.न.	8	10	13	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	बैंगलौर	11	10	8	9	10	10	11	7	11	10	उ.न.	10
	लखनऊ	5	5	6	6	8	8	8	9	10	12	13	8
	जयपुर	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	10	8
टमाटर	मुम्बई	6	8	8	8	8	18	12	10	20	16	8	11
एफ.ए.क्यू.	दिल्ली	8	8	10	8	10	28	14	8	24	20	12	15
	चेन्नई	9	3	5	10	17	10	4	उ.न.	7	7	11	8
	बैंगलौर	8	4	3	7	16	10	5	5	7	7	उ.न.	7
	लखनऊ	5	5	12	4	8	40	20	20	20	20	12	15
	जयपुर	6	6	8	8	8	10	10	15	15	15	15	11

एफ.ए.क्यू.: उचित औसत गुणवत्ता

स्रोत: विपणन आसूचना इकाई, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार तथा ए.पी.एम.सी.

जैव-अपशिष्ट का पृथक्करण

***368. श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एस.पी.सी.बी.) को स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों को स्वीकृति देते समय उन पर पारा संदूषित जैव-अपशिष्ट का पृथक्करण करने की शर्त लगाने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार डायोक्सिन्स और पारे में कमी लाने हेतु किसी संस्थान की स्थापना करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियमावली, 1998 के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को अनुमोदन प्रदान करते समय सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि पारे वाले उपकरण के टूटने से गिरने वाला पारा जैव-चिकित्सीय अथवा अन्य ठोस अपशिष्टों का हिस्सा न बने के उपाय करने के लिए उपयुक्त शर्तों को शामिल करने का निर्देश दिया है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के उपर्युक्त निर्देशों के कार्यान्वयन के संबंध में कई राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से पुष्टि मिली है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी पारे के संबंध में एक वैज्ञानिक जोखिम मूल्यांकन अध्ययन करवाने के उपाय किए जा रहे हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि भूमि का उपयोग

***370. श्री के.एस. राव:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों में गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए कृषि भूमि के बढ़ते हुए उपयोग की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के चहुंमुखी विकास की

आवश्यकता के मद्देनजर कृषि और गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि के उपयोग में सार्थक संतुलन बनाए रखने के लिए उपाय करने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कृषि को समवर्ती सूची में रखकर किसानों से संबंधित सभी समस्याओं से निपटने के लिए कोई कानून बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ङ) उपलब्ध आकलन के अनुसार, कृष्य भूमि 1981 में 185.09 मिलियन हैक्टेयर से घटकर 2002-03 में 182.92 मिलियन हैक्टेयर हो गई है। आबादी में वृद्धि और कृषि भूमि को शहरीकरण, सड़कें, उद्योग आदि जैसे गैर-कृषि उद्देश्यों के लिये प्रयोग में लाये जाने के कारण कृष्य भूमि की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1980 में 0.27 हैक्टेयर से घटकर 2003 में 0.18 हैक्टेयर हो गई है। इसी अवधि में गैर-कृषि उपयोगों के तहत भूमि 19.66 मिलियन हैक्टेयर से बढ़कर 24.25 मिलियन हैक्टेयर हो गई है। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

भारत सरकार विभिन्न पनधारा विकास कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है, जैसे:- (1) वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.), (2) नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण नदी के आवाह क्षेत्रों में अवक्रमित भूमि की उत्पादकता बढ़ाने हेतु मृदा संरक्षण (आर.वी.पी. तथा एफ.पी.आर.), (3) झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना (डब्ल्यू.डी.पी.एस.सी.ए.), (4) क्षारीय मृदा का सुधार (आर.ए.एस.), (5) पनधारा विकास संबंधी विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (ई.ए.पी.), (6) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.), (7) मरू भूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.), (8) समेकित बंजर भूमि (वेस्टलैंड) विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), जिनका उद्देश्य अवक्रमित भूमि और मृदा क्षरण पर नियंत्रण करना है। ऐसी विकसित भूमि के भागों को भी खेती के तहत लाया गया है ताकि विभिन्न प्रकार के भूमि उपयोगों में संतुलन कायम रखा जा सके।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार भूमि और जल राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आते हैं। अत: कृषि को समवर्ती सूची में लाने का भारत सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। भूमि राज्य का विषय है, अत: यह राज्यों की जिम्मेवारी है कि वे गैर-कृषि प्रयोजनों हेतु कृषि भूमि के उपयोग के विनियमन संबंधी उपयुक्त विधान लाएं। तथापि, भारत सरकार राज्य भूमि उपयोग बोर्ड का एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। कुछ राज्यों ने अपने राज्य भूमि उपयोग बोर्डों के जरिए अपनी सरकारों के सम्बद्ध विभागों (लाइन डिपार्टमेंट) को अनुदेश और कार्यकारी आदेश जारी किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुख्य कृषि भूमि का परिवर्तन गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए न हो और यदि ऐसा करना जरूरी हो जाता है तो परिवर्तित भूमि के बदले में उसके बराबर की भूमि मुहैया कराने के प्रयास किए जाएं।

विवरण

वर्ष 1950-51 से 2002-03 तक भारत में विभिन्न प्रयोगों के तहत भूमि का वितरण

(मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र में)

क्र.सं.	क्षेत्र का वर्गीकरण	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	भौगोलिक क्षेत्र	328.73	328.73	328.73	328.73	328.73	328.73	328.73
2.	भूमि प्रयोग सांख्यिकी के लिए रिपोर्टिंग (i) से (v)	284.32	298.46	303.76	304.15	304.86	306.08	306.06
(i)	वन	40.48 (14.2)	54.05 (18.1)	63.91 (21.0)	67.47 (22.2)	67.80 (22.3)	69.22 (22.6)	69.07 (22.6)
(ii)	खेती के लिए उपलब्ध नहीं (क+ख)							
	(क) गैर-कृषि प्रयोगों के तहत क्षेत्र	9.36 (3.3)	14.84 (5.0)	16.48 (5.4)	19.66 (6.4)	21.09 (6.9)	23.66 (7.7)	24.25 (7.9)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(ख) बंजर एवं गैर कृष्य भूमि	38.16 (13.4)	35.91 (12.0)	28.16 (9.3)	19.96 (6.6)	19.39 (6.4)	19.22 (6.3)	19.25 (6.3)
(iii)	परती भूमि को छोड़कर अन्य गैर कृष्य भूमि (क+ख+ग)							
	(क) स्थायी चारागाह और अन्य चारा भूमि	6.68 (2.3)	13.97 (4.7)	13.26 (4.4)	11.97 (3.9)	11.40 (3.7)	10.90 (3.6)	10.57 (3.5)
	(ख) मिश्रित फसलों और उपवनों के तहत भूमि जिसे निवल बुवाई क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है।	19.83 (7.0)	4.46 (1.5)	4.30 (1.4)	3.60 (1.2)	3.82 (1.3)	3.35 (1.1)	3.36 (1.1)
	(ग) कृष्य बंजर भूमि	22.94 (8.1)	19.21 (6.4)	17.50 (5.8)	16.74 (5.5)	15.00 (4.9)	13.64 (4.5)	13.49 (4.4)
(iv)	परती भूमि (क+ख)							
	(क) विद्यमान परती के अलावा परती भूमि	17.44 (6.1)	11.18 (3.8)	8.76 (2.9)	9.92 (3.3)	9.66 (3.2)	10.11 (3.3)	11.68 (3.8)
	(ख) विद्यमान परती भूमि	10.68 (3.8)	11.64 (3.9)	11.12 (3.5)	14.83 (4.9)	13.70 (4.5)	14.90 (4.9)	21.53 (7.0)
(v)	निवल बुआई क्षेत्र	118.75 (41.8)	133.20 (44.6)	140.27 (46.3)	140.00 (46.0)	143.00 (46.9)	141.08 (46.1)	132.86 (43.3)

टिप्पणी:

1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सूचित क्षेत्र का प्रतिशत दर्शाते हैं।
2. स्रोत: कृषि सांख्यिकी एवं विहंगम दृष्टि 2005, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली

वन्य जीवों की गणना

***371. श्री उदय सिंह:**
श्री संतोष गंगवार:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विभिन्न एजेंसियों द्वारा की गयी वन्य जीवों की गणना के अनुसार उनकी संख्या में भिन्नता पायी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विलुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण संबंधी प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने बाघों की गणना के लिए एक 'डी.एन.ए. फिंगर प्रिंटिंग मेथोडोलोजी' का सुझाव दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग से बाघों और अन्य विलुप्तप्राय जीवों की सही संख्या सुनिश्चित की है; और

(च) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) विभिन्न राज्यों में वन विभागों द्वारा राज्य स्तर पर वन्य प्राणियों का वार्षिक आकलन किया जाता है जिन्हें

भारत सरकार स्तर पर नहीं रखा जाता। भारत सरकार स्तर पर समन्वितता संकलित बाघों और हाथियों का अखिल भारतीय आकलन क्रमशः प्रत्येक चार और पांच वर्षों में किया जाता है। ऐसा आकलन बाघों के लिए 2001-02 और हाथियों के लिए 2002 में किया गया था। इस समय बाघ पारि बल द्वारा अनुमोदित परिष्कृत प्रणाली विज्ञान का प्रयोग करते हुए बाघों का अखिल भारतीय आकलन चल रहा है। तथापि सरिस्का बाघ रिजर्व से बाघों के गायब होने की रिपोर्ट है तथा रणथम्भौर बाघ रिजर्व में बाघ संख्या 2001-02 में 35 से 2005 में 26 तक हो गई है, जैसा कि (राजस्थान) सरकार द्वारा सूचित किया गया है।

(ग) और (घ) सेल्युलर एण्ड मालक्यूलर बायोलोजी सेंटर हैदराबाद के अंतर्गत संकटपन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयोगशाला में बाघों को अलग-अलग पहचानने के लिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की तकनीक प्रयोग की गई है। अखिल भारतीय स्तर पर इसे प्रयोग करने से पहले इसे बड़े भू-परिदृश्य पर इसके वैधीकरण और प्रयोग की सुगमता को देखने के लिए जांच करने की आवश्यकता है। इसलिए यह प्रणाली भविष्य में बाघ संख्या के आकलन के लिए एक उपकरण के रूप में अपनाई जाएगी।

(ङ) और (च) बाघ, सह-परभक्षी, शिकार आधार के आकलन और पर्यावास की मानीटरिंग के लिए बाघ परियोजना निदेशालय (अब राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण) द्वारा भारतीय वन्य प्रणाली संस्थान के साथ मिलकर एक परिष्कृत प्रणाली विकसित की गई है जिसे बाघ पारि बल द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह पद्धति देश के 17 बाघ राज्यों में चलाई जा रही है। अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार सांख्यिकीय वैध पद्धति के आधार पर बाघों की संख्या का अनुमान केन्द्रीय भारत के लिए दिसम्बर, 2006 के अंत तक और शेष भारत के लिए जून, 2007 तक दिया जाएगा।

क्षारीय मृदा

***372. श्री लक्ष्मण सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में, विशेषकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, क्षारीय मृदा क्षेत्र में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो कृषि उपज पर इसका क्या प्रभाव है; और

(ग) इन राज्यों में मृदा को क्षारीय बनाने से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) जी, नहीं। उपलब्ध अनुमान के अनुसार, देश में क्षारीयता/लवणता 1996 में 8.632 मिलियन हैक्टेयर से घटकर वर्ष 2005 में 5.944 मिलियन हैक्टेयर हो गई। उपरोक्त अवधि में, हरियाणा और पंजाब राज्यों में क्षारीयता/लवणता घटी है जबकि उत्तर प्रदेश में यह कुछ बढ़ी है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल के अनुसार, जड़ वाले हिस्से में अधिक लवण के इकट्ठा हो जाने के परिणामस्वरूप मृदा उत्पादकता में आंशिक अथवा पूर्ण हानि होती है और ऐसे लवण की उपस्थिति अधिकांश फसल पौधों की वृद्धि पर बुरा प्रभाव डालती है।

भारत सरकार ने क्षारीयता से ग्रस्त मृदा के सुधार के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम आरम्भ किया है। इस कार्यक्रम को अब कृषि के बृहद प्रबंधन (एमएमए) के अंतर्गत समाहित किया गया है। एमएमए के अंतर्गत राज्यों को केन्द्रीय निधि की उपलब्धता और राज्य में समस्याओं की प्रमात्रा पर निर्भर करते हुए, एमएमए के अंतर्गत समाहित विभिन्न स्कीमों के लिए निधियां आवंटित करने का लचीलापन प्रदान किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, भा.कृ.अ.प. द्वारा संस्तुत वैज्ञानिक पैकेज उन चुनिन्दा राज्यों में क्षारीय मृदा के सुधार के लिए अपनाया जा रहा है जहां क्षारीयता वैज्ञानिक पैमानों के अनुसार विद्यमान है। उत्तर प्रदेश राज्य में विश्व बैंक सहायता प्राप्त एक सोडायुक्त (सोडिक) भूमि सुधार परियोजना भी कार्यान्वित की जा रही है। उपरोक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत, प्रारम्भ से दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों सहित 9.01 लाख हैक्टेयर क्षेत्र का सुधार 1214.27 करोड़ रुपए के व्यय से किया गया है। इसका राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

भारत सरकार विभिन्न पनधारा विकास कार्यक्रम भी कार्यान्वित कर रही है अर्थात् (1) वर्षासिंचित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एनडब्ल्यूडीपीआरए), (2) नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण नदियों (आरवीपी और एफपीआर) के श्रावण क्षेत्रों में अवक्रमित भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण, (3) झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना (डब्ल्यूडीपीएससीए), (4) पनधारा विकास संबंधी बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं (ईएपी), (5) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), (6) मरूभूमि विकास कार्यक्रम, (7) समेकित बंजर-भूमि विकास परियोजना (आईडब्ल्यूडीपी) और (8) राष्ट्रीय वनरोपण तथा पारिस्थितिकी विकास परियोजना स्कीमें (एनएईपी) ताकि मृदा क्षरण और भूमि अवक्रमण का नियंत्रण किया जा सके। ये कार्यक्रम सुधारे गए क्षारीय क्षेत्र की उत्पादकता क्षमता बनाए रखने में भी सहायक हैं। इनके अलावा, भूमि की उत्पादकता क्षमता को बनाए रखने के लिए विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के अंतर्गत जैव खेती सहित रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग के संवर्धन, वैज्ञानिक फसल तथा जल प्रबन्धन आदि को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

विवरण

क्षारीय क्षेत्र की राज्यवार मात्रा तथा 10वीं योजना तक सुधारा गया क्षेत्र

(वास्तविक लाख हैक्टे. में और वित्तीय लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	क्षारीयता/ लवणता की मात्रा (1996) कुल	क्षारीयता/ लवणता की मात्रा (2005) कुल	दसवीं योजना तक सुधारा गया क्षारीय क्षेत्र*	
				वास्तविक	वित्तीय
1.	आंध्र प्रदेश	6.52	5.17	0.015	158.00
2.	बिहार	0.04	2.29	0.000	0.00
3.	गुजरात	18.26	2.94	0.421	1761.63
4.	हरियाणा	9.50	2.56	2.152	3043.41
5.	कर्नाटक	1.75	1.10	0.039	531.65
6.	केरल	0.67	0.00	0.00	0.00
7.	मध्य प्रदेश	2.31	0.46	0.001	183.53
8.	महाराष्ट्र	4.10	10.56	0.010	100.00
9.	पंजाब	7.18	2.88	2.793	3425.73
10.	राजस्थान	7.56	14.18	0.325	679.71
11.	तमिलनाडु	4.74	0.96	0.059	123.41
12.	उत्तर प्रदेश + उत्तरांचल#	12.95	13.70	3.195	111419.50
13.	उड़ीसा	2.54	0.75	0.00	0.00
14.	पश्चिम बंगाल	8.20	1.70	0.00	0.00
	अन्य	0.00	0.19	0.00	0.00
	कुल	86.32	59.44	9.01	121426.57

#उत्तर प्रदेश राज्य में कार्यान्वित की जा रही सोडिक भूमि सुधार संबंधी विश्व बैंक सहायतित परियोजना के अधीन 1092.14 करोड़ रु. से सुधारा गया 1.90 लाख हैक्टे. क्षेत्र शामिल है।

*वर्ष 2006-07 की अनंतिम उपलब्धियां शामिल हैं।

[हिन्दी]

यूरिया के मूल्यों का निर्धारण

***373. श्री सीताराम सिंह: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई प्रणाली के अंतर्गत यूरिया के मूल्य निर्धारण करने हेतु यूरिया उत्पादन इकाइयों का वर्गीकरण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन श्रेणियों का ब्यौरा क्या है जिनके अतंर्गत यूरिया उत्पादन इकाइयों को वर्गीकृत किया गया है; और

(ग) इस प्रकार के श्रेणीकरण हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

रसायन और उर्वरक तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (ग) यूरिया इकाइयों की तत्कालीन प्रतिधारण मूल्य योजना के स्थान पर दिनांक 1.4.2003 से लागू की गई नई मूल्य-निर्धारण योजना (एनपीएस) के अंतर्गत मौजूदा यूरिया इकाइयों को छः समूहों में बांटा गया था नामत: 1992 से पूर्व गैस आधारित इकाइयां, 1992 के उपरांत गैस आधारित इकाइयां, 1992 से पूर्व नेफ्था आधारित इकाइयां, 1992 के उपरांत नेफ्था आधारित इकाईयां, ईंधन तेल/लो सल्फर हैवी स्टाक (ईंधन तेल/एलएसएचएस) आधारित इकाइयां और मिश्रित ऊर्जा आधारित इकाइयां। यूरिया इकाइयों के पुरानेपन और यूरिया के उत्पादन में प्रयुक्त फीडस्टाक की किस्म को देखते हुए यूरिया इकाइयों का वर्गीकरण किया गया है।

[अनुवाद]

अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग

***374. श्रीमती अर्चना नायक:**
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान अपनी बीज उत्पादन इकाइयों से कितनी आय अर्जित की गई;

(ख) क्या कृषि विज्ञान केन्द्र देश में किसानों को पर्याप्त मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति करने में सक्षम हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो कृषि विज्ञान केन्द्रों के अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र के पास एक अनुदेशात्मक फार्म होता है जिसका उपयोग किसानों के कौशल-प्रशिक्षण को सुसाध्य बनाने के लिए किया जाता है। कृषि विज्ञान केन्द्र अपने अनुदेशात्मक फार्मों में सीमित मात्रा में बीजों और रोपण सामग्री का उत्पादन करते हैं। पिछले तीन वर्षों (2003-04 से 2005-06 तक) के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा बीजों और रोपण सामग्री की बिक्री से 1409.79 लाख रुपये की राशि अर्जित की गई।

(ख) और (ग) बीज श्रृंखला (चेन) में प्रजनक बीजों से फाउंडेशन बीज और फाउंडेशन बीजों से प्रमाणित/गुणवत्ता (क्वालिटी) बीजों का उत्पादन करना शामिल होता है। क्वालिटी बीज का उत्पादन और आपूर्ति करना मुख्यत: विकास विभागों की जिम्मेदारी होती है। इस उद्यम में, प्रजनक बीज का उत्पादन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाता है, जबकि प्रमाणित बीज का उत्पादन अधिकांशत: राज्य बीज निगमों और भारतीय स्टेट फार्म निगम द्वारा किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमाणित/क्वालिटी बीजों की उपलब्धता 397.16 लाख क्विंटल थी, जबकि मांग 317.23 लाख क्विंटल थी। इसी अवधि के दौरान, कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा 2.11 लाख क्विंटल बीज, 123.2 लाख रोपण सामग्री तथा 242.84 लाख पशुधन प्रभेदों/अंगुलिमीनों का उत्पादन किया गया।

(घ) कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा क्वालिटी बीजों के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए उठाए गए कदमों में, इसकी उत्पादन क्षमता को स्थापित करने हेतु अग्रपंक्ति प्रदर्शन का आयोजन करना, किसानों और विस्तार कार्मिकों के ज्ञान और कौशलों के उन्नयन (अपग्रेड) के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा विभिन्न विस्तार गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता का सृजन करना शामिल है।

खाद्यान्न खरीद नीति

***375. श्री एन.एस.वी. चित्तन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्यान्नों की मांग और पूर्ति में भारी अंतर है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने एक नई खरीद नीति तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस नीति को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) खाद्यान्नों की मांग और पूर्ति के अंतर को पाटने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) उठान के मौजूदा रूझानों के आधार पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा कल्याण योजनाओं के तहत चावल और गेहूं की वार्षिक आवश्यकता क्रमशः 250 लाख टन तथा 120 लाख टन है। इसके प्रति 276.6 लाख टन चावल (खरीफ विपणन मौसम 2005-06) और 92.3 लाख टन गेहूं (रबी विपणन मौसम 2006-07) की घरेलू वसूली हुई थी।

(ख) से (ङ) गेहूं के पर्याप्त उत्पादन तथा वसूली को सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह निर्णय किया गया है कि रबी विपणन मौसम 2007-08 में गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 750 रुपये प्रति क्विंटल पर नियत किया जाए जो कि रबी विपणन मौसम 2006-07 के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से 100 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। इसके अलावा 2006-07 में गेहूं की घरेलू वसूली में हुई कमी को 55 लाख टन गेहूं का आयात करके पूरा किया जा रहा है।

वनरोपण में निजी क्षेत्र

***376. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दीर्घकालीन पारिस्थितिकीय सुरक्षा हेतु संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने 'मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप प्रोग्राम' के अंतर्गत बंजरभूमि को हरित बनाने के लिए विभिन्न स्टेक होल्डर्स से भागीदारी करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी, हां। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006, संरक्षण और विकास के बीच संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने का एक प्रयास है। इस नीति का उद्देश्य सभी विकास गतिविधियों में पर्यावरण सरोकारों को जोड़ना है। इस नीति का मुख्य थीम यह है कि हालांकि, सभी की आजीविका व कल्याण सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरणीय संसाधनों का संरक्षण करना आवश्यक है, वहीं संरक्षण हेतु सबसे सुरक्षित आधार यह सुनिश्चित करना है कि किसी विशेष संसाधन पर निर्भर रहने वाले लोगों को संसाधन अवक्रमण की बजाय, संरक्षण से बेहतर आजीविकाएं प्राप्त हो सकें।

(ख) नीति के अनुसार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों में ये शामिल हैं; निर्णय प्रक्रिया में व्यापक पारदर्शिता कायम करने व विशेषज्ञों को शामिल करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि पर्यावरणीय और वानिकी स्वीकृतियों के प्रस्तावों पर कार्य व्यवहार प्रक्रियाओं और बेहतर प्रणालियों की व्यवस्था द्वारा निर्धारित समय-सीमा में निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत तथा सुगम बनाना है। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की विकास संबंधी स्कीमों में पूरक और वैकल्पिक आजीविका में सहायता देने तथा वनों में और आस-पास रहने वाले लोगों के जीवन तथा अन्य जैविक संसाधनों की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से मार्ग व सड़कें, जेट्टी, पेयजल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं, सिंचाई सुविधाओं आदि जैसी लघु ढांचागत सुविधाओं के सृजन की व्यवस्था की गई है।

(ग) और (घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने देश में एक तिहाई वन और वृक्षावरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक उपाय के रूप में अवक्रमित वन भूमियों पर वनीकरण हेतु भू-स्वामी वाली एजेंसी, प्रयोजक, वन विभाग तथा स्थानीय ग्राम समुदाय को शामिल करके एक मल्टी स्टेक होल्डर सहभागिता (एम एस पी) ढांचा तैयार किया है। प्रस्तावित एम एस पी ढांचे के तत्व राज्य सरकारों, केन्द्र शासित प्रशासनों, औद्योगिक एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों तथा विशेषज्ञों आदि के साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात् तैयार किए गए हैं। उनकी प्रतिक्रिया सामान्यतः सकारात्मक रही है।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों की 'फार्वर्ड ट्रेडिंग'

***377. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में 'नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्ज एक्सचेंजेज (एनसीडीई)' के अंतर्गत भाण्डागारों की संख्या और भण्डारण क्षमता कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान उनमें प्रत्येक कृषि उत्पाद की कितनी मात्रा का भंडारण किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक उक्त उत्पाद का कितनी मात्रा में उत्पादन तथा वायदा बाजार (फ्यूचर्स मार्किट) में कारोबार हुआ तथा वायदा और खुले बाजार में उनके मूल्य क्या थे;

(ग) क्या वायदा बाजार में कारोबार किए जाने वाले उत्पादों की मात्रा उनके उत्पादन एवं स्टाक के अनुरूप है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके लिए कौन-कौन से कारक उत्तरदायी हैं;

(ङ) क्या वायदा बाजार के मूल्य भी खुले बाजार के अनुरूप नहीं रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप मूल्यों में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव हुआ है और फलत: विभिन्न कारोबारियों द्वारा आत्मघाती कदम उठाए गए हैं;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में यदि कोई जांच की गई है तो उसके परिणामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) वायदा बाजार के समुचित विनियमन के लिए क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्ज एक्सचेंज के भांडागारों की संख्या और क्षमता तथा गत तीन वर्षों से इन भांडागारों में जमा कृषि उत्पादों के ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्ज एक्सचेंज में जिन कृषि उत्पादों में पिछले तीन सालों से भावी सौदा व्यापार किया जा रहा है उनके उत्पादन और व्यापार की मात्रा विवरण-II में दिए गए हैं। नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्ज एक्सचेंज के प्लेटफार्म पर गत तीन वर्षों के दौरान भावी और स्पाट मूल्यों के ब्यौरे विवरण-III में दिए गए हैं।

(ग) वायदा बाजार में कारोबार किए जाने वाले उत्पादों की मात्रा उनके उत्पादन एवं स्टाक के बीच संबंध स्थापित करने के लिए कोई सुस्थापित मानदंड नहीं हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) वायदा बाजार मूल्य खोज और मूल्य जोखिम प्रबंधन के लिए तंत्र प्रदान करता है। भावी मूल्यों का निर्धारण व्यापक तौर पर मांग और पूर्ति परिदृश्य पर आधारित अपेक्षित मूल्य, सामान की वहन लागत, बाजार प्रतिभागियों के पूर्वानुमान, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य आदि जैसे विभिन्न कारकों के पारस्परिक क्रियाकलापों के आधार पर होता है। इसको देखते हुए भावी मूल्यों तथा वास्तविक बाजार मूल्यों के बीच सामान्यत: अंतर होता है। इस बावत व्यापार करने वाले किसी सदस्य द्वारा आत्महत्या का कदम उठाने की कोई खबर सरकार को नहीं मिली है।

(च) ऊपर (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(छ) वायदा बाजार आयोग जो अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के उपबंधों के तहत वस्तु भावी सौदा बाजार के लिए विनियामक है, ने सदस्यों और ग्राहकों के लिए खुली स्थिति पर नियंत्रण, मूल्य उतार-चढ़ाव पर नियंत्रण, मार्जन का भुगतान आदि जैसे विभिन्न विनियामक उपाय निर्धारित किए हैं। इन उपायों के साथ-साथ विनियामक द्वारा निरंतर आधार पर बारीकी से निगरानी से यह सुनिश्चित होता है कि वस्तु भावी सौदा बाजारों का प्रभावी रूप से विनियमन होता है।

विवरण I

नेशनल कमोडिटी एंड डेरीवेटिव्स एक्सचेंज के भांडागारों की संख्या और क्षमता तथा पिछले तीन सालों से इन भांडागारों में जमा कृषि उत्पादों के ब्यौरे

(मिट्रिक टन में)

वस्तु	भाण्डागारों की संख्या	31.3.2004* की स्थिति के अनुसार		31.3.2005 की स्थिति के अनुसार		31.3.2006 की स्थिति के अनुसार	
		क्षमता	स्टाक की स्थिति	क्षमता	स्टाक की स्थिति	क्षमता	स्टाक की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
अरण्ड के बीच	6	–	–	7,700	1,586	10,367	201
चना	4	–	–	3,600	191	10,767	3,865

1	2	3	4	5	6	7	8
लाल मिर्च	2	–	–	0	0	21,000	91
काफी	4	–	–	0	0	7,240	0
कपास और उसकी खली	2	–	–	0	0	3,000	180
ग्वार गोंद	11	–	–	18,250	13,850	33,985	25,947
ग्वार के बीज	7	–	–	4,250	3,311	15,735	4,604
गुड	2	–	–	7,500	0	10,300	390
जीरा	6	–	–	50	33	29,700	7,823
लेमन तूर	4	–	–	19,733	0	30,767	10,004
महाराष्ट्रीयन ताल तूर	2	–	–	0	0	22,500	10
मकई	7	–	–	0	0	14,450	505
मसूर	2	–	–	3,600	0	6,100	0
काली मिर्च	3	–	–	510	510	14,800	10,667
रेपसीड/सरसों का तेल	6	–	–	1,805	0	8,055	20
कच्चा जूट	1	–	–	200	78	200	109
रबड़	1	–	–	3,040	4	1,500	24
तिल	3	–	–	0	0	7,400	125
सोयाबीन मील	2	–	–	3,600	134	4,600	3
सोयाबीन मील कोल्ड	1	–	–	3,600	0	3,600	0
सोयाबीन	3	–	–	150	165	6,417	3,962
चीनी एम	7	–	–	13,333	18,816	55,100	58,002
चीनी एस कोल	5	–	–	16,933	0	19,933	0
चीनी एस वाशी	2	–	–	2,500	390	2,500	0
हल्दी	5	–	–	500	10	3,380	0
उड़द	3	–	–	19,733	13,736	30,766	6,587
गेहूं	16	–	–	1,500	1,146	38,907	24,107
यल्लो पीस	6	–	–	32,567	0	50,700	0
यल्लो सोयाबीन एक्सपोर्ट	2	–	–	0	0	25,680	0

*भांडागारों की क्षमता, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्ज एक्सचेंज को प्रत्यायित भाण्डागारों में जमा कृषिजन्य वस्तुओं की मात्रा 31.3.2004 को वर्ष के दौरान नगण्य थी क्योंकि नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्ज एक्सचेंज के प्लेटफार्म में व्यापार दिसम्बर, 2003 में ही शुरू हुआ था।

विवरण II

कृषि जन्य वस्तुओं के उत्पादन तथा नेशनल कमोडिटी एंड डेरीवेटिव्स एक्सचेंज में व्यापार की मात्रा

(मात्रा और उत्पादन मीट्रिक टन में)

वस्तु का नाम	2003-04		2004-05		2005-06	
	व्यापार की मात्रा	उत्पादन*	व्यापार की मात्रा	उत्पादन*	व्यापार की मात्रा	उत्पादन*
चना	0	57,20,000	105,89,620	54,70,000	11,56,37,160	56,50,000
लाल मिर्च	0	12,88,000	16,740	9,00,000	23,95,585	9,50,000
कपास की खली	0	23,34,000	0	27,92,000	1,25,58,970	33,27,000
ग्वार का गोंद	0	उपलब्ध नहीं	27,86,360	उपलब्ध नहीं	77,41,890	
ग्वार के बीज	0	14,87,000	7,56,62,150	6,50,000	17,65,86,990	7,00,000
गुड	0	उपलब्ध नहीं	1,53,450	उपलब्ध नहीं	62,25,100	उपलब्ध नहीं
जीरा	0	उपलब्ध नहीं	3,26,163	उपलब्ध नहीं	14,36,856	2,06,410
मक्का	0	1,49,80,000	1,82,400	1,41,80,000	15,30,350	1,50,90,000
मसूर	0	10,35,000	0	उपलब्ध नहीं	1,29,790	उपलब्ध नहीं
मेंथा आयल	0	15,000	0	14,000	3,79,19,340	23,000
पेपर	0	61,000	3,54,739	60,000	6,92,716	70,000
आलू	0	279,25,000	0	2,91,89,000	0	2,98,70,000
आर एम बीज	21,314	62,91,000	39,04,809	75,93,000	42,54,290	78,87,000
सोयाबीन	13,032	78,18,000	72,45,005	68,77,000	1,06,21,810	83,50,000
सोया तेल	17,737	उपलब्ध नहीं	61,23,397	9,80,000	76,14,080	9,90,000
चीनी	0	1,39,95,000	39,64,700	1,26,99,000	1,33,99,110	1,92,66,000
देशी तुर	0		0		0	
मुंबई तुर	0		0		2,03,49,370	
हल्दी	0	5,07,000	4,34,480	6,00,000	15,90,740	6,50,000
देशी उड़द	0	12,71,000	63,39,430	10,10,000	7,05,70,280	12,70,000
गेहूं	0	7,21,50,000	36,49,240	6,86,40,000	1,87,09,390	6,94,80,000

*स्रोत: सेंटर फार मानीटरिंग इंडियन इकोनौमी, मुंबई

विवरण III

नेशनल कमोडिटी एंड डेरीवेटिव्स एक्सचेंज के प्लेटफार्म में पिछले तीन वर्षों के दौरान भावी सौदा और स्पाट मूल्यों के ब्यौरे

वस्तु	यूनिट मूल्य	31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार	
		स्पाट मूल्य	भावी मूल्य	स्पाट मूल्य	भावी मूल्य	स्पाट मूल्य	भावी मूल्य
चना	रुपए/क्विंटल			1505.70	1542.00	1991.25	2051.00
लाल मिर्च सनम	रुपए/क्विंटल			2340.90	2593.00		
लाल मिर्च एलसीए 334	रुपए/क्विंटल					3409.10	3777.00
काटन खली	रुपए/क्विंटल					311.80	331.30
ग्वार गोंद	रुपए/क्विंटल			4173.00	4247.00	4694.00	4700.00
ग्वार बीज	रुपए/क्विंटल			1574.90	1678.00	1734.30	1814.00
गुड	रुपए/क्विंटल			516.50	539.40	553.10	600.00
जीरा	रुपए/क्विंटल			7748.00	8282.20	5824.50	5632.60
मक्का	रुपए/क्विंटल			531.40	544.50	561.95	545.50
मसूर	रुपए/क्विंटल					1877.80	1958.00
मेंथा तेल	रुपए/क्विंटल					460.10	406.40
आलू	रुपए/क्विंटल						
पेपर	रुपए/क्विंटल			7006.70	7228.00	7206.80	7246.00
सरसों बीज	रुपए/क्विंटल	364.45	369.30	343.65	353.80	320.55	339.70
चीनी एम	रुपए/क्विंटल			1818.65	1892.00	1983.15	1945.00
सोयाबीन	रुपए/क्विंटल	1857.32	1887.90	1344.65	1365.75	1184.00	1190.45
सोया तेल	रुपए/क्विंटल	451.94	455.90	392.15	397.30	363.65	375.55
हल्दी	रुपए/क्विंटल			2341.25	2323.00	2209.85	2269.00
देशी तुर	रुपए/क्विंटल						
लेमन तुर	रुपए/क्विंटल					1898.80	1987.00
देशी तुर	रुपए/क्विंटल						
आयातित उड़द	रुपए/क्विंटल			1537.65	1557.00	3467.25	3441.00
गेहूं	रुपए/क्विंटल					804.60	783.20

*नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्ज एक्सचेंज द्वारा पोल किए गए साप्ट मूल्य संबंधी आंकड़े

[हिन्दी]

चीनी उद्योग का विस्तार

***378. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':**
श्री रामजीलाल सुमनः

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के वर्षों के दौरान देश के चीनी उद्योग में क्षमता का निरंतर विस्तार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उक्त उद्योग के क्षमता विस्तार की औसत वार्षिक दर कितनी रही है;

(ग) क्या इस उद्योग को लाभकारी और निर्यातोन्मुखी बनाने और किसानों को बेहतर मूल्य देने के लिए इसका संतुलित विस्तार सुनिश्चित करने हेतु इसके विस्तार के लिए जिम्मेदार कारकों का मूल्यांकन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान संस्थापित चीनी उत्पादन क्षमता चीनी मौसम 2003-04 के 188.02 लाख टन से बढ़कर चीनी मौसम 2004-05 में 189.85 लाख टन हो गई और यह पुनः बढ़कर चीनी मौसम 2005-06 में 197.97 लाख टन हो गई। क्षमता विस्तार की औसत वार्षिक दर क्रमशः 7.45%, 0.97% तथा 4.28% रही है।

(ग) और (घ) 11.9.1998 से चीनी उद्योग को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है। चीनी उद्योग के लाइसेंसमुक्त हो जाने से, उद्यमी अपनी परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के अनुसार नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए या विद्यमान चीनी फैक्ट्रियों में विस्तार करने के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन विद्यमान चीनी फैक्ट्री से 15 किलोमीटर की त्रिज्यीय दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। जहां तक किसानों को बेहतर मूल्य देने का संबंध है, गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के उपबंधों के अधीन किसानों के हितों की रक्षा की जाती है।

[अनुवाद]

भूमि गत जल

***379. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न तटीय क्षेत्रों के साथ-साथ भीतरी क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर भूमिगत जल का लवणीकरण हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में पेयजल की उपलब्धता पर भूमिगत जल के लवणीकरण के इस प्रभाव का आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा भूमिगत जल के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) से (ग) जल संसाधन मंत्रालय के तहत केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चला है कि भूजल में लवणता की समस्या दो प्रकार अर्थात्-अन्तर्देशीय लवणता और तटीय जलभृत्तों में लवणता, की होती है। अन्तर्देशीय लवणता विभिन्न जलभूवैज्ञानिक कारणों और कुछ क्षेत्रों में नहर कमानों में जल-जमाव के कारण होती है। तटीय जलभृत्तों में भूजल में लवणता भूजल की अत्यधिक निकासी, जिसके फलस्वरूप समुद्री जल का प्रवेश होता है, के कारण होती है।

आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों के हिस्सों में भूजल में अंतर्देशीय लवणता पाई गई है। गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार, दीव और पांडिचेरी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के हिस्सों में तटीय जलभृत्तों में लवणता पाई गई है। अंतर्देशीय लवणता और तटीय जलभृत्तों में लणवता से प्रभावित क्षेत्रों के राज्यवार ब्यौरे क्रमशः विवरण-I और विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) 'जल' राज्य का विषय होने के कारण अवमृदा जल की सुरक्षा संबंधी कार्रवाई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की जाती है। अवमृदा जल की सुरक्षा करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए उपाय विवरण-III में दिए गए हैं। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए उपाय नीचे दिए गए हैं:-

- किए गए अध्ययनों के आधार पर सीजीडब्ल्यूबी द्वारा भारत में अंतर्देशीय भूजल लवणता पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है।
- सीजीडब्ल्यूबी, भूजल में अंतर्देशीय लवणता वाले प्रभावित क्षेत्रों में कृत्रिम पुनर्भरण उपायों के कार्यान्वयन को बढ़ावा दे रहा है।

* ऐसे क्षेत्रों, जहां स्वच्छ जल जलभृत्त लवणीय जलभृत्तों के ऊपर स्थित हैं, में भूजल की अधिक निकासी को नियंत्रित करने के लिए विनियामक उपाय किए गए हैं। पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत गठित केन्द्रीय भूमिजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) ने लवणीय भूजल के ऊपर आने से बचने के लिए दिल्ली के दक्षिण पश्चिम जिले को अधिसूचित किया है। इस प्राधिकरण ने मौजूदा भूजल निकासी संरचनाओं के पंजीकरण के लिए उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और पश्चिम जिलों को भी अधिसूचित किया है।

* समुद्री जल के प्रवेश को रोकने के लिए सीजीडब्ल्यूए ने संघ राज्य क्षेत्र दीव और पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के हल्दिया क्षेत्र को अधिसूचित किया है।

* नौवीं योजना के दौरान कार्यान्वित भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम, के तहत उड़ीसा के भद्रक, केन्द्रपाड़ा और पुरी जिलों में ज्वारीय विनियामकों के निर्माण और क्रीक्स की गाद हटाने का कार्य शुरू किया गया। इसी प्रकार, लवणीय जल अन्तर्वाह को रोकने और जलभृत्तों के पुनर्भरण के लिए केरल में ज्वारीय विनियामकों और परिस्रवण तालाबों का निर्माण किया गया।

* अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सुनामी के दौरान ऊंची लहरों से निचले तटीय क्षेत्रों में स्थित खुले कुएं जल आप्लावित हो गए जिसके परिणामस्वरूप लवणता हो गई। सीजीडब्ल्यूबी ने संदूषित कुओं से लवणीय जल को पम्प करके संघ राज्य क्षेत्र सरकार को सहायता मुहैया कराई।

* राष्ट्रीय जलनीति, 2002 में पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय प्रभावों तथा विकास क्रियाकलाप के विनियमन को ध्यान में रखते हुए तटीय राज्यों द्वारा विस्तृत तटीय भूमि प्रबंधन योजना बनाने के लिए प्रावधान किए गए हैं।

विवरण I

भूजल में अन्तर्देशीय लवणता से प्रभावित क्षेत्रों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भूजल में लवणता से प्रभावित जिले	संभावित कारण
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	तटीय जिलों, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, प्रकासम, विशाखापट्टनम, गुंटूर और कृष्णा के हिस्से जहां गहरे जलभृत्त लवणीय हैं	अन्तर्निष्ठ समुद्री निक्षेप। कृष्णा नदी के प्रवाह में जब भी कमी होती है, भूजल की अधिक निकासी के कारण लवणीय जल ऊपर आ जाता है।
2.	दिल्ली	यमुना बाढ़ मैदान और दिल्ली रिज को छोड़कर उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम जिलों के हिस्सों में 40 मीटर से अधिक की गहराई पर स्थित जलभृत्त।	महीन गाद और इस गाद से फ्लशिंग की कमी के चलते प्राकृतिक कारण जिससे लवणता बढ़ती है।
3.	गुजरात	अहमदाबाद, अमरेली, बनासकांठा, भरूच, कच्छ, खेड़ा, मेहसाना, राजकोट, सुरेन्द्रनगर और वड़ोदरा के हिस्से	अन्तर्निष्ठ लवणता

1	2	3	4
4.	हरियाणा	आगरा नहर, भाखड़ा नहर और राज्य के दक्षिण पश्चिम हिस्से की लिफ्ट नहर प्रणाली सहित पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली के कमान क्षेत्र	जलजमाव
		दक्षिण पश्चिमी और दक्षिणी जिलों कैथल, रोहतक, हिसार, सिरसा, भिवानी, रेवाड़ी, जींद, महेन्द्रगढ़, सोनीपत, गुड़गांव और फरीदाबाद के हिस्से	महीन गाद और इस गाद से फ्लशिंग की कमी के कारण जियोजेनिक, जिससे लवणता बढ़ती है।
5.	केरल	त्रिवेन्द्रम और कालीकाट के बीच के गहरे जलभृत्त जिसमें तटीय क्षेत्र त्रिवेन्द्रम, क्विलोन, एलेप्पी, एरनाकुलम, त्रिचूर और माल्लापुरम शामिल हैं	इन संरचनाओं से लवणों के घुलने से उत्पन्न स्वस्थाने लवणता।
6.	मध्य प्रदेश	भिंड और मंदसौर जिलों के हिस्सों में गहरे जलभृत्त	प्राकृतिक कारण
7.	महाराष्ट्र	पूर्णा कछारी बेसिन	प्राकृतिक कारण
8.	उड़ीसा	कटक, पुरी, केन्द्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, जाजपुर, बालासोर, भद्रक जिलों में तटीय क्षेत्र के पूर्वी हिस्से	अन्तर्निष्ठ लवणता
9.	राजस्थान	पश्चिमी राजस्थान और भरतपुर तथा अजमेर जिले के हिस्से इंदिरागांधी नहर परियोजना के नहर कमान क्षेत्रों के हिस्से	जियोजेनिक कारण अत्यधिक सिंचाई
10.	तमिलनाडु	तंजावुर, नागापट्टिनम, तिरूवरूर, पहुकोट्टै, रामानाथपुरम और तूतीकोरिन जिलों के हिस्से	लवणीय निक्षेप पर्यावरण
11.	उत्तर प्रदेश	आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, गाजियाबाद, बदायूं, बांदा, हमीरपुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़ और बलरामपुर जिलों के हिस्सों में जलभृत्तों में छिटपुट लवणता	अंतर्निष्ठ लवणता
12.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता नगर निगम क्षेत्र, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा तथा पूर्वी मेदिनीपुर जिलों के हिस्से	अन्तर्निष्ठ लवणता

विवरण II

तटीय जलभृत्तों में लवणता से प्रभावित क्षेत्रों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भूजल में लणवता से प्रभावित जिले	संभावित कारण
1.	गोवा	पश्चिम की ओर बहने वाली विभिन्न नदियों के निचले मुहाना क्षेत्र-नदियों में समुद्र के मुहाने से 5 से 35 कि.मी. तक	ज्वारीय अन्तर्वाह
2.	गुजरात	कच्छ और सौराष्ट्र के तटीय क्षेत्र	भूजल की अत्यधिक निकासी के कारण समुद्री जल का प्रवेश
3.	कर्नाटक	नदी के प्रवाहमार्ग के साथ स्थित उत्तर कन्नड़, उडुपी और दक्षिण कन्नड़ तथा कुछ नदियों में 15 कि.मी. तक निचले क्षेत्र और धारा के दोनों ओर 100-200 मी.	पश्चजल चैनलों के साथ ज्वारीय अन्तर्वाह
4.	केरल	एरनाकुलम जिले के चेल्लानम और पारूर क्षेत्र और त्रिचूर जिले के अझीकोड क्षेत्र में छोटे पाकेटों में उथले जलभृत्त	ज्वारीय अन्तर्वाह
5.	महाराष्ट्र	तटीय जिलों थाणे, मुम्बई, रायगढ़, रत्नागिरि और सिन्धुदुर्ग में स्थानीकृत पाकेट	ज्वारभाटों के समय क्रीक्स के माध्यम से समुद्री जल का प्रवेश, साल्ट पैन क्रियाकलाप, भूजल की अत्यधिक पंपिंग के कारण समुद्री जल का प्रवेश
6.	तमिलनाडु	मिंजुर ब्लाक, तिरूवल्लुर जिले और कोट्टाम के निकट, राधापुरम ब्लाक, तिरूनेलवेली जिले के हिस्से	भूजल की अत्यधिक निकासी के कारण समुद्री जल का प्रवेश
7.	अंडमान और निकोबार	पूरा अंडमान, दक्षिण अंडमान का हिस्सा, मध्य और उत्तर अंडमान के कुछ स्थान	सुनामी के दौरान ऊंची लहरों ने निचले तटीय क्षेत्रों में स्थित खुले कुओं को जल आप्लावित कर उन्हें खारा बना दिया।
8.	दमन और दीव	दीव के तटीय क्षेत्र के हिस्से	भूजल की अत्यधिक निकासी के कारण समुद्री जल का प्रवेश
9.	पांडिचेरी	पांडिचेरी क्षेत्र के हिस्से	भूजल की अत्यधिक निकासी के कारण समुद्री जल का प्रवेश

विवरण III

भूजल में लवणता की समस्या के नियंत्रण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए उपाय

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लवणता की समस्या के नियंत्रण के लिए की गई कार्रवाई
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	* आंध्र प्रदेश जल, भूमि और वृक्ष अधिनियम, 2002—गहरे जलभृत्तों में लवणीय भूजल को ऊपर आने से रोकने के लिए तटीय क्षेत्रों में नए कुओं के निर्माण पर प्रतिबंध। इन क्षेत्रों में भूजल निकालने के लिए कोई नए विद्युत कनेक्शन नहीं दिए गए।

1	2	3
		• नदी और नहरों में बाढ़ के दौरान स्वच्छ जल के इंजेक्शन संबंधी अनुसंधान और विकास कार्यक्रम से सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।
2.	गोवा	• निचले क्षेत्रों में ऊंचे ज्वार के समय लवणीय जल द्वारा जल आप्लावन को रोकने के लिए मुहाना क्षेत्र में नदियों को किनारे के साथ सीमान्त बंधों का निर्माण
		• भूमि में गहराई तक लवणीय जल के प्रवेश को रोकने के लिए नदियों पर बंधारों/बैराजों का निर्माण
3.	गुजरात	• गुजरात सरकार द्वारा गठित की गई दो उच्च स्तरीय समितियों ने सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों की लवणता समस्या का अध्ययन किया और उसके सुधारात्मक उपायों का सुझाव दिया।
		• समितियों ने ज्वारीय विनियामकों, बंधारों, पुनर्भरण खाइयों, पुनर्भरण कुओं, पुनर्भरण जलाशयों, स्प्रेडिंग चैनलों इत्यादि जैसे विभिन्न सुधारात्मक उपायों की सिफारिश की। ऐसे कार्यों का निर्माण गुजरात सरकार द्वारा शुरू किया गया।
4.	कर्नाटक	• राज्य सरकार जिला पंचायतों के समन्वय से गर्मी के महीनों के दौरान नदियों के माध्यम से लवणीय प्रवेश को रोकने के लिए नदियों और छोटी नदियों पर लवणता निष्कासन बांधों का निर्माण शुरू कर रही है।
		• निचले क्षेत्रों में किसान व्यक्तिगत रूप से भी निष्कासन बंधों का निर्माण करते हैं।
5.	केरल	• ज्वारीय जल के भूमि की ओर आने को रोकने के लिए पश्चजल चैनलों पर ज्वारीय नियामकों और चेक बांधों का निर्माण
6.	महाराष्ट्र	• 1984 से तटीय क्षेत्रों में नए कुओं के निर्माण पर प्रतिबंध
		• सिंचाई पर नियंत्रण लागू, प्रभावित क्षेत्रों में 2 एकड़ पर एक कुआं
		• समुद्री जल के मुख्य भूमि में प्रवेश को रोकने के लिए खारलैण्ड विकास स्कीम के माध्यम से ज्वारीय नियामकों का निर्माण।
7.	तमिलनाडु	• तटीय क्षेत्रों में कानून के माध्यम से भूजल निकासी का विनियमन
		• जलभृत्त पुनर्भरण और भूजल की गुणवत्ता में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन प्रणालियों का अनिवार्य कार्यान्वयन
		• ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम के तहत संरचनाओं के निर्माण सहित कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का कार्यान्वयन
8.	पांडिचेरी	• पांडिचेरी भूमि जल प्राधिकरण भूजल विकास का नियंत्रण और विनियमन करता है।
		• तट के 6 कि.मी. के भीतर कुओं से उद्योग और सिंचाई के लिए भूजल की निकासी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
		• सभी भवनों के लिए वर्षा जल संचयन की संस्थापना को अनिवार्य बना दिया गया है।

फसल उपरांत हानि

***380. श्री बाड़िगा रामकृष्णाः**
श्री ए. साईं प्रतापः

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कृषि क्षेत्र में प्रति वर्ष फसल उपरांत होने वाली हानियों के कितना प्रतिशत होने का अनुमान है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में फसल उपरांत हानियों में कमी लाने के लिए 'सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ पोस्ट हारवेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाजी', 'आल इंडिया कोआर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट आन पोस्ट हारवेस्ट टेक्नोलाजी' तथा 'नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड' द्वारा विकसित की गई तकनीकों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) हानियों को न्यूनतम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) वार्षिक रूप से कटाई पश्चात हानि का अनुमानित प्रतिशत खाद्यान्न के मामले में 8-10% तथा बागवानी उत्पाद के मामले में 8-30% के बीच है। केन्द्रीय कटाई पश्चात इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीफेट), लुधियाना और कटाई पश्चात् प्रौद्योगिकी संबंधी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी) द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कटाई पश्चात हानि को कम करने के लिए विकसित तकनीकों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है। कटाई पश्चात हानि को न्यूनतम करने के लिए कटाई पश्चात प्रौद्योगिकी पर सीफेट और एआईसीआरपी द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों को किसानों तथा उद्यमियों के समक्ष प्रदर्शित किया जा रहा है। अनाज और दलहन की हानि न्यूनतम करने के लिए अप्रैल, 2002 से विपणन और निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई) द्वारा ''ग्रामीण गोदामों के निर्माण/पुनरुद्धार'' पर एक केन्द्रीय सैक्टर स्कीम क्रियान्वित की जा रही है। बागवानी फसलों के लिए सरकार ने वर्ष 2000-01 में ''पूर्वोत्तर राज्यों में समेकित बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन'' तथा वर्ष 2005-06 में ''राष्ट्रीय बागवानी मिशन'' पर केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें शुरू की हैं जिनके अधीन कटाई पश्चात् अवसंरचना सृजित करने के लिए सहायता दी जाती है। इसके अलावा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ऐसे कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है जिनका लक्ष्य ''बागवानी उत्पाद हेतु शीतागार के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश राजसहायता स्कीम'' तथा ''उत्पादन और कटाई पश्चात प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास'' जैसी स्कीमों के जरिए बागवानी उत्पाद की हानि कम करना है।

विवरण

देश में कटाई पश्चात हानि कम करने के लिए कटाई पश्चात प्रौद्योगिकी पर केन्द्रीय कटाई पश्चात इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीफेट) और अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी) द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी

1. बृहत क्षमता (5 टन)-शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं (पैरीशेबल) के भण्डारण के लिए वाष्पशील रूप से शीतित संरचना
2. दलहन का सुरक्षित भण्डारण
3. कर्नाटक के तटवर्ती क्षेत्रों में मूंगफली के बीजों का भण्डारण
4. पैडल-सह-विद्युत चालित अनाज क्लीनर
5. सब्जियों हेतु सोलर कैबिनेट ड्रायर
6. सुरक्षित अनाज भण्डारण हेतु इंसेक्ट ट्रैप
7. मशरूप हेतु द्रविकृत (फ्ल्यूडाइज्ड) बेड ड्रायर
8. अदरक राइजोम्स के भण्डारण हेतु पैकेज
9. केसर आम की वर्धित शेल्फ लाइफ हेतु पैकेज
10. ग्राम स्तरीय मिल्क स्टरीलाइजर
11. गुड़ (जैगरी) हेतु ड्राइंग-कम-स्टोरेज बिन
12. मधु निष्कर्षण हेतु हीटिड अनकैपिंग नाइफ
13. पादप आधारित अनाज सुरक्षाकारक
14. सूरजमुखी डीहलिंग मिल
15. सीफेट टोमेटो ग्रेडर
16. सीफेट रोटरी मेज काब शैलर
17. बनाना/काम्ब/हैन्ड कटर
18. ड्राइड गार्लिक स्लाइसिस हेतु प्रौद्योगिकी
19. मोबाइल कूल चैम्बर

गिरता भूजल स्तर

***381. श्री रवि प्रकाश वर्माः** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत में भूजल स्तर को ऊपर उठाने के लिए विश्व बैंक अथवा किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मंच ने अनेक उपाए सुझाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उनके सुझावों के अनुसार क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) और (ख) विश्व बैंक तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण जल संसाधनों से संबंधित मुद्दों सहित अनेक मुद्दों पर समय-समय पर प्रकाशन निकालते हैं। विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2005 में "इंडिया'ज वाटर इकोनामी: ब्रेसिंग फार ए टर्ब्यूलेन्ट फ्यूचर" शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है जो कि अन्य बातों के साथ-साथ कुछ सुझावों सहित भूजल संसाधनों के विषय में लेखक का दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। सुझावों में शामिल हैं: (1) भूजल निकासी को पुनर्भरण के अनुरूप बनाना; (2) खराब और ह्रास होते हुए जल संबंधी पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करना; और (3) सेवाओं और जल संसाधनों के प्रोत्साहन आधारित सहभागी विनियमन शुरू करना।

(ग) जल राज्य का विषय होने के कारण भूजल स्कीमों सहित जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन स्कीमें राज्य सरकारों द्वारा शुरू की जाती हैं। इसी प्रकार भूजल की निकासी को रोकने संबंधी उपाय भी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं। तथापि, उपरोक्त रिपोर्ट में उल्लेख किए गए अधिकांश मुद्दों पर राष्ट्रीय जलनीति में भलीभांति ध्यान दिया गया है तथा केन्द्र और राज्य सरकारों की मौजूदा नीतियों के परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त, इस संबंध में राज्य सरकारों को प्रोत्साहन देने और सहायता करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(1) भूजल के विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण के लिए एक माडल बिल का मसौदा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है। केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को 11.9.2006 को लिखे अपने पत्र में राज्य सरकारों से भूजल के अति-दोहन को रोकने के लिए भूजल कानून अधिनियमित करने का अनुरोध किया है।

(2) केन्द्रीय भूमिजल प्राधिकरण ने ऐसे राज्यों, जहां अतिदोहित ब्लाक हैं, के मुख्य सचिवों को उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण को बढ़ावा देने और भवन उप-नियमों में छत के वर्षा जल संचयन को शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के निर्देश जारी किए हैं।

(3) जल संसाधन मंत्रालय ने सभी दावाधारकों के बीच भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की संकल्पना को लोकप्रिय बनाने के मुख्य उद्देश्य सहित केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी एक सलाहकार परिषद का गठन किया है।

कर्नाटक के प्रस्ताव

3593. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार केन्द्रीय जल आयोग के पास अनुमोदन हेतु राज्यों विशेषकर कर्नाटक के कितने प्रस्ताव लम्बित पड़े हैं;

(ख) ये परियोजनाएं आयोग के पास किस समय से लम्बित पड़ी हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) इस समय विभिन्न राज्यों से प्राप्त 190 (105 वृहद और 85 मध्यम) नई सिंचाई परियोजनाओं में से 109 (58 वृहद और 51 मध्यम) परियोजनाएं मूल्यांकन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं और शेष 81 (47 वृहद और 34 मध्यम) परियोजनाएं जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा कुछ टिप्पणियों के अनुपालन के अधीन तकनीकी आर्थिक रूप से स्वीकार कर ली गई हैं। जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत और मूल्यांकन के तहत प्रस्तावों की संख्या विवरण में दी गई है।

(ग) इन परियोजनाओं के अनुमोदन में लगने वाला समय केन्द्रीय जल आयोग, तकनीकी सलाहकार समिति/योजना आयोग की टिप्पणियों पर राज्य सरकार द्वारा किए गए अनुपालन की तत्परता पर निर्भर करता है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	वृहद			मध्यम			कुल		
		ए	बी	कुल	ए	बी	कुल	ए	बी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	7	5	12	3	10	13	10	15	25
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	असम	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	बिहार	2	1	3	–	–	–	2	1	3
5.	छत्तीसगढ़	4	–	4	–	1	1	4	1	5
6.	गोवा, दमन, दीव	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	गुजरात	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	हरियाणा	3	2	5	1	–	1	4	2	6
9.	हिमाचल प्रदेश	–	1	1	2	–	2	2	1	3
10.	जम्मू-कश्मीर	–	–	–	3	4	7	3	4	7
11.	झारखंड	4	4	8	–	–	–	4	4	8
12.	कर्नाटक	2	3	5	1	–	1	3	3	6
13.	केरल	–	1	1	1	–	1	1	1	2
14.	मध्य प्रदेश	5	3	8	–	–	–	5	3	8
15.	महाराष्ट्र	14	7	21	31	5	36	45	12	57
16.	मणिपुर	–	1	1	–	1	1	–	2	2
17.	मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	नागालैंड	1	–	1	–	1	1	1	1	2
19.	उड़ीसा	2	4	6	1	7	8	3	11	14
20.	पंजाब	4	3	7	1	1	2	5	4	9
21.	राजस्थान	2	5	7	5	3	8	7	8	15
22.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	तमिलनाडु	–	1	1	–	1	1	–	2	02
24.	त्रिपुरा	–	–	–	1	–	1	1	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	उत्तर प्रदेश	5	7	12	1	-	1	6	7	13
26.	उत्तरांचल	1	-	1	-	-	-	1	-	01
27.	पश्चिम बंगाल	1	-	1	-	-	-	1	-	01
	कुल जोड़	58	47	105	51	34	85	109	81	190

ए-मूल्यांकन की विभिन्न अवस्थाओं के अधीन परियोजनाएं।

बी-जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा कुछ टिप्पणियों के अधीन स्वीकृत।

जल प्राप्त करना (लिफ्टिंग आफ वाटर)

3594. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को हरिहर तालुक के निकटवर्ती क्षेत्रों में पेयजल की समस्या का समाधान करने हेतु लघु सिंचाई टैंकों के लिए हरिहर तालुक में राजनहल्ली के निकट तुंगभद्रा नदी से जल प्राप्त करने (लिफ्टिंग आफ वाटर) के संबंध में कोई प्राथमिक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस प्राथमिक जांच रिपोर्ट पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है;

(घ) इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस परियोजना हेतु धनराशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है तथा यह परियोजना कब तक पूरी होगी?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

समुद्र में प्रदूषण

3595. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय समुद्री क्षेत्र में निजी पोत और टैंकर डूबे हैं तथा भारी मात्रा में कच्चे तेल से समुद्र प्रदुषित हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में भारत के पास कितने प्रदूषण नियंत्रण पोत हैं तथा भारत के समुद्री क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को रोकने हेतु उनके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है;

(घ) क्या सरकार ने समुद्र में बिखरे हुए तेल की निगरानी संबंधी समिति गठित की है;

(ङ) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट/सिफारिशें सौंप दी हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार वर्ष 2006 के दौरान दो निजी जहाजों/टैंकरों के भारतीय समुद्री क्षेत्रों से दूर डूबने का पता चला है और थोड़ी मात्रा में तेल समुद्र में फैल गया था जिसे तटरक्षक द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से निष्प्रभावी किया गया था। इस संबंध में विवरण संलग्न है।

(ग) तट रक्षक केन्द्रीय समन्वय एजेंसी है जिसके प्रदूषण नियंत्रण कार्यों वाले जहाजों में विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर लगे हुए हैं। इस समय देश में कोई भी प्रदूषण नियंत्रण विशिष्ट पोत नहीं है। तटरक्षक तीन प्रदूषण नियंत्रण पोतों को प्राप्त करने की कार्रवाई कर रहा है जिन्हें अगले तीन वर्षों के भीतर तट रक्षक में शामिल किए जाने की आशा है।

(घ) से (च) गृह मंत्रालय, भारत सरकार में भारत के बिखरे हुए तेल के प्रबंधन के लिए भारत हेतु दीर्घ अवधि उपायों की प्रगति की पुनरीक्षा के लिए एक अंतर मंत्रालीय समिति गठित की गई है। समिति ने अपनी पहली बैठक में तट रक्षक द्वारा टायर-3 बिखराव के रखरखाव के लिए सुविधाओं के सृजन के अलावा तेल बिखराव प्रबंधन से संबंधित विषयों से निपटने के वर्तमान कानूनों की जांच और निवारक, उपशमन, तैयारी और उससे निपटने के उपायों के लिए प्रारूप नीति दस्तावेज तैयार करने के लिए एक समिति के गठन की सिफारिश की है। नीति दस्तावेज का प्रारूप तैयार करने के लिए यथा संस्तुत समिति का गठन किया गया है।

विवरण

क्र.सं.	घटना की तिथि	पोत का नाम	फ्लैग	कार्गो	पोत में फ्यूल	स्थिति	घटना की प्रकृति
1.	06.05.06	डीसीआई टग-6	भारतीय	शून्य	129 केएल आफ एचएफएचएसडी एंड ल्यूब आयल 3875 लीटर	आफ पीटी कैलिमर तमिलनाडु	डूब गया
2.	02.08.06	एमवी ओईएल विजिन	भारतीय	कंटेनर के साथ	24 केएल आफ फरनेस फ्यूल आयल एंड 11 केएल आफ डीजल	आफ बोम्बे हाई	डूब गया

[अनुवाद]

दृश्य-श्रव्य यूनिट

3596. श्री सुग्रीव सिंह: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मंत्रालय के अधीन एक दृश्य-श्रव्य यूनिट स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न मुद्दों पर सरकार की सरकारी स्थिति के बारे में प्रामाणिक जानकारी, सामान्यतया मीडिया द्वारा और विशेषकर इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा प्रयुक्त किए जाने के लिए, उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, उपस्करों का अधिग्रहण करके और समुचित जनशक्ति को प्रतिनियुक्त करके पत्र सूचना कार्यालय (पी.आई.बी.) द्वारा एक स्थायी श्रव्य-दृश्य इकाई की स्थापना करने का प्रस्ताव है। इस बीच, भारत सरकार के उद्यम, ब्राडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल) के जरिए उपस्कर और जनशक्ति को किराए पर लेकर एक अन्तरिम दृश्य-श्रव्य इकाई ने दिनांक 12 सितम्बर, 2006 से पत्र सूचना कार्यालय (पी.आई.बी.) में कार्य करना प्रारंभ कर दिया है।

[हिन्दी]

एन.सी.यू.आई. के अध्यक्ष द्वारा विदेशी दौरा

3597. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नेशनल को-आपरेटिव यूनियन आफ इंडिया (एन.सी.यू.आई.) के अध्यक्ष द्वारा कितने विदेशी दौरे किए गए और उनके साथ गए सदस्यों का ब्यौरा क्या है तथा उपर्युक्त व्यक्तियों द्वारा किए गए प्रत्येक दौरे पर अलग-अलग कितना व्यय हुआ;

(ख) क्या इन विदेशी दौरों के परिणामस्वरूप सहकारिता आन्दोलन को लाभ पहुंचा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) एन.सी.यू.आई. से प्राप्त सूचना के अनुसार, राष्ट्रपति और उनके साथ गये सदस्यों ने विभिन्न बैठकों और सेमिनारों में भारतीय दृष्टिकोण को व्यक्त किया है। उन्होंने उपस्थित अन्य देशों के शिष्टमण्डलों के साथ भी विचारों का आदान-प्रदान किया है। इस प्रकार के अनुभव से सदस्यों को लाभ पहुंचा है और उन्होंने विचारों का आदान-प्रदान किया है। इससे सहकारिता आन्दोलन को भी बढ़ावा मिला है।

विवरण

अवधि	घटना का ब्यौरा	उपस्थित व्यक्ति	भत्ते	हवाई जहाज भाड़ा बीजा शुल्क, बीमा शुल्क (रु.)
1	2	3	4	5
2004-05				
2-3 जुलाई, 2004	वैश्वीकरण और सरकारी उद्यम पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन जनेवा, इटली	डा. एस.एस. सिसोदिया, अध्यक्ष एनसीयूआई	अमेरिकी डालर 3000 (डीएसए @ 300 जिनेवा में 4 दिन के लिए + @ 400$ पेरिस में दो दिन के लिए + 1000$ मनोरंजन भत्ता	1,16,319.00
18-23 सितम्बर, 2004	आईसीए बोर्ड की बैठक और अन्य संबंधित घटनाएं वारसा पोलेण्ड	डा. एस.एस. सिसोदिया, अध्यक्ष एनसीयूआई	3800 $ (डीएसएस @ 400$ 7 दिन के लिए + 1000$ मनोरंजन भत्ता	1,30,984.00
3-5 नवम्बर, 2004	आईआरयू की 11वीं सामान्य बैठक 2003 और दूसरा रैफेसिन फोरम आइआरयू बर्लिन, जर्मनी	डा. एस.एस. सिसोदिया, अध्यक्ष एनसीयूआई	2600 $ (डीएसएस @ 400$ 4 दिन के लिए + 1000$ मनोरंजन भत्ता	1,31,779.00
30 नवम्बर से 4 दिसम्बर, 2004	6ठी आईसीए क्षेत्रीय एसेम्बली और तीसरी आईसीए रिजिनल कापरेटिव फोरम और आईसीए की विशेष समिति की बैठकें च्यांगवाई, थाइलैण्ड	डा. एस.एस. सिसोदिया अध्यक्ष एनसीयूआई श्री भगवती प्रसाद, मुख्य कार्यपालक	2800 $ (डीएसएस @ 300 6 दिन के लिए + 1000$ मनोरंजन भत्ता 2100 $ (डीएसएस @ 300$ 7 दिन के लिए	45,222.00 29,146.00
10-13 दिसम्बर, 2004	आईसीए बोर्ड की बैठक नैरोबी, केनिया	डा. एस.एस. सिसोदिया, अध्यक्ष, एनसीयूआई	3400$@ (डीएसएस@ 400$ 6 दिन के लिए + 1000$ मनोरंजन भत्ता	55,174.00
2005-06				
9-14 मई, 2005	आईसीए डब्ल्यूटीओ सिंपोजियम एएफजीसी और आईएफएपी की बैठक सियोल, कोरिया	(1) डा. एस.एस. सिसोदिया अध्यक्ष, एनसीयूआई (9-11 मई, 2005) (2) श्री भगवती प्रसाद मुख्य कार्यपालक (12 से 14 मई, 2005)	3000$@ (डीएसएस@ 400$ 5 दिन के लिए + 1000$ मनोरंजन भत्ता 2000$@ (डीएसएस@ 400$ 5 दिन के लिए	मेजबान संगठन द्वारा (530 रु. एयरपोर्ट टैक्स) 40,944.00

1	2	3	4	5
18-23 मई, 2005	आईसीए बोर्ड और स्टैंडिंग कमेटी की बैठक न्यू लानार्क (स्काटलैण्ड) और यू.के. कापरेटिव कांग्रेस ग्लासगो, स्काटलैण्ड और एम्बेस्ड्म की सहकारी समितियों का अध्ययन दौरा	डा. एस.एस. सिसोदिया, अध्यक्ष एनसीयूआई	3500$@ (डीएसएस @300$ 3 दिन के लिए + @400$ 4 दिन के लिए + 1000$)	1,64,622.00
11-12 जुलाई, 2005	कृषि पर अन्तर्राष्ट्रीय सिम्पोजियम जेए जिन चू, टोकियो, जापान द्वारा	डा. एस.एस. सिसोदिया अध्यक्ष एन.सी.यू.आई.	1500 $ (एक मुश्त 500 $ + 1000 मनोरंजन भत्ता	मेजवान संगठन जेए जेनचू द्वारा
18-23 सितम्बर, 2005	आईसीए जनरल एसेम्बली 2005 आईसीए के अध्यक्ष और बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन के लिए और अन्य संबंधित घटनाओं के लिए कोलम्बिया	(i) एस.एस. सिसोदिया अध्यक्ष, एनसीयूआई	6000 $ (डीएसएस @ 400 $ 10 दिन के लिए + डीएसए @ 500$ 2 दिन के लिए + 1000 $ मनोरंजन भत्ता)	3,75,574.00
		(ii) श्री जी.एच. अमीन, उपाध्यक्ष, एनसीयूआई	5000 $ (डीएसएस @ 400 $ 10 दिन के लिए + डीएसए 500 $ 2 दिन के लिए)	1,29,673.00
		(iii) श्री सीता राम चौहान, उपाध्यक्ष, एनसीयूआई	5000 $ (डीएसएस @ 400 $ 10 दिन के लिए + डीएसए @ 500 $ 2 दिन के लिए)	1,43,603.00
		(iv) श्री सुरेन्द्र सिंह सिसोदिया, सदस्य, शासकीय परिषद	5000 $ (डीएसए @ 400 $ 10 दिन के लिए + डीएसए @500 $ 2 दिन के लिए)	1,43,074.00
		(v) श्री भगवती प्रसाद, मुख्य कार्यपालक	5400$ (डीएसए @ 400 $ 11 दिन के लिए + डीएसए 500 $ 2 दिन के लिए)	1,43,957.00
22-24 मार्च, 2006	गरीबी उन्मूलन में सहकारी समितियों की भूमिका पर आईसीएएपी/वीसीए/आईएल का सम्मेलन हनोई, वियतनाम	डा. एस.एस. सिसोदिया, अध्यक्ष, एन.सी.यू.आई.	3000$ (डीएसए @ 400 $ 5 दिन के लिए + 1000 $ मनोरंजन भत्ता)	54,821.00
2006-07				
14-18 मई, 2006	आईसीएएपी स्थायी समिति बैठक एग्री एक्पो और सेमिनार उक्सी सिटी, चीन	डा. एस.एस. सिसोदिया, अध्यक्ष, एन.सी.यू.आई.	1600 $ (600 $ एक मुश्त + 1000 $ मनोरंजन भत्ता)	1,11,391.00
3-5 जुलाई, 2006	आईआरयू बोर्ड की बैठक सैन्ट गेल, स्विटजरलैण्ड	डा. एस.एस. सिसोदिया, अध्यक्ष, एन.सी.यू.आई.	4000 $ (डीसीए @ 500 $ 6 दिन के लिए + 1000 $ मनोरंजन भत्ता)	1,59,694.00 (स्विटजरलैण्ड और पोलैण्ड के दौरे के लिए)

1	2	3	4	5
6-10 जुलाई, 2006	शिष्टमंडल के नेता के रूप में पोलैण्ड का जवाबी दौरा	(i) डा.एस.एस. सिसोदिया, अध्यक्ष, एन.सी.यू.आई.	1100 $ (600 $ एक मुश्त + 500 $ मनोरंजन भत्ता)	
		(ii) श्री सुरेन्द्र सिंह सिसोदिया, जी.सी. सदस्य	600 $ (एक मुश्त)	17,593.00 (हवाई जहाज के टिकट पर + 4760 बीजाशुल्क)
14-18 अगस्त, 2006	आईसीए-एपी रिजिनल एसेम्बली और अन्य घटनाएं कोलम्बो, श्रीलंका	(i) डा.एस.एस. सिसोदिया, अध्यक्ष, एन.सी.यू.आई.	2750 $ (डीएसए @ 250 $ 7 दिन के लिए + 1000 $ मनोरंजन भत्ता)	69,210.00
		(ii) श्री भगवती प्रसाद, मुख्य कार्यकारी, एनसीयूआई	1750 $ (डीएसए 250 $ 7 दिन के लिए)	18,852.00
		(iii) श्री वेद प्रसाद सेतिया, अध्यक्ष, एन.सी.यू.आई. के निजी सचिव	1400 $ (डीसीए @ 200 $ 7 दिन के लिए	35,501.00
27-29 अक्तूबर, 2006	इंटरनेशनल कापरेटिव ट्रैड फेयर और सिम्पोजियम तेहरान, ईरान	(i) डा. एस.एस. सिसोदिया, अध्यक्ष, एन.सी.यू.आई.	3000 $ (डीएसए @ 400 $ 5 दिन के लिए + 1000 $ मनोरंजन भत्ता)	54,590.00
		(ii) श्री सीता राम चौहान, उपाध्यक्ष, एन.सी.यू.आई.	2000 $ (डीएसए @ 400 $ 5 दिन के लिए)	41,495.00
		(iii) श्री बी.एस. विस्वनाथन, सदस्य, शासकीय परिषद एन.सी.यू.आई.	2000 $ (डीएसए @ 400 $ 5 दिन के लिए)	41,495.00
		(iv) श्री भगवती प्रसाद, मुख्य कार्यपालक, एन.सी.यू.आई.	2000 @ (डीएसए @ 400 $ 5 दिन के लिए)	47,559.00

गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों द्वारा खाद्यान्नों का उपभोग

3598. **श्री पुन्नूलाल मोहले:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों द्वारा किया जा रहा खाद्यान्नों का उपभोग इसकी उपलब्धता की तुलना में कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों और गरीबी रेखा से ऊपर जीवन-यापन करने वाले लोगों द्वारा प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों का उपभोग कितना है; और

(घ) सरकार द्वारा इस अंतर को पाटने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) खाद्यान्नों के घरेलू उत्पादन और अनुमानित खपत आवश्यकता के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

वर्ष	खाद्यान्न (मिलियन टन)		
	घरेलू उत्पादन	अनुमानित खपत आवश्यकता	अंतर
2001-02	212.85	180.04	32.81
2002-03	174.77	182.73	-7.96
2003-04	213.19	185.57	27.62
2004-05	198.36	188.38	9.98
2005-06	208.30*	191.17	17.13

*15.7.2006 की स्थिति के अनुसार चतुर्थ अग्रिम अनुमान

(ख) और (ग) योजना आयोग अनुपात और गरीबों की संख्या के अनुमान के बारे में गठित विशेषज्ञ समूह (लकड़ावाला समिति) की रिपोर्ट में निहित क्रियाविधि को अपनाकर लगभग 5 वर्ष के अंतराल पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा परिवार उपभोक्ता व्यय के बारे में कराए गए बृहद नमूना सर्वेक्षण से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर निर्धनता के प्रभाव का अनुमान लगाता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 55वें दौर के उपभोक्ता व्यय आंकड़े के बृहद नमूना सर्वेक्षण से देश में गरीबी रेखा से नीचे तथा गरीबी रेखा से ऊपर रह रहे लोगों द्वारा खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति खपत का निम्नानुसार अनुमान लगाया गया है:—

1999-2000 में गरीबी रेखा से नीचे तथा गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों के बीच खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति खपत (किलोग्राम/माह/व्यक्ति)

अखिल भारत	ग्रामीण		शहरी	
	गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर	गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर
खपत की गई मात्रा (कि.ग्रा.)	11.90	14.13	10.66	11.59
% व्यक्ति	27.90	72.91	23.62	76.38

(घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन केन्द्र सरकार 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार भारत के महापंजीयक के आबादी अनुमानों और 1993-94 के लिए योजना आयोग के अनुमानित गरीबी अनुमानों के आधार पर अनुमान लगाए गए परिवारों की संख्या अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी राशन कार्डों की संख्या, जो भी कम है, के आधार पर 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर से खाद्यान्नों का आवंटन करती है। इस फार्मूले के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के कुल 6.52 करोड़ परिवार होने का अनुमान लगाया गया है जिन्हें गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों की तुलना में कमतर केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर खाद्यान्नों की आपूर्ति की जाती है जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:—

केन्द्रीय निर्गम मूल्य

(रुपये प्रति क्विंटल)

जिन्स	गरीबी रेखा से ऊपर	गरीबी रेखा से नीचे
गेहूं	610	415
चावल	830	565

जानवरों की तस्करी

3599. श्री अशोक अर्गल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि प्रति वर्ष विभिन्न प्रजातियों के जानवरों की भारत से बांग्लादेश में तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान तस्करी किए गए जानवरों की प्रजाति-वार संख्या कितनी है; और

(ग) भारत से पशुधन की तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, हां।

(ख) पूर्वी सीमा पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा पकड़े गए गोपशुओं की संख्या इस प्रकार है:-

वर्ष	गोपशुओं की संख्या
2004	69056
2005	64093

(ग) भारत से पशुधन की तस्करी को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(1) गस्त (पैदल, नौकाओं और मोबाइल द्वारा) से, नाका बनाकर (सीमा पर घात लगाना) तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ निगरानी चौकियां स्थापित करके चौबीसों घंटे सीमा की निगरानी करना।

(2) इंटेलीजेंस नेटवर्क का उन्नयन तथा सहायक इंटेलीजेंस एजेंसियों के साथ समन्वय करना।

(3) सीमा के साथ-साथ विशेष आपरेशन चलाना।

(4) रात्रि में देखने वाले उपकरणों सहित आधुनिक निगरानी उपकरणों को स्थापित करना।

(5) अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ बाड़ लगाना।

(6) सीमा चौकियों की संख्या में बढ़ोत्तरी करना तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की तैनाती करना।

(7) सीमा पर गश्त को सुविधाजनक बनाने के लिए सीमा पर सड़कों का निर्माण करना।

[अनुवाद]

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

3600. श्री स्वदेश चक्रवर्ती: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2003, 2004 और 2005 में औद्योगिक कामगारों हेतु वार्षिक औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्यायें (सामान्य) (आधार 1982-100) अलग-अलग कितनी है; और

(ख) संगठित और गैर-संगठित क्षेत्र में कामगारों के पारिश्रमिक में अलग-अलग संबंधित कितनी वृद्धि हुई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) वर्ष 2003, 2004 और 2005 में औद्योगिक कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय वार्षिक औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1982 = 100) क्रमशः 496, 514 और 536 हैं।

(ख) समय अवधि आधार पर सम्पूर्ण देश के लिए असंगठित क्षेत्रों की तुलना में संगठित क्षेत्र में कर्मकारों के लिए तुलनात्मक मजदूरी के ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं। तथापि, राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन द्वारा वर्ष 2004-05 के दौरान कराये गये पंचवार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार, नियमित मजदूरी/वेतनभोगी कर्मचारियों को मिलने वाली (संगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए एक अनुमान के अनुसार) प्रति व्यक्ति (15-59 वर्ष के आयु वर्ग में) औसत मजदूरी/वेतन अर्जन और नैमित्तिक मजदूरी वाले श्रमिकों को (असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए एक अनुमान के अनुसार) मिलने वाली मजदूरी सम्पूर्ण देश के लिए क्रमशः 169.23 रुपये और 53.94 रुपये प्रतिदिन आंकी जाती है।

एच.एस.सी.एल. का पुनरुद्धार

3601. श्री सुनील खां: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एच.एस.सी.एल.) का पुनरुद्धार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एच.एस.सी.एल. की सभी इकाइयों के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान कर दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) कर्मचारियों को उनकी बकाया राशि का भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास): (क) और (ख) सरकार ने हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि. (एचएससीएल) का पुनर्संरचना प्रस्ताव बोर्ड फार रीकंस्ट्रक्शन आफ पब्लिक सैक्टर एंटरप्राइजेज (बीआरपीएसई) को प्रस्तुत किया है। पुनर्संरचना प्रस्ताव में (1) समस्त कारोबार के पुनरुद्धार, (2) चुनिंदा कारोबार के पुनरुद्धार (3) वर्ष 2007-08 तक कारोबार को पूर्णतः बंद करने और (4) मौजूदा कारोबार को 'जैसा है वैसा' के आधार पर जारी रखने के लिए विकल्प शामिल हैं।

(ग) से (ङ) एचएससीएल की प्रतिकूल वित्तीय स्थिति के चलते कंपनी विभिन्न इकाइयों के अपने कर्मचारियों के बकाया वेतन/मजदूरी का भुगतान नहीं कर सकी। एचएससीएल अगस्त, 2005 के बाद अपनी सभी इकाइयों में नियमित रूप से मासिक वेतन/मजदूरी का भुगतान कर रही है। सरकार ने आवश्यक पुनः विनियोजन के जरिए एचएससीएल के कर्मचारियों की दिनांक 30.6.2006 तक की बकाया मजदूरी/वेतन का भुगतान करने का निर्णय लिया है।

कर्मचारियों के साथ वेतन संबंधी वार्ता

3602. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अपने कर्मचारियों के साथ वेतन संबंधी वार्ता करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) में मजदूरी वार्ताओं के 7वें दौर (जो 1.1.2007 से सामान्य आधार पर देय है) के लिए नीति संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस दिशा-निर्देश में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया जाता है कि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के प्रबंधन मजदूरी ढांचे के बारे में वार्ता करने हेतु स्वतंत्र होंगे, मजदूरी बढ़ोत्तरी के लिए सरकार द्वारा कोई बजटीय सहायता मुहैया नहीं कराई जाएगी, मजदूरी समझौता 100 प्रतिशत महंगाई भत्ता निष्प्रभावीकरण के साथ 10 वर्षों की अवधि के लिए होगा और यह 1.1.2007 से लागू होगा, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) के पास पंजीकृत रुग्ण केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में मजदूरी संशोधन बी आई एफ आर द्वारा पुनरुज्जीवन योजना के अनुमोदन के पश्चात किया जाएगा और यह कि ऐसी परक्राम्य मजदूरी के बारे में संबंधित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अधिकारियों और गैर-संबद्ध पर्यवेक्षकों के वेतन संशोधन के साथ कोई विवाद नहीं होगा।

ये दिशा-निर्देश मोटे तौर पर मजदूरी वार्ताओं के छठें दौर संबंधी मौजूदा नीति के समान हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

न्यूज चैनल

3603. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग (कारपोरेशन (बी.बी.सी.) केबल न्यूज नेटवर्क (सी.एन.एन.) की तर्ज पर एक अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन चैलन शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों व अन्यों से कोई परामर्श प्राप्त किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (घ) सरकार, एक अन्तर्राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल की व्यवहार्यता सहित भारत के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को शेष विश्व के समक्ष प्रक्षिप्त करने संबंधी विभिन्न विकल्पों का पता लगा रही है। प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, प्रसार भारती, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के प्रतिनिधियों और कुछ गैर-सरकारी व्यक्तियों के साथ भी परामर्श किया गया है। विचार-विमर्श अभी प्रारंभिक अवस्था में हैं।

[अनुवाद]

पोबित्र को राष्ट्रीय पार्क के रूप में विकसित करना

3604. श्री एम.के. सुब्बा: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पोबित्र वन्य जीवन अभ्यारण्य में एक सींग वाले गेंडे सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पोबित्र को काजीरंगा की तर्ज पर एक राष्ट्रीय पार्क के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी अनुमानित लागत कितनी है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी, हां। पोबित्र वन्य जीव अभ्यारण्य में एक सींग वाले गेंडे सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं।

(ख) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में घाटा

3605. श्री सुबोध मोहिते: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मजदूर संघ ने सरकार के साथ हुई अपनी हाल की बैठक में कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में बढ़ते हुए घाटे के संबंध में सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (ग) केन्द्रीय श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बढ़ रहे बीमांकिक मूल्यांकन घाटे को नियंत्रित करने के लिए उपचारी उपायों का सुझाव देने हेतु 16.11.2006 को कर्मचारी भविष्य निधि के न्यासी बोर्ड के माननीय अध्यक्ष के साथ आयोजित की गई थी।

केन्द्रीय श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों द्वारा सुझाए गए मुख्य उपाय थे:

* पेंशन की निहित आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष की जाये लेकिन 58 वर्ष की आयु पर पेंशन का दावा किया जाता है तो कटौती घटक लागू न हों,
* अंशदान की दर को 12% से बढ़ाकर 15% (कर्मचारियों और नियोजकों दोनों का हिस्सा है)।
* सरकार के अंशदान को बढ़ाया जाये।

अब तक इन सुझावों पर कर्मचारी भविष्य निधि बोर्ड के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा सरकार को कोई सिफारिशें नहीं भेजी गई हैं।

नमक की क्यारियों वाली भूमि का अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग

3606. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई में आवास निर्माण करने हेतु कतिपय नमक की क्यारियों वाली भूमि का अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोस्टल रेगुलेशन जोन के अंतर्गत मंजूरी प्राप्त की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) मुंबई में मकानों के निर्माण के लिए साल्ट पान लैण्ड में तटीय विनियम क्षेत्र अधिसूचना, 1991 के उपबंधों के अंतर्गत पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा कोई पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) साल्ट पान, जो तरंग जल का साल्ट पान कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं, को सी आर जैड-I (2) अर्थात् इन्टर टाइडल एरिया के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कर्मचारी भविष्य निधि में निकासी पर प्रतिबंध

3607. श्रीमती करूणा शुक्ला: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कर्मचारी भविष्य निधि बचत से निकासी पर कतिपय प्रतिबंध लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है।

संशोधित ग्रामीण अनाज बैंक योजना

3608. श्री हरिभाऊ राठौड़: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने संशोधित ग्रामीण अनाज बैंक योजना के अनुमोदन हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार द्वारा मांगी गई सूचना प्रस्तुत की गई है और शंकाओं का समाधान कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने में हो रहे विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इसे कब तक संस्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ङ) जी, हां। महाराष्ट्र सरकार ने संशोधित स्कीम के अधीन राज्य में 1750 ग्रामीण अनाज बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा है। राज्य सरकार से पुरानी स्कीम में 1997-98 से 2003-04 तक के दौरान 259 अनाज बैंक स्थापित करने के

लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा उन्हें मंजूर की गई राशि के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र भेजने का अनुरोध किया गया था जो अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

विशेष कृषि उपज योजना

3609. श्री के.सी. पल्लानी शामीः क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विशेष कृषि उपज योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और देश में विशेषकर तमिलनाडु में इसके कार्यान्वयन की स्थिति क्या है; और

(ग) देश में फलों, फूलों एवं सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार ने कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) के जरिये देश में फलों, सब्जियों और फूलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये बहुत से उपाय किये हैं। इनमें ताजे फलों और सब्जियों के निर्यात के लिये कटाई-पूर्व एवं कटाई-पश्चात संबंधी मैनुअल्स का विकास; फलों व सब्जियों के मानकों का विकास; कीटनाशकों की अवशेष मानीटरिंग; फलों व सब्जियों के निर्यात में संलिप्त पैक हाऊस को मान्यता; विस्तार अधिकारी के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम; एगमार्क स्टाफ और प्रयोगशालायें; फार्म स्तर पर बेहतर कृषि प्रणालियां अपनाने के लिये प्रोत्साहन; प्रयोगशालाओं का उन्नयन और उनको मान्यता; मण्डी संवर्द्धन तथा मण्डी गम्यता आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, सरकार ने देश में फलों के निर्यात को बढ़ावा देने तथा पुष्प कृषि को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिये कर्नाटक, महाराष्ट्र, सिक्किम व उत्तरांचल प्रत्येक में एक तथा तमिलनाडु में दो अर्थात् कुल मिलाकर 6 कृषि निर्यात अंचलों की स्थापना के लिये अनुमोदन दिया है।

[हिन्दी]

पुष्प कृषि को प्रोत्साहन

3610. श्री जय प्रकाशः क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार देश में पुष्प कृषि को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाने हेतु कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पुष्पों के आनुवांशिक अभिकल्प (जेनेटिक डिजाइन) को विकसित करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने वर्ष 2004-05 तक के लिये बागवानी सहित कृषि के विकास के लिये जिसमें पुष्प कृषि शामिल है, व्यापक वृहत प्रबन्ध स्कीम के तहत राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता प्रदान की थी। इस स्कीम के तहत राज्य सरकारों को उनकी कार्य योजनाओं के अनुसार उनकी महसूस की गई आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रमों की शुरूआत करने तथा लक्ष्य निर्धारित करने के लिए शिथिलता प्रदान की गई थी। वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान बागवानी मिशन की शुरूआत के पश्चात वृहत प्रबन्ध स्कीम में बागवानी के लिये कार्यक्रम को राष्ट्रीय बागवानी मिशन में मिला दिया गया। राष्ट्रीय बागवानी मिशन में क्षेत्र आधारित तथा क्षेत्रीय दृष्टि से विभेदित कार्यनीतियों के जरिये जिसमें प्रत्येक राज्य/क्षेत्र और इसकी विविध सस्य-जलवायवीय दशाओं के तुलनात्मक लाभों के अनुरूप अनुसंधान, प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन, विस्तार, फसलोपरान्त प्रबन्धन, प्रसंस्करण एवं विपणन शामिल हैं, पुष्प कृषि सहित बागवानी के समग्र विकास से संबंधित मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है।

देश के पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में पूर्वोत्तर राज्यों तथा हिमालयी राज्यों के लिये बागवानी के समेकित विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन के तहत पुष्प कृषि फसलों सहित बागवानी फसलों के उत्पादन के लिए सहायता दी जाती है।

इसके अलावा, सरकार देश में पुष्प कृषि को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिये निम्नलिखित उपाय कर रही है:—

(1) सरकार ने कर्नाटक, महाराष्ट्र, सिक्किम, उत्तरांचल प्रत्येक में एक और तमिलनाडु में दो, अर्थात 6 कृषि निर्यात अंचलों की स्थापना का अनुमोदन किया।

(2) एक विपणन सुविधा केन्द्र एम.सी. एण्ड आई. की एम.ए.आई. स्कीम के तहत आल्समीर, नीदरलैण्ड्स में स्थापित किया गया है। इस केन्द्र से निर्यातकों को

बेहतर मूल्य प्राप्त करने और तराशे फूलों की उन्नत गुणवत्ता में मदद मिली है।

(3) बंगलौर, मुम्बई, नोएडा (उ.प्र.) तथा कोलकाता स्थित थोक मण्डी व फूल निलामी केन्द्र सरकार की सहायता से फूलों के निर्यात को कारगर बनाने के लिये अनुमोदित किये गये हैं।

(4) नाशवान माल केन्द्र मुम्बई, दिल्ली, बंगलौर, हैदराबाद, चेन्नई और त्रिवेन्द्रम में स्थापित किये गये हैं।

(5) अपेडा ने 17 पुष्प कृषि यूनिटों की स्थापना की।

(6) सरकार ने निर्यात के लिये फूलों के उत्पादन हेतु होसुर, तमिलनाडु में तनफ्लोरा अवसंरचना पार्क की स्थापना के लिये अपेडा की अवसंरचना विकास स्कीम के तहत 348.66 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की है।

(ग) संकरीकरण, उत्परिवर्तन और पालिप्लायडी प्रजनन के जरिये और जैव प्रौद्योगिकीय उपकरणों के माध्यम से सरकार फूलों की आनुवंशिकीय संरचना में सुधार लाने का प्रयास कर रही है।

पारम्परिक या उत्परिवर्तन प्रजनन के जरिये 500 से अधिक गुलाब की किस्में, लगभग 100 ग्लैडिओलस, 150 से अधिक क्रिसैंथियम की किस्में, कुछ आर्किड, जैस्मिन, बोगनवेलिया, गुड़हल, 8 ट्यूबरोज, 8 चाइना एस्टर, एक जिनिया, कुछ कुपरीज और एमरिलिस, 2 गेंदे तथा कुछ होलीहाक की किस्में विकसित की गई हैं।

जैव-प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेपों के जरिये कुछ रोगों व कीटों तथा रंगों के प्रति प्रतिरोध विकसित करने के लिये नई जीनों का प्रयोग किया जा रहा है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र की परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी

3611. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान महाराष्ट्र की पर्यावरणीय परियोजनाओं को दी गई सहायता और दी गई स्वीकृति का ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी हेतु महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) मंजूरी प्राप्त करने वाले प्रस्ताव की कुल लागत कितनी है; और

(घ) लंबित परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दी जाएगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र की पर्यावरणीय परियोजनाओं को दी गई सहायता का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (घ) लंबित परियोजनाएं और उनकी वर्तमान स्थिति का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान परियोजनाओं को दी गई सहायता का ब्यौरा

(लाख रु.)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1.	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास	165.25	108.05	241.68	320.00
2.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	1075.00	880.00	1069.00	1240.00
3.	राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना	70.00	50.00	100.00	56.00
4.	बाघ परियोजना	228.45	255.95	334.19	181.39
5.	एकीकृत वन संरक्षण स्कीम	50.00	64.17	0.00	150.00
6.	साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र	396.80	392.00	410.00	0.00

विवरण II

महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तुत परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम और लागत	स्थिति
1.	पंचगंगा नदी के किनारे कोल्हापुर शहर (49.74 करोड़ रु. की लागत पर)	चूंकि दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उपलब्ध परिव्यय पहले से अनुमोदित परियोजना की स्वीकृत लागत से कम है, यह सुझाव दिया गया कि राज्य सरकार जन-निजी भागीदारी के साथ परियोजनाओं को शुरू करने की सम्भावना को खोजने के साथ योजना आयोग से आवश्यक धनराशि प्राप्त करके राज्य योजना प्रावधानों में से इन परियोजनाओं को शुरू कर सकती है। तदनन्तर योजना आयोग द्वारा पंधारपुर प्रकाशा और पैठान शहरों से संबंधित परियोजना प्रस्तावों पर टिप्पणी मांगने पर इनकी मंत्रालय में जांच की गई और इनमें अपेक्षित ब्यौरों और अपेक्षित सूचना में कमी पाई गई। तद्नुसार महाराष्ट्र सरकार को इन परियोजना प्रस्तावों को संशोधित करने के लिए सूचित किया गया है।
2.	कृष्णा नदी के किनारे बाई शहर (53.83 करोड़ रु. की लागत पर)	
3.	भीमा नदी के किनारे पंधारपुर (26.57 करोड़ रु. की लागत पर)	
4.	तापी नदी के किनारे प्रकाशा शहर (4.62 करोड़ रुपये की लागत पर)	
5.	गोदावरी नदी के किनारे पैठन शहर 15.72 करोड़ रुपए की लागत पर	
6.	रंगावाली नदी के किनारे नवांपुर शहर (4.55 करोड़ रु. की लागत पर)	
7.	पर्यावरणीय मंजूरी के लिए अवसंरचनात्मक परियोजनाएं 1. मैसर्स कार्म आफ फिशरीज 2. मैसर्स एम एस आर डी सी	परियोजनाओं का आकलन किया गया और पर्यावरणीय मूल्यांकन समिति द्वारा विचार किया जाएगा।
8.	पर्यावरणीय मंजूरी के लिए निर्माण परियोजनाएं 1. एम एच ए डी ए महाराष्ट्र सरकार 2. मैसर्स एम ए डी सी	परियोजनाओं का आकलन किया गया और पर्यावरणीय मूल्यांकन समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

इंदिरा गांधी नहर योजना

3612. प्रो. रासा सिंह रावत: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सरकार ने 'इंदिरा गांधी नहर योजना' को राष्ट्रीय योजना के रूप में घोषित करने हेतु केन्द्र सरकार से कोई अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी नहर के रख-रखाव एवं विस्तार हेतु अतिरिक्त धन जारी करने हेतु केन्द्र सरकार से कोई अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय परियोजना की संकल्पना को अभी विकसित एवं अंतिम रूप देना शेष है।

(ग) और (घ) इंदिरा गांधी नहर परियोजना (आईजीएनपी) चरण-1 पूरी कर ली गई है। केन्द्र सरकार इंदिरा गांधी नहर परियोजना चरण-2 को पूरा करने के लिए काफी उत्सुक है। अग्रिम योजना सहायता, सूखा राहत सहायता और सीमा क्षेत्र विकास

कार्यक्रम के रूप में केन्द्र सरकार सहायता को समय-समय पर आईजीएनपी चरण-2 के नहर कार्यों के लिए विस्तारित कर दिया गया है। अब तक 611.62 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है। यह परियोजना वर्ष 1997-98 से एआईबीपी के अंतर्गत है और इसे मार्च, 2006 तक कुल 523.979 करोड़ रुपये की सीएलए तथा 58.741 करोड़ रुपये की अनुदान प्रदान किया गया है। इंदिरा गांधी नहर के रखरखाव के लिए अतिरिक्त निधि जारी करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

हाथी पुनर्वास केन्द्र

3613. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश के विभिन्न हिस्सों में हाथी पुनर्वास केन्द्रों को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त की स्थापना करने हेतु किन स्थानों की पहचान की गई है और कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ग) हाथी पुनर्वास केन्द्रों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों द्वारा स्थानों की पहचान की जानी है। मंत्रालय को अब तक हरियाणा सरकार से इस प्रकार का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसके लिए 90.75 लाख रु. की राशि स्वीकृत की गई है और राज्य को 50.00 लाख रु. की पहली किस्त नवम्बर, 2006 में जारी की जा चुकी है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई स्कीम वर्ष 2006-07 के लिए है।

जल का खारापन दूर करना

3614. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में कठोर जल को पीने के उद्देश्य से पेयजल में बदलने हेतु इसका खारापन दूर करने की क्रियान्वित योजनाएं राज्य-वार कौन सी हैं;

(ख) क्या सरकार ने एशियाई विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से उक्त योजनाओं हेतु वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान प्राप्त धनराशि और विभिन्न राज्यों को संवितरित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान कर्नाटक सरकार ने जल का खारापन दूर करने हेतु कोई विशेष परियोजनाएं भेजी हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) पेयजल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है और देश की सभी ग्रामीण बस्तियों को पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ''त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी)'' नामक केन्द्र प्रायोजित स्कीम के माध्यम से राज्यों की तकनीकी और वित्तीय रूप से सहायता करती है। राज्यों को अलवणीकरण संयंत्रों सहित परियोजनाओं को स्वीकृत और कार्यान्वित करने की शक्ति प्राप्त है। लवणता सहित जल गुणवत्ता संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए राज्यों को प्रतिवर्ष जारी की जाने वाली एआरडब्ल्यूएसपी निधि में से 2005-06 तक 15% का ही उपयोग किया जा सका। इसके अतिरिक्त, पेयजल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि पिछले 2 वर्ष के दौरान किसी भी राज्य सरकार से अलवणीकरण संयंत्र की संस्थापना किए जाने की सूचना नहीं मिली है। संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप के कावारत्ती द्वीप में राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी), चेन्नई द्वारा 4.95 करोड़ रुपए की पूंजी लागत से 1000 सीयूएम/दिन की क्षमता का ''कम तापमान वाला तापीय अलवणीकरण संयंत्र'' स्थापित किया गया है। एनआईओटी, चेन्नई द्वारा एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में इसका पूर्ण वित्तपोषण किया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रिवर्स आस्मोसिस पर आधारित 10 अलवणीकरण संयंत्रों को स्वीकृत किया गया और सुनामी के पश्चात जल आपूर्ति पुनर्बहाली उपाय के रूप में संस्थापना के वास्ते केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड को निधि जारी की गई।

(ख) पेयजल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत सरकार ने अलवणीकरण संयंत्रों की संस्थापना के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन्टरनेशनल मानीटरी फंड जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से कोई सहायता नहीं मांगी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पेयजल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि कर्नाटक सरकार से पिछले 2 वर्षों के दौरान अलवणीकरण संबंधी परियोजनाओं के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बाल संसद

3615. श्री एम. अप्पादुरई: क्या **संसदीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु के कुछ विद्यालयों से 'बाल संसद' आयोजित करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) विद्यालयों एवं छात्र समुदायों में उक्त 'बाल संसद' को लोकप्रिय बनाने हेतु क्या प्रचार/प्रसार करने का प्रस्ताव है; और

(घ) वर्तमान वर्ष के दौरान इस प्रयोजन हेतु निर्धारित धनराशि कितनी है?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) और (ख) 'बाल संसद' आयोजित करने के लिए तमिलनाडु के विद्यालयों से ऐसा कोई अनुरोध हाल ही में प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) विद्यार्थी समुदाय के मन में लोकतांत्रिक मूल्यों को बैठाने, और संसदीय संस्थाओं के कार्यचालन से अवगत कराने के उद्देश्य से 'युवा संसद प्रतियोगिता' की 4 योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनके नाम हैं, 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थानों के लिए युवा संसद प्रतियोगिता योजना', केन्द्रीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता योजना', 'जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता योजना' और 'विश्वविद्यालयों/कालेजों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता योजना'। उपरोक्त चार योजनाओं के अतिरिक्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने शिक्षण संस्थानों में इसी प्रकार की 'युवा संसद प्रतियोगिताएं' चलाने के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए प्रति वर्ष तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। 'युवा संसद प्रतियोगिताओं' को आयोजित करने के लिए कोई निश्चित धनराशि निर्धारित नहीं की गई है। तथापि इस संबंध में खर्च मंत्रालय के चालू वर्ष के बजट में 'अन्य प्रभार' के लिए उपलब्ध कराए गए रु. 35 लाख के आबंटन में से पूरा किया जा रहा है। उपरोक्त के अतिरिक्त विद्यालयों में युवा संसदों को लोकप्रिय बनाने हेतु प्रचार/प्रसार के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया जाता है।

बेरोजगारी दर

3616. श्री एल. राजगोपाल: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के 61वें दौर के अनुसार जुलाई, 2004 से जून, 2006 के दौरान देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर क्रमशः 17% और 45% है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान बेरोजगारी दर में वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस आशय का कोई विश्लेषण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(ङ) क्या सर्वेक्षण ने यह उजागर किया है कि महिलाओं की बेरोजगारी दर पुरुषों की बेरोजगारी दर से अधिक है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क), (ङ) एवं (च) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के 55वें तथा 61वें दौर के अनुसार वर्ष 1999-2000 तथा 2004-05 के दौरान, सामान्य स्थिति आधार पर देश में बेरोजगारी दर निम्न प्रकार दी गई है:—

वर्ष	ग्रामीण (%)			शहरी (%)			समस्त (%)
	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	
1999-2000	1.7	1.0	1.5	4.5	5.7	4.7	2.2
2004-2005	1.6	1.8	1.7	3.8	6.3	4.5	2.3

(ख) से (घ) इन सर्वेक्षणों के परिणाम दर्शाते हैं कि जहां एक ओर ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी दर आंशिक रूप से बढ़ी है वहीं दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों में इसमें गिरावट आई है। कुल मिलाकर बेरोजगारी दर वर्ष 1999-2000 में 2.2% से आंशिक रूप से बढ़कर वर्ष 2004-05 में 2.3% हो गई।

लघु फार्मा इकाइयां

3617. **श्री अधीर चौधरी:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लघु फार्मा इकाइयों को सहायता मुहैय्या करायी है जिन्हें शिड्यूल एम तथा सरकार द्वारा अधिसूचित उत्तम प्रयोगशाला विनिर्माण पद्धतियों को क्रियान्वित करने हेतु अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों से स्थानांतरित किया जाना है;

(ख) यदि नहीं, तो कब तक सहायता प्रदान किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार संगठनों द्वारा उक्त इकाइयों को राजसहायता प्राप्त दर पर भेषजों के अशुद्धता मानक उपलब्ध नहीं कराए जाते; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कदम उठाए गए?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) और (ख) लघु उद्योग विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस) के अंतर्गत अनुसूची एम मानकों/आधुनिकीकरण को क्रियान्वित करने के लिए लघु फार्मा इकाइयों को 15% पूंजी सहायता के साथ 1 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

(ग) और (घ) इस संबंध में विभाग के पास कोई सूचना नहीं है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त टिप्पणियों के अनुसार उन्हें भी इस संबंध में कोई सूचना नहीं देनी है।

[हिन्दी]

गरीबी रेखा से ऊपर (ए.पी.एल.) के परिवारों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली

3618. **श्री हंसराज जी. अहीर:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबी रेखा से ऊपर (ए.पी.एल.) श्रेणी के लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान आज की तिथि तक गरीबी रेखा से ऊपर (ए.पी.एल.) श्रेणी के लाभार्थियों में वितरण हेतु विभिन्न राज्यों को आबंटित मासिक कोटे का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। गरीबी रेखा से ऊपर के कार्डधारकों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राजसहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाते हैं। गेहूं का केन्द्रीय निर्गम मूल्य 6.10 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल (साधारण) तथा चावल (ग्रेड-ए) के केन्द्रीय निर्गम मूल्य क्रमशः 7.95 रुपये और 8.10 रुपये प्रति किलोग्राम हैं। मोटे अनाजों का केन्द्रीय निर्गम मूल्य आर्थिक लागत, जो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है, का 70% है।

(ग) वर्ष 2006-2007 (दिसम्बर, 2006 तक) हेतु गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए गेहूं और चावल के मासिक आवंटनों के ब्यौरे क्रमशः विवरण-II और III पर दिए गए हैं।

विवरण I

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	12.806	12.806	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
3.	असम	22.128	22.128	18.697	18.697	18.697	18.697	18.697	18.697	18.697
4.	बिहार	91.35	91.35	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	छत्तीसगढ़	26.145	26.145	3.104	3.104	3.104	3.104	3.104	3.104	3.104
6.	दिल्ली	58.13	58.13	18.346	18.346	18.346	18.346	18.346	18.346	18.346
7.	गोवा	2.856	2.856	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201
8.	गुजरात	144.218	144.218	6.402	6.402	6.402	6.402	6.402	6.402	6.402
9.	हरियाणा	57.795	57.795	7.421	7.421	7.421	7.421	7.421	7.421	7.421
10.	हिमाचल प्रदेश	9.861	9.861	6.748	6.748	6.748	8.498	6.748	6.748	6.748
11.	जम्मू-कश्मीर	11.193	11.193	11.193	11.193	11.193	11.193	11.193	11.193	11.193
12.	झारखंड	5.407	5.407	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375
13.	कर्नाटक	29.967	29.967	0	0	7.734	7.734	7.734	7.734	7.734
14.	केरल	37.325	37.325	11.777	11.777	11.777	11.777	11.777	11.777	11.777
15.	मध्य प्रदेश	136.66	136.66	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971	4.74*
16.	महाराष्ट्र	254.252	254.252	5.154	5.154	5.154	5.154	5.154	5.154	5.154
17.	मणिपुर	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
18.	मेघालय	0.648	0.648	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
19.	मिजोरम	1.01	1.01	0.624	0.624	0.624	0.624	0.624	0.624	0.624
20.	नागालैंड	1.873	1.873	1.873	1.873	1.873	1.873	1.873	1.873	1.873
21.	उड़ीसा	24.402	24.402	7.793	7.793	7.793	7.793	7.793	7.793	7.793
22.	पंजाब	85.939	85.939	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306
23.	राजस्थान	157.682	157.682	16.959	16.959	16.959	16.959	16.959	16.959	16.959
24.	सिक्किम	0.5	0.6	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245
25.	तमिलनाडु	10	10	3.783	3.783	3.783	3.783	3.783	3.783	3.783
26.	त्रिपुरा	3.995	3.995	1.337	1.337	1.337	1.337	1.337	1.337	1.337
27.	उत्तरांचल	7.571	7.571	1.566	1.566	1.566	1.566	6.264	1.566	0**
28.	उत्तर प्रदेश	270.585	270.585	1.451	1.451	1.451	1.451	1.451	1.451	1.451
29.	पश्चिम बंगाल	98.112	98.112	49.04	49.04	49.04	49.04	49.04	49.04	49.04
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.416	0.416	0.247	0.247	0.247	0.247	0.247	0.247	0.247
31.	चंडीगढ़	4.406	4.406	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	दादर और नगर हवेली	0.129	0.129	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015
33.	दमन और दीव	0.087	0.087	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019
35.	पांडिचेरी	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	जोड़	1568.697	1568.797	183.995	183.995	191.729	193.479	196.427	191.729	192.932

*मक्का के बदले गेहूं के रेस्टोरेशन के कारण वृद्धि हुई है।

**अग्रिम आवंटन दिसम्बर, 2006 से फरवरी, 2007 के महीनों के लिए

विवरण II

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	चावल								
		अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	176.089	176.089	176.089	176.089	176.089	176.089	176.089	176.089	176.089
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.474	4.474	4.474	4.474	4.474	4.474	4.474	4.474	4.474
3.	असम	57.467	57.467	57.467	57.467	57.467	57.467	57.467	57.467	57.467
4.	बिहार	91.35	91.35	91.35	91.35	91.35	91.35	91.35	91.35	91.35
5.	छत्तीसगढ़	61.005	61.005	61.005	61.005	61.005	61.005	61.005	61.005	61.005
6.	दिल्ली	24.913	24.913	24.913	24.913	24.913	24.913	24.913	24.913	24.913
7.	गोवा	6.664	6.664	6.664	6.664	6.664	6.664	6.664	6.664	6.664
8.	गुजरात	88.079	88.079	88.079	88.079	88.079	88.079	88.079	88.079	88.079
9.	हरियाणा	24.77	24.77	24.77	24.77	24.77	24.77	24.77	24.77	24.77
10.	हिमाचल प्रदेश	16.144	16.144	16.144	16.144	16.144	19.364	16.144	16.144	16.144
11.	जम्मू-कश्मीर	26.117	26.117	26.117	26.117	26.117	26.117	26.117	26.117	26.117
12.	झारखंड	12.618	12.618	12.618	12.618	12.618	12.618	12.618	12.618	12.618
13.	कर्नाटक	119.868	119.868	119.868	119.868	119.868	119.868	119.868	119.868	119.868
14.	केरल	113.42	113.42	113.42	113.42	113.42	113.42	113.42	113.42	113.42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	मध्य प्रदेश	58.57	58.57	58.57	58.57	58.57	58.57	58.57	58.57	58.57
16.	महाराष्ट्र	137.488	137.488	137.488	137.488	137.488	137.488	137.488	137.488	137.488
17.	मणिपुर	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769
18.	मेघालय	3.104	3.104	3.104	3.104	3.104	3.104	3.104	3.104	3.104
19.	मिजोरम	2.446	2.446	2.446	2.446	2.446	2.446	2.446	2.446	2.446
20.	नागालैंड	4.369	4.369	4.369	4.369	4.369	4.369	4.369	4.369	4.369
21.	उड़ीसा	56.938	56.938	56.938	56.938	56.938	56.938	56.938	56.938	56.938
22.	पंजाब	36.831	36.831	36.831	36.831	36.831	36.831	36.831	36.831	36.831
23.	राजस्थान	67.578	67.578	67.578	67.578	67.578	67.578	67.578	67.578	67.578
24.	सिक्किम	1.551	1.551	1.551	1.551	1.551	1.906	1.906	1.906	1.906
25.	तमिलनाडु	305.665	305.665	305.665	305.665	305.665	305.665	305.665	305.665	305.665
26.	त्रिपुरा	10.941	10.941	10.941	10.941	10.941	13.599	13.599	13.599	13.599
27.	उत्तरांचल	17.664	17.664	17.664	17.664	17.664	17.664	70.656	17.664	0
28.	उत्तर प्रदेश	270.585	270.585	270.585	270.585	270.585	270.585	270.585	270.585	270.585
29.	पश्चिम बंगाल	228.928	228.928	228.928	228.928	228.928	228.928	228.928	228.928	228.928
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.439	1.439	1.439	1.439	1.439	1.439	1.439	1.439	1.439
31.	चंडीगढ़	1.887	1.887	1.887	1.887	1.887	1.887	1.887	1.887	1.887
32.	दादर और नगर हवेली	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
33.	दमन और दीव	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698
34.	लक्षद्वीप	0.261	0.261	0.261	0.261	0.261	0.261	0.261	0.261	0.261
35.	पांडिचेरी	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	जोड़	2037.156	2037.156	2037.156	2037.156	2037.156	2043.389	2093.161	2040.169	2022.505
	मोटे अनाज									
1.	कर्नाटक			20.796	20.796	0	3.965	3.837		
2.	मध्य प्रदेश			2.769	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769	
3.	सिक्किम	0.1	0							
4.	राजस्थान									
	जोड़	0.1	0	23.565	23.565	2.769	6.734	6.606	2.769	0
	सकल जोड़ (गेहूं अनुबंध-1+चावल+मोटे अनाज)	3605.953	3605.953	2244.716	2244.716	2231.654	2243.602	2296.194	2234.667	2215.437

विवरण III

(आंकड़े टन में)

क्र.सं.	राज्य	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	4000	4000	4000	4000
2.	अरुणाचल प्रदेश	300	300	300	300
3.	असम	4000	4000	3000	3000
4.	बिहार	4000	4000	2000	2000
5.	छत्तीसगढ़	3000	3000	–	–
6.	दिल्ली	8000	8000	10000	10000
7.	गोवा	500	500	500	500
8.	गुजरात	5000	5000	5000	5000
9.	हरियाणा	2500	2500	1500	1500
10.	हिमाचल प्रदेश	3500	3500	3500	3500
11.	जम्मू-कश्मीर	5000	5000	5000	5000
12.	झारखंड	2000	2000	2000	2000
13.	कर्नाटक	4000	5000	5000	5000
14.	केरल	5000	6000	8000	8000
15.	मध्य प्रदेश	5000	5000	5000	5000
16.	महाराष्ट्र	5000	6000	10000	10000
17.	मणिपुर	300	300	300	300
18.	मेघालय	300	300	300	300
19.	मिजोरम	300	300	300	300
20.	नागालैंड	300	300	300	300
21.	उड़ीसा	4000	5000	4000	4000
22.	पंजाब	2500	2500	2500	2000
23.	राजस्थान	6000	6000	6000	6000
24.	सिक्किम	300	300	300	300

1	2	3	4	5	6
25.	तमिलनाडु	4000	5000	5000	5000
26.	त्रिपुरा	800	800	800	800
27.	उत्तर प्रदेश	5000	5000	5000	5000
28.	उत्तरांचल	5000	5000	5000	5000
29.	पश्चिम बंगाल	10000	5000	5000	5000
30.	अंडमान व निकोबार	100	100	100	300
31.	दादर और नगर हवेली	50	50	50	50
32.	पांडिचेरी	100	100	150	150
33.	चंडीगढ़	50	50	50	50
34.	लक्षद्वीप	50	50	–	50
35.	दमन और दीव	50	50	50	50
	जोड़	100000	100000	100000	99750

[अनुवाद]

उपभोक्ता अदालतों को सुदृढ़ किया जाना

3619. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या उपभोक्ता मामले, **खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राज्यों को उपभोक्ता अदालतों की अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जो गत तीन वर्षों के दौरान प्रदत्त सहायता राशि के संबंध में अभी तक उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं;

(घ) सरकार ने ऐसे राज्यों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) उक्त राज्यों द्वारा कब तक अपने-अपने राज्यों में अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण का कार्य पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अनुसार अपने राज्यों में जिला मंचों और राज्य आयोग की स्थापना करना तथा इन संस्थाओं को अपने कार्य अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सुचारू रूप से करने में सक्षम बनाने के लिए अपेक्षित आधार-ढांचा उपलब्ध कराना राज्य की जिम्मेदारी है। तथापि, उपभोक्ता मंचों के आधार-ढांचे को मजबूत बनाने के लिए राज्यों के प्रयासों को संबल प्रदान करने के लिए अतीत में केंद्र सरकार ने वित्तीय सहायता प्रदान की है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1995 तक स्थापित किए जा चुके 458 जिला मंचों और 32 राज्यों आयोगों के आधार ढांचे को मजबूत करने के लिए 1995 की एकबारगी अनुदान की स्कीम के तहत 61.80 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की गई थी। इसके अलावा, 1995 के बाद स्थापित 53 जिला मंचों और 3 राज्य आयोगों के आधार ढांचे को मजबूत करने के लिए 2004-05 की एकबारगी अनुदान की स्कीम के तहत 13 राज्यों को 10.20 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की गई। चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 में उपभोक्ता मंचों के आधार

ढांचे में व्याप्त अंतराल को पाटने के लिए समेकित उपभोक्ता संरक्षण परियोजना स्कीम के तहत 9 पात्र राज्यों को पहली किस्त के रूप में 13.12.2006 तक 20.34 करोड़ रुपए की राशि रिलीज/मंजूर की गई है।

(ख) ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(लाख रुपए में)

2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (13.12.2006 तक)
शून्य	1020.00	शून्य	2033.96

वर्ष 2004-05 की एकबारगी अनुदान की स्कीम के तहत रिलीज किए गए अनुदान के राज्यवार ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं। चालू वित्त वर्ष 13.12.2006 तक समेकित उपभोक्ता संरक्षण परियोजना स्कीम के तहत रिलीज किए गए अनुदान के राज्यवार ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) राज्यों को 2004-05 की एकबारगी अनुदान की स्कीम के तहत प्राप्त अनुदान की राशि का 31.3.2007 तक पूरी तरह उपयोग करना अपेक्षित है।

(घ) और (ङ) उपरोक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

2004-05 की एकबारगी अनुदान के तहत स्कीम 2004-05 के दौरान रिलीज किए गए अनुदान का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए में)

राज्यों के नाम	रिलीज किए गए अनुदान की राशि
1	2
आंध्र प्रदेश	105.00
बिहार	45.00
झारखंड	75.00
हरियाणा	45.00
मध्य प्रदेश	105.00
छत्तीसगढ़	75.00
महाराष्ट्र	45.00
मिजोरम	75.00
नागालैंड	15.00
उड़ीसा	270.00
राजस्थान	45.00
उत्तरांचल	75.00
पश्चिम बंगाल	45.00
योग :	1020.00

विवरण II

समेकित उपभोक्ता संरक्षण परियोजना स्कीम के तहत मंजूर/रिलीज किए गए अनुदान का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(13.12.2006 की स्थिति के अनुसार)

(लाख रुपए में)

राज्यों के नाम	रिलीज किए गए अनुदान की राशि
1	2
आंध्र प्रदेश	348.15
अरुणाचल प्रदेश	257.80
छत्तीसगढ़	298.22
हिमाचल प्रदेश	161.27
केरल	265.50
मध्य प्रदेश	449.52
मिजोरम	141.00

1	2
सिक्किम	67.30
त्रिपुरा	45.20
कुल	2033.96

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीबीबी) द्वारा संदर्शी योजना

3620. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीबीबी) ने संदर्शी योजना 2010 तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लक्ष्य क्या हैं;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है;

(घ) क्या दुग्ध संघों ने भी इस योजना पर अपनी आम सहमति दे दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) देश में दुग्ध सहकारिताओं की मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए परिप्रेक्ष्य योजना बनाई गई है। इसमें सहकारिता व्यवसाय को समाहित किया गया है जिसमें खरीद, प्रसंस्करण और विपणन, गुणवत्ता आश्वासन, उत्पादकता संवर्द्धन तथा सूचना नेटवर्क शामिल है।

इस परिप्रेक्ष्य योजना के लिए प्रस्तावित परिव्यय 1250 करोड़ रुपए है।

(घ) और (ङ) जी, हां। परिप्रेक्ष्य योजना के तहत लगभग एक सौ दुग्ध संघों/परिसंघों ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से वित्त पोषण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।

[हिन्दी]

स्वर्ण रेखा बहु-उद्देश्यीय परियोजना

3621. श्री गिरिधारी यादव:
श्री सुनिल कुमार महतो:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वर्ण रेखा बहु-उद्देश्यीय परियोजना के पूरा न होने के कारण कई गांव जलमग्न हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1996 से आज की तिथि तक वर्षवार कितने गांव प्रभावित हुए और कितने मूल्य की संपत्ति नष्ट हुई;

(ग) किये गये राहत कार्यों और जलमग्न गांवों के प्रभावित लोगों को प्रदान की गयी सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रभावित लोगों को अब तक कितनी राहत प्रदान की गयी है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) स्वर्णरेखा बहुउद्देश्यीय परियोजना में दो बांध अर्थात् चांडिल बांध और इचा बांध शामिल हैं। चांडिल बांध के निर्माण के कारण झारखंड में 116 गांव प्रभावित हुए हैं। इन 116 गांवों में से 38 गांवों के पूरी तरह डूब जाने तथा 78 गांवों के आंशिक रूप से डूबने की संभावना है। इचा बांध के निर्माण के कारण झारखंड में कुल 87 गांव तथा उड़ीसा में 36 गांवों के डूबने की संभावना है। झारखंड में प्रभावित 87 गांवों में से 26 गांवों के पूर्णतः डूबने तथा 61 गांवों के आंशिक रूप से डूबने की संभावना है।

(ग) और (घ) चांडिल क्षेत्र में अधिग्रहीत भूमि और घरों के लिए 98 गांवों को मुआवजे का भुगतान किया गया है जबकि इचा क्षेत्र में, जहां कि इचा बांध के निर्माण को रोक दिये जाने के कारण भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास संबंधी कार्य रोक दिया गया है, 33 गांवों को मुआवजा का भुगतान किया गया है।

राज्य सरकारों द्वारा पुनर्स्थापना और पुनर्वास कार्य प्रगति पर हैं। सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण परियोजना प्रभावित लोगों की पुनर्स्थापना और पुनर्वास के साथ-साथ आयोजना, निष्पादन, वित्तपोषण राज्य सरकारों की अपनी नीतियों के अनुसार उनके कार्य क्षेत्र में आता है।

[अनुवाद]

मानदंडों का उल्लंघन

3622. श्री शैलेन्द्र कुमार:
श्री पी.एस. गढ़वी:
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुख्य अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में हाल ही में प्रकाशित समाचार के अनुसार बीयर के बड़े उत्पादकों को बोतलों में लेबल पर घोषित मात्रा से कम मात्रा में बीयर भरते पाया गया;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरे क्या हैं और इसमें लिप्त कंपनियां कौन-कौन सी हैं; और

(ग) सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) प्राप्त सूचना के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बाट तथा माप प्रवर्तन प्राधिकारियों ने मैसर्स दि स्कोल बेवरेज लिमिटेड के "हैवर्डस" ब्रांड नाम, मैसर्स मिलेनियम इंडिया लिमिटेड के "किंगफिसर स्ट्रांग प्रीमियम" ब्रांड नाम, मैसर्स फास्टर इंडिया प्रा.लि. के "फास्टर" ब्रांड नाम और मैसर्स चारमिनार बेवरीज के "हैवर्डस 5000" ब्रांड नाम की 650 मिली लीटर की बोतलों में क्रमशः 1.69 मिली लीटर, 10.28 मिली लीटर, 0.87 मिली लीटर और 25 मिली लीटर कम बीयर भरे जाने की रिपोर्ट दी है।

(ग) मैसर्स चारमिनार बेवरीज के मामले में फर्म द्वारा 25,000 रुपए का कम्पाउंडिंग फीस का भुगतान करके समझौता कर लिया गया है।

कपास के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (एम.आई.एस.)

3623. श्री सी.एच. विजयशंकर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कपास हेतु मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (एम.आई.एस.) आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार का राज्य में कपास हेतु एम.आई.एस. के अनुरोध से संबंधित कोई प्रस्ताव लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केंद्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) स्कीम क्रियान्वित कर रही है, जिसमें कपास भी शामिल है। कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रत्येक फसल मौसम के लिये घोषित किया जाता है। अतएव, एम.आई.एस. के तहत कपास को शामिल करने का प्रश्न नहीं उठता है और कर्नाटक सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव भी प्राप्त नहीं हुआ है।

विज्ञापन दर

3624. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विज्ञापन दरों को मंजूरी देने हेतु गैर-सरकारी उपग्रह चैनलों का पैनल बनाने हेतु विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.) की नीति क्या है और वित्त वर्ष 2006-07 के लिए इस संबंध में कुल कितना बजट निर्धारित किया गया है;

(ख) वर्ष 2006-07 के लिए विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.) के पैनल में कौन-कौन से गैर-सरकारी उपग्रह चैनल हैं;

(ग) क्या उपरोक्त अवधि के लिए इनमें से प्रत्येक चैनल के लिए विज्ञापन दरें मंजूर कर दी गयी हैं; और

(घ) यदि हां, तो हिन्दी भाषी बाजार में दूरदर्शन और विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.) के पैनल के सभी गैर-सरकारी उपग्रह चैनलों की नवीनतम टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट (टी.आर.पी.) का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) डी.ए.वी.पी. के पैनल में निजी उपग्रह चैनलों को शामिल करने संबंधी नीति विवरण-I में दी गई है।

वर्ष 2006-07 के लिए दृश्य-श्रव्य माध्यम से प्रचार हेतु डी.ए.वी.पी. का बजट 94.00 लाख रु. है।

(ख) डी.ए.वी.पी. के पैनल में शामिल निजी उपग्रह चैनलों के नाम विवरण-II दिए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

विवरण I

टीवी/रेडियो चैनलों के जरिए टेलीकास्ट/ब्राडकास्ट के लिए भारत सरकार की श्रव्य-दृश्य विज्ञापन नीति

1. डीएवीपी आकाशवाणी, दूरदर्शन और उपग्रह टीवी/रेडियो चैनलों पर भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों और संगठनों के लिए टीवी एवं रेडियो स्पाट्स/तुकबंदियों/कार्यक्रमों आदि को प्रसारित करने का कार्य करता है। डीएवीपी निजी टीवी/रेडियो चैनलों पर प्रसारण हेतु नोडल एजेंसी है।

2. चैनलों/कार्यक्रमों के कार्य-निष्पादन में उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए टेलीकास्ट/ब्राडकास्ट दरें वार्षिक आधार पर नियत की जाती हैं। चैनलों को पैनल में शामिल करने और उनकी टेलीकास्ट/ब्राडकास्ट दरें नियत करने का प्राथमिक उद्देश्य अभिप्रेत विषय-वस्तु या संदेश की लागत-प्रभावी तरीके से लक्षित दर्शक/श्रोतागण के लिए यथा संभव अधिकतम कवरेज प्राप्त करना है। ऐसे विज्ञापन स्पाट्स/तुकबंदियों आदि को जारी करते समय डीएवीपी रेडियो/टेलीविजन चैनलों की राजनैतिक संबद्धता या संपादकीय नीतियों को ध्यान में नहीं रखता है। तथापि, डीएवीपी ऐसे चैनलों को विज्ञापन जारी नहीं करेगा जो कि सांप्रदायिक भावना को उकसाते हों या उकसाने का प्रयास करते हों, हिंसा को प्रोत्साहित करते हों, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता या जनसामान्य की शालीनता एवं आचरण के सामाजिक रूप से स्वीकृत मानदंडों के खिलाफ हों। चूंकि, किसी अभियान के लिए मीडिया संबंधी आयोजना, प्रचार संबंधी आवश्यकता और उस अभियान के लिए लक्षित श्रोता/दर्शकगण को ध्यान में रखते हुए की जाएगी, किसी भी चैनल को पैनल में शामिल किए जाने से सुनिश्चित कार्रवाई की कोई गारंटी नहीं होगी।

3. निजी टीवी/रेडियो चैनलों पर केंद्र सरकार की प्रचार संबंधी सभी विज्ञप्तियों को डीएवीपी के माध्यम से जारी किया जाएगा। मंत्रालयों/विभागों के अधीन सभी संबद्ध कार्यालय, स्वायत्तशासी संगठन और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी डीएवीपी के माध्यम से अपनी विज्ञप्तियां जारी करेंगे।

4. पैनल सलाहकार समिति (ई ए सी)

लागत सलाहकार, वित्त मंत्रायल, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक पैनल सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा जो कि चैनलों को पैनल में शामिल करने के उनके आवेदनों पर तथा स्पाट्स, टिकर/स्क्राल, कार्यक्रमों आदि के लिए टेलीकास्ट/ब्राडकास्ट दरों पर सिफारिश करने की बाबत विचार करेगी। समिति सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की स्वीकृति हेतु अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

5. उपग्रह टीवी चैनलों को पैनल में शामिल करना:

सभी चैनलों को डीएवीपी के विज्ञापन के प्रत्युत्तर में, जो कि वर्ष में एक बार जारी किया जाएगा, पैनल में शामिल होने के विचारार्थ आवेदन करना होगा। दूरदर्शन के चैनलों को स्वत: पैलनबद्ध किया जाएगा तथापि, यदि दूरदर्शन में विनिर्दिष्ट आयोजनों जैसे कि खेल आयोजनों के विपणन हेतु कोई एजेंसी नियुक्त की है, तो समिति उनके कोटेशन मंगवा सकती है। चैनलों को क्षेत्र-विशेष में दर्शकों की संख्या के आधार पर दो श्रेणियों—राष्ट्रीय और क्षेत्रीय में और विधा—में विभाजित किया गया है।

उपग्रह टीवी चैनलों को पैनल में शामिल करने के लिए मापदंड:

किसी भी चैनल को पैनल में शामिल करने के लिए पात्र होने की बाबत निम्नलिखित न्यूनतम मापदंड पूरे करने होंगे:

(क) न्यूनतम प्रसारण अवधि—आवेदन आमंत्रित करते समय चैनल द्वारा कम से कम छह माह का प्रसारण पूरा कर लिया जाना चाहिए (आवेदनों के प्रस्तुतिकरण की अंतिम तारीख ही इस संबंध में अंतिम निर्धारित तिथि होगी)। लेकिन यदि कोई ऐसा नया चैनल है तीन माह पश्चात जिसके दर्शकों की संख्या में खासी वृद्धि हो रही है तो महानिदेशक, डीएवीपी के अनुमोदन से ईएसी द्वारा विशेष मामले के रूप में विचार किया जा सकता है।

(ख) न्यूनतम चैनल हिस्सेदारी—डीएवीपी द्वारा विचारित टीएएम अथवा अन्य किसी स्थापित टीवी दर्शक सर्वेक्षण एजेंसी के अनुसार पैनल में किसी भी चैनल को शामिल करने हेतु सी एंड एस होम्स (पैरामीटर: 15 + आयु वर्ग, पुरुष/महिला दोनों, सभी एस ई सी, 06.00-23.59 घंटे

की टाइम बैंड, सभी सप्ताह दिवस) में अखिल भारतीय ब्रह्माड में कम से कम 0.2% की अखिल-चैनल हिस्सेदारी होनी चाहिए।

(ग) छूट प्राप्त करने की श्रेणी—उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित मापदंड से निम्नलिखित चैनलों को छूट दी जाएगी:—

(1) पूर्वोत्तर, जम्मू एवं कश्मीर और बिहार के क्षेत्रीय चैनल क्योंकि टीएएम अभी भी इन राज्यों को कवर नहीं कर रहा है।

(2) प्रमुखतया पिछड़े, सीमावर्ती या सुदूर क्षेत्रों अथवा जनजातीय/अल्पसंख्यक भाषाओं में चैनल।

(3) भारतीय उप महाद्वीप क्षेत्रीय बीम वाले चैनल (भारत के पड़ोसी देशों को कवर करते हुए) अंतर्राष्ट्रीय चैनल क्योंकि टीएएम के आंकड़ों में भारत से बाहर की दर्शकों की संख्या को शामिल नहीं किया जाता है।

पैनलबद्ध टीवी चैनलों की दरों के नियतन के लिए मापदंड:-

ईएसी द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार करने के पश्चात् पैनलबद्ध चैनलों की दरों के बारे में निर्णय लिया जाएगा:

(क) पूर्वोत्तर, जम्मू एवं कश्मीर और बिहार के क्षेत्रीय चैनलों (अभी तक टीएएम द्वारा कवर न किए गए) को छोड़कर टीएएम के छह माह के औसत सी एंड एस की दर्शकसंख्या (15 + आयुवर्ग, पुरुष/महिला दोनों सभी एसईसी, राष्ट्रीय चैनल के लिए अखिल भारतीय बाजार और क्षेत्रीय चैनलों के लिए संबंधित राज्य) के आधार पर तुलना। यदि चैनल छह माह से कम लेकिन तीन माह से अधिक लिए संबंधित राज्य) के आधार पर तुलना। यदि चैनल छह माह से कम लेकिन तीन माह से अधिक अवधि का है तो 3-6 माह के बीच संबंधित माह संख्या के दशकों के आंकड़ों पर विचार किया जाएगा। जहां तक संभव है, दूरदर्शन के साथ इन चैनलों की दर्शक-संख्या एवं दरों की तुलना करने और संबंधित विधाओं एवं कार्यक्रमों में चैनलों के भीतर तुलना करने के पश्चात् समिति द्वारा दरों के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

(ख) बाजार दरों पर आधारित वार्ताएं।

(ग) विशिष्ट चैनल की प्रभावी दर, दर के साथ प्रदत्त बोनस टिकर/स्क्राल आदि की संख्या पर निर्भर करते हुए दर संरचना पैटर्न द्वारा निर्धारित की जाएगी।

5. निजी रेडियो चैनलों को पैनल में शामिल करना:

रेडियो चैनलों को प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को उपलब्ध स्टेशनों की संख्या के आधार पर श्रेणीकृत किया जा सकता है।

बड़े:- महानगरों (दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई) में कार्यशील

मझौले:- 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों, गैर-मेट्रो शहरों में कार्यशील

लघु:- 1 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में कार्यशील

निजी रेडियो चैनलों को पैनल में शामिल करने के लिए मापदंड:—

न्यूनतम ब्राडकास्ट अवधि—आवेदन आमंत्रित करते समय चैनलों/स्टेशनों को कम से कम छह माह का ब्राडकास्ट पूरा कर लिया गया हो (आवेदन को प्रस्तुत की अंतिम तारीख ही इस संबंध में अंतिम निर्धारित तिथि होगी)। लेकिन, यदि ऐसा कोई नया चैनल/स्टेशन है जिसकी तीन माह बाद श्रोताओं की संख्या में खासी वृद्धि हो रही हो, तो इस पर महानिदेशक, डीएवीपी के अनुमोदन से समिति द्वारा विशेष मामले के रूप में विचार किया जा सकता है।

निजी रेडियो चैनलों की दरों के नियतन के लिए मापदंड:-

(क) चैनलों द्वारा प्रदत्त क्षेत्र सर्वेक्षण एजेंसियों की श्रोता संख्या के आधार पर तुलना। जब कभी डीएवीपी द्वारा इस प्रकार विचारित स्वतंत्र रूप से स्थापित रेडियो श्रोता आंकड़ा एजेंसी अस्तित्व में आती है, तो दर नियतन की तुलना के लिए ऐसी एजेंसी द्वारा तैयार किए गए आंकड़ों पर विचार किया जाएगा।

(ख) बाजार दरों पर आधारित वार्ताएं।

(ग) दर संरचना पैटर्न, दर के साथ प्रदत्त बोनस आदि की संख्या पर निर्भर करते हुए प्रभावी दर निर्धारित करेगा।

6. पैनल बनाने/दरों के नियतन के संबंध में अन्य शर्तें:-

(क) चैनल इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना सही है और वे पैनल के संबंध में महानिदेशक, डीएवीपी के निर्णय का अनुपालन करेंगे। यदि चैनलों द्वारा प्रस्तुत सूचना को किसी भी रूप में गलत पाया जाता है तो पैनल से निलंबित और/या निकाला जा सकता है।

(ख) चैनल या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को अपनी स्वयं की लागत पर ईएसी के समक्ष प्रस्तुत करनी पड़ सकती है।

(ग) पैनल में शामिल होने की अवधि और दरें एक साल या नए पैनल एवं दरों के प्रभावी होने के समय तक, जो भी बाद में हो, वैध रहेंगी। तथापि, लगातार छह माह की अवधि तक टीएएम की दरों में 15% से अधिक परिवर्तन होने की स्थिति में डीएवीपी दरों की समीक्षा कर सकता है।

(घ) ईएसी नए आवेदनों पर विचार करने और समीक्षा करने के लिए वर्ष में केवल एक बार जून में अपनी बैठक करेगा।

(ङ) चैनल लिखित में इस बात से सहमत होंगे कि उनके द्वारा स्वीकृत दरें सबसे कम हैं और डीएवीपी के लिए अनन्य हैं और ये दरें किसी अन्य एजेंसी के लिए लागू नहीं की जा सकती हैं। यदि शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो डीएवीपी के पास इसकी समीक्षा करने का अधिकार सुरक्षित है।

(च) चैनलों को पैनल में शामिल करने और उनकी दरों तथा अन्य निबंधन शर्तों के संबंध में उपरोल्लिखित किसी भी प्रावधान के बावजूद महानिदेशक, डीएवीपी का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकर होगा।

7. स्पाट्स आदि जारी करना:-

(क) जैसे ही विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से विज्ञापन जारी करने के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त होगा वैसे ही डीएवीपी संदेश की विषय-वस्तु, लक्षित दर्शक/श्रोतागण और ग्राहक की आवश्यकताएं, कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् उपयुक्त मीडिया योजना तैयार करेगा। क्षेत्रीय चैनलों को पर्याप्त महत्व देने के प्रयास किए जाएंगे। मोटे तौर पर, मौद्रिक दृष्टि से विज्ञापनों का वितरण निम्नानुसार होगा:-

राष्ट्रीय चैनल: 70%

क्षेत्रीय चैनल: 30%

(ख) मीडिया योजना के संबंध में मंत्रालय/विभाग का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् विभिन्न टी वी/रेडियो चैनलों पर स्पाट जारी किए जाएंगे। विज्ञापन जारी करने से पूर्व डीएवीपी निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। ग्राहक मंत्रालय/विभाग प्राक्कलनों के आधार पर विज्ञापन जारी करने से 30 दिन के भीतर निधियां मुहैय्या कराएंगे।

(ग) डीएवीपी कोई विभागीय प्रभार नहीं लेगा। डीएवीपी चैनलों से प्राप्त 15% एजेंसी-कमीशन ग्राहक को मुहैय्या कराएगा।

8. बिलों का भुगतान:

प्रत्येक चैनल अभियान पूरे होने अथवा मासिक प्रसारण की अंतिम तारीख से 30 दिन के भीतर टेलीकास्ट/ब्राडकास्ट प्रमाण-पत्रों सहित सभी मायनों में पूर्ण अपने टेलीकास्ट/ब्राडकास्ट बिलों को प्रस्तुत करने के लिए उपकृत होगा। चैनलों द्वारा प्रस्तुत टेलीकास्ट/ब्राडकास्ट प्रमाण-पत्रों को टेलीकास्ट/ब्राडकास्ट को मुख्य साक्ष्य समझा जाएगा। तथापि, टीवी चैनलों के मामले में उनके द्वारा कवर किए जा रहे चैनलों के लिए अतिरिक्त समर्थक टेलीकास्ट प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए तीसरे पक्षकार मानीटरिंग सेवा नामत: टी ए एम (एडेक्स) की सेवाएं किराए पर ली जा सकती हैं। डीएवीपी बिलों के प्राप्त होने से 60 दिन के भीतर बिलों का भुगतान करने का हरसंभव प्रयास करेगा।

9. अधिक भुगतान की स्थिति में वसूली की जाएगी।

10. इस नीति को यथावश्यकतानुसार समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

11. यह नीति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

विवरण II

क्र.सं.	चैनल का नाम
1	2
1.	आज तक
2.	जी न्यूज
3.	इंडिया टी वी
4.	आवाज
5.	सी एन एन -आई बी एन
6.	स्टार प्लस
7.	सहारा वन
8.	ई टी सी
9.	चैनल 5

1	2
10.	जी सिनेमा
11.	एच बी ओ
12.	ए एक्स एन
13.	पोगो
14.	टून डिज्नी
15.	एनीमल प्लेनेट
16.	डिस्कवरी ट्रैवल एंड लिविंग
17.	हिस्ट्री चैनल
18.	सी एन एन साउथ एशिया
19.	सन टी वी
20.	सन म्यूजिक
21.	जैमिनी
22.	मा टी वी
23.	उदया टी वी
24.	सूर्या टी वी
25.	एशियानेट
26.	कैरिली
27.	जी रीजनल
28.	स्टार आनंदा
29.	जी पंजाबी
30.	एन ई टी वी
31.	चैनल सिटी
32.	एस-1
33.	रेडियो सिटी (दिल्ली, मुंबई, बंगलौर और लखनऊ)
34.	सूर्यन एफ एम (चैन्नई, कोयम्बटूर, तिरूनेल्वेली और विशाखापट्टनम)
35.	गो 92.5 एफ एम (मुम्बई)

1	2
36.	स्टार न्यूज
37.	जी बिजनेस
38.	चैनल 7
39.	एन डी टी वी प्राफिट
40.	एन डी टी वी 24 × 7
41.	सोनी टी वी
42.	स्टार वन
43.	जी म्यूजिक
44.	सेट मैक्स
45.	स्टार गोल्ड
46.	स्टार मूवीज
47.	जी स्टूडियो
48.	कार्टून नेटवर्क
49.	डिज्नी चैनल
50.	डिस्कवरी
51.	नेशनल ज्योग्राफिक चैनल
52.	संस्कार
53.	जी जागरण
54.	बीबीसी वर्ल्ड
55.	के टी वी
56.	स्टार विजय
57.	तेजा टी वी
58.	ई टी वी तेलुगु
59.	ऊषे टी वी
60.	किरण टी वी
61.	एशियानेट प्लस
62.	ई टी वी नेटवर्क (क्षेत्रीय)

1	2
63.	आकाश बंगला
64.	ई टी सी पंजाबी
65.	बल्ले बल्ले
66.	सहारा समय ग्रुप
67.	टोटल टी वी
68.	हंगामा
69.	रेड एफ एम (दिल्ली, मुम्बई और कोलकाता)
70.	रेडियो मिर्ची (दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, पुणे, इंदौर और अहमदाबाद)

विवरण III

हिन्दी न्यूज चैनल

चैनल का नाम	टी वी आर
आज तक	0.18
स्टार न्यूज	0.17
जी न्यूज	0.12
इंडिया टी वी	0.09
सहारा समय नेशनल	0.07
डीडी न्यूज	0.03

मास इंटरटेनमेंट चैनल

चैनल का नाम	टी वी आर
स्टार प्लस	1.30
सोनी टी वी	0.41
स्टार वन	0.30
सहारा वन	0.30
डीडी 1	0.16

चैनल का नाम	टी वी आर
मूवी चैनल	
मैक्स	0.68
जी सिनेमा	0.54
स्टार गोल्ड	0.37

[हिन्दी]

डा. अम्बेडकर पर फिल्म

3625. **श्री संजय धोत्रे:**
श्रीमती भावना पुंडलकिराव गवली:
श्री बापू हरी चौरे:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डा. अम्बेडकर के जीवन पर बनी फिल्म को देश में एक साथ नौ भाषाओं में प्रसारित किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसे किन-किन भाषाओं में डब किया गया है; और

(ग) इसे कब तक प्रसारित किये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (ग) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (भारत सरकार) और महाराष्ट्र सरकार ने एन.एफ.डी.सी. के कार्यकारी निर्माता होने के साथ ही डा. जब्बर पटेल द्वारा निर्देशित 'डा. बाबासाहेब अम्बेडकर', नामक एक फिल्म का संयुक्त रूप से निर्माण किया है। फिल्म को मूल रूप से अंग्रेजी में बनाया गया था और तत्पश्चात् हिन्दी, मराठी, गुजराती, बंगला, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उड़िया में उसकी डबिंग की गई। फिल्म को सात भाषाओं नामतः हिन्दी, मराठी, गुजराती, बंगला, पंजाबी, तमिल, तेलुगु में रिलीज किया गया हैं।

[अनुवाद]

अन्न भंडारण अनुसंधान केंद्र का बंद होना

3626. **श्री सुभाष महरिया:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उदयपुर, राजस्थान स्थित भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान की गतिविधियों को बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त संस्थान इस समय महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमपीयूएटी) द्वारा पट्टे पर दी गयी भूमि पर स्थित है;

(घ) यदि हां, तो क्या यह भूमि संस्थान को अभी हस्तांतरित नहीं की गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार उक्त भूमि के हस्तांतरण हेतु किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इसे कब तक हस्तांतरित किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, हां। योजना आयोग द्वारा 30.9.2002 के बाद योजना घटक को मंजूर न करने के कारण उदयपुर (राजस्थान) में स्थित भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान (आईजीएमआरआई) 01.10.2002 से बन्द कर दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) से (ज) भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान और महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमपीयूएटी), उदयपुर के बीच पट्टा करार के अनुसार सरकार ने निर्मित भवनों, विद्युत एवं जल इंस्टालेशनों सहित पट्टे वाली भूमि को 151.17 लाख रुपये, जोकि भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन एवं अनुसंधान द्वारा निर्मित भवनों आदि का लिखित वही मूल्य था, को प्राप्त करने के बाद एमपीयूएटी, उदयपुर से देने का निर्णय लिया। तदनुसार, विभाग ने एमपीयूएटी, उदयपुर से धनराशि का भुगतान करने का अनुरोध किया ताकि यह विभाग भूमि, भवन आदि उन्हें सौंप सके। एमपीयूएटी, उदयपुर ने दिनांक 12.12.2006 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि दो सप्ताह के भीतर भुगतान अवश्य कर दिया जाएगा। भुगतान प्राप्त होने के बाद एक माह के भीतर भूमि, भवन आदि एमपीयूएटी को सौंप दिया जाएगा।

[हिन्दी]

आकाशवाणी में घाटा

3627. डा. राजेश मिश्रा:
श्री अवतार सिंह भडाना:
श्री सज्जन कुमार:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पिछले कुछ वर्षों में आकाशवाणी के एफ.एम. के घटिया प्रबंधन और निगरानी के कारण करोड़ों रुपये का वित्तीय घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

गेहूं का आयात

3628. श्री राकेश सिंह: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में गेहूं का आयात किया गया है;

(ख) क्या फरवरी, 2006 के महीने में प्राप्त निविदाओं की तुलना में वर्तमान में आयात किए जाने वाले गेहूं के लिए उच्च मूल्यों वाली निविदाएं प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) भारतीय राज्य व्यापार निगम ने केन्द्रीय पूल के स्टाक के लिए 55 लाख टन गेहूं आयात करने हेतु संविदाओं को अंतिम रूप दे दिया है। 11.12.2006 तक विभिन्न भारतीय पत्तनों पर 38.21 लाख टन गेहूं पहुंच चुका है।

(ख) आयात किए गए गेहूं के संबंध में फरवरी, 2006 के महीने में प्राप्त हुई निविदाओं की तुलना में बाद में अधिक मूल्य के लिए निविदाएं प्राप्त हुई थीं।

(ग) पांच निविदाओं में अंतिम रूप दिए गए औसत मूल्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य बढ़ रहे थे।

विवरण

राज्य व्यापार निगम द्वारा 55 लाख टन गेहूं के आयात के निविदा-वार ब्यौरा का विवरण

क्र.सं.	निविदा संख्या	आपूर्तिकर्ताओं के ब्यौरे	कवर की गई मात्रा	जिस पत्तन पर सुपुर्दगी की गई	अमरीकी डालर में प्रति टन भारित औसत मूल्य सी एंड एफ
1.	एसटीसी/गेहूं/आई एमपी 1/2006 दिनांक 10.02.2006	एडब्ल्यूबी (जिनेवा) एसए	500,000	चेन्नई, तूतीकोरिन, कोचीन, विजाग	178.750
		उप जोड़	500,000		
2.	एसटीसी/गेहूं/आई एमपी 2/2006 दिनांक 08.05.06	एडब्ल्यूबी (जिनेवा) एसए एगरिको (स्वीटजरलैंड)	500,000 300,000	चेन्नई, विजाग, मुन्दरा	191.388
		उप जोड़	800,000		
3.	एसटीसी/गेहूं/आई एमपी 3/2006 दिनांक 12.06.06	एडीएम (अमरीका), कारगिल (जिनेवा), कोनकोरडिआ (सिंगापोर), ग्लेनकोर (नीदरलैंड), टोयफेर (सिंगापोर)	300,000 405,000 225,000 550,000 720,000	कांडला, मुम्बई, मुन्दरा	197.817
		उप जोड़	2,200,000		
4.	एसटीसी/गेहूं/आई एमपी 4/2006 दिनांक 27.07.06	एग्रीको (जिनेवा)	330,000	चेन्नई, विजाग, तूतीकोरिन, कोचीन	210.72
		उप जोड़	330,000		
5.	एसटीसी/गेहूं/आई एमपी 5/2006 दिनांक 30.08.06	कोनकोरडिया (सिंगापोर) ग्लेनकोर (नीदरलैंड) टोयफेर (सिंगापोर), एडब्ल्यूबी (जिनेवा) एसए	135,000 680,000 260,000 595,000	मुन्दरा, कांडला, विजाग, चेन्नई	228.94
		उप जोड़	1,670,000		
		सकल जोड़	5,500,000		

कुल खरीद के लिए भारित औसत 205.37 यू.एस. डालर प्रति टन

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं

3629. **डा. एम. जगन्नाथ:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने आंध्र प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण पर रोक लगा दी है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विज्ञापन में भेदभाव

3630. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:**
श्री सुनिल कुमार महतो:
श्री गिरिधारी यादव:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा विज्ञापनों के मामले में भेदभाव किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान और तत्पश्चात् सरकार को इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) उक्त शिकायतों के आधार पर कितने अधिकारियों को दोषी पाया गया और इस संबंध में अभी तक क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी, नहीं। तथापि, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय यह सुनिश्चित करता है कि विज्ञापनों की विषय-वस्तु पत्रकारिता मानदण्डों के अनुसार हो।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा पिछले तीन वर्षों में भेदभाव बरतने संबंधी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं की गयी हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हिरनों का भागना

3631. **श्री निखिल कुमार:**
श्री मोहन सिंह:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के प्राणी उद्यान में पांच सांबर हिरन अपने पिंजड़ों से भाग गए हैं जैसाकि दिनांक 16 नवम्बर, 2006 के "दि टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्राणी उद्यान प्राधिकारी प्राणी उद्यान के जानवरों को सही ढंग से नहीं रखते हैं;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राणी उद्यान प्राधिकारियों की उपेक्षा के कारण दिल्ली के प्राणी उद्यान में कितने जानवरों की मौतें हुई हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में प्राणी उद्यान के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) जी हां। वर्तमान में चिड़ियाघर में पशुओं के पिंजरों में नवीकरण कार्य चल रहा है। सांभर हिरणों और बेनटेंग के पिंजरों की साझी फेसिंग की भी मरम्मत हो रही थी। ठेकेदार की लापरवाही के कारण, बाड़ को उचित तरह से लगाया नहीं गया था, जिसके कारण 11/12 नवम्बर, 2006 की रात में बेटांग के बाड़े के रास्ते से सांभर हिरण अपने बाड़े से बाहर आ गये थे। तथापि, 12 नवम्बर, 2006 की सुबह जब पशुओं को बाहर देखा गया था तो सभी सांभर हिरणों को उनके बाड़े में वापिस ले जाया गया था।

(ग) चिड़ियाघर के स्टाफ द्वारा चिड़ियाघर के पशुओं के रखरखाव में कोई लापरवाही नहीं बरती गई है लेकिन ऐसे एक-दो मामले होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

(घ) और (ङ) गत 3 वर्षों में, चिड़ियाघर के स्टाफ की लापरवाही के कारण 2 जगुआर शावकों की मौत की केवल एक घटना 31.3.2006 को हुई थी। इस मामले में, संबंधित सहायक कीपर को निलंबन के तहत रखा गया है और उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में और पशु रखरखाव के बारे में जू कीपरों को बेस्ट प्रैक्टीस से अद्यतन कराने के लिए चिड़ियाघर परिसर में एक कार्यशाला और गोष्ठी आयोजित की गई थी।

[हिन्दी]

मदर डेयरी के फलों और सब्जियों के संयंत्र

3632. श्री रामदास आठवले: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में वर्तमान में कार्य कर रहे मदर डेयरी के फलों और सब्जियों के संयंत्रों का ब्यौरा क्या है और ये संयंत्र किन-किन स्थानों पर स्थिति हैं;

(ख) इन संयंत्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्ग सहित कार्यरत कर्मचारियों का संयंत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन संयंत्रों में आरक्षण संबंधी बनाए गए मानदंडों का अनुपालन किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन संयंत्रों में आरक्षित पदों की रिक्तियों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) मदर डेयरी, दिल्ली की फल एवं सब्जी यूनिट मंगोलपुरी में स्थित है।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित कर्मचारियों का वर्ग-वार ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ग	कर्मचारियों की संख्या
अनुसूचित जाति	47
अनुसूचित जनजाति	4
अन्य पिछड़ा वर्ग	15
अन्य	397

(ग) और (घ) आरक्षण नीति के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।

(ङ) विशेष भर्ती अभियान सहित आरक्षित वर्ग से संबंधित रिक्त पदों को भरने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

[अनुवाद]

कृषि वस्तुओं का मानकीकरण

3633. श्रीमती जयाप्रदा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि वस्तुओं के मानकीकरण की सुविधा के लिए गठित की गई विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस रिपोर्ट के कब तक सौंपे जाने की संभावना है;

(घ) क्या कोडक्स मानकों को लागू किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) कृषि जिंसों के मानकीकरण में मदद के लिये कृषि मंत्रालय ने किसी विशेषज्ञ समिति का गठन नहीं किया है। हालांकि उपभोक्ता मामले विभाग ने कृषि जिंसों के मानकीकरण और ग्रेडिंग के लिए एक कार्यदल का गठन किया है जिसका कार्य ऐसी प्रमुख कृषि जिंसों को अभिज्ञात करना है जो कि भावी व्यापार और मूल्य, दोनों ही दृष्टि से उच्च प्राथमिकता वाली हों और इन जिंसों को घरेलू मानक को बढ़ाकर सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय मानक के स्तर तक लाना है। इस कार्यदल में कृषि एवं सहकारिता विभाग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, भारतीय मानक ब्यूरो फार्वर्ड मार्केट्स कमीशन के प्रतिनिधि, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार और तीन मल्टी कमोडिटी एक्सचेन्जेस के प्रतिनिधि होंगे।

(ख) और (ग) इस कार्यकारी दल को अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। हालांकि इस कार्यकारी दल ने अपनी दो बैठकों में भावी व्यापार और मूल्य मानीटरिंग के आधार पर 31 कृषि

जिंसों को अभिज्ञात किया है। विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, फरीदाबाद, जो कि इस मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है, से कहा गया है कि वह 25 जिंसों के मानदण्ड को अद्यतन/हार्मोनाइज करे और चार जिन्सों के मानदण्ड को हार्मोनाइज करे। भारतीय मानक ब्यूरो ने 6 जिंसों के मानदण्ड को अद्यतन/हार्मोनाइज किया है।

(घ) और (ङ) कोडेक्स एलीमेन्टेरियस कमीशन ने कुछ कृषि जिंसों के मानदण्ड को निर्धारित किया है। ये मानदण्ड सदस्य देशों के लिये सलाहकारी प्रकृति के हैं। कृषि जिंसों के मानदंडों को तैयार/संशोधित करते समय कोडेक्स मानदण्ड पर विचार किया जाता है। मनदण्डों को निर्धारित करते समय भारतीय उत्पादों के प्राकृतिक गुणवत्ता पर विचार किया जाता है।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बाजार में कपास की गांठें

3634. श्री शिशुपाल पटले:
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान बाजार में आने वाली कापास की गांठों की संख्या में वृद्धि होने की आशा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) कुछ राज्यों में कपास की फसल प्रभावित हुई है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी हां, भारतीय कपास निगम से उपलब्ध सूचना के अनुसार, बाजार में आने वाली कपास गांठों की संख्या में गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान वृद्धि होने की प्रत्याशा है। आगम में वृद्धि कपास संबंध प्रौद्योगिकी मिशन, आधुनिक बीज प्रदान करना तथा किसानों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि के कारण है। 19 दिसम्बर, 2006 तक, लगभग 73.80 लाख गांठें जो गत वर्ष की इसी अवधि से लगभग 19% अधिक है, पहले ही विभिन्न बाजारों में आ चुकी हैं। राज्यवार आगमन निम्न प्रकार है:—

राज्यवार आगमन राज्य	(लाख गांठों में) 2006-07
पंजाब	13.30
हरियाणा	6.30
राजस्थान	3.40
गुजरात	22.50
महाराष्ट्र	12.50
मध्य प्रदेश	4.80
आंध्र प्रदेश	7.00
कर्नाटक	1.40
तमिलनाडु	0.25
अन्य	0.35
जमा खुली लिंट	2.00
कुल	73.80

(ग) जी हां। माह जुलाई तथा अगस्त, 2006 के दौरान अभूतपूर्व भारी वर्षा से बाढ़ आने के कारण, कपास की फसल पर कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एवं तमिलनाडु के कुछ जिले प्रभावित हुए हैं।

(घ) और (ङ) प्राकृतिक आपदाओं के मौके पर प्रभावित राज्यों को दो स्कीमों नामत: आपदा राहत निधि (सी.आर.एफ.) तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि (एन.सी.एफ.सी.) के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित, प्रत्येक राज्य को एक आपदा राहत निधि खाता खोलने की आवश्यकता होती है तथा वित्त आयोग के अनुदान के अनुसार एक निश्चित राशि आबंटित की जाती है। आपदा राहत निधि का संग्रह भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के द्वारा 75:25 के अनुपात में दिया जाता है। राज्यों को केन्द्रीय अंशदान दो बराबर किश्तों में, पहला जून में तथा दूसरा दिसम्बर में जारी किया जाता है। संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नियमों एवं शर्तों के अनुसार, आपदा राहत निधि संचालित करने की पूरी शक्ति होती

है। वर्तमान मापदंडों के साथ प्रभावित किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान के लिए कृषि निवेश वित्तीय सहायता के रूप में सहायता प्रदान करते हैं। गम्भीर रूप से आपदा के समय एन.सी.सी.एफ. द्वारा अतिरिक्त सहायता दी जाती है। इसके अलावा किसानों को उत्पादन में हानि के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम के माध्यम से प्रतिपूर्ति की जाती है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को राहत देने के लिए स्थायी मार्गदर्शन जारी किए हैं। एक समान तथा क्रम से सामंजस्य कार्यवाही करने विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बैंकों को ये मार्गदर्शन जारी किए गए हैं।

[अनुवाद]

मौंट्रियल प्रोटोकाल

3635. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में मौंट्रियल प्रोटोकाल के संबंध में कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन पक्षों ने भाग लिया और इसमें जिन मुद्दों पर चर्चा की गई उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने इस बैठक में व्यापार और पर्यावरण के उपयोग से संबंधित पहलुओं पर आपत्तियां उठाई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसमें किन उद्देश्यों को प्राप्त किया गया और इस बैठक में क्या अंतिम निर्णय लिया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) और (ख) ओजोन परत का ह्रास करने वाले पदार्थों पर मौंट्रियल प्रोटोकाल के पक्षकारों की 18वीं बैठक 30 अक्तूबर से 3 नवम्बर, 2006 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी जिसमें 132 देशों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। पक्षकारों की बैठक ने वैज्ञानिक आकलन पैनल, पर्यावरण प्रभाव आकलन पैनल और प्रौद्योगिक तथा आर्थिक आकलन पैनल पर विचार किया और छत्तीस निर्णय लिए।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रधानमंत्री द्वारा उच्च स्तर पर दिया गया वक्तव्य विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ङ) लिए गए निर्णयों का पाठ विवरण-II के रूप में संलग्न है।

विवरण I

मान्ट्रियल समझौते के देशों की 18वीं उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री का भाषण

मैं आपकी इस बैठक में आकर बहुत प्रसन्न हूं। भारत की जनता और सरकार तथा अपनी ओर से मैं मान्ट्रियल समझौते के देशों की 18वीं बैठक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि एक उद्देश्यपूर्ण और उपयोगी सम्मेलन के लिए हमने आपको अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया है।

हमारे पर्यावरण की सुरक्षा की चुनौती के प्रति भारत के दृष्टिकोण को हमारी पूर्व प्रधानमंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी की प्रबुद्ध और दूरदर्शी टिप्पणियों ने सही रूप दिया था जो उन्होंने कहा था 1972 में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के अवसर पर की थी। उन्होंने कहा कि गरीबी प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है।

ऐसा कह कर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संबंध पर एक विश्वव्यापी बहस छेड़ दी थी। उसके बाद से निरन्तर विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई बहु-पक्षीय समझौते हैं और संस्थाएं बनी हैं।

इंदिरा गांधी का यही नजरिया, हमारी अपनी पर्यावरण नीति को परिभाषित करता है, जिसे हमने इस वर्ष के शुरू में स्वीकार किया है। हमारी नीति कहती है कि जहां पर्यावरण साधनों का संरक्षण रोजगार जुटाने और सभी के कल्याण के लिए जरूरी है, वही संरक्षण का सबसे विश्वसनीय आधार यह है कि जो लोग किसी विशेष साधन पर निर्भर हैं, वे उस साधन के संरक्षण से बेहतर रोजगार प्राप्त करें, न कि उसे नुकसान पहुंचा कर।

लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाना सभी नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करना, सभी को रोजगार उपलब्ध कराना और फिर भी निरन्तर विकास के ऐसे रास्ते पर चलते रहना, जिससे हमारी सांझी प्राकृतिक विरासत की रक्षा और संरक्षण हो—यही समूची मानव जाति के सामने चुनौती है।

1972 के बाद से भारत ने पर्यावरण संबंधी सभी प्रमुख गतिविधियों में भाग लिया है। हमने पर्यावरण मुद्दों से संबंधित कई

महत्वपूर्ण बहु-पक्षीय समझौतों में योगदान दिया है और उनकी पुष्टि की है, जिनमें पर्यावरण संबंधी समस्याओं के सीमा-रहित विश्वव्यापी स्वरूप तथा दीर्घावधि विकास पर पड़ने वाले इनके प्रभाव की बात कही गई है। हमने पर्यावरण सयोग के लिए कई क्षेत्रीय और द्विपक्षीय कार्यक्रमों में भी भाग लिया है। पर्यावरण ऐसा विषय है, जो सम्पूर्ण मानव जाति को एक सूत्र में बांधता है, क्योंकि पूरी मानव जाति का एक सांझा पर्यावरण है। हम अन्य विकासशील देशों को विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षमता निर्माण के लिए सहायता देते हैं। हम अन्य देशों की इस बात के लिए सहायता करते हैं कि वे विभिन्न क्षेत्रीय पर्यावरण संधियों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें।

राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने निरन्तर विकास के मुद्दों पर ध्यान देने के लिए नीतियों, नियमों, कार्यक्रमों और वैज्ञानिक क्षमता की प्रभावी व्यवस्था की है। लगता है निरन्तर विकास के लिए हमारी राष्ट्रीय प्रयासों का हमारी विकास प्रक्रिया पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है। जहां औद्योगिक देशों में खरीद शक्ति की दृष्टि से 6000-8000 डालर प्रति व्यक्ति आय के बाद पर्यावरण संबंधी प्रमुख प्रतिमानों ने गिरना बन्द किया, वहीं भारत में खरीद शक्ति की दृष्टि से 2000 डालर प्रति व्यक्ति आय पर ही गिरावट की यह प्रक्रिया पलट गई। यह उपलब्धि किसी भी दृष्टि से छोटी नहीं है।

ओजोन परत की क्षति पिछले कुछ दशकों में पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण विश्वव्यापी चिन्ता के रूप में सामने आई है। 1985 में वियना सम्मेलन में, ओजोन परत और ओजोन को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों के प्रभाव के संबंध में अनुसंधान के बारे में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए व्यवस्था बनाई थी। उसके बाद ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों के बारे में 16 सितम्बर, 1987 को मान्ट्रियल समझौता हुआ। यह एक अनिवार्य बहु-पक्षीय संधि थी, जिसका उद्देश्य विश्व में ओजोन को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों के उत्सर्जन को कम करके पूर्व निर्धारित स्तर तक लाना था। लेकिन विकासशील देशों ने इसकी पुष्टि में कोई जल्दी तब तक नहीं दिखाई, जब तक 1990 में लन्दन में समझौते में संशोधन नहीं हो गया।

हम समझते हैं कि ओजोन को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से कम करने की विश्वव्यापी योजना को लागू करने में समझौता कामयाब रहा है। कुल मिलाकर ऐसे पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के राष्ट्रीय कार्य और कार्यवाही योजनाओं पर अमल हुआ है। भारत ने बिना किसी अपवाद के इस समझौते के अंतर्गत अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा किया है। वास्तव में हमने अन्य सभी बहु-पक्षीय पर्यावरण समझौतों के मामले में भी ऐसा ही किया है, जिनमें हम शामिल हैं। यह कार्य निश्चित समय सीमा के अन्दर हुआ है और कुछ मामलों में समय से पहले भी पूरा हुआ है।

इस क्षेत्र में हमारी सफलता के क्या कारण हैं। विश्व व्यापी पर्यावरण पर अन्य बहुपक्षीय समझौतों के प्रारूप के लिए हमारे अनुभव का क्या योगदान है?

पहला, सन्धि से पहले समस्या के कारणों, समस्या के लिए जिम्मेदार पहलुओं, प्रदूषण को समाप्त करने के लिए उचित लागत पर टैक्नोलाजी की उपलब्धता और इस समस्या से निपटने के लिए आवश्यक साधनों से संबंधित पर्याप्त जानकारी के बारे में सशक्त वैज्ञानिक आम सहमति हुई थी।

दूसरा, लन्दन में हुए संशोधन के रूप में सामने आया, जो बहुत महत्वपूर्ण है। यह कि ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों के मामले में विकसित और विकासशील देशों के बीच प्रति व्यक्ति आधार एक जैसे हो गए।

तीसरा, विकासशील देशों को दी जाने वाली टैक्नोलाजी और टैक्नोलाजी में होने वाले परिवर्तनों की बढ़ती लागत से निपटने के लिए स्पष्ट वित्तीय प्रबंधों की व्यवस्था। ये योगदान आम तौर पर वैसे ही हैं, जो एक समान किन्तु अन्तर वाले दायित्व और क्षमताओं के सिद्धान्त से मेल खाते हैं और विकसित देशों की ओर से अंशदान स्वैच्छिक हैं।

लेकिन विकासशील देशों में निरन्तर विकास के व्यापक लक्ष्यों की प्राप्ति की दृष्टि से समझौते में कुछ बेहतर व्यवस्था हो सकती थी, जो कि बहु-पक्षीय पर्यावरण समझौते का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए।

मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टैक्नोलाजी का हस्तान्तरण कोई खास नहीं हुआ है। मैं टैक्नोलाजी सहित बड़े उपकरणों की खरीद के मामलों का जिक्र नहीं कर रहा हूं, जिनके साथ उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण भी जुड़ा होता है, बल्कि मैं विकसित देशों में क्षमता का विकास किए जाने के बारे में बात कर रहा हूं, जिससे कि वे अपनी आवश्यकतानुसार उपकरणों का निर्माण कर सकें और उनका विकास कर सकें।

समझौते में एक व्यवस्था चिन्ता का विषय है, जिसमें समझौते का परिपालन सुनिश्चित करने के लिए व्यापार पाबंदियों के इस्तेमाल की बात कही गई है। जिसमें समझौते का परिपालन सुनिश्चित करने के लिए व्यापार पाबंदियों के इस्तेमाल की बात कही गई है। मैं समझता हूं कि बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों में शामिल सभी पक्षों को अपने वायदों को जरूर पूरा करना सुनिश्चित किया जाना

चाहिए। लेकिन व्यापार पाबंदियों का इस्तेमाल उचित नहीं है। ऐसी पाबंदियों से आर्थिक विकास की संभावनाओं और गरीबी उन्मूलन के प्रयासों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। समझौते के परिपालन पर नजर रखते हुए हमें और अधिक सृजनशील होने की जरूरत है, लेकिन हमारे प्रयासों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

पर्यावरण संधियों के माध्यम से व्यापारिक लाभ नहीं उठाए जाने चाहिए। नहीं तो विश्व व्यापार संगठन की जटिल वार्ताओं के बाद विकासशील देशों को जो लाभ मिले हैं, वे व्यर्थ हो जाएंगे। गरीबी उन्मूलन के लिए बहु-पक्षीय और द्विपक्षीय साधनों से जो आर्थिक सहायता दी जाती है, उनमें पर्यावरण उद्देश्यों को पूरा करने के नाम पर कटौती नहीं होनी चाहिए, जिनका उनसे कोई संबंध नहीं है। बल्कि सहमत पर्यावरण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक आर्थिक और टैक्नोलाजिकल संसाधनों को अतिरिक्त संसाधन मानना चाहिए, जिससे कि साथ-साथ आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन की नीतियां भी चलती रहें। और यह सब सुचारू व्यवस्थाओं के जरिए कुशलतापूर्वक किया जाना चाहिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप वैश्विक पर्यावरण एजेंडे को इन बातों का ध्यान में रखते हुए देखें।

भारत एक बहु-संस्कृतियों, बहु-धर्मों और बहु-जातियों वाला एक अरब से भी ज्यादा लोगों का देश है, जो एक ऐसे खुले समाज और मुक्त अर्थव्यवस्था के दायरे में अपनी उन्नति के लिए कोशिश करते हैं, जहां सभी मूलभूत मानव अधिकारों के प्रति सम्मान की भावना है, और कानून का शासन है। मैं समझता हूं, लोकतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में राष्ट्र निर्माण के हमारे प्रयोग की सफलता मानव जाति के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम पर्यावरण की रक्षा के साथ-साथ गरीबी समाप्त करने और सभी को उपयोगी रोजगार दिलाने में कामयाब रहें, तो हम निरन्तर विकास का नया रास्ता दिखा सकते हैं। इसलिए, यह जरूरी है कि हम अपनी आर्थिक विकास की प्रक्रिया को और अधिक समग्र बनाएं, वैश्विकरण की प्रक्रियाओं को और अधिक समेकित करें तथा अपने समाजों और राजनीतिक व्यवस्थाओं को और अधिक समेकित करें। मेरा विश्वास है कि ऐसा करके हम मानव जाति और प्रकृति के बीच हमेशा के लिए सामंजस्य सुनिश्चित कर सकेंगे।

मुझे पूरी उम्मीद है कि निरन्तर विकास के हमारे मुख्य सिद्धान्त, विभिन्न पक्षों की इस बैठक में वार्ताओं के दौरान सांझी समस्याओं के निपटान के लिए ऐसे सर्वसम्मत उपाय ढूंढने में सहायक होंगे, जो मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैंने शुरू में कहा था कि पर्यावरण संबंधी चिन्ताओं ने पूरी मानव जाति को एक कर दिया है। मेरी कामना है कि आप अपनी बातचीत में सफल हों। आपके निष्कर्षों का इस 21वीं शताब्दी में, जिसमें हम रह रहे हैं, मानव जाति के भावी विकास के लिए बहुत महत्व है।

विवरण II

भाग-2 उच्चस्तर बैठक

1. उच्च स्तरीय बैठक का उद्घाटन

160. पक्षकारों की उच्च स्तरीय बैठक 2 और 3 नवम्बर, 2006 को हुई थी और इसका उद्घाटन भारत के प्रधान मंत्री श्री मनमोहन सिंह ने 2 नवंबर, वीरवार को सुबह 10.20 बजे किया था।

161. उद्घाटन भाषण श्री सिंह, श्री ए. राजा, पर्यावरण एवं वन मंत्री, श्री शफकत ककरवील, डिप्टी एग्जीक्यूटिव निदेशक, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम द्वारा किया गया था इन्होंने श्री अचीम स्टीनर एग्जीक्यूटिव निदेशक यू एन ई पी की ओर से भाषण दिया था और श्री एलिस मुलुगंला मांट्रियल प्रोटोकाल के पक्षकारों की 18वीं बैठक के ब्यूरो के अध्यक्ष ने किया।

(क) भारत सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा स्वागत

162. अपने देश में सभी का स्वागत करते हुए श्री सिंह ने इंदिरा गांधी की प्रसिद्ध टिप्पणी कि जनसंख्या गरीबी का सबसे खराब स्वरूप है जिसे उन्होंने गरीबी उन्मूलन, आर्थिक वृद्धि पर्यावरणीय संरक्षण के बीच संबंधों पर वैश्विक चर्चा को शुरू किया जो विश्व के सामान्य प्राकृतिक धरोहर को बचाने के लोगों को गरीबी से बचाने की आवश्यकता की पहचान है। इसे ध्यान में रखते हुए भारत ने 1972 से अनेक पर्यावरणीय कानूनों में सुधार किया है और अनेक क्षेत्रीय सहयोग और आपसी सहायता कार्यक्रमों में भाग लिया है। अपने देश में भारत ने सतत विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपायों के प्रति व्यक्ति आय के निम्न स्तर को बिगड़ती स्थिति को सुधारने में सफलता प्राप्त की है।

163. ओजोन परत संरक्षण के क्षेत्र में पुरानी बातों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने प्रोटोकाल और अन्य बहुद्देशीय पर्यावरणीय समझौतों के अंतर्गत अपने सभी दायित्वों को पूरा किया है और कभी-कभी इससे अधिक किया है। प्रोटोकाल की सफलता कठोर वैज्ञानिक सहमति, समस्या की जिम्मेदारी के प्रति स्पष्टता, सही कीमत पर कमी करने की प्रौद्योगिकियों का उपलब्ध होना दोनों विकासशील और विकसित देशों के लिए समान प्रति व्यक्ति उपलब्धियों को लन्दन संशोधन के माध्यम से लागू करना, समान

परन्तु भिन्न जिम्मेदारियों के समान सिद्धान्त के साथ विकासशील देशों की बढ़ती लागत को पूरा करने के लिए वित्तीय व्यवस्थाएं, अभी भी सुधार के लिए गुंजाइश है। इसके अलावा विकासशील देशों के लिए क्षमता निर्माण की आवश्यकता है जैसा कि गहन प्रौद्योगिकी अंतरण विशेष रूप से ऐसे देशों को पूंजीगत उपस्कर उत्पादन में सक्षम बनाना है। फिर भी कुछ अप्रत्याशित आपत्तियों को दूर करना है जैसा कि अनुपालन को लागू करने के लिए व्यापार प्रतिबंध का प्रयोग जो कि अवांछनीय था जिसका आर्थिक वृद्धि और गरीबी उन्मूलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए पहुंच की आवश्यकता थी जिसे बेहतर परीक्षित तंत्र के माध्यम से गरीबी उन्मूलन के निर्धारित तंत्र से आगे प्रदान किया जा सकता है।

164. भाषण समाप्त करते हुए उन्होंने कहा कि यदि भारत एक मुक्त लोकतांत्रिक समाज जो मानव अधिकारों, कानूनी नियमों और पर्यावरण की रक्षा करता है, तो यह गरीबी को समाप्त कर सकता है। यह सतत विकास के लिए एक नए मार्ग का प्रदर्शन करेगा। यद्यपि आर्थिक, विश्व समाज और भद्र समाज के लिए इसमें और अधिक शामिल होना आवश्यक होगा। प्रोटोकाल के अत्यधिक वैश्विक महत्व को देखते हुए उन्होंने विश्व की एक आपसी समस्या से निपटने के लिए पक्षकारों की आपसी सहमति की मांग की है।

165. श्री राजी ने नई दिल्ली में बैठक में भाग लेने वाली प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मानट्रियल प्रोटोकाल वर्ष 2010 तक चरणबद्ध रूप से समाप्त किए जाने वाले अधिकार ओजोन ह्रास पदार्थों का अनुपालन अग्रिम चरण में है और इसके उपबंधों के अनुपालन के संबंध में भारत द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने प्रोटोकाल की प्रथम समझौते के रूप में सराहना की। जिसके द्वारा विकसित और विकासशील देशों ने विभिन्न क्षमताओं और जिम्मेदारियों के बावजूद लगान समान आधार पर निश्चित वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए पक्ष में कदम उठाए हैं और कहा कि इसका कार्यान्वयन चुनौती भरे अन्य वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों से कैसे निपटा जाए इसके लिए महत्वपूर्ण सीख प्रदान करते है। निर्णयों पर पक्षकारों द्वारा विचार किया जाना महत्वपूर्ण है और संभावित विवाद दिए हैं कि उनका पर्यावरणीय और आर्थिक प्रभाव होगा परन्तु विश्वास जताया कि पक्षकारों की बैठक में सहयोग की भावना सदा बनी रही जिससे सफल परिणाम निश्चित रूप से प्राप्त होंगे।

166. श्री नमो नारायन मीना, भारत के पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पक्षकारों की अठारहवीं बैठक को संभव बनाने के लिए किए गए सहयोग के लिए सभी को धन्यवाद दिया।

ख. यूनाइटेड नेशन्स एन्वायरमेंट प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव निदेशक का वक्तव्य

167. श्री ककरवील ने श्री अचीम स्टीनर, यूएनईपी के एग्जीक्यूटिव निदेशक की ओर से भारत के प्रधान मंत्री और उनकी सरकार को उत्तम मेहमानवाजी के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मांट्रियल प्रोटोकाल विश्व एकता को और समान सिद्धांतों परन्तु विभिन्न जिम्मेदारियों को लागू करने का उज्ज्वल उदाहरण है। मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे से निपटने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सुविधाएं प्रदान करना और मार्गदर्शी कार्रवाई करने के प्रशंसनीय उदाहरण हैं। प्रोटोकाल की सफलता इसके आकलन पैनल के कार्यों और बहुद्देशीय निधि और न्याय निधि तंत्र द्वारा उपलब्ध करवाई गई निधि के साथ ही साथ उद्योगों की ओजोन परत का ह्रास करने वाले पदार्थों के लिए वहनीय वैकल्पिक उपकरण उपलब्ध करवा कर संभव हो पाया है। प्रोटोकाल के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पक्षकारों द्वारा लगातार और दृढ़संकल्प प्रयास किए जाने अपेक्षित हैं और साथ ही अन्यों, आगे आने वाली चुनौतियों से जूझना है। इन चुनौतियों में क्वारनटाइन और प्रीशिपमेंट अनुप्रयोगों में मिथायल ब्रोमाइट का प्रयोग और ओजोन समझौतों में समय और पूरे सहयोग की आवश्यकता, ट्रस्ट निधि तथा ओजोन का ह्रास करने वाले पदार्थों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के प्रयासों को लागू करना शामिल है। इसके लिए विकासशील देशों और पारगमन अर्थव्यवस्था वाले देशों को क्षमता निर्माण कार्य करने की आवश्यकता है। पक्षकारों से प्रोटोकाल को पूरी तरह से लागू करने के अपने संकल्प को बनाए रखने के आह्वान के साथ अपनी सोच को बनाए रखने की सफलता की कामना की।

ग. मांट्रियल प्रोटोकाल के पक्षकारों की अठारहवीं बैठक के अध्यक्ष का वक्तव्य

168. श्री मुलुंगला ने भारत सरकार को बैठक के आयोजन के लिए धन्यवाद दिया और पर्यावरण के संरक्षण और मांट्रियल प्रोटोकाल के कार्यान्वयन के लिए किए गए भारत के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने बताया कि मांटीनिगरी अभी हाल ही में प्रोटोकाल का 191वां पक्षकार बना है इसे प्रोत्साहन की निशानी बताते हुए कि यूनिवर्सल सदस्यता को शीघ्र ही प्राप्त कर लिया जाएगा और जो ओजोन परत के बचाव की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की वचनबद्धता है। उन्होंने प्रोटोकाल के अंतर्गत सभी पक्षकारों को उनके दायित्वों के निर्वहन के प्रयासों के लिए बधाई दी और कार्य पूरा होने तक अपने दृढ़ निश्चय को बनाए रखने का आह्वान किया।

2. संगठनात्मक मामले

(क) मांट्रियल प्रोटोकाल के पक्षकारों की अठारहवीं बैठक के लिए अधिकारियों का चुनाव

169. उच्च स्तरीय बैठक के प्रथम सत्र में प्रक्रिया की नियमावली के नियम 21 के पैराग्राफ 1 के अनुसार मांट्रियल प्रोटोकाल के पक्षकारों की अठारहवीं बैठक के ब्यूरो की घोषणा द्वारा निम्नलिखित अफसरों का चयन किया गया था:—

अध्यक्ष	श्री ऐलिस मुलुगंला (डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ कांगो) (अफ्रीकन ग्रुप)
उपाध्यक्ष	श्री फैजल सलेह हयात (पाकिस्तान) (एशियन एंड पैसिफिक ग्रुप) श्री एवजिनी पोर्शकोव (रशियन फिड्रेशन) (इस्टर्न यूरोपियन ग्रुप) श्री जुआन फिलको (डोमिनिकन रिपब्लिक) (लैटिन अमेरिकन एंड कैरबीयन ग्रुप)
रैपोटियर	श्री पोल कर्जलिक (आस्ट्रिया) (वैस्टर्न यूरोपियन एंड अदर ग्रुप)

XVIII/36 निर्णय का एनेक्स

मांट्रियल प्रोटोकाल, नेरोबी, केन्या द्वारा सामना किए जाने वाली मुख्य भावी चुनौतियों पर एक वार्ता के लिए कार्य सूची

दिन 1.

स्वागत/प्रस्तावना

प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा भाषण

मांट्रियल प्रोटोकाल (ओजोन सचिवालय की मुख्य उपलब्धियों का सारांश)

प्रश्न/ओजोन सचिवालय द्वारा प्रस्तुत सारांश की चर्चा

भोज

ओजोन लेयर की स्थिति की वैज्ञानिक आकलन, विश्लेषण और मांट्रिंग से संबंधित भावी चुनौतियां एचसीएफसी को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने में चुनौतियां। खुली चर्चा एचसीएफसी के अलावा ओजोन ह्रास पदार्थों के भावी प्रबंधन, नियंत्रण और/या समयबद्ध रूप से समाप्त करने से संबंधित मुख्य भावी नीति चुनौतियां

दिन 2

वर्ष 2010 के बाद अनुपालन बनाए रखने, प्रवर्तन बनाए रखना और अवैध व्यापार से निपटने से संबंधित मामले

भोज

मांट्रियल प्रोटोकाल का अन्य बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौतों और प्रक्रियाओं के साथ सहयोग और समन्वय में सुधार

वर्ष 2010 के बाद बहुपक्षीय कोष का भविष्य

पक्षकारों की बैठक, आकलन पैनलों, कार्यान्वयन समिति और ओजोन सचिवालय से संबंधित मामलों सहित मांट्रियल प्रोटोकाल से संबंधित प्रशासनिक और संस्थानात्मक मामले

निष्कर्षों का सारांश

निर्णय XVIII/37 मांट्रियल प्रोटोकाल के पक्षकारों की उन्नीसवीं बैठक

मांट्रियल प्रोटोकाल के पक्षकारों की उन्नीसवीं बैठक 17 से 21 सितम्बर, 2007 को मांट्रियल, कनाडा में आयोजित की जाएगी।

निर्णय लेते समय की गई टिप्पणियां

222. आवश्यक प्रयोग से छूट के निर्णय पर बोलते हुए रूसी फेडरेशन के प्रतिनिधि ने चिंता व्यक्त की कि मीटरड-डोज इन्हेल पर निर्णय XVII/5 के निर्णय के अंतर्गत 2007 के लिए रूस फेडरेशन को मंजूर आवश्यक प्रयोग अधिकरण अवैध हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव सचिव ने स्पष्ट किया कि निर्णय XVII/5 अभी वैध है और वर्तमान बैठक में मीटरड-डोज इन्हेलर पर अपनाया गया निर्णय XVII/5 का निर्णय पूर्व की तारीख से प्रभावी नहीं होगा।

223. यूरोपियन समुदाय के प्रतिनिधि ने समुदाय और इसके सदस्य स्टेटस की ओर से बोलते हुए मिथाइल ब्रोमाइड के महत्वपूर्ण प्रयोग से छूट के निर्णय पर टिप्पणी की। उन्होंने मिथाइल ब्रोमाइड तकनोकी विकल्प समिति को उसके महत्वपूर्ण कार्य के लिए धन्यवाद दिया और विश्वास दिलाया कि इसकी सिफारिशें 2007 और 2008 के लिए महत्वपूर्ण प्रयोग छूट के लिए एक निश्चित आधार उपलब्ध करवाता है। समिति की सिफारिशें समुदाय और इसके सदस्य स्टेटस को मान्य थी जिसमें से कुछ ने समिति की सिफारिशों से काफी कम राशि को पहले ही स्वीकार कर लिया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वह अन्य नामांकित पक्षकारों को भी स्वीकार्य मानेंगे परन्तु पक्षकार बैठक को सफल निर्णय लेने के

उद्देश्य के साथ समझौता करने के लिए तैयार है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि निर्णय निकट भविष्य में मिथाइल ब्रोमाइड के महत्वपूर्ण प्रयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए सभी पक्षकारों को सहायता प्रदान करेगा और साथ ही यह घरेलू प्रयोग के लिए लाइसेंस युक्त मिथाइल ब्रोमाइड की मात्रा को कम करने में भी सहायता मिलेगी।

224. संयुक्त राष्ट्र अमरीका के प्रतिनिधि ने कहा कि उनका शिष्टमंडल ओजोन ह्रास पदार्थों के सभी गैर-महत्वपूर्ण प्रयोग को कम करने और समाप्त करने के मांट्रियल प्रोटोकाल के उद्देश्यों से सहमत है। उन्होंने कहा कि प्रोटोकाल का यह आशय नहीं था और न ही पक्षकारों का पदार्थ के प्रयोग को समाप्त करने का आशय हो सकता है जिसके लिए कोई तकनीकी विकल्प और आर्थिक व्यवहार्यता अभी नहीं है। निर्णय IX/6 के संदर्भ में यूनाइटेड स्टेटस ने 2005 से पूर्व मिथाइल ब्रोमाइड के स्टाक को कम करने और समाप्त करने की मांग की है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के संदर्भ में उनकी सरकार की पूर्व-उपलब्ध स्टाक को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के अपने प्रयासों को बढ़ाने की भावना है।

225. स्विटजरलैंड के प्रतिनिधि ने मिथाइल ब्रोमाइड तकनीकी विकल्प समिति आर्थिक आकलन पैनल के कार्य के प्रति विश्वास जताया है। उन्होंने पक्षकारों द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़ों और सूचना में और आगे सुधार की आवश्यकता है। उन्हें विश्वास है कि पैनल की सिफारिशें प्रत्येक को किसी सीमा तक निराश करने वाली हैं। वे पक्षकार जो पहले ही मिथाइल ब्रोमाइड के प्रयोग को समाप्त कर चुके हैं वे महसूस करते हैं कि वे काफी उत्साही नहीं हैं जबकि वे जिन्होंने महत्वपूर्ण प्रयोग नामांकन को आगे कर दिया है महसूस करते हैं कि वे काफी उदार नहीं थे। उन्होंने सुझाव दिया कि पैनल की सिफारिशों ने निष्पक्षता के उपयुक्त स्तर को प्राप्त कर लिया है।

X. मांट्रियल प्रोटोकाल के पक्षकारों की अठारहवीं बैठक की रिपोर्ट को अपनाना

226. वर्तमान रिपोर्ट को बैठक में प्रस्तुत ड्राफ्ट रिपोर्ट के आधार पर शुक्रवार, 3 नवम्बर, 2006 को अपनाया गया था।

XI. बैठक का समापन

227. पक्षकारों ने सरकार और भारत के लोगों के प्रति बैठक के दौरान उन्हें दिए गए उत्कृष्ट सहयोग और मेहमाननवाजी के लिए तहे दिले से सराहना की।

228. आपसी औपचारिकताओं के बाद अध्यक्ष ने शुक्रवार 3 नवंबर, 2006 को रात 10.15 बजे बैठक को समाप्त घोषित किया।

[हिन्दी]

एफ.सी.आर.ए. के अंतर्गत पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन

3636. श्री महावीर भगोरा: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम (एफ.सी.आर.ए.) के अंतर्गत राजस्थान में पंजीकृत उन संगठनों विशेष रूप से सामाजिक संगठनों का ब्यौरा क्या है जो समाचार-पत्रों और न्यूज लेटर प्रकाशित करने के काम में संलग्न हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे संगठन द्वारा प्राप्त विदेशी धन का संगठन-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनमें से उन संगठनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें धनराशि के दुरूपयोग के कारण काली सूची में रखा गया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम (एफ.सी.आर.ए.), 1976 की धारा 4(1) (ख) के अनुसार किसी पंजीकृत समाचार पत्र के किसी भी संवाददाता, स्तंभ लेखक, कार्टूनिस्ट संपादक, मालिक, मुद्रक या प्रकाशक द्वारा कोई विदेशी अभिदाय स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए, एफ.सी.आर.ए. के अंतर्गत पंजीकृत किसी भी संगठन द्वारा कोई समाचार पत्र अथवा न्यूजलेटर प्रकाशित करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

चीनी मिलें

3637. चौ. मुनव्वर हसन: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीनी मिलों द्वारा चीनी और शीरे की अवैध बिक्री सहित उत्पाद शुल्क में अनियमितताएं बरती गई हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार गन्ने की रिकवरी और पिराई के आधार पर प्रत्येक चीनी मिल द्वारा उत्पादित चीनी और शीरे के संबंध में मासिक रिपोर्ट तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग द्वारा देश में अपने फील्ड संगठनों से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जल विद्युत परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी

3638. श्री के. फ्रांसिस जार्ज: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय के पास पर्यावरणीय मंजूरी हेतु जल विद्युत परियोजनाएं लंबित हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा नीचे दिए अनुसार हैं:—

राज्य	परियोजना का नाम	सरकार द्वारा किए गए उपाय
1	2	3
केरल	अथिरापल्ली एच ई परियोजना	प्रस्ताव 15.11.2006 को विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसने टेलरेस चैनल संगम और नदी वे 7 किलोमीटर नीचे तक बेसलाइन पर्यावरणीय पैरामीटर अध्ययन प्रस्तुत करने की शर्त पर पर्यावरणीय मंजूरी की सिफारिश की गई है। परियोजना प्राधिकारियों को दिनांक 29.11.2006 के पत्र के तहत विवरण प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया था।
केरल	पठारकाडावु एच ई परियोजना	प्रस्ताव को विशेषज्ञ समिति/विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के समक्ष 19.4.2006 और 18.10.2006 को रखा गया था और समिति द्वारा यथा सिफारिश किए अनुसार परियोजना प्राधिकारियों से दिनांक 13.11.2006 के पत्र के तहत जनसुनवाई और मछलियों के लिए संरक्षण योजना पर स्पष्टीकरण उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया था।
मणिपुर	तिपियामुख एच ई परियोजना	प्रस्ताव को विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के समक्ष 25.11.2006 को रखा गया था और समिति द्वारा यथा सिफारिश किए अनुसार परियोजना प्राधिकारियों से दिनांक 27.11.2006 के पत्र के तहत मुख्यतः जनसुनवाई, भूकंपनीयता, जैव विविधता संरक्षण, कैचमेंट क्षेत्र सुधार पर स्पष्टीकरण उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया था।
सिक्किम	पनन एच ई परियोजना	प्रस्ताव 18.10.2006 और 15.11.2006 को विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। समिति ने पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने की सिफारिश की है।

1	2	3
सिक्किम	रोंगनीचु एच ई परियोजना	प्रस्ताव को विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के समक्ष 15.11.2006 को रखा गया था और समिति द्वारा यथा सिफारिश किए अनुसार परियोजना प्राधिकारियों से दिनांक 20.11.2006 के पत्र के तहत मुख्यत: फंबोनगलो वन्य जीव अभयारण्य का प्रभाव, टनलिंग के लिए ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग की पद्धति और कैट प्लान पर मुख्य वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया था।
उत्तरांचल	लता तपोवन एच ई परियोजना	प्रस्ताव 18.10.2006 को विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार परियोजना प्राधिकारियों से 25.10.2006 के पत्र के तहत मुख्यतया नंदादेवी जीव मंडल रिजर्व, भूमि खोने वालों की जोत भूमि और चिकित्सा केंद्र के बारे में सूचना उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया था।

[अनुवाद]

बाल श्रम हेतु बजटीय सहायता में वृद्धि

3639. श्री राजेन गोहेन: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्यारहवीं योजना के दौरान देश के प्रत्येक राज्य विशेषकर उत्तर-पूर्वी राज्यों में बाल श्रम परियोजनाओं की बजटीय सहायता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नौवीं योजना की तुलना में दसवीं योजना में बजटीय सहायता में वृद्धि की गई है जैसाकि दिनांक 19 नवम्बर, 2006 के दैनिक जागरण में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) जी, हां। सरकार का 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन सी एल पी) स्कीम को देश में मौजूदा 250 जिलों से बढ़ाकर पूर्वोत्तर राज्यों सहित सभी बाल श्रम बहुल राज्यों को कवर करने हेतु इसका विस्तार करने का प्रस्ताव है। इसमें मौजूदा कार्यक्रम में कुछ नये संघटकों को भी शामिल करने का प्रस्ताव है। तथापि, यह आवश्यक अनुमोदनों के अध्यधीन है।

(ग) और (घ) सरकार दसवीं योजना के दौरान कामकाजी बच्चों के पुनर्वास के लिए 250 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन सी एल पी) स्कीम चला रही है। नौवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के लिए 249.60 करोड़ रुपये का बजट आबंटन था और इसे दसवीं योजना अवधि के दौरान बढ़ाकर 602 करोड़ रुपये कर दिया गया था।

बाल श्रम उत्सादन

3640. डा. सफीकुर्रहमान बर्क: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वह भारतीय बच्चा जिसे भारत में बाल श्रम के संबंध में यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रन्स फंड (यूनीसेफ) के ब्रांड अंबेसडर के रूप में प्रायोजित किया गया था, आज भी दूसरों के जूठे बर्तन धोता है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार और यूनीसेफ द्वारा बाल श्रम को रोकने के लिए चलाई जा रही परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा उक्त योजनाओं पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है और इससे राज्यवार कितने बच्चे लाभान्वित हुए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) यूनीसेफ से प्राप्त सूचनानुसार, उनके पास भारत में बाल श्रम संबंधी चाईल्ड ब्रांड एंबेस्डर नहीं है। तथापि बिहार में बाल श्रम के खिलाफ अपने मीडिया अभियान में यूनिसेफ ने एक बालिका श्रमिक के चित्र का उपयोग किया है जो

अपने पिता की चाय की दुकान में उनके सहायता करती थी। इस रिपोर्ट के प्राप्त होने पर राज्य सरकार ने उस बालिका के शैक्षणिक पुनर्वास हेतु कदम उठाये हैं।

(ग) सरकार राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन सी एल पी) और स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता नामक दो योजनाएं चला रही है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनान्तर्गत कार्यमुक्त कराए गए बच्चों को विशेष विद्यालयों में डाला जाता है जहां इन बच्चों को शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, वजीफा, पोषाहार और स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। फिलहाल एन सी एल पी योजना देश के 20 राज्यों के 250 जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। कार्यमुक्त कराए गए बच्चों के लाभार्थ स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता योजना भी उन जिलों में कार्यान्वित की जा रही है जो एन सी एल पी योजना के दायरे में नहीं हैं।

इन दोनों के अलावा, भारत सरकार और अमरीकी श्रम विभाग की संयुक्त इंडस परियोजना समान हिस्सेदारी आधार पर देश के 21 जिलों में कार्यान्वित की जा रही है।

भारत सरकार तथा यूनीसेफ के बीच प्रचालन संबंधी संयुक्त मास्टर प्लान के अंतर्गत, निम्नांकित दो कार्यकलाप कार्यान्वित किए जा रहे हैं:

1. बाल श्रम ट्रेकिंग प्रणाली का विकास
2. बाल श्रम संबंधी राष्ट्रीय संचार नीति का विकास

(घ) भारत सरकार द्वारा बाल श्रम उन्मूलनार्थ पिछले तीन वर्षों के दौरान राशि निम्नानुसार व्यय की गई:

क्र.सं.	वर्ष	राशि (करोड़ रुपये में)
1.	2003-04	67.34
2.	2004-05	93.09
3.	2005-06	114.54

कार्यमुक्त कराए गए बच्चों को एन सी एल पी योजनांतर्गत तीन वर्ष के लिए विशिष्ट विद्यालयों में डाला जाता है। अब तक एन सी एल पी योजना के तहत लगभग 3.78 लाख बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य धारा में लाया गया है। राज्यवार विवरण संलग्न है।

विवरण

मुख्यधारा में लाए गए बच्चों का राज्यवार ब्यौरा

राज्यों के नाम	कुल
आंध्र प्रदेश	173297
बिहार	13516
छत्तीसगढ़	4311
झारखंड	10761
कर्नाटक	10467
मध्य प्रदेश	2314
महाराष्ट्र	8235
उड़ीसा	67194
राजस्थान	11371
तमिलनाडु	39523
उत्तर प्रदेश	19842
पश्चिम बंगाल	16086
पंजाब	1368
कुल योग	378285

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र को राज-सहायता

3641. श्री हरिकेवल प्रसादः
श्री सुनिल कुमार महतोः

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कृषि क्षेत्र को दी जा रही राज-सहायता देश के सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का केवल एक मामूली भाग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में कृषि क्षेत्र को दी जा रही राज-सहायता अन्य विकसित देशों में दी जा रही राज-सहायता की तुलना में भी काफी कम है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार कृषि संबंधी राज-सहायता को बढ़ाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) भारतीय कृषि क्षेत्र में राजसहायता का देश के सकल घरेलू उत्पाद में नगण्य भाग है। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन से उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार 2004-05 के दौरान, कृषि क्षेत्र को उर्वरक, सिंचाई के लिए दी जाने वाली राज सहायता तथा अन्य राज सहायताएं (बीजों आदि के लिए) 45,244 करोड़ रुपये है जोकि उत्पादन लागत पर 28,43,897 करोड़ रुपए के कुल सकल घरेलू उत्पाद का 1.59% है।

(ग) और (घ) भारत ने अब तक विश्व व्यापार संगठन के साथ केवल वर्ष 1997-98 तक घरेलू समर्थन अधिसूचनाएं प्रस्तुत की हैं। अमेरिका, यूरोपियन समुदाय, जापान तथा भारत द्वारा प्रदान किए गए तुलनात्मक घरेलू समर्थन, जैसाकि वर्ष 1995 से 1997 के दौरान विश्व व्यापार संगठन को अधिसूचित किया गया है, नीचे दिए गए हैं:

तुलनात्मक घरेलू समर्थन ब्यौरे*

(मिलियन अमेरिकन डालर में)

देशों के नाम	वर्ष		
	1995	1996	1997
संयुक्त राज्य अमेरिका	60,926.10	58,875.90	58,295.70
यूरोपियन समुदाय	1,16,537.70	1,14,606.10	1,00,698.20
जापान	69,607.30	54,912.80	47,748.30
भारत	8,221.98	8,288.28	9,048.13
	वर्ष (1995-96)	(1996-97)	(1997-98)

*घरेलू समर्थन में निर्यात राज सहायता शामिल नहीं है।

(ङ) नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

शर्करा उद्योग के सह-उत्पाद

3642. डा. चिन्ता मोहन:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में शर्करा उद्योग चीनी के साथ-साथ अन्य सह-उत्पादों का भी उत्पादन करता है;

(ख) यदि हां, तो इन उत्पादों के क्या नाम हैं;

(ग) आज की तारीख तक देश के शर्करा उद्योग में उक्त प्रत्येक सह-उत्पाद की उत्पादक क्षमता कितनी है; और

(घ) देश में इन उत्पादों की मांग के संबंध में क्या आकलन किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) देश में चीनी उद्योग चीनी के विनिर्माण की प्रक्रिया में शीरे, खोई और प्रेस-मड का सह-उत्पाद के रूप में उत्पादन करता है। चूंकि ये सह-उत्पाद हैं, अतः इन सह-उत्पादों की उत्पादन क्षमता चीनी उद्योग द्वारा चीनी मौसम विशेष में पेरे गए गन्ने की मात्रा पर निर्भर करती है। पेरे गए गन्ने पर शीरे, खोई और प्रेस-मड का उत्पादन क्रमशः 4.2% से 4.5% तक, 30% से 33% तक और 3% से 5% तक है।

(घ) पेट्रोल में 0.56 मिलियन किलोलीटर इथनाल का मिश्रण करने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 26 लाख टन शीरे की तथा लगभग 570 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत के उत्पादन के लिए लगभग 100 लाख टन खोई की मांग होगी। जहां तक प्रेस-मड का संबंध है, इसकी सम्पूर्ण मात्रा का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है।

[अनुवाद]

पी डी एस के मूल्य में भिन्नता

3643. डा. के. धनराजू: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी डी एस) के माध्यम से वितरित की जा रही चीजों के मूल्य अलग-अलग राज्य में अलग-अलग हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पी डी एस के माध्यम से वितरित की जा रही चीजों के मूल्य में एकरूपता लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) जी, हां। गरीबी रेखा से ऊपर/गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना श्रेणियों के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य निम्नानुसार हैं:—

(रुपये प्रति किलोग्राम)

गरीबी रेखा से ऊपर		गरीबी रेखा से नीचे		अंत्योदय अन्न योजना	
गेहूं	चावल*	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल
6.10	8.30 (ग्रेड-ए)	4.15	5.65	2.00	3.00

*साधारण ग्रेड के लिए 795 रुपये केवल जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर-पूर्वी राज्यों, सिक्किम और उत्तरांचल के लिए लागू है।

गरीबी रेखा से ऊपर तथा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्य आर्थिक लागत, जो अलग-अलग राज्य में अलग-अलग होती है, का क्रमशः 70 प्रतिशत और 50 प्रतिशत होता है। अंत्योदय अन्न योजना श्रेणी के लिए मोटे अनाजों का केन्द्रीय निर्गम मूल्य 200 रुपये प्रति क्विंटल है।

तथापि, अंतिम खुदरा मूल्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा थोक/खुदरा विक्रेताओं के लिए मार्जिन, ढुलाई प्रभारों, लेवियों, स्थानीय करों आदि को हिसाब में लेने के बाद निर्धारित किया जाता है। यह भिन्न-भिन्न भौगोलिक परिस्थितियों और कराधान नीति आदि के कारण अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है। राज्यों से अनुरोध किया गया था कि वे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ऐसे मूल्य पर खाद्यान्न जारी करें, जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए नियत केन्द्रीय निर्गम मूल्य से 50 पैसे प्रति किलोग्राम से अधिक न हो। इसके बाद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अंत्योदय अन्न योजना जिसमें अंतिम खुदरा मूल्य गेहूं के लिए 2 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल के लिए 3 रुपये प्रति किलोग्राम पर बनाए रखा जाना है, को छोड़कर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों के वितरण हेतु केन्द्रीय निर्गम मूल्य से ऊपर 50 पैसे प्रति किलोग्राम के प्रतिबंध को हटाकर खुदरा निर्गम मूल्यों को निर्धारित करने के मामले में लचीला रूख अपनाने की अनुमति दी गई है।

उत्तर-पूर्वी राज्यों, पहाड़ी राज्यों और द्वीपीय क्षेत्रों, जहां सर्वसुलभ कवरेज की अनुमति है, को छोड़कर दिनांक 1.2.2001 से लेवी चीनी की आपूर्ति गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों तक सीमित कर दी गई है। लेवी चीनी का खुदरा निर्गम मूल्य 13.50 रुपये प्रति किलोग्राम है जो देश भर में एक समान है।

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मिट्टी के तेल की आपूर्ति के लिए राज्यों को आवंटन किया है। ऐसी आपूर्तियों के लिए गरीबी रेखा से ऊपर/गरीबी रेखा से नीचे के रूप में कोई श्रेणीकरण नहीं किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल के मूल्य बिक्री कर और डीलर के कमीशन पर निर्भर करते हुए अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होते हैं। दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल की कीमत 9.05 रुपये प्रति लीटर है।

ऊपर स्पष्ट की गयी स्थिति को ध्यान में रखते हुए अंत्योदय अन्न योजना को छोड़कर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किए जाने वाले जिन्सों के लिए अंतिम खुदरा मूल्य में एकरूपता लाना व्यवहार्य नहीं है।

[हिन्दी]

भूमिहीन किसान

3644. श्री हरिसिंह चावड़ा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के भूमिहीन किसानों की संख्या और दशा के संबंध में कोई सर्वेक्षण/अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) ऐसे भूमिहीन किसानों की दशा सुधारने हेतु सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का भू-जोत भूमि तथा किसानों के अनेक पहलुओं पर 59वें राउन्ड सर्वेक्षण (2003) से अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित परिणाम बतलाए हैं:

* 2002-03 के दौरान, ग्रामीण "घरेलू संचालनात्मक जोत", में बिना भूमि अथवा 0.002 हैक्टेयर से अनाधिक (भूमिहीनों), की प्रतिशतता 31.9 रही।

* 0.01 हैक्टेयर से कम भू-आकार श्रेणी में ऋणभार किसान परिवारों की प्रतिशतता 45.3% रही जबकि सभी भूमि आकार श्रेणियों के किसानों के लिए 48.6% थी।

* 0.01 हैक्टेयर से कम भू-आकार श्रेणी में किसान परिवारों के कृषि और गैर-कृषि व्यवसाय से औसत आमदनी 1380 रुपए (किराया, लाभ, ब्याज तथा प्रेषण को छोड़कर) थी जबकि सभी भूमि आकार श्रेणियों के लिए यह औसत आमदनी 2115 रुपए थी।

(ग) और (घ) भूमि संसाधन तथा इसका प्रबन्धन राज्यों के न्याय अधिकार में आता है जैसाकि भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित है। तथापि ग्रामीण विकास मंत्रालय, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के द्वारा कार्यान्वित किए गए भूमि सुधार कार्यक्रमों जिनमें सरकारी बंजर भूमि का योग्य ग्रामीण गरीबों को वितरण शामिल है, को मानिटर करता है।

अतिरिक्त भूमि भूमिहीन गरीबों को बांटी जाती है। 2005-06 तक, घोषित सीलिंग अतिरिक्त भूमि 54.03 लाख एकड़, 21.75 लाख एकड़ की भू-दान भूमि तथा 147.47 एकड़ सरकारी बंजर भूमि भूमिहीन ग्रामीणों के बीच वितरित की गयी थी।

[अनुवाद]

वनरोपण

3645. श्री जोआकिम बखला: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार विशेष रूप से नार्थ बंगाल हिल्स में वनरोपण कार्यक्रम के अंतर्गत कौन-कौन से पर्यटन रेंज लाए गए हैं;

(ख) ऐसे कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य-वार कितने क्षेत्र को रेंज-वार शामिल किया गया है; और

(ग) ऐसे कार्यक्रमों के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई तथा उपयोग में लाई गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यटन क्षेत्रों में वनीकरण के उद्देश्य से कोई विशिष्ट योजना क्रियान्वित नहीं कर रहा है। तथापि, यह मंत्रालय अवक्रमित वनों और आस-पास के क्षेत्रों के पुनरुद्धार के लिए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन ए पी) का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसमें पर्यटन रुचि के क्षेत्रों को भी शामिल किया जा सकता है। इस स्कीम को वन प्रभाग स्तर पर वन विकास अभिकरण (एफ डी ए) और ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जे एफ एम सीज) के द्वि-स्तरीय विकेन्द्रीकृत माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। गत तीन वर्षों (2003-04 से 2005-06) के दौरान इस स्कीम के तहत कुल 4.46 लाख हेक्टेयर परियोजना क्षेत्र को शामिल करने के लिए उत्तरी-पश्चिमी बंगाल की पहाड़ियों सहित 28 राज्यों में 431 वन विकास अभिकरण परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। उक्त अवधि के दौरान अनुमोदित एफ डी ए की राज्यवार संख्या, शामिल किया गया कुल क्षेत्र और जारी धनराशि संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

2003-04 से 2005-06 के दौरान से राज्य-वार अनुमोदित एफ डी ए परियोजना की संख्या कवर किया गया कुल क्षेत्र और जारी निधियां

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	अनुमोदित एफ डी ए परियोजनाओं की कुल संख्या	कवर किया कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	जारी निधियां (करोड़ रुपयों में)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	19	24310	32.19
2.	छत्तीसगढ़	20	24894	45.33
3.	गुजरात	13	16530	24.02
4.	हरियाणा	9	9300	19.57
5.	हिमाचल प्रदेश	24	27908	26.63
6.	जम्मू-कश्मीर	12	15055	16.05
7.	कर्नाटक	15	15800	59.74
8.	मध्य प्रदेश	24	23570	40.71
9.	महाराष्ट्र	33	43410	39.72
10.	उड़ीसा	16	14566	29.27
11.	पंजाब	8	7585	5.85
12.	राजस्थान	26	14390	17.62
13.	तमिलनाडु	20	28353	49.62
14.	उत्तर प्रदेश	28	22045	56.54
15.	उत्तरांचल	33	34197	29.45
16.	गोवा	3	1250	0.64
17.	झारखंड	27	34150	25.8
18.	बिहार	10	12315	8.04
19.	केरल	18	9650	9.4
20.	पश्चिम बंगाल	12	13386	17.5
21.	अरुणाचल प्रदेश	11	6540	8.14
22.	असम	29	26955	19.07
23.	मणिपुर	6	6700	16.81

1	2	3	4	5
24.	नागालैंड	3	2398	19.91
25.	सिक्किम	1	1000	14.23
26.	त्रिपुरा	3	2200	12.87
27.	मिजोरम	1	600	37.11
28.	मेघालय	7	7400	7.63
	कुल	431	446457	689.56

[हिन्दी]

सरसों का बुआई क्षेत्र

3646. **श्री रघुराज सिंह शाक्य:**
श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज):

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्ष की तुलना में देश में सरसों के बुआई क्षेत्र में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरसों सहित तिलहनों की खेती के अंतर्गत भू-भाग में कमी का देश में खाद्य तेलों की घरेलू उपलब्धता पर बुरा असर पड़ने की संभावना है तथा इससे आयात पर निर्भरता बढ़ जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो देश में सरसों तथा अन्य तिलहनों की मांग और आपूर्ति के बीच के अन्दर को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) 08.12.2006 को मंत्रालय में हुई फसल मौसम निगरानी समूह की साप्ताहिक बैठक में प्राप्त नवीनतम सूचनाओं के अनुसार, रेपसीड तथा सरसों के अंतर्गत कवर क्षेत्र 63.69 लाख हैक्टेयर अनुमानित है जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 69.52 लाख हैक्टेयर के मुकाबले 5.83 लाख हैक्टेयर कम है। राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ग) रबी तिलहन के अंतर्गत कवर क्षेत्र पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान 93.29 लाख हैक्टेयर की तुलना में इस वर्ष 85.22 लाख हैक्टेयर अनुमानित है। रबी तिलहनों की बुआई प्रगति पर है और अधिक क्षेत्र कवर होना सम्भावित है। रेपसीड तथा सरसों का अनुमानित उत्पादन 2005-06 में 78.87 लाख टन पर था जोकि 2004-05 में 75.93 लाख टन के स्तर से अधिक था। तथापि, खाद्य तेलों का मांग-आपूर्ति अन्तर आयात के द्वारा पूरा किया जा सकता है।

(घ) तिलहनों का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "तिलहन, दालें, पाम तेल तथा मक्का की एकीकृत स्कीम" (आईसोपाम) लागू कर रही है। स्कीम के अंतर्गत नस्ली बीजों, मूल बीजों तथा प्रमाणित बीजों के उत्पादन, उन्नत बीज उत्पादन के लिए क्रेश कार्यक्रमों, प्रमाणित बीजों तथा मिनिकिट्स के वितरण, ढांचा गत विकास तथा एकीकृत कीट प्रबन्धन के लिए वित्तीय सहायता भारत तथा राज्य सरकारों के बीच 75:25 प्रतिशत के आधार पर प्रदान की जाती है। स्कीम के अंतर्गत उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी, हाइब्रीड चावल उत्पादन प्रौद्योगिकी, खेतों पर प्रदर्शनों के द्वारा एकीकृत कीटनाशक प्रबन्धन, महिलाओं सहित किसानों का प्रशिक्षण, इलैक्ट्रानिक मीडिया एवं प्रकाशित सामग्री के द्वारा प्रौद्योगिकी का स्थानान्तरण, कृषि उपकरणों, टपकाव सिंचाई प्रणाली की स्थापना, तथा किस्मीय बदलाव प्रमाणित बीजों के उत्पादन प्रचार के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) के द्वारा किसानों को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए तिलहनों में उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकियों पर फ्रन्ट लाइन प्रदर्शन भी आयोजित किए जाते हैं। मूल्य समर्थन तंत्र के द्वारा तिलहन उत्पादकों को एक न्यूनतम मूल्य गारन्टी भी प्रदान की जाती है।

विवरण

रबी 2006-07 के दौरान तोरिया तथा सरसों के अंतर्गत बुआई क्षेत्र

(लाख हैक्टेयर)

क्र.सं.	राज्य	2006-07 (08.12.2006 को)	2005-06 (संगत अवधि)	अंतर
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00
2.	असम	2.44	2.85	-0.41
3.	बिहार	1.48	1.06	0.42
4.	छत्तीसगढ़	1.08	0.90	0.18
5.	गुजरात	3.55	3.34	0.21
6.	हरियाणा	6.20	7.09	-0.89
7.	कर्नाटक	0.04	0.09	-0.05
8.	मध्य प्रदेश	6.57	8.38	-1.81
9.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00
10.	उड़ीसा	0.67	0.45	0.22
11.	पंजाब	0.61	0.70	-0.09
12.	राजस्थान	28.61	30.30	-1.69
13.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00
14.	उत्तर प्रदेश	7.65	9.48	-1.83
15.	पश्चिम बंगाल	4.35	4.40	-0.05
16.	अन्य	0.44	0.48	-0.04
	समस्त भारत	63.69	69.52	-5.83

[अनुवाद]

अदरक की खेती

3647. श्री पी.सी. थामस: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की अदरक की खेती को बढ़ावा देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वित्तीय वर्ष में इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी सहायता प्रदान की गई है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार दर्ज किए गए उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कोई अदरक प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जा रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। उत्तर-पूर्वी राज्यों, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में चलाई जाने वाली समेकित बागवानी विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत और राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत अदरक समेत मसालों का उत्पादन करने के लिए उत्पादकों को 13,000/- रुपये प्रति हेक्टेअर की दर से सहायता दी जाती है।

(ग) 2003-04 से 2006-07 के दौरान उत्तर पूर्वी राज्य, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में समेकित बागवानी विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन की योजना के अंतर्गत अदरक की खेती के लिए दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है और राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(घ) 2002-03 से 2004-05 के राज्यवार क्षेत्र और उत्पादन का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-III संलग्न है।

(ङ) और (च) टी एम एन ई योजना के अंतर्गत एन ई आर ए एम ए सी के द्वारा बनीहाट, मेघालय में प्रसंस्करण ईकाई की स्थापना के लिये 46.00 लाख रुपये की सहायता दी गई है।

विवरण I

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उत्तरपूर्वी राज्यों में समेकित बागवानी विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत अदरक की खेती के लिये दी गई सहायता का विवरण

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
		A	F	A	F	A	F	A	F
1.	आंध्र प्रदेश	300	39.00	500	65.00	400	52.00	700	65.00
2.	असम	150	19.50	300	39.00	480	62.40	600	78.00
3.	मणिपुर	-	-	100	13.00	540	70.20	500	65.00
4.	मेघालय	-	-	210	27.30	400	52.00	-	-
5.	मिजोरम	50	6.50	-	-	-	-	-	-
6.	नागालैंड	100	13.00	400	52.00	400	52.00	400	52.00
7.	सिक्किम	650	84.50	800	104.00	600	78.00	1000	130.00
8.	त्रिपुरा	125	16.25	200	26.00	300	39.00	300	39.00
9.	जम्मू-कश्मीर	-	-	-	-	100	13.00	-	-
10.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	300	39.00
11.	उत्तरांचल	-	-	-	-	100	13.00	600	78.00
	कुल	1375	178.75	2510	326.30	3320	431.60	4400	546.0

A = क्षेत्र हैक्टेयर में

F = रुपये लाख में

विवरण II

राष्ट्रीय बागवानी मिशन (2005-2006 एवं 2006-07) के अंतर्गत मसालों के लिए दी गई/आबंटित सहायता के राज्यवार ब्यौरे का विवरण

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य	जारी धन (2005-2006)	आवंटन (2006-2007)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	663.75	416.14
2.	बिहार	-	337.50
3.	छत्तीसगढ़	185.63	2092.50
4.	गोवा	-	5.63
5.	गुजरात	1046.25	1158.75
6.	हरियाणा	79.35	149.07
7.	झारखंड	84.38	159.75
8.	कर्नाटक	416.25	471.00
9.	केरल	393.75	501.20
10.	मध्य प्रदेश	191.25	708.75
11.	महाराष्ट्र	-	286.43
12.	उड़ीसा	225.00	281.25
13.	पंजाब	84.38	112.50
14.	राजस्थान	294.75	1125.00
15.	तमिलनाडु	67.60	789.75
16.	उत्तर प्रदेश	285.77	1197.39
17.	पश्चिम बंगाल	25.88	67.50
18.	अंदमान व निकोबार द्वीपसमूह	-	46.35
	योग	4043.99	9906.46

विवरण III

भारत में (2002-03 से 2004-05) अदरक के राज्यवार क्षेत्र और उत्पादन का विवरण

(क्षेत्र 000 है., उत्पादन 000 मी. टन)

राज्य	2002-03		2003-04		2004-05 (अनन्तिम)	
	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	2.0	3	1.873	5.614	1.9	10.9
अरुणाचल प्रदेश	4.4	32.3	4.7	37.2	4.5	32.9
हिमाचल प्रदेश	2.5	17.1	2.0	14.7	2.0	14.7
कर्नाटक	10.9	14.4	8.28	10.854	9.1	11.9
केरल	9.0	32.4	8.5	10.954	8.9	45.30
मेघालय	8.9	46.7	8.882	51.8	9.2	47.1

1	2	3	4	5	6	7
मिजोरम	5.1	31.1	4.5	29.6	4.5	29.6
नागालैंड	1.0	13.5	1.0	4	10.2	63.5
उड़ीसा	15.3	29.5	15.5	30	15.7	30.4
सिक्किम	5.0	3.8	6.5	33.5	6.5	34.7
तमिलनाडु	0.4	6.7	0.4	5.6	0.6	23.0
पश्चिम बंगाल	9.4	20.2	9.408	18.269	9.1	18.8
अखिल भारत (अन्य राज्य सहित)	88.2	276.965	85.89	303.28	97.00	392.29

[हिन्दी]

इस्पात की खपत

3648. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घरेलू बाजार में इस्पात की खपत को बढ़ाने तथा इस्पात कंपनियों को शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी बनाने के लिए निजी विज्ञापन एजेंसियों की सहायता लेने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास): (क) और (ख) राष्ट्रीय इस्पात नीति में इस्पात के उपयोग को सजगता से बढ़ावा देकर देश में इस्पात की मांग और खपत को बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। इस्पात को बढ़ावा देने के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू करने के उद्देश्य से सरकार, इस्पात उत्पादकों और इंस्टीट्यूट आफ स्टील डेवलपमेंट एंड ग्रोथ (आईएनएसडीएजी) के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक स्टील प्रमोशन कोआर्डिनेशन कमेटी गठित की गई है। विज्ञापन/मीडिया एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग करना देश में इस्पात के संबंध में जागरूकता को बढ़ाने के लिए विभिन्न सम्भव नीतियों में से एक है। इस्पात मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात के उपयोग के बारे में जागरूकता लाने के लिए जिला परिषद के प्रेसीडेंट और चेयरमैन को पत्र भी लिखा है। इस्पात कंपनियों को शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

सुन्दरवन से राजस्व

3649. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन के वनोत्पाद से प्रत्येक वर्ष काफी विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान हुई आय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज की तारीख तक ऐसे राजस्व को बढ़ाने तथा सुन्दरवन क्षेत्र के कम होने को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) जी, नहीं। सुन्दरबन से कोई विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं की जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वेजिटेशन ट्रीटमेंट ड्राइव

3650. श्री पंकज चौधरी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन अनुसंधान संस्थान ने राष्ट्रीय राजधानी के पुराने पेड़ों की लम्बाई, ऊंचाई, चौड़ाई तथा उनके आच्छादन में सुधार

लाने के उद्देश्य से एक विशेष 'वेजिटेशन ट्रीटमेंट ड्राइव' शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत पेड़ों को ठीक-ठीक आकार में लाने के अलावा इनके स्थान पर और पेड़ लगाने का भी प्रावधान है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) नई दिल्ली नगर परिषद (एन डी एम सी) द्वारा स्वीकृत एक अनुसंधान परियोजना पर वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून काम कर रहा है जिसके मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं- एनडीएमसी द्वारा रख-रखाव किए गए रोड साइड प्लांटिशनों की सूची तैयार करना, रोगयुक्त वृक्षों की सूची, रोग के आकस्मिक अवयवों का पता लगाना और रोक-थाम के उपाय सुझाना, एन डी एम सी कर्मचारियों को रोग नियंत्रण तकनीकों के संबंध में प्रदर्शन देना, पुराने और रोगयुक्त वृक्षों के लिए पुनः स्थापन योजना तैयार करना और अच्छी गुणवत्ता वाले प्लांटिंग स्टाक को उगाने के लिए हाईटेक नर्सरी की स्थापना करने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना है।

(ख) एन डी एम सी द्वारा देख-भाल किए गए एवेन्यू वृक्षों की एक सूची तैयार की जा रही है। केन्द्रीय वेष्टा पर सर्वेक्षण कार्य पूरा किया जा चुका है। सभी मौजूदा वृक्षों का निरीक्षण किया और रोग के होने और इसकी तीव्रता को रोकने का काम किया गया। रोग के आकस्मिक अवयवों की पहचान अनेक मामलों में की गई है और एन डी एम सी को नियंत्रण उपाय सुझाए गए हैं ताकि रोगी वृक्षों के जीवन में वृद्धि हो सके। रोग नियंत्रण के लिए एक प्रदर्शन एन डी एम सी के स्टाफ के लिए पहले ही आयोजित किया जा चुका है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय वेष्टा पर सर्वेक्षण कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। कुल 1864 वृक्षों में से कुल 107 वृक्ष जो पूरी तरह से मर चुके हैं अथवा सड़ रहे हैं, जो मानव जीवन और संपदा को खतरा बन सकते हैं, इनके प्रतिस्थापन के लिए सिफारिश की गई है। केन्द्रीय विष्टा के वृक्षों के लिए सूचीकरण और प्रतिस्थापन की एक रिपोर्ट एन डी एम सी को पहले ही भेजी जा चुकी है।

[अनुवाद]

पुष्प कृषि उत्पादों का निर्यात

3651. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण (ए पी ई डी ए) ने पुष्प कृषि आउटपुट तथा निर्यात को बढ़ावा देने हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रस्ताव उद्योग के सामने आ रही समस्याओं पर परामर्शदाताओं द्वारा हाल ही में किए गए एक विस्तृत अध्ययन में दी गई जानकारी पर आधारित है;

(ग) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां। कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) ने वाणिज्य विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है।

(ख) प्रस्ताव उन सिफारिशों पर आधारित है जो कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) द्वारा 8-10 सितम्बर, 2006 को प्रगति मैदान, नई दिल्ली में फ्लोरा एक्सपो, 2006 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान उद्भूत हुई हैं।

(ग) और (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

सुनियोजित विकास में कृषि का हिस्सा

3652. डा. सत्यनारायण जटिया:
श्री चन्द्रभूषण सिंह:
श्री परसुराम माझी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं योजना में कृषि क्षेत्र को सर्वाधिकार प्राथमिकता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कृषि विकास हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) ग्यारहवीं योजना के दौरान कृषि की वृद्धि दर बढ़ाने पर बल देने हेतु किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) ग्यारहवीं योजना (2007-12) के लिए योजना आयोग के "तीव्र और अधिक समाविष्ट विकास की दिशा में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु एक दृष्टिकोण" नामक "एप्रोच पेपर" में कृषि क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है और तदनुसार 11वीं पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र के लिए लगभग 4% प्रति वर्ष की वृद्धि दर का लक्ष्य रखा है जो 10वीं पंचवर्षीय योजना में सम्भावित उपलब्धि का दोगुना है।

(ग) मांग संबंधी मुद्दों की ओर ध्यान देने के साथ 11वीं योजना में कृषि उत्पादन को बढ़ाने की नीति निम्नलिखित घटकों पर आधारित है:—

- सिंचित क्षेत्र की वृद्धि दर को दोगुना करना;
- जल प्रबंधन सुधार, वर्षा जलसंचयन और पनधारा प्रबंधन;
- अवक्रमित भूमि का सुधार और मृदा गुणवत्ता पर संकेन्द्रण;
- प्रभावी विस्तार के माध्यम से ज्ञान संबंधी अंतर को पूरा करना;
- अधिक मूल्य वाले उत्पादों, फलों, सब्जियों, पुष्पों, जड़ी-बूटियों और मसालों, औषधीय पौधों, बांस, बायो-डीजल आदि में विविधता, परन्तु खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय भी करना;
- पशु पालन और मत्स्यन का संवर्धन;
- आसान दरों पर ऋण की सुलभ पहुंच मुहैया कराना;
- प्रोत्साहन संरचना और मण्डियों के कार्यकरण में सुधार;
- भूमि सुधार मुद्दों पर संकेन्द्रण।

[अनुवाद]

वन रोपण

3653. श्री मनोरंजन भक्त: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में व्यवस्थित वन तालिका के संबंध में एक अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने देश में किसी ऐसे क्षेत्र की पहचान की है जहां वृक्षों की संख्या कम है और जहां वानिकी शुरू की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में कम वृक्षों वाले वनों को विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) भारतीय वन सर्वेक्षण देश के वन संसाधनों की सैम्पलिंग आधार पर व्यवस्थित तालिका तैयार करता है, वनों की व्यवस्थित तालिका बनाने के लिए देश को वनस्पति जलवायु, मृदा की स्थिति आदि में समरूपता के आधार पर 14 भू-आकृतिक जोन में विभाजित किया गया है और सभी भू-आकृतिक जोन का प्रतिनिधित्व कर रहे 60 जिलों को वन संसाधनों की तालिका हेतु द्वि-वार्षिक चक्र पर यदृच्छा से चयन किया जाता है। चयनित जिलों से प्राप्त परिणाम, भू-आकृतिक जोन स्तर पर और बढ़ते हुए स्टाफ का आकलन प्राप्त करने के लिए अंततः राष्ट्रीय स्तर पर संकलित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, भारत वन सर्वेक्षण देश में वन आवरण का निर्धारण डिजीटल उपग्रह डाटा की इमेज प्रोसेसिंग के माध्यम से किया जाता है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनाच्छादित/अवक्रमित वन क्षेत्रों के विकास के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:—

(1) अनुमोदित कार्य प्रणाली योजनाओं, वन विकास अभिकरणों और संयुक्त वन प्रबंधन (जे एफ एम) के माध्यम से लोगों की सहभागिता प्राप्त करना, जैसे प्रबंधन उपाय।

(2) 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अवक्रमित वनों और आस-पास की भूमियों के पुनरुद्भव के लिए, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन ए पी) का क्रियान्वयन। इस

स्कीम को वन प्रभाग स्तर पर विकास अभिकरण (एफ डी ए) और ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जे एफ एम सी) के द्विस्तरीय विकेन्द्रित व्यवस्था के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।

(3) 2005-2006 में वृक्षारोपण हेतु गुणवत्ता रोपण सामग्री के उपयोग और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीनिंग इंडिया हेतु सहायता-अनुदान के लिए पुनः संरचनात्मक स्कीम प्रारम्भ की गई है।

(4) राज्यों को परामर्श दिया गया है कि वे वन और वृक्षावरण में वृद्धि में योगदान देने के लिए सभी भू-स्वामित्व विभागों का सहयोग प्राप्त करने हेतु मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में राज्य-स्तरीय समन्वय समितियां गठित करें।

(5) गैर वनोत्तर क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वनीकरण को बढ़ावा देने के लिए गैर-वन निजी भूमियों पर उगाई गई वृक्ष प्रजातियों के लिए वृक्ष कटाई और पारगमन विनियमों को औचित्यपूर्ण बनाने के लिए दिशानिर्देश।

(6) अवक्रमित भूमियों के वनीकरण हेतु मल्टी-स्टेक होल्डर पार्टनरशिप (एम एस पी) प्रस्तुत की गई है।

इसके अतिरिक्त, राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारें विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वनीकरण कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही हैं।

[अनुवाद]

गन्ने से एथेनाल उत्पादन

3654. श्री पी. मोहन: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शीरा/एल्कोहाल से एथेनाल के उत्पादन की तुलना में इसके गन्ने से सीधे तौर पर उत्पादन के फायदे को देखते हुए कोई परियोजना शुरू की गई है और विभिन्न कच्ची सामग्रियों का प्रयोग करके उत्पादन किए जाने की लागत क्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) घरेलू चीनी उत्पादन पर उक्त परियोजना का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) चीनी उद्योग से उपलब्ध सूचना के अनुसार दो चीनी मिलों ने द्वितीयक गन्ना रस से परीक्षण के आधार पर एथेनाल का उत्पादन किया है लेकिन वे अब गन्ने के रस से सीधे एथेनाल का उत्पादन नहीं कर रहे हैं। चूंकि भारत में गन्ने के रस से एथेनाल का कोई उल्लेखनीय वाणिज्यिक उत्पादन नहीं हुआ है। अतः अभी यह स्थापित किया जाना बाकी है कि क्या यह शीरे/एल्कोहल से एथेनाल के उत्पादन की तुलना में अधिक लाभप्रद है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ई पी एफ ओ धनराशि का निवेश

3655. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई पी एफ ओ) ने शेयरों और म्यूचुअल फंडों में वृद्धिकारी जमा राशि का निवेश करने की वित्त मंत्रालय की अनुमति के बावजूद निवेश को केवल ऋण पत्रों में सीमित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे धनराशि प्रतिफल अर्जित किए बिना निष्क्रिय पड़ी रहेगी;

(ग) यदि हां, तो क्या ई पी एफ ओ पर पूर्ववर्ती विशेष जमा योजना (एस डी एस) से ऋण शोधन के कारण दिसम्बर, 2006 तक अतिरिक्त देनदारी बढ़ जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो ई पी एफ ओ द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में 300 करोड़ रुपये की अनुमानित हानि को टालने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (घ) निधि से संबंधित सभी राशियां सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित निवेश स्वरूप के अनुसार निवेश की जाती हैं। यद्यपि, वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 24.01.2005 की अपनी अधिसूचना संख्या एफ 5 (53)/2002-ई.सी.बी. एंड टी-आर द्वारा निर्धारित निवेश स्वरूप में इक्विटियों में निवेश के विकल्प का प्रावधान है, फिर भी कर्मचारी भविष्य निधि से संबंधित राशियों के निवेश के प्रयोजन हेतु श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा इसे अधिसूचित किया जाना है। निधियों को समुचित निवेश के अवसर मौजूद होने के फलस्वरूप इन्हें बेकार नहीं रखा जाता है।

निवेश निधि प्रबंधक नामतः भारतीय स्टेट बैंक द्वारा (रिस्क-रिटर्न) की संभावनाओं को देखते हुए निवेश की मौजूदा पद्धति के अनुरूप निवेश किया जाता है।

एकीकृत राष्ट्रीय नकदी फसल योजना

3656. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार किसानों के खाद्य फसलों से नकदी फसलों को खेती .की ओर व्यापक रूझान के मद्देनजर एक एकीकृत राष्ट्रीय नकदी फसल योजना की रूपरेखा बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं। सरकार का देश में नकदी फसलों के लिए एक समेकित राष्ट्रीय प्लान बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

कृषि परीक्षण प्रयोगशालाएं

3657. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन कीटनाशकों, उर्वरकों और माइक्रोन्यूटरिएंट की स्थान-वार कितनी कृषि परीक्षण प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या ये प्रयोगशालाएं किसानों की मौजूदा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी प्रयोगशालाओं की संख्या और क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र को आमंत्रित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) केन्द्र तथा राज्य सरकारों के नियंत्रण में कार्य कर रही कृमिनाशी परीक्षण प्रयोगशालाओं और उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की संख्या और अवस्थिति का ब्यौरा विवरण-I और II में दिया गया है।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों को समय-समय पर कृमिनाशी परीक्षण प्रयोगशालाएं और उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं स्थापित/सुदृढ़ करने की सलाह दी जाती है जिसके लिए संघ सरकार द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(घ) और (ङ) सरकार कृमिनाशी परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना में निजी क्षेत्र की सहभागिता की अनुमति देने के लिए सहमत हैं बशर्ते वे कीटनाशी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित कर्त्तव्यों, उत्तरदायित्वों और बाध्यताओं को पूरा करें।

विवरण I

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कृमिनाशी परीक्षण प्रयोगशालाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रयोगशालाओं की संख्या	अवस्थिति
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	5	राजेन्द्र नगर, गुंटूर, अनंतपुर, तेदीपल्लीगुदेम और वारंगल
2.	असम	1	गुवाहाटी
3.	बिहार	1	पटना
4.	गुजरात	2	जूनागढ़ और गांधीनगर
5.	हरियाणा	2	करनाल और सीरसा
6.	हिमाचल प्रदेश	1	शिमला

1	2	3	4
7.	जम्मू-कश्मीर	2	श्रीनगर और जम्मू
8.	कर्नाटक	5	बंगलोर, बेल्लारी, धारवाड़, शिमोगा और कुन्नूर
9.	केरल	1	त्रिवेन्द्रम
10.	मध्य प्रदेश	1	जबलपुर
11.	महाराष्ट्र	4	पुणे, अमरावती, थाणे और औरंगाबाद
12.	मणिपुर	1	मंत्रीपुखरी
13.	उड़ीसा	1	भुवनेश्वर
14.	पंजाब	3	अमृतसर, लुधियाना और भटिण्डा
15.	राजस्थान	2	जयपुर, बीकानेर
16.	तमिलनाडु	9	कोयम्बटूर, कोविलपत्ती, इरोड, मदुरई, त्रिची, अधूतरई, सलेम, कुडालोर और कांचीपुरम
17.	त्रिपुरा	1	अगरतला
18.	उत्तरांचल	1	रूद्रपुर
19.	उत्तर प्रदेश	4	मेरठ, लखनऊ (2) और वाराणसी
20.	पश्चिम बंगाल	1	मिदनापुर
21.	पांडिचेरी	1	पांडिचेरी
	कुल	49	

ख. क्षेत्रीय कृमिनाशी परीक्षण प्रयोगशालाएं

1.	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2	कानपुर, चंडीगढ़

ग. केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशालाएं

1.	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1	फरीदाबाद

विवरण II

देश में उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	प्रयोगशालाओं की संख्या	अवस्थिति
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	5	अनंतपुर, गुंटूर, हैदराबाद, वारंगल, पश्चिम गोदावरी
2.	असम	1	गुवाहाटी

1	2	3	4
3.	बिहार	1	पटना
4.	छत्तीसगढ़	1	रायपुर
5.	गुजरात	3	गांधीनगर, जूनागढ़, बरदोली
6.	हरियाणा	2	करनाल, हिसार
7.	हिमाचल प्रदेश	2	हमीरपुर, सुंदर नगर
8.	जम्मू-कश्मीर	2	जम्मू, श्रीनगर
9.	झारखंड	1	रांची
10.	कर्नाटक	4	बेलथनगैडी, बंगलोर, धारवाड़, गंगवती
11.	केरल	2	पातम्बी, तिरूवनंतपुरम
12.	मध्य प्रदेश	4	भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर
13.	महाराष्ट्र	4	अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक, पुणे
14.	मिजोरम	1	आइजोल
15.	उड़ीसा	2	भुवनेश्वर, संबलपुर
16.	पांडिचेरी	1	पांडिचेरी
17.	पंजाब	2	लुधियाना, फरीदकोट
18.	राजस्थान	3	जयपुर, जोधपुर, उदयपुर
19.	तमिलनाडु	14	कोयम्बटूर, कोविलपत्ती, विल्लुपुरम, नागरकोईल, कांचीपुरम, तिरूचापल्ली, मदुरई, परमकुंडी, उधगमंडलम, डिंडीगुल, सलेम, कुंबकोणम, धरमपुरी, थिरूवरूर
20.	उत्तर प्रदेश	3	मेरठ, वाराणसी लखनऊ
21.	उत्तरांचल	2	उधम सिंह नगर, पौडी
22.	पश्चिम बंगाल	3	कोलकाता, मुर्शिदाबाद, मिदनापुर
23.	केन्द्रीय सरकार की प्रयोगशालाएं	4	फरीदाबाद, चेन्नई, मुम्बई, कोलकाता
	कुल प्रयोगशालाओं की सं.	67	

नैदानिक अनुसंधान बाजार

3658. श्री एल. राजगोपाल: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में नैदानिक अनुसंधान बाजार कथित तौर पर 100 मिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान है और वर्ष 2010 तक यह 300 मिलियन अमरीकी डालर हो जाएगा;

(ख) यदि हां, तो विश्व बाजार में भारत द्वारा कितना आउटसोर्सड अनुसंधान व्यापार हासिल किया गया है;

(ग) क्या चीन विश्व में तीव्र गति से बढ़ता हुआ भेषज बाजार है;

(घ) यदि हां, तो क्या भारत संसाधनों, उद्योग और विशेषज्ञ संस्थानों के बीच बहुत अच्छे संबंधों के अभाव, अपर्याप्त विनियामक मानदंडों आदि के कारण चीन और अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो भारत को विश्व का भेषज अनुसंधान और विकास केन्द्र बनाने के लिए इन मुद्दों का समाधान निकालने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (ङ) मैकेंजी रिपोर्ट, जैसा कि फार्मा बायो वर्ल्ड (मार्च-अप्रैल, 2005) में रिपोर्ट की गई है, के अनुसार 2010 में नैदानिक अनुसंधान बाजार के 1.5 बिलियन यूएस डालर तक बढ़ जाने की संभावना है। 1.1.2005 से भारत में औषध के मामले में उत्पाद पेटेंट लागू हो जाने के साथ संविदा अनुसंधान एवं विकास कार्य के लिए पश्चिमी फार्मा कंपनियों का भारत के प्रति आत्मविश्वास का स्तर बढ़ रहा है, जबकि अग्रणी भारतीय कंपनियां भी स्वयं ही भारत में नैदानिक परीक्षण कर रही हैं। नैदानिक परीक्षण के क्षेत्र में यूएसए की अपेक्षा भारत को लागत में लगभग 50% का लाभ है। उन्नत आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण देश नैदानिक परीक्षण का केन्द्र बन रहा है। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने चरण 2 एवं चरण 3 नैदानिक परीक्षणों को चलाने के लिए भारत को आधार के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं। देश में भेषज क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को संवर्धित करने के लिए राजकोषीय एवं गैर राजकोषीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं। यद्यपि इस विभाग के पास वर्तमान बाजार के सही आकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है, फिर भी इन विकासों से भारत में नैदानिक अनुसंधान बाजार में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है।

[हिन्दी]

किसानों के गेहूं के भंडारण के लिए सुविधा

3659. श्री दरोगा प्रसाद सरोज: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार किसानों के गेहूं का सरकारी गोदामों में भंडारण करने के लिए कोई योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के अतंर्गत किसानों को क्या लाभ मिलने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) केन्द्रीय भण्डारण निगम तथा राज्य भंडारण निगमों ने गेहूं सहित किसानों के कृषि उत्पाद को सरकारी गोदामों में रखने के लिए योजनाएं तैयारी की हैं।

(ख) किसान अपने गेहूं तथा अन्य कृषि उत्पाद को केन्द्रीय भण्डारण निगम के भांडागारों तथा राज्य भंडारण निगमों के भांडागारों में भंडारित कर सकते हैं।

(ग) (1) केन्द्रीय भण्डारण निगम किसानों को उनके द्वारा केन्द्रीय भण्डारण निगम के भांडागारों में भंडारित स्टाक के लिए देय भंडारण प्रभारों में 30% की रियायत देता है।

(2) केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा किसानों द्वारा भंडारित स्टाक के प्रति उन्हें जारी की गई भांडागार रसीद के बूते पर बैंक किसानों को ऋण सुविधाएं/कम ब्याज पर ऋण भी देते हैं।

(3) गेहूं को वैज्ञानिक ढंग से भंडारित किया जाता है और भंडारण हानियों को न्यूनतम किया जाता है।

कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार

3660. श्री विजय कृष्ण: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश की कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार करने हेतु नई कार्य-योजना को कार्यान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी उद्देश्यों सहित ब्यौरा क्या है; और

(ग) नयी कार्य-योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि नीति (2000) भारतीय कृषि की व्यापक अप्रयुक्त विकास क्षमता को यथार्थवादी बनाने, तीव्र कृषि विकास के समर्थन के लिए ग्रामीण अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने, मूल्यवर्धन को बढ़ाने, कृषि व्यापार के विकास में तेजी लाने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन करने, किसानों एवं कृषि कामगारों तथा उनके परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने, शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन को हतोत्साहित करने और आर्थिक उदारीकरण एवं वैश्वीकरण से उत्पन्न हो रही चुनौतियों का मुकाबला करने पर विचार करती है। आगामी दो दशकों में इसका उद्देश्य निम्नलिखित को पाना है:—

* कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक विकास दर;
* विकास जो संसाधनों के कुशलतम प्रयोग पर आधारित हो तथा मृदा, जल का संरक्षण करे और जैव-विविधता अपनाएं।
* साम्यता के साथ विकास अर्थात् विकास जो पूरे क्षेत्र और किसानों तक फैला हो;
* विकास जो मांग-चालित हो और घरेलू मंडियों का प्रबन्धन करे तथा आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण से उत्पन्न हो रही चुनौतियों का सामना करने में कृषि उत्पादों के निर्यातों से होने वाले लाभों को अधिकतम करें।
* विकास जो प्रौद्योगिकीय, पर्यावरणीय और आर्थिक रूप से दीर्घकालिक हो।

तद्नुसार, सरकार कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए कई स्कीमें कार्यान्वित कर रही है। तैयार की गई कार्यनीतियों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है: - (1) किसानों को संस्थागत ऋण प्रवाह बढ़ाना और सहकारी ऋण ढांचे का सुदृढ़ीकरण; (2) गुणवत्ता वाले आदानों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना; (3) कृषक-अनुकूल, मांग चालित कृषि विस्तार प्रणाली को बढ़ाना; (4) बागवानी क्रियाकलापों सहित उच्च कीमत वाली फसलों की ओर विविधीकरण में तेजी लाना; (5) अवसंरचना तथा आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ बनाना; (6) लघु सिंचाई, पनधारा विकास परियोजनाओं के जरिए उपलब्ध जल संसाधनों के कुशलतम उपयोग को अनुकूलतम करना तथा शुष्क भूमि/वर्षा सिंचित कृषि प्रणाली की दीर्घकालिकता को बढ़ावा देने के लिए जल संरक्षण संबंधी उपाय करना; (7) कृषि मंडियों में सुधार लाना और फसलोपरान्त प्रौद्योगिकी का व्यापक प्रयोग करना; और (8) किसानों के लिए जोखिम प्रबंधन तंत्र के व्यापक स्पेक्ट्रम की शुरूआत करना।

प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकें

3661. श्री तूफानी सरोज: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और तत्पश्चात् प्रकाशन विभाग द्वारा कितनी पुस्तकें प्रकाशित की गई;

(ख) क्या सरकार इन पुस्तकों के लेखकों को रायल्टी का भुगतान करती है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार कितने लेखकों को रायल्टी का भुगतान किया गया और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) प्रकाशन विभाग द्वारा वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06 और 2006-07 (नवम्बर 2006 तक) में प्रकाशित पुस्तकों की कुल संख्या 516 है।

(ख) जी, हां। सरकार, निबंधन एवं शर्तों और समझौता-ज्ञापन के अध्यधीन लेखकों को रायल्टी का भुगतान करती है।

(ग)

वर्ष	लेखकों की संख्या	रायल्टी की राशि (रुपये)
2003-04	310	10,62,883
2004-05	420	8,50,637
2005-06	356	5,16,912
2006-07 (नवम्बर, 2006 तक)	178	2,72,237
कुल	1264	27,02,669

ग्वार का उत्पादन

3662. श्री गिरधारी लाल भार्गव:
श्रीमती किरण माहेश्वरी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में ग्वार के उत्पादन और खपत का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार ग्वार के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) वर्ष 2005-06 के दौरान देश में ग्वार का राज्यवार उत्पादन निम्नानुसार था:-

(उत्पादन टन में)

1.	गुजरात	109600
2.	हरियाणा	2890
3.	पंजाब	17800
4.	राजस्थान	593218
5.	उत्तर प्रदेश	1880
	अखिल भारत	725388

ग्वार का उपयोग देश में मानव खपत, चारे और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है।

(ख) और (ग) भारत सरकार ग्वार सहित दलहनों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए 14 प्रमुख दलहन उत्पादक राज्यों यथा आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में ''समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम तथा मक्का स्कीम'' (आइसोपाम) नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रही है। इस स्कीम के अंतर्गत, प्रजनक बीज की खरीद, आधारी बीज के उत्पादन, प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण, बीज मिनिकिटों के वितरण, पौध रक्षण रसायनों, उपकरणों, खरपतवारनाशियों के वितरण, राइजोबियम कल्चर/फास्फेट घुलनशील बैक्टीरीया की आपूर्ति, जिप्सम/पाइराईट/लाईमिंग/डोलोमाईट के वितरण, स्प्रिंकलर सैटों और पानी ले जाने वाले पाइपों के वितरण, प्रचार आदि के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि किसानों को बड़े पैमाने पर दालें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। किसानों में उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी के प्रसार के लिए राज्य कृषि विभागों के माध्यम से ब्लाक प्रदर्शन और समेकित कृमि प्रबन्धन (आईपीएम) प्रदर्शन तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के माध्यम से अग्रणी प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं।

[अनुवाद]

पर्यटन परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति

3663. श्री रनेन बर्मन: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल की कुछ पर्यटन विकास परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि क्षेत्र में रोजगार दर

3664. श्री के. सुब्बारायण: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कृषि क्षेत्र में किसी अन्य क्षेत्र की तुलना में अधिक व्यक्तियों को किसानों और कृषि मजदूरों के रूप में रोजगार मिलता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत दो दशकों के दौरान कृषि क्षेत्र में रोजगार की दर क्या है;

(ग) कृषि मजदूरों के लिए विभिन्न केन्द्रीय कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान ऐसी प्रत्येक योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) वर्ष 1999-2000 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा करवाये गये सर्वेक्षण के अनुसार, असंगठित क्षेत्र में कामगारों की कुल संख्या 36.9 करोड़ थी। इनमें से 23.7 करोड़ कामगार कृषि क्षेत्र में थे।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) वर्तमान में, सभी कृषि कामगारों के लिए अलग से कोई केन्द्रीय श्रम कल्याण योजना नहीं है। तथापि, जो कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे हैं उनका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों का स्थायी विकास करना है। जबकि 'सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना' तथा 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' का उद्देश्य मजदूरी रोजगार उपलब्ध करवाना है, 'स्वर्णजयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना' का उद्देश्य कृषि कामगारों सहित ग्रामीण निर्धनों को स्व-रोजगार उपलब्ध करवाना है।

विवरण

कृषि में सामान्यतया नियोजित व्यक्तियों का प्रति 1000 वितरण

स्रोत: राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन

रा.प्र.सं. दौर	ग्रामीण		शहरी	
(सर्वेक्षण अवधि)	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
61वां (2004-05)	665	833	61	181
55वां (1990-00)	714	854	66	177
50वां (1993-94)	741	862	90	247
43वां (1987-88)	745	847	91	294

[हिन्दी]

जल विकास कार्यक्रम

3665. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पंचायती राज संस्थानों द्वारा क्रियान्वित किए जाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कोई जल विकास कार्यक्रम शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार केवल हरियाली कार्यक्रम का विस्तार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) जल राज्य का विषय होने के कारण संबंधित राज्य सरकारें जल संसाधनों के उपयोग के लिए सतही और भूजल दोनों प्रकार की वृहद, मध्यम और लघु स्कीमों की संकल्पना, आयोजना और कार्यान्वयन करती हैं। भारत सरकार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी); कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) कार्यक्रम; कृषि से सीधे तौर पर जुड़े जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार संबंधी राष्ट्रीय परियोजना इत्यादि जैसी विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता मुहैया करा रही है। भारत सरकार वर्षा जल संचयन और भूजल के पुनर्भरण को भी बढ़ावा देती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम, 2005 में (1) जल संरक्षण और जल संचयन, (2) सूक्ष्म और लघु सिंचाई कार्यों सहित सिंचाई नहरें, (3) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित परिवारों के स्वामित्व वाली भूमि अथवा भूमि सुधारों के लाभग्राहियों अथवा भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के तहत लाभग्राहियों की भूमि के लिए सिंचाई सुविधा का प्रावधान, (4) टैंकों की गाद हटाने सहित पारंपरिक जल निकायों का नवीकरण; और (5) जल जमावग्रस्त क्षेत्रों में जलनिकास सहित बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा कार्य से जुड़े क्षेत्रों पर भली भांति ध्यान दिया गया है।

(ग) और (घ) भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हरियाली कोई कार्यक्रम नहीं; बल्कि तीन क्षेत्र विकास कार्यक्रमों अर्थात एकीकृत परतीभूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) और मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) के कार्यान्वयन के लिए सामान्य दिशानिर्देश हैं जोकि वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित किए जाते हैं।

ध्वनि प्रदूषण

3666. श्री राकेश सिंह: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विमान पत्तन देश में विशेषकर महानगरों में ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत बन गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ध्वनि प्रदूषण निगरानी कार्य शुरू किया है/शुरू करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) ऐसे कार्यों के कार्यान्वयन में किस तरह की सीमाएं शामिल हैं; और

(च) इससे निपटने हेतु क्या उपाय करने का प्रस्ताव/पहल की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) विमानपत्तनों में वायु यातायात में बढ़ोत्तरी, विशेषकर महानगरों में, विमानपत्तनों के आस-पास ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में से एक है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, नई दिल्ली के आस-पास परिवेशी ध्वनि स्तरों की मानीटरी के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की को एक अध्ययन प्रायोजित किया है। सीपीसीबी ने भी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन, नई दिल्ली और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस विमान पत्तन, कलकत्ता के आस-पास परिवेशी ध्वनि स्तरों की मानीटरी की है। मानीटरी के परिणाम दर्शाते हैं कि ध्वनि स्तर अधिसूचित परिवेशी ध्वनि मानकों की तुलना में अधिक है।

(ङ) और (च) वायुयानों की आवाजाही से विमान पत्तनों के आस-पास उत्पन्न होने वाले परिवेशी ध्वनि स्तरों की प्रभावी मानीटरी और आवश्यक मानीटरी नेटवर्क स्थापित करने के लिए, सी पी सी बी ने "विमानपत्तनों के आस-पास वायुयानों से उत्पन्न परिवेशी ध्वनि स्तरों की मानीटरी के लिए प्रक्रिया" पर एक दस्तावेज तैयार करना शुरू किया है।

[अनुवाद]

जल क्षेत्र का निजीकरण

3667. श्री ब्रजेश पाठक: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जल क्षेत्र को निजी प्रबंधन के हाथ में सौंपने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके ब्यौरे और कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने कोई राष्ट्रीय जल नीति बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने 1 अप्रैल 2002 को संपन्न हुई अपनी पांचवीं बैठक में राष्ट्रीय जल नीति, 2002 (एनडब्ल्यूपी) को अपनाया था।

(घ) राष्ट्रीय जल नीति 2002 की प्रमुख विशेषताएं विवरण में दी गई हैं।

विवरण

राष्ट्रीय जल नीति, 2002 की प्रमुख विशेषताएं

* जल एक बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन है और इसकी आयोजना, विकास और प्रबंधन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए।

* विद्यमान केन्द्रीय और राज्य स्तर के अभिकरणों को एकीकृत और सुदृढ़ करते हुए राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर जल संबंधी आंकड़ों के वास्ते आंकड़ा बैंकों और आंकड़ा आधारों के नेटवर्क युक्त एक सुविकसित सूचना प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए।

* जल संसाधन विकास और प्रबंधन की आयोजना, जल वैज्ञानिक यूनिट के आधार पर की जानी चाहिए। नदी बेसिनों के नियोजित विकास और प्रबंधन के लिए उपयुक्त नदी बेसिन संगठनों की स्थापना की जानी चाहिए।

* जल की कमी वाले क्षेत्रों को अन्य क्षेत्रों से जल हस्तांतरित करके जल उपलब्ध कराया जाना चाहिए और एक नदी बेसिन से दूसरे बेसिनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जल का हस्तांतरण किया जाना चाहिए।

* जहां तक संभव हो जल संसाधन के विकास के लिए परियोजना की आयोजना बहुउद्देश्यीय होनी चाहिए। यह आयोजना मानव व पारिस्थितिकीय पहलुओं और समाज के जो वर्ग लाभ से वंचित रह रहे हैं उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर एकीकृत एवं बहुविषयी दृष्टिकोण पर आधारित होनी चाहिए।

* जल के आबंटन में पेयजल को पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए इसके बाद क्रम से सिंचाई, जल विद्युत, पारिस्थितिकीय, कृषि-उद्योगों और गैर कृषि उद्योगों, नौवहन और अन्य उपयोगों को।

* भूजल के उपयोग को पुनर्भरण संभावनाओं तथा सामाजिक समानता के संबंध में विनियमित किया जाना चाहिए। भूजल के अति दोहन के हानिकर पर्यावरणीय परिणामों को प्रभावी ढंग से रोके जाने की जरूरत है।

* निर्माण और सुधार क्रियाकलाप एक साथ बढ़ाने को सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक आयोजन करने की आवश्यकता है। पुनर्स्थापना और पुनर्वास जरूरतों पर मूल राष्ट्रीय नीति तैयार किए जाने की जरूरत है ताकि उचित पुनर्वास के द्वारा परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों को लाभ पहुंच सके।

* विद्यमान जल संसाधन सुविधाओं के वास्तविक और वित्तीय स्थायित्व पर पर्याप्त बल दिए जाने की जरूरत है। विभिन्न उपयोगों के लिए जल प्रभार सुनिश्चित किए जाने चाहिए ताकि प्रारंभ में कम से कम प्रचालन और रखरखाव दरें और बाद में पूंजीगत लागत का कुछ भाग प्राप्त हो सके।

* विभिन्न सरकारी अभिकरणों सहित उपयोगकर्ता और अन्य दावाधारकों को शामिल करते हुए प्रभावी और निर्णायक तरीके से विभिन्न उपयोगों के लिए जल संसाधनों का प्रबंधन किया जाना चाहिए।

* विविध उपयोगों के लिए, जहां व्यवहार्य हो जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, विकास और प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

* सतही और भूजल की गुणवत्ता के लिए नियमित रूप से मानीटरी की जानी चाहिए। निस्सरणों को प्राकृतिक नदियों में बहाये जाने से पहले उनमें स्वीकार्य स्तरों और मानकों के अनुसार सुधार करना चाहिए। पारिस्थितिकी को बनाए रखने के लिए बारहमासी नदियों में न्यूनतम प्रवाह को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

* जल के विविध उपयोगों में उपयोग की कारगरता में सुधार किया जाना चाहिए तथा शिक्षा, विनियमन, प्रोत्साहनों व दंड व्यवस्था करके जल संरक्षण जागरूकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

* प्रत्येक बाढ़ प्रवण बेसिन के बाढ़ नियंत्रण और प्रबंधन के लिए मास्टर योजना होनी चाहिए। बाढ़ नियंत्रण और प्रबंधन में बाढ़ों की तीव्रता कम करने की कार्यनीति होनी चाहिए।

* कम लागत में उपयुक्त उपाय अपनाकर समुद्र या नदी से होने वाले कटाव को कम से कम किया जाना चाहिए। तटीय क्षेत्रों एवं बाढ़ मैदान अंचलों में अंधाधुंध खेती को और आर्थिक क्रियाकलापों को विनियमित किया जाना चाहिए।

* जल संसाधनों के विकास के लिए परियोजनाओं की आयोजना में सूखा प्रवण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इन क्षेत्रों को विभिन्न उपायों के द्वारा सुरक्षित बनाया जाना चाहिए।

* राज्यों के बीच जल बंटवारा/वितरण को जल संसाधन उपलब्धता और नदी बेसिन की जरूरतों को देखते हुए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिए।

* जल संसाधन विकास के एकीकृत हिस्से के रूप में प्रशिक्षण और अनुसंधान के प्रयास किए जाने चाहिए।

चावल का उत्पादन

3668. श्री जी.वी. हर्ष कुमार: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में इस समय चावल का राज्य-वार कुल कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या देश में चावल का उत्पादन इसकी आवश्यकता के अनुरूप है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उत्पादन और आवश्यकता के अंतर को पाटने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) पिछले तीन वर्षों, यानि 2003-04 से 2005-06 तक के दौरान देश में चावल का राज्यवार उत्पादन विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) निम्नलिखित सारणी 2003-04 से 2005-06 के वर्षों के दौरान देश में चावल का उत्पादन तथा अनुमानित खपत आवश्यकता दर्शाती है:

(मिलियन टन)

वर्ष	चावल		
	घरेलू उत्पादन	खपत आवश्यकता	अन्तर
2003-04	88.53	87.92	0.61
2004-05	83.13	89.24	-6.11
2005-06	91.04*	90.54	0.50

*15.07.2006 को जारी चौथे अग्रिम अनुमान

टिप्पणी: राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के 55वें दौर की रिपोर्ट में सूचित (1999-2000) प्रति इकाई मासिक उपभोग की मात्रा तथा भारत के महा पंजीयक के कार्यालय द्वारा दिए गए प्रक्षेपित जनसंख्या के आधार पर खपत आवश्यकता की गणना की गई है।

वर्ष 2004-05 को छोड़कर जिसमें दक्षिण-पश्चिम मानसून के कम वर्षा के कारण चावल उत्पादन में कमी आई, चावल का उत्पादन अनुमानित खपत आवश्यकता से मिलता है।

(घ) देश में चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम ''चावल आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (आई.सी.डी.पी.-चावल)'' कार्यान्वित की जा रही है। स्कीम के अंतर्गत उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी, हाइब्रीड चावल उत्पादन प्रौद्योगिकी, खेतों पर प्रदर्शनों के द्वारा एकीकृत कीटनाशक प्रबन्धन, महिलाओं सहित किसानों का प्रशिक्षण, इलैक्ट्रानिक मीडिया एवं प्रकाशित सामग्री के द्वारा प्रौद्योगिकी का स्थानान्तरण, कृषि उपकरणों, टपकाव सिंचाई प्रणाली की स्थापना, तथा किस्मीय बदलाव प्रमाणित बीजों के उत्पादन के प्रचार के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त किसानों के खेतों पर 100% भारत सरकार की सहायता पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) द्वारा फ्रन्ट लाइन प्रदर्शन भी आयोजित किए जाते हैं।

विवरण

राज्यवार चावल का उत्पादन

(मिलियन टन)

क्र.सं.	राज्य	2003-04	2004-05	2005-06*
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	8953.0	9601.0	11692.0
2.	अरुणाचल प्रदेश	154.6	135.0	#

1	2	3	4	5
3.	असम	3880.0	3470.7	3430.0
4.	बिहार	5447.8	2472.2	3417.0
5.	छत्तीसगढ़	5567.6	4383.3	5012.0
6.	गोवा	170.7	145.2	#
7.	गुजरात	1277.0	1238.2	1331.0
8.	हरियाणा	2790.0	3023.0	3210.0
9.	हिमाचल प्रदेश	120.6	122.0	109.0
10.	जम्मू-कश्मीर	504.2	492.2	518.0
11.	झारखंड	2310.0	1677.0	1558.0
12.	कर्नाटक	2550.3	3547.0	4351.0
13.	केरल	570.0	667.1	635.0
14.	मध्य प्रदेश	1750.3	1169.0	1656.0
15.	महाराष्ट्र	2835.0	2164.0	2433.0
16.	मणिपुर	381.2	435.9	#
17.	मेघालय	200.7	193.7	#
18.	मिजोरम	114.6	104.1	#
19.	नागालैंड	248.0	259.8	#
20.	उड़ीसा	6733.7	6466.0	6753.0
21.	पंजाब	9656.0	10437.0	10193.0
22.	राजस्थान	164.8	150.4	153.0
23.	सिक्किम	21.2	21.6	#
24.	तमिलनाडु	3222.8	5062.2	6127.0
25.	त्रिपुरा	516.6	545.1	#
26.	उत्तर प्रदेश	13018.8	9555.6	11130.0
27.	उत्तरांचल	569.0	572.0	590.0
28.	पश्चिम बंगाल	14662.3	14884.8	14864.0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	30.9	29.2	#

1	2	3	4	5
30.	दादर और नगर हवेली	22.3	23.4	#
31.	दिल्ली	11.1	14.3	#
32.	दमन और दीव	3.9	4.0	#
33.	पांडिचेरी	67.0	65.7	#
34.	अन्य	लागू नहीं	लागू नहीं	1877.0
35.	समस्त भारत	88526.0	83131.7	91039.0

*15.07.2006 को जारी चौथे अग्रिम अनुमान

#अन्य में शामिल

आकाशवाणी रोहतक से विज्ञापन प्रसारण

3669. श्री किशन सिंह सांगवान: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आकाशवाणी रोहतक के अलावा कई आकाशवाणी केन्द्र अभ्यर्थियों की सूचना के लिए संघ लोक सेवा आयोग के भर्ती विज्ञापनों का प्रसारण करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य के बेरोजगार युवकों की भारी मांग को ध्यान में रखते हुए आकाशवाणी रोहतक के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग के भर्ती विज्ञापनों के प्रसारण संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि देश के एक प्रमुख लोक सेवा प्रसारक होने के नाते आकाशवाणी, रोजगार समाचार में प्रकाशित सूचना सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचना का प्रयोग करते हुए रोजगार समाचार/रोजगार संबंधी सूचना का नियमित रूप में प्रसारण करता है। आकाशवाणी, रोहतक भी युवाओं के लिए अपने कार्यक्रम में रोजगार समाचार में प्रकाशित संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित रिक्तियों और समय-समय पर अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा विज्ञापित रिक्तियों का प्रतिदिन प्रसारण करता है।

झूम खेती

3670. श्री मणि चारेनामै: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेषकर पूर्वोत्तर में झूम खेती के अध्ययन की जिम्मेदारी किस एजेंसी/संस्थान की है;

(ख) देश में झूम खेती में लगे परिवारों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) झूम खेती से धान का राज्य-वार प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना है;

(घ) क्या झूम खेती पर निर्भर किसानों के लिए वैकल्पिक सतत् पेशे की सिफारिश की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) बारापानी, मेघालय में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), कम्पलैक्स और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जल और भूमि प्रबन्धन संस्थान (एनईआरआईडब्ल्यूएएलएम), तेजपुर, असम, पूर्वोत्तर राज्यों में झूम खेती के अध्ययन में लगे हैं।

(ख) भारत में झूम खेती संबंधी कार्यबल की रिपोर्ट के अनुसार झूम खेती में संलग्न परिवारों की राज्यवार संख्या विवरण में दी गई है।

(ग) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों में झूम खेती क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना कार्यक्रम का मूल्यांकन करते समय झूम भूमि का उत्पादकता स्तर आंका गया है। मिश्रित फसलन के अंतर्गत धान की औसत उपज नागालैंड के लिए पूर्व एवं पश्च उपचार में 755 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर पाई

गई। केवल धान की कृषि के मामले में त्रिपुरा के लिए पूर्व एवं पश्च आंकड़े 1632 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर और 1786 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार 1994-95 से सभी पूर्वोत्तर राज्यों यथा अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में "झूम खेती क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना (डब्ल्यूडीपीएससीए)" की राज्य योजना स्कीम के लिए 100% अनुदान से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देने की योजना कार्यान्वित कर रही है और दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी यह जारी रही है। इस स्कीम का उद्देश्य व्यवस्थित कृषि को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने के जरिए इन क्षेत्रों में रहने वाले झूमिया परिवारों के सामाजिक आर्थिक उत्थान और झूम खेती से प्रभावित भूमि का उपचार करते हुए पनधारा आधार पर झूम क्षेत्रों का समग्र विकास करना है।

दसवीं योजना (2002-2006) के प्रथम चार वर्षों के दौरान 0.898 लाख हैक्टेयर क्षेत्र का विकास करने के लिए 88.66 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग कर लिया गया है और 2006-07 के लिए 0.40 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को कवर करने के लिए 40.00 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान झूमिया परिवारों को व्यवस्थित कृषि अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 43967 परिवारों को विविधीकृत कृषि प्रथाओं, बागवानी विकास, घरेलू क्रियाकलापों और आजीविका समर्थन पद्धति के माध्यम से वैकल्पिक रोजगार दिया गया।

विवरण

परिवारों की संख्या लाख में

क्र.सं.	राज्य	झूमिया परिवारों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	0.232
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.540
3.	असम	0.580
4.	बिहार	0.122
5.	मध्य प्रदेश	0.025
6.	मणिपुर	0.700
7.	मेघालय	0.523
8.	मिजोरम	0.500
9.	नागालैंड	1.161
10.	उड़ीसा	1.410
11.	त्रिपुरा	0.430
	कुल	6.223

स्रोत: भारत में झूम खेती के संबंध में कार्यबल की रिपोर्ट

चीनी मिलों की उत्पादन क्षमता

3671. श्री मंजुनाथ कुन्नुर: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चीनी मिलों का ब्यौरा, उनकी उत्पादन क्षमता और पिछले तीन वर्षों के दौरान गन्ना पेराई की वास्तविक मात्रा तथा उत्पादित चीनी का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों को भुगतान किए गए न्यूनतम और उच्चतम मूल्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज सहायता, ऋण आदि के रूप में मिलों को कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 चीनी मौसमों के दौरान वर्षवार तथा राज्यवार संस्थापित चीनी मिलों की संख्या, उनकी उत्पादन क्षमता, पेरे गए गन्ने तथा उत्पादित चीनी की मात्रा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 चीनी मौसमों के लिए गन्ना किसानों को अदा किए गए मूल्यों की रेंज निम्नवत् है:—

(रुपये प्रति क्विंटल)

चीनी मौसम	सब्सिडि
2003-2004	73.00 - 134.00
2004-2005	74.50 - 165.00
2005-2006	79.50 - 184.10

(ग) वित्तीय वर्ष 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा सब्सिडि तथा ऋणों के रूप में मुहैया कराई गई सहायता की स्थिति निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	सब्सिडि	ऋण
2003-2004	237.56	64.66
2004-2005	244.99	214.84
2005-2006	96.37	123.14

विवरण

2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान चीनी मौसमों (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान वर्षवार और राज्यवार चीनी फैक्ट्रियों की संख्या, उत्पादन क्षमता, पेरे गए गन्ने और उत्पादित चीनी की मात्रा

क्रसं.	राज्य	संस्थापित चीनी फैक्ट्री संख्या			उत्पादन क्षमता (लाख टन)			पेरा गया गन्ना (लाख टन)			चीनी का उत्पादन (लाख टन)		
		2003-04	2004-05	2005-06	2003-04	2004-05	2005-06	2003-04	2004-05	2005-06	2003-04	2004-05	2005-06
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	पंजाब	23	23	23	6.84	6.84	6.84	40.65	32.20	37.64	3.88	3.37	3.89
2.	हरियाणा	15	15	15	5.36	5.36	5.36	55.60	39.16	37.19	5.86	3.98	3.88
3.	उत्तर प्रदेश	120	122	131	44.11	45.37	52.34	463.52	514.72	605.74	46.08	51.52	55.64
4.	उत्तरांचल	10	10	10	4.12	4.12	4.12	39.73	39.55	45.19	3.93	3.36	4.14
5.	मध्य प्रदेश	11	11	11	1.54	1.54	1.54	9.17	5.95	8.02	0.94	0.78	0.94
6.	गुजरात	22	22	22	10.71	10.71	10.71	98.49	74.05	107.09	10.77	8.32	12.44
7.	महाराष्ट्र	185	186	188	69.35	69.78	70.09	291.88	194.54	442.75	31.99	23.03	52.64
8.	बिहार	28	28	28	4.85	4.85	4.85	28.97	26.49	44.59	2.77	2.70	4.19
9.	आंध्र प्रदेश	42	42	42	9.08	9.08	9.08	86.50	92.17	117.55	8.81	12.03	12.75
10.	कर्नाटक	47	48	51	14.46	14.59	15.44	109.35	102.78	161.83	11.57	11.32	20.09
11.	तमिलनाडु	38	38	38	15.24	15.24	15.24	92.80	114.92	165.97	11.90	14.75	21.38
12.	उड़ीसा	8	8	8	1.02	1.02	1.02	4.45	4.66	4.42	0.44	0.87	0.52
13.	पांडिचेरी	2	2	2	0.38	0.38	0.38	2.06	1.85	3.42	0.20	0.19	0.26
14.	राजस्थान	3	3	3	0.23	0.23	0.23	0.99	0.52	0.79	0.10	0.11	0.05
15.	छत्तीसगढ़	1	1	1	0.22	0.22	0.22	1.75	1.02	1.85	0.17	0.13	0.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.	असम	3	3	3	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	केरल	2	2	2	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
18.	पश्चिम बंगाल	2	2	2	0.07	0.07	0.07	0.83	0.58	0.59	0.07	0.05	0.07
19.	नागालैंड	1	1	1	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	गोवा	1	1	1	0.09	0.09	0.09	1.12	0.89	1.21	0.10	0.09	0.11
	अखिल भारत	564	568	582	188.02	189.85	197.97	1327.86	1246.05	1785.84	139.58	136.60	193.21

[हिन्दी]

मक्का का उत्पादन और मांग

3672. श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:
प्रो. महादेव राव शिवनकर:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में मक्का के कम उत्पादन और मक्का आधारित उद्योगों द्वारा इसकी बढ़ती मांग के संबंध में कोई मूल्यांकन कराया गया है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मक्का आधारित उद्योगों द्वारा कितनी मात्रा में मक्का प्राप्त किया गया;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में मक्का का कितना उत्पादन और खपत हुई है;

(घ) क्या सरकार का विचार मक्का निर्यात को कम करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जापानी सहायता से वानिकी

3673. श्री भर्तृहरि महताब:
श्री अनन्त नायक:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्त वर्ष के दौरान जापानी सहायता से उड़ीसा में वानिकी क्षेत्र विकास परियोजना क्रियान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह परियोजना राज्य के अनुसूचित जिलों में क्रियान्वित की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (घ) जी, हां। उड़ीसा वानिकी क्षेत्र विकास परियोजना को जापान बैंक फोर इन्टरनेशनल को-आपरेशन (जे बी आई सी) की ऋण सहायता से उड़ीसा राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा है जो चालू वित्त वर्ष 2006-07 से शुरू होकर वर्ष 2012-13 में समाप्त होगी। परियोजना घटकों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं अवक्रमित वनों का पुनरुद्धार, तटीय पौधारोपण, जैव-विविधता प्रबंधन और सामुदायिक/आदिवासी विकास। परियोजना की कुल लागत 659.78 करोड़ रुपये हैं जिसमें 100.08 करोड़ रुपये राज्य शेयर के हैं। अनुसूचित जिलों सहित जिले जिनमें परियोजना क्रियान्वित की जा रही है अंगुल, देवगढ़, गजपति, क्योंझर, कोरापुट, रायगड़ा, कन्धामल, सुंदरगढ़, बालासौर और भद्रक हैं।

कृषि विकास केन्द्र

3674. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में राज्य-वार और स्थान-वार कितने कृषि विकास केन्द्र कार्यरत हैं;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में कृषि विकास केन्द्रों की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इसे कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी) "कृषि-विकास केन्द्र" नामक कोई स्कीम कार्यान्वित नहीं कर रहा है।

तथापि, कृषि एवं सहकारिता विभाग "कृषि-क्लीनिक और कृषि-व्यवसाय केन्द्र" (एसीएबीसी) नामक एक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के तहत कवरेज के लिए चयनित कृषि स्नातकों को प्रशिक्षण और सहायता/समर्थन प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षित स्नातकों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्व-रोजगार मोड में अपने कृषि उद्यम स्थापित करें ताकि किसानों को शुल्क-आधारित विस्तार एवं अन्य सेवाएं प्रदान की जा सकें।

एसीएबीसी स्कीम के तहत प्रशिक्षित कृषि स्नातकों द्वारा अभी तक कुल 3771 कृषि-उद्यम स्थापित किए गए हैं। विभिन्न राज्यों में स्थापित ऐसे कृषि-उद्यमों की संख्या विवरण-I में दी गई है। गुजरात के विभिन्न जिलों में स्थापित ऐसे कृषि-उद्यमों की संख्या संबंधी सूचना विवरण-II में दी गई है।

(ख) से (घ) गुजरात कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड (जीएआईसी) ने राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबन्धन संस्थान (मैनेज) हैदराबाद को एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें एसीएबीसी स्कीम के तहत लगभग 400 भावी कृषि-उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता की मांग की गई थी। इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिए मैनेज और जीएआईसी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना जरूरी है जो जीएआईसी के पास हस्ताक्षरार्थ लम्बित है। इस प्रस्ताव के तहत प्रशिक्षण के लिए एसीएबीसी स्कीम के सभी मानकों और दिशानिर्देशों का अनुपालन करना जरूरी होगा।

विवरण I

कृषि क्लीनिक और कृषि व्यापार केन्द्र स्कीम के तहत प्रशिक्षित कृषि-स्नातकों द्वारा स्थापित कृषि-उद्यमों की राज्य-वार संख्या (अवधि 01.04.2002 से 12.12.06 तक)

क्र.सं.	राज्य	प्रशिक्षित कृषि स्नातकों द्वारा स्थापित कृषि-उद्यमों की सं.
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	207
2.	अरुणाचल प्रदेश	0
3.	असम	15
4.	बिहार	341
5.	चंडीगढ़	0
6.	छत्तीसगढ़	42
7.	दिल्ली	0
8.	गोवा	1
9.	गुजरात	119
10.	हरियाणा	12
11.	हिमाचल प्रदेश	10
12.	जम्मू-कश्मीर	9
13.	झारखंड	8
14.	कर्नाटक	564
15.	केरल	15
16.	मध्य प्रदेश	122
17.	महाराष्ट्र	713
18.	मणिपुर	20
19.	मेघालय	0
20.	मिजोरम	0
21.	नागालैंड	0
22.	उड़ीसा	74

1	2	3
23.	पांडिचेरी	1
24.	पंजाब	12
25.	राजस्थान	479
26.	सिक्किम	0
27.	तमिलनाडु	167
28.	त्रिपुरा	0
29.	उत्तर प्रदेश	754
30.	उत्तरांचल	35
31.	पश्चिम बंगाल	51
	कुल	3771

विवरण II

कृषि-क्लीनिक और कृषि व्यापार केन्द्र (एसीएबीसी) स्कीम के तहत गुजरात में स्थापित कृषि-उद्यमों की जिला-वार संख्या

क्र.सं.	जिला	स्थापित कृषि-उद्यमों की संख्या
1	2	3
1.	अहमदाबाद	6
2.	अमरेली	2
3.	आणंद	5
4.	बनासकंथा	4
5.	भरूच	1
6.	भावनगर	4
7.	दोहद	2
8.	गांधीनगर	6
9.	जामनगर	3
10.	जूनागढ़	11
11.	कच्छ	12
12.	खेडा	5
13.	मैहसाना	2
14.	नवसारी	6
15.	पंच महल	1
16.	राजकोट	6
17.	साबर कांठा	4
18.	सूरत	8
19.	सुरेन्द्रनगर	10
20.	वड़ोदरा	11
21.	वलसाड़	10
	कुल	119

बाघ रिजर्व नीति

3675. श्री कुलदीप बिश्नोई:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रोजेक्ट टाइगर निदेशालय और राज्य प्राधिकरणों की भूमिका निर्धारित करते हुए बाघ रिजर्वों के लिए एक व्यापक पर्यटन प्रबंधन नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले 20 वर्षों के दौरान बाघ रिजर्व में बाघों की संख्या में बहुत धीमी वृद्धि दर के क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) जी, हां। मंत्रालय ने विभिन्न स्टेक होल्डरों को शामिल करते हुए पारि-पर्यटन प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई की है ताकि राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड की सिफारिशों पर गठित बाघ टास्क फोर्स द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पर्यटन के लाभों को स्थानीय समुदायों के साथ बांटा जा सके।

(ग) ऐसी कोई विचारणीय प्रकृति नहीं है। राज्यों से प्राप्त पिछले तीन अखिल भारतीय अनुमानों से संबंधित बाघ रिजर्व-वार बाघ आकलन आंकड़े विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	रिजर्व का नाम	1995	1997	2001-02
1	2	3	4	5
1.	बांदीपुर (कर्नाटक)	74	75	82
2.	बांधवगढ़ (मध्य प्रदेश)	46	46	56
3.	भद्रा (कर्नाटक)	-	-	35
4.	बोरी-सतपुरा-पंचमढ़ी (मध्य प्रदेश)	-	-	35
5.	बक्सा (पश्चिम बंगाल)	31	32	31
6.	कार्बेट (उत्तरांचल)	128	138	137
7.	दम्फा (मिजोरम)	4	5	4
8.	दुधवा (उत्तर प्रदेश)	98	104	76*
9.	इंद्रावती (मध्य प्रदेश)	15	15	29
10.	कान्हा (मध्य प्रदेश)	97	114	127
11.	कालाकड़ (तमिलनाडु)	16	28	27
12.	मानस (असम)	94	125	65*
13.	मेलघाट (महाराष्ट्र)	71	73	73
14.	नागार्जुन सागर (आंध्र प्रदेश)	34	39	67
15.	नामदाफा (अरुणाचल प्रदेश)	52	57	61
16.	नामेरी (असम)	-	-	26
17.	पखुई (अरुणाचल प्रदेश)	-	-	-
18.	पलामू (बिहार)	47	44	32
19.	पन्ना (मध्य प्रदेश)	22	22	31
20.	पेरियार (केरल)	39	40	36
21.	पेंच (मध्य प्रदेश)	27	29	40
22.	पेंच (महाराष्ट्र)	-	-	14
23.	रणथम्भौर (राजस्थान)	38	32	35
24.	सरिस्का (राजस्थान)	25	24	22
25.	समिलिपाल (उड़ीसा)	97	98	99

1	2	3	4	5
26.	सुन्दरवन (पश्चिम बंगाल)	242	263	245
27.	ताड़ोबा (महाराष्ट्र)	36	42	38
28.	बाल्मिकी (बिहार)	एन.ए.*	53	53
	कुल	1333	1498	1576

*संकलित किया जा रहा है/जांच की जा रही है

एन.ए. - राज्य द्वारा सूचित नहीं किया गया

कर्मचारी राज्य बीमा योजना का कार्यकरण

3676. श्री बी. करूणाकर रेड्डी: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा देखभाल के कार्यकरण की समीक्षा हेतु कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कोई समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो समिति का कार्यकाल और संरचना क्या हैं तथा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों विशेषकर कर्नाटक में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में उपलब्ध अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में कोई शिकायत/सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) जी, नहीं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की चिकित्सा देखभाल सामान्य उद्देश्य उप समिति का गठन अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा 16.03.2005 को किया गया है।

चिकित्सा देखभाल सामान्य उद्देश्य उप समिति राज्यों में कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए बारी-बारी से विभिन्न राज्यों का दौरा करती है और इसके लिए अपना कार्य पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा नहीं है। समिति के गठन और संदर्भ की शर्तें विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ) चिकित्सा सुविधाओं में सुधार लाने के लिए समय-समय पर कुछ शिकायतें/सुझाव प्राप्त होते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों की चिकित्सा सुविधाओं में सुधार लाने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(1) नैदानिक तथा रोग-विषयक सेवाओं के लिए आधुनिक उपस्कर प्रदान करते हुए अस्पतालों का आधुनिकीकरण और उन्नयन। अस्पतालों के लिए उपस्करों की शीघ्र मंजूरी प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त/राज्य चिकित्सा आयुक्त को राज्य स्तर पर ही 15 लाख रुपये तक प्रति इकाई हेतु उपस्करों के लिए मंजूरी प्रदान करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(2) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 1.4.2005 से प्रति बीमाकृत व्यक्ति परिवार इकाई प्रतिवर्ष चिकित्सा देखभाल प्रदान करने की अधिकतम सीमा को 750/- रुपये से बढ़ाकर 900/- रुपये कर दिया है ताकि कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं में सुधार लाने के लिए राज्य सरकारों को सुविधा हो सके।

(3) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अति विशेषज्ञता/विशेषज्ञता इलाज, दवाइयों और मरहम-पट्टी की खरीद तथा उपस्करों की खरीद तथा मरम्मत करने एवं रख-रखाव के लिए पेशगी/प्रतिपूर्ति प्रदान करने हेतु परिक्रामी निधि की स्कीम आरम्भ की है।

(4) कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में अनुपलब्ध अति विशेषज्ञता/विशेषज्ञता सेवाओं को प्रदान करने के लिए विख्यात सरकारी/गैर-सरकारी अस्पतालों के साथ अनुबंध व्यवस्थाएं की गई हैं।

(5) कर्मचारी राज्य बीमा निगम से व्यवसायिक एजेंसियों से अस्पतालों की ग्रेडिंग करवाई जा रही है।

(6) कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अस्पतालों को आई एस ओ 9001-2000 प्रमाण-पत्र प्रदान करवाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

कर्मचारी राज्य बीमा निगम की चिकित्सा देखभाल सामान्य उद्देश्य उप समिति का गठन

1. श्री चन्द्र कान्त खैरे, माननीय संसद सदस्य (लोक सभा)
2. श्री जी. संजीव रेड्डी, अध्यक्ष, इण्टक, नई दिल्ली, कर्मचारियों के प्रतिनिधि
3. श्री राम किशोर त्रिपाठी, सचिव, हिन्द मजदूर सभा, कानपुर कर्मचारियों के प्रतिनिधि
4. श्री सी.पी. सिंह, अध्यक्ष, इण्टक, पटना, कर्मचारियों के प्रतिनिधि
5. श्री शरद एस. पाटिल, महासचिव, नियोजक के भारतीय संघ, मुंबई, नियोजकों के प्रतिनिधि
6. श्री सुदर्शन सरीन, राष्ट्रीय अध्यक्ष, लघु उद्योग, भाती, नई दिल्ली, नियोजकों के प्रतिनिधि
7. श्री एम.के. गर्ग, वरिष्ठ सलाहकार, एसोचेम, कार्पोरेट हाऊस, नई दिल्ली, नियोजकों के प्रतिनिधि
8. महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
9. सचिव, श्रम विभाग, तमिलनाडु सरकार
10. सचिव, श्रम विभाग, कर्नाटक सरकार
11. सचिव, स्वास्थ्य विभाग, गुजरात सरकार
12. सचिव, स्वास्थ्य विभाग, पंजाब सरकार
13. महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम

चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम समिति सहायता करेंगे।

चिकित्सा देखभाल सामान्य उद्देश्य उप समिति के संदर्भ की शर्तें निम्नानुसार होंगी:-

(1) समिति कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम की डिलीवरी/ कार्यप्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देना।

(2) विभिन्न राज्यों में चिकित्सा देखभाल के संचालन का निरीक्षण करना।

(3) क.रा.बी. योजना के अंतर्गत दी जा रही चिकित्सा देख-रेख के मुद्दे पर कर्मचारियों, नियोक्ताओं, चिकित्सा व्यवसाय, राज्य सरकार प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों और क.रा.बी. निगम अधिकारियों के साथ बातचीत करना।

(4) क्षेत्र दौरे करना और क.रा.बी. अस्पतालों, औषधालयों और शाखा कार्यालयों इत्यादि का निरीक्षण करना।

अंबाजी अभयारण्य के रास्ते की पाइपलाइन

3677. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात के बलराम अंबाजी वन्य जीव अभयारण्य के वन क्षेत्र से होकर पेयजल आपूर्ति पाइपलाइन बिछाने संबंधी एक प्रस्ताव वन विभाग से स्वीकृति हेतु अभी तक लंबित है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) अम्बाजी टाऊन के लिए पेयजल आपूर्ति पाइप लाइन बिछाने के लिए प्रस्ताव को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा 15.11.2006 को सिद्धान्त रूप से अनुमोदित किया गया है।

कपास के मूल्य में गिरावट

3678. श्री नवीन जिन्दल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कपास के मूल्य में तेजी से गिरावट आई है जैसा कि दिनांक 11 अक्तूबर, 2006 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा किसानों के हितों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) दिनांक 11 अक्तूबर, 2006 के दैनिक

जागरण में मार्किट में मन्दी के कारण पंजाब तथा उत्तरी भारत की कुछ मन्डियों में कपास तथा लिन्ट के मूल्यों में आई गिरावट के बारे में सूचित किया गया है। यह भी उल्लेख किया गया है कि पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान की मंडी में, कपास के विपणन आगमन में कमी हुई है।

भारतीय कपास निगम से उपलब्ध सूचना के अनुसार, उत्तरीय जोन में चालू कपास मौसम 2006-07 के दौरान, कपास के प्रारम्भिक मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर से अधिक रहे। 2006-07 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा मीडियम स्टेपल लेन्थ की कपास के लिए 26.9.2006 को 1770 रुपए प्रति क्विंटल तथा लम्बी स्टेपल लैन्थ कपास के लिए 1990 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किए गए हैं। कपास की अन्य किस्मों के लिए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य 1320 रुपए से 3400 रुपए के बीच रहे। न्यूनतम समर्थन मूल्यों में क्वालिटी तथा अन्य तथ्यों में अन्तर के कारण है। खुले बाजार में मूल्यों में वृद्धि तथा गिरावट मांग तथा आपूर्ति बलों की परस्पर क्रिया के कारण है। अभी हाल ही में, कपास के मूल्य उत्तरी राज्यों में 1800 रुपए से 2100 रुपए प्रति क्विंटल के बीच रहे। पंजाब तथा हरियाणा में कपास का आगमन अधिक है।

(ग) किसानों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से, सरकार ने कपास मौसम के शुरू होने के पहले न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की है। भारतीय कपास निगम न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी कार्यों के लिए नाडल एजेन्सी है। भारतीय कपास निगम के न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्य प्रगति पर है। भारतीय कपास निगम जिसमें पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान शामिल हैं अपने कार्य कर रही है।

तटीय प्रबंध प्राधिकरण को प्राप्त शिकायतें

3679. **श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण और राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण को अपने अस्तित्व में आने से लेकर अब तक कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(ख) संबंधित सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

जल बंटवारा

3680. **श्री के.सी. पल्लानी शामी:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पड़ोसी देशों से जल संसाधनों के बंटवारे के बारे में कोई बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इसके लिए किन नदियों की पहचान की गई है; और

(ग) नदियों पर यदि कोई बांध, नहरों और परियोजनाओं का निर्माण किया जाना है तो उनका ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। भारत और बंगलादेश के बीच साझी नदियों के जल के बंटवारे के संबंध में वार्ता हुई है।

जल की कमी वाले मौसम (पहली जनवरी से 31 मई तक प्रत्येक वर्ष) के दौरान फरक्का में गंगा/गांगेय नदी के जल के बंटवारे के लिए भारत और बंगलादेश के बीच दिसम्बर, 1996 में एक संधि पर हस्ताक्षर हो गए हैं। तीस्ता नदी को प्राथमिकता देते हुए दोनों देशों के बीच जल संसाधनों के बंटवारे के संबंध में वार्ता के लिए तीस्ता, जल ढाका, टोरसा, मानु, खोवई, गुमती, मुहुरी और फेनी, नाम साझी नदियों की पहचान की गई है।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा अपनी प्राथमिकताओं और संसाधनों के अनुसार नदियों पर बांध, नहरें और परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। विभिन्न राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार 11वीं योजना के लिए कार्यकारी दल ने यह आकलन किया है कि 11वीं योजना के दौरान 309 नई परियोजनाओं का प्रस्ताव किया जा सकता है।

[हिन्दी]

सरदार सरोवर बांध से राजस्थान को पानी देना

3681. **प्रो. रासा सिंह रावत:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध से जलापूर्ति होने से राजस्थान के किन क्षेत्रों को लाभ मिलने की संभावना है;

(ख) जलापूर्ति के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या गुजरात और राजस्थान के संबंधित क्षेत्रों में नहरों/चैनलों/जलाशयों आदि अवसंरचना का निर्माण कार्य पूरा हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध से होने वाली जल आपूर्ति से राजस्थान में 2.46 लाख हेक्टेयर कृष्य कमान क्षेत्र सहित 3.00 लाख हेक्टेयर सकल कमान क्षेत्र के लाभान्वित होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान में नर्मदा नहर प्रणाली के माध्यम से 233 गांवों को भी पेयजल मिलना अपेक्षित है।

(ख) गुजरात सरकार ने अप्रैल, 2007 के प्रथम सप्ताह का राजस्थान के लिए 500 क्यूसेक नर्मदा जल छोड़ने की योजना बनाई है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। इन राज्य सरकारों ने इन कार्यों के विभिन्न चरणों की प्रगति की है।

[अनुवाद]

सौराष्ट्र चैनल

3682. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सौराष्ट्र भाषा में एक चैनल शुरू करने तथा दूरदर्शन और आकाशवाणी के विभिन्न स्टेशनों पर उक्त भाषा के कार्यक्रमों का प्रसारण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) नए चैनल को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

मॉल का निर्माण

3683. श्री रघुनाथ झा: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** मॉल का निर्माण के बारे में दिनांक 15 मई, 2006 के अतारांकित प्रश्न सं. 3433 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अब सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अनिवार्य पर्यावरणीय स्वीकृति लिए बिना 50 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाला मॉल का निर्माण करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित रिट याचिका सं. 202/1995 की वर्तमान स्थिति क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

(ग) और (घ) माननीय भारतीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष रिट याचिका सं. 202/1995, का 17 अक्तूबर 2006 को निपटान किया गया। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में अन्य बातों के साथ-साथ मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत चार पक्षकारों के खिलाफ कार्रवाई की है जिन्होंने पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना निर्माण शुरू कर दिया था।

[हिन्दी]

प्रदूषण रोकने में विश्व बैंक की सहायता

3684. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण करने हेतु विश्व बैंक से सहायता ली है/लेने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विश्व बैंक द्वारा आज तक सरकार को औद्योगिक क्षेत्र के प्रदूषण को रोकने हेतु कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी, हां। विश्व बैंक भारत को औद्योगिक प्रदूषण प्रबंधन परियोजना हेतु प्रस्तावित क्षमता निर्माण तैयार करने के लिए अपेक्षित अनिवार्य व्ययों को वित्त पोषित करने हेतु अग्रिम राशि देने के लिए सहमत हो गया है।

(ख) और (ग) कार्य योजना का विवरण अग्रिम की निबंधन और शर्तों में दिया गया है और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) राज्य स्तर पर प्रदूषण प्रबंधन क्षमता निर्माण हेतु विकास योजनाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से संस्थागत आवश्यकता मूल्यांकन करना;

(2) प्रदूषण प्रबंधन और दूषित स्थलों के पुनर्वास के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम विकसित करना, जिसमें खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु आवश्यकता मूल्यांकन अध्ययन शामिल है;

(3) इस परियोजना के अंतर्गत क्रियान्वित किये जाने वाले अपशिष्ट प्रबंधन पायलटों को विकसित करने के उद्देश्य से नवाचारी अपशिष्ट डम्प उपचार और सुरक्षित भू-भराव पर अध्ययन करना;

(4) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में प्रोजेक्ट प्रिपरेशन शैल को प्रचालनात्मक और मानीटरिंग सहायता प्रदान करना;

(5) सूचना, शिक्षा, पब्लिक-आउटरीच और संचार गतिविधियां का पालन करना; और

(6) परियोजना को शुरू करने के परिणामस्वरूप होने वाले सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों को पहचानने के उद्देश्य से सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यांकन करना।

(घ) विश्व बैंक भारत को एक एग्रिम देने पर सहमत हो गया है जो पांच लाख सत्तर हजार अमेरिकी डालर ($ 570.000) से अधिक नहीं होगा। अग्रिम का उद्देश्य औद्योगिक प्रदूषण प्रबंधन परियोजना हेतु प्रस्तावित क्षमता तैयार करने के लिए अपेक्षित अनिवार्य व्ययों को वित्त पोषित करना है।

[अनुवाद]

ई एस आई योजना के अंतर्गत कर्मचारी

3685. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों के कुछ कर्मचारी अभी भी ई एस आई योजना के अंतर्गत नहीं आए हैं;

(ख) यदि हां, तो आज तक ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान उन्हें कवर करने हेतु लक्ष्यों और अनुमानित क्षेत्र की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(घ) अभी तक प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) किन-किन राज्यों में इस योजना का क्रियान्वयन अच्छा नहीं रहा है; और

(च) सरकार द्वारा योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, बिजली से चलाये जाने वाले निर्माण प्रक्रमों तथा 10 अथवा अधिक कर्मचारियों के नियोजन वाले कारखानों तथा अधिनियम के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाले क्षेत्रों में बिजली के बगैर चलने वाले कारखानों, दुकानों, होटलों, रेस्तराओं, प्रीव्यू थिएटरों सहित सिनेमा घरों, सड़क मोटर परिवहन उपक्रमों तथा 20 अथवा अधिक कर्मचारियों के नियोजन वाले समाचार पत्र प्रतिष्ठानों पर लागू है। ऐसे सभी कारखानों तथा प्रतिष्ठानों में 10,000/- रुपये प्रतिमाह अथवा पाने वाले कामगार, योजना में कवर होते हैं।

(ग) और (घ) ब्यौरे विवरण-1 और विवरण-II पर दिए गए हैं।

(ङ) कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना तब तक नए भौगोलिक क्षेत्रों में लागू नहीं की जा सकती, जब तक संबंधित राज्य सरकार चिकित्सा देखरेख संबंधी व्यवस्था नहीं कर लेती है। वर्ष 2006-07 के दौरान असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में कार्यान्वयन निर्धारित लक्ष्य से कम हुआ है।

(च) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अनेक उपाय आरंभ किए हैं; यथा:-

(1) शुरू के तीन वर्षों के लिए स्वास्थ्य देखरेख पर होने वाला सम्पूर्ण व्यय तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह पांच वर्षों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा वहन किया जाता है।

(2) 15.6.2006 को आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 136वीं बैठक में सिद्धांत रूप में यह निर्णय लिया गया कि उन राज्यों, जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 59 के अंतर्गत चिकित्सा योजना के प्रशासनिक कार्य को कर्मचारी राज्य बीमा निगम को सौंपने हेतु इच्छुक हैं, से कार्यभार लेने पर विचार

किया जायेगा। राज्य सरकारों से कर्मचारी बीमा योजना का कार्यभार लेने संबंधी मामले की व्यावहारिकता तथा प्रक्रिया का पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन किया गया है।

(3) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्यान्वयन की प्रगति पर राज्य सरकारों के साथ विभिन्न मंचों पर चर्चा की गई है तथा क्षेत्रीय मुख्यालय आदि स्तरों पर भी इस मुद्दो को उठाया गया है।

विवरण I

वर्ष 2005-06 के चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार नये क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना का कार्यान्वयन (लक्ष्य एवं उपलब्धि)

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	2005-06 के लिए निर्धारित लक्ष्य		2005-06 के दौरान उपलब्धि	
		केन्द्रों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या	कार्यान्वित केन्द्रों की संख्या	कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	5	4860	15	17635
2.	असम	3	3564	1	1664
3.	बिहार	शून्य	शून्य	1	185
4.	दादर और नगर हवेली	1	15500	1	15500
5.	दमन और दीव	1	28000	1	28000
6.	हिमाचल प्रदेश	1	2500	1	2500
7.	झारखंड	2	3600	2	3600
8.	हरियाणा	शून्य	शून्य	9	25675
9.	कर्नाटक	5	11700	1	1500
10.	केरल	23	8716	24	8766
11.	मध्य प्रदेश	2	13950	1	1255
12.	महाराष्ट्र	3	9050	शून्य	शून्य
13.	मेघालय	1	4500	1	4500
14.	नागालैंड	1	1670	शून्य	शून्य
15.	उड़ीसा	1	1500	शून्य	शून्य
16.	पंजाब	11	14185	13	12560
17.	राजस्थान	8	9680	12	11275

1	2	3	4	5	6
18.	तमिलनाडु	1	5850	3	12125
19.	उत्तर प्रदेश	4	3235	3	1350
20.	उत्तरांचल	शून्य	शून्य	1	675
21.	पश्चिम बंगाल	3	12650	शून्य	शून्य
	कुल	76	154710	90	148785

विवरण II

वर्ष 2006-07 के चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार नये क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना का कार्यान्वयन (लक्ष्य एवं उपलब्धि)

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	2006-07 के लिए निर्धारित लक्ष्य		नवम्बर, 2006 तक की उपलब्धि	
		केन्द्रों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या	कार्यान्वित केन्द्रों की संख्या	कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	5	6701	5	10850
2.	असम	7	12400	1	1065
3.	छत्तीसगढ़	1	13100	–	–
4.	गुजरात	6	38400	3	8250
5.	हरियाणा	2	2265	2	760
6.	कर्नाटक	5	18500	1	2700
7.	केरल	5	672	4	970
8.	मध्य प्रदेश	7	22810	2	11710
9.	महाराष्ट्र	6	44787	–	–
10.	उड़ीसा	3	10700	–	–
11.	पंजाब	7	6440	7	6090
12.	राजस्थान	7	10335	1	2835
13.	तमिलनाडु	6	18700	7	16250

1	2	3	4	5	6
14.	उत्तर प्रदेश	3	5630	2	2380
15.	उत्तरांचल	1	1450	3	7080
16.	पश्चिम बंगाल	3	8335	1	4700
	कुल	74	221225	39	75,640

असंगठित क्षेत्र में ई एस आई योजना का विस्तार

3686. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का असंगठित क्षेत्र के वर्करों के लिए ई एस आई की तरह की योजना का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) असंगठित क्षेत्र के वर्करों को कब तक कवर किए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) जी, नहीं। असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबंधों को विस्तारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

ई एस आई अस्पतालों के निर्माण हेतु जमीन

3687. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई एस आई सी) ने विभिन्न राज्यों में अस्पतालों/डिस्पेंसरियों के निर्माण हेतु जमीन अधिग्रहित कर ली है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अभी तक किन-किन राज्यों में अस्पतालों/डिस्पेंसरियों का निर्माण हो गया है और उन्हें चलाया जा रहा है;

(घ) किन-किन राज्यों में अभी तक भवनों का निर्माण नहीं हुआ है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे राज्यों में निर्माण कार्य जल्दी पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) जी, हां।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा निर्माण के उद्देश्य से अधिग्रहित की गई संपत्ति का ब्यौरा विवरण-1 में दिया गया है।

(ग) ब्यौरे विवरण-II पर दिये गये हैं।

(घ) ब्यौरे विवरण-III पर दिये गये हैं।

(ङ) खाली भूमि पर अस्पतालों/औषधालयों का निर्माण कार्य, इस उद्देश्य के लिए निर्धारित मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए संबंधित राज्य सरकार से परामर्श करके आवश्यकता के आधार पर किया जाता है। स्थिति की समीक्षा समय-समय पर की जाती है।

विवरण I

कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पतालों/औषधालयों के निर्माण हेतु अधिग्रहित की गई भूमि का विवरण
(राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार)

क्र.सं.	राज्य	अधिग्रहित किए गए प्लाटों की संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ों में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	38	168.48
2.	असम	3	7.44

1	2	3	4
3.	बिहार	8	43.67
4.	पंजाब	30	74.41
5.	चंडीगढ़	2	5.78
6.	छत्तीसगढ़	2	2.08
7.	तमिलनाडु	71	223.85
8.	दिल्ली	35	67.12
9.	कर्नाटक	62	75.36
10.	मध्य प्रदेश	32	183.31
11.	महाराष्ट्र	12	117.94
12.	उड़ीसा	22	67.55
13.	राजस्थान	50	93.12
14.	पांडिचेरी	5	20.56
15.	उत्तर प्रदेश	39	133.03
16.	पश्चिम बंगाल	19	430.07
17.	हिमाचल प्रदेश	3	0.67
18.	केरल	62	233.53
19.	गुजरात	84	144.39
20.	हरियाणा	24	73.44
21.	गोवा	9	6.25
22.	जम्मू-कश्मीर	1	4.00
23.	झारखंड	3	45.00
24.	उत्तरांचल	1	0.75

विवरण II

उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का विवरण जिनमें अस्पतालों/औषधालयों का निर्माण हो चुका है तथा प्रचालन में हैं

क्र.सं.	राज्य	अस्पतालों की संख्या	औषधालयों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	11	25
2.	असम	1	3

1	2	3	4
3.	बिहार	3	4
4.	पंजाब	8	21
5.	चंडीगढ़	1	1
6.	छत्तीसगढ़	शून्य	2
7.	तमिलनाडु	9	54
8.	दिल्ली	4	17
9.	कर्नाटक	9	52
10.	मध्य प्रदेश	6	26
11.	महाराष्ट्र	11	2
12.	उड़ीसा	6	10
13.	राजस्थान	5	39
14.	पांडिचेरी	1	4
15.	उत्तर प्रदेश	16	21
16.	पश्चिम बंगाल	14	3
17.	हिमाचल प्रदेश	1	1
18.	केरल	13	39
19.	गुजरात	12	70
20.	हरियाणा	5	16
21.	गोवा	1	5
22.	जम्मू-कश्मीर	1	-
23.	झारखंड	2	-
24.	उत्तरांचल	-	1

विवरण III

उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के विवरण जहां पर भवन निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं किया गया है

क्र.सं.	राज्य	खाली प्लाटों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2
2.	असम	शून्य

1	2	3
3.	बिहार	1
4.	पंजाब	शून्य
5.	चंडीगढ़	शून्य
6.	छत्तीसगढ़	शून्य
7.	तमिलनाडु	8
8.	दिल्ली	5
9.	कर्नाटक	1
10.	मध्य प्रदेश	शून्य
11.	महाराष्ट्र	5
12.	उड़ीसा	6
13.	राजस्थान	6
14.	पांडिचेरी	शून्य
15.	उत्तर प्रदेश	2
16.	पश्चिम बंगाल	2
17.	हिमाचल प्रदेश	1
18.	केरल	10
19.	गुजरात	2
20.	हरियाणा	3
21.	गोवा	3
22.	जम्मू-कश्मीर	शून्य
23.	झारखंड	1
24.	उत्तरांचल	शून्य

[हिन्दी]

सितानाला परियोजना

3688. श्री टेकलाल महतो: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार झारखंड में सितानाला परियोजना के निर्माण पर गत बीस वर्षों से विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और परियोजना का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) झारखंड राज्य में "सीतानाला" नामक कोई प्रस्ताव तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

संदूषित जल

3689. श्री उदय सिंह:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जल से आर्सेनिक हटाने संबंधी नई नैनो टेक्नालाजी आधारित प्रणाली की जानकारी है, जैसा कि दिनांक 11 नवम्बर, 2006 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में इस टेक्नालाजी को अपनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या जल को स्वच्छ बनाने के लिए सरकार द्वारा बड़ी संख्या में लौह हटाने वाले संयंत्रों की स्थापना की गई थी और उनमें से अधिकांश अब बेकार हो चुके हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा बेकार हुए संयंत्रों के बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। सरकार को संदूषित भूजल से आर्सेनिक हटाने के लिए नैनो-प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली के बारे में जानकारी है। चूंकि दिनांक 11.11.2006 के टाइम्स आफ इंडिया समाचार पत्र में प्रकाशित प्रौद्योगिकी की अभी क्षेत्र परीक्षण कराई जानी शेष है इसलिए राज्य सरकारों द्वारा इस अपनाया जाना क्षेत्र परीक्षण रिपोर्टों की सफलता पर निर्भर करता है। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है और राज्य सरकारें सुरक्षित पेयजल मुहैया कराने के लिए परियोजनाओं को स्वीकृत और कार्यान्वित कर सकती हैं।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार 16386 लौह निष्कासन संयंत्र अनुमोदित किए गए थे जिनमें से 9524 संयंत्र

संस्थापित किए गए थे। इनमें से केवल 4494 के बारे में कार्यकारी स्थिति में होने की सूचना मिली है। लौह निष्कासन संयंत्रों के निष्क्रिय होने का मुख्य कारण सृजित परिसंपत्तियों को स्वामित्व में लेने और समुचित प्रचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) करने में सामुदायिक भागीदारी की कमी है। 01.04.2006 के पश्चात देश में संस्थापित किए जा रहे सभी लौह निष्कासन संयंत्रों के संबंध में राज्यों को समुदाय को इस तरह जागरूक करने की सलाह दी गई है ताकि वे अन्तर-ग्रामीण वितरण नेटवर्क के लिए पूंजीगत लागत का आंशिक सहयोग कर सकें और सृजित परिसंपत्तियों को स्वामित्व में ले सकें और पूर्ण प्रचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी निभा सकें। संचार और क्षमता विकास यूनिटों और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता मानीटरी और निगरानी कार्यक्रम के जरिए सभी राज्यों को सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) कार्यकलापों के लिए निधि जारी कर दी गई है।

[हिन्दी]

ए आई सी टी ई के मानदंड

3690. **श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद् के ऐसे कितने संस्थान हैं जहां फिलहाल एम बी ए/एम सी ए पाठ्यक्रम चल रहे हैं;

(ख) क्या परिषद उपर्युक्त पाठ्यक्रम को चलाने वाली फैकल्टी को दिए जाने वाले मूल वेतन सहित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए आई सी टी ई) द्वारा निर्धारित शर्तों तथा मानदंडों का अनुपालन कर रही है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह संविधान में गारंटीशुदा मूल अधिकारों का उल्लंघन है; और

(ङ) यदि हां, तो ए आई सी टी ई के मानदंडों के अनुसार वेतन प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) ने सूचित किया है कि बैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबन्धन संस्थान (वीएएमएनआईसीओएम), पुणे सहित छह संस्थान स्वतंत्र रूप से एमबीए/एमसीए कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, दो संस्थान यथा-सहकारी प्रबंधन संस्थान, त्रिवेन्द्रम और कन्नूर क्रमशः केरल विश्वविद्यालय और कन्नूर विश्वविद्यालय के विस्तार केन्द्रों के रूप में एमबीए कार्यक्रम चला रहे हैं।

(ख) एनसीसीटी, एआईसीटीई, नई दिल्ली के सभी निबंधन और पैरामीटरों का अनुसरण कर रहा है सिवाय वेतन के जो भारत सरकार द्वारा यथा अनुमोदित पेंशन संबंधी लाभ सहित भारत सरकार के कर्मचारियों के बराबर दिया जा रहा है।

(ग) से (ङ) एनसीसीटी का प्रबंधन भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले सहायता अनुदान से किया जाता है। वेतन आयोगों की सिफारिशों के अनुसार समय-समय पर वेतनमानों में संशोधन किया गया है। एनसीसीटी के तत्वावधान में 20 सहकारी प्रबन्धन संस्थान कार्य कर रहे हैं जिसमें से केवल 6 संस्थान एमबीए/एमसीए कार्यक्रम चला रहे हैं। इस प्रकार, एक ही संगठन के नियंत्रणाधीन कार्य कर रहे संकाय के लिए दो भिन्न-भिन्न वेतनमान लागू करना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

नेवलों का मारा जाना

3691. **श्री एम. जगन्नाथ:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन्यजीव अधिनियम की अनुसूची 2 के खण्ड 2 के अंतर्गत संरक्षित लाखों नेवलों को प्रतिमाह विभिन्न प्रकार के पेंटिंग ब्रशों के निर्माण हेतु उनकी अच्छी गुणवत्ता वाले बालों के लिए मारा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उनके संरक्षण के लिए क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) नेवलों को अवैध रूप से मारे जाने और नेवला बालों और उनसे बनी पेंटिंग ब्रशों की जब्ती की इक्का-दुक्का घटनाओं की सूचनाएं समय-समय पर प्राप्त होती रहती हैं। इस प्रजाति की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:-

(1) नेवला को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 2 के खण्ड 2 में शामिल किया गया है, इस प्रकार इसे इस अधिनियम के तहत उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है।

(2) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत नेवला का शिकार प्रतिबन्धित है।

(3) अधिकारियों को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के तहत उल्लंघन कर्ताओं को हवालात में रखने और गिरफ्तार करने, वाहनों, औजारों, पशुओं और पशु से बने सामान आदि को जब्त करने के लिए कानूनी रूप से शक्ति सम्पन्न बनाया गया है।

(4) सुरक्षित क्षेत्रों, जिनमें नेवलों के पर्यावास शामिल हैं, के विकास और प्रबंधन हेतु राज्य सरकार को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है।

(5) वन्यजीवों के अंगों और उत्पादों सहित इनके सभी प्रकारों के निर्यात को देश की आयात-निर्यात नीति के तहत प्रतिबंधित किया गया है।

(6) वन्यजीवों के उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए देश के सभी प्रमुख निर्यात केन्द्रों पर वन्यजीव परिरक्षण के क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं।

(7) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के उल्लंघन पर उल्लंघन कर्ताओं पर कड़ी शास्तियां लगाई जाती हैं।

[हिन्दी]

लोहा निकालना

3692. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) अपने इस्पात संयंत्रों के लिए फेरो स्क्रैप कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से ब्लास्टर फरनेस वेस्ट डम्प (मग डम्प) में से लोहा निकालता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे संयंत्र कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या ऐसा खुली संविदाओं के माध्यम से किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसा कोई संयंत्र है जहां यह कार्य बिना निविदाएं आमंत्रित किए नियमित रूप से किसी विशेष निजी कंपनी को सौंपा जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास): (क) जी, हां।

(ख) राउरकेला इस्पात संयंत्र, राउरकेला और इस्को इस्पात संयंत्र, बर्नपुर।

(ग) सेल का एफएसएनएल के साथ एक दीर्घकालिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) है। जब भी ऐसे स्क्रैप की आवश्यकता अधिक होती है और एफएसएनएल सेल की आवश्यकता को पूरा करने में समर्थ नहीं होता है तो इसे खुली निविदा के माध्यम से पूरा किया जाता है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

गेहूं की उत्पादकता

3693. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार कृषि और ग्रामीण विकास पर एक नए दृष्टिकोण पर विचार कर रही है, जिसमें चार असमान क्षेत्रों की असमानता दूर कर ग्रामीण-शहरी अन्तर को समाप्त करने की आवश्यकता को समझा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गेहूं की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपाए किए गए हैं तथा अब तक इसके क्या परिणाम निकले हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी हां, ग्रामीण-शहरी अन्तर को समाप्त करने के उद्देश्य से, सरकार ने गिरावट के चार क्षेत्र निर्धारित किए हैं, नामत: (1) सार्वजनिक निवेश तथा ऋण गिरावट, (2) बुनियादी ढांचे में गिरावट, (3) बाजार अर्थव्यवस्था में गिरावट, तथा (4) जानकारी में कमी। इन कमियों को पूरा करने के लिए, सरकार ने पहले ही बहुत से कदम उठाए हैं। इनमें शामिल हैं भारत निर्माण कार्यक्रम, किसानों को समुचित तथा सहनीय ऋण प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित तथा सहनीय बुनियादी ढांचा प्रदान करना, सिंचाई तथा ग्रामीण पीने योग्य पानी में निवेश, कृषि विपणनों के कार्यों में सुधार तथा जानकारी के

प्रसार, आधुनिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के द्वारा खेतों की उत्पादकता बढ़ाना।

(ग) देश में गेहूं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, सरकार 1994-95 से एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम ''गेहूं आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम'' (आई.सी.डी.पी.-गेहूं) कार्यान्वित कर रही है। स्कीम के अंतर्गत उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी, क्षेत्रीय प्रदर्शनों के द्वारा एकीकृत कीटनाशक प्रबन्धन, किसानों जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं को प्रशिक्षण, इलैक्ट्रानिक मीडिया एवं प्रकाशित सामग्री के द्वारा प्रौद्योगिकी का स्थानान्तरण, कृषि उपकरणों, टपकाव सिंचाई प्रणाली की स्थापना, तथा किस्मीय बदलाव प्रमाणित बीजों के उत्पादन प्रचार के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, गेहूं की उत्पादकता 1999-2000 के दौरान 2.78 टन प्रति हैक्टेयर की वृद्धि रखते हुए 1994-95 के अधीन 2.56 टन प्रति हैक्टेयर से 2003-04 में 2.71 टन प्रति हैक्टेयर तक बढ़ गई।

कामगार-हितैषी बीमा योजना

3694. **श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कामगार हितैषी बीमा योजना को क्रियान्वित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) सरकार सभी पणधारियों (स्टेकहोल्डर्स) के साथ परामर्श करके कर्मकारों के लिए विधान अधिनियमित करने और सामाजिक सुरक्षा योजना बनाने हेतु विचार कर रही है।

आमों का उत्पादन

3695. **श्री के.एस. राव:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में निर्यात की किस्म वाले कच्चे आमों का कितना उत्पादन दर्ज किया गया तथा कितनी मात्रा में उनका निर्यात किया गया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार कच्चे आमों का उत्पादन और वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार निर्यात और उससे अर्जित विदेशी मुद्रा का गत तीन वर्षों और चालू वर्ष का विवरण नीचे दिया गया है:-

वर्ष	उत्पादन (निर्यात किस्म सहित) (000 एमटी)	निर्यात मात्रा (000 एमटी)	निर्यात का मूल्य (लाख रु.)
2003-04	11490	60.551	11052
2004-05	11605	53.480	8961
2005-06	11921 (पी)	69.607	12811
2006-07	12140 (ई)	39.096*	9495*

(पी) - अनन्तिम (ई) - अनुमानित

*अप्रैल-जून अवधि के लिए

भांडागार

3696. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जोधपुर स्थित नेशनल कमोडिटिज एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (एन सी डी ई एक्स) के भांडागारों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या उक्त भांडागारों में रखे गए खाद्यान्न का प्रयोगशाला परीक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या परिणाम निकला और किस तारीख को ये परीक्षण किए गए;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान जोधपुर में विभिन्न खाद्यान्नों की अनाजवार कितनी फारवर्ड ट्रेडिंग हो रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जोधपुर में 9 भांडागार हैं जो नेशनल कमोडिटिज एंड डेरीवेटिव्स एक्सचेंज द्वारा ग्वार गोंद, ग्वार बीज और जीरे के भण्डारण के लिए अनुमोदित हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। जोधपुर में नेशनल कमोडिटिज एंड डेरीवेटिव्स एक्सचेंज द्वारा अनुमोदित भांडागारों में प्राप्त भण्डारों का ऊपर उल्लिखित वस्तुओं के लिए एक्सचेंज द्वारा नियुक्त एसेयर्स द्वारा यह देखने के लिए परीक्षण और प्रमाणन किया जाता है कि निविद सामग्री नेशनल कमोडिटिज एंड डेरीवेटिव्स एक्सचेंज के गुणवत्ता विनिर्देशनों की अपेक्षाओं को पूरा करती है या नहीं। यह एक निरंतर चलने वाला कार्य है जो भण्डारों को प्राप्त करते समय तथा उसके बाद नियमित अंतरालों पर किया जाता है। यदि कोई लाट बाद में नियमित अंतराल पर पुन: परीक्षण करने पर विनिर्दिष्ट गुणवत्ता पैरामीटरों को पूरा नहीं करता है तो उसको तत्काल भाण्डागारों से हटाना पड़ता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राष्ट्रीय स्तर के कमोडिटी एक्सचेंजों में भावी सौदा व्यापार देश भर में स्थित स्क्रीन आधारित व्यापार कार्य केंद्र पर आर्डर के जरिए आन लाइन किया जाता है और एक्सचेंजों में केंद्रीय रूप से स्थित व्यापार इंजिन (सर्वर) में देखा जाता है। जिन क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच सर्वर में आर्डर मेल खाने पर व्यापार होता है वो सामान्यत: अलग-अलग स्थानों से संबंधित होते हैं। तदनुसार, व्यापार को किसी स्थान विशेष का नहीं कहा जा सकता है और जोधपुर के संबंध में पृथक व्यापार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

बांध कार्यों की समीक्षा

3697. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने राज्यों को पारदर्शी तरीके से बांध कार्यों की समीक्षा और बाढ़ से बचाव संबंधी प्रावधानों के पुनरीक्षण का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) जलाशय प्रबंधन राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है। केन्द्रीय जल आयोग राज्य सरकारों के अनुरोध पर चुनिंदा जलाशयों के लिए अन्तर्वाह पूर्वानुमान जारी करता है।

जल संसाधन मंत्रालय ने 1987 में एक राष्ट्रीय जल नीति तैयार की जिसे बाद में 2002 में संशोधित किया गया। राष्ट्रीय जल नीति दस्तावेज, 2002 में यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक बाढ़ प्रवण बेसिन के लिए बाढ़ नियंत्रण और प्रबंधन संबंधी एक मास्टर योजना होनी चाहिए। राज्यों को यह सुझाव भी दिया गया है कि बेहतर प्रबंधन में सुगमता के लिए, जहां कहीं व्यवहार्य हो जल भंडारण परियोजनाओं में पर्याप्त बाढ़ कुशन मुहैया कराए जाने चाहिए। अत्यधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में जलाशय विनियमन नीति में कुछ सिंचाई अथवा विद्युत लाभों की कीमत पर बाढ़ नियंत्रण को अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस नीतिगत दस्तावेज की प्रतियां अनुपालना के लिए सभी संबंधितों और राज्य सरकारों को भेजी गई हैं।

जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बाढ़ प्रबंधन/कटाव नियंत्रण के लिए 2004 में गठित कार्यबल ने भी सिफारिश की है कि विद्युत/सिंचाई के लिए निर्माण किए गए जलाशयों में भी प्रचालन नियम इस प्रकार बनाए जाने चाहिए कि प्रभावी बाढ़ नियंत्रण व्यवहार्य हो सके। वास्तविक समय पूर्वानुमान तथा प्रभावी जलाशय प्रबंधन अनुमानित अधिकतम बाढ़ का अधिकतम संभव नियंत्रण करने के लिए जलाशयों के आवाह क्षेत्रों में आधुनिक और

प्रभावी बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी नेटवर्क संस्थापित करके बाढ़ प्रबंधन लाभ को बढ़ाया जा सकता है।

[हिन्दी]

न्यूनतम वेतन

3698. श्री एम. अंजन कुमार यादव:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रम इंस्पेक्टरों की लापरवाही के कारण सरकारी नियमों के अनुसार न्यूनतम वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) न्यूनतम वेतन के भुगतान हेतु निर्धारित मानदंड तथा इसके अनुपालन हेतु निर्धारित प्रक्रिया क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (ग) केन्द्रीय क्षेत्र में अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत कामगारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के अधिकारियों द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत नियमित निरीक्षण किए जाते हैं, जबकि राज्य स्तर पर प्रवर्तन किया जाना संबंधित राज्य के प्रवर्तन तंत्र का उत्तरदायित्व है। जब कभी निरीक्षकों द्वारा कोई अनियमितता पाई जाती है अर्थात् कामगारों को मजदूरी का भुगतान न किए जाने या कम भुगतान किए जाने का कोई मामला पाया जाता है तो नियोजक को मजदूरी की कमी का भुगतान करने की सलाह दी जाती है। सलाह को न मानने की स्थिति में चूककर्त्ता नियोजकों के विरुद्ध कानूनी और दण्डात्मक कार्रवाईयों का आश्रय लिया जाता है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में समुद्री अपरदन

3699. श्री एम. शिवन्ना:
श्री डी.वी. सदानन्द गौडा:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में मंगलौर के निकट उत्तल कोटेपुरा भाग पर समुद्री अपरदन बहुत गंभीर है;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने फ्रांस सरकार की वित्तीय सहायता से फ्रांसीसी प्रौद्योगिकी ''स्टेबीप्लेज'' का उपयोग करते हुए संरक्षण दीवार का निर्माण कार्य प्रायोगिक परियोजना के तौर पर किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से फ्रांस से प्राप्त धनराशि में से उसका हिस्सा जारी करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, हां। कर्नाटक सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मंगलौर के निकट उत्तल-कोटेपुरा भाग में समुद्र कटाव काफी गंभीर है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चीनी मिलों द्वारा नियमों का उल्लंघन

3700. श्री सीताराम सिंह: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्षेत्र में निजी चीनी मिलों के मालिक सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों का कथित रूप से उल्लंघन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए इन चीनी मिल मालिकों के विरुद्ध सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये निजी चीनी मिल मालिक अपनी मिलों में कार्य करने वाले श्रमिकों का शोषण भी करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन मिल मालिकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) चीनी फैक्ट्रियों के लिए सरकार

के मासिक रिलीज आदेशों में यथा अनुमत चीनी की विनिर्दिष्ट मात्रा की बिक्री और प्रेषण करना अपेक्षित होता है। कुछ चीनी मिलों ने न्यायालयों से रिलीज आदेशों में अनुमत मात्रा से ज्यादा चीनी बेचने के आदेश प्राप्त कर लिए हैं। इस स्थिति का पता लगाने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में स्थित चीनी फैक्ट्रियों का यादृच्छिक निरीक्षण करने का निर्णय किया। अब तक विभिन्न चीनी कंपनियों की 30 चीनी फैक्ट्रियों का निरीक्षण दो चरणों में किया जा चुका है। अक्तूबर, 2006 में पहले चरण में 12 और नवम्बर, 2006 में दूसरे चरण में 18 चीनी फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया गया। पहले चरण की निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर 4 चीनी फैक्ट्रियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। दूसरे चरण की निरीक्षण रिपोर्टों की जांच अभी की जानी है। सरकार के रिलीज आदेशों का उल्लंघन करती पाई गई चीनी फैक्ट्रियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

(ग) और (घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत राज्यों के मामलों में राज्य सरकारें उपयुक्त सरकार हैं और विभिन्न श्रम कानूनों के अधीन शिकायतों के मामलों में हस्तक्षेप करने/निपटान करने की उन्हें वैधानिक शक्तियां प्राप्त हैं। जब कभी राज्य क्षेत्र में श्रम कानूनों के उल्लंघन के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं तो संबंधित राज्य सरकारों से उन मामलों में उपयुक्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है।

[अनुवाद]

नई चीनी मिलें स्थापित करने हेतु शर्तें

3701. श्रीमती अर्चना नायक: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में नई चीनी मिलें स्थापित करने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर जमा राशि बढ़ा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह कार्यवाही रुग्ण इकाइयों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के उद्देश्य से की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने देश में नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए आवेदन करने हेतु जमा राशि में वृद्धि नहीं की है। तथापि, केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 10.11.2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1940(अ.) द्वारा गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में संशोधन किया है। संशोधित आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था की गई है कि औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत करने के पश्चात् सम्बद्ध व्यक्ति उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के मुख्य निदेशक (शर्करा) को औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत करने के तीस दिन के भीतर औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन के कार्यान्वयन के लिए प्रतिभूति के रूप में एक करोड़ रुपए की निष्पादन प्रत्याभूति जमा करेगा। गन्ना (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2006 की एक प्रति दिनांक 4 दिसम्बर, 2006 को पहले ही सदन के पटल पर रखी जा चुकी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान का कार्यकरण

3702. श्री एन.एस.वी. चित्तन: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के कार्यकरण पर हाल में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

छोटे तथा सीमांत किसानों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

3703. श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छोटे तथा मध्यम दर्जे के किसानों के लिए चालू वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा योजनाओं से लाभान्वित छोटे तथा मध्यम दर्जे के किसानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के उन्नयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इन कदमों को उठाने से सरकार को कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) वर्तमान में चल रही विभिन्न उत्पादनोन्मुख केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत किसानों का प्रशिक्षण एक घटक है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए संगत स्कीम के अधीन उल्लिखित मानकों के अनुसार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

झींगा तथा झींगी मछली पालन

3704. डा. के. धनराजू: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झींगा तथा झींगी मछली पालन का व्यापार तेजी से बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो झींगा तथा झींगी मछली पालन के विकास हेतु कार्यान्वित योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(घ) इस योजना के विस्तार के लिए और कौन-से कदम उठाए जाने हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 429 मत्स्य किसान विकास एजेंसियों (एफएफडीए) तथा 39 खारा जल मत्स्य किसान विकास एजेंसियों (बीएफडीए) की स्थापना के माध्यम से अंतर्देशीय मात्स्यिकी तथा जलकृषि विकास संबंधी केंद्रीय प्रायोजित योजना को क्रियान्वित कर रही है।

इस योजना के तहत स्थापित खारा जल मत्स्य किसान विकास एजेंसियां झींगा/प्रान पालकों को तकनीकी, वित्तीय और विस्तार संबंधी सहयोग प्रदान करती है। खारा जल झींगा फार्मों के नवीनीकरण/निर्माण तथा झींगा पालकों के प्रशिक्षण जैसे खारा जल झींगा पालन से संबंधित विकासात्मक गतिविधियों के लिए राजसहायता भी दी जाती है।

(ग) वर्ष 2003-04 से 2006-07 तक के दौरान खारा जल झींगा पालन के लिए विभिन्न राज्यों को 296.97 लाख रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है।

(घ) खारा जल मत्स्य किसान विकास एजेंसियों के विकास संबंधी केंद्रीय प्रायोजित योजना के अलावा, उचित प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन व्यवस्था के साथ और अधिक क्षेत्रों को तटीय जलकृषि के तहत लाने के उद्देश्य से तटीय जलकृषि को जुलाई, 2006 में स्थापित राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के तहत शामिल की गई गतिविधियों में शामिल किया गया है। झींगा पालन सहित तटीय जलकृषि को सतत तथा पर्यावरण अनुकूल तरीके से बढ़ावा देने के उद्देश्य से तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 के तहत तटीय जलकृषि प्राधिकरण की स्थापना की गई है।

रासायनिक उर्वरकों का मूल्य

3705. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रासायनिक उर्वरकों का मूल्य देश में उत्पादित उर्वरकों की अपेक्षा कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई विश्वव्यापी सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(घ) वर्ष 2005-06 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार तथा घरेलू बाजार में सभी रासायनिक उर्वरकों का औसत मूल्य क्या रहा; और

(ङ) विश्व व्यापार संगठन व्यवस्था में किसानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस अंतर को कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (ग) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग और आपूर्ति की स्थिति के आधार पर समय-समय पर उर्वरकों के मूल्य में उतार-चढ़ाव आता रहता है। देश में घरेलू गैस के जरिए उत्पादित यूरिया मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय मूल्य की तुलना में सस्ता होता है। तथापि, नेफ्था आधारित इकाइयों द्वारा उत्पादित यूरिया की लागत, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया के मूल्य से अधिक होती है।

देश, फास्फेटयुक्त उर्वरकों के उत्पादन हेतु लगभग पूरी तरह आयातित कच्चे माल/मध्यवर्तियों पर निर्भर है। देश में फास्फेटयुक्त उर्वरकों की उत्पादन लागत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमोनिया, राक फास्फेट, सल्फर और फास्फोरिक एसिड जैसे कच्चे माल/मध्यवर्तियों पर निर्भर करती है।

देश, पोटाश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है क्योंकि देश में पोटाश का दोहन योग्य कोई भण्डार नहीं है।

रासायनिक उर्वरकों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, मांग और आपूर्ति की स्थिति पर निर्भर करते हैं और विश्व भर की विभिन्न मार्केट बुलेटिनों में साप्ताहिक मूल्यों की व्यापक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है।

(घ) और (ङ) वर्ष 2005-06 के दौरान यूरिया, डीएपी (आयातित और स्वदेशी दोनों) तथा एमओपी के औसत सुपुर्दगी मूल्य इस प्रकार थे:-

(रु. प्रति मी. टन)

उत्पाद	आयातित	स्वदेशी
यूरिया	13178	
यूरिया (दीर्घकालिक करार के तहत सुर, ओमान से आयातित)	8388	9874
डीएपी	15075	15316
एमओपी	-	11049

सरकार, स्वदेशी उर्वरक उत्पादकों को संसाधन संपन्न देशों में संयुक्त उद्यम परियोजना स्थापित करने की संभावना तलाशने के लिए प्रोत्साहित कर रही है ताकि उचित और दीर्घकालिक नियत मूल्य पर कच्चे माल/तैयार की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

इस्पात के उत्पादकों को समान अवसर

3706. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों की समिति ने लौह अयस्क के निर्यात की जांच करने तथा रा मैटीरियल लिंकेज में समेकित इस्पात निर्माताओं हेतु समान अवसर पर विचार करने के लिए अपनी बैठक अक्तूबर, 2006 में की;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें तथा लिए गए निर्णय क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो कब तक इस संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया जायेगा?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास): (क) और (ख) जी, हां। मंत्रिमंडल सचिवालय के आदेश से दिनांक 14.08.2006 को सचिवों की एक समिति गठित की गई थी जिसमें सदस्य सचिव, योजना आयोग; सचिव, इस्पात; सचिव, खान; सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग; सचिव, आर्थिक कार्य; सचिव, वाणिज्य विभाग को शामिल किया गया था। इस समिति की चार बैठकें दिनांक 25.08.2006, 21.09.2006, 12.10.2006 और 10.11.2006 को हुई।

इस समिति के विचाराधीन विषय निम्नलिखित थे:-

(1) लौह अयस्क के संबंध में कोई नीतिगत परिवर्तन सुझाने के लिए मौजूदा खनिज निर्यात नीति की समीक्षा करना जिसमें खनन उद्योग की रोजगार और निवेश संबंधी चिंताओं पर भी ध्यान दिया जाए।

(2) लौह अयस्क के निर्यातों को मौजूदा स्तर पर रोकने के लिए सुझाव की जांच करना तथा मौजूदा घरेलू मांग और इसमें प्रत्याशित वृद्धि की समीक्षा करके निर्यात को क्रमिक रूप से बन्द करना।

(ग) से (ङ) जी, हां। निम्नलिखित विशेषताओं वाली एक प्रारूप निर्यात नीति पर विचार किया गया था:-

(1) 64% और इससे अधिक लोहांश (चूरे व डले) वाले लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना तथा माध्यमीकरण के माध्यम से अगले तीन वर्षों के लिए मौजूदा स्तर बनाए रखना। सभी मौजूदा एलटीए की नवीकरण के समय समीक्षा की जाए।

(2) तीन वर्ष के पश्चात नीति की समीक्षा करना।

(3) तकनीकी भिन्नताओं की शर्त के अंतर्गत बैनीफिकेट सिंटर और पैलेटाईज के लिए सभी निजी और नई इस्पात क्षमताओं के बारे में अनिवार्य आवश्यकताएं।

(4) निम्न श्रेणी के लौह अयस्क का प्रोत्साहन (इंसेन्टेवाईज), सिंटरिगं, पैलेटाईजेशन और सज्जीकरण।

(5) खनन योजना के माध्यम से निजी और गैर-निजी, दोनों खननकर्ताओं के द्वारा निम्न श्रेणी के अयस्क के उत्खनन को बढ़ावा देना।

(6) भारत में इस्पात तथा बाद में विभिन्न श्रेणी और किस्म के लौह अयस्क की मांग और आपूर्ति के पूर्वानुमानों का अध्ययन करने के लिए एक दल का गठन करना।

प्रारूप की मद सं. (1) को छोड़कर मद सं. (2) से (6) के संबंध में व्यापक सहमति थी। दिनांक 10.11.2006 को सम्पन्न हुई अंतिम बैठक में यह निर्णय लिया गया था चूंकि मद सं. (1) के बारे में सर्वसम्मति पर पहुंचना संभव नहीं है, अत: इसका निर्णय समुचित रूप से सरकार द्वारा लिया जाए।

यह मुद्दा सरकार के विचाराधीन है।

प्रोडक्ट कम्पोजिशन में परिवर्तन

3707. चौ. मुनव्वर हसन: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ दवा कंपनियों ने औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डी पी सी ओ, 95) से बचने के लिए अपने प्रोडक्ट कम्पोजिशन में परिवर्तन कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे के साथ उनके संपाकों, उन कंपनियों, पूर्ववर्ती तथा परिवर्तित संघटकों के पूरे नाम क्या हैं; और

(ग) इस दुराचरण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (ग) जब कभी राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) के ध्यान में यह बात आती है कि दवा कंपनियों ने कुछ संरचनाओं के लिए मूल्य निर्धारण अधिसूचना का अनुसरण करने से बचने के लिए अपने उत्पादों की संरचना में परिवर्तन कर दिया है, तब एनपीपीए इस विषय की जांच करता है और संशोधित/परिवर्तित संरचना के मूल्य भी निर्धारित करता है। जब कभी किसी फार्मूलेशन में सूचीबद्ध बल्क औषध के स्थान पर गैर-अनुसूचीबद्ध औषध के गैर-मानक समिश्र फार्मूलेशनों के मामले एनपीपीए के ध्यान में आते हैं, तब इस मामले को संबंधित राज्य औषध नियंत्रक तथा औषध महानियंत्रक (भारत) के साथ उठाया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

जल की कमी

3708. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सिंचाई के लिए जल का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में सिंचाई जल के लिए जलाशयों की संख्या बढ़ाने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) देश में औसत वार्षिक जल उपलब्धता 1869 बिलियन घनमीटर (बीसीएम) होने का अनुमान लगाया गया है। स्थलाकृतिक, जल वैज्ञानिक और अन्य बाधाओं के कारण, उपयोज्य जल 1123 बीसीएम के रूप में आकलित किया गया है जिसमें से 690 बीसीएम सतही जल और 433 बीसीएम पुनर्भरणीय भूजल है। विभिन्न प्रयोजनों के लिए जल की मांग के वर्तमान स्तर को पूरा करने के लिए पूरे देश में जल की उपलब्धता पर्याप्त मानी गई है तथापि जल की उपलब्धता में स्थान और समय की दृष्टि से पर्याप्त विभिन्नता है। चरम सिंचाई क्षमता 139.88 हेक्टेयर आंकी गई है जिसमें से मार्च, 2006 तक 100.97 हेक्टेयर सृजित की गई है। सृजित सिंचाई क्षमता के संबंध में राज्यवार स्थिति विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) जल राज्य का विषय होने के कारण, जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों द्वारा

आवश्यक उपाय प्रारंभ किए जाते हैं जिसमें भंडारणों का सृजन, जल निकायों का पुनरुद्धार, वर्षा जल संचयन, भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण और बेहतर प्रबंधन विधि अपनाना आदि शामिल हैं। राज्य सरकारें योजना की संकल्पना करती है तथा जल संसाधनों के उपयोग के लिए सतही और भूजल दोनों प्रकार की वृहद, मध्यम और लघु स्कीमों को कार्यान्वित करती हैं। अब तक लगभग 213 बीसीएम भंडारण क्षमता का सृजन हुआ है। वर्तमान आकलन के अनुसार निर्माणाधीन विभिन्न परियोजनाओं की अनुमानित भंडारण क्षमता लगभग 76 बीसीएम है। इसके अतिरिक्त, सरकारों ने अन्वेषण और आयोजना के लिए विभिन्न अन्य स्कीमों को अभिज्ञात किया है और ऐसी स्कीमों के लिए अनुमानित भंडारण लगभग 108 बीसीएम है। भारत सरकार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी); कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) कार्यक्रम; कृषि से सीधे तौर पर जुड़े जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार के लिए राष्ट्रीय परियोजना आदि जैसे विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के जरिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करती है।

विवरण

सिंचाई क्षमता—चरम सिंचाई क्षमता, सृजित क्षमता और प्रयुक्त क्षमता (मार्च, 2006 तक) का राज्यवार ब्यौरा

(हजार हेक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	सृजित सिंचाई क्षमता (आईपीसी)		
		वृहद एवं मध्यम	लघु	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3533.96	3070.31	6604.27
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.70	112.18	113.88
3.	असम	328.72	623.93	952.65
4.	बिहार	2834.00	4843.46	7,677.46
5.	छत्तीसगढ़	1137.00	594.76	1,731.76
6.	गोवा	32.55	20.85	53.40
7.	गुजरात	2610.81	2021.92	4,632.73
8.	हरियाणा	2166.07	1637.67	3,803.74
9.	हिमाचल प्रदेश	14.45	169.09	183.54
10.	झारखंड	378.08	626.05	1,004.13
11.	जम्मू-कश्मीर	189.30	392.11	581.41
12.	कर्नाटक	2628.63	1617.32	4,245.95
13.	केरल	659.49	672.02	1,331.51
14.	मध्य प्रदेश	1907.55	2357.87	4,265.42
15.	महाराष्ट्र	3494.15	3063.90	6,558.05

1	2	3	4	5
16.	मणिपुर	33.40	89.19	122.59
17.	मेघालय	0.00	60.19	60.19
18.	मिजोरम	0.00	17.73	17.73
19.	नागालैंड	0.00	84.08	84.08
20.	उड़ीसा	1956.63	1604.65	3,561.28
21.	पंजाब	2576.86	3430.26	6,007.12
22.	राजस्थान	2758.80	2462.90	5,221.70
23.	सिक्किम	0.00	32.98	32.98
24.	तमिलनाडु	1561.06	2134.48	3,695.54
25.	त्रिपुरा	14.84	133.97	148.81
26.	उत्तर प्रदेश	8520.63	23178.12	31,698.75
27.	उत्तरांचल	289.76	511.04	800.80
28.	पश्चिम बंगाल	1754.81	4022.68	5,777.49
	कुल राज्य	40863.25	59585.71	100,968.96
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	0.00	1.39	1.39
	कुल जोड़	40863.25	59587.10	100,970.35

जल निकासी के लिए योजनाएं

3709. श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री सर्वे सत्यनारायण:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार देश के संकट वाले क्षेत्रों की जल निकासी में सुधार हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को सहायता दे रही है;

(ख) क्या किसी राज्य विशेष रूप से आंध्र प्रदेश से राज्यों में जल निकासी में सुधार लाने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार प्रत्येक राज्य को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय जल निकासी आयोग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कब तक इसे स्थापित कर दिया जायेगा?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्यों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर भारत सरकार दसवीं योजना के दौरान ''देश के समस्याग्रस्त क्षेत्रों में जल निकास में सुधार'' नामक केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान कर रही है। 2004-05 से 2006-07 (नवम्बर, 2006 तक) के दौरान इन राज्यों को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

राज्य का नाम	जारी की गई निधि (रुपये करोड़ में)			
	2004-05	2005-06	2006-07 (30.11.06 तक)	कुल
आंध्र प्रदेश	1.50	3.00	–	4.50
बिहार	5.00	7.00	5.00	17.00
उड़ीसा	1.50	3.25	3.00	7.75
उत्तर प्रदेश	1.50	0.00	0.00	1.50
जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	2.50	2.50
कुल	9.50	13.25	10.50	33.25

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

छूट प्राप्त भविष्य निधि न्यासों के सामूहिक निकाय का सृजन

3710. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास छूट प्राप्त भविष्य निधि न्यासों के सामूहिक निकाय बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास भविष्य निधि की निगरानी हेतु एक नियामक स्थापित करने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) कर्मचारी भविष्य निधि न्यास को विनियमित करने का कार्य कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा उन प्रतिष्ठानों के संबंध में पहले ही किया जा रहा है, जिन पर कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 लागू होता है।

ग्रामीण और शहरी कामगारों को न्यूनतम मजदूरी

3711. श्री के.एस. राव: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ग्रामीण और शहरी मजदूरों की औसत मजदूरी और अर्जन कितना है;

(ख) ग्रामीण और शहरी मजदूरी तथा गरीबी रेखा के बीच लिंकेज एवं संगणन क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी, गरीबी रेखा एवं परिवारों के लिए प्रतिष्ठाजनक जीवन मापक की स्थिति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) प्रत्येक पांच वर्षों के पश्चात् राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए जाने वाले सर्वेक्षण के आधार पर, 2004-2005 के दौरान पूरे देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नैमित्तिक मजदूरी श्रमिकों द्वारा औसत मजदूरी/वेतन के अर्जन का अनुमान क्रमशः 48.89 रुपये और 68.68 रुपये प्रतिदिन है। तथापि, 2004-2005 के दौरान पूरे देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नियमित मजदूरी/वेतन पाने वाले कर्मचारियों द्वारा प्रति व्यक्ति औसत मजदूरी/वेतन अर्जन का अनुमान क्रमशः 133.81 रुपये और 193.73 रुपये प्रतिदिन है।

(ख) और (ग) मजदूरी का निर्धारण सामान्यतः बाजार की स्थितियों के अनुसार किया जाता है। उपरोक्त सर्वेक्षण मजदूरी दरों की गणना राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए पंचवार्षिक सर्वेक्षण के आधार पर प्राप्त किए गए हैं। समुचित सरकारों द्वारा प्रचलित मजदूरी दरों, गरीबी रेखा आदि के साथ-साथ 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन, 1957 और रेप्टाकोस ब्रेट्ट एण्ड कम्पनी बनाम अपने कर्मकारों के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरियों का निर्धारण/संशोधन किया जाता है।

गेहूं के उत्पादन पर विशेष पैकेज

3712. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आगम उपायों द्वारा गेहूं उत्पादन राज्यों में गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार इनमें शामिल क्षेत्र दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) भारत सरकार ने बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल राज्यों में 138 अभिज्ञात जिलों में गेहूं का उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक विशेष तीन वर्षीय योजना तैयार की है। इस योजना के तहत बीज वितरण, प्रदर्शन, सूक्ष्म पोषक तत्वों, उन्नत कृषि उपकरणों तथा डीजल के लिए राजसहायता हेतु सहायता मुहैया कराने का प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

नैफेड

3713. श्री दरोगा प्रसाद सरोज: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नेशनल एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव फैडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (नैफेड) के मुख्य कार्यकलापों सहित इसकी स्थापना के क्या उद्देश्य हैं;

(ख) क्या नैफेड को देश में किसानों को ऋण प्रदान करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में नैफेड द्वारा कितना ऋण प्रदान किया गया और उक्त अवधि के दौरान इस पर कितना ब्याज अर्जित किया गया; और

(घ) ऋण किन कार्यकलापों के लिए प्रदान किया जा रहा है और उक्त अवधि के दौरान इससे कितने किसान लाभान्वित हुए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) नैफेड के मुख्य उद्देश्य हैं—विपणन का आयोजन, संवर्धन और विकास, कृषि, गैर कृषि और गैर परम्परागत मदों, बागवानी और वन उत्पादों का प्रसंस्करण, भण्डारण; कृषि मशीनरी उपकरणों और अन्य आदानों का वितरण। कृषि विपणन सहकारी समितियों का राष्ट्रीय स्तर का शीर्षस्थ निकाय होने के नाते यह अपने सदस्यों, साझीदारों, एशोसिएट और राज्य स्तर के सहकारी विपणन संघों तथा प्राथमिक कृषि सहकारी विपणन समितियों को विपणन समर्थन भी देता है।

(ख) नैफेड की उपविधियों के अनुसार यह केवल अपने सदस्यों और अन्य सहकारी संस्थानों को ही ऋण दे सकता है न कि किसानों को।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

शोलापुर में निम्न आवृत्ति वाला ट्रांसमीटर

3714. श्री रामदास आठवले: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शोलापुर, महाराष्ट्र के आकाशवाणी प्रसारण स्टेशन की ट्रांसमिशन क्षमता निम्न है जिसके परिणामस्वरूप रेडियो ट्रांसमिशन सुनने लायक नहीं होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उपर्युक्त रेडियो स्टेशन की ट्रांसमिशन क्षमता में वृद्धि करने के लिए कदम उठा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) इस समय शोलापुर में 1 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर पूरी शक्ति से कार्यशील है। इस ट्रांसमीटर का कवरेज क्षेत्र अर्द्धव्यास में लगभग 35 कि.मी. है।

(ख) योजनागत स्कीम के अंतर्गत इस ट्रांसमीटर को 10 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसीटर से प्रतिस्थापित करने हेतु अनुमोदित कर दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पर्यटकों के लिए प्रबोधन पाठ्यक्रम

3715. श्री रनेन बर्मन: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार का प्रस्ताव राष्ट्रीय पार्कों का दौरा करने वाले पर्यटकों के लिए प्रबोधन पाठ्यक्रम आरम्भ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय पार्कों का दौरा करने वाले पर्यटकों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए इस

मंत्रालय के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि देश में कुछ राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य पर्यटकों के लिए नेचर इन्टरप्रिटेशन कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।

कृषि उत्पादों की प्रति व्यक्ति खपत

3716. श्री के. सुब्बारायण:
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के वर्षों में कृषि उत्पादों की प्रति व्यक्ति घरेलू खपत में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए उत्तरदायी कारण क्या हैं; और

(ग) देश में कृषि उत्पादों की खपत को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार चावल तथा गेहूं की अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति मासिक खपत नीचे सारणी में दी गई है:-

(किलोग्राम)

जिंस	43वां दौर 1987-88		50वां दौर 1993-94		55वां दौर 1999-2000		60वां दौर 2004	
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
चावल	6.81	5.26	6.97	5.13	6.59	5.10	6.80	4.88
गेहूं	4.48	4.37	4.32	4.44	4.45	4.45	4.25	4.67

यद्यपि ग्रामीण इलाकों में चावल की प्रति व्यक्ति खपत में अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है परन्तु गेहूं की प्रति व्यक्ति खपत 1987-88 के दौरान 4.48 किलोग्राम से गिरकर 2004 में 4.25 किलोग्राम हो गई है। तथापि नगरीय क्षेत्रों में, चावल की प्रति व्यक्ति खपत में काफी गिरावट आई है, जबकि गेहूं की प्रति व्यक्ति खपत 1987-88 के दौरान 4.37 किलोग्राम से बढ़कर 2004 में 4.67 किलोग्राम हो गई है। उपभोग पैटर्न में हुए परिवर्तन जन-साधारण की उपभोग संबंधी आदतों में परिवर्तन निर्धारित करते हैं जो कि मुख्यत: उनकी आय स्तर पर निर्भर है।

(ग) सरकार रोजगार उत्पत्ति तथा कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन करती है ताकि खाद्यान्नों तक जनसंख्या के जरूरतमन्द वर्ग की पहुंच में वृद्धि की जा सके। इसमें संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, लक्षित जन वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) मिड-डे मील स्कीम तथा अन्तोदय अन्न योजना शामिल है।

[हिन्दी]

वन भूमि पर अधिवास

3717. श्री वीरेन्द्र कुमार:
श्री महावीर भगोरा:

*क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश की वन भूमि पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के अधिवास के लिए प्रस्ताव किस तिथि को प्राप्त हुआ है;

(ख) उक्त में से कितने प्रस्तावों का निपटान कर दिया गया है और कितने प्रस्ताव मंत्रालय के पास अभी तक लंबित हैं; और

(ग) वन भूमि पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिवास के लिए प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है और इस प्रक्रिया को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) केन्द्र सरकार को विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के पुनर्वास का कोई प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर 384 वन गांवों को राजस्व गांवों में बदलने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(ग) आगे और वन गांवों को राजस्व गांवों में बदलने की कार्रवाई को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वनभूमि के अनारक्षण पर लगाई गई रोक हटने तक आस्थगित रखा गया है।

[अनुवाद]

मात्स्यिकी जल कृषि और डेयरी क्षेत्रों के लिए रोडमैप

3718. श्री जी.वी. हर्ष कुमार: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में मत्स्य पालन, जलचर पालन और डेयरी क्षेत्रों के विकास के लिए कोई रोडमैप तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश में डेयरी क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) देश भर में मात्स्यिकी, जलकृषि और डेयरी क्षेत्र का विकास करने के उद्देश्य से सरकार राज्य सरकारों को विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता प्रदान करती है। प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं:-

(1) अंतर्देशीय मात्स्यिकी तथा जलकृषि का विकास

(2) समुद्री मात्स्यिकी, बुनियादी ढांचे तथा पोस्ट हार्वेस्ट क्रियाकलापों का विकास

(3) सघन डेयरी विकास कार्यक्रम

(4) सहकारिताओं को सहायता

(5) गुणवत्ता एवं स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण

(6) डेयरी/कुक्कुट उद्यम पूंजी कोष

(ग) देश में दुग्ध उत्पादन 2005-06 में 97.1 मिलियन टन (अनंतिम) के स्तर पर पहुंच गया है तथा इसके 2006-07 में 100 मिलियन टन तक पहुंचने की संभावना है। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2006-07 में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता के 245 ग्राम प्रतिदिन तक पहुंचने की संभावना है। अधिकांश दुग्ध उत्पादन छोटे, सीमांत किसानों तथा भूमिहीन श्रमिकों द्वारा किया जाता है जिन्हें ग्रामीण स्तर पर सहकारिता के रूप में संगठित किया गया है। लगभग 12 मिलियन किसानों को एक स्थिर बाजार तथा लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 2002-03 में 6584 हजार टन की तुलना में 2005-06 में 7624 हजार टन दुग्ध उत्पादन का अनुमान है। राज्य के पास 5242 हजार लीटर प्रतिदिन दूध के रख-रखाव एवं प्रसंस्करण की क्षमता है। यह 31.03.2006 की तारीख को सहकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 के तहत पंजीकृत है।

भूमि का हस्तान्तरण

3719. श्री सुभाष महरिया: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) को आई.डी.पी.एल., ऋषिकेश परिसर में चल रहे केंद्रीय विद्यालय से भूमि, भवन और अन्य अवसंरचना का हस्तांतरण करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली को भूमि और भवन के हस्तान्तरण के लिए कोई कार्यविधियां तैयार की गई हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसका हस्तांतरण कब तक किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (घ) तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) को ऋषिकेश स्थित भूमि पट्टे पर उपलब्ध करायी गई थी। अभी भी भूमि का पट्टा आईडीपीएल के पास है।

21 स्टाफ क्वार्टर्स सहित भूमि, भवन और आधारभूत सुविधाएं केन्द्रीय विद्यालय संगठन को हस्तांतरित करने संबंधी एक प्रस्ताव आईडीपीएल में प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि केन्द्रीय विद्यालय संगठन, भूमि और भवन का हस्तांतरण निःशुल्क चाहता था।

मीठी नदी के लिए निधियां

3720. श्री हरिभाऊ राठौड़: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मुम्बई के मीठी नदी को पुनर्जीवित करने, इसकी सफाई एवं संरक्षण के लिए महाराष्ट्र सरकार से विशेष वित्तीय सहायता के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सहायता कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अछूती वन भूमि को साफ करना

3721. श्री मणि चारेनामै: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान झूम कृषि के लिए प्रति वर्ष साफ किए जाने वाले अछूते वन क्षेत्र का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वनों को विशेषकर उत्तर-पूर्व राज्यों में साफ करने और जलाने से निपटने के लिए क्या रणनीतियां अपनाई गई हैं;

(ग) क्या झूम कृषि को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना): (क) से (घ) वन स्थिति रिपोर्ट 2003 के अनुसार वनावरण पर प्रतिकूल प्रभाव इसलिए पड़ा है क्योंकि 2001-03 की अवधि के बीच पूर्वोत्तर राज्यों में झूम कृषि हुई है, उसका ब्यौरा विवरण में दिया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में वनों की सफाई और जलाने की समस्या से निपटने के लिए जो रणनीतियां अंगीकृत की गई है, वे हैं-भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 3 स्तरीय माडल, स्लोपिंग कृषि भूमि प्रौद्योगिकी (एस ए एल टी), स्लोपिंग वाटर शैड पर्यावरणीय इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी (एस डब्ल्यू ई ई टी), आर्थिक विकास के जरिए नागालैंड को शक्ति संपन्न बनाना (एन ई पी ई डी) वृक्ष पौध रोपण माडल और राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के तहत झूम परियोजना/झूम कृषि को पूरी तरह से रोकने के लिए कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है।

विवरण

2001-2003 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में झूम कृषि की वजह से प्रतिकूल रूप से प्रभावित वनावरण

(वर्ग कि.मी. में क्षेत्र)

राज्य	झूम कृषि की वजह से प्रतिकूल रूप से प्रभावित वनावरण			अन्य कारणों की वजह से वनावरण में हानि	कुल प्रभावित वनावरण	वनावरण में कुल प्राप्ति	वनावरण में शुद्ध हानि/प्राप्ति
	घने वन	खुले वन	कुल				
अरुणाचल प्रदेश	-663	-262	-925	-256	-1,181	1,155	-26
असम	-272	-337	-609	-2,086	-2,695	2,807	112
मणिपुर	-125	-730	-855	-108	-963	1,256	293
मेघालय	-141	-543	-684	-71	-755	2,010	1,255
मिजोरम	-351	-336	-687	-900	-1,587	2,523	936
नागालैंड	-321	-1,011	-1,332	-57	-1,389	1,653	264
त्रिपुरा	-221	-163	-384	-1	-385	1,413	1,028
कुल	-2,094	-3,382	-5,476	-3,479	-8,955	12,817	3,862

खाद्यान्न का आबंटन

3722. श्री मंजुनाथ कुन्नुरः क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान विशेषकर कर्नाटक में प्रत्येक केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित एवं जारी किए गए खाद्यान्न की कुल मात्रा कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान प्रत्येक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत कर्नाटक सहित राज्यवार आवंटित और जारी किए गए खाद्यान्नों की कुल मात्रा संलग्न विवरण-I से XXVI में दी गई है।

विवरण I

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्ष 2003-04 (अनंतिम) के लिए चावल और गेहूं का आवंटन और उठान

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन				उठान				उठान की प्रतिशतता			
		ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	अं.अ.यो.	जोड़	ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	अं.अ.यो.	जोड़	ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	अं.अ.यो.	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	1,368.430	2,266.740	337.946	3973.116	1319.231	434.289	330.659	2084.179	96.405	19.159	97.844	52.46
2.	अरुणाचल प्रदेश	35.148	64.206	6.348	105.702	33.897	55.5	6.231	95.628	96.441	86.441	98.157	90.47
3.	असम	682.284	735.140	118.236	1535.66	628.166	343.616	112.266	1084.048	92.068	46.742	94.951	70.59
4.	बिहार	2,219.184	2,291.520	420.000	4930.704	627.119	7.1	380.872	1015.091	28.259	0.310	90.684	20.59
5.	छत्तीसगढ़	566.226	1,045.800	155.967	1767.993	509.173	23.2	147.141	679.514	89.924	2.218	94.341	38.43
6.	दिल्ली	158.340	996.516	13.440	1168.296	165.223	346.739	12.989	524.951	104.347	34.795	96.644	44.93
7.	गोवा	12.888	118.296	3.072	134.256	6.959	4.963	2.408	14.33	53.996	4.195	78.385	10.67
8.	गुजरात	753.948	2,787.564	136.500	3678.012	473.951	41.453	55.286	570.69	62.863	1.487	40.503	15.52
9.	हरियाणा	274.004	1,014.204	47.664	1335.872	228.889	98.524	45.804	373.217	83.535	9.714	96.098	27.94
10.	हिमाचल प्रदेश	195.872	348.900	33.060	577.832	177.198	68.968	33.099	279.265	90.466	19.767	100.118	48.33
11.	जम्मू और कश्मीर	261.660	443.940	47.424	753.024	253.097	257.78	47.368	558.245	96.727	58.066	99.882	74.13
12.	झारखंड	839.268	216.300	153.936	1209.504	297.369	11.285	139.541	448.195	35.432	5.217	90.649	37.06
13.	कर्नाटक	1,095.996	2,070.600	218.280	3384.876	1048.154	839.788	196.471	2083.413	95.635	40.558	90.009	61.58
14.	केरल	534.551	1,808.940	118.057	2461.548	440.186	137.125	117..405	694.716	82.347	7.580	99.448	28.22
15.	मध्य प्रदेश	1,225.343	2,535.372	330.605	4091.32	1049.194	30.369	318.297	1397.86	85.625	1.198	96.277	34.17
16.	महाराष्ट्र	2,293.204	4,700.880	451.100	7445.184	1580.159	28.524	391.325	2000.008	68.906	0.607	86.749	26.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.	मणिपुर	43.884	47.460	10.716	102.06	44.356	18.05	11.094	73.5	101.076	38.032	103.527	72.02
18.	मेघालय	65.052	45.024	11.808	121.884	69.503	18.992	12.567	101.062	106.842	42.182	106.428	82.92
19.	मिजोरम	23.190	54.564	5.490	83.244	23.727	51.043	4.953	79.723	102.316	93.547	90.219	95.77
20.	नागालैंड	42.120	86.688	9.960	138.768	43.228	66.079	9.304	118.611	102.631	76.226	93.414	85.47
21.	उड़ीसा	1,484.376	1,155..564	212.316	2852.256	632.892	148.92	209.274	991.086	42.637	12.887	98.567	34.75
22.	पंजाब	166.416	1,473.240	30.120	1669.776	120.195	16.0157	16.824	153.076	72.226	1.090	55.587	9.17
23.	राजस्थान	778.608	2,763.756	181.852	3724.216	619.442	111.073	170.297	900.812	79.558	4.109	93.646	24.19
24.	सिक्किम	14.636	25.812	3.604	44.052	14.676	13.272	3.49	31.438	100.273	51.418	96.837	71.37
25.	तमिलनाडु	1,742.352	3,787.980	300.024	5830.356	1782.975	228.641	311.361	2322.977	102.332	6.036	103.779	39.84
26.	त्रिपुरा	104.904	179.232	18.996	303.132	102.15	34.109	18.922	155.181	97.375	19.031	99.610	51.19
27.	उत्तर प्रदेश	3,654.295	6,494.460	830.885	10979.64	2121.809	10.669	806.835	2939.313	58.063	0.164	97.105	26.77
28.	उत्तरांचल	177.120	333.352	32.052	542.724	148.288	19.412	27.175	194.875	83.722	5.820	84.784	35.91
29.	पश्चिम बंगाल	1,702.752	4,089.180	307.788	6099.72	1215.756	477.595	218.558	1911.909	71.399	11.679	71.009	31.34
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7.434	36.360	1.806	45.6	4.67	14.151	2.306	21.127	62.819	38.919	127.685	46.33
31.	चंडीगढ़	8.748	75.516	0.888	85.152	0.785	उ.न.	0.733	1.518	8.973	उ.न.	82.545	1.78
32.	दादर और नगर हवेली	5.544	7.140	1.176	13.86	3.044	0.899	0.83	4.773	54.906	12.591	70.578	34.44
33.	दमन और दीव	1.428	9.420	0.252	11.1	0.792	0.195	0.149	1.136	55.462	2.070	59.127	10.23
34.	लक्षद्वीप	0.372	3.708	0.168	4.248	उ.न.	2.85	उ.न.	2.85	उ.न.	76.861	उ.न.	67.09
35.	पांडिचेरी	30.736	13.200	4.376	48.312	17.667	0.549	3.413	21.629	57.480	4.159	77.994	44.77
	कुल	22,570.313	44,126.774	4,555.912	71,252.999	15,803.920	3,961.779	4,165.247	23,930.946	70.021	8.978	91.425	33.586
1.	केरिपु/सीसुब	उ.न.	55.512	उ.न.	55.512	उ.न.	11.719	उ.न.	11.719	उ.न.	21.111	उ.न.	21.111
2.	रक्षा	उ.न.	255.504	उ.न.	255.504	उ.न.	232.689	उ.न.	232.689	उ.न.	91.071	उ.न.	91.071
3.	भूटान	उ.न.	20	उ.न.	20	उ.न.	18.303	उ.न.	18.303	उ.न.	91.515	उ.न.	91.515
	सकल जोड़ (अखिल भारत)	22,570.313	44,457.790	4,555.912	71,584.015	15,803.920	4,224.490	4,165.247	24,193.657	70.021	9.502	91.425	33.798

विवरण II

2003-04 के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन और उठान

(आंकड़े हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक आवंटन			उठान		
		चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	178.28	–	178.28	151.78	–	151.78
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.45	–	5.45	1.88	–	1.88
3.	असम	97.14	–	97.14	77.41	–	77.41
4.	बिहार	88.97	156.33	245.3	51.55	118.91	170.46
5.	छत्तीसगढ़	56.57	–	56.57	–	–	–
6.	दिल्ली	3.74	17.99	21.73	1.99	5.26	7.25
7.	गोवा	1.25	–	1.25	–	0.50	0.50
8.	गुजरात	30.05	30.05	60.10	20.56	19.40	39.96
9.	हरियाणा	22.94	22.94	45.88	21.14	20.65	41.79
10.	हिमाचल प्रदेश	18.45	–	18.45	17.84	–	17.84
11.	जम्मू-कश्मीर	24.66	–	24.66	0.59	–	0.59
12.	झारखंड	47.44	4.36	51.80	20.46	2.59	23.05
13.	कर्नाटक	135.60	10.26	145.86	82.05	5.35	87.40
14.	केरल	43.33	–	43.33	43.35	–	43.35
15.	मध्य प्रदेश	37.75	128.08	165.83	33.01	116.88	149.89
16.	महाराष्ट्र	223.60	–	223.60	184.84	–	184.84
17.	मणिपुर	8.89	–	8.89	7.83	–	7.83
18.	मेघालय	10.28	–	10.28	9.39	–	9.39
19.	मिजोरम	1.88	–	1.88	1.89	–	1.89
20.	नागालैंड	5.21	–	5.21	4.04	–	4.04
21.	उड़ीसा	123.31	–	123.31	113.88	–	113.88
22.	पंजाब	–	45.49	45.49	0.39	23.24	23.63

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	राजस्थान	–	170.08	170.08	–	136.90	136.90
24.	सिक्किम	1.54	–	1.54	1.29	–	1.29
25.	तमिलनाडु	110.60	–	110.60	79.30	–	79.30
26.	त्रिपुरा	9.08	–	9.08	8.92	–	8.92
27.	उत्तर प्रदेश	172.64	318.60	491.24	140.75	269.03	409.78
28.	उत्तरांचल	20.51	3.11	23.62	18.80	1.05	19.85
29.	पश्चिम बंगाल	289.35	–	289.35	251.54	–	251.54
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.70	–	0.70	0.95	–	0.95
31.	चंडीगढ़	–	0.98	0.98	–	0.20	0.20
32.	दादर और नगर हवेली	0.68	–	0.68	0.20	–	0.20
33.	दमन और दीव	0.30	–	0.30	0.28	0.04	0.32
34.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–
35.	पांडिचेरी	1.25	–	1.25	1.36	–	1.36
	सकल जोड़	1771.44	908.27	2679.71	1349.26	720.00	2069.26

विवरण III

2003-04 के दौरान सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष घटक के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन और उठान

(आंकड़े हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक आवंटन			उठान		
		चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1820.00	–	1820.00	1572.19	–	1572.19
2.	अरुणाचल प्रदेश	24.80	–	24.80	7.30	–	7.30
3.	असम	50.00	–	50.00	–	–	–
4.	बिहार	–	–	0.00	–	–	–
5.	छत्तीसगढ़	238.00	–	238.00	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	गुजरात	79.00	79.00	158.00	51.50	197.46	248.96
7.	कर्नाटक	679.75	–	679.75	622.75	–	622.75
8.	केरल	61.00	–	61.00	29.33	–	29.33
9.	मध्य प्रदेश	127.98	349.78	477.76	0.18	0.65	0.83
10.	महाराष्ट्र	23.16	492.64	515.80	–	–	–
11.	उड़ीसा	522.00	–	522.00	469.10	–	469.10
12.	पंजाब	–	–	–	–	–	–
13.	राजस्थान	–	1357.63	1357.63	–	1966.17	1966.17
14.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–
15.	तमिलनाडु	679.00	–	679.00	445.22	–	445.22
16.	उत्तर प्रदेश	–	–	–	–	12.21	12.21
17.	उत्तरांचल	–	–	–	20.60	12.94	33.54
18.	पश्चिम बंगाल	–	–	–	37.05	–	37.05
19.	पांडिचेरी	–	–	–	0.15	–	0.15
	सकल जोड़	4304.69	2279.05	6583.74	3255.37	2189.43	5444.80

टिप्पणी-1 उठान में बैकलाग कोटा के प्रति उठान शामिल है।

टिप्पणी-2 अरुणाचल प्रदेश और असम को किया गया आवंटन बाढ़ राहत के लिए है।

विवरण IV

2003-04 के दौरान छात्रावासों/कल्याण संस्थाओं आदि के लिए गरीबी रेखा से नीचे के मासिक आवंटन के अतिरिक्त 5% के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन और उठान

(आंकड़े हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक आवंटन			उठान		
		चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	200.07	0.00	200.07	204.05	0.00	204.05
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.56	0.24	1.80	0.00	0.00	0.00
3.	असम	34.08	0.00	34.08	0.15	0.00	0.15

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	बिहार	44.40	66.60	111.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	22.56	6.48	29.04	0.01	0.03	0.04
6.	दिल्ली	2.28	5.64	7.92	0.00	0.00	0.00
7.	गोवा	0.36	0.24	0.60	0.00	1.41	1.41
8.	गुजरात	9.84	27.84	37.68	5.18	1.10	6.28
9.	हरियाणा	0.00	13.08	13.08	0.00	0.13	0.13
10.	हिमाचल प्रदेश	4.32	2.88	7.20	0.00	0.93	0.93
11.	जम्मू-कश्मीर	9.96	3.12	13.08	0.00	0.00	0.00
12.	झारखंड	23.64	17.16	40.80	0.00	0.00	0.00
13.	कर्नाटक	62.74	29.39	92.13	21.52	3.40	24.92
14.	केरल	27.60	0.00	27.60	1.43	0.00	1.43
15.	मध्य प्रदेश	12.72	51.00	63.72	2.54	2.93	5.47
16.	महाराष्ट्र	40.68	75.48	116.16	15.62	11.54	27.16
17.	मणिपुर	2.16	0.00	2.16	0.56	0.00	0.56
18.	मेघालय	3.24	0.00	3.24	1.54	0.00	1.54
19.	मिजोरम	1.20	0.00	1.20	1.03	0.00	1.03
20.	नागालैंड	1.80	0.48	2.28	2.84	0.48	3.32
21.	उड़ीसा	74.16	0.00	74.16	6.30	0.01	6.31
22.	पंजाब	0.00	8.28	8.28	0.00	0.11	0.11
23.	राजस्थान	0.48	39.72	40.20	0.00	0.27	0.27
24.	सिक्किम	0.72	0.00	0.72	0.28	0.00	0.28
25.	तमिलनाडु	87.12	0.00	87.12	42.31	0.00	42.31
26.	त्रिपुरा	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	65.16	124.80	189.96	0.00	0.00	0.00
28.	उत्तरांचल	5.64	3.24	8.88	1.69	0.50	2.19
29.	पश्चिम बंगाल	42.60	42.60	85.20	6.40	0.00	6.40
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.24	0.12	0.36	0.21	0.00	0.21

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	चंडीगढ़	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00
32.	दादर और नगर हवेली	0.24	0.00	0.24	0.16	0.04	0.20
33.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	1.56	0.00	1.56	0.92	–	0.92
	सकल जोड़	788.41	518.87	1307.28	314.74	22.88	337.62

टिप्पणी-1 उठान में बैकलॉग कोटा के प्रति उठान शामिल है।

टिप्पणी-2 आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के मामले में आवंटन और उठान में प्रति दर्शाई गई मात्रा में अजा/अजजा/अपिव छात्रावासों के आवंटन और उठान संबंधी आंकड़े भी शामिल हैं क्योंकि इन दोनों राज्यों को गरीबी रेखा से नीचे के आवंटन के 5% के अलावा क्रमश: 1,27,834 टन और 36,450 टन खाद्यान्नों का आवंटन किया गया था।

विवरण V

2003-04 के दौरान गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन और उठान

(आंकड़े हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक आवंटन			उठान		
		चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	25.63	32.73	58.36	22.55	26.67	49.22
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	2.00	2.00	–	–	–
3.	असम	–	–	–	–	–	–
4.	बिहार	–	–	–	–	–	–
5.	छत्तीसगढ़	–	50.00	50.00	–	45.51	45.51
6.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–
7.	गोवा	–	–	–	–	–	–
8.	गुजरात	–	31.00	31.00	–	30.49	30.49
9.	हरियाणा	–	0.90	0.90	–	7.67	7.67
10.	हिमाचल प्रदेश	1.80	1.10	2.90	1.84	0.81	2.65
11.	जम्मू-कश्मीर	–	–	–	0.50	–	0.5

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	झारखंड	–	–	–	–	–	–
13.	कर्नाटक	58.60	35.00	93.60	20.09	3.42	23.51
14.	केरल	–	–	–	0.14	–	0.14
15.	मध्य प्रदेश	–	80.00	80.00	2.77	49.73	52.5
16.	महाराष्ट्र	–	–	–	11.27	0.90	12.17
17.	मणिपुर	–	–	–	0.15	–	0.15
18.	मेघालय	–	1.81	1.81	0.12	1.71	1.83
19.	मिजोरम	3.00	8.80	11.80	0.10	–	0.10
20.	नागालैंड	5.00	5.00	10.00	0.46	0.36	0.82
21.	उड़ीसा	–	–	–	–	47.12	47.12
22.	पंजाब	9.74	13.31	23.05	–	11.40	11.40
23.	राजस्थान	–	–	–	–	1.79	1.79
24.	सिक्किम	–	–	–	–		
25.	तमिलनाडु	–	1.55	1.55	0.54	11.17	11.17
26.	त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–
27.	उत्तर प्रदेश	–	106.14	106.14	–	8.52	8.52
28.	उत्तरांचल	–	3.00	3.00	–	–	–
29.	पश्चिम बंगाल	–	–	–	–	–	–
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	–	–	–
31.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–
32.	दादर और नगर हवेली	0.01	0.06	0.07	0.01	0.01	0.02
33.	दमन और दीव	0.01	0.05	0.06	–	–	–
34.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–
35.	पांडिचेरी	–	–	–	–	–	–
	सकल जोड़	103.79	372.45	476.24	60.54	247.28	307.82

टिप्पणी: उठान में बैकलॉग कोटा के प्रति उठान शामिल है।

विवरण VI

2003-04 के दौरान संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन और उठान

(आंकड़े हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन			उठान		
		चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2078.91	0.00	2078.91	2002.92	0.00	2002.92
2.	अरुणाचल प्रदेश	29.71	0.00	29.71	7.30	0.00	7.30
3.	असम	371.11	0.00	371.11	333.11	0.00	333.11
4.	बिहार	369.27	0.00	369.27	181.85	0.00	181.85
5.	छत्तीसगढ़	356.90	0.00	356.90	0.00	0.00	0.00
6.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गोवा	0.13	0.00	0.13	0.66	0.00	0.66
8.	गुजरात	90.91	223.36	314.27	59.98	300.77	360.75
9.	हरियाणा	0.00	60.75	60.75	0.00	53.97	53.97
10.	हिमाचल प्रदेश	11.53	10.96	22.49	11.24	7.11	18.35
11.	जम्मू-कश्मीर	18.71	7.92	26.63	19.57	7.30	26.87
12.	झारखंड	190.37	75.88	266.25	85.49	42.27	127.78
13.	कर्नाटक	997.81	23.78	1021.59	920.66	18.36	939.02
14.	केरल	128.51	20.56	149.07	173.10	12.31	185.41
15.	मध्य प्रदेश	191.56	633.38	824.94	184.00	567.92	751.92
16.	महाराष्ट्र	157.36	713.85	871.21	181.30	560.86	742.16
17.	मणिपुर	18.10	0.00	18.10	14.14	1.35	15.49
18.	मेघालय	24.12	0.00	24.12	16.25	0.00	16.25
19.	मिजोरम	9.19	0.00	9.19	10.63	0.00	10.63
20.	नागालैंड	12.88	3.92	16.80	21.91	5.93	27.84
21.	उड़ीसा	798.91	0.00	798.91	806.02	0.00	806.02
22.	पंजाब	0.00	46.38	46.38	0.00	47.01	47.01

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	राजस्थान	0.00	1582.60	1582.60	0.00	2144.63	2144.63
24.	सिक्किम	8.53	0.00	8.53	7.95	0.00	7.95
25.	तमिलनाडु	923.63	0.00	923.63	659.66	0.00	659.66
26.	त्रिपुरा	48.66	0.00	48.63	63.13	0.00	63.13
27.	उत्तर प्रदेश	230.29	508.88	739.17	220.04	462.68	682.72
28.	उत्तरांचल	31.15	23.16	54.31	58.97	40.57	99.54
29.	पश्चिम बंगाल	253.31	0.00	253.31	309.26	0.00	309.26
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.31	0.00	1.31	0.11	0.00	0.11
31.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दादर और नगर हवेली	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
33.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	1.59	0.00	1.59	0.37	0.00	0.37
	सकल जोड़	7355.44	3935.38	11290.82	6349.60	4273.04	10622.64

विवरण VII

2003-04 के दौरान अन्नपूर्णा योजना के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन और उठान

(आंकड़े हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वार्षिक आवंटन			उठान		
		चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	11.18	–	11.18	9.46	–	9.46
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.57	–	0.57	0.12	–	0.12
3.	असम	–	–	–	–	–	–
4.	बिहार	8.00	11.99	19.99	6.18	9.30	15.48
5.	छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–
6.	दिल्ली	–	0.02	0.02	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	गोवा	0.09	–	0.09	0.06	–	0.06
8.	गुजरात	–	–	–	–	–	–
9.	हरियाणा	–	–	–	–	1.99	1.99
10.	हिमाचल प्रदेश	0.77		0.77	0.72	–	0.72
11.	जम्मू-कश्मीर	1.22	–	1.22	–	–	–
12.	झारखंड	6.59	–	6.59	7.19	–	7.19
13.	कर्नाटक	–	–	–	–	–	–
14.	केरल	3.72	–	3.72	3.72	–	3.72
15.	मध्य प्रदेश	–	–	–	0.93	–	0.93
16.	महाराष्ट्र	3.60	–	3.60	4.52	–	4.52
17.	मणिपुर	–	–	–	–	–	–
18.	मेघालय	1.11	–	1.11	–	–	–
19.	मिजोरम	–	–	–	–	–	–
20.	नागालैंड	–	–	–	–	–	–
21.	उड़ीसा	7.78	–	7.78	6.24	–	6.24
22.	पंजाब	–	–	–	–	1.86	1.86
23.	राजस्थान	–	12.64	12.64	–	12.35	12.35
24.	सिक्किम	–	0.30	–	0.02	–	0.02
25.	तमिलनाडु	–	–	–	–	–	–
26.	त्रिपुरा	1.78	–	1.78	1.79	–	1.79
27.	उत्तर प्रदेश	–	42.00	42.00	–	38.26	38.26
28.	उत्तरांचल	–	–	–	–	–	–
29.	पश्चिम बंगाल	9.60	–	9.60	4.07	–	4.07
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	–	–	–
31.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–
32.	दादर और नगर हवेली	0.05	–	0.05	0.04	–	0.04
33.	दमन और दीव	–	–	–	–	–	–
34.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–
35.	पांडिचेरी	–	–	–	–	–	–
	सकल जोड़	56.06	66.95	123.01	45.06	63.76	108.82

टिप्पणी: उठान में बैकलॉग कोटा के प्रति उठान शामिल है।

विवरण VIII

2003-04 के दौरान किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन और उठान

(आंकड़े हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक आवंटन			उठान		
		चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	22.10	0.00	22.10	18.80	0.00	18.80
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
3.	असम	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	7.10	0.00	7.10	7.10	0.00	7.10
6.	दिल्ली	0.00	2.80	2.80	0.00	0.07	0.07
7.	गोवा	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	12.90	0.00	12.90	12.9	0.00	12.9
9.	हरियाणा	0.00	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00
10.	हिमाचल प्रदेश	3.70	0.00	3.70	0.00	0.93	0.93
11.	जम्मू-कश्मीर	2.70	5.10	7.80	0.00	0.00	0.00
12.	झारखंड	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
13.	कर्नाटक	21.20	0.00	21.20	3.81	0.00	3.81
14.	केरल	9.60	0.00	9.60	1.36	0.00	1.36
15.	मध्य प्रदेश	12.20	0.00	12.20	2.67	0.00	2.67
16.	महाराष्ट्र	25.10	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00
17.	मणिपुर	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
18.	मेघालय	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
19.	मिजोरम	0.30	0.00	0.30	0.13	0.00	0.13
20.	नागालैंड	0.60	0.00	0.60	0.6	0.00	0.60
21.	उड़ीसा	12.10	0.00	12.10	1.73	0.00	1.73

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	पंजाब	0.00	1.20	1.20	0.00	0.11	0.11
23.	राजस्थान	10.20	13.70	23.90	0.93	0.00	0.93
24.	सिक्किम	0.20	0.00	0.20	0.07	0.00	0.07
25.	तमिलनाडु	8.50	0.00	8.50	8.50	0.00	.8.50
26.	त्रिपुरा	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	4.40	1.10	5.50	2.32	0.50	2.82
28.	उत्तरांचल	25.20	0.00	25.20	1.35	0.00	1.35
29.	पश्चिम बंगाल	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	[illegible]	0.00	0.00	0.00
31.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दादर और नगर हवेली	0.80	0.00	0.80	0.76	0.00	0.76
33.	दमन और दीव	0.50	0.00	0.50	0.15	0.00	0.15
34.	लक्षद्वीप	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
	सकल जोड़	223.10	29.00	252.10	63.18	1.61	64.79

टिप्पणी: 2003-04 के उठान के आंकड़े दिनांक 13.7.2005 को भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त फैक्स पर आधारित हैं।

विवरण IX

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्ष 2004-05 (अनंतिम) के लिए चावल और गेहूं का आवंटन और उठान

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन				उठान				उठान की प्रतिशतता			
		ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	अं.अ.यो.	जोड़	ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	अं.अ.यो.	जोड़	ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	अं.अ.यो.	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	1,230.128	2,266.740	476.248	3973.116	1261.816	1137.642	456.115	2855.573	102.576	50.188	95.773	71.87
2.	अरुणाचल प्रदेश	31.680	76.680	9.816	118.176	31.61	54.709	8.661	94.98	99.779	71.347	88.233	80.37
3.	असम	650.434	885.140	150.086	1685.66	623.762	521.126	139.178	1284.066	95.899	58.875	92.732	76.18
4.	बिहार	2,219.184	2,291.520	420.00	4930.704	809.91	10.312	382.079	1202.301	36.496	0.450	90.971	24.38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	छत्तीसगढ़	586.635	1,045.800	200.997	1833.432	556.72	42.368	180.339	779.487	94.401	4.051	89.752	4252
6.	दिल्ली	155.270	996.516	16.510	1168.296	148.735	410.117	13.984	572.836	95.791	41.155	84.700	49.03
7.	गोवा	11.848	118.296	4.112	134.256	उ.न.	उ.न.	5.04	5.04	उ.न.	उ.न.	122.568	3.75
8.	गुजरात	716.567	2,787.564	167.081	3671.212	556.091	93.809	114.301	764.201	77.605	3.365	68.411	20.82
9.	हरियाणा	257.040	1,014.204	71.532	1342.776	217.587	154.641	65.097	437.325	84.651	15.248	91.004	32.57
10.	हिमाचल प्रदेश	134.816	348.900	44.116	527.832	118.553	152.004	41.755	312.312	87.937	43.567	94.648	59.17
11.	जम्मू-कश्मीर	243.008	447.720	66.076	756.804	235.598	292.756	43.508	571.862	96.951	65.388	65.845	75.56
12.	झारखंड	801.112	216.300	204.380	1221.792	365.914	20.607	167.666	554.187	45.676	9.527	82.036	45.36
13.	कर्नाटक	987.813	2,070.600	326.463	3384.876	972.701	848.631	300.882	2122.214	98.470	40.985	92.164	62.70
14.	केरल	487.048	1,808.940	165.560	2461.548	493.64	264.047	156.714	914.401	101.353	14.597	94.657	37.15
15.	मध्य प्रदेश	1,326.222	2,535.372	406.254	4267.848	1225.005	22.732	380.325	1628.062	92.368	0.897	93.168	38.15
16.	महाराष्ट्र	2,069.837	4,700.880	674.467	7445.184	1773.019	67.391	598.26	2438.67	85.660	1.434	88.701	32.75
17.	मणिपुर	44.084	47.460	11.930	103.474	29.035	18.305	8.631	55.971	65.863	38.569	72.347	54.09
18.	मेघालय	60.152	45.024	16.708	121.884	60.389	21.808	16.119	98.316	100.394	48.436	96.475	80.66
19.	मिजोरम	21.241	93.840	7.439	122.52	21.644	70.007	7.098	98.749	101.897	74.603	95.416	80.60
20.	नागालैंड	39.529	122.040	12.551	174.12	421.787	108.915	11.922	163.624	108.242	89.245	94.988	93.97
21.	उड़ीसा	1,436.088	1,155.564	260.604	2852.256	1141.878	132.305	240.04	1514.223	79.513	11.449	92.109	53.09
22.	पंजाब	166.416	1,473.240	30.120	1669.776	110.983	25.348	22.766	159.097	66.690	1.721	75.584	9.53
23.	राजस्थान	708.868	2,763.756	251.672	3724.296	651.375	301.545	230.951	1183.871	91.889	10.911	91.767	31.79
24.	सिक्किम	14.076	25.812	4.164	44.052	14.022	18.532	4.058	36.612	99.616	71.796	97.454	83.11
25.	तमिलनाडु	1,608.365	3,787.980	434.011	5830.356	1665.081	630.638	424.791	2720.51	103.526	16.648	97.876	46.66
26.	त्रिपुरा	100.929	179.232	22.971	303.132	104.67	60.168	21.376	186.214	103.707	33.570	93.056	61.43
27.	उत्तर प्रदेश	3,316.042	6,494.460	1,169.138	10979.64	2777.114	7.763	1126.056	3910.933	83.748	0.120	96.315	35.62
28.	उत्तरांचल	177.120	333.552	32.052	542.724	178.697	16.772	41.62	237.089	100.890	5.028	129.851	43.69
29.	पश्चिम बंगाल	1,618.945	4,089.180	391.595	6099.72	1259.8	924.827	260.473	2445.1	77.816	22.616	66.516	40.09
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7.430	36.360	1.800	45.59	0.887	2.023	उ.न.	2.91	11.938	5.564	उ.न.	6.38
31.	चंडीगढ़	8.748	75.516	0.888	85.152	0.17	उ.न.	0.191	0.361	1.943	उ.न.	21.509	0.42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32.	दादर और नगर हवेली	5.544	7.140	1.176	131.86	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
33.	दमन और दीव	1.428	9.420	0.252	11.1	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
34.	लक्षद्वीप	0.372	3.708	0.168	4.248	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
35.	पांडिचेरी	28.238	13.200	6.874	48.312	2.62	0.085	1.235	3.94	9.278	0.644	17.966	8.16
	कुल	21,272.257	44,367.656	6,059.811	71,699.724	17,451.813	6,431.933	5,471.291	29,355.037	82.040	14.497	90.288	40.942
1.	केरिपु/सोसुब	उ.न.	54.652	उ.न.	54.652	उ.न.	39.278	उ.न.	39.278	उ.न.	71.869	उ.न.	71.869
2.	रक्षा	उ.न.	281.064	उ.न.	281.064	उ.न.	246.748	उ.न.	246.748	उ.न.	87.791	उ.न.	87.791
3.	भूटान	उ.न.	22.048	उ.न.	22.048	उ.न.	10.914	उ.न.	10.914	उ.न.	49.501	उ.न.	49.501
	सकल जोड़ (अखिल भारत)	21,272.257	44,725.420	6,059.811	72,057.488	17,451.813	6,728.873	5,471.291	29,651.977	82.040	15.045	90.288	41.150

विवरण X

2004-05 के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन और उठान

(आंकड़े हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक आवंटन (अनंतिम)			उठान (अनंतिम)		
		चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	213.41	0.00	213.41	208.42	0.00	208.42
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.56	0.00	3.56	3.92	0.00	3.92
3.	असम	101.63	0.00	101.63	87.28	0.00	87.28
4.	बिहार	113.67	164.34	278.01	113.49	50.63	164.12
5.	छत्तीसगढ़	56.57	0.00	56.57	0.00	0.00	0.00
6.	दिल्ली	10.78	10.78	21.56	9.71	5.74	15.45
7.	गोवा	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	30.11	30.11	60.22	28.02	24.53	52.55
9.	हरियाणा	23.04	23.04	46.08	8.30	12.53	20.83
10.	हिमाचल प्रदेश	17.52	0.00	17.52	16.52	0.00	16.52

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	जम्मू-कश्मीर	24.94	0.00	24.94	1.02	0.00	1.02
12.	झारखंड	82.00	0.00	82.00	55.32	0.00	55.32
13.	कर्नाटक	111.92	5.63	117.55	88.56	3.10	91.66
14.	केरल	42.63	0.00	42.63	42.39	0.00	42.39
15.	मध्य प्रदेश	39.07	120.91	159.98	33.16	103.93	137.09
16.	महाराष्ट्र	222.30	0.00	222.30	133.14	2.53	135.67
17.	मणिपुर	9.17	0.00	9.17	8.02	0.00	8.02
18.	मेघालय	10.06	0.00	10.06	9.51	0.00	9.51
19.	मिजोरम	1.82	0.00	1.82	1.63	0.00	1.63
20.	नागालैंड	3.47	0.00	3.47	4.36	0.00	4.36
21.	उड़ीसा	135.29	0.00	135.29	104.97	0.00	104.97
22.	पंजाब	0.00	43.22	43.22	0.00	28.88	28.88
23.	राजस्थान	2.66	165.90	168.56	1.07	119.94	121.01
24.	सिक्किम	1.67	0.00	1.67	1.68	0.00	1.68
25.	तमिलनाडु	86.12	0.00	86.12	72.46	0.50	72.96
26.	त्रिपुरा	9.16	0.00	9.16	8.17	0.00	8.17
27.	उत्तर प्रदेश	339.94	169.97	509.91	214.16	239.82	453.98
28.	उत्तरांचल	16.22	0.00	16.22	14.13	0.00	14.13
29.	पश्चिम बंगाल	301.50	0.00	301.50	271.79	0.00	271.79
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
31.	चंडीगढ़	0.00	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00
32.	दादर और नगर हवेली	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
33.	दमन और दीव	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
	सकल जोड़	2014.19	734.87	2749.06	1541.20	592.13	2133.33

टिप्पणी: भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिनांक 5.5.2005 की स्थिति के अनुसार प्रदान की गई सूचना पर आधारित।

विवरण XI

2004-05 के दौरान अन्नपूर्णा योजना के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन और उठान

(आंकड़े हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक आवंटन (अनंतिम)			उठान (अनंतिम)		
		चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	11.18	0.00	11.18	10.14	0.00	10.14
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.57	0.00	0.57	0.45	0.00	0.45
3.	असम	8.27	0.00	8.27	3.28	0.00	3.28
4.	बिहार	8.00	12.00	20.00	6.29	8.89	15.18
5.	छत्तीसगढ़	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
6.	दिल्ली	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00
7.	गोवा	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	0.00	1.00	1.00	0.08	0.53	0.61
9.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	हिमाचल प्रदेश	0.76	0.00	0.76	0.52	0.00	0.52
11.	जम्मू-कश्मीर	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
12.	झारखंड	6.59	0.00	6.59	6.43	0.14	6.57
13.	कर्नाटक	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
14.	केरल	3.71	0.00	3.71	2.72	0.00	2.72
15.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	महाराष्ट्र	5.40	9.00	14.40	6.27	6.43	12.70
17.	मणिपुर	1.03	0.00	1.03	0.15	0.00	0.15
18.	मेघालय	1.11	0.00	1.11	1.67	0.00	1.67
19.	मिजोरम	0.31	0.00	0.31	0.49	0.00	0.49
20.	नागालैंड	0.80	0.00	0.80	0.81	0.00	0.81
21.	उड़ीसा	7.78	0.00	7.78	7.62	0.00	7.62
22.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	राजस्थान	0.00	12.64	12.64	0.00	12.26	12.26
24.	सिक्किम	0.30	0.00	0.30	0.15	0.00	0.15
25.	तमिलनाडु	8.64	0.00	8.64	8.64	0.00	8.64
26.	त्रिपुरा	1.78	0.00	1.78	1.78	0.00	1.78
27.	उत्तर प्रदेश	0.00	42.00	42.00	0.00	39.62	39.62
28.	उत्तरांचल	1.26	0.00	1.26	1.02	0.00	1.02
29.	पश्चिम बंगाल	9.60	0.00	9.60	5.71	0.00	5.71
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
31.	चंडीगढ़	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00
32.	दादर और नगर हवेली	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
33.	दमन और दीव	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	सकल जोड़	89.89	76.72	166.61	64.22	68.15	132.37

टिप्पणी: उठान के संबंध में दिनांक 5.5.2005 को भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त सूचना पर आधारित।

विवरण XII

2004-05 के दौरान गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन और उठान

(आंकड़े हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक आवंटन (अनंतिम)			उठान (अनंतिम)		
		चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	29.56	29.00	58.56	33.34	26.60	59.94
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	39.57	39.57	0.30	33.48	33.78

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	0.00	40.00	40.00	0.60	27.93	28.53
9.	हरियाणा	0.00	1.72	1.72	0.00	56.23	56.23
10.	हिमाचल प्रदेश	1.90	1.10	3.00	1.09	0.63	1.72
11.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.42
13.	कर्नाटक	51.84	19.20	71.04	23.06	5.46	28.52
14.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मध्य प्रदेश	0.00	72.00	72.00	14.86	118.91	133.77
16.	महाराष्ट्र	29.56	0.00	29.56	7.96	3.98	11.94
17.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.45
18.	मेघालय	0.00	2.26	2.26	0.00	1.94	1.94
19.	मिजोरम	2.00	0.00	2.00	0.82	0.00	0.82
20.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	1.55	0.00	1.55
21.	उड़ीसा	0.00	68.88	68.88	0.00	57.80	57.80
22.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	राजस्थान	0.00	4.00	4.00	0.00	4.67	4.67
24.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30
25.	तमिलनाडु	0.00	12.50	12.50	0.80	16.80	17.60
26.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	0.00	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00
28.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85	1.85
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
31.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दादर और नगर हवेली	0.09	0.05	0.14	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.59
	सकल जोड़	115.75	341.94	457.69	85.55	356.87	442.42

टिप्पणी: उठान के संबंध में दिनांक 5.5.2005 को भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त सूचना पर आधारित।

विवरण XIII

2004-05 के दौरान छात्रावासों/कल्याण संस्थाओं के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन और उठान

(आंकड़े हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक आवंटन (अनंतिम)			उठान (अनंतिम)		
		चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	63.56	0.00	63.56	69.33	0.00	69.33
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.51	0.23	1.74	0.04	0.00	0.04
3.	असम	33.20	0.00	33.20	0.03	0.00	0.03
4.	बिहार	44.40	66.60	111.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	24.29	5.65	29.94	0.20	5.87	6.07
6.	दिल्ली	0.25	5.61	7.86	0.00	0.00	0.00
7.	गोवा	0.36	0.24	0.60	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	9.67	26.99	36.66	0.04	27.09	27.13
9.	हरियाणा	0.00	13.56	13.56	0.00	0.38	0.38
10.	हिमाचल प्रदेश	4.20	2.76	6.96	0.76	0.42	1.18
11.	जम्मू-कश्मीर	9.64	3.04	12.68	0.00	0.00	0.00
12.	झारखंड	24.51	16.20	40.71	0.40	0.00	0.40
13.	कर्नाटक	40.12	10.00	50.12	19.30	3.34	22.64

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	केरल	18.86	6.28	25.14	3.40	1.13	4.53
15.	मध्य प्रदेश	10.12	57.20	67.32	1.34	15.69	17.03
16.	महाराष्ट्र	38.68	67.11	105.79	14.34	16.53	30.87
17.	मणिपुर	2.16	0.00	2.16	0.34	0.00	0.34
18.	मेघालय	3.16	0.00	3.16	1.58	0.00	1.58
19.	मिजोरम	1.05	0.00	1.05	0.62	0.00	0.62
20.	नागालैंड	1.56	0.36	1.92	1.66	0.37	2.03
21.	उड़ीसा	74.16	0.00	74.16	31.47	0.02	31.49
22.	पंजाब	0.00	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00
23.	राजस्थान	0.36	35.88	36.24	0.00	1.20	1.20
24.	सिक्किम	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
25.	तमिलनाडु	84.28	0.00	84.28	48.20	0.00	48.20
26.	त्रिपुरा	5.16	0.00	5.16	1.30	0.00	1.30
27.	उत्तर प्रदेश	59.35	109.20	168.55	0.03	0.06	0.09
28.	उत्तरांचल	5.64	3.24	8.88	0.00	0.00	0.00
29.	पश्चिम बंगाल	41.32	41.32	82.64	0.01	3.27	3.28
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.24	0.12	0.36	0.00	0.00	0.00
31.	चंडीगढ़	0.12	0.24	0.36	0.00	0.00	0.00
32.	दादर और नगर हवेली	0.24	0.06	0.30	0.00	0.00	0.00
33.	दमन और दीव	0.05	0.02	0.07	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
	सकल जोड़	606.36	480.19	1086.55	194.39	75.37	269.76

टिप्पणी-1 उठान के संबंध में दिनांक 5.5.2005 को भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त सूचना पर आधारित।

टिप्पणी-2 आंध्र प्रदेश के मामले में उठान में बैकलाग कोटा के प्रति उठान शामिल है।

विवरण XIV

2004-05 के दौरान संपूर्ण ग्रामीण रोजगार के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन और उठान

(आंकड़े हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक आवंटन (अनंतिम)			उठान (अनंतिम)		
		चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	264.33	0.00	264.33	469.61	0.00	469.61
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30
3.	असम	338.74	0.00	338.74	396.58	0.00	396.58
4.	बिहार	543.19	0.00	543.19	305.45	5.38	310.83
5.	छत्तीसगढ़	137.81	0.00	137.81	5.52	0.00	5.52
6.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गोवा	2.81	0.00	2.81	12.92	0.00	12.92
8.	गुजरात	0.00	141.33	141.33	2.78	63.48	66.26
9.	हरियाणा	0.00	61.53	61.53	0.00	56.36	56.36
10.	हिमाचल प्रदेश	14.09	12.07	26.16	13.60	13.53	27.13
11.	जम्मू-कश्मीर	22.14	7.71	29.85	22.12	8.06	30.18
12.	झारखंड	219.23	88.21	307.44	78.07	51.85	129.02
13.	कर्नाटक	159.29	37.60	196.89	239.46	33.58	273.04
14.	केरल	61.23	30.61	91.84	62.25	33.40	95.65
15.	मध्य प्रदेश	89.08	229.26	318.34	105.77	358.30	464.07
16.	महाराष्ट्र	143.17	222.68	365.85	90.00	597.31	687.31
17.	मणिपुर	20.05	0.00	20.05	18.51	0.00	18.51
18.	मेघालय	23.81	0.00	23.81	38.72	0.00	38.72
19.	मिजोरम	6.11	0.00	6.11	19.46	0.00	19.46
20.	नागालैंड	7.26	7.26	14.52	15.87	8.31	24.18
21.	उड़ीसा	285.32	0.00	285.32	267.83	0.00	267.83
22.	पंजाब	0.00	67.83	67.83	0.00	61.32	61.32

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	राजस्थान	0.00	160.70	160.70	0.01	195.14	195.15
24.	सिक्किम	7.01	0.00	7.01	9.52	0.00	9.52
25.	तमिलनाडु	248.29	0.00	248.29	254.07	0.00	254.07
26.	त्रिपुरा	43.80	0.00	43.80	78.04	0.00	78.04
27.	उत्तर प्रदेश	269.05	606.70	875.75	221.67	458.96	680.63
28.	उत्तरांचल	34.23	25.56	59.79	38.42	28.02	66.44
29.	पश्चिम बंगाल	317.85	0.00	317.85	258.73	0.00	258.73
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
31.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दादर और नगर हवेली	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
33.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
	सकल जोड़	3263.85	1699.05	4962.90	3027.28	1973.00	5000.28

टिप्पणी: भारतीय खाद्य निगम से दिनांक 5.5.2005 को प्राप्त सूचना पर आधारित।

विवरण XV

2004-05 के दौरान संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष घटक के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन और उठान

(आंकड़े हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक आवंटन (अनंतिम)			उठान (अनंतिम)		
		चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	402.00	0.00	402.00	180.14	0.00	180.14*
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	30.04	0.00	30.04
3.	असम	100.00	0.00	100.00	90.58	0.00	90.58
4.	बिहार	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	10.88	92.44	103.32
9.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00
10.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	झारखंड	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
13.	कर्नाटक	353.62	0.00	353.62	361.00	1.71	362.71
14.	केरल	42.00	0.00	42.00	59.11	0.00	59.11
15.	मध्य प्रदेश	0.00	100.00	100.00	0.00	1.41	1.41
16.	महाराष्ट्र	0.00	300.00	300.00	37.13	111.00	148.13
17.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मेघालय	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
19.	मिजोरम	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	25.49	0.00	25.49
22.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29
23.	राजस्थान	0.00	718.00	718.00	0.00	574.19	574.19
24.	सिक्किम	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
25.	तमिलनाडु	150.00	0.00	150.00	435.13	0.00	435.13
26.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दादर और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	सकल जोड़	1594.24	1118.00	2712.24	1229.50	790.04	2019.54

टिप्पणी-1 भारतीय खाद्य निगम से दिनांक 5.5.2005 को प्राप्त सूचना पर आधारित।

टिप्पणी-2 उठान में बैकलाग कोटा के प्रति उठान शामिल है।

*तथापि, उप महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, हैदराबाद ने दिनांक 16.9.2005 के फैक्स द्वारा यह सूचित किया है कि 4.02 लाख टन चावल के समस्त आवंटन का वैधता अवधि के दौरान उठान कर लिया गया है।

विवरण XVI

2004-05 के दौरान काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन और उठान

(आंकड़े हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक आवंटन (अनंतिम)			उठान (अनंतिम)		
		चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	125.41	0.00	125.41	46.41	0.00	46.41
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	108.98	0.00	108.98	0.15	0.00	0.15
4.	बिहार	271.18	0.00	271.18	7.90	0.00	7.90
5.	छत्तीसगढ़	109.05	0.00	109.05	0.30	0.00	0.30
6.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.87
8.	गुजरात	0.00	41.04	41.04	0.16	17.15	17.31
9.	हरियाणा	0.00	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00
10.	हिमाचल प्रदेश	1.74	1.39	3.13	0.00	0.30	0.30
11.	जम्मू-कश्मीर	3.58	1.49	5.07	0.00	0.00	0.00
12.	झारखंड	165.45	66.56	232.01	2.67	2.44	5.11
13.	कर्नाटक	24.03	6.01	30.04	3.75	0.82	4.57

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	केरल	3.75	1.87	5.62	0.00	0.00	0.00
15.	मध्य प्रदेश	54.53	107.79	162.32	32.98	0.00	32.98
16.	महाराष्ट्र	75.34	83.66	159.00	19.63	9.86	29.49
17.	मणिपुर	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
18.	मेघालय	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
19.	मिजोरम	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
20.	नागालैंड	1.49	1.49	2.98	0.00	0.00	0.00
21.	उड़ीसा	228.86	0.00	228.86	143.56	0.00	143.56
22.	पंजाब	0.00	7.36	7.36	0.00	20.20	20.20
23.	राजस्थान	0.00	36.27	36.27	0.00	4.91	4.91
24.	सिक्किम	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
25.	तमिलनाडु	49.82	0.00	49.82	9.90	6.00	15.90
26.	त्रिपुरा	10.11	0.00	10.11	0.00	0.50	0.50
27.	उत्तर प्रदेश	57.52	213.26	270.78	3.99	1.49	5.48
28.	उत्तरांचल	6.93	3.49	10.42	0.86	0.80	1.66
29.	पश्चिम बंगाल	117.57	0.00	117.57	35.89	0.00	35.89
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दादर और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	सकल जोड़	1424.21	574.57	1998.78	308.15	65.34	373.49

टिप्पणी: उठान के संबंध में भारतीय खाद्य निगम से दिनांक 5.5.2005 को प्राप्त सूचना पर आधारित।

विवरण XVII

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्ष 2005-06 (अनंतिम) के लिए चावल और गेहूं का आवंटन और उठान

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन				उठान				उठान की प्रतिशतता			
		ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	अं.अ.यो.	जोड़	ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	अं.अ.यो.	जोड़	ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	अं.अ.यो.	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	1,086.129	2,266.740	620.247	3973.116	1101.87	1507.07	608.56	3217.5	101.449	66.486	98.116	80.98
2.	अरुणाचल प्रदेश	28.560	69.750	12.936	111.246	25.52	43.25	12.4	81.17	89.356	62.007	95.857	72.96
3.	असम	625.416	955.140	175.104	1755.66	595.48	444.48	181.09	1221.15	95.213	46.546	103.419	69.56
4.	बिहार	2,166.651	2,291.520	472.533	4930.704	672.01	25.55	421.06	1118.62	31.106	1.115	89.107	22.69
5.	छत्तीसगढ़	532.812	1,045.800	254.820	1833.432	536.803	52.25	229.189	818.242	100.749	4.996	89.942	44.63
6.	दिल्ली	148.464	996.516	23.316	1168.296	145.19	302.61	22.15	469.95	97.795	30.367	94.999	40.23
7.	गोवा	10.221	118.296	5.739	134.256	3.804	6.103	2.447	12.354	37.217	5.159	42.638	9.20
8.	गुजरात	618.063	2,787.564	258.785	3664.412	471.11	178.29	192.34	841.74	76.224	6.396	74.324	22.97
9.	हरियाणा	242.516	1,014.204	86.056	1342.776	195.25	18.07	76.89	290.21	80.510	1.782	89.349	21.61
10.	हिमाचल प्रदेश	116.648	348.990	62.284	527.832	95.56	179.07	55.6	330.23	81.922	51.324	89.269	62.56
11.	जम्मू-कश्मीर	220.335	447.420	88.749	756.804	225.77	346.96	73.09	645.82	102.467	77.495	82.356	85.34
12.	झारखंड	700.224	216.300	305.268	1221.792	380.91	21.16	282.63	684.7	54.398	9.783	92.584	56.04
13.	कर्नाटक	876.317	2,035.014	407.752	3319.083	875.69	877.57	378.35	2131.61	99.928	43.124	92.789	64.22
14.	केरल	445.560	1,808.940	207.880	2461.588	436.973	323.932	200.722	961.627	98.073	17.907	96.926	39.07
15.	मध्य प्रदेश	1,195.315	2,535.372	534.141	4264.828	1217.046	153.02	509.58	1879.646	101.818	6.035	95.402	44.07
16.	महाराष्ट्र	1,914.468	4,700.880	829.836	7445.184	1647.21	127.48	736.41	2511.1	86.040	2.712	88.742	33.73
17.	मणिपुर	36.566	47.460	23.078	107.104	33.93	14.89	13.96	62.78	92.791	31.374	60.491	58.62
18.	मेघालय	53.568	45.024	23.292	121.884	54.7	22.61	22.72	100.03	102.113	50.218	97.544	82.07
19.	मिजोरम	18.279	72.020	10.401	100.7	17.65	55.89	10.01	83.55	96.559	77.603	96.241	82.97
20.	नागालैंड	35.817	102.400	16.263	154.48	35.61	94.66	16.44	146.71	99.422	92.441	101.088	94.97
21.	उड़ीसा	1,261.907	1,155.564	434.785	2852.256	797.408	109.77	450.493	1357.671	63.191	9.499	103.613	47.60
22	पंजाब	164.067	1,473.240	32.469	1669.776	71.11	8.84	18.24	98.19	43.342	0.600	56.177	5.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23.	राजस्थान	593.382	2,763.756	340.018	3697.156	469.57	204.17	300.57	974.31	79.135	7.387	88.398	26.35
24.	सिक्किम	14.076	25.812	4.164	44.052	14.05	24.04	4.32	42.41	99.815	93.135	103.746	96.27
25.	तमिलनाडु	1,397.697	3,787.980	644.679	5830.356	1391.6	1663.797	657.63	3713.027	99.564	43.923	102.009	63.68
26.	त्रिपुरा	95.364	179.232	28.536	303.132	92.77	66.96	28.53	188.26	97.280	37.359	99.979	62.10
27.	उत्तर प्रदेश	2,945.106	6,494.460	1,539.686	10979.252	2560.263	40.166	1438.289	4038.718	86.933	0.618	93.414	36.79
28.	उत्तरांचल	162.413	333.552	46.759	542.724	166.282	53.316	34.615	254.213	102.382	15.984	74.029	46.84
29.	पश्चिम बंगाल	1,447.969	4,089.180	562.571	6099.72	1294.459	1029.41	454.3	2778.169	89.398	25.174	80.754	45.55
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7.428	36.360	1.800	45.588	1.81	15.79	0.53	18.13	24.367	43.427	29.444	39.77
31.	चंडीगढ़	8.748	75.516	0.888	85.152	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
32.	दादर और नगर हवेली	5.192	7.140	1.528	13.86	1.67	0.89	0.72	3.28	32.615	12.465	47.120	23.67
33.	दमन और दीव	1.236	9.420	0.444	11.1	0.44	0.15	0.22	0.81	35.599	1.592	49.550	7.30
34.	लक्षद्वीप	0.372	3.360	0.168	3.9	0.47	2.98	0.33	3.78	126.3444	88.690	196.429	96.92
35.	पांडिचेरी	22.862	13.200	12.250	48.312	12.53	5.2	7.91	25.64	54.807	39.394	64.571	53.07
	जोड़	19,199.748	44,353.332	8,068.433	71,621.513	15,642.518	8,020.494	7,442.335	31,105.347	81.473	18.083	92.240	43.430
1.	केरिपु/सीसुब	उ.न.	53.58	उ.न.	53.58	उ.न.	21.38	उ.न.	21.38	उ.न.	39.903	उ.न.	39.903
2.	रक्षा	उ.न.	285	उ.न.	285	उ.न.	248.53	उ.न.	248.53	उ.न.	87.204	उ.न.	87.204
3.	भूटान	उ.न.	24.997	उ.न.	24.997	उ.न.	11.89	उ.न.	11.89	उ.न.	47.566	उ.न.	47.566
	सकल जोड़ (अखिल भारत)	19,199.748	44,716.909	8,068.433	71,985.090	15,642.518	8,302.294	7,442.335	31,387.147	81.473	18.566	92.240	43.602

विवरण XVIII

2005-06 के दौरान किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम चावल और गेहूं का आवंटन और उठान

(आंकड़े हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन			उठान		
		चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	9.35	0.00	9.35	9.35	0.00	9.35
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	9.00	9.00	0.00	1.40	1.40
5.	छत्तीसगढ़	2.80	0.00	2.80	0.90	0.00	0.90
6.	दिल्ली	0.00	1.15	1.15	0.00	0.06	0.06
7.	गोवा	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	हरियाणा	0.00	2.00	2.00	0.00	1.33	1.33
10.	हिमाचल प्रदेश	1.50	1.50	3.00	1.20	1.50	2.70
11.	जम्मू-कश्मीर	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
12.	झारखंड	0.00	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00
13.	कर्नाटक	8.85	0.00	8.85	6.03	0.00	6.03
14.	केरल	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
15.	मध्य प्रदेश	0.00	4.75	4.75	0.00	1.10	1.10
16.	महाराष्ट्र	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
17.	मणिपुर	0.25	0.00	0.25	0.20	0.00	0.20
18.	मेघालय	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
19.	मिजोरम	0.10	0.00	0.10	0.09	0.00	0.09
20.	नागालैंड	0.60	0.00	0.60	0.59	0.00	0.59
21.	उड़ीसा	5.00	0.00	5.00	1.95	0.00	1.95
22.	पंजाब	0.00	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00
23.	राजस्थान	0.00	4.05	4.05	0.00	1.95	1.95
24.	सिक्किम	0.20	0.00	0.20	0.10	0.00	0.10
25.	तमिलनाडु	7.10	0.00	7.10	7.10	0.00	7.10
26.	त्रिपुरा	1.55	0.00	1.55	1.42	0.00	1.42
27.	उत्तर प्रदेश	0.00	5.30	5.30	0.00	0.86	0.86
28.	उत्तरांचल	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00
29.	पश्चिम बंगाल	10.65	0.00	10.65	10.14	0.00	10.14

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.30	0.00	0.30	0.19	0.00	0.19
31.	चंडीगढ़	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
32.	दादर और नगर हवेली	0.60	0.00	0.60	0.49	0.00	0.49
33.	दमन और दीव	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
	जोड़	68.10	35.20	103.30	39.75	8.20	47.95

टिप्पणी: उठान में बैकलाग कोटा भी शामिल है।

विवरण XIX

2005-06 के दौरान काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम

(आंकड़े हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन			उठान		
		चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	150.97	0.00	150.97	72.15	0.00	72.15
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.46	3.39	3.85
4.	बिहार	75.40	2.37	77.77	93.03	0.00	93.03
5.	छत्तीसगढ़	118.29	0.00	118.29	0.79	13.41	14.20
6.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	0.00	13.36	13.36	0.51	55.44	55.91
9.	हरियाणा	0.00	1.04	1.04	0.00	3.93	3.93
10.	हिमाचल प्रदेश	2.08	1.67	3.75	2.15	1.72	3.87
11.	जम्मू-कश्मीर	1.51	1.80	3.31	0.60	0.07	0.67
12.	झारखंड	0.00	27.76	27.76	30.28	37.63	67.91

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	कर्नाटक	0.00	2.17	2.17	23.06	6.03	29.09
14.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मध्य प्रदेश	31.18	126.89	158.07	42.23	112.39	154.62
16.	महाराष्ट्र	1.91	19.02	20.93	80.36	73.74	154.10
17.	मणिपुर	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
18.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30
19.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	2.01	0.49	2.50
21.	उड़ीसा	245.74	0.00	245.74	185.14	0.00	185.14
22.	पंजाब	0.00	2.66	2.66	0.00	0.22	0.22
23.	राजस्थान	0.00	43.66	43.66	1.06	34.60	35.66
24.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	2.28	0.00	2.28
25.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	34.07	0.00	34.07
26.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	0.00	9.31	9.31	19.69	54.07	73.76
28.	उत्तरांचल	0.00	0.99	0.99	5.91	2.62	8.53
29.	पश्चिम बंगाल	32.57	0.00	32.57	61.18	8.27	69.45
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दादर और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	जोड़	664.65	252.70	917.35	658.96	408.32	1067.28

विवरण XX

2005-06 के दौरान सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विशेष घटक

(आंकड़े हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन			उठान		
		चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	310.00	0.00	310.00	219.85	0.00	219.85
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	1.10
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	4.62	0.00	4.62
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गोवा	0.00	0.00	0.00	21.85	0.00	21.85
8.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	16.57	60.01	76.58
9.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18
11.	जम्मू-कश्मीर	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
12.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00.	0.00
13.	कर्नाटक	72.00	0.00	72.00	139.45	0.00	139.45
14.	केरल	20.00	0.00	20.00	22.90	0.00	22.90
15.	मध्य प्रदेश	11.20	38.80	50.00	10.20	0.00	10.20
16.	महाराष्ट्र	26.00	26.00	52.00	42.90	79.08	121.98
17.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78	2.78
21.	उड़ीसा	100.00	0.00	100.00	199.42	0.00	199.42
22.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	राजस्थान*	0.00	650.00	650.00	0.00	839.78	839.78
24.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	तमिलनाडु	44.00	0.00	44.00	64.90	0.47	65.37
26.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
31.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दादर और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30
33.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	1.50	0.00	1.50	0.15	0.00	0.15
	जोड़	599.20	714.80	1314.00	744.21	982.34	1726.55

टिप्पणी: उठान में बैकलाग कोटा के प्रति उठान भी शामिल है और भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त सूचना पर आधारित है।

*वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, जयपुर ने यह सूचित किया है कि राजस्थान सरकार ने 21.9.2006 के पूर्व उनको आवंटित 5 लाख टन गेहूं के समस्त स्टाक का उठान कर लिया है। 21.9.2005 को हमने 1.50 लाख टन गेहूं का और आवंटन किया है।

विवरण XXI

2005-06 के दौरान सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

(आंकड़े हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन			उठान		
		चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	195.00	0.00	195.96	307.34	0.00	307.34
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	277.42	0.00	277.42	401.33	1.42	402.75

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	बिहार	388.07	0.00	388.07	319.52	0.00	319.52
5.	छत्तीसगढ़	109.37	0.00	109.37	3.97	0.00	3.97
6.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	0.00	85.80	85.80	0.16	32.14	32.30
9.	हरियाणा	0.00	45.20	45.20	0.00	48.38	48.38
10.	हिमाचल प्रदेश	8.98	8.07	17.05	12.90	10.81	23.71
11.	जम्मू-कश्मीर	16.47	6.28	22.75	18.44	7.06	25.50
12.	झारखंड	187.67	75.50	263.17	79.81	81.81	161.62
13.	कर्नाटक	117.08	29.26	146.34	131.80	33.12	164.92
14.	केरल	43.77	21.89	65.66	62.13	26.97	89.10
15.	मध्य प्रदेश	65.97	170.22	236.19	95.34	249.88	345.22
16.	महाराष्ट्र	114.22	175.05	289.27	101.94	166.87	268.81
17.	मणिपुर	18.62	0.00	18.62	21.71	0.00	21.71
18.	मेघालय	20.86	0.00	20.86	23.56	0.00	23.56
19.	मिजोरम	4.83	0.00	4.83	4.88	0.00	4.88
20.	नागालैंड	7.16	7.16	14.32	7.82	5.00	12.82
21.	उड़ीसा	221.65	0.00	221.65	168.64	0.00	168.64
22.	पंजाब	0.00	50.28	50.28	0.00	35.97	35.97
23.	राजस्थान	0.00	111.12	111.12	0.00	552.16	552.16
24.	सिक्किम	5.34	0.00	5.34	6.71	11.49	18.20
25.	तमिलनाडु	171.35	0.00	171.35	207.42	0.29	207.71
26.	त्रिपुरा	33.62	0.00	33.62	26.40	0.00	26.40
27.	उत्तर प्रदेश	201.45	453.45	654.90	109.32	288.20	397.52
28.	उत्तरांचल	25.17	18.58	43.75	31.73	19.29	51.02
29.	पश्चिम बंगाल	246.32	0.00	246.32	277.65	0.00	277.65
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दादर और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	जोड़	2481.35	1257.86	3739.21	2420.91	1570.86	3991.77

विवरण XXII

2005-06 के दौरान कल्याण संस्थाएं और छात्रावास

(आंकड़े हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन			उठान		
		चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	60.76	13.84	74.60	159.29	0.03	159.32
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.76	0.10	0.86	0.07	0.00	0.07
3.	असम	13.40	0.02	13.42	1.16	0.00	1.16
4.	बिहार	17.60	26.40	44.00	0.00	0.01	0.01
5.	छत्तीसगढ़	12.35	2.12	14.47	0.00	0.59	0.59
6.	दिल्ली	0.80	2.04	2.84	0.00	0.00	0.00
7.	गोवा	0.40	0.17	0.57	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	5.96	15.64	21.60	0.00	2.27	2.27
9.	हरियाणा	0.05	5.59	5.64	0.00	0.13	0.13
10.	हिमाचल प्रदेश	2.12	1.56	3.68	1.99	1.41	3.40
11.	जम्मू-कश्मीर	3.92	1.24	5.16	0.00	0.00	0.00
12.	झारखंड	9.98	7.08	17.06	0.21	0.00	0.21

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	कर्नाटक	27.93	8.21	36.14	11.08	3.11	14.19
14.	केरल	10.20	2.39	12.59	0.63	0.08	0.71
15.	मध्य प्रदेश	5.82	28.07	33.89	4.97	6.39	11.29
16.	महाराष्ट्र	23.20	39.32	62.52	5.94	9.32	15.26
17.	मणिपुर	1.14	0.10	1.24	0.41	0.06	0.47
18.	मेघालय	1.94	0.28	2.22	0.72	0.00	0.72
19.	मिजोरम	0.93	0.19	1.12	0.61	0.00	0.61
20.	नागालैंड	1.51	0.52	2.03	0.57	0.50	1.07
21.	उड़ीसा	34.54	2.68	37.22	8.86	0.00	8.86
22.	पंजाब	0.01	3.30	3.31	0.00	0.00	0.00
23.	राजस्थान	0.29	16.08	16.37	0.00	0.49	0.49
24.	सिक्किम	0.38	0.02	0.40	0.06	0.05	0.11
25.	तमिलनाडु	52.12	7.76	59.88	33.05	0.91	33.96
26.	त्रिपुरा	2.40	0.14	2.54	0.51	0.00	0.51
27.	उत्तर प्रदेश	35.14	40.10	75.24	0.01	1.10	1.11
28.	उत्तरांचल	2.30	1.22	3.52	0.00	0.00	0.00
29.	पश्चिम बंगाल	18.26	17.41	35.36	6.08	0.00	6.08
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.14	0.06	0.20	0.00	0.06	0.06
31.	चंडीगढ़	0.07	0.08	0.15	0.00	0.06	0.06
32.	दादर और नगर हवेली	0.12	0.03	0.15	0.00	0.12	0.12
33.	दमन और दीव	0.02	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	0.78	0.08	0.86	0.39	0.00	0.39
	जोड़	347.39	243.85	591.24	236.61	26.63	263.24

विवरण XXIII

2005-06 के दौरान गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम

(आंकड़े हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन			उठान		
		चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	27.16	28.00	55.16	34.24	27.73	61.97
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	15.27	0.00	15.27
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40
5.	छत्तीसगढ़	0.00	29.46	29.46	0.41	36.73	37.14
6.	दिल्ली	2.08	0.76	2.84	0.00	0.97	0.97
7.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40
8.	गुजरात	0.00	31.50	31.50	0.00	10.04	10.04
9.	हरियाणा	0.00	0.87	0.87	0.00	2.19	2.19
10.	हिमाचल प्रदेश	2.50	1.60	4.10	1.04	1.28	2.32
11.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95
12.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	16.35	0.00	16.35
13.	कर्नाटक	2.30	3.10	5.40	35.57	4.70	40.27
14.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मध्य प्रदेश	1.61	80.00	81.61	9.62	55.13	64.75
16.	महाराष्ट्र	18.80	0.00	18.80	16.78	23.12	39.90
17.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
18.	मेघालय	0.00	0.92	0.92	0.26	0.92	1.18
19.	मिजोरम	0.73	0.00	0.73	0.73	0.00	0.73
20.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.30	0.22	0.52
21.	उड़ीसा	41.11	20.69	61.80	54.48	19.90	74.38
22.	पंजाब	1.75	1.50	3.25	1.85	3.11	4.96

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	राजस्थान	0.00	3.10	3.10	0.00	4.72	4.72
24.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.22	0.96	1.18
25.	तमिलनाडु	0.00	5.52	5.52	9.89	12.70	22.59
26.	त्रिपुरा	3.91	0.00	3.91	2.54	0.00	2.54
27.	उत्तर प्रदेश	0.00	73.54	73.54	0.00	48.31	48.31
28.	उत्तरांचल	0.00	0.98	0.98	0.00	6.57	6.57
29.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	6.79	11.42	18.21
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.18
31.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दादर और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.48
33.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.13
	जोड़	102.03	281.62	383.65	207.33	273.47	480.80

विवरण XXIV

2005-06 के दौरान मध्याह्न भोजन योजना

(आंकड़े हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन			उठान		
		चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	114.10	0.00	114.10	115.40	0.00	115.40
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.54	0.00	4.54	3.13	0.00	3.13
3.	असम	92.13	0.00	92.13	67.54	0.00	67.54
4.	बिहार	218.07	0.00	218.07	157.02	0.00	157.02
5.	छत्तीसगढ़	52.35	0.00	52.35	0.00	7.25	7.25
6.	दिल्ली	10.08	10.08	20.16	9.36	0.00	9.36

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	गोवा	1.41	0.00	1.41	0.11	0.00	0.11
8.	गुजरात	33.96	33.96	67.92	30.30	29.59	59.89
9.	हरियाणा	14.34	14.34	28.68	16.21	6.93	23.14
10.	हिमाचल प्रदेश	11.45	0.00	11.45	10.85	0.00	10.85
11.	जम्मू-कश्मीर	18.76	0.00	18.76	8.77	0.00	8.77
12.	झारखंड	82.69	0.00	82.69	64.16	0.00	64.16
13.	कर्नाटक	107.83	5.03	112.86	79.91	2.55	82.46
14.	केरल	28.22	0.00	28.22	27.62	0.00	27.62
15.	मध्य प्रदेश	46.46	144.62	191.08	37.66	125.24	162.90
16.	महाराष्ट्र	207.81	0.00	207.81	149.59	0.00	149.59
17.	मणिपुर	6.54	0.00	6.54	5.24	0.00	5.24
18.	मेघालय	10.04	0.00	10.04	9.00	0.00	9.00
19.	मिजोरम	1.84	0.00	1.84	2.00	0.00	2.00
20.	नागालैंड	3.76	0.00	3.76	2.75	0.00	2.75
21.	उड़ीसा	104.11	0.00	104.11	85.57	0.00	85.57
22.	पंजाब	12.80	15.26	28.06	3.05	5.71	8.76
23.	राजस्थान	58.83	137.28	196.11	31.93	90.40	122.33
24.	सिक्किम	2.13	0.00	2.13	1.89	0.00	1.89
25.	तमिलनाडु	76.59	0.00	76.59	68.42	0.00	68.42
26.	त्रिपुरा	9.88	0.00	9.88	8.46	0.00	8.46
27.	उत्तर प्रदेश	225.10	110.87	335.97	190.60	95.61	286.21
28.	उत्तरांचल	14.81	0.00	14.81	14.69	0.00	14.69
29.	पश्चिम बंगाल	206.42	0.00	206.42	161.99	0.00	161.69
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.67	0.00	0.67	0.25	0.00	0.25
31.	चंडीगढ़	0.00	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00
32.	दादर और नगर हवेली	0.61	0.00	0.61	0.17	0.00	0.17
33.	दमन और दीव	0.30	0.00	0.30	0.09	0.00	0.09
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	0.88	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00
	जोड़	1777.88	472.45	2250.33	1364.38	363.28	1727.66

विवरण XXV

2005-06 के दौरान अन्नपूर्णा योजना

(आंकड़े हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन			उठान		
		चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	11.18	0.00	11.18	11.16	0.00	11.16
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.57	0.00	0.57	0.47	0.00	0.47
3.	असम	8.27	0.00	8.27	2.45	0.00	2.45
4.	बिहार	8.00	12.00	20.00	7.11	11.16	18.27
5.	छत्तीसगढ़	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
6.	दिल्ली	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00
7.	गोवा	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	0.00	1.00	1.00	0.34	0.51	0.85
9.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	हिमाचल प्रदेश	0.77	0.00	0.77	0.38	0.00	0.38
11.	जम्मू-कश्मीर	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
12.	झारखंड	6.59	0.00	6.59	6.52	0.00	6.52
13.	कर्नाटक	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
14.	केरल	3.72	0.00	3.72	3.78	0.00	3.78
15.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	महाराष्ट्र	5.40	9.00	14.40	4.96	8.36	13.32
17.	मणिपुर	1.03	0.00	1.03	1.87	0.00	1.87
18.	मेघालय	1.11	0.00	1.11	1.05	0.00	1.05
19.	मिजोरम	0.31	0.00	0.31	0.31	0.00	0.31
20.	नागालैंड	0.81	0.00	0.81	0.81	0.00	0.81
21.	उड़ीसा	7.78	0.00	7.78	7.74	0.00	7.74

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	राजस्थान	0.00	12.64	12.64	0.00	10.61	10.61
24.	सिक्किम	0.30	0.00	0.30	0.33	0.00	0.33
25.	तमिलनाडु	8.64	0.00	8.64	8.62	0.00	8.62
26.	त्रिपुरा	1.78	0.00	1.78	1.79	0.00	1.79
27.	उत्तर प्रदेश	0.00	42.00	42.00	0.60	39.23	39.83
28.	उत्तरांचल	1.26	0.00	1.26	0.44	0.00	0.44
29.	पश्चिम बंगाल	9.60	0.00	9.60	8.57	0.00	8.57
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.06	0.00	0.06	0.06	0.00	0.06
31.	चंडीगढ़	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00
32.	दादर और नगर हवेली	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
33.	दमन और दीव	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	जोड़	89.93	76.72	166.65	69.36	69.87	139.23

विवरण XXVI

ग्रामीण अनाज बैंक योजना

वर्ष 2005-06 के दौरान अनाज बैंकों की स्थापना के लिए संस्तुत/अपेक्षित निधियां

क्र.सं.	राज्य	संस्तुत बैंकों की संख्या	खाद्यान्नों के मात्रा (चावल/गेहूं) टन में	खाद्यान्नों के लिए वित्तीय सहायता* रुपये	अनाज बैंकों की स्थापना के लिए निधियां** रुपये	कुल वित्तीय सहायता रुपये
1	2	3	4	5	6	7
	2005-06					
1.	आंध्र प्रदेश	1214	4856 (चावल)	6,24,57,872	1,48,10,800	7,72,68,672
2.	उड़ीसा	240	960 (चावल)	1,23,47,520	29,98,000	1,52,75,520
3.	छत्तीसगढ़	262	1048 (चावल)	1,34,79,376	31,96,400	1,66,75,776

1	2	3	4	5	6	7
4.	मध्य प्रदेश	926	3704 (1852 चावल+ 1852 गेहूं)	4,20,25,399	56,12,200 56,85,000	4,76,37,599
5.	झारखंड	583	2,332 (चावल)	2,99,94,184	71,12,600	3,71,06,784
	जोड़	3225				19,39,64,351
	उत्तर पूर्व क्षेत्र					
1.	त्रिपुरा	13	52 (चावल)	6,68,824	1,58,600	8,27,424
2.	मेघालय	44	176 (चावल)	22,63,712	5,36,800	28,00,512
	जोड़ (उत्तर पूर्व)	57				36,27,936
	जोड़	3282				19,75,92,287

*आर्थिक लागत पर: 12,862/- रुपये प्रति टन और गेहूं 11276.30/- रुपये प्रति टन।

**प्रति अनाज बैंक 12,200/- रुपये की दर से।

[हिन्दी]

एकीकृत मुर्रा विकास परियोजना

3723. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेष क्षेत्र योजना के अंतर्गत हरियाणा की एकीकृत मुर्रा विकास परियोजना (आईएमडीपी) को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक स्वीकृति दिए जाने तथा निधि प्रदान किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, हरियाणा राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सरकार ने विचार किया है तथा मुर्रा सांड उत्पादन कार्यक्रम को राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना, चरण-2 के तहत एक घटक के रूप में शामिल किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बाघ रिजर्वों की समस्या

3724. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के बाघ रिजर्वों की समस्याओं को संहिताबद्ध करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किन्हीं राज्यों ने ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए अधिक निधियों और शक्तियों की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) बाघ संरक्षण की समस्याओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा स्थापित बाघ टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 बनाया गया जो 4.9.2006 से लागू किया गया। इस अधिनियम के समर्थकारी उपबंधों के आधार पर देश में बाघ संरक्षण को

सुदृढ़ बनाने के लिए 4.9.2006 को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है।

(ग) और (घ) संरक्षित क्षेत्र उन राज्यों के हैं जिनके पास वन्यजीव बचाव और संरक्षण के उपायों को लागू करने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत अपेक्षित कानूनी शक्तियां है। राज्यों से प्राप्त वार्षिक मांगों और मंत्रालय की विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में उपलब्धता के आधार पर निधि उपलब्ध करवाई जाती है।

औद्योगिक परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति

3725. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभुः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की तिथि तक पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत कितनी औद्योगिक परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है;

(ख) क्या ऐसी परियोजनाओं ने सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों का अनुपालन किया है तथा सभी रक्षोपाय लागू किये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने जनवरी 2004 से नवंबर 2006 की अवधि के दौरान 874 औद्योगिक परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की है।

(ख) और (ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा परियोजनाओं की नियमित निगरानी की जाती है और अनुबद्ध शर्तों के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए परियोजना प्राधिकारियों के साथ निरंतर विचार-विमर्श के रूप में अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। महत्वपूर्ण गैर अनुपालन के मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी करके कार्रवाई की जाती है।

करान्जा का पौधरोपण

3726. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर तमिलनाडु में जैव-डीजल के उत्पादन के उद्देश्य से करान्जा के पौधरोपण हेतु कोई कार्यक्रम आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में विशेषकर तमिलनाडु में उपयुक्त भूमि को चिन्हित करने, किसानों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा प्रदान की गई आधारभूत संरचना का ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्तमान में करान्जा की खेती कितने क्षेत्रफल में की जा रही है;

(ङ) क्या निकट भविष्य में इसके विस्तार की सम्भावनाओं के संबंध में कोई आकलन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (च) कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधीन सांविधिक और स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास (नोवोड) बोर्ड ने दसवीं योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम ''समेकित वृक्ष मूल तिलहन विकास'' के अंतर्गत बायो-डीजल उत्पादन हेतु तमिलनाडु सहित देश के विभिन्न राज्यों में जटरोफा और करंजा सहित वृक्ष मूल के तिलहन के पौध रोपण के लिए कार्यक्रम शुरू किया है। करंजा के पौध रोपण का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

इन स्कीम के तहत देश में किसानों को प्रशिक्षण तथा उपयुक्त भूमि की पहचान के लिए अवसंरचना की स्थापना करने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि नोवोड बोर्ड ने तमिलनाडु में 3 कृषक प्रशिक्षण और 1 प्रशिक्षक प्रशिक्षण सहित देश में 62 कृषक प्रशिक्षण तथा 20 प्रशिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किए हैं ताकि वृक्ष मूल तिलहन की पद्धतियों के पैकेज, गुणवत्ताप्रद बीजों के संग्रहण, तेल निष्कर्षण,• विपणन आदि के बारे में तकनीकी जानकारी का प्रसार हो सके जिससे लगभग 200 क्षेत्र कर्मियों/बीज संग्राहकों को लाभ पहुंचा।

कृषि एवं सहकारिता विभाग ने करंजा की खेती के अधीन क्षेत्र के विस्तार की संभावनाओं का कोई आकलन नहीं किया है। तथापि 3 लाख हैक्टेयर की सार्वजनिक एजेंसियों की बंजरभूमि, अवक्रमित भूमि और सीमांत भूमि (वन भूमि, सड़क, रेल तथा नहर बांधों सहित डिपार्टमेंट भूमि, पंचायतों द्वारा स्वाधिकृत सामान्य भूमि आदि) के साथ-साथ सीमांत अलग-अलग निजी भूमियों, क्षेत्र बांधों आदि में जटरोफा और करंजा के पौध रोपण को वर्ष 2006-12 के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय, भू-संसाधन विभाग द्वारा ''राष्ट्रीय बायो-डीजल मिशन'' के प्रदर्शन चरण के अधीन परिकल्पित किया गया है।

विवरण

वर्ष 2002-07 के दौरान किया गया करंजा का राज्यवार पौध रोपण

क्र.सं.	राज्य का नाम	करंजा (हैक्टेयर)
1.	आंध्र प्रदेश	407
2.	बिहार	10
3.	छत्तीसगढ़	530
4.	गुजरात	140
5.	गोवा	10
6.	हरियाणा	10
7.	झारखंड	100
8.	कर्नाटक	695
9.	केरल	50
10.	मध्य प्रदेश	150
11.	महाराष्ट्र	21
12.	सिक्किम	50
13.	तमिलनाडु	30
14.	उत्तर प्रदेश	156
	कुल	2359

[हिन्दी]

बीसलपुर परियोजना

3727. **प्रो. रासा सिंह रावतः** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राजस्थान में पेयजल की आपूर्ति हेतु महत्वपूर्ण "बीसलपुर" योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने उक्त योजना हेतु केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त योजना के विस्तार, विकास तथा सुदृढ़ीकरण हेतु केन्द्र सरकार के पास कोई परियोजना लम्बित है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर कार्रवाई कब तक किये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव)ः (क) बीसलपुर सिंचाई सह-पेयजल आपूर्ति परियोजना में टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में 55224 हेक्टेयर की वार्षिक सिंचाई प्रदान करने और जयपुर, टोंक, अजमेर ब्यावर आदि शहरों तथा मार्ग में पड़ने वाले गांवों को जल आपूर्ति (16.2 टीएमसी) करने के लिए टोंक जिले में बीसलपुर, गांव के निकट बनास नदी के ऊपर एक कंक्रीट बांध के निर्माण की योजना है। बांध तथा दायी और बायीं दोनों मुख्य नहरें पूरी कर ली गई हैं। नहर वितरण प्रणाली की कुल लंबाई 633 किलोमीटर है जिसमें से 618.60 किलोमीटर का कार्य पूरा कर लिया गया है।

(ख) और (ग) एआईबीपी के अंतर्गत राजस्थान सरकार के सीएलए प्रस्ताव के उत्तर में वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान 41.56 करोड़ रुपये की सीएलए जारी की जा चुकी है। तत्पश्चात् राजस्थान सरकार ने परियोजना के लिए नाबार्ड से वित्तीय सहायता प्राप्त की।

राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से जल गुणवत्ता समस्याओं का समाधान करने के लिए अपनी 16 निर्माणाधीन वृहद जल आपूर्ति परियोजनाओं और कुछ नई स्कीमों के लिए निधि जारी करने का अनुरोध किया। बीसलपुर दादू जल आपूर्ति परियोजना इन्हीं निर्माणाधीन परियोजनाओं में से एक है जिसका लक्ष्य 694 गांवों/बस्तियों में जलगुणवत्ता समस्याओं का समाधान करना है। राजस्थान सरकार को 206.63 करोड़ रुपए के उनके आबंटन की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय हिस्से के रूप में 206.00 करोड़ रुपये की निधि जारी की गई है।

(घ) और (ङ) राजस्थान सरकार ने बीसलपुर परियोजना के लिए किसी ईआरएम स्कीम का प्रस्ताव नहीं किया है। तथापि, बीसलपुर जल आपूर्ति-सह-सिंचाई परियोजना को 81800 हेक्टेयर के कृष्य कमान क्षेत्र और 129.34 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन में शामिल किया गया है।

[अनुवाद]

दूरदर्शन में अनियमितताएं

3728. **श्री बृज किशोर त्रिपाठीः**
श्री इकबाल अहमद सरडगीः

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली फिल्मों के चयन में अनियमितताएं पाई गई हैं;

(ख) क्या दूरदर्शन पर पहले दिखाई जा चुकी फिल्मों को नई फिल्मों के रूप में माना जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच करायी गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) ऐसी अनियम्तिताओं में कितने लोग शामिल पाए गए;

(च) ऐसी अनियमितताओं के कारण सरकार को कितना नुकसान हुआ; और

(छ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (ङ) मुंबई स्थित फिल्म स्कंध के कार्यकरण के बारे में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा संचालित प्रारंभिक जांच में फिल्मों के चयन एवं ग्रेडन में प्रथम दृष्टया अनियमितताएं पाई गई थीं जो कि सामान्य प्रक्रिया से हटकर थीं। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि जांच-निष्कर्ष के आधार पर तीन अधिकारियों को स्थानांतरित कर दिया गया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच के आदेश दिए गए हैं और आगे की जांच प्रगति पर है।

(च) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि किन्हीं भी हानियों का कोई परिमाणीकरण नहीं किया गया है।

(छ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि एक नई फिल्म चयन समिति का गठन किया गया है। नए अधिक सख्त दिशा-निर्देशों से भविष्य में होने वाली गलतियों की संभावना में कमी आएगी।

भू-जल का स्तर बढ़ाना

3729. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भूजल स्तर को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के संबंध में किसी सलाहकार परिषद् का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त परिषद की संरचना, सदस्यता, कार्यकाल तथा विषय-वस्तु क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। जल संसाधन मंत्रालय ने माननीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 17.04.2006 के संकल्प के तहत 'भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी सलाहकार परिषद' का गठन किया है। उपरोक्त परिषद के गठन का मुख्य उद्देश्य सभी दावाधारकों के बीच कृत्रिम पुनर्भरण की संकल्पना को लोकप्रिय बनाना तथा क्षेत्र विशिष्ट प्रौद्योगिकी का विकास, विभिन्न केन्द्रीय, राज्य संगठनों तथा गैर-सरकारी संगठनों, उद्योगों/दावाधारकों के बीच समन्वय सहित निजी भागीदारी तथा अनुसंधान एवं विकास विशेष रूप से अल्प लागत प्रौद्योगिकी के विकास सहित वित्त पोषण कार्यनीतियों में इसे अपनाया जाना है। इस सलाहकार परिषद में विभिन्न संबंधित मंत्रालयों/विभागों से सदस्य, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों, वित्तीय संस्थानों से प्रतिनिधि, उद्योगों तथा ख्यातिप्राप्त विषय विशेषज्ञों/किसानों/गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। सलाहकार परिषद के संघटन, सदस्यता, कार्यकाल तथा विचारार्थ विषय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी सलाहकार परिषद का संघटन, सदस्यता, कार्यकाल तथा विचारार्थ विषय

1. संघटन

(क) स्थायी सदस्य (11)

(1)	जल संसाधन मंत्री	-	अध्यक्ष
(2)	सचिव/अपर सचिव, जल संसाधन मंत्रालय	-	सदस्य
(3)	सलाहकार, योजना आयोग	-	सदस्य

(4)	अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग	-	सदस्य
(5)	अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड	-	सदस्य
(6)	अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड	-	सदस्य
(7) से (10)	प्रत्येक से एक प्रतिनधि ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग), शहरी विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	-	सदस्य
(11)	आयुक्त (भूजल), जल संसाधन मंत्रालय	-	सदस्य-सचिव

(ख) क्रमिक आधार पर सदस्य (दो वर्षों के लिए) ...(7)

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जल संसाधन प्रभारी सचिव-पूर्वी राज्यों, पश्चिमी राज्यों, उत्तरी राज्यों, केन्द्रीय राज्यों, दक्षिणी राज्यों, उत्तर पूर्वी राज्यों, तथा पर्वतीय राज्यों/द्वीप समूहों/संघ राज्य क्षेत्रों प्रत्येक से एक सदस्य।

(ग) विषय विशेषज्ञ/किसान प्रतिनिधि ...(6)

(घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी) आदि जैसे वित्तीय संस्थानों से प्रतिनिधि ...(2)

(ङ) गैर-सरकारी संगठनों से प्रतिनिधि ...(5)

उपरोक्त (ख) के सदस्यों के संबंध में, सलाहकार परिषद द्वारा क्रम का निर्धारण किया जाएगा। उपरोक्त (ग), (घ), (ङ) और (च) के लिए सदस्यों का नामांकन जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड के सदस्य विशेष रूप से आमंत्रित के रूप में परिषद की बैठकों में अनिवार्य रूप से शामिल रहेंगे।

विचारार्थ विषय:

1. प्राथमिकता वाले क्षेत्र
2. क्षेत्र विशिष्ट प्रौद्योगिकी
3. विभिन्न केन्द्रीय और राज्य संगठनों में समन्वय
4. गैर-सरकारी संगठनों, उद्योगों/दावाधारकों के बीच समन्वय
5. केन्द्र एवं राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई की आवधिक समीक्षा
6. गठित उप समितियों की शक्ति-कार्य/क्षेत्र आधारित
7. निजी भागीदारी सहित वित्तपोषण/कार्यनीतियां
8. दावाधारकों की भूमिका
9. जागरूकता/शिक्षा/क्षमता निर्माण का सृजन
10. अनुसंधान एवं विकास विशेष रूप से कम लागत वाली प्रौद्योगिकी का विकास

[हिन्दी]

भारत-यूरोपीय संघ व्यापार तथा निवेश उन्नयन कार्यक्रम

3730. श्री टेकलाल महतो: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय संघ (ई.यू.) के देशों ने भारत में कृषि को बढ़ावा देने हेतु रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त देशों ने कृषि पर राजसहायता कम करने हेतु एकजुट होकर यूरोपीय संघ पर दबाव डाला है; और

(ग) यदि हां, तो भारत-यूरोपीय संघ व्यापार तथा निवेश उन्नयन कार्यक्रमों से संबंधित ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) सरकार को भारत में कृषि को बढ़ावा देने में रुचि दर्शाने वाला कोई प्रस्ताव यूरोपियन संघ (ईयू) से प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, यूरोपियन संघ ने भारत तथा यूरोपियन संघ के बीच कृषि व संबद्ध उत्पादों के द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने में रुचि दिखाई है, और इस प्रयोजनार्थ भारत-ईयू संयुक्त कार्य दल गठित किए गए हैं।

(ग) यूरोप और भारत के बीच रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने के लिए यूरोपीय आयोग ने यूरोपीय संघ की ओर से निम्नलिखित घटकों के साथ ईयू-भारत व्यापार और निवेश विकास कार्यक्रम (टीआईडीपी) तैयार किया है:

1. स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता उपाय
2. निवेश सुविधा डेस्क
3. व्यापार पोर्टल
4. सीमा शुल्क
5. बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर)

कार्यक्रम का कार्यान्वयन दिसम्बर, 2005 में शुरू हुआ।

[अनुवाद]

कृषि पर मोजाम्बिक के साथ समझौता

3731. श्री उदय सिंह:
श्री किन्जरुपु येरननायडु:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत तथा मोजाम्बिक ने हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे क्या लाभ होने की संभावना है तथा इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां, भारत और मोजाम्बिक के बीच कृषि के क्षेत्र में सहयोग हेतु 12.5.2003 को हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन के आधार पर, मोजाम्बिक के कृषि मंत्री के भारत दौरे के दौरान 21.11.2006 को वर्ष 2006-07 हेतु एक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए थे।

कार्य योजना के तहत दोनों देश अनुसंधान कार्यक्रमों, प्रशिक्षण/भारत में मोजाम्बिक के वैज्ञानिकों के दौरे, प्रशिक्षण/भारतीय वैज्ञानिकों के मोजाम्बिक दौरे, जर्मप्लाज्म और परामर्शी सेवा के आदान-प्रदान की गतिविधियों में तुरन्त सहयोग के लिए सहमत हुए।

(ग) कार्य योजना की गतिविधियों से भारत और मोजाम्बिक के बीच कृषि के क्षेत्र में सहयोग को बल मिलेगा।

कृषि के क्षेत्र में मोजाम्बिक को सहायता मुहैया कराने के लिए विदेश मंत्रालय ने अपनी निधियां कृषि एवं सहकारिता विभाग को हस्तांतरित करके 20 लाख रुपये आवंटित किए हैं। तदनुसार, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डेयर) के अधीन कृषि प्रशिक्षण संस्थान में मोजाम्बियाई अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देने संबंधी कार्यकलापों को सक्रिय बनाया गया है।

उपभोक्ता शिकायतों का आनलाइन निपटान

3732. श्री एन.एस.वी. चित्तन: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ता शिकायतों के आनलाइन निपटान हेतु कोई परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वेबसाइटों के पते क्या हैं एवं इनसे क्या लाभ होने की संभावना है; और

(ग) आज की तिथि तक आनलाइन राज्य-वार कितनी उपभोक्ता शिकायतें दर्ज की गई तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, हां।

(ख) कोर सेंटर प्रोजक्ट मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया वेब आधारित उपभोक्ता जागरूकता और संरक्षण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य संस्थागत दृष्टिकोण और क्रियाशील सूचना प्रौद्योगिकी पद्धतियों के उपयोग के जरिए उपभोक्ताओं की समस्याओं का पता लगाना और उनका प्रतितोष करना है। प्रोजक्ट को उपभोक्ता समन्वय परिषद जो स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों का प्लेटफार्म है, के जरिए चलाया जा रहा है।

इस प्रोजेक्ट के उद्देश्य जागरूकता पैदा करना, उपभोक्ता अधिकारों का विकास करना, कारपोरेट का ध्यान उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं, अधिमानों और समस्याओं पर केंद्रित करना तथा सिटीजन चार्टर को लागू करके सरकार के कार्यकरण को नागरिकों के अनुकूल बनाना है।

इस प्रोजेक्ट की वेबसाइट http://www.core.nic.in है।

(ग) ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

15 मार्च, 2006 से 30 नवंबर, 2006 तक प्राप्त/निपटाई गई शिकायतों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्राप्त हुई कुल शिकायतें	निपटाई गई कुल शिकायतें
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	0
2.	आंध्र प्रदेश	498	116
3.	अरुणाचल प्रदेश	8	1
4.	असम	198	16
5.	बिहार	187	22
6.	छत्तीसगढ़	153	36
7.	दिल्ली	6687	1352
8.	गोवा	27	2
9.	गुजरात	781	27
10.	हरियाणा	1299	168
11.	हिमाचल प्रदेश	80	12
12.	जम्मू-कश्मीर	48	6
13.	झारखंड	188	26
14.	कर्नाटक	827	126
15.	केरल	234	78
16.	मध्य प्रदेश	582	86
17.	महाराष्ट्र	2654	254
18.	मणिपुर	16	2
19.	मेघालय	32	3
20.	मिजोरम	4	1
21.	नागालैंड	11	0
22.	उड़ीसा	206	38
23.	पांडिचेरी	10	0
24.	पंजाब	881	134
25.	राजस्थान	501	117
26.	सिक्किम	4	0
27.	तमिलनाडु	631	108
28.	त्रिपुरा	3	1
29.	उत्तर प्रदेश	1806	80
30.	उत्तरांचल	143	6
31.	पश्चिम बंगाल	1228	48
32.	विदेश	18	5
	कुल	19947	2871

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कीटनाशक अवशिष्टों की जांच

3733. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) तथा कतिपय अन्य एजेंसियों ने नियमित रूप से मृदा में कीटनाशक अवशिष्टों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है तथा यदि नहीं, तो मृदा में कीटनाशक अवशिष्टों की निगरानी करने एवं उन्हें कम करने हेतु क्या पद्धतियां अपनाई हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में जैविक कृषि के लाभों का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो देश में जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में नाशकजीवनाशी अवशिष्टों पर अखिल भारतीय नेटवर्क परियोजना के माध्यम से अच्छी कृषि क्रियाओं के साथ फसलों पर नाशकजीवनाशियों की अवस्थिति का निर्धारण करने तथा फसल कटाई के समय मृदा में उनके टर्मिनल अवशिष्टों के लिए अध्ययन किए गए हैं।

(ख) देश के विभिन्न भागों में विभिन्न फसलों पर 2002-2006 के दौरान आयोजित खेत परीक्षणों पर आधारित फसल कटाई के समय मृदा नमूनों में किसी भी प्रकार के अवशिष्ट नहीं पाए गए।

(ग) जी, हां।

(घ) अप्रैल, 2004 से देशभर में फैले 13 केन्द्रों के साथ फसल प्रणाली अनुसंधान परियोजना निदेशालय (भा.कृ.अ.प.) में जैविक खेती पर एक नेटवर्क परियोजना प्रारंभ की गई। जैविक खेती के अंतर्गत अत्यंत उपयुक्त, लाभप्रद और टिकाऊ फसल प्रणालियों से संबंधित संपूर्ण पैकेज का विकास किया जा रहा है। इसी प्रकार, प्रमुख और उच्च मूल्य वाली फसलों के अंतर्गत खेत पर और खेत से बाहर जैविक निवेशों के प्रबंधन पर अन्वेषण किया जा रहा है।

कृषि मंत्रालय ने भी दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 57.05 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अक्तूबर, 2004 से जैविक खेती पर राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है।

इस परियोजना के अंतर्गत निम्न घटक शामिल हैं:

* सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से क्षमता का निर्माण।
* जैव-उर्वरक यूनिट, खाद्य/सब्जी अपशिष्ट कम्पोस्ट यूनिट, वर्मीकल्चर हैचरीज, जैव-खेती पर किसानों और विस्तार कर्मचारियों के लिए निवेश की गुणवत्ता उत्पादन हेतु प्रशिक्षण जैसी वाणिज्यिक निवेश यूनिटों की स्थापना करना।
* विभिन्न जैविक निवेशों के उपयोग द्वारा खेत प्रदर्शन।
* आदर्श जैविक खेती की स्थापना करना।
* बाजार विकास आदि।

निजी चैनलों द्वारा प्रसारण

3734. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी चैनलों द्वारा वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) जैसे प्रसारित किए जा रहे हिंसक धारावाहिक कार्यक्रम बच्चों और युवकों में हिंसक और आपराधिक रूझान पैदा कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे कार्यक्रमों को रोकने के लिए निवारात्मक कदम उठाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) ऐसा कोई अध्ययन सरकार की जानकारी में नहीं लाया गया है।

(ख) और (ग) केबल सेवा में प्रसारित सभी कार्यक्रमों और विज्ञापनों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों का अनुपालन करना होता है। कार्यक्रम संहिता में, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे कार्यक्रमों का प्रसारण निषिद्ध है जो कि सुरुचि या शालीनता के विरुद्ध हों और यह भी प्रावधान है कि:-

* इस बात को सुनिश्चित करने की ओर ध्यान दिया जाए कि बच्चों के लिए अभिप्रेत कार्यक्रमों में कोई खराब भाषा या हिंसा को भड़काने वाले दृश्य शामिल न हों।

* बच्चों के लिए अनुपयुक्त कार्यक्रमों को ऐसे समय में केबल सेवा में प्रसारित न किया जाए जब बड़ी संख्या में बच्चे कार्यक्रम देख रहे हों।

* उल्लंघन के किसी विशिष्ट मामले में, इस मंत्रालय द्वारा गठित अंतर-मंत्रालयीय समिति की सिफारिशों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।

ठेका श्रम

3735. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेषरूप से ठेका श्रम के जरिए किए जाने वाले कार्यों के संबंध में एक नई राष्ट्रीय श्रम नीति की समीक्षा की है और इसका निर्धारण किया है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस नीति का ब्यौरा क्या है और इसे अपनाने तथा कार्यान्वित करने के लिए क्या रणनीति तैयार की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

संगठित और असंगठित क्षेत्रों में कार्यबल

3736. श्री के. सुब्बारायण: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में खुदरा क्षेत्र में कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है;

(ख) संगठित और असंगठित खुदरा क्षेत्र के उद्यमों में राज्य-वार अलग-अलग कितने व्यक्ति कार्यरत हैं;

(ग) क्या इस क्षेत्र में स्वरोजगार बढ़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) रोजगार एवं बेरोजगारी के विश्वसनीय अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए जाने वाले पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार का पिछला सर्वेक्षण जिसके परिणाम उपलब्ध हैं, वर्ष 2004-05 में किया गया। वर्ष 2004-05 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर खुदरा व्यवसाय (मोटर वाहन तथा मोटर साइकिल, वैयक्तिक तथा घरेलू सामान की मरम्मत के अलावा) में नियोजित कार्य बल की अनुमानित संख्या लगभग 33.51 मिलियन थी।

(ख) वर्ष 2004-05 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर व्यापार, होटल व रेस्तरां (उद्योग विभाजन 50 से 55) में नियुक्त कार्य बल का राज्य-वार प्रतिशत विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था हेतु स्वरोजगार में लगे कामगारों की अनुमानित संख्या जो कि वर्ष 1999-2000 में 21.0 करोड़ थी वह वर्ष 2004-05 में बढ़कर 26.1 करोड़ हो गई।

विवरण

वर्ष 2004-05 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर व्यापार, होटल एवं रेस्तरां (संगठित व असंगठित दोनों क्षेत्रों में विभाजित उद्योग, 50 से 55) में नियोजित कामगारों की प्रतिशतता

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	खुदरा व्यवसायों में नियोजित कामगारों की प्रतिशतता	
		ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	6.6	24.7
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.3	23.2
3.	असम	9.0	27.6
4.	बिहार	7.5	32.9
5.	छत्तीसगढ़	2.9	26.2
6.	दिल्ली	35.4	26.8
7.	गोवा	20.7	23.1
8.	गुजरात	4.7	23.4
9.	हरियाणा	7.5	25.3
10.	हिमाचल प्रदेश	4.3	24.9
11.	जम्मू-कश्मीर	5.0	21.5

1	2	3	4
12.	झारखंड	4.8	24.1
13.	कर्नाटक	4.5	26.9
14.	केरल	12.2	22.5
15.	मध्य प्रदेश	4.0	25.4
16.	महाराष्ट्र	4.7	23.1
17.	मणिपुर	6.6	20.0
18.	मेघालय	5.5	15.2
19.	मिजोरम	3.5	17.2
20.	नागालैंड	4.9	40.4
21.	उड़ीसा	6.7	24.0
22.	पंजाब	6.4	28.0
23.	राजस्थान	4.1	22.5
24.	सिक्किम	8.6	33.6
25.	तमिलनाडु	6.4	22.3
26.	त्रिपुरा	10.9	27.2
27.	उत्तरांचल	4.4	26.9
28.	उत्तर प्रदेश	6.2	26.6
29.	पश्चिम बंगाल	9.5	23.2
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	11.9	18.2
31.	चंडीगढ़	19.8	17.0
32.	दादर और नगर हवेली	6.7	28.2
33.	दमन और दीव	11.6	24.3
34.	लक्षद्वीप	2.1	6.0
35.	पांडिचेरी	10.6	20.3
	अखिल भारत	6.1	24.6

*सामान्य स्थिति दृष्टिकोण के अनुसार।

श्रम बल के संदर्भ में बेरोजगारी दर बेरोजगारों का प्रतिशत है।

औषधि विनिर्माताओं द्वारा अपूर्ण मूल्य सूचियों की प्रस्तुति

3737. चौ. मुनव्वर हसन: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकतर बड़े औषधि विनिर्माता अपने उत्पादों को बिना मूल्य अनुमोदन के बेच रहे हैं और निर्धारित अधिसूचित मूल्यों का क्रियान्वयन नहीं कर रहे हैं और प्राधिकारियों को अपूर्ण मूल्य सूचियां प्रस्तुत करते हुए भी पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन औषधि विनिर्माताओं और इन उत्पादों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (ग) राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए), औषध मूल्य (नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 95) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट बल्क औषध पर आधारित फार्मूलेशनों के मूल्य निर्धारित/संशोधित करता है। डीपीसीओ, 1995 के पैरा 9 के अंतर्गत निर्धारित उच्चतम मूल्य, सभी विनिर्माताओं जिनमें अपना उत्पाद उतारने वाले भी शामिल हैं, पर लागू होते हैं। यदि विनिर्माताओं द्वारा अधिसूचित मूल्यों का अनुसरण नहीं किया जाता है, तब एनपीपीए अतिप्रभारित राशि की वसूली के लिए नोटिस जारी करता है। एनपीपीए की अगस्त 1997 में स्थापना के समय से लेकर नवम्बर 2006 तक विभिन्न उत्पादों के लिए अतिप्रभारित राशि की वसूली के संबंध में 738.14 करोड़ रुपए की वसूली के 394 मामलों में नोटिस जारी किए गए हैं।

डीपीसीओ, 95 के पैरा 14 (3) और 15(2) के अनुसार विनिर्माताओं द्वारा डीलरों, राज्य औषध नियंत्रकों और सरकार को मूल्य सूची/पूरक मूल्य सूची प्रस्तुत करनी होती है। जब कभी मूल्य सूचियों को प्रस्तुत करने में कोई कमी पाई जाती है, तब संबंधित विनिर्माताओं को सम्पूर्ण सूचना देने के निर्देश दिए जाते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है।

चिड़ियाघर के जानवरों का आदान-प्रदान

3738. श्री मणि चारेनामी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्ग-वार और राज्य-वार कितने प्राणि चिड़ियाघर है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा विभिन्न चिड़ियाघरों को कितनी अनुदान राशि जारी की गई;

(ग) क्या चिड़ियाघरें के जानवरों का आदान प्रदान अभी भी जारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत पांच वर्षों के दौरान अन्य देशों में चिड़ियाघरों को उपहारस्वरूप दिए गए जानवरों का ब्यौरा क्या है और उन देशों के नाम क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) देश में मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों की वर्ग-वार और राज्य-वार संख्या 1.12.2006 की स्थिति के अनुसार विवरण-1 में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा चिड़ियाघरों को जारी की गई अनुदान की राशि विवरण-II में दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित 2005-2006 के दौरान पशु आदान-प्रदान वन प्रस्ताव का ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

(ङ) पिछले 5 वर्षों के दौरान (2005-06) किसी भी पशु को देश के बाहर के चिड़ियाघर को उपहार के रूप में नहीं दिया गया है।

विवरण I

नाम का स्वरूप	राज्य का नाम	संस्था का नाम	शहर का नाम
1	2	3	4
बड़ा चिड़ियाघर	आंध्र प्रदेश	इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान	विशाखापट्टनम
		नेहरू प्राणि उद्यान	हैदराबाद
		श्री वेंकटेश्वरा प्राणि उद्यान	तिरुपति
	असम	असम स्टेट जू कम बाटेनिकल गार्डेन	गुवाहाटी
	बिहार	संजय गांधी बाइलाजिकल पार्क	पटना
	दिल्ली	राष्ट्रीय प्राणि उद्यान	दिल्ली
	गुजरात	कमला नेहरू प्राणि उद्यान शक्करबुग चिड़ियाघर	अहमदाबाद
	कर्नाटक	नेशनल पार्क, बन्नेरघाट जूलोजिकल गार्डेन	बन्नेरघाट
		श्री चमराजेन्द्र जूलोजिकल गार्डेन	मेसूर
	केरल	थिरूवनन्तपुरम जू	थिरूवनन्तपुरम
	महाराष्ट्र	राजीव गांधी प्राणि उद्यान	पुणे
	उड़ीसा	नंदनकानन बायलाजिकल पार्क	भुवनेश्वर
	पंजाब	महेन्द्रा चौधरी प्राणि उद्यान	छतबीर
	तमिलनाडु	अरीगनार अन्ना प्राणि उद्यान	वंदलूर
		मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट/सेन्टर फोर हरपेटोलाजी	महाबलीपुरम
	त्रिपुरा	सेपाहीजाला प्राणि उद्यान	सेपाहीजाला

1	2	3	4
	उत्तर प्रदेश	लखनऊ प्राणि उद्यान	लखनऊ
	पश्चिम बंगाल	अलीपुर प्राणि उद्यान	कोलकाता
मध्यम चिड़ियाघर	गुजरात	सायाजी बंज जू	बडोदरा
	कर्नाटक	पीपीलकुला वाइल्डलाइफ सफारी एट मधूशेरे	मंगलौर
	केरल	स्टेट म्यूजियम एंड जू	थ्रिस्सुर
	मध्य प्रदेश	गांधी प्राणि उद्यान	ग्वालियर
	महाराष्ट्र	वीरमाता जीजाबाई भोसले उद्यान एंड जू	मुम्बई
	मणिपुर	मणिपुर प्राणि उद्यान	इम्फाल
	राजस्थान	जयपुर चिड़ियाघर	जयपुर
	तमिलनाडु	चैन्नई स्नेक पार्क ट्रस्ट	गिन्डी
		चिल्ड्रंस कार्नर	गिन्डी
	उत्तर प्रदेश	कानपुर प्राणि उद्यान	कानपुर
	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता स्नेक पार्क	बादू
छोटे चिड़ियाघर	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	मिनी चिड़ियाघर, हड्डू	पोर्ट ब्लेयर
	अरुणाचल प्रदेश	बायोलोजिकल पार्क	इटानगर
	छत्तीसगढ़	मैत्री बाघ चिड़ियाघर	भिलाई
	गोवा	बोंडला चिड़ियाघर	उसगांव
	गुजरात	इन्द्रोदा प्राकृतिक उद्यान	गांधी नगर
		प्राकृतिक पार्क, सूरत	सूरत
	हरियाणा	रोहतक चिड़ियाघर	रोहतक
	हिमाचल प्रदेश	हिमालयन नेचर पार्क (कुफरी)	कुफरी
	जम्मू-कश्मीर	मान्दा मिनी जू	रामनगर
	झारखंड	भगवान बिरसा बायोलोजिकल पार्क	रांची
		जवाहर लाल नेहरू बायोलोजिकल पार्क	बोकारो
		टाटा स्टील जूलोजिकल पार्क	जमशेदपुर
	कर्नाटक	चिल्ड्रन पार्क एंड जू	गादग
		टाइगर एंड लायन सफारी, थाईरीकोपा	शिमोगा

1	2	3	4
	मध्य प्रदेश	कमला नेहरू प्राणि संग्रहालय जू	इन्दौर
		वन विहार नेशनल पार्क	भोपाल
	महाराष्ट्र	औरंगाबाद म्युनिसिपल जू	औरंगाबाद
		महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जू	शोलापुर
		निसारगक्वी बाहिनाबाई चौधरी प्राणि संग्रहालय	पुणे
	मेघालय	लेडी हैदरी पार्क, एनीमल लैंड	शिलांग
	मिजोरम	एजावल जू	एजावल
	उड़ीसा	इन्दिरा गांधी पार्क जू एंड डीयर पार्क	राउरकेला
	पंजाब	डीयर पार्क बिरमोती बाग	पटियाला
	राजस्थान	जोधपुर जू	जोधपुर
		उदयपुर जू	उदयपुर
	तमिलनाडु	वी ओ सी पार्क मिनी जू	कोयम्बटूर
	उत्तरांचल	पं. गोविन्द बल्लभ पंत हाई एल्टीट्यूड जू	नैनीताल
	पश्चिम बंगाल	झरग्राम डीयर पार्क	झरग्राम
		मार्बल पैलेस जू	कोलकाता
		पदमजा नायडू हिमालयन जूलोजिकल पार्क	दार्जीलिंग
मिनी चिड़ियाघर	आंध्र प्रदेश	डीयर पार्क-सत्यम टेक्नोलाजी सेन्टर	रंगा रेड्डी
		डीयर पार्क, चित्तौड़ रिजर्व फोरेस्ट	चित्तौड़ ईस्ट डिवीजन
		डीयर पार्क, कान्डालेरू	कान्डालेरू
		डीयर पार्क एन एफ सी एल ग्रीन बेल्ट	बसंत नगर
		डीयर पार्क, केसोराम सीमेंट	काकीनाडा
		जी.वी.के. इंडस्ट्रीज डीयर पार्क	हैदराबाद
		हिमायत सागर मिनी जू	रंगा रेड्डी
		जवाहर लेक टूरिस्ट काम्पलेक्स	शामीरपेट
		करीमनगर डीयर पार्क	करीमनगर
		किन्नरसारी डीयर पार्क	किन्नरसारी
		पिल्लालमारी डीयर पार्क	पिल्लालमारी काम्प्लेक्स, महबूब नगर

1	2	3	4
		वनविज्ञान केन्द्र, हन्टर रोड, हनामकोंडा	वारांगल
	अरूणाचल प्रदेश	मियाओ मिनी जू	मियाओ
		मिनी झु, रुइंग	रुइंग
	छत्तीसगढ़	कानन पिंडारी चिड़ियाघर	बिलासपुर
	दादर और नगर हवेली	लायन सफारी वासोना	वासोना
	गुजरात	राजकोट म्यूनिसिपल कारपोरेशन चिड़ियाघर	राजकोट
		सरपीटर स्काट नेचर पार्क	जामनगर
		सुन्दरवन नेचर डिस्कवरी सेंटर	जोधपुर टेकड़ा
	हरियाणा	डीयर पार्क हिसार	हिसार
		मिनी चिड़ियाघर भिवानी	भिवानी
		मिनी चिड़ियाघर पिपली	पिपली
	हिमाचल प्रदेश	धोलाधार नेचर पार्क	गोपाल पुर
		फीजेन्टरी एंड ऐवियरी एंड मस्क डीयर फार्म	सरहान
		रेनुके चिड़ियाघर/लायन सफारी	सिरमौर
	झारखंड	बिरसा मृग विहार	कालीमाटी
		चन्द्रपुर डीयर पार्क	चन्द्रपुर
		डीयर पार्क मैथोन	हजारीबाग
		सत्संग जू फार चिल्ड्रन एजुकेशन	सत्संग
	कर्नाटक	बिलारी चिल्ड्रन पार्क कम जू	बिलारी
		डीयर पार्क एट श्री क्षेत्र सुगाल	सौंधापट्टी
		डीयर पार्क एम एन डी सी लि.	बेलारी
		इन्द्रा प्रियदर्शनी संग्रहालय	दावनगेरे तालुक
		किट्टुरराणी कन्नामा निसर्ग धामा	बेलगांव
		मिनी जू ए एम गुडी बलवाना	चित्रदुर्ग
		मिनी जू एट गेंडेकाट्टे	हसन
		मिनी जू कम चिल्ड्रन पार्क	गुलबर्गा
		नामादाचिलूमे डीयर पार्क	तुमकुर

1	2	3	4
		तुंगभद्रा डेम मिनी जू	बेल्लारी
	केरल	लायन सफारी पार्क एट नय्यार डेम	थिरूवनंतपुरम
		पारासीनीककडावो स्नेक पार्क	कानूर
	महाराष्ट्र	महाराजा शाहजी छत्रपति जू	कोल्हापुर
		महाराज बाग जू	नागपुर
		पाल वाइल्ड एनीमल आर्फनेज	जलगांव
		संजय गांधी नेशनल पार्क	बोरीवाली
		स्नेक पार्क, शिक्षण मंडल	कोल्हापुर
		सोमनाथ प्रकल्प जू	चन्द्रापुर
	मेघालय	नेहरू पार्क जू, दानाकग्रे, तुरा	अखोनगिरी तुरा
	मिजोरम	डीयर पार्क	थेनज्वाल
	नागालैंड	नागालैंड जूलोजिकल पार्क, रंगापहार जूलोजिकल पार्क, कोहिमा	दीमापुर
	उड़ीसा	घड़ियाल रिसर्च और कंजरवेशन यूनिट	टिकापारा
		एच ए एल डीयर पार्क कोरापुट	सुनाबेदा
		कपिलेश जू	धेकनाल
		कौनरिया डीयर पार्क नयागढ़ फोरेस्ट डिवीजन	नयागढ़
		तप्तापानी डीयर पार्क	परलाखेमुण्डी
		वाईल्ड एनीमल कन्जरवेशन सेन्टर, मोतीझारन	सम्बलपुर
	पंजाब	डीयर पार्क, बिर तालाब	भटिण्डा
		डीयर पार्क, नीलोन	लुधियाना
		लुधियाना जू	लुधियाना
	राजस्थान	डीयर पार्क, श्री गोवर्धन ट्रस्ट	उदयपुर
		कोटा जू	कोटा
		पंचवटी डीयर पार्क	पिलानी
		सफारी पार्क, हरिदास जी-की-मादरी	उदयपुर
	सिक्किम	हिमालयन जूलोजिकल पार्क, बुलबुले	गंगटाक

1	2	3	4
	तमिलनाडु	अमिरथी जू	वेलौर
		डीयर पार्क, उधागाई, नीलगिरी	जिला नीलगिरी
		कुरुम्बापट्टी जूलोजिकल पार्क	सलेम
		शिवगंगा गार्डन मिनी जू	थनीजावुर
	उत्तर प्रदेश	वन देवी रीक्रिवेशन पार्क	मऊ
		डीयर पार्क एट बरेली	बरेली
		डीयर पार्क, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लि.	सौनभद्रा
		नवाबगंज डीयर पार्क	उन्नाव
		सारनाथ डीयर पार्क	वाराणसी
		त्रिवेणी एन्वायरनमेंट पार्क, इलाहाबाद	इलाहाबाद
		वन प्राणि उद्यान, आई वी आर आई	इज्जतनगर
		विनोद वन मिनी जू, रामगढ़	गौरखपुर
	उत्तरांचल	डीयर पार्क, नारेन तिवारी देवाल	अल्मोड़ा
		माल्सी डीयर पार्क	देहरादून
	पश्चिम बंगाल	अदीना डीयर पार्क	माल्दा
		गर चीमुक (उल्लूघाट) डीयर पार्क	हावड़ा
		कुमारी कंगसाबूटी डीयर पार्क, बोनपाकुरिया	बोनपाकुरिया, बनकुरा
		पश्चिम बंगाल स्नेक पार्क एंड लेबोरेटरी, बादू	बादू
रेस्क्यू सेंटर	अरुणाचल प्रदेश	सेंटर फार बीयर रीहेब्लीटेशन एंड कंजरवेशन	पाक्के
	असम	सेंटर फार बीयर रीहेब्लीटेशन एंड कंजरवेशन	गोलाघाट
	गुजरात	एनीमल होस्पिटल, मादलपुर	अहमदाबाद
	हरियाणा	हनुमान वाटिका-रेस्क्यू सेंटर	गुड़गांव
		रेस्क्यू सेंटर एट मेहम	जी.टी. रोड मेहम के पास
		वाईल्ड लाईफ रेस्क्यू सेंटर	गुड़गांव
	हिमाचल प्रदेश	नेहरू फेजंटरी	मनाली
		रेस्क्यू एंड रीहेब्लीटेशन होम	तूतीकांडी
	केरल	वाईल्ड एनीमल रेस्क्यू सेंटर, कोडानाडू	कोडानाडू

1	2	3	4
	महाराष्ट्र	एमटेस एनीमल, ए आर के	वर्धा
		लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर	मानिकदोह
		उत्तारस एनीमल रेस्क्यू एंड रीहेब्लीटेशन सेंटर	पुणे
	उत्तर प्रदेश	वाईल्ड लाईफ सोस आगरा बीयर फेसीलिटी	आगरा
	पश्चिम बंगाल	एनीमल रेस्क्यू सेंटर, सुरूलिया	कोलकाता
		बोछामारी घारियल रेस्क्यू सेंटर	कोलकाता
		करुणा कुंज	बौरीपुर, परगना साऊथ
		कुंजानगर इको पार्क रेस्क्यू सेंटर	जलपाइगुड़ी
		माल्दा सरपा उद्डानो संरक्षण संबाया समिति लि.	माल्दा
		रमन बागान वाईल्ड लाईफ सेंचुरी	कोलकाता
		साऊथ खैरबाड़ी लेपर्ड रीहेब्लीटेशन सेंटर	मदरीहाट
सर्कस	असम	मूनलाईट सर्कस	खेलमाती
		रिहनो सर्कस	लखीमपुर
	गुजरात	ग्रेट गोल्डन सर्कस	अहमदाबाद
	केरल	ग्रेट बोम्बे सर्कस ग्रेट रेमन सर्कस जम्बो सर्कस जमुना सर्कस राज कमल सर्कस	तिलीचेरी
	महाराष्ट्र	रेम्बो सर्कस दि ग्रेट रायल सर्कस	पुणे
	तमिलनाडु	जैमिनी सर्कस	
	उत्तर प्रदेश	ग्रेट अपोलो सर्कस राजमहल सर्कस	
	पश्चिम बंगाल	अजंता सर्कस	कोलकाता
		एशियाड सर्कस	कोलकाता
		एम्पायर सर्कस	कोलकाता
		फेमस सर्कस	कोलकाता

1	2	3	4
		ग्रेट संगम सर्कस	कोलकाता
		कोहिनूर सर्कस	कोलकाता
		आलम्पिक सर्कस	कोलकाता
		सम्राट सर्कस	कोलकाता
		वैस्टन सर्कस	इलियट
	कुल जोड़		186

विवरण II

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा 2003-06 के बीच विभिन्न चिड़ियाघर को जारी अनुदान

(लाख रु.)

राज्य का नाम	चिड़ियाघर का नाम	वर्ष		
		2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह				
	चिड़िया टापू बायोलोजिकल पार्क, पोर्ट ब्लेयर	शून्य	17.36	शून्य
आंध्र प्रदेश				
	इंदिरा गांधी जुलोजिकल पार्क, विशाखापट्टनम	72.37	54.03	106.00
	नेहरू जुलाजिकल पार्क, हैदराबाद	13.09	30.00	50.00
	श्री वेंकटेश्वर जुलाजिकल पार्क, त्रिपुरा	167.56	53.93	211.10
	कुल आंध्र प्रदेश	253.02	137.96	367.10
अरुणाचल प्रदेश				
	इटानगर जुलाजिकल पार्क, इटानगर	12.90	20.00	155.49
असम				
	असम राज्य चिड़ियाघर-कम-बोटिनिकल पार्क, गुवाहाटी	72.45	70.42	शून्य
बिहार				
	संजय गांधी बायोलोजिकल पार्क, पटना	12.35	20.00	23.00

1	2	3	4	5
छत्तीसगढ़				
	कानन पंडाहरी चिड़ियाघर, बिलासपुर	शून्य	6.00	शून्य
दिल्ली				
	नेशनल जुलाजिकल पार्क, दिल्ली	63.91	100.65	105.70
गोवा				
	बोंदिला चिड़ियाघर, बोंदिला	8.65	शून्य	शून्य
गुजरात				
	नेशनल पार्क, सूरत	24.00	20.00	41.52
	सक्करबाग चिड़ियाघर, जूनागढ़	25.00	25.00	शून्य
	सांयाजीबाग चिड़ियाघर, वड़ोदरा	20.00	25.00	16.12
	कुल गुजरात	69.00	70.00	57.64
हरियाणा				
	रोहतक चिड़ियाघर, रोहतक	शून्य	शून्य	50.00
हिमाचल प्रदेश				
	हिमालयन नेशनल पार्क कुफरी, शिमला	10.00	22.50	शून्य
	फीजतरत एवीएरी और मसक डियर फार्म, सरहन	10.00	7.50	30.00
	कुल हिमाचल प्रदेश	20.00	30.00	30.00
झारखंड				
	भगवान बिरसा बायोलाजिकल पार्क, रांची	9.74	शून्य	9.00
कर्नाटक				
	बनेरघाट जुलाजिकल पार्क, बंगलौर (रेस्क्यू सेंटर)	68.46	85.34	98.30
	श्री चामराजेन्द्रा जुलाजिकल गार्डन, मैसूर	20.00	25.00	25.75
	बाघ और शेर सफारी, शीमोगा	शून्य	83.25	21.00
	कुल कर्नाटक	98.46	193.59	145.05
केरल				
	तिरूवनंतपुरम चिड़ियाघर, तिरूवनंतपुरम	8.00	21.94	30.00

1	2	3	4	5
मध्य प्रदेश				
	गांधी जुलोजिकल पार्क, ग्वालियर	20.00	शून्य	शून्य
	कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय, इंदौर	60.79	शून्य	40.35
	वन विहार चिड़ियाघर, भोपाल	शून्य	144.15	25.00
	कुल मध्य प्रदेश	80.79	144.15	65.35
महाराष्ट्र				
	राजीव गांधी जुलाजिकल पार्क, पुणे	21.00	21.35	50.00
मिजोरम				
	एजवल चिड़ियाघर, एजवल	217.62	300.10	133.50
नागालैंड				
	रंगापहाड़ जुलोजिकल पार्क, दीमापुर	36.70	शून्य	48.50
उड़ीसा				
	नंदन कानन जुलोजिकल पार्क, भुवनेश्वर	शून्य	19.00	72.80
पंजाब				
	एम सी जुलोजिकाल पार्क, छतबीर	शून्य	48.70	शून्य
राजस्थान				
	जौधपुर चिड़ियाघर, जौधपुर	21.10	10.00	11.30
	नहार गढ़ जुलोजिकल पार्क, जयपुर	29.02	50.32	52.23
	कुल राजस्थान	50.12	60.32	63.53
सिक्किम				
	हिमालयम जुलोजिकल पार्क, गंगटोक	शून्य	9.00	38.50
तमिलनाडु				
	अरिगनार अन्ना जुलोजिकल पार्क, वंडालुर, चैन्नई	52.19	88.80	48.44
त्रिपुरा				
	सिपाही जाला जुलोजिकल पार्क, अगरतला	33.40	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5
उत्तरांचल				
	जी बी पंत हगई आल्टीटुड़ चिड़ियाघर, नैनिताल	शून्य	6.00	6.39
उत्तर प्रदेश				
	कानपुर जुलोजिकल पार्क, कानपुर	17.90	2.00	शून्य
	लखनऊ जुलोजिकल पार्क, लखनऊ	शून्य	18.00	19.43
	कुल उत्तर प्रदेश	17.90	20.00	19.43
पश्चिम बंगाल				
	जुलोजिकल गार्डन अलीपुर, कलकत्ता	6.00	6.00	शून्य
	खाराबाड़ी रेस्क्यू सेंटर मदारी हाट, कूच बिहार	शून्य	54.99	35.57
	पदमाजा नायडू हिमालीयन जुलोजिकल पार्क, दार्जिलिंग	50.72	45.75	शून्य
	कुल पश्चिम बंगाल	56.72	106.74	35.37

विवरण III

2005-2006 के दौरान केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित भारतीय चिड़ियाघरों में पशुओं का अदान-प्रदान

क्र.सं.	चिड़ियाघर का नाम और आदान-प्रदान किए गए पशुओं के नाम	चिड़ियाघर का नाम और आदान-प्रदान किए गए पशुओं के नाम
1	2	3
1.	शक्करबाघ चिड़ियाघर, जूनागढ़ फोर हार्नड एन्टिलोप (टेरासेरोस क्वाड्रिकारनिस) 1:2	एम सी जूलाजिकल पार्क, छत्तवीर बारकिंग डियर (मुन्टियाकस मुन्टजक) 1:2
2.	भगवान बिरसा बायोलाजिकल पार्क, रांची जंगली बिल्ली (फेलिस चाउस) 1:2	नेशनल जूलाजिकल पार्क, दिल्ली तेंदुआ (पन्थेरा पारडस) 4:3
3.	नेहरू जूलाजिकल पार्क (1) तेंदुआ (पन्थेरा पारडस) 1:1 (2) कालिज फेजेन्ट (लोफूरा लोकोमोना) 1:1	जयपुर चिड़ियाघर, जयपुर (1) घरियाल (गविलिस गंजेटिकस) 2:2 (2) सिक्का हिरण (सेरवस निप्पन युकशिमे) 1:2
4.	नेहरू जूलाजिकल पार्क, हैदराबाद तेंदुआ (पन्थेरापारडस) 1:1	भगवान बिरसा बायोलाजिकल पार्क, रांची (1) जंगली बिल्ली (फेलिस चाउस) 1:1 (2) हायना (हायना हायना) 1:1

1	2	3
5.	बनेरघाट बायोलाजिकल पार्क, बंगलौर (1) बड़ी गिलहरी (रहुफा इन्डिका) 1:0 (2) जेबरा (इक्वस बुरचेली बोहमी) 1:0	श्री चामराजेन्द्रा जूलाजिकल पार्क, मैसूर शून्य
6.	कमला नेहरू जूलाजिकल गार्डन, अहमदाबाद, गुजरात –	बोरीबेली राष्ट्रीय उद्यान, मुंबई, महाराष्ट्र में बचाव केन्द्र तेंदुआ (पन्थेरा पारडस) 4 (2:2)
7.	औरंगाबाद म्यूनिसपल चिड़ियाघर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र बंगाल टाइगर (व्हाईट कोट) (पन्थेरा टिगरिस टिगरिस)-1 (1:0)	एम.सी. जूलाजिकल पार्क, छतबीर, पंजाब –
8.	भगवान बिरसा बायोलाजिकल पार्क, रांची, झारखंड शेर (अज्ञात लाईनेज)-2 (1:1)	नेचर पार्क, सूरत, गुजरात –
9.	श्री चामराजेन्द्रा जूलाजिकल गार्डन, मैसूर, कर्नाटक तेंदुआ (पन्थेरा पारडस)-3 (1:2)	थिरूवनंतपुरम जू/त्रिशूर जू हौग हिरण (एक्सिस पोरसिनस)-3 (1:2)
10.	जयपुर चिड़ियाघर, राजस्थान घड़ियाल (गेवियालिस गंजेटिक्स)-4 (2:2)	नेशनल जूलाजिकल पार्क, दिल्ली –
11.	कानन पेंडारी जू, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ तेंदुआ (पेन्थेरा पारडस)-2 (1:1) शलोथ भालू (मेलुरसस अरसिनस)-2 (1:1)	कमला नेहरू जूलाजिकल गार्डन, अहमदाबाद, गुजरात रोजी पिलिकन-4 (2:2) सिलवर फेजेंट-2 (1:1) लव बर्ड्स
12.	वन विहार नेशनल पार्क एंड जू, भोपाल, मध्य प्रदेश –	माधव नेशनल पार्क, शिवपुरी, मध्य प्रदेश में बचाव केंद्र बंगाल टाइगर (पन्थेरा टिगरिस टिगरिस)-1 (0:1)
13.	वन विहार नेशनल पार्क एंड जू, भोपाल, मध्य प्रदेश बंगाल टाइगर (पन्थेरा टिगरिस टिगरिस)-2 (1:1)	नेशनल जूलाजिकल पार्क, दिल्ली बंगाल टाइगर (व्हाईट कोट) (पन्थेरा टिगरिस टिगरिस)-2 (1:1)
14.	साऊथ कैरेबियाई, कूच बिहार, पश्चिम बंगाल में बचाव केन्द्र बाघ (अज्ञात लाइनेज)-2 (1:1)	पद्मजा नायडू हिमालयन जूलाजिकल पार्क, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल
15.	जम्बो सर्कस (जयपुर में पशु कैंप) तेंदुआ (ब्लैक कोट) (पेन्थरा पारडस)-1 (0:1)	नेशनल जूलाजिकल पार्क, दिल्ली –
16.	वन विहार नेशनल पार्क एंड जू, भोपाल, मध्य प्रदेश बंगाल टाइगर (पन्थेरा टिगरिस टिगरिस)-2 (1:1)	संजय गांधी नेशनल पार्क एंड टाइगर सफारी बोरीवली, मुंबई, महाराष्ट्र बंगाल टाइगर (पन्थेरा टिगरिस टिगरिस)-2 (1:1)

1	2	3
17.	संजय गांधी नेशनल पार्क एंड टाइगर सफारी, बोरीवली, मुंबई महाराष्ट्र	राजीव गांधी जूलाजिकल पार्क, पुणे, महाराष्ट्र
	बंगाल टाइगर (व्हाईट कोट) (पन्थेरा टिगरिस टिगरिस)-2 (1:1)	-
18.	अरिगनार अन्ना जूलाजिकल पार्क, बंडालूर	मैत्री बाग चिड़ियाघर, भिलाई
	(1) रिसस मकाक (मकाका मुलाट्टा) 2:2	
	(2) बोनेट मकाक (मकाका रेडियाटा) 2:2	बंगाल टाइगर (व्हाईट कोट) (पन्थेरा टिगरिस टिगरिस) 1:1
	(3) ब्रो एंटलर्ड डियर (सेरवस एल्डी एल्डी) 1:0	
	(4) एलैक्जैन्ड्रियन पाराकीट (पसिटाकुला यूपाट्रिया) 1:1	
	(5) ग्रे पेलिकन (पेलिकनस फिलीपेनसिस) 3:3	
	(6) नाइट हेर्न (निक्टिकोरेक्स निक्टीकोरेक्स) 3:5	
	(7) पेन्टिड स्टार्क (माईक्टीरिया ल्यूकोसेफाला) 5:5	
	(8) व्हाईट पीफाउल (पावो क्रिस्टाटस) 1:1	
	(9) कामन पीफाउल (पावो क्रिस्टाटस) 1:1	
	(10) ग्रे हेर्न (अर्डिया सिनेरिया) 3:3	
	(11) रेटिकुलेटिड पाईथन (पाईथन रेटिकुलेट्स) 1:1	

भिलाई इस्पात संयंत्र

3739. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र (बी एस पी) की नई इकाई ने कार्य आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कितने कार्य को निष्पादित किया गया है; और

(ग) इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है और अब तक कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास): (क) और (ख) हाल ही में सितंबर-नवंबर, 2006 के दौरान बीएसपी में तीन इकाइयों को चालू किया गया है। ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(1) पावर प्लांट-1 में टर्बो जेनरेटर सितंबर, 2006 में चालू किया गया था और इकाई नियमित रूप से प्रचालनरत है। टर्बो जेनरेटर की निर्धारित क्षमता 15 मेगावाट है।

(2) प्लेट मिल में हाईड्रोलिक आटोमेटिक गेज कंट्रोल अक्टूबर, 2006 में स्थापित किया गया था और वर्तमान में इस हाईड्रोलिक सिस्टम का स्थिरीकरण किया जा रहा है। यह इकाई क्लोजर थिकनैस टोलरेंस, लैस क्रोप कटिंग्स और उन्नत प्लेट्स उत्पादन की ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करने में सहायता करेगी।

(3) वायर राड मिल के बी-स्ट्रैण्ड का नवंबर, 2006 में पुनरुद्धार किया गया है और वर्तमान में रोलिंग का स्थिरीकरण किया जा रहा है। यह इकाई वायर राड्स के उत्पादन में 54,900 टन प्रति वर्ष की वृद्धि करेगी तथा क्लोजर टोलरेंसिज के साथ टीएमटी उत्पादों की उच्च श्रेणियों के उत्पादन को सुसाध्य बनाएगी।

(ग) उपर्युक्त तीन इकाइयों के लिए निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत	नवंबर, 2006 तक व्यय
पावर प्लांट-1 में टर्बो जेनरेटर	48 करोड़ रुपए	39 करोड़ रुपए
प्लेट मिल में हाईड्रोलिक आटोमेटिक गेज कंट्रोल	64 करोड़ रुपए	36 करोड़ रुपए
वायर राड मिल के बी-स्ट्रैण्ड का पुनरुद्धार	75 करोड़ रुपए	49 करोड़ रुपए

रोग से प्रभावित आम की फसल

3740. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में इस वर्ष आम की फसल बुरी तरह रोग से प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो राज्य के आम उत्पादकों को कितनी हानि हुई;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार उन्हें कोई वित्तीय सहायता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) कर्नाटक में इस वर्ष आम की फसल किसी गंभीर रोग से प्रभावित नहीं हुई।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विज्ञापन पर खर्च

3741. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न सरकारी विभागों का पिछले कुछ वर्षों से विज्ञापनों पर खर्च धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(ग) क्या सभी सरकारी विभागों को अपने विज्ञापन डी.ए.वी.पी. के माध्यम से देने हेतु कोई निर्देश जारी किये गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दूरस्थ क्षेत्रों से प्रकाशित होने वाले और सीमित दायरे वाली भाषाओं के समाचार-पत्रों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें पैनल बद्ध करने के लिए अर्हता शर्तों को सुगम बनाने का भी प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। भारत सरकार के सभी सचिवों को दिनांक 31.5.2005 को सचिव (सू.व.प्र.) द्वारा लिखित पत्र की प्रति विवरण में दी गई है।

(ङ) से (छ) जी, नहीं। भारत सरकार की विज्ञापन नीति में संस्कृत या जनजातीय भाषाओं में और सुदूर क्षेत्रों से प्रकाशित समाचारपत्रों/पत्रिकाओं के लिए डी.ए.वी.पी. के पैनल में शामिल किए जाने के संबंध में शिथिल पात्रता शर्तें पहले से ही विद्यमान हैं।

विवरण

एस.के. अरोड़ा — सचिव

दूरभाष: 23382639 — सूचना और प्रसारण

भारत सरकार

अ.शा. पत्र सं. 3/5/2004समन्वय

नई दिल्ली, दिनांक 31 मई, 2005

प्रिय श्री,

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) जो कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक मीडिया एकक है, केंद्रीय

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्तशासी निकायों सहित भारत सरकार की नीतियों/कार्यक्रमों एवं उपलब्धियं के मल्टी-मीडिया प्रचार हेतु नोडल एजेंसी है।

2. डीएवीपी प्रेस विज्ञापनों, श्रृव्य दृश्य, मुद्रित सामग्री, प्रदर्शनियों और वितरण के जरिए सस्ता एकल स्थल प्रचार उपलब्ध करवाता है। लक्षित समूह तक पहुंचने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। पिछले कुछ वर्षों में इसने अखिल भारतीय आधार पर प्रचार अभियान चलाने में निपुणता विकसित की है।

3. "विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय का कार्यकरण" संबंधी 57वीं रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (13वीं लोक सभा) ने अपनी 9वीं रिपोर्ट में डी ए वी पी के जरिए विज्ञापनों को जारी करने संबंधी निर्देशों के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की है। इसने उल्लंघनों जिन्हें समिति की जानकारी में लाया जाना चाहिए, का पता लगाने हेतु अनुवीक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना करने पर बल दिया है।

4. कार्यवाही नियमावली के आवंटन के अनुसार "प्रेस, पोस्टरों, फोल्डरों, कैलेंडरों, ब्लाटरों, पर्चों, पट विज्ञापनों, सिनेमा स्लाइडों आदि के जरिए भारत सरकार के सभी डिस्पले विज्ञापनों का निर्माण और इन्हें जारी किया जाना तथा भारत सरकार की ओर से वर्गीकृत विज्ञापनों का भी जारी किया जाना" डीएवीपी के माध्यम से होना चाहिए।

5. समय-समय पर विभिन्न समितियों द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं स्वायत्तशासी निकायों के सभी विज्ञापनों को डीएवीपी के माध्यम से जारी करने की जरूरत पर जोर दिया गया है।

6. सचिवों की समिति ने दिनांक 19.02.1991 को हुई अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि "सभी मंत्रालयों/विभागों और सरकारी संगठनों को प्रचार संबंधी आवश्यकताओं के लिए सामान्यतया डीएवीपी की सेवाएं लेनी चाहिए। तथापि, सृजनात्मक विज्ञापनों की रूपरेखा बनाने के लिए मंत्रालय को किसी विशिष्ट अथवा अन्य स्वैच्छिक एजेंसियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए परन्तु समाचार पत्रों और अन्य मीडिया में अपने विज्ञापनों का प्रदर्शन इसे डीएवीपी के माध्यम से करना चाहिए। मंत्रालय/विभाग अपने विज्ञापनों के सृजन के लिए जहां भी डीएवीपी को छोड़कर किसी अन्य एजेंसी का प्रयोग करते हैं तो इस प्रक्रिया में डीएवीपी का सहयोग लेना उचित होगा।"

7. उपरोक्त के मद्देनजर, आप अपने मंत्रालय/विभाग में और अपने नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों सहित संगठनों के प्रमुखों को अपना प्रचार संबंधी कार्य डीएवीपी के जरिए करवाने हेतु उचित निदेश दे सकते हैं और इन संगठनों के वित्त सलाहकारों को ऐसे प्रस्तावों जिनमें प्रचार संबंधी कार्य उपर्युक्त निर्देशों का उल्लंघन करके किए जा रहे हैं, पर सहमति न देने के भी निर्देश दे सकते हैं।

सादर,

शुभेच्छु,
ह./-
(एस.के. अरोड़ा)

सेवा में,
भारत सरकार के सभी सचिव।

आक्सफैम रिपोर्ट

3742. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:
श्री शैलेन्द्र कुमार:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्धन व्यक्ति अनावश्यक रूप से मर रहे हैं क्योंकि औषधि कम्पनियां और अमीर देशों की सरकारें ओक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार विकासशील विश्व को सस्ती दवाइयां प्राप्त करने से रोक रही हैं जैसा कि दिनांक 15 नवम्बर, 2006 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ओक्सफैम रिपोर्ट पर जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (घ) दि हिन्दुस्तान टाइम्स के 15.11.2006 को 'रिच नेशन्स ब्लाकिंग चीप ड्रग्स' नामक शीर्षक से प्रकाशित आक्सफैम रिपोर्ट में यह आरोप लगाया है कि ट्रिप्स करार और जन स्वास्थ्य पर दोहा घोषणा को लागू नहीं किया जा रहा है। दोहा घोषणा को 2001 में दोहा स्थित 2001 के चौथे मंत्री स्तरीय सम्मेलन में अपनाया गया था। इस घोषणा में आवश्यक दवाओं की बेहतर पहुंच के लिए पेटेंट अधिकार को रोकने में विश्व व्यापार संगठन

देशों को नमनशीलता दिखाने में फिर से विश्वास व्यक्त किया। दोहा घोषणा ने ट्रिप्स परिषद के समक्ष एक जिम्मेदारी सौंपी कि वह उन समस्याओं का समाधान ढूंढे जो अनिवार्य लाइसेंसिंग का इस्तेमाल करने में देशों को पेश आ रही हों, यदि उनके पास भेषजीय विनिर्माण क्षमता बहुत कम है या नहीं है। ट्रिप्स परिषद के निर्णय के अनुसार, जिसे डब्ल्यूटीओ की आम परिषद द्वारा अगस्त 2003 की बैठक में अपनाया गया था, ट्रिप्स करार के दायित्वों से छूट का प्रावधान किया गया है। तद्नुसार, अनिवार्य लाइसेंस मात्र घरेलू उपयोग के लिए जारी नहीं किया जा सकता, बल्कि जिन देशों के पास अपेक्षित विनिर्माण क्षमता नहीं है, उनके द्वारा कुछ शर्तों के अधीन, औषध के उत्पादन एवं निर्यात के लिए भी है।

पेटेंट (संशोधन) अधिनियम 2005 ने ट्रिप्स करार एवं जन स्वास्थ्य पर दोहा घोषणा के अवयवों को शामिल कर लिया है। यह संशोधन जन स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करने के लिए किसी देश को पेटेंट शुदा औषध उत्पाद विनिर्माण एवं निर्यात की अनुमति प्रदान करता है जिसके पास संबंधित औषध क्षेत्र में उत्पाद के लिए विनिर्माण की समुचित सुविधा नहीं है या बिल्कुल नहीं है।

कार्यबल की समता और गरिमा

3743. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कार्यबल की समता और गरिमा की रक्षा के लिए कार्य की सामान्य परिस्थितियों में सुधार से संबंधित एंटी-सलेवरी इंटरनेशनल ह्यूमन राईट्स वाच, यूएन ह्यूमन राईट्स कमेटी इत्यादि सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) विदेश मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, कार्यबल के मुद्दों पर कार्रवाई करने वाला मुख्य बहुपक्षीय संगठन है। भारत ने अभी तक 40 अभिसमयों का अनुसमर्थन किया है। ह्यूमन राईट वाच और एंटी सलेवरी इंटरनेशनल नागरिक सुरक्षा संगठन हैं। मानव अधिकार समिति स्वतंत्र विशेषज्ञों का निकाय है जो कि इसे राज्य दलों द्वारा नागरिक और राजनैतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा के कार्यान्वयन को मानीटर करता है। मानव अधिकार समिति ने 1997 में भारत की आवधिक रिपोर्ट पर विचार करते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ बंधुआ श्रम की पहचान और उन्मूलन का अध्ययन करने के लिए और सभी बच्चों को जोखिमकारी व्यवसायों से हटाने के लिए तुरन्त कदम उठाने की सिफारिश की थी।

बंधुआ श्रमिकों की पहचान करने, उन्हें मुक्त करवाने और उनके पुनर्वास के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम प्रचालन में है जिसके अंतर्गत पुनर्वास के लिए प्रति बंधुआ श्रमिक 20,000/- रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसे केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा 50:50 के अनुपात में बांट लिया जाता है। उत्तर-पूर्वी राज्यों के मामले में, 100% केन्द्रीय सहायता प्रादन की जाती है। इसके अलावा, राज्य सरकारों को इस स्कीम के अंतर्गत बंधुआ श्रम, जागरूकता सृजन गतिविधियों और मूल्यांकन अध्ययनों के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। अभी तक 2.27 लाख बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास किया गया है और उनके पुनर्वास के लिए 68.75 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा, राज्यों को सर्वेक्षण आदि करवाने के लिए 4.20 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

जोखिमकारी व्यवसायों से बाल श्रम के उन्मूलन के मामले में, आनुक्रमिक दृष्टिकोण अपनाया गया है। अभी तक, बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत 15 व्यवसायों और 57 प्रक्रियाओं को जोखिमकारी घोषित किया गया है, जहां पर बाल श्रम निषेधित है।

बाल श्रम संबंधी आईएलओ

3744. श्री उदय सिंह: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने हाल ही में बाल श्रमिकों और विश्व भर में कानूनी रूप से कार्यरत किशोरों के विरुद्ध हिंसा को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने का आह्वान किया है जैसा कि दिनांक 22 नवम्बर, 2006 के "द हिन्दू" में समाचार प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार किसी भी प्रतिष्ठान में बच्चों को कार्य करने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) सरकार ने दिनांक 22.11.2006 को "द हिन्दू" में प्रकाशित समाचार की विषय-वस्तु को नोट किया है। सरकार सर्वप्रथम सर्वाधिक जोखिमकारी व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं से बाल श्रम का चरणबद्ध ढंग से उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है।

(ग) और (घ) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986, 15 व्यवसायों तथा 57 प्रक्रियाओं में बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्ध करता है तथा यह उन व्यवसायों में कामकाजी दशाएं विनियमित करता है जिन्हें जोखिमकारी घोषित नहीं किया गया है। इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के लिए बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में पर्याप्त निवारक उपबंध पहले से ही विद्यमान हैं। इस अधिनियम में यह व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करके किसी बच्चे को नियोजित करता है, वह कम से कम 3 माह से एक वर्ष की अवधि तक के कारावास अथवा कम से कम 10,000/- रुपये से अधिकतम 20,000/- रुपये तक के जुर्माने अथवा दोनों के दण्ड का भागी होगा। राज्य सरकारों, जो समुचित सरकार हैं के लिए इसके कड़ाई से प्रवर्तन के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं।

[हिन्दी]

भू-जल का स्तर बढ़ाना

3745. प्रो. रासा सिंह रावत: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भू-जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने राजस्थान सरकार के साथ भू-जल के स्तर में वृद्धि के लिए परामर्श किया था;

(ख) क्या राज्य सरकार ने बोर्ड को कुछ सुझाव भी दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (घ) जल संसाधन मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) भूजल का विकास किए जाने योग्य क्षमता वाले जलभृत्त क्षेत्रों का पता लगाने के लिए भूजल अन्वेषण करता है। राजस्थान राज्य में राजस्थान सरकार के परामर्श से अन्वेषणात्मक कुओं के लिए स्थानों को अंतिम रूप दे दिया गया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए सफल अन्वेषणात्मक कुओं को राज्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सौंप दिया जाता है। अन्वेषण के दौरान प्राप्त किए गए वैज्ञानिक आंकड़ों का राज्य द्वारा भूजल के विकास की आयोजना करने में प्रयोग किया जाता है। नौवीं योजना के दौरान भूजल के पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के लिए भूजल विभाग, राजस्थान सरकार से परामर्श किया गया। अनुरोध प्राप्त होने पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं की डिजाइनिंग के लिए सीजीडब्ल्यूबी राज्य संगठनों के अधिकारियों को तकनीकी मार्गदर्शन और प्रशिक्षण भी मुहैया कराता है।

भूजल संसाधनों के संवर्धन के लिए सीजीडब्ल्यूबी ने आईजीएनपी के अधिशेष जल का उपयोग करते हुए थार रेगिस्तान के हिस्सों में भूजल के अधिक पुनर्भरण के वास्ते एक संकल्पनात्मक योजना तैयार की है। जल संसाधन मंत्रालय ने इस प्रयोजन के लिए "अधिशेष जल के माध्यम से राजस्थान के थार रेगिस्तान में भूजल पुनर्भरण संबंधी एक अनुसंधान और विकास स्कीम अनुमोदित की है तथा राज्य जल संसाधन आयोजना विभाग को 88 लाख रुपए आबंटित किए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य अध्ययन क्षेत्र में समग्र जल संतुलन स्थिति में सुधार करना है।" जल संसाधन संवर्धन योजना के लिए "थार रेगिस्तान के पूर्वी हिस्से में पुराचैनलों का पता लगाना और मानचित्रण" संबंधी एक अन्य अनुसंधान और विकास परियोजना को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है जिसके बी.एम. बिड़ला विज्ञान और प्रौद्योगिकी केन्द्र, जयपुर को 16 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। इस अध्ययन का उद्देश्य राजस्थान के झुंझुनू, सीकर, चुरू, पाली, जालौर और बाड़मेर जिलों में पुरा चैनलों की पहचान करना और सही-सही मानचित्रण करना तथा गुणवत्ता, मात्रा और पुनर्भरण क्षमताओं के दृष्टिकोण से पुरा जल निकास में भूजल के रुख का अध्ययन करना है।

[अनुवाद]

दुर्लभ वन्य प्रजातियों का संरक्षण

3746. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विद्यालय तथा महाविद्यालय अवैध रूप से दुर्लभ समुद्री तथा वन्य प्रजातियों की खरीद कर रहे हैं जिससे उनके विलुप्त होने का खतरा बढ़ गया है जैसा कि 22 सितम्बर, 2006 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो दुर्लभ प्रजातियों को बचाने हेतु वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

संकर धान की फसलें

3747. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संकर धान की फसलों की बुआई करने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु राज्यों को निदेश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) भारत सरकार वर्ष 2005-06 से "गुणवत्ताप्रद बीजों के उत्पादन व वितरण हेतु बुनियादी सुविधाओं का विकास तथा सुदृढ़ीकरण" नामक पुनःसंरचित स्कीम कार्यान्वित कर रही है। इस स्कीम के मुख्य घटकों में से संकर चावल बीज उत्पादन एक घटक है। इस घटक के अधीन, राज्य सरकारों सहित विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को 20/- रुपए प्रति कि.ग्रा. की दर पर राजसहायता और 25/- प्रति किग्रा. की दर पर वितरण राजसहायता दी जाती है। संकर चावल बीज उत्पादन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 15,000/- रुपए प्रति प्रशिक्षण की दर पर वित्तीय सहायता भी दी जाती है। इस घटक के अधीन, वर्ष 2005-06 के दौरान 241.45 लाख रुपए निर्मुक्त किए गए थे। वर्ष 2006-07 के दौरान अब तक 166.24 लाख रुपए निर्मुक्त कर दिए गए हैं।

उर्वरकों की उत्पादन लागत

3748. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईंधन के मूल्य में वृद्धि से उर्वरकों की उत्पादन लागत प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप उर्वरक उद्योग कितना प्रभावित हुआ था; और

(ग) देश में उर्वरकों की उत्पादन लागत कम करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) जी, हां। यूरिया के उत्पादन की लागत अन्य बातों के साथ-साथ फीडस्टाक और ईंधन की लागत पर निर्भर करती है। वर्तमान में, गैस आधारित इकाइयों के लिए फीडस्टाक की लागत कुल उत्पादन लागत का 60% बैठती है, जबकि नेफ्था और ईंधन तेल/लो सल्फर हैवी स्टाक (एफओ/एलएसएचएस) आधारित इकाइयों के लिए यह लगभग 75% है। नियंत्रणमुक्त फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों के संबंध में रियायत योजना के अंतर्गत शामिल पी एण्ड के उर्वरकों (एसएसपी को छोड़कर) की निर्देशात्मक सुपुर्दगी लागत टैरिफ आयोग (टीसी) की सिफारिशों के अनुसार निकाली जाती है। उर्वरकों की निर्देशात्मक सुपुर्दगी लागत को टैरिफ आयोग द्वारा संस्तुत फार्मुले के अनुसार आयातित कच्ची सामग्री/मध्यवर्तियों के संदर्भ में अद्यतन बनाया जाता है।

(ख) यूरिया इकाइयों के लिए नई मूल्य-निर्धारण योजना (एनपीएस) के अंतर्गत फीडस्टाक और ईंधन की लागत की यूरिया उत्पादन इकाइयों को प्रतिपूर्ति की जाती है बशर्ते कि पूर्व-निर्धारित मानदण्ड हों। इस प्रकार, फीडस्टाक और ईंधन की लागत में किसी भी वृद्धि को सरकार द्वारा उच्च राजसहायता जारी करके वहन किया जाता है तथा इससे उर्वरक उद्योग प्रभावित नहीं होता है।

(ग) चूंकि नेफ्था और एफओ/एलएसएचएस की तुलना में प्राकृतिक गैस/तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एनजी/एलएनजी) सस्ती और अधिक ऊर्जा दक्ष फीडस्टाक है, अतः सरकार ने गैर-गैस आधारित इकाइयों को एनजी/एलएनजी में परिवर्तित करने की एक नीति बनाई है। इसके अलावा, सरकार ने एक नीति बनाई है जिसमें यह प्रावधान है कि यूरिया की नई और विस्तार परियोजनाएं केवल एनजी/एलएनजी पर आधारित होंगी। सरकार ऊर्जा दक्ष यूरिया इकाइयों को पुरस्कृत करने संबंधी एक नीति का भी कार्यान्वयन कर रही है।

नियंत्रणमुक्त उर्वरकों के लिए सरकार उचित मूल्यों पर दीर्घावधि आधार पर कच्ची सामग्री/मध्यवर्तियों की आबाधित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त क्षेत्र में विदेशों में संयुक्त उद्यम लगाने की संभावनाओं की तलाश करने हेतु फास्फेटयुक्त उर्वरकों के उत्पादकों को प्रोत्साहित कर रही है।

बी.आर.एल. को सहायता

3749. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा भारत रिफैक्ट्रीज लिमिटेड (बीआरएल) को तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन के आधार पर रियायतें और वित्तीय सहायता प्रदान की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी रियायतों और सहायता के बावजूद बीआरएल तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन के आधार पर वर्ष 2002-03 में भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि. (बीरआरएल) को निम्नलिखित रियायतें और वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई है:

* उन कर्मचारियों से संबंधित सांविधिक देयताओं के परिसमापन के लिए गैर-योजना ऋण सहायता के रूप में 55.00 करोड़ रुपए, जिन्होंने या तो पहले ही स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति का विकल्प स्वीकार कर लिया है/सेवा निवृत्त हो गए हैं या उनके द्वारा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना स्वीकार कर लिए जाने की संभावना है।
* कंपनी की जनशक्ति को 2766 से घटाकर 1311 करने के लिए स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु गैर-योजना ऋण के रूप में 90.00 करोड़ रुपए।
* कंपनी की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति हेतु 30.00 करोड़ रुपए जुटाने के लिए सरकारी गारंटी (बगैर किसी गारंटी शुल्क के)।
* अप्रचलित मशीनरी को प्रतिस्थापित करने के लिए संवर्धन, संशोधन, प्रतिस्थापन योजना हेतु साम्या के रूप में 35.00 करोड़ रुपए (अगले 5 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष 7.00 करोड़ रुपए)।
* वर्ष 2000-01 की स्थिति के अनुसार 97.89 करोड़ रुपए के मौजूदा योजना तथा गैर-योजना ऋणों का साम्या में परिवर्तन।
* वर्ष 2010-2011 तक ऋणों तथा ब्याज की अदायगी पर ऋण-स्थगन।
* 24.00 करोड़ रुपए की नकद साख सीमा के संबंध में गारंटी शुल्क माफ करना।

(ग) स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना संबंधी लक्ष्य हासिल नहीं करने, भारत सरकार के ऋण पर उच्च ब्याज दर और बढ़ रही आदान लागत जैसे कारणों से बीआरएल ने तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट में निर्धारित लक्ष्य आंशिक रूप से हासिल किए हैं।

(घ) लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार और कंपनी द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं:

- उत्पादों के मूल्यवर्धन पर अधिक जोर।
- स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना का विकल्प चुनने के लिए कर्मचारियों को निरंतर अनुरोध करना व उन्हें सलाह देना।
- व्यय पर नियंत्रण।
- नए विपणन क्षेत्रों पर जोर।

[हिन्दी]

वन्यजीव संरक्षण

3750. प्रो. रासा सिंह रावतः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राजस्थान सरकार ने बाघों की घटती संख्या को रोकने और अवैध शिकार/पशुओं के अंगों की तस्करी को रोकने के लिए केन्द्र सरकार को कोई योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) वित्तीय सहायता के अनुरोध के साथ राज्य के एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जैव-विविधता संरक्षण, पर्यावास पुनरुद्धार, संरक्षण और रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान का साझा प्रबंधन, इसका बफर क्षेत्र और सुधार तथा सरिस्का बाघ रिजर्व का विकास शामिल है। इस संबंध में राज्य को निधि की उपलब्धता की शर्त पर केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए कार्रवाई की गई है।

[अनुवाद]

किराना दुकानों द्वारा दवाओं का भण्डारण और बिक्री

3751. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पड़ोस के किराना भंडारों को मेडिकल प्रैक्टिशनर के नुस्खे के बिना अत्यधिक हानिकारक नान-स्टेरायडल और एंटी-इनफ्लेमेटरी और गैस्ट्रोइनटेस्टिनल ड्रग्स का भंडारण करने और बेचने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और कारण क्या हैं;

(ग) किराने की दुकान वालों द्वारा किन-किन दवाओं का भंडारण करने और बेचने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) विशेषकर बच्चों के मामले में सभी दवाइयों की खुराक की मात्रा, बारंबारता और अवधि के सही नुस्खे का विशेष उल्लेख सुनिश्चित करने हेतु किराने की दुकान वालों पर नजर रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यप्रणाली अपनाई जाती है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (घ) औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) की उपसमिति की रिपोर्ट तथा उसके द्वारा ओवर द काउन्टर ड्रग्स (ओटीसी) के रूप में कतिपय घरेलू नुस्खों की अनुमति देने संबंधी विषय की जांच के आधार पर सरकार ने औषध और सौन्दर्य प्रसाधन नियमावली 1945 की अनुसूची में संशोधन के बारे में 4.8.2006 की राजपत्र अधिसूचना सा.का.नि. 417(अ) के अंतर्गत संशोधन नियम का प्रकाशन किया। अनुसूची में प्रस्तावित संशोधन, कतिपय घरेलू नुस्खों/आम प्रयोग की दवाओं, जिनके नाम उक्त राजपत्र अधिसूचना में उल्लिखित हैं, को राहत प्रदान करता है।

राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, ओटीसी औषधों और औषध और सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम के अध्याय 4 तथा उसके अंतर्गत नियमावली के प्रावधानों से छूट होगी, उनके द्वारा जिन्हें निम्नलिखित शर्तों पर बिक्री लाइसेंस के अंतर्गत लाना अपेक्षित होगा:

(क) कोई भी औषध इसके कन्टेनर, लेबल या रैपर पर अंकित सक्षमता की समाप्ति तिथि या ऐसे कन्टेनर, लेबल या रैपर पर अंकित किसी विवरण या निर्देश का उल्लंघन करते हुए बेचा या भंडारित नहीं किया जाएगा।

(ख) औषधों की खरीद विनिर्माताओं से या इन नियमावली के अंतर्गत लाइसेंसशुदा डीलर से की जाएगी और ऐसी खरीद के रिकार्ड रखे जाएंगे।

(ग) औषधों को अलग से भंडारित किया जाता है।

(घ) औषधों की बिक्री लाइसेंसशुदा विनिर्माताओं के बिना खोले मूल कन्टेनर में की जाती है, बशर्ते कि यदि दवाओं को स्ट्रिप में पैक किया जाता है, तो एकल स्ट्रिप बेची जा सकती है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मूल्यांकन

3752. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के मूल्यांकन हेतु कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परिणाम क्या हैं; और

(ग) इस पर राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन और ओ.आर.जी. मार्ग, नई दिल्ली ने क्रमशः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन अध्ययन और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अंत्योदय अन्न योजना का मूल्यांकन अध्ययन किया है।

योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा मार्च, 2005 में प्रस्तुत 18 प्रमुख राज्यों के अध्ययन पर आधारित रिपोर्ट में सूचित किया गया था कि खाद्यान्नों का लीकेज (गरीबी रेखा से नीचे के कोटे के उठान के प्रतिशत के रूप में) जाली राशन कार्डों के जरिए 16.67 प्रतिशत और उचित दर दुकानों के जरिए 19.71 प्रतिशत (अखिल भारत आधार पर) है।

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने उल्लेख किया है कि लीकेज के मुख्य कारण लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन में मौजूद लक्षित करने की त्रुटियां, जाली कार्डों की मौजूदगी, पहचान न किए गए परिवार और आपूर्ति श्रृंखला में से खाद्यान्नों की चोरी होना हैं।

ओ.आर.जी. सेन्टर फार सोशल रिसर्च, नई दिल्ली द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अंत्योदय अन्न योजना का एक मूल्यांकन अध्ययन किया गया था। अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार अखिल भारत स्तर पर गेहूं और चावल का विपथन क्रमशः 53.3 प्रतिशत और 39 प्रतिशत था। अंतिम रिपोर्ट सितम्बर, 2005 में प्राप्त हो गई है और इसे आवश्यक कार्रवाई हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दिया गया है।

विपथन के मुद्दे पर राज्य सरकारों के साथ हुए हाल के क्षेत्रीय सम्मेलनों में चर्चा हुई हैं। इस मुद्दे पर 29.3.2006 को राज्यों के खाद्य मंत्रियों/राज्यों के खाद्य सचिवों के सम्मेलन में भी चर्चा की गई थी। तथापि, राज्य सरकारों ने अध्ययन के निष्कर्षों पर इन सम्मेलनों में आशंकाएं व्यक्त की हैं। सम्मेलनों में भाग लेने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने तथा विपथन/लीकेज को रोकने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएं। चर्चा के आधार पर इस विभाग ने कार्य योजना तैयार की है और उस पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उसे सभी राज्य सरकारों को भेजा है। कार्य योजना में निम्नलिखित मुद्दे शामिल हैं-

1. राज्यों को जाली राशन कार्डों को समाप्त करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना की सूचियों की समीक्षा करने हेतु अभियान चलाना चाहिए।

2. खाद्यान्नों का लीकेज मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस संबंध में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश के खण्ड 8 और 9 के अधीन मांगी गयी सूचना भी भेजी जाए।

3. पारदर्शिता की खातिर यह सुनिश्चित किया जाए कि खाद्यान्नों के वितरण में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल हों। जहां तक संभव हो उचित दर दुकानों के लाइसेंस स्वयंसेवी समूहों, ग्राम पंचायतों, सहकारी समितियों आदि को दिए जाएं।

4. सभी उचित दर दुकानों पर गरीबी रेखा से नीचे/ अंत्योदय अन्न योजना की सूचियों को प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

5. खाद्यान्नों का जिला-वार और उचित दर दुकान-वार आवंटन वैबसाइट तथा अन्य प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए ताकि जनता इनकी समीक्षा कर सके।

6. जहां कहीं संभव हो राज्यों द्वारा प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों/थोक विक्रेताओं को सामान की ढुलाई करने की अनुमति देने की बजाय खाद्यान्नों की द्वार पर सुपुर्दगी सुनिश्चित करनी चाहिए।

7. उचित दर दुकान स्तर पर खाद्यान्नों की समय से उपलब्धता और राशन कार्डधारकों के लिए वितरण की निर्धारित तारिखें सुनिश्चित की जानी चाहिए।

8. उचित दर दुकान स्तर की सतर्कता समितियों के सदस्यों का प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

9. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों का कम्प्यूटरीकरण शुरू किया जाए।

इसके अलावा, सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को निधियों का इलैक्ट्रानिक अंतरण लागू करने के लिए भी पग उठाए हैं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रकों/ वाहनों के आगे के शीशे पर तथा पीछे की ओर बैनर्स/बोर्ड लगाने के लिए अनुदेश जारी किए हैं जिन पर राज्य सरकार का नाम, गंतव्य, जिन्स और एजेंट का नाम लिखा जाए।

पेट्रो रसायन संबंधी राष्ट्रीय नीति

3753. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा पेट्रो रसायन संबंधी राष्ट्रीय नीति तैयार की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) जी, हां।

(ख) इस पर सचिवों की समिति द्वारा विचार किया गया है और इसे मंत्रिमंडल को प्रस्तुत किया जा रहा है।

खरीद के लिए विनिर्देशों में छूट

3754. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आगामी फसल मौसम के दौरान गेहूं और धान के उत्पादन और खरीद के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश के कुछ हिस्सों में देर से हुई वर्षा को ध्यान में रखते हुए खाद्यान्नों में नमी की मात्रा के संबंध में खरीद विनिर्देशों में छूट देने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार फसल वर्ष 2006-07 के संबंध में उत्पादन का लक्ष्य चावल के लिए 928 लाख टन और गेहूं के लिए 755 लाख टन है।

मौजूदा नीति के अनुसार खाद्यान्नों की वसूली के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। तथापि, गेहूं और चावल के वसूली अनुमान संबंधित विपणन मौसमों के पूर्व राज्य खाद्य सचिवों द्वारा दिए गए अनुमानों के आधार पर तैयार किए जाते हैं। खरीफ विपणन मौसम 2006-07 हेतु 270 लाख टन चावल (चावल के रूप में धान सहित) की वसूली होने का अनुमान है। रबी विपणन मौसम 2007-08 हेतु गेहूं की वसूली के अनुमान फरवरी, 2007 में तैयार किए जाएंगे।

(ख) और (ग) जी, हां। राज्यों के अनुरोध के आधार पर रबी विपणन मौसम 2006-07 में मध्य प्रदेश के मामले में गेहूं की विनिर्दिष्टियों में ढील दी गयी थी जबकि खरीफ विपणन मौसम 2006-07 में 3 राज्यों हेतु धान के मामले में और एक राज्य के मामले में मक्के की विनिर्दिष्टियों में ढील दी गयी है। इसके ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

रबी विपणन मौसम 2006-07 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध पर गेहूं के मामले में निम्नलिखित ढील की अनुमति दी गयी है:-

(क) चमकहीन अनाजों में मूल्य कटौती के साथ 40 प्रतिशत तक छूट की अनुमति दी गयी है।

(ख) मूल्य कटौती के साथ 2 प्रतिशत की मौजूदा सीमा की तुलना में 3 प्रतिशत तक क्षतिग्रस्त अनाजों की अनुमति दी गयी है।

2. खरीफ विपणन मौसम 2006-07 के दौरान राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर निम्नलिखित छूटें प्रदान की गयी हैं-

तमिलनाडु:

किसानों की कठिनाई को कम करने और मजबूरन बिक्री से बचने के उद्देश्य से धान में नमी तत्व की अधिकतम सीमा के लिए 17 प्रतिशत की मौजूदा सीमा की तुलना में 20 प्रतिशत तक तथा क्षतिग्रस्त, बदरंग, अंकुरित और घुने हुए अनाजों के लिए पूर्ण मूल्य कटौती के साथ 3 प्रतिशत की मौजूदा सीमा की तुलना में 5 प्रतिशत तक की छूट देने का निर्णय लिया गया है, जिसमें और ढील देकर इसे पूर्ण मूल्य कटौती सहित पहले से ही अनुमत 20 प्रतिशत के स्थान पर 22 प्रतिशत तक कर दिया गया है।

उड़ीसा:

1. क्षतिग्रस्त, बदरंग, अंकुरित और घुने हुए अनाजों के मामले में अधिकतम सीमा के लिए पूर्ण मूल्य कटौती सहित एक-समान विनिर्दिष्टियों के तहत प्रदान की गयी 3 प्रतिशत की मौजूदा सीमा की तुलना में 5 प्रतिशत तक की अनुमति दी गयी है।
2. अपरिपक्व, सिकुड़े हुए और संकुचित अनाजों के मामले में अधिकतम सीमा के लिए पूर्ण मूल्य कटौती सहित एक-समान विनिर्दिष्टियों के तहत प्रदान की गयी 3 प्रतिशत की मौजूदा सीमा की तुलना में 5 प्रतिशत तक की अनुमति दी गयी है।

ढील दी गयी विनिर्दिष्टियों के तहत वसूल किए गए धान के मामले में आउट टर्न अनुपात में 2 प्रतिशत की कटौती की अनुमति दी गयी है। तदनुसार, ढील दी गयी विनिर्दिष्टियों के तहत वसूल किए गए धान से प्राप्त कस्टम मिल्ड चावल के मामले में रॉ चावल के लिए आउट टर्न अनुपात 67 प्रतिशत की मौजूदा सीमा की तुलना में घटकर 65 प्रतिशत और सेला चावल के लिए 68 प्रतिशत की मौजूदा सीमा की तुलना में घटकर 66 प्रतिशत हो गयी है।

आंध्र प्रदेश:

मजबूरन बिक्री से बचने के उद्देश्य से भारत सरकार ने खरीफ विपणन मौसम 2006-07 के लिए निम्नलिखित विनिर्दिष्टियों में निम्नानुसार छूट प्रदान की है:-

मक्का

1. क्षतिग्रस्त अनाजों के मामले में 1.5 प्रतिशत की मौजूदा सीमा में ढील देकर 2.5 प्रतिशत तक किया गया है।
2. संकुचित और अपरिपक्व अनाजों के मामले में 3.0 प्रतिशत की मौजूदा सीमा में ढील देकर इसे 4.5 प्रतिशत तक किया गया है।

धान

1. क्षतिग्रस्त, बदरंग, अंकुरित और घुने हुए अनाजों के मामले में अधिकतम सीमा हेतु पूर्ण मूल्य कटौती सहित एक-समान विनिर्दिष्टियों के तहत प्रदान की गयी 3 प्रतिशत की मौजूदा सीमा की तुलना में 13 प्रतिशत (क्षतिग्रस्त, बदरंग, अंकुरित अनाज क्रमशः 4 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 4 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे) तक की अनुमति दी गयी है।

2. अपरिपक्व, सिकुड़े हुए और संकुचित अनाजों के मामले में अधिकतम सीमा के लिए पूर्ण मूल्य कटौती सहित एक-समान विनिर्दिष्टियों के तहत प्रदान की गयी 3 प्रतिशत की मौजूदा सीमा की तुलना में 5 प्रतिशत तक की अनुमति दी गयी है।

चावल

क्र.सं.	अपवर्तन	रॉ चावल/साधारण/ग्रेड-ए		सेला चावल/साधारण/ग्रेड-ए	
		मौजूदा सीमा %	अनुमत छूट %	मौजूदा सीमा %	अनुमत छूट %
1.	टूटे हुए	25	28	16	17
2.	क्षतिग्रस्त/मामूली रूप से क्षतिग्रस्त अनाज	2	3	4	4.5
3.	बदरंग अनाज	3	5	5	8

ई.एस.आई. अस्पतालों का निर्माण

3755. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फरीदाबाद में ईएसआई अस्पताल के निर्माण पर हुए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में लाभभोगियों की संभावित संख्या के बारे में कोई आकलन किया है; और

(ग) यदि हां, तो 1999 से अस्पताल के भवन की तीन मंजिलों का उपयोग न करने के क्या कारण हैं तथा इसके लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) फरीदाबाद स्थित कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल का निर्माण 1993 में किया गया था और इस पर हुआ व्यय निम्नानुसार था:-

जमीन की लागत	:	10,52,643/- रुपये
निर्माण की लागत	:	7,80,60,461/- रुपये
कुल व्यय	:	7,91,13,104/- रुपये

(ख) जी, हां। दिनांक 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार फरीदाबाद में बीमित व्यक्तियों की संख्या 2.37 लाख थी और दिनांक 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार लाभभोगियों की संख्या 9.48 लाख थी।

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, फरीदाबाद 200 बिस्तरों वाला बनाया गया था। लेकिन वर्ष 1993 में इसकी शुरूआत 50 बिस्तरों के साथ हुई। लगभग 40% बिस्तरों का प्रयोग हो रहा है। चूंकि 50 बिस्तरों का ही उपयोग होता है अतः अस्पताल भवन के तीन तलों का उपयोग नहीं हो पाता है। इस भवन के कुछ भागों का उपयोग न होने का मुख्य कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर 200 बिस्तरों की क्षमता के साथ एक अन्य कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल का मौजूद होना है जो कि इस अस्पताल से केवल 8 किलोमीटर दूर है।

[हिन्दी]

यूनिट लागत आधारित न्यूनतम समर्थन मूल्य

3756. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को यूनिट लागत के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए कुछ प्रस्ताव राज्य सरकारों से प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त प्रस्तावों पर कोई विचार-विमर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर की गई कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) सरकार को इस बारे में अब तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

समाचार वाचक

3757. श्री रामस्वरूप कोली: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आकाशवाणी के नैमित्तिक समाचार वाचकों/अनुवादकों/संपादकों के लिए दैनिक मानदेय में हाल ही में बढ़ोत्तरी की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इसी प्रकार दूरदर्शन समाचार में कार्यरत नैमित्तिक हिन्दी समाचार संपादकों के दैनिक मानदेय में बढ़ोत्तरी करने का है क्योंकि दोनों प्रसार भारती के अंतर्गत आते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) जी, हां। आकाशवाणी के नैमित्तिक समाचार वाचकों/अनुवादकों और नैमित्तिक समाचार संपादकों के दैनिक मानदेय में दिनांक 1 अप्रैल, 2006 से बढ़ोत्तरी कर दी गई है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। राष्ट्रीय नेटवर्क ने प्रमुख समाचार बुलेटिनों (हिन्दी सहित) का संकलन करने के लिए दूरदर्शन न्यूज के नैमित्तिक समाचार संपादकों की शुल्क दर को हाल ही में 740 रु. से बढ़ाकर 858 रु. प्रतिदिन/प्रति पाली कर दिया गया है। विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों में कार्यशील दिल्ली और क्षेत्रीय समाचार इकाइयों के नैमित्तिक सहायक समाचार संपादकों की हिन्दी और उर्दू तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं सहित संपादकीय कार्य में सहायता के लिए, शुल्क दर को भी 635 रु. से बढ़ाकर 670 रु. प्रतिदिन/प्रति पाली कर दिया गया है।

[अनुवाद]

एफ.एम. रेडियो स्टेशन द्वारा प्रसारण

3758. श्री जे.एम. आरून रशीद: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एफ.एम. रेडियो स्टेशनों को उनके प्रसारण के भाग के रूप में खेलकूद, समाचार और समसामयिक घटनाओं संबंधी विषय-वस्तु का प्रसारण करने की अनुमति प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एसोसिएशन आफ रेडियो आपरेटर्स आफ इंडिया ने अक्तूबर 25, 2006 को प्रकाशित कुछ समाचार पत्रों में ये प्रेस वक्तव्य जारी की हैं कि सरकार ने उनकी मांगें मान ली हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) नीति के अनुसार निजी एफ.एम. प्रसारक, समाचार और समसामयिक विषय-वस्तु को छोड़कर, श्रव्य को मुख्य कैरियर पर और डाटा को उप कैरियर पर प्रसारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। सरकार का एफ.एम. रेडियो स्टेशनों को समाचार एवं समसामयिक विषय-वस्तु का प्रसारण करने की अनुमति देने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) यह मंत्रालय, एसोसिएशन आफ रेडियो आपरेटर्स आफ इंडिया द्वारा इस संबंध में जारी किए गए किसी भी प्रेस वक्तव्य से अवगत नहीं है। तथापि, सरकार की मौजूदा नीति, निजी एफ.एम. चैनलों द्वारा समाचार और समसामयिक विषय-वस्तु का प्रसारण करने की अनुमति नहीं देती है।

टेपों की चोरी

3759. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाल ही में आकाशवाणी संग्रहालय से विशेषकर जम्मू और कश्मीर राज्य के तत्कालीन मुख्य मंत्री शेख अब्दुल्ला के भाषणों वाले टेपों की बड़ी संख्या में चोरी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो संग्रहालय से गायब प्रत्येक टेप का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जिम्मेदारी तय की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा गायब टेपों का पता लगाने के लिए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) जी, हां। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व मुख्य मंत्री, स्वर्गीय श्री शेख अबदुल्लाह के रिकार्डिड भाषण का एक टेप केन्द्रीय अभिलेखागार, आकाशवाणी, नई दिल्ली, के स्टूडियो परिसर से दिनांक 18.11.2004 को गायब पाया गया था।

(ग) और (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 (मुख्य शास्ति संबंधी कार्यवाही) के नियम 14 के अंतर्गत दो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(ङ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि गायब हुए टेप का पता लगाने के लिए आकाशवाणी महानिदेशालय ने निदेशक, लिप्यांतर एवं कार्यक्रम विनिमय सेवा (डी टी पी ई एस) द्वारा अधिकारी-समूह का गठन किया गया था। समूह ने टेपों का वास्तविक सत्यापन किया था लेकिन उक्त टेप नहीं पाया गया। थाना अध्यक्ष, संसद मार्ग पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली के पास दिनांक 25.09.2006 को इस अनुरोध के साथ एक शिकायत भी दर्ज करायी गयी कि उक्त गायब टेप का पता लगाने के लिए एफ आई आर दर्ज करने और अनुवर्ती कार्रवाई करने की बाबत तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए।

भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए डी टी पी ई एस के केन्द्रीय अभिलेखागार, डिजिटल अभिलेखागार और पी ई यू पुस्तकालय में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। समय-समय पर अभिलेखागार पुस्तकालय और डिजिटल लाइब्रेरी के प्रयोग के संबंध में निर्देश जारी किए जाते हैं। जारी किए गए टेपों को संबंधित अधिकारी/अधिकारियों द्वारा उसी दिन वापिस किया जाना होता है।

राष्ट्रीय बीज अधिनियम, 2004

3760. श्रीमती जयाप्रदा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय बीज अधिनियम, 2004 को वापस लेने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) बीज विधेयक, 2004 को वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति, जिसको यह विधेयक भेजा गया था, ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। यह रिपोर्ट राज्य सभा और लोक सभा पटलों पर दिनांक 28 नवम्बर, 2006 को रखी गई थी।

घटिया उर्वरक

3761. श्री रघुनाथ झा:
श्री गुंडलूर निजामुद्दीन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसानों को नकली/निम्न स्तरीय/मिलावटी/घटिया उर्वरक मिल रहे हैं और यह उर्वरक मृदा और फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उर्वरक के कितने नमूने एकत्रित और विश्लेषित किए गए और उनमें से राज्य-वार कितने नमूने निम्न स्तरीय पाए गए;

(ग) निम्न स्तरीय/नकली/मिलावटी/घटिया उर्वरकों के विनिर्माण/विपणन के लिए दण्डित किए गए विनिर्माताओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) किसानों के लिए स्तरीय उर्वरकों की उपलब्धता समय पर सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) सरकार की जानकारी में मृदाओं और फसल को क्षति पहुंचा रहे नकल/अवमानक/मिलावटी/घटिया उर्वरक के संबंध में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है।

(ख) वर्ष 2003-04, 2005-06 के दौरान विश्लेषित और गैर-मानक पाए गए नमूनों की राज्यवार संख्या विवरण-1(क), 1(ख) तथा 1(ग) में निर्दिष्ट है।

(ग) गैर-मानक नमूनों पर राज्यवार अनुवर्ती कार्रवाई के ब्यौरे क्रमश: विवरण-2क, 2ख और 2ग में दिये गये हैं।

(घ) राज्य सरकारों के पास उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के प्रावधानों के तहत अधिकार प्राप्त हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसानों को बेचे जाने वाले उर्वरक एफसीओ, 1985 के तहत निर्धारित गुणवत्ता विनिर्देश के अनुरूप हैं। साथ ही किसी भी विनिर्माता/आयातक को एफसीओ के तहत यह अनुमति नहीं है कि वह गुणवत्ता विनिर्देशों का पालन न करने वाले उर्वरकों का विनिर्माण/आयात अथवा बिक्री करे।

विवरण I(क)

वर्ष 2003-04 के दौरान विश्लेषित और गैर-मानकीकृत पाए गए उर्वरक नमूनों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रयोग-शालाओं की संख्या	वार्षिक विश्लेषण क्षमता	नमूनों की संख्या विश्लेषित	गैर-मानकीकृत			उपयोग क्षमता (प्रतिशत में)	गैर-मानकीकृत नमूने प्रतिशत में
					पोषक तत्वों की कमी	वास्तविक पैरामीटर और अशुद्धताएं	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	असम	1	250	76	1	0	1	30.4	1.3
2.	मिजोरम	1	250	0	0	0	0	0.0	0.0
3.	झारखंड	1	1500	432	2	0	2	28.8	0.5
4.	बिहार	1	2000	861	43	13	56	43.1	6.5
5.	उड़ीसा	2	3500	2534	112	27	139	72.4	5.5
6.	पश्चिम बंगाल	3	4500	3180	249	92	341	70.7	10.7
	कुल पूर्व एवं एनईआर	9	12000	7083	407	132	539	59.0	7.6
7.	गुजरात	3	7750	8267	102	5	107	106.7	1.3
8.	मध्य प्रदेश	4	9150	5060	872	143	1015	55.3	20.1
9.	छत्तीसगढ़	1	2843	2007	92	0	92	70.6	4.6
10.	महाराष्ट्र	4	12000	12145	719	350	1069	101.2	8.8
11.	राजस्थान	3	6000	4671	106	10	166	77.9	2.5
	कुल पश्चिमी जोन	15	37743	32150	1891	508	2399	85.2	7.5
12.	हरियाणा	2	3305	3082	91	0	91	93.3	3.0
13.	हिमाचल प्रदेश	2	2000	1335	9	0	9	66.8	0.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	जम्मू-कश्मीर	2	1280	1268	2	1	3	99.1	0.2
15.	पंजाब	2	3500	3525	65	0	65	100.7	1.0
16.	उत्तर प्रदेश	3	10000	11098	1061	0	1061	111.0	9.6
17.	उत्तरांचल	2	800	398	12	0	12	49.5	3.0
	कुल उत्तरी जोन	13	20885	20704	1240	1	1241	99.1	6.0
18.	आंध्र प्रदेश	5	15000	9207	183	28	211	61.4	2.3
19.	कर्नाटक	4	8150	5872	177	170	347	72.0	5.9
20.	केरल	2	5000	4355	249	6	255	87.1	5.9
21.	पांडिचेरी	1	700	519	0	0	0	74.1	0.0
22.	तमिलनाडु	14	16800	17028	285	231	516	101.4	3.0
	कुल दक्षिणी जोन	26	45650	36981	894	435	1329	81.0	3.6
23.	भारत सरकार	4	8500	7729	191	86	277	90.9	3.6
	कुल अखिल भारत	67	124778	104647	4623	1162	5785	83.9	5.5

विवरण I(ख)

वर्ष 2004-05 के दौरान विश्लेषित और गैर-मानकीकृत पाए गए उर्वरक नमूनों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रयोग-शालाओं की संख्या	वार्षिक विश्लेषण क्षमता	नमूनों की संख्या विश्लेषित	गैर-मानकीकृत			उपयोग क्षमता (प्रतिशत में)	गैर-मानकीकृत नमूने प्रतिशत में
					पोषक तत्वों की कमी	वास्तविक पैरामीटर और अशुद्धताएं	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	असम	1	250	167	2	0	2	66.8	1.2
2.	मिजोरम	1	250	0	0	0	0	0.0	0.0
3.	झारखंड	1	1500	677	1	0	1	45.1	0.1
4.	बिहार	1	2000	881	34	0	34	44.1	3.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	उड़ीसा	2	3500	2429	184	13	197	69.4	8.1
6.	पश्चिम बंगाल	3	4500	3286	218	33	251	73.0	7.6
	कुल पूर्व एवं एनईआर	9	12000	7440	439	46	485	62.0	6.5
7.	गुजरात	3	7750	8206	95	1	96	105.9	1.2
8.	मध्य प्रदेश	4	9150	5388	844	153	997	58.9	18.5
9.	छत्तीसगढ़	1	4800	1933	124	0	124	40.3	6.4
10.	महाराष्ट्र	4	10000	9106	936	276	1212	91.1	13.3
11.	राजस्थान	3	6000	4096	153	32	185	68.3	4.5
	कुल पश्चिमी जोन	15	37700	28729	2152	462	2614	76.2	9.1
12.	हरियाणा	2	3300	2801	162	25	187	84.9	6.7
13.	हिमाचल प्रदेश	2	2000	1762	211	7	218	88.1	12.4
14.	जम्मू-कश्मीर	2	1280	822	7	10	17	64.2	2.1
15.	पंजाब	2	3500	3513	91	0	91	100.4	2.6
16.	उत्तर प्रदेश	3	10000	10847	1033	0	1033	108.5	9.5
17.	उत्तरांचल	2	800	437	15	0	15	54.6	3.4
	कुल उत्तरी जोन	13	20880	20182	1519	42	1561	96.7	7.7
18.	आंध्र प्रदेश	5	15000	13551	186	39	225	90.3	1.7
19.	कर्नाटक	4	8150	5756	187	101	288	70.6	5.0
20.	केरल	2	5000	4209	376	0	376	84.2	8.9
21.	पांडिचेरी	1	700	682	1	0	1	97.4	0.1
22.	तमिलनाडु	14	16800	17221	356	237	593	102.5	3.4
	कुल दक्षिणी जोन	26	45650	41419	1106	377	1483	90.7	3.6
23.	भारत सरकार	4	8500	11089	311	81	392	130.5	3.5
	कुल अखिल भारत	67	124730	108859	5527	1008	6535	87.3	6.0

विवरण I(ग)

वर्ष 2005-06 के दौरान विश्लेषित और गैर-मानकीकृत पाए गए उर्वरक नमूनों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रयोग-शालाओं की संख्या	वार्षिक विश्लेषण क्षमता	नमूनों की संख्या विश्लेषित	गैर-मानकीकृत			उपयोग क्षमता (प्रतिशत में)	गैर-मानकीकृत नमूने प्रतिशत में
					पोषक तत्वों की कमी	वास्तविक पैरामीटर और अशुद्धताएं	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	असम	1	500	28	3	0	3	5.6	10.7
2.	मिजोरम	1	250	5	0	0	0	2.0	0.0
3.	झारखंड	1	2015	515	6	0	6	25.6	1.2
4.	बिहार	1	2000	1432	17	0	17	71.6	1.2
5.	उड़ीसा	2	3500	2465	76	15	91	70.4	3.7
6.	पश्चिम बंगाल	3	4500	2599	191	4	195	57.8	7.5
	कुल पूर्व एवं एनईआर	9	12765	7044	293	19	312	55.2	4.4
7.	गुजरात	3	7500	8422	50	0	50	112.3	0.6
8.	मध्य प्रदेश	4	9150	5565	788	265	1053	60.8	18.9
9.	छत्तीसगढ़	1	2843	2570	264	0	264	90.4	10.3
10.	महाराष्ट्र	4	10000	8268	1237	323	1560	82.7	18.9
11.	राजस्थान	3	6000	4965	192	25	217	82.8	4.4
	कुल पश्चिमी जोन	15	35493	29790	2531	613	3144	83.9	10.6
12.	हरियाणा	2	3400	2525	75	45	120	74.3	4.8
13.	हिमाचल प्रदेश	2	2000	1443	58	1	59	72.2	4.1
14.	जम्मू-कश्मीर	2	1280	926	8	1	9	72.3	1.0
15.	पंजाब	2	3500	3515	49	0	49	100.1	1.4
16.	उत्तर प्रदेश	3	10000	10735	990	0	990	107.4	9.2
17.	उत्तरांचल	2	800	453	17	2	19	56.6	4.2
	कुल उत्तरी जोन	13	20980	19597	1197	49	1246	93.4	6.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	आंध्र प्रदेश	5	15000	13796	250	0	250	92.0	1.8
19.	कर्नाटक	4	6960	5390	205	40	245	77.4	4.5
20.	केरल	2	5290	4238	243	13	256	80.1	6.0
21.	पांडिचेरी	1	700	601	1	0	1	85.9	0.2
22.	तमिलनाडु	14	16800	17100	591	281	872	101.8	5.1
	कुल दक्षिणी जोन	26	44750	41125	1290	334	1624	91.9	3.9
23.	भारत सरकार	4	8500	14189	305	97	402	166.9	2.8
	कुल अखिल भारत	67	122488	111745	5616	1112	6728	91.2	6.0

विवरण II(क)

वर्ष 2004-05 के दौरान गैर-मानक नमूनों पर अनुवर्ती कार्रवाई का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	गैर-मानक नमूने	अधिक मूल्य प्रभारित करना	प्रशासनिक कार्रवाई			स्टाक को जब्त करना/बिक्री रोकना	खंड 23 के अधीन अनुपालन निपटान	शुरू किए गए अभियोजन	दोष-सिद्धि के मामले	न्यायालय में लम्बित	कार्रवाई हेतु लम्बित मामले	एजेंसियों के उल्लंघन से इतर अन्य मामलों की सं.
				निरस्त डीआरसी	निलंबित डीआरसी	अन्य कार्रवाई							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	बिहार	34	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
3.	झारखंड	1	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
4.	उड़ीसा	197	0	12	0	197	1	0	0	0	0	66	20
5.	पश्चिम बंगाल	251	0	1	0	151	0	0	0	0	0	0	0
6.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	96	0	2	0	55	17	0	15	0	307	42	0
8.	मध्य प्रदेश	997	0	85	270	616	0	0	47	0	4	0	0
9.	छत्तीसगढ़	124	0	0	2	128	0	0	0	0	0	34	0
10.	महाराष्ट्र	857	0	2	0	486	181.77 एमटी और 1635 एलटी	0	56	0	56	315	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	राजस्थान	185	0	0	0	338	0	0	21	0	0	38	0
12.	हरियाणा	187	0	4	0	155	0	0	28	0	0	0	0
13.	हिमाचल प्रदेश	218	0	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0
14.	जम्मू-कश्मीर	17	4	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10
15.	पंजाब	77	1	64	0	10	8	0	8	5	57	32	11
16.	उत्तर प्रदेश	1033	0	866	0	24	581 एमटी	6	85	0	0	576	107
17.	उत्तरांचल	15	0	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0
18.	आंध्र प्रदेश	225	0	2	0	0	1	0	0	0	0	147	0
19.	कर्नाटक	288	0	0	0	44	0	0	1	0	0	243	0
20.	केरल	376	0	9	0	37	6	0	0	0	0	324	0
21.	पांडिचेरी	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
22.	तमिलनाडु	593	0	0	82	121	0	0	0	0	0	390	47
	कुल	5772	5	1056	354	2369	33	6	247	5	424	2207	195

उ.न.-सूचना प्राप्त नहीं हुई।

विवरण II(ख)

वर्ष 2004-05 के दौरान गैर-मानक नमूनों पर अनुवर्ती कार्रवाई का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	गैर-मानक नमूने	अधिक मूल्य प्रभारित करना	प्रशासनिक कार्रवाई			स्टाक को जब्त करना/बिक्री रोकना	खंड 23 के अधीन अनुमत निपटान	शुरू किए गए अभियोजन	दोष-सिद्धि के मामले	न्यायालय में लम्बित	कार्रवाई हेतु लम्बित मामले	एफसीओ के उल्लंघन से इतर अन्य मामलों की सं.
				निरस्त डीआरसी	निलम्बित डीआरसी	अन्य कार्रवाई							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	असम	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	बिहार	56	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
3.	झारखंड	1	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
4.	उड़ीसा	139	0	9	0	138	0	0	0	0	0	0	13
5.	पश्चिम बंगाल	341	0	1	-	341	0	0	1	0	0	0	0
6.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.	गुजरात	107	1	4	0	92	14	0	20	0	293	28	4
8.	मध्य प्रदेश	1015	0	271	0	670	56	31	8	0	8	0	0
9.	छत्तीसगढ़	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	महाराष्ट्र	1069	0	2	0	635	2	0	0	0	0	125	0
11.	राजस्थान	116	0	0	0	116	2	0	3	0	3	0	0
12.	हरियाणा	91	0	3	0	2	0	0	6	0	2	2	0
13.	हिमाचल प्रदेश	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	जम्मू-कश्मीर	3	3	0	0	0	0	0	11	0	0	0	11
15.	पंजाब	65	0	23	0	0	0	0	0	0	0	65	0
16.	उत्तर प्रदेश	1061	0	750	0	0	12.7 एमटी	0	43	0	32	0	105
17.	उत्तरांचल	12	0	8	0	3	2	0	0	0	1	0	0
18.	आंध्र प्रदेश	211	0	4	0	96	2	0	22	0	0	85	2
19.	कर्नाटक	347	0	0	0	44	0	0	0	0	0	303	0
20.	केरल	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	तमिलनाडु	516	4	31	10	19	0	0	3	1	0	240	150
	कुल	5507	8	1106	10	2156	79	31	117	1	339	848	285

उ.न.-सूचना प्राप्त नहीं हुई।

विवरण II(ग)

वर्ष 2005-06 के दौरान गैर-मानक नमूनों पर अनुवर्ती कार्रवाई का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	गैर-मानक नमूने	अधिक मूल्य प्रभारित करना	प्रशासनिक कार्रवाई			स्टाक को जब्त करना/ बिक्री रोकना	खंड 23 के अधीन अनुकूल निपटान	शुरू किए गए अभियोजन	दोष-सिद्धि के मामले	न्यायालय में लम्बित	कार्रवाई हेतु लम्बित मामले	एफसीओ के उल्लंघन से इतर अन्य मामलों की सं.
				निरस्त डीएलसी	निलम्बित डीएलसी	अन्य कार्रवाई							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	असम	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	बिहार	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	झारखंड	6	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
4.	उड़ीसा	91	0	5	0	92	0	0	0	0	0	12	0
5.	पश्चिम बंगाल	195	0	0	0	195	0	0	0	0	0	0	0
6.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	50	0	17	0	39	5	0	12	0	319	42	1
8.	मध्य प्रदेश	1053	0	58	177	792	20	0	7	0	0	0	1
9.	छत्तीसगढ़	264	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
10.	महाराष्ट्र	1481	11	10	0	716	47	0	117	0	117	548	0
11.	राजस्थान	217	0	2	0	455	0	0	26	0	11	117	0
12.	हरियाणा	55	0	0	0	88	0	34	0	0	0	0	0
13.	हिमाचल प्रदेश	59	0	0	0	0	91	0	0	0	0	0	0
14.	जम्मू-कश्मीर	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
15.	पंजाब	20	1	10	0	6	12	0	2	2	76	5	5
16.	उत्तर प्रदेश	990	0	927	0	378	245.25	0	60	0	0	0	56
17.	उत्तरांचल	19	0	9	2	8	0	0	0	0	0	0	0
18.	आंध्र प्रदेश	250	20	9	0	0	759.63	0	18	0	16	261	55
19.	कर्नाटक	212	0	0	0	58	0	0	0	0	0	154	0
20.	केरल	256	0	0	0	256	0	0	0	0	0	0	0
21.	पांडिचेरी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	तमिलनाडु	872	0	0	252	104	0	0	0	0	14	463	206
	कुल	6095	32	1047	431	3187	177	34	243	2	554	1602	324

उ.न.-सूचना प्राप्त नहीं हुई।

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का परामर्शदात्री पैनल

3762. श्री जे.एम. आरून रशीद: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सी.बी.एफ.सी.) का परामर्शदात्री पैनल गठित किया है, जिसका मुख्यालय दिल्ली, चेन्नई, मुम्बई और हैदराबाद में स्थित है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परामर्शदात्री पैनल के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के परामर्शदात्री पैनल के सदस्यों के चयन का मानदण्ड क्या है और फिल्म संबंधी विषयों पर उनकी पृष्ठभूमि क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी, हां। दिल्ली, चेन्नई, मुम्बई और हैदराबाद स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सी.बी.एफ.सी.) के सलाहकार पैनलों का गठन कर दिया गया है।

(ख) दिल्ली, चेन्नई, मुम्बई और हैदराबाद के केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सी.बी.एफ.सी.) के सलाहकार पैनलों के सदस्यों के नाम विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सी.बी.एफ.सी. के सलाहकार पैनलों में जनता पर फिल्मों के प्रभार के बारे में पता लगाने के लिए केन्द्र सरकार की राय में योग्यता प्राप्त व्यक्ति शामिल हैं।

विवरण

क्र.सं.	नाम
1	2
मुम्बई सलाहकार पैनल	
1.	मनोज दूबे
2.	कैलाश मुरारका
3.	राकेश के. उपाध्याय
4.	रेणु जैन
5.	नितिन पी. मवानी
6.	किशोर शंकर भोइर
7.	नदीम नुसरथ
8.	धरमीजी एम बेदी
9.	देवयानी खानखोजे
10.	मिठाईवाला सराह हसनअली
11.	वियन कुमार सिन्हा
12.	सुषमा अग्रवाल
13.	जफर जंग
14.	मधु जैन
15.	इफ्तेखार खान
16.	अनिल शाह
17.	एस.वाई. खान
18.	रिजवान अजमद खान
19.	शंकर गंगाधर सोनावने
20.	लक्षराज एस. सनप
21.	इकबाल सिंह सारंग
22.	रानी कैलाश पोद्दार
23.	पुनीत बागरोडिया
24.	तिजय सिद्धू
25.	मोहन स्वरूप महेश्वरी
26.	डा. प्रतिभा डी. सिंह
27.	हिसामुल इस्लाम सिद्दिकी
28.	प्रशांत आर. देशपांडे
29.	साहिबराव एस. दांडगे
30.	ममता कनाडे
31.	प्रदीप के. पाटिल
32.	राजुभाई ब्रह्मभट्ट
33.	खालिद अहमद
34.	सूरज रमेश परमार
35.	वासुबेन भट्ट
36.	पूर्णिमाबेन खंढेरिया
37.	नीताबेन यशवंतभाई शाह
38.	कश्मीराबेन मुनीशी
39.	मायाबेन दवे
40.	असीफा खान
41.	विजयभाई सांघवी
42.	कीर्तिभाई गणतारा

1	2
43.	देवेन्द्र पटेल
44.	सुनील पटेल
45.	चेतन रावल
46.	निशांत एच. पटेल
47.	परेश धनानी
48.	नरेन्द्र रावत
49.	जीतूभाई भट्ट
50.	धर्मेश ए. पटेल
51.	हनीफ मेहरी
52.	शिव कुमार रामलाल रूपलाल
53.	मंगल सूरजकर
54.	एम.आई. पटेल
55.	मनोज बरोट
56.	देवेन्द्र मकवाना
57.	जवाहर भाई छाबड़ा
58.	हिमांशु जोशी
59.	संजय डडलिका
60.	अरुण दुग्गल
61.	कंचन काशीनाथ धानेकर
62.	सेवा राघवेन्द्र चौहान
63.	सुल्भा तेर्नीकर
64.	सुमित्रा भावे
65.	सुधीर गाडगिल
66.	जयंतकुमार त्रिभुवन
67.	कदम
68.	राधिका बोरगांवकर
69.	वनिता दीक्षित
70.	भावना कमल शर्मा
71.	विट्ठल उमप
72.	रामदास फुटाने
73.	श्रीधर गजानन मदगुल्कर
74.	रजिया पटेल
75.	डा. मानसी मगीकर
76.	अंजलि पठारे
77.	नीलिमा देशमुख
78.	कीर्ति जयरा शिलेडर
79.	रौफ अहमद
80.	मीनाक्षी शेडे
81.	सुशील दवे
82.	अशोक सिंह
83.	शालिनी चव्हाण
84.	आशा आर. परांजपे
85.	क्लारा लुईस
86.	सुजाता आनंदन
87.	रवि किरण देशमुख
88.	राघवेन्द्र द्विवेदी
89.	अफजल हुसैन सिद्दिकी
90.	लक्ष्मीकांत सतेलकर
91.	भारत नायर
92.	सुश्री अल्का पांडे
93.	श्री कपिल चंद्रकांत गोरपोडे
94.	सुश्री तुल्लुरी रामेश्वरी
95.	डा. मृणालिनी डी. पटेल
96.	सुश्री विद्या ए. देबू

1	2
97.	श्रीमती गौरी बापट
98.	प्रो. नंदिनी सरदेसाई
99.	अशोक सक्सेना
100.	नरेन्द्र रेड्डी
101.	प्रो. चंदन सिंह रोटेले
102.	नंदू साडू बनसोडे
103.	सु. योगिता ताई वी. नंडारकर
104.	शरद वी. अहेर
105.	सुनील अहीरे
106.	मीरसाहेब शियोब अली
107.	जगदम्बा प्रसाद तिवारी
108.	शैलेन्द्र सोढ़ी
109.	सुश्री लीली अल्मेडिया
110.	सुश्री नीना चीमा
111.	सुश्री रश्मि डी. ब्रेगेंजा
112.	श्रीमती लाईश्राम मेमा
चेन्नई सलाहकार पैनल	
1.	श्री कविंगर
2.	श्री राजम एम.पी. नाथन
3.	श्री सी. रथनासामी
4.	श्रीमती एस. कथीजा शीरीन
5.	सुश्री एस. ज्योतिमनी
6.	सुश्री ए. गिरीजा
7.	श्री रमा नारायणन
8.	श्री मुक्ता वी. श्रीनिवासन
9.	श्री ए.ए. जिन्नाह
10.	श्री त्यागराज
11.	श्रीमती एस. सरोजा
12.	श्री ई.वी. राजन
13.	श्री कायल दीनाकरण
14.	श्री एस. गणेशन
15.	श्री एस. कन्नापन्न
16.	श्री के.के. सेल्वम
17.	श्री ए. कामराज (नक्केरन)
18.	सुश्री जयश्री सुंदर
19.	श्री गना शेखरन
20.	प्रो. एम.पी. बालासुब्रमण्यन
21.	श्री एम. मेठा
22.	श्री पी.वी. कल्याण सुंदरम
23.	श्री अल्ताफ हुसैन
24.	प्रो. डा. इरोड तमिलनबन
25.	श्री एस. अब्दुल रहमान
26.	श्री एस. थियागु
27.	श्री के स्वर्णम
28.	श्री आर. श्रीनिवासन
29.	श्री पूची एस. मुरूगन
30.	श्रीमती वसंती स्टैनले
31.	डा. नल्ली कुप्पुस्वामी चेत्तियार
32.	श्रीमती गीता लक्ष्मी
33.	श्री पी.एन. राजेन्द्रन
34.	श्री वेंकटचलम थायनबन
35.	श्री एस. मुथुकृष्णन
36.	श्री बी. सेल्वन
37.	श्री आर.एल. कन्नन

1	2
38.	श्री एच.एम. मुस्तफा
39.	श्री अरूल अनबारसु
40.	श्री ए.एस.टी. जयरामन
41.	श्रीमती लक्ष्मी राजाराम
42.	श्रीमती रानी वेंकटेसन
43.	श्रीमीत एस. धीविजा कुमारी
44.	श्री सी. बालसुंदरम
45.	श्री ई. एकमबरम
46.	श्री टी. विजया रवि वर्मा
47.	श्री पी. चंद्रशेखरन
48.	श्री ए.जी. पूवराघवन
49.	श्री टी.एल. शिवलिंगम
50.	श्री के. सेल्वेराज पांडियन
51.	श्री वी.के. अरीविजगन
52.	श्री मन्नाई मथयालगन
53.	श्री सुब्बा सोमू
54.	श्री सी.आर. सुन्दर राजन
55.	श्री बी. सुदालाईयंदी
56.	श्रीमती जी. सरस्वती नालादियार
57.	श्रीमती मीना वेंकटरमन
58.	श्री मरियप्पा भास्कर
59.	श्री एस. मुनवार बाशा
60.	श्री एस.सी. जबरूल्लाह
61.	श्रीमती जयकला प्रभाकर
62.	श्रीमती सुशीला पद्मनाभन
63.	श्री के. स्वामीनाथन
64.	श्री के.पी. श्रीनिवास राजा

1	2
65.	श्री ए.जे. जाय
66.	श्री इंलागो
67.	श्री नेताजी गणेशन
68.	श्रीमती प्रेमा श्रीवास्तव
69.	श्री इब्राहमि रावथर
70.	श्री रवि भारती
71.	श्री बालाकृष्णन
72.	श्री ए. शक्तिवेल
73.	श्रीमती रानी कृष्णन
74.	श्रीमती बानू लारेन्स
75.	श्री मीना सेल्वेराज
76.	श्रीमती जयश्री
77.	श्रीमती सरस्वती नालादियार
78.	श्री जी.आर. वेंकटेश
79.	श्री कथीपारा जनार्धनन
80.	श्री एम.ए. मुथलगन
81.	श्री एस. रामादास
82.	श्री कक्कन कस्तूरी भाई
83.	श्री ई.के. अरूणाकुमार
84.	प्रो. डा. वी. नागराजन
85.	श्रीमती थिरूप्पुर सरोजा
86.	श्री बालासुब्रमण्यन
87.	श्री वी.एस. नायडू
88.	श्री ए.वी. श्रीनिवासन
89.	श्री एस.एम. पलनिप्पन
90.	श्री एस. सुरेश
91.	श्री एम. कुमारेसन

1	2
92.	श्री टी. विष्णु वर्धन रेड्डी
93.	श्री सी.एस.एस.एन. अरूण राजा
94.	श्री आर. उदयदेवन
95.	श्री के. पांडियन
96.	श्री ममिक टेगूर
97.	श्री मयूरा जयकुमार
दिल्ली सलाहकार पैनल	
1.	श्री अवध शर्मा
2.	सुश्री उमा राव
3.	श्री प्रेमचंद गगोदिया
4.	श्री राजीव जय
5.	श्री धर्मेन्द्र सोलंकी
6.	श्री एस.एस. सुल्तान
7.	श्री राजेश गुप्ता
8.	श्री मनोज मानौ
9.	सुश्री मोनिका बर्मन
10.	डा. देवानंद बलोधी
11.	सुश्री अरुणा मुकीम
12.	श्री आर.आर. गिल
13.	श्री राकेश कुमार सिंह
14.	श्री अयूब खान
15.	श्री जे.के. पलीत
16.	श्री मसरूर अहमद
17.	श्री रजनीश सहोता
18.	सुश्री कन्दुकुरू पदमजा
19.	श्री विजय वर्मा
20.	श्री पिंकू बिस्वास
21.	श्री जी. किशोर बाबू
22.	श्रीमती सरोज शर्मा
23.	श्री एच.आर. हाशमी
24.	श्री हरभजन सिंह
25.	श्रीमती शीला चमन
26.	श्रीमती इंदिरा स्वरूप
27.	श्री स्वामी दिव्यानंद
28.	श्रीमती गायत्री रे
29.	सुश्री रेणु मित्तल
30.	श्री प्रदीप जैलदार
31.	श्री सतविंदर सिंह संधु
32.	श्री नितिन शर्मा
33.	श्री विक्रम मल्होत्रा
34.	श्री मो. अमीन भट
35.	सुश्री परप्रीत बरार
36.	श्री अमरिंदर सिंह 'राजा'
37.	श्री रमींदर आवला
38.	सुश्री चयनिका उनियाल
39.	श्री मनीष धर्निया
40.	श्री नीरज ढांगी
41.	श्री प्रकाश जोशी
42.	श्री राजपाल खौरोला
43.	श्री योगेश दीक्षित
44.	श्री नदीम अशरफ जायसी
45.	सुश्री मधुमिता चक्रवर्ती
46.	श्री सुखपाल सिंह भुल्लर
47.	सुश्री अनीता कत्याल

1	2
48.	श्री प्रहलाद यादव
49.	डा. अमरजीत सिंह

हैदराबाद सलाहकार पैनल

1	2
1.	श्री पी.आर. सुभाष चंद्रन
2.	श्री एम.आर. कोंडल रेड्डी
3.	श्रीमती बदलामुडी अम्माजम्मा
4.	श्रीमती मधु निर्मला देवी
5.	श्रीमती कोटा सुनीला
6.	डा. हसीना
7.	श्री सी.वी. सुब्बा राव
8.	श्री बी. राजेश बाबू
9.	श्रीमती के. अरूणा व्यास
10.	श्री जी. भागीराधा
11.	डा. आर. वत्सला
12.	श्रीमती जी. विजया लक्ष्मी
13.	डा. तल्लुरी अंजनेयुल्ले
14.	श्रीमती बी. सुगुना
15.	श्री श्रीपद जित्तू मोहन मित्रा
16.	श्रीमती के. अनिता रेड्डी
17.	श्री राकेश जायसवाल
18.	श्रीमती रत्नासरी
19.	श्री एम. सूर्या नायक
20.	श्रीमती एस. राधा बालासुब्रमण्यम
21.	श्री ए.वी. रमना
22.	श्री जी. चंद्रशेखर
23.	श्री एम. रामा राव
24.	श्री मंदाडी उदय कुमार
25.	श्रीमती के. ज्योत्सना
26.	श्री आनंदा बाबू भृंगरापति
27.	श्री श्रीराम यादव
28.	श्री मा. युसुफुद्दीन (वाई.आर. बाबू)
29.	श्रीमती नरेल्ला सारदा
30.	श्रीमती श्रीवरा
31.	श्रीमती सौदामनी
32.	श्रीमती अनुराध के. राजू
33.	श्री जे.सी. पवन रेड्डी
34.	श्रीमती सरन्या लोकरेड्डी
35.	डा. याला सोनिया रेड्डी
36.	डा. वड्डेपल्ली कृष्णा
37.	श्रीमती टी विजया लक्ष्मी
38.	श्री एन. शिवा राम
39.	श्रीमती डी. विजया लक्ष्णी
40.	डा. वी. सीतादेवी
41.	श्री के.सी. शेखर रेड्डी
42.	श्री जी. रघुवीर सिंह ठाकुर
43.	डा. ए. सुधाकर यादव
44.	डा. ए. वेंकटरामा रेड्डी
45.	श्री पी. पुरुषोत्तम रेड्डी
46.	श्री एम. मनमोहन रेड्डी
47.	श्रीमती के. शालिनी रमेश कुमार
48.	श्री जोन्ना सत्यनारायण
49.	सुश्री गुडलुरू वेंकट अरुणा
50.	श्री पोगाकू विश्वेश्वर
51.	श्री वी. नारायण राव

1	2
52.	श्री मुप्पल्ला गोविन्द राव
53.	श्री कट्टा वेंकटेश्वर राव·
54.	श्री पक्कला सूरी बाबू
55.	श्री के. रामना वेंकट
56.	श्री बी. विष्णु वर्धन रेड्डी
57.	श्री पी. प्रजोश रेड्डी
58.	श्रीमती मनोरमा
59.	डा. (श्रीमती) सुशीला
60.	श्री पी. शरत कुमार
61.	श्रीमती श्रीमणी एम.
62.	श्री आई. तिरूमला राव
63.	श्रीमती शोभा रानी
64.	श्रीमती पोलावरम कल्याणी
65.	श्रीमती पी. अंजनी देवी
66.	श्री बुला प्रसाद सैमुअल
67.	श्री वाई. अमरेन्द्र रेड्डी
68.	श्री ए. राजेन्द्र
69.	श्री डोकाला मुरली
70.	श्री डिड्डी रामबाबू
71.	श्री एस. हरीनाथ रेड्डी
72.	श्री ए. विजय कुमार
73.	श्रीमती अपराजिता
74.	श्री साम्बासिवा राव अल्ला
75.	श्री जगदीश चंद्र प्रसाद
76.	श्री सीता राम राजू
77.	श्रीमती नमेलीकंती सुवर्णलता
78.	श्रीमती कौशल्या सुरम
79.	श्रीमती दीपिका रेड्डी
80.	श्रीमती ई. जयालक्ष्मी

1	2
81.	श्री एस. गोपाल रेड्डी
82.	श्रीमती अनंत लक्ष्मी
83.	सुश्री पोट्टा भारती
84.	श्री टी.एन. विश्वंबर
85.	श्रीमती बी. विजया रेड्डी
86.	श्री जे. नरसिंह राव
87.	श्री पोट्टुरी रंगा राव
88.	श्री एम. पांडुरंगा राव
89.	श्री सीताराम अव्वस
90.	श्री बी.वी.एस. सूर्या नारायण
91.	श्री कतनम वेंकट रतनालू
92.	श्रीमती सलिका अनंत लक्ष्मी
93.	श्री एस. वेणु गोपाल रेड्डी
94.	श्रीमती ई. जया लक्ष्मी
95.	श्री जल्ला प्रसाद यादव
96.	श्री जी. चंद्रशेखर रेड्डी
97.	श्रीमती मदपति सरलारानी
98.	श्री श्रीनिवास राजू
99.	श्री पी. सुनील कुमार गौड
100.	श्री गोपी नायडू
101.	श्री विनूकोंडा नागराजू
102.	श्रीमती पलूरी सेशुमंबा
103.	श्रीमती वी. चूड़ामनी
104.	श्री बी. नरसी रेड्डी
105.	श्री बी. पुरुषोत्तम रेड्डी
106.	श्री के. जगन्नाथ राव
107.	श्री उतला बुडैडयाह चौधरी
108.	श्री कर्मशेट्टी श्रीनिवास राव
109.	श्री सेख मस्तान वली
110.	श्री बूला फ्रैंकी राय

ऋणग्रस्त परिवारों की प्रतिशतता

3763. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ऋण ग्रस्त परिवारों का राज्य-वार प्रतिशत क्या है;

(ख) क्या पिछले वर्ष तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) विवरण संलग्न है।

(ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) दशवार्षिक तौर पर ऋण और निवेश सर्वेक्षण करता है तथा ऐसा अंतिम सर्वेक्षण एनएसएस 59वां चक्र (जनवरी-दिसंबर 2003) है जिसके परिणामों का संदर्भ भाग (क) में दिया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

देश में ऋणग्रस्त परिवारों का राज्यवार प्रतिशत

राज्य	ऋणग्रस्तता की घटना (%)	
	ग्रामीण	शहरी
1	2	3
आंध्र प्रदेश	42.3	29.8
असम	7.5	6.0
बिहार	21.8	9.5
छत्तीसगढ़	19.8	13.2
दिल्ली	–	1.5
गुजरात	28.1	21.4
हरियाणा	27.3	16.0
हिमाचल प्रदेश	15.3	10.1
जम्मू-कश्मीर	3.6	5.0
झारखंड	12.0	6.6
कर्नाटक	31.3	18.6
केरल	39.4	37.3
मध्य प्रदेश	26.1	17.7
महाराष्ट्र	27.5	15.5
उड़ीसा	26.4	19.2
पंजाब	25.7	13.1
राजस्थान	33.8	16.5
तमिलनाडु	31.3	25.5
उत्तरांचल	5.5	6.8
उत्तर प्रदेश	23.4	13.0
पश्चिम बंगाल	21.8	17.1
अखिल भारत	26.5	17.8

स्रोत: राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन रिपोर्ट संख्या 501

फिल्मों में भारत-ब्रिटेन सहयोग पर समझौता

3764. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ तथा ब्रिटेन के कामनवेल्थ बिजनेस काऊंसिल ने हाल ही में लन्दन में भारतीय मीडिया एण्ड एन्टरटेन्मेन्ट कांफ्रेंस का आयोजन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय मीडिया तथा मनोरंजन उद्योग के मुख्य क्षेत्रों से 30 से अधिक गणमान्य व्यक्तियों वाले उच्च प्रतिनिधिमण्डलों की संख्या कितनी है तथा इसमें क्या निर्णय लिये गये;

(ग) क्या फिल्मों में भारत-ब्रिटेन सहयोग के लिए किसी अन्तिम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी, हां। सम्मेलन दिनांक 16 अक्तूबर, 2006 को आयोजित किया गया था।

(ख) सम्मेलन मुख्यतया एक निजी क्षेत्र का मामला था। फिक्की के अनुसार सम्मेलन में भारतीय फिल्म उद्योग से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। भारतीय शिष्टमंडल में शामिल गणमान्य व्यक्तियों की सूची विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) सम्मेलन के दौरान फिल्मों में भारत-ब्रिटिश सहयोग के बारे में किसी अन्तिम करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	सिरनामा	नाम	कुलनाम	पदनाम	संगठन
1	2	3	4	5	6
1.	श्री	कुणाल	दासगुप्ता	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन इंडिया (प्रा.) लि.
2.	श्री	ए.पी.	परिगी	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया लि.
3.	सुश्री	अपूर्वा एस	पुरोहित	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	म्यूजिक ब्राडकास्ट प्रा.लि.
4.	श्री	अम्बर	बसु	सी एफ ओ	रेडियो सिटी
5.	श्री	वी.जे.	लजारस	अध्यक्ष	दी इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री
6.	डा.	जे.के.	जैन	अध्यक्ष	जैन टी वी ग्रुप
7.	श्री	दीपक	कपूर	हिस्सेदार	पी डब्ल्यू सी
8.	श्रीमती	सुजाता	देव	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	टाइम ब्राडबैंड सर्विसेज
9.	श्री	मुंजाल	श्राफ	निदेशक एवं सी ओ ओ	ग्राफिटी मल्टीमीडिया
10.	श्रीमती	बाला	देशपांडे	निदेशक, निवेश	आई सी आई सी आई वेन्चर फंड्स मैनेजमेंट कं. लि.
11.	श्री	सलील	भार्गव	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	पैराडाक्स
12.	सुश्री	विनीता	द्विवेदी	एफ एम प्रोजेक्ट लीडर, इंडिया	ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कार्पोरेशन
13.	सुश्री	स्मिता	झा	मुख्य सलाहकार, एंटरटेनमेंट एंड मीडिया प्रैक्टिस	प्राइसवाटर हाउस कूपर्स प्रा.लि.
14.	श्री	मिशेल	लोबेली	व्यवसाय विकास प्रमुख	बी बी सी वर्ल्ड सर्विस
15.	श्री	शुभो सेखर	भट्टाचार्य	अध्यक्ष, फिल्म्ड एंटरटेनमेंट	प्लैनमैन मोशन पिक्चर्स प्रा.लि.
16.	श्री	आशीस एस.	कुलकर्णी	संस्थापक एवं कार्यकारी निर्माता	ए.एन.आई. राईट्स इंफोमीडिया
17.	श्री	राहुल प्रसाद	बरूआ	महासचिव	साउथ एशिया फाउंडेशन
18.	सुश्री	मधुरिका	सोना जैन	निदेशक एवं मनोरंजन प्रमुख	जैन टी वी ग्रुप

1	2	3	4	5	6
19.	श्री	प्रदीप	छाबड़ा	मी निदेशक	401, बिल्डिंग नं. 3
20.	सुश्री	सिद्धार्थ	मुखर्जी	प्रमुख कारपोरेट कम्यूनिकेशंस	टी ए एम मीडिया रिसर्च प्रा.लि.
21.	श्री	मुकेश	जैन	संयुक्त निदेशक/ट्रांजेक्शन एडवाइजरी सर्विसेज	अर्नस्ट एंड यंग
22.	श्री	अमितलाल	योगी	मालिक	फाइव सीज सिनेमा
23.	श्री	महेश	रामानाथन	सी ओ ओ	परसेप्ट पिक्चर कंपनी
24.	सुश्री	अमिता	सरकार	निदेशक	फिक्की
25.	सुश्री	लीना	जयसानी	उप निदेशक	फिक्की
26.	श्री	अभिजीत	सक्सेना	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	जी टी बी
27.	श्री	कपिल	शर्मा	हिस्सेदार	विजन आन- दि एंटरटेनमेंट कंपनी
28.	श्री	बड़ेलाल	सिंह	हिस्सेदार	विजन आन- दि एंटरटेनमेंट कंपनी
29.	श्री	फेकूलाल	बलीराम रायदास	हिस्सेदार	कर एंटरटेनमेंट
30.	श्री	प्रदीप	हेजमदी	उपाध्यक्ष	टी ए एम मीडिया रिसर्च प्रा.लि.

मध्याह्न 12.00 बजे

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

(एक) दोहा में आयोजित 15वें एशियाई खेलों में भारत द्वारा 10 स्वर्ण, 18 रजत और 26 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में आठवां स्थान प्राप्त करने पर पदक विजेताओं को बधाई

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह बड़े गर्व की बात है कि दोहा में हाल ही में सम्पन्न हुए 15वें एशियाई खेलों में 10 स्वर्ण पदक, 18 रजत पदक और 26 कांस्य पदकों के साथ भारत पदक तालिका में आठवें स्थान पर रहा।

भारत की स्वर्ण यात्रा की शुरूआत महिलाओं की रैपिड फारमेट चैस स्पर्धा में सुश्री कोनेरू हम्पी की विजय से हुई। उन्होंने चैस मिक्स्ड टीम क्लासिकल स्विस स्पर्धा में पेंटल हरिकृष्ण और कृष्णनन शशिकरन के साथ एक और स्वर्ण पदक जीता।

पुरुषों की बिलियर्डस टाइटल क्लैश स्वर्धा में भारतीय खिलाड़ियों का बोलबाला रहा। फाइनल में पंकज आडवाणी ने अशोक शांडिल्य को हराया और इस प्रकार इन दोनों ने देश के लिए स्वर्ण और रजत पदक प्राप्त किए।

भारत ने कबड्डी प्रतिस्पर्धा के लिए फाइनल में पाकिस्तान को हराकर एक और स्वर्ण पदक जीता।

हमारे निशानेबाज जसपाल राणा जिन्होंने पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में तीन स्वर्ण पदक जीते, दोहा खेलों के दौरान "मोस्ट वेल्यूएबल प्लेयर अवार्ड" के लिए भी नामित किए गए। उनके साथ-साथ उनकी टीम के दो और सदस्यों विजय कुमार और समरेश जंग ने भी टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया।

महिलाओं की 4×400 मीटर की रिले टीम ने भी स्वर्ण पदक प्राप्त किया जब भारत की चार खिलाड़ियों, पिंकी प्रामाणिक, चित्रा के. सोमन, एस. गीता और मनजीत कौर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।

भारत ने टेनिस में भी दो स्वर्ण पदक प्राप्त किए। पहला पदक, लिएंडर पेस और महेश भूपति की टीम को पुरुषों की युगल

स्पर्धा में मिला और पदक लिएंडर पेस और सानिया मिर्जा की मिश्रित युगल टीम को मिला।

अपने खिलाड़ियों की उपलब्धियों पर देश को गर्व है।

मैं अपनी तथा सभा की ओर से इन सभी खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों पर बधाई देता हूं।

अपराह्न 12.01 बजे

(दो) सार्वभौमिक अल्पसंख्यक अधिकार दिवस

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आज विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है। भारत अल्पसंख्यकों के अधिकारों और उनके कल्याण का सदैव ही समर्थन करता रहा है। हम एक बार फिर अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अपनी बचनबद्धता को दोहराते हैं।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा नए विधेयक के पुरःस्थापन को निपटाने के बाद आप कृपया मद सं. 42, प्रशासनिक न्यायाधिकरण विधेयक लें तथा उसे निपटायें तथा उसके बाद तीन विश्वविद्यालयों से संबंधित विधेयकों मद संख्या 38, 39 एवं 40 को एक साथ ले तथा अपराह्न 2.00 बजे तक मद सं. 38, 39 एवं 40 पर अधिकाधिक प्रगति की जाए। उसके बाद विदेश मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा से संबंधित मद सं. 43 को लें तथा उसके निपटान के बाद तथा आज ही तीन विश्वविद्यालय विधेयकों से संबंधित मद सं. 38, 39 एवं 40 पर वाद-विवाद पूरा करें।

महोदय, आपके माध्यम से इस संबंध में आपकी सहमति से इस सभा के समर्थन के लिए मैं इसे सभा के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: क्या सभा इससे सहमत है?

अनेक माननीय सदस्य: जी, हां।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, ऐसा कर लिया जाएगा। अब सभा, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों को लेगी।

अपराह्न 12.04 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) (एक) बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-5576/2006]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(क) (एक) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-5577/2006]

(ख) (एक) वाटर एण्ड पावर कंसल्टेन्सी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) वाटर एण्ड पावर कंसल्टेन्सी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी-5578/2006]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, मैं प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 34 के अंतर्गत प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) निगम के लेखाओं का वार्षिक विवरण नियम, 2006 जो 1 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 731(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-5579/2006]

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि अपील अधिकरण (पीठासीन अधिकारी) भर्ती नियम, 2004 जो 3 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 297 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-5580/2006]

(2) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 95 की उपधारा (4) के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) (पहला संशोधन) नियम, 2006 जो 22 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 591(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-5581/2006]

(3) (एक) वी.वी. गिरि नेशनल लेबर इंस्टिट्यूट, नोएडा के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वी.वी. गिरि नेशनल लेबर इंस्टिट्यूट, नोएडा के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-5582/2006]

(5) (एक) नेशनल इंट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-5583/2006]

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): महोदय, मैं केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 14 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी-5584/2006]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी-5585/2006]

(2) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट आफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालाजी, चेन्नई के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट आफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालाजी, चेन्नई के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-5586/2006]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-5587/2006]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, रायगढ़ के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, रायगढ़ के वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-5588/2006]

(4) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी-5589/2006]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) सेंटर फार मैटेरियल्स फार इलेक्ट्रानिक्स टेक्नालाजी (सी-मेट), पुणे के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फार मैटेरियल्स फार इलेक्ट्रानिक्स टेक्नालाजी (सी-मेट), पुणे के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-5590/2006]

(2) (एक) इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूटर साफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूटर साफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-5591/2006]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-5592/2006]

(ख) (एक) महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन,

लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) की मद सख्या (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-5593/2006]

(3) (एक) नेशनल काउंसिल फार कोआपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फार कोआपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फार कोआपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-5594/2006]

(5)(एक) नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-5595/2006]

(7)(एक) नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इंडिया, नई दिल्ली का वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-5596/2006]

(8) (एक) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-5597/2006]

(10) (एक) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(चार) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं पर सरकार द्वारा कार्य की प्रगति की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(पांच) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2005-2006 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर टिप्पणी की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-5598/2006]

(11) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-5599/2006]

(12) (एक) इंडियन सोसायटी आफ एग्रीकल्चरल इकोनामिक्स, मुंबई के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन सोसायटी आफ एग्रीकल्चरल इकोनामिक्स, मुंबई के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-5600/2006]

(13) (एक) इंडियन सोसायटी आफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन सोसायटी आफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-5601/2006]

(14) (एक) आल इंडिया फेडरेशन आफ को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आल इंडिया फेडरेशन आफ को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-5602/2006]

(15) पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का.आ. 1797(अ) जो 19 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 अक्तूबर, 2006 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है जिसको पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 में उल्लिखित धाराएं प्रवृत्त होंगी।

(दो) का.आ. 1883(अ) जो 1 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 नवम्बर, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1589(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का.आ. 1884(अ) जो 1 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित फसलों को पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत किस्मों के पंजीकरण हेतु पात्र उनके जेनेरा के साथ अधिसूचित किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-5603/2006]

(16) पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 97 के अंतर्गत पादप किस्म और कृषक अधिकार विनियम, 2006 जो 7 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 740(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-5604/2006]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): महोदय, मैं श्री तस्लीमुद्दीन की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(1) (एक) कर्नाटक मीट एण्ड पॉलट्री मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक मीट एण्ड पॉलट्री मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-5605/2006]

(2) (एक) नेशनल को-आपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल को-आपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-5606/2006]

(3) (एक) नेशनल फेडरेशन आफ फिशरमेन्स कोआपरेटिव्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल फेडरेशन आफ फिशरमेन्स कोआपरेटिव्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-5607/2006]

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) सेंटर फार इन्वायरनमेंट एजुकेशन, अहमदाबाद के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फार इन्वायरनमेंट एजुकेशन, अहमदाबाद के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-5608/2006]

(2) (एक) सी.पी.आर. इन्वायरनमेंटल एजुकेशन सेंटर, चेन्नई के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सी.पी.आर. इन्वायरनमेंटल एजुकेशन सेंटर, चेन्नई के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-5609/2006]

(3) (एक) इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-5610/2006]

(4) (एक) इंडियन इन्स्टिट्यूट आफ फारेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इन्स्टिट्यूट आफ फारेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-5611/2006]

(5) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 12 और 13 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 2031(अ) जो 27 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं को मान्यता दी गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी-5612/2006]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, मैं अपने सहयोगी श्री जयप्रकाश नारायण यादव की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) केरल लैंड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केरल लैंड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, तिरूवनंतपुरम का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-5613/2006]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): अध्यक्ष महोदय, मैं डा. अखिलेश प्रसाद सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) भांडागारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 41 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय भांडागारण निगम (संशोधन) नियम, 2006 जो 16 नवम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 704(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-5614/2006]

(2) चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 2006 जो 15 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 558(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका शुद्धिपत्र जो 30 नवम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 729(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-5615/2006]

(3) फूड कार्पोरेशन आफ इंडिया के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखांकन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-5616/2006]

[अनुवाद]

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (विशाखापत्तनम स्टील प्लांट), विशाखापत्तनम के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (विशाखापत्तनम स्टील प्लांट), विशाखापत्तनम का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-5617/2006]

(ख) (एक) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-5618/2006]

अपराह्न 12.09$^{1}/_{2}$ बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:—

(एक) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 14 दिसंबर 2006 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 13 दिसंबर, 2006 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए डालमिया-दादरी सीमेंट लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) संशोधन विधेयक से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(दो) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक 2006 जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 12 दिसंबर, 2006 को हुई बैठक में पारित किया गया था। जिसे कि और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, लौटाने और यह कहने का निदेश हुआ है कि इस सभा को उक्त विधेयक के संबंध में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(तीन) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे विनियोग (संख्यांक 6) विधेयक को 2006 को जिसे लोक सभा द्वारा 12 दिसंबर, 2006 को हुई अपनी बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह कहने का निदेश हुआ है कि इस सभा को उक्त विधेयक के संबंध में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(चार) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 14 दिसंबर, 2006 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 13 दिसंबर, 2006 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए बालक अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2006 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

अपराह्न 12.09$^{1}/_{4}$ बजे

प्राक्कलन समिति

बारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर): महोदय, मैं वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामले विभाग—बीमा प्रभाग) से संबंधित 'समाज के कमजोर वर्गों के लिए बीमा योजनाएं' विषय पर प्राक्कलन समिति का 12वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.09$^{1}/_{2}$ बजे

लोक लेखा समिति

अड़तीसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मैं "आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष) की कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा" के बारे में लोक लेखा समिति (2006-2007) का 38वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.10 बजे

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति

दसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोल बाग): महोदय, मैं 'कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल आवास' विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2006-2007) का 10वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

अपराह्न 12.10$^{1}/_{4}$ बजे

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति

बारहवां और तेरहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): अध्यक्ष महोदय, मैं विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:—

(1) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों के बारे में 10वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 12वां प्रतिवेदन।

(2) विदेश मंत्रालय की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों के बारे में 11वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 13वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.10$^{1}/_{2}$ बजे

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

सैंतीसवें से उनतालीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार): महोदय, मैं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2006-2007) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:—

(1) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) से संबंधित 'ई-शासन परियोजनाओं का कार्यान्वयन' के बारे में 22वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 37वां प्रतिवेदन।

(2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'प्रसार भारती का कार्यकरण' के बारे में 25वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 38वां प्रतिवेदन।

(3) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2006-2007)' के बारे में 31वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 39वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.11 बजे

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्री एन. जनार्दन रेड्डी (विशाखापत्तनम): महोदय, मैं 'पेट्रोलियम उत्पादों में समानांतर विपणन' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (चौदहवीं लोक सभा) के दूसरे प्रतिवेदन के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही तथा अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तर दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.11$^{1}/_{4}$ बजे

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

(एक) बीसवें से बाईसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती प्रतिभा सिंह (मंडी): महोदय, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं:—

(1) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2006 के बारे में 20वां प्रतिवेदन।

(2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की "नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन" विषय पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी

स्थायी समिति के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/ टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 21वां प्रतिवेदन।

(3) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2006-07 के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/ टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 22वां प्रतिवेदन।

(दो) विवरण

श्रीमती प्रतिभा सिंह (मंडी): महोदय, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं:—

(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों, 2005-2006 के बारे में सातवें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2005-2006) (चौदहवीं लोक सभा) के 12वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(2) अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के "नेशनल माइनारिटिज डेवलपमेंड एण्ड फाइनेंस कारपोरेशन के कार्यकरण" (एनएमडीएफसी) विषय पर 9वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2005-2006) (चौदहवीं लोक सभा) के 18वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

अपराह्न 12.12 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में किए गए संशोधन

[अनुवाद]

***संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रियरंजन दासमुंशी):** महोदय, संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2006 दिनांक 15 सितम्बर, 2006 को अधिसूचित किया गया था। इस संशोधन अधिनियम के अनुसार, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 से संसद सदस्यों का वेतन और दैनिक भत्ता 16,000/- रुपये प्रतिमाह तथा 1,000/- रुपये प्रतिदिन संशोधित किया गया था। अधिनियम के अन्य उपबंध अर्थात् 13/- रुपये प्रति किलोमीटर का संशोधित सड़क मील भत्ता, 8000/- रुपये प्रतिमाह की संशोधित न्यूनतम पेंशन, 4000/- रुपये प्रतिमाह की संशोधित न्यूनतम परिवार पेंशन इत्यादि दिनांक 15 सितम्बर, 2006 से लागू किए गए थे।

जैसाकि दिनांक 23 अगस्त, 2006 को इस सदन में इस विधेयक पर चर्चा के दौरान मैंने उल्लेख किया था, निर्वाचन क्षेत्र भत्ते में 20,000/- रुपये प्रतिमाह, कार्यालय व्यय भत्ते में 20,000/- रुपये प्रतिमाह तक बढ़ोत्तरी, स्थायी और अस्थायी फर्नीचर की उच्चतम सीमा में क्रमशः 60,000/- रुपये तथा 15,000/- रुपये तक संशोधन इत्यादि करने का भी प्रस्ताव था। ये परिवर्तन इस अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न नियमों में संशोधनों के माध्यम से लागू किए जाने थे। इनमें से कुछ संशोधन जैसेकि स्थायी और अस्थायी फर्नीचर की उच्चतम सीमा में संशोधन तथा किसी सदस्य की मृत्यु के पश्चात सरकारी आवास को रखने की अवधि में बढ़ोत्तरी पूर्वव्यापी तारीखों से लागू किए जाने थे।

सामान्यतः इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत बनाए गए नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू किए जाते हैं। इसलिए इनमें से कुछ सुविधाओं को पूर्वव्यापी प्रभाव से देने के प्रश्न की विधि और न्याय मंत्रालय के परामर्श से जांच की गई थी। विधि मंत्रालय ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि नियम बनाने के लिए संयुक्त समिति के अधिकार से संबंधित, संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 की धारा 9 में अधिनियम के अंतर्गत बनाए जाने वाले नियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव देने के लिए कोई उपबंध नहीं है और इसलिए यदि इन नियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जाता है तो ये 1954 के अधिनियम के अधिकारातीत होंगे।

उपरोक्त को देखते हुए, नियमों को उत्तरव्यापी प्रभाव से अधिसूचित करने और उचित प्रक्रियाओं का पालन करने के पश्चात् नियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव देने हेतु उपबंध करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 9 में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार करने का निर्णय लिया गया था।

संशोधित निर्वाचन क्षेत्र भत्ते, कार्यालय व्यय भत्ते इत्यादि से संबंधित नियमों में संशोधनों को लोक सभा सचिवालय द्वारा उत्तरव्यापी प्रभाव से अब अधिसूचित करा दिया गया है और ये

---

*ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एलटी-5619/2006

दिनांक 12 दिसम्बर, 2006 से माननीय संसद सदस्यों को उपलब्ध होंगे।

अपराह्न 12.12½ बजे

(दो) कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[हिन्दी]

***रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान):** अध्यक्ष महोदय, मैं यह वक्तव्य, दिनांक 1 सितंबर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन-भाग-2 के अनुसार माननीय लोक सभा अध्यक्ष के निदेश 73-ए के अनुसरण में कोयला एवं इस्पात से संबंधित स्थायी समिति की 13वीं रिपोर्ट (चौदहवीं लोक सभा) में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में दे रहा हूं।

13वीं रिपोर्ट 10वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर आधारित है। 10वीं रिपोर्ट के संबंध में की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट समिति को दिनांक 25.08.2005 को भेजी गई थी। 10वीं रिपोर्ट पर सरकार की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कोयला एवं इस्पात से संबंधित स्थायी समिति ने 13वीं रिपोर्ट लोक सभा तथा राज्य सभा में दिनांक 22 दिसंबर, 2005 को प्रस्तुत की। 10वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में मैंने पिछले शीतकालीन सत्र, 2005 के दौरान संसद के दोनों सदनों में वक्तव्य दिया था।

समिति की 13वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई का विवरण कोयला एवं इस्पात से संबंधित स्थायी समिति को दिनांक 25 सितंबर, 2006 को भेजा गया था।

समिति द्वारा अपनी 13वीं रिपोर्ट में की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति लोक सभा के पटल पर रखे गए मेरे वक्तव्य के अनुलग्नक में दर्शाई गई है। इस अनुलग्नक की सम्पूर्ण विषय वस्तु का वाचन करके मैं सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं अनुरोध करता हूं कि इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

*(ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए संख्या** एलटी-5620/2006)

अपराह्न 12.12½ बजे

(तीन) जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-2007) के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 5वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

***जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़):** महोदय, मैं दिनांक 01 सितम्बर, 2004 को लोक सभा बुलटिन-भाग-2 के द्वारा जारी माननीय स्पीकर, लोक सभा के निर्देश 73ए के अनुसरण में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति की पांचवीं रिपोर्ट में सम्मिलित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति सभा पटल पर रखता हूं।

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (चौदहवीं लोक सभा) की पांचवीं रिपोर्ट 18 मई, 2006 को लोक सभा में प्रस्तुत की गई थी। यह रिपोर्ट वर्ष 2006-07 के लिए जल संसाधन मंत्रालय की अनुदान मागों की जांच से संबंधित थी।

स्थायी समिति की उक्त रिपोर्ट में सम्मिलित सिफारिशों/टिप्पणियों पर कार्रवाई टिप्पण 18 सितम्बर 2006 को समिति को भेजा गया था।

इस रिपोर्ट में समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों सहित 26 सिफारिश पैरा थे जिनमें सरकार की ओर से कार्रवाई अपेक्षित थी। ये सिफारिशें/टिप्पणियां मुख्यतया मंत्रालय को आबंटित निधि के समुचित उपयोग, जल संसाधन के लिए एक एकल प्रशासनिक मंत्रालय की आवश्यकता, वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए मानीटरी तंत्र का सुदृढ़ीकरण, कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, जल विज्ञान परियोजना-2 और विभिन्न बाढ़ नियंत्रण स्कीमों, अनुसंधान और विकास कार्यक्रम के अंतर्गत युक्ति संगत आबंटन करना एवं उनका प्रभावी उपयोग, फरक्का बैराज परियोजना के स्पिलवे/नदी स्लूइस गेटों की मरम्मत, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों को जारी की गई निधि के डाइवर्सन/दुरूपयोग को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता आदि जैसे मुद्दों से संबंधित थीं।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुलग्नक में दी गई है जिसे

*सभा पटल पर भी रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। **देखिए संख्या** एलटी-5621/2006

सभापटल पर रख दिया गया है। मैं इस अनुलग्नक की सभी विषयवस्तु को पढ़कर सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं यह अनुरोध करूंगा कि इसे पढ़ा हुआ समझा जाए।

(चार) वित्त संबंधी स्थायी समिति के बत्तीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

***कंपनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता)**: महोदय, मैं माननीय लोक सभा के निर्देश 73क के अनुसरण में वित्त संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) के 32वें प्रतिवेदन में उल्लिखित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

कुल मिलाकर, उक्त प्रतिवेदन में समिति द्वारा सात सिफारिशें की गई जहां सरकार की ओर से कार्रवाई की जानी थी। समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति इस विवरण के इस सदन के सभा पटल पर रखे गए अनुलग्नक में दर्शाई गई है। मैं अनुलग्नक के सभी भागों को पढ़ने में सदन का कीमती समय नहीं लूंगा। मैं अनुरोध करूंगा कि इसे पढ़ा गया समझा जाए।

अपराह्न 12.13½ बजे

(पांच) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-2007) के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

****आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा)**: महोदय, मैं आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की अनुदान मांगों (2006-07) पर शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति से संबंधित विवरण सभा पटल पर रखती हूं।

मैं यह विवरण लोक सभा अध्यक्ष के निर्देश 73क के अनुसरण में है, जो निम्नवत् है:—

> ''संबंधित मंत्री, अपने मंत्रालय के संबंध में विभाग से संबंधित लोक सभा की स्थायी समिति की रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में छह माह में एक बार सदन में विवरण देंगे।''

सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं यह सूचित करना चाहूंगी कि आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की अनुदान मांगों संबंधी 14वीं लोक सभा की स्थायी समिति की 15वीं रिपोर्ट लोक सभा में 22 मई, 2006 को रखी गई थी।

अध्यक्ष महोदय, समिति की सभी 18 सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं। सरकार द्वारा स्वीकार की गई स्थाई समिति की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की स्थिति संलग्न विवरण में प्रत्येक सिफारिश के आगे दर्शाई गई है। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगी कि मंत्रालय द्वारा जहां कहीं आवश्यक होगा, आगे की अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।

अपराह्न 12.14 बजे

(छह) (1) रसायन और पेट्रो-रसायन से संबंधित रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

***रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक)**: महोदय, मैं लोक सभा अध्यक्ष के निर्देश 73क के अनुसरण में रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग) के 2006-07 अनुदान मांगों संबंधी स्थायी समिति की ग्यारहवीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति संबंधी विवरण सभा पटल पर रखता हूं। क्योंकि यह विवरण बहुत ही लम्बा है।

---

*(ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी-5622/2006)

सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। **देखिए संख्या एलटी-5623/2006

*सभा पटल पर रखा गया था और ग्रंथालय में भी रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी-5624/2006

[श्री विजय हान्डिक]

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति ने वर्ष 2006-07 के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग) की अनुदानों की मांगों की जांच की और लोक सभा में 19 मई, 2006 को अपनी ग्यारहवीं रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में 21 सिफारिशें शामिल थीं। सिफारिशों का सारांश निम्नलिखित है:—

(1) अनुदान मांग (2005-06) की पांचवीं रिपोर्ट में निहित आंशिक रूप से कार्यान्वित/कार्यान्वित नहीं की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करना।

(2) योजनागत परियोजनाओं के लिए, यदि कोई हो, अनुपूरक स्तर पर निधि की आवश्यकता।

(3) पीएसयूज के योजना निष्पादन में कमियों को दूर करने के उपाय।

(4) नई योजना के प्रावधानों को सचिवालय आर्थिक सेवा शीर्ष के अंतर्गत समयबद्ध रूप से कार्यान्वित करना।

(5) सिपेट के तीन नए केन्द्रों की स्थापना।

(6) भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना के पीड़ितों को यथानुपात मुआवजा।

(7) भोपाल में यूनियन कारबाइड प्लांट स्थल से विषैले ले अपशिष्टों को हटाना।

(8) असम गैस क्रैकर परियोजना से जल्दी स्थापित करना।

(9) आईपीएफटी के लिए निधियों का पूरा उपयोग।

(10) नाइपर को समयबद्ध रूप से निधियों के समुचित उपयोग के लिए अपने कार्यक्रमों/परियोजनाओं को पूरा करना।

(11) पीईपीएस के गैर योजना बजट में भारी वृद्धि।

(12) गरीबों और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना।

(13) विभाग की नई योजनाओं को तेजी से अंतिम रूप देना।

(14) अधिप्रभारित राशि की वसूली के संबंध में कंपनियों की देयताओं की तेजी से संगणना करना।

(15) वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निधियों का उपयोग करना और विरल मामलों में गैर असमाप्य पूल में स्थानांतरित करना।

(16) राजकोष के राजस्व की हानि को रोकने के लिए परियोजनाओं का समुचित विश्लेषण/मूल्यांकन करना।

(17) एसओसीएल/एचएएल की पुनर्वास योजनाओं का कार्यान्वयन।

(18) एचआईएल की पुनर्वास योजनाओं का कार्यान्वयन।

(19) आईडीपीएल/एचआईएल का समयबद्ध रूप से पुनरुद्धार।

(20) बीसीपीएल का पुनरुद्धार।

(21) रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के अंतर्गत सभी पीएसयूज का पुनरुद्धार।

रसायन और पेट्रोरसायन विभाग की अनुदान मांगें (2005-06) की पांचवीं रिपोर्ट में स्थायी समिति में निहित आंशिक रूप से कार्यान्वित/गैर-कार्यान्वित सिफारिशों की पुन: जांच की गई। विभाग रुग्ण पीएसयूज के पुनरुद्धार के लिए सभी प्रयास कर रहा है। 2006-07 के लिए अनुपूरक अनुदान मांग के प्रथम खेप में वित्त मंत्रालय द्वारा 423.69 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं। हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि. (एचएएल) के पुनरुद्धार की प्रक्रिया जारी है और मंत्रिमंडल की सिफारिश के आधार पर कंपनी के पक्ष में प्रथम अनुपूरक अनुदान मांग (2006-07) के माध्यम से 123.69 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। एचओसीएल के पुनर्वास के लिए कंपनी के विमोच्य गैर-संचित अधिमानी शेयर के लिए 250.00 करोड़ रुपए जारी किए गए। सीसीईए ने 27.7.2006 को आयोजित अपनी बैठक में हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लि. के पुनरुद्धार प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया पीएसयू द्वारा पुनरुद्धार प्रस्ताव को कार्यान्वित किया जा रहा है। आईडीपीएल द्वारा जल्दी ही सरकार के विचारार्थ पुनर्जीवन योजना प्रस्तुत करने की संभावना है। प्राप्त होने के बाद, वरीयता आधार पर इसकी जांच की जाएगी। तथापि, मुजफ्फरपुर व हैदराबाद में आईडीपीएल की इकाइयों को अनुसूची एम के अनुरूप बनाने एवं सुविधाओं में उन्नयन के लिए 6 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। विभाग ने बंगाल इम्यूनिटी लि. (बीआईएल) के पुनरुद्धार की संभाव्यता देखने के लिए एक समिति का गठन किया है। अब समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और यह विभाग के पास विचाराधीन है।

बीआरपीएसई द्वारा बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. (बीसीपीएल) पुनरुद्धार के लिए पुनर्वास योजना को अनुमोदित किया गया। योजना को सीसीईए के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार सभी प्रयास कर रही है कि मार्च 2009 तक पानीपत, जयपुर और औरंगाबाद में सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाजी (सीपेट) के नए केन्द्र पूरी तरह स्थापित हो जाएं। इस उद्देश्य के लिए 31.10.2006 तक 16.50 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। असम गैस क्रैकर परियोजना

को सीसीईए द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। परियोजना की लागत 44606.61 करोड़ रु. (स्थायी लागत) है। भारत सरकार द्वारा 15 वर्ष की अवधि में परियोजना के लिए स्थायी लागत आधार पर 2138 करोड़ रु. की पूंजीगत सब्सिडी एवं 908.91 करोड़ रु. का फीडस्टाक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने परियोजना के जल्दी कार्यान्वयन के लिए एक मानीटरिंग समिति का गठन किया है। मानीटरिंग समिति ने असम गैस क्रैकर परियोजना के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा के लिए कई बैठकें ली हैं। आईपीएफटी द्वारा विभिन्न पदों को भरने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई है और पूरी भर्ती प्रक्रिया 31 दिसम्बर 2006 तक पूरी हो जाने की संभावना है। भोपाल गैस पीड़ितों को अनुपात मुआवजा संवितरित करने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। 10.11.2006 को 5,58,072 दावेदारों के बीच 1494.65 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की जा चुकी है। भोपाल में यूसीआईएल प्लांट के इर्द-गिर्द पड़े विषैले अपशिष्टों को हटाने/निपटाने के कार्य की निगरानी के लिए सचिव (सी एंड पीसी) की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। फार्मा सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (सीपीएसईएस) एवं उनकी सब्सिडरियों के उत्पादों के लिए क्रय प्राथमिकता नीति (पीपीपी) के संबंध में इस विभाग के नोट को मंत्रिमंडल ने अनुमोदित कर दिया है।

इस निर्णय से सरकारी संस्थानों को विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को गुणवत्ता पूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। इससे जननिधि से बने पीएसयूज के संपत्तियों के सर्वोत्तम उपयोग में भी सहायता मिलेगी। विभाग द्वारा राष्ट्रीय औषध नीति 2006, जिसमें गरीबों को मुफ्त/सस्ती दवाइयों के प्रावधानों का प्रस्ताव शामिल है, के मंत्रिमंडल नोट प्रारूप विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के बीच परिचालित किया गया। इस पर टिप्पणियां प्राप्त हो चुकी हैं और इन पर राष्ट्रीय औषध नीति, 2006 को अंतिम रूप देते समय विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

(2) उर्वरक विभाग से संबंधित रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

***रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक)**: महोदय, मैं लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के अनुसरण में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के बारहवें प्रतिवेदन 2006-07 में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में अपने वक्तव्य को सभा पटल पर रखता हूं क्योंकि यह बहुत लम्बा वक्तव्य है।

उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन है। देश में कृषि उत्पादन को अधिकतम करने के लिए उर्वरकों की पर्याप्त और समयोचित उपलब्धता सुनिश्चित करना इस विभाग का प्रमुख उद्देश्य है और इस प्रयोजन के लिए विभाग उर्वरक क्षेत्र के उद्योगों को प्रोत्साहन एवं सहयोग देता है तथा उर्वरक आयात व वितरण की व्यवस्था करता है।

उर्वरक उद्योग के लिए योजना बनाना, इसका संवर्धन एवं विकास करना, उर्वरक उत्पादन का कार्यक्रम बनाना एवं निगरानी करना, उर्वरकों का मूल्य-निर्धारण, आयात एवं आपूर्ति करना और स्वदेशी व आयातित उर्वरकों के लिए राजसहायता/रियायत देकर वित्तीय संसाधनों का प्रबन्धन करना उर्वरक विभाग के प्रमुख कार्य हैं। उर्वरक विभाग किसानों को निर्देशात्मक अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रियायत योजना के अंतर्गत नियंत्रणमुक्त उर्वरकों के उत्पादकों/आयातकों को रियायत का भुगतान भी करता है।

इसके अतिरिक्त, उर्वरक विभाग के कार्यों में उर्वरक क्षेत्र के निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सहकारी समिति का प्रशासनिक नियंत्रण भी सम्मिलित है:-

(1) एफसीआई (बन्द होने को है)

(2) फैक्ट

(3) एम एफ एल

(4) एनएफएल

(5) आर सी एफ

(6) बी वी एफ सी एल

(7) एच एफ सी (बन्द होने को है)

(8) पी डी आई एल

(9) पी पी सी एल (बन्द होने को है)

(10) एफ सी आई, अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लि.

(11) कृभको

कार्यकारी निदेशक का कार्यालय उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफआईसीसी) भी उर्वरक विभाग के अधीन कार्य करता है।

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एलटी-5625/2006

[श्री बी.के. हान्डिक]

उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि करने के लिए नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों की प्रतिधारण मूल्य योजना और विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं की व्यवस्था के लिए गठित एफआईसीसी को सचिवालयी सहायता प्रदान करता है।

मैं यह वक्तव्य दिनांक 1.9.2004 के लोक सभा बुलेटिन भाग-2 के तहत जारी लोक सभा अध्यक्ष के निदेश 73-क के अनुसरण में रसायन और उर्वरक से सम्बद्ध स्थायी समिति की बारहवीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में दे रहा हूं।

रसायन और उर्वरक से सम्बद्ध स्थायी समिति ने उर्वरक विभाग की वर्ष 2006-07 की अनुदान मांगों की जांच की और लोक सभा तथा राज्य सभा में 19 मई, 2006 को बारहवीं रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में 19 सिफारिशें दी गई हैं। ये सिफारिशें निम्नलिखित से संबंधित है:-

(1) उर्वरकों की खपत में क्षेत्रीय असंतुलन; किसानों को सीधी राजसहायता, जमाखोरी/चोर बाजारी को रोकना, सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण, घाटे वाले और बन्द पड़े हुए उर्वरक उपक्रमों का पुनरुद्धार, नामरूप-2 पुनरुद्धार परियोजना और मैसर्स करसन लिमिटेड से बकाया राशि की वसूली आदि।

(2) देश में उर्वरक उत्पादन क्षमता में गतिरोध। उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी इकाइयों में परियोजना कार्यक्रम के कार्यान्वयन की सारी प्रक्रिया की समीक्षा कर उसे सरल और कारगर बनाया। उर्वरक विभाग को नियमित आधार पर सभी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा वैज्ञानिक ढंग से करनी चाहिए।

(3) उर्वरक विभाग को 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ की जाने वाली परियोजनाओं और संबंधित मुद्दों की पहचान कर देश में उर्वरक आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपयुक्त रणनीति बनानी होगी।

(4) उर्वरक उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएं ताकि किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए आयात पर देश की निर्भरता कम की जा सके विशेषरूप से जब स्वदेशी यूरिया की लागत आयातित यूरिया की लागत से कम है।

(5) उर्वरक विभाग को योजनाओं/परियोजनाओं के कार्यान्वयन और वर्ष 2005-2006 की अग्रेनीत देयताओं के राजसहायता बिलों को चुकाने के लिए आवश्यक धन प्राप्त करने के प्रयास जारी रखना चाहिए।

(6) उर्वरक विभाग को अनुपूरक मांगों में बढ़ी हुई उर्वरक राजसहायता के बारे में वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के साथ सक्रिय बातचीत करनी चाहिए।

(7) किसानों को उचित समय पर उर्वरकों की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए ताकि उन्हें जमाखोरों और काला बाजारी करने वालों पर निर्भर न रहना पड़े।

(8) मौजूदा अनिश्चितता को समाप्त करने के लिए दिनांक 31.3.2006 के बाद यूरिया नीति निर्धारण की प्रक्रिया को समय रहते पूरा किया जाना चाहिए। सरकार को कोई विलम्ब किए बिना इसे अन्तिम रूप देना चाहिए।

(9) उर्वरक इकाइयों के पुनरुद्धार प्रस्तावों की जांच की समस्त प्रक्रिया शीघ्र निपटायी जाए और उनके संकलन के लिए समय-सीमा निर्धारित की जाए।

(10) उर्वरक विभाग ने उर्वरक उद्योग को गैस-आबंटन के बारे में प्राथमिकता दिए जाने की मांग की है। समिति ने सिफारिश की है कि ऊर्जा क्षेत्र की तरह उर्वरक क्षेत्र को भी गैस-आबंटन में उच्च प्राथमिकता दी जाए।

(11) वर्षासिंचित कृषि परियोजना के क्षेत्र और मात्रा में भरपूर वृद्धि की जानी चाहिए क्योंकि इससे जनजातीय और ग्रामीण समुदायों की जीविका में वृद्धि करने में सहायता मिलेगी और इसके परिणामस्वरूप वे आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगे और समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे।

(12) समिति का विचार है कि उर्वरक विभाग जैव-उर्वरकों के उत्पादन, प्रोत्साहन और प्रचार-प्रसार में प्रधान भूमिका निभाए ताकि देश के किसानों द्वारा इसका अधिकतम उपयोग किया जा सके। विशेषरूप से जब कि समस्त उर्वरक उत्पादन इकाइयों इसके प्रशासनिक नियंत्रण में है।

2006-07 की बारहवीं रिपोर्ट में निहित स्थायी समिति की सभी सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं जिन पर उर्वरक विभाग में विचार किया जा रहा है। इन सिफारिशों के संबंध में की गई कार्रवाई समिति को भेज दी गई है।

अपराह्न 12.15$^{1}/_{2}$ बजे

(सात) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-2007) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 160वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

***प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण):** महोदय जून, 2006 में, इस विभाग को, विभाग से संबद्ध विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति (राज्य सभा) की परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदान-मांगों (2006-07) पर 160वीं रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसमें विभाग से संबंधित सिफारिशें थीं। परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा, समिति की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट दिनांक 08.08.2006 की टिप्पणी संख्या 1/2(2)/2006-बजट/183-185 के अंतर्गत राज्य सभा सचिवालय को भेजी गई थी। उसके बाद, सितम्बर, 2005 में, राज्य सभा सचिवालय के कुछ बिन्दुओं/मुद्दों के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना मांगी थी। यह अतिरिक्त ब्यौरा/सूचना, दिनांक 14.09.2006 की टिप्पणी संख्या 1/2(2)/2006-बजट के द्वारा राज्य सभा सचिवालय को भेजी गई थी।

अपराह्न 12.16 बजे

(आठ) रेल संबंधी स्थायी समिति के 19वें और 20वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

****रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** महोदय, मैं आपकी अनुमति से रेल संबंधी स्थायी समिति के 19वें और 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों संबंधी वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

मैं दिनांक 1 सितंबर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन भाग-2 के तहत लोक सभा अध्यक्ष द्वारा जारी दिशा-निर्देश 73ए के अनुसरण में रेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 19वीं और 20वीं रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में यह बयान देता हूं।

"भारतीय रेल पर संरक्षा और सुरक्षा" पर समिति की 19वीं रिपोर्ट लोक सभा में 23.5.2006 को प्रस्तुत कर दी गई थी जिसमें 5 सिफारिशें थीं और उन पर की गई कार्रवाई संबंधी नोट समिति के समक्ष 19.9.2006 (अंग्रेजी और हिन्दी पाठ) को प्रस्तुत कर दी गई थी।

"अनुदान की मांगें 2006-07" पर समिति की 20वीं रिपोर्ट लोक सभा में 23.05.2006 को प्रस्तुत कर दी गई थी जिसमें 14 सिफारिशें थीं और उन पर की गई कार्रवाई संबंधी नोट समिति के समक्ष 29.09.2006 (अंग्रेजी पाठ) और 09.11.2006 (हिंदी पाठ) को प्रस्तुत कर दिया गया था।

रिपोर्टों में अंतर्विष्ट सभी सिफारिशों का सार दर्शाने वाला विवरण और उनकी कार्यान्वयन स्थिति संलग्न है। चूंकि विवरण काफी विस्तृत है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

अपराह्न 12.17 बजे

(नौ) विदेश मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-2007) के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

***विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा):** महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों पर विदेश मंत्रालय की स्थाई समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन में उल्लिखित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति से संबंधित विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

मैं विदेश मंत्रालय की स्थायी समिति की ग्यारहवीं रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर माननीय लोक सभा अध्यक्ष, के निदेश 73क के अनुसरण में यह वक्तव्य दे रहा हूं।

विदेश मंत्रालय की स्थायी समिति ने वर्ष 2006-2007 की विदेश मंत्रालय की अनुदान की मांगों की जांच की और 18 मई,

---

*(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एलटी-5626/2006)

**सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एलटी-5627/2006

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एलटी-5628/2006

[श्री आनन्द शर्मा]

2006 को लोक सभा में अपनी ग्यारहवीं रिपोर्ट रखी। इस रिपोर्ट में छत्तीस सिफारिशें थीं जिन पर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट अगस्त, 2006 में समिति को प्रस्तुत की गई। अब मैं समिति की सिफारिशों पर हुई प्रगति को सदन के पटल पर रख रहा हूं जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय के उपर्युक्त निदेश के तहत आवश्यक है।

हम समिति के आभारी हैं जिसने हमारी गतिमान विदेश नीति के अनुसरण में मंत्रालय के बढ़ते कार्यकलापों को और अधिक प्रभावी रूप से संपन्न करने के लिए मंत्रालय के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता की सिफारिश की है। वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने 4567.00 करोड़ रुपए का संशोधित अनुमान प्रस्तुत किया है जिसमें बजट अनुमान 2006-2007 की तुलना में 872 करोड़ रु. का वृद्धि की गई है। हम समिति का इसलिए भी आभार प्रकट करते हैं कि उसने हमारे बजटीय आबंटन का समान रूप से उपयोग किए जाने की बात को स्वीकार किया है।

पदों को भरे जाने के संबंध में मंत्रालय, सदन को सूचित करते हुए अपनी खुशी व्यक्त करता है कि कर्मचारी चयन आयोग ने पहले से भरी न गई आरक्षित रिक्तियों के लिए आठ उम्मीदवारों का चयन किया है तथा किंशासा और मैलबोर्न में नए खुले मिशनों के लिए पद सृजन किये जाने हेतु आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। मंत्रालय किराया देयता पर खर्च को कम करने की आवश्यकता को स्वीकार करता है और निर्मित संपत्तियों की खरीद करने और उन केन्द्रों में, जहां किराए अधिक है भवनों के निर्माण से संबंधित कार्रवाई चल रही है। मंत्रालय, समिति को यह भी सूचित करना चाहेगा कि इसने अकबर भवन से संबंधित सभी बकायों का निपटान करने के लिए एन डी एम सी के साथ अंतिम समाधान कर लिया है।

विदेश प्रचार क्षेत्र में प्रचार बजट की समीक्षा की गयी और मिशनों से अपने प्रचार बजट का पूरा उपयोग करने तथा प्रभावी तरीके से विश्व स्तर पर भारत की छवि निखारने के उद्देश्य को पूरा करने के प्रयास में तेजी लाए। पन्द्रह प्रमुख मिशनों को अपने प्रत्यायन के देश में संवर्धित मीडिया प्रचार के जरिए भारत के प्रति समझ बढ़ाने के लिए चुना गया है। लोक राजनय क्षेत्र में सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण समुदायों, अनेक अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंकों, अनुसंधान संस्थाओं, अग्रणी संस्थाओं, मीडिया और भारत के अनेक विश्वविद्यालय से संपर्क किये गये हैं। लोक राजनय प्रभाग इस बात पर बल दे रहा है कि मंत्रालय किस प्रकार 8-10 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर प्राप्त करने और इसे बनाये रखने का राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करे।

समिति की सिफारिशों के अनुसरण में मार्च 2007 तक देहरादून, रायपुर और शिमला में और निकट भविष्य में अमृतसर में नये पासपोर्ट कार्यालय खोलने के लिए संशोधित बजट स्तर पर आबंटन को बढ़ाकर 147.98 करोड़ रु. कर दिया गया है। पुलिस जांच प्रणाली सहित पासपोर्ट जारी करने से संबंधित दिशानिर्देशों को सरल बनाया गया है और पासपोर्ट कार्यालयों में लंबित मामलों की संख्या में कमी लाने के उपाय किये गये हैं।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की उत्तरोत्तर बढ़ती गतिविधियों के लिए मंत्रालय ने संशोधित अनुमान 2006-2007 में आबंटन को बढ़ा कर 68.50 करोड़ रु. कर दिया है। विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों में परिषद के सलाहकार निकाय को गठित किया गया है। मुम्बई, चैन्नै और कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालयों की बैठकें क्रमशः जनवरी, फरवरी और मार्च, 2007 में होनी हैं।

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारतीय विश्व कार्य परिषद (आई सी डब्ल्यू ए) की कार्यकारी समिति का गठन माननीय उप-राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में की गयी है जिसमें 15 सदस्य हैं। अपने सुचारू प्रचालन के लिए आई सी डब्ल्यू ए विस्तृत नियम और विनियम बनाने की प्रक्रिया में है।

जहां तक नेपाल को सहायता देने का संबंध हैं, महामहिम प्रधान मंत्री कोइराला की यात्रा के दौरान लगभग 900 करोड़ रु. के एक उदार पैकेज की घोषणा की गई। भूटान भी अपने देश में चल रही विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार से उदार सहायता प्राप्त कर रहा है।

भारत द्वारा शुरू की गई कुछ बहुपक्षीय परियोजनाओं में शामिल हैं—इस वर्ष अक्टूबर, में दक्षेस आपदा प्रबंधन केन्द्र को नई दिल्ली में कार्यरत करना और भारत में फरवरी, 2007 में प्रस्तावित द्वितीय बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन।

सिफारिशों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का विवरण अनुबंध में संलग्न हैं जिसे सदन के पटल पर रख दिया गया है। मैं उन सभी को पढ़कर सदन का मूल्यवान समय नहीं लेना चाहूंगा किन्तु साथ ही मैं यह अनुरोध करता हूं कि इसे पढ़ा हुआ समझा जाए।

अपराह्न 12.18 बजे

(दस) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें (2006-2007) के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 9वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[हिन्दी]

***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल):** महोदय, मैं यह वक्तव्य लोक सभा बुलेटिन-भाग-2 दिनांक 01 सितम्बर, 2004 के तहत लोक सभा अध्यक्ष के निदेश 73क के अनुसरण में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबद्ध स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) की नौवीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों को लागू करने की स्थिति पर दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

***श्री दिनशा पटेल:** पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विषयक स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) की नौवीं रिपोर्ट लोक सभा में दिनांक 15.5.2006 को प्रस्तुत की गई थी। यह रिपोर्ट पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की वर्ष 2006-07 की अनुदानों की मांगों की जांच से संबंधित है।

समिति की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई का विवरण पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से संबद्ध स्थायी समिति को दिनांक 18.8.2006 को भेज दिया गया था।

समिति द्वारा उक्त रिपोर्ट में 15 सिफारिशें की गई हैं जिन पर सरकार से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है। ये सिफारिशें मुख्यत: सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों को आबंटित की गई राशि का अपने योजना व्यय के लिए पूरी तरह उपयोग करने, भूकम्पीय सर्वेक्षण और वेधन क्रियाकलापों के संबंध में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किए गए प्रयास, गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गैल) द्वारा गैस आपूर्ति करार करना और अधिक समय और लागत लगे बिना परियोजनाओं को पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय, पांच वर्ष की अवधि में सम्पूर्ण दिल्ली शहर में पीएनजी की आपूर्ति करने के लिए वृहद योजना तैयार करना, इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम (आईबीपी) का इंडियन आयल कारपोरेशन (आईओसी) में विलय करने के लिए किए गए उपाय, अधिक अम्लीय/भारी कच्चे तेल को संसाधित करने के लिए रिफाइनरियों द्वारा किए गए प्रयास, पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट की विभीषिका की जांच करने में विशिष्ट भूमिका निभाने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत करने के लिए तेल कंपनियों द्वारा प्रारम्भ की गई प्रोत्साहन योजनाएं, पूर्वी तट पर कृष्णापटनम में एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने की संभावना की जांच करने आदि के संबंध में है।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी-5629/2006

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों को लागू करने की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य, जो सदन के पटल पर रख दिया गया है, के साथ संलग्न अनुलग्नक में दी गई है। इस अनुलग्नक में दी गई समस्य विषयवस्तु को पढ़कर सुनाने के लिए मैं सदन का कीमती समय नहीं लेना चाहूंगा। मेरा अनुरोध है कि इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मद संख्या 33, श्री प्रभुनाथ सिंह द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): इससे पहले कि आप कालिंग अटेंशन लें, यह जो भारत अमेरिका परमाणु समझौता है, इसके बारे में हमने नियम 184 के अंतर्गत आपको नोटिस दिया था, अगर हाउस की सेंस न ली गई और हाउस क्या चाहता है, इसके बारे में प्रकट न किया गया तो प्रधानमंत्री जी वहां पर समझौता करते समय अमेरिकी दबाव के आगे झुक सकते हैं, इसलिए हम आपसे रिक्वैस्ट करते हैं कि इसको नियम 193 में लेने के बजाय नियम 184 में लिया जाये, ताकि हाउस की सेंस सामने आ जाये। यहां पर सभी दलों की राय प्राय: इसके विपरीत है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उसे नियम 193 के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। आप उस निर्णय पर प्रश्नचिह्न नहीं लगा सकते।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आज इस बारे में चार बजे बोलेंगे।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: नियम 184 में लेने में आपको क्या आपत्ति है?

अध्यक्ष महोदय: आप मेहरबानी करके बैठ जाइये।

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, हम इस बात पर बल देते हैं कि इसे नियम 184 के अंतर्गत स्वीकार किया जाना चाहिए।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): महोदय, मैं इस मुद्दे के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, क्षमा कीजिए। आप अध्यक्ष के निर्णय पर प्रश्न नहीं लगा सकते।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: मैं आपके निर्णय पर प्रश्न नहीं लगा रहा हूं। महोदय मैं आदर के साथ इस संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। कृपया मुझे एक मिनट का समय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको किस आधार पर बोलने की अनुमति दूं। किस नियम के अधीन आप ऐसा करने की अनुमति मांग रहे हैं?

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, कृपया मेरी बात सुनिए। मैं केवल आधा मिनट लूंगा।

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छे, मैं आपको आधे मिनट तक देखूंगा। आपको पता है कि कल से सत्र स्थगित हो रहा है और हमारे पास बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे लम्बित है। कृपया सहयोग करें। हर दिन मैं आप सब लोगों के साथ बैठ रहा हूं। मैं इस पर विचार-विमर्श कर चुका हूं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: मैं आपका ध्यान नियम 187 के उपबंधों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अभी सभा में कोई कार्य नहीं है। लिहाजा फिलहाल आप व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठा सकते हैं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: मैं आपके निर्णय को चुनौती नहीं दे रहा हूं। आपने सही निर्णय लिया है और हम इसे चुनौती नहीं दे सकते। मैं आदर सहित कुछ कहना चाहता हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया मेरी बात सुनिए। नियम 187 में कहा गया है कि "अध्यक्ष विनिश्चित करेगा कि कोई प्रस्ताव या उसका कोई भाग इन नियमों के अंतर्गत ग्राह्य है अथवा नहीं और वह कोई प्रस्ताव या उसका कोई भाग अस्वीकृत कर सकेगा।" जब..... "यह बहुत महत्वपूर्ण भाग है," ...जो उसकी राय में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अधिकार का दुरूपयोग हो या सभा की प्रक्रिया में बाधा डालने या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए आयोजित हो या इन नियमों का उल्लंघन करता हो।

अध्यक्ष महोदय: आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। मैं भविष्य में आपकी सलाह का ध्यान रखूंगा।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: अत: यह इन उपबंधों में से किसी भी उपबंध के विरुद्ध नहीं है। मैं पुन: आदर सहित अनुरोध करता हूं कि इसे नियम 184 के अंतर्गत स्वीकार किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मैंने अपने दिमाग का उपयोग करके यह निर्णय लिया है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: आप इस पर पुनर्विचार कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप कार्यवाही में बाधा क्यों डाल रहे हैं। आप चुपचाप अपने स्थान पर जाकर बैठ जाइए, श्री आठवले।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप मेहरबानी करके बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.20 बजे

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

(एक) भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

****श्री प्रभुनाथ सिंह** (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान भोजपुरी भाषा को अष्टम सूची में शामिल करने हेतु आकर्षित करना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एलटी-5630/2006

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मेरे पास पहले ही परेशानियां हैं आप उन्हें और मत बढ़ाइए।

...(व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): सरकार को संविधान की आठवीं अनुसूची में विभिन्न भाषाओं को शामिल करने के संबंध में मांगें प्राप्त हो रही हैं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: महोदय, मंत्री जी हिन्दी में अपनी बात कहें। मंत्री जी हिंदी जानते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप केवल उनसे अनुरोध कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: स्टेटमेंट का हिंदी ट्रांसलेशन हमारे पास नहीं है। मैं बाकी सारी डिबेट में हिंदी में नहीं भोजपुरी में भाग लूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय पृष्ठ पलटिए और हिन्दी में बोलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपने अभी तक यह नहीं सुना।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: विगत कई वर्षों से सरकार को संविधान की आठवीं अनुसूची में विभिन्न भाषाओं को शामिल करने की मांगें प्राप्त होती रही हैं। इस समय आठवीं अनुसूची में 22 भाषायें हैं। ये हैं:—

1. असमी, (2) बंगाली, (3) बोडो, (4) डोगरी, (5) गुजराती, (6) हिंदी, (7) कन्नड़, (8) कश्मीरी, (9) कोंकणी, (10) मैथिली, (11) मलयालम, (12) मणिपुरी, (13) मराठी, (14) नेपाली), (15) उड़िया, (16) पंजाबी, (17) संस्कृत, (18) संथाली, (19) सिंधी, (20) तमिल, (21) तेलुगु, (22) उर्दू।

चूंकि संविधान की आठवीं अनुसूची में और भाषाओं को शामिल करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं, इसलिए तत्कालीन सचिव (राजभाषा) की अध्यक्षता में अक्टूबर, 1996 के दौरान इस मंत्रालय द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची में और अधिक भाषाओं को शामिल करने के लिए निश्चित मानदंड तैयार करने हेतु एक अच्च स्तरीय निकाय स्थापित किया गया।

समिति ने अप्रैल, 1998 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और आठवीं अनुसूची में और अधिक भाषाओं को शामिल करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों की सिफारिश की:

1. राज्य की एक राजभाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जा सकता है।
2. इसे राज्य विशेष के अधिसंख्य लोगों द्वारा बोला जाना चाहिए।
3. यह एक स्वतंत्र भाषा होनी चाहिए और यह आठवीं अनुसूची में शामिल भाषा की बोली/उससे व्युत्पन्न नहीं होनी चाहिए।
4. साहित्य अकादमी के द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।
5. इसका विकास काफी उच्च स्तर का सुनिश्चित साहित्य होना चाहिए।

उपर्युक्त मानदंडों को आठवीं अनुसूची में और अधिक भाषाओं को शामिल करने की मांगों की जांच करने हेतु इस्तेमाल किया जा रहा है।

तदनुसार, संविधान की आठवीं अनुसूची में भोजपुरी और राजस्थानी भाषाओं को शामिल करने पर विचार करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गयी है।

अध्यक्ष महोदय: आपको अब उत्तर मिल गया है।

श्री प्रभुनाथ सिंह: महोदय, अभी कार्यवाही हुई है।

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही शुरू हो गयी है।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, हम सबसे पहले आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि जब-जब हमने आपसे निवेदन किया कि हम भोजपुरी भाषा का सवाल उठाना चाहते हैं, चाहे वह शून्य काल के माध्यम से हो या ध्यानाकर्षण के माध्यम से हो, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है, मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। हालांकि सदन में इसके ऊपर कोई पहली बार चर्चा नहीं हो रही है। सबसे पहले हमने वर्ष 1999 में गैर-सरकारी संकल्प के माध्यम से इस सवाल को उठाया था, जिस समय केंद्र में हमारी एनडीए की सरकार थी। लेकिन हमारी सरकार ने उसका उत्तर सकारात्मक नहीं दिया था, यह उत्तर नकारात्मक था। इसके बाद फिर ध्यानाकर्षण के माध्यम से वर्ष 2002 में भी हमने इस सवाल को उठाया था, जिस समय गृह राज्य मंत्री आई.डी. स्वामी ने इसका जवाब दिया था, लेकिन कोई भी जवाब संतोषप्रद नहीं था। लेकिन इसके बाद सन् 2004 में आपकी इजाजत से हमने ध्यानाकर्षण के माध्यम से इस सवाल को उठाया था, तो माननीय गृह मंत्री श्री शिवराज पाटिल साहब ने इसका जवाब दिया था। जवाब के अंश में पूरा वही प्रारूप था, जो आई.डी. स्वामी का जवाब था। लेकिन नीचे के अंश में थोड़ा सा सुधार था। जब कई माननीय सदस्यों ने, देवेन्द्र यादव जी ने, रघुनाथ झा जी ने, बासुदेव आचार्य जी ने, राम विलास पासवान जो जो यहां पर नहीं हैं, उन्होंने और इधर से सुशील कुमार मोदी जी सहित कई लोगों ने जब इस सवाल पर अपना पक्ष रखा, तब जो उन्होंने उत्तर दिया, उसे हम एक मिनट में पढ़कर आपको सुना देन चाहते हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): हमने भी जीरो आवर में यह मुद्दा उठाया था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप भोजपुरी भाषा नहीं बोलते।

...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार: हम बोलते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अच्छा ठीक है।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा था कि ''महोदय, पहले भी इस संबंध में कई माननीय सदस्यों ने खासकर बाहर से यह मामला हमारे सामने लाया गया था। इसलिए महापात्रा कमेटी का गठन हुआ। इस कमेटी का गठन इसलिए हुआ ताकि पता लग सके कि क्या मापदंड हैं जिसके आधार पर किसी भाषा को संविधान के आठवें शैड्यूल में रखा जा सकता है। उस कमेटी ने रिपोर्ट दी, वह हमारे पास आयी है। उस रिपोर्ट में जो कहना है, वह करीब-करीब सरकार को मान्य होने जैसा है। बाकी रिपोर्ट हम मान्य नहीं कर रहे हैं। आपने इस संदर्भ में जो तथ्य सदन में ये हैं, वे सारे तथ्य कमेटी के मापदंड के माफिक ही हैं। इस संदर्भ में जो भी निर्णय करना है, उसे करने में सरकार को बड़ी आसानी होगी। आपने कहा कि मैं यहां एश्योरेंस दूं, तो एश्योरेंस देना ठीक नहीं होता। मगर जो कह रहा हूं, उसका अर्थ आप पूरी तरह समझ सकते हैं कि उसमें कोई अड़चन है, ऐसा मुझे नहीं लगता।'' उसके बाद जब माननीय सदस्यों ने सवाल उठाया, तो उन्होंने कहा कि हम जल्दी ही निर्णय ले लेंगे।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2004 में माननीय गृह मंत्री जी का इस सदन में कहना है कि हम जल्द ही निर्णय ले लेंगे। आज वर्ष 2006 का अंत होने जा रहा है। हम फिर आपकी अनुमति से इस सवाल को उठा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसमें लिखा है कि निर्णय ले लिया है और उस पर काम चल रहा है।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: उस पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। बीच में गृह मंत्री का एक बयान टीवी और अखबार में आया था। उसे हमने भी देखा था। उन्होंने कहा है कि हम उसे कैबिनेट में भेजने जा रहे हैं। लेकिन मंत्री जी ने इस जवाब में कहीं नहीं कहा कि हमने कैबिनेट में इसे भेज दिया है या भेजने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि भोजपुरी भाषा को अष्टम सूची में शामिल करने का बहुत मजबूत ग्राउंड है। इसका कारण यह है कि देश में जो भी लड़ाई लड़ी गयी, उसमें भोजपुरी मिट्टी का काफी महत्व है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमने उसका महत्व माना है इसलिए तो आपको बोलने के लिए एलाऊ किया है।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, अगर आप कहेंगे तो हम नहीं बोलेंगे। आप टोक देते हैं, तो हमारा पारा डाऊन हो जाता है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम तो आपका समर्थन कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि आप हमें दस मिनट का समय दीजिए ताकि हम भाषा के महत्व के संदर्भ में सरकार और सदन को अवगत करा सकें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप तीन मिनट और बोल लीजिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह: जब भोजपुरी भाषा अष्टम सूची में शामिल हो जायेगी तब उसका बखान मैं भोजपुरी भाषा में कर दूंगा। अभी भोजपुरी भाषा बोलने पर प्रोसीडिंग्स में नहीं जायेगा इसलिए आप हिन्दी में ही सुनने का काम कीजिए।

अध्यक्ष महोदय, हम इसके ग्राउंड के संबंध में कहना चाहते थे कि भोजपुरी मिट्टी का चम्पारण वह जिला है, जो बापू का कर्म भूमि रहा। अंग्रेजों की लड़ाई के समय भोजपुरी मिट्टी ने ही साथ दिया था। अंग्रेजों के खिलाफ वर्ष 1857 में जो गदर हुआ था, वह भोजपुरी मिट्टी से ही उठा था, जो बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में हुआ था। इतना ही नहीं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी भोजपुरी मिट्टी की ही देन हैं। भोजपुरी मिट्टी से ही वह आवाज उठी थी। इतनी महान विभूतियों की धरती, चाहे वह रणभूमि के रूप में रही है, कर्मभूमि के रूप में रही हो या जन्मभूमि के रूप में रही है, जिन लोगों की आबादी आज देश में 24 करोड़ की है, भारत में उनकी आबादी जहां 18 करोड़ की है वहीं दुनिया के 17 देशों में 6 करोड़ की है। अब यह भाषा कहीं ज्यादा और कहीं कम बोली जाती है। कम आबादी वाली भाषा को सरकार ने अष्टम सूची में मान्यता दे दी, लेकिन 24 करोड़ की आबादी जिस देश और दुनिया में हो, उस भाषा को अष्टम सूची में शामिल न करके भोजपुरी भाषा-भाषियों का अपमान किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय गृह राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि भारतेन्दु हरिश्चंद्र जी ने कहा है—

''निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति के मूल
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय के शूल॥

अध्यक्ष महोदय, अगर संविधान की धारा 350 में भी प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से देने की बात कही गयी है। यहां तक नहीं, राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने भी कहा था कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही होनी चाहिए। कोई भी भाषा या उस भाषा को बोलने वाला समाज, सभ्यता और संस्कृति का दस्तावेज होता है। उस समाज का आईना होता है। भोजपुरी भाषा में भोजपुरी भाषी लोग इस उद्देश्य की पूर्ति में समर्थ हैं। भोजपुरी भाषा में महाकवि कवि तुलसीदास, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डा. नामवर सिंह, डा. केदार नाथ सिंह, राहुल सांकृत्यायन, भारतेन्दु हरिश्चंद, रघुबीर नारायण, मैनेजर पाण्डे, महेन्द्र मिश्रा, भिखारी ठाकुर, डा. विवेकी राय आदि सैंकड़ों अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान हुए हैं।

महोदय, सिखों के दसवें गुरु गोविन्द सिंह जी द्वारा रचित साहित्य और दर्शन भोजपुरी भाषा में है3। विश्व विख्यात विद्वान राहुल सांकृत्यायन जी की बहुत सी रचनाएं भोजपुरी भाषा में हैं। भोजपुरी भाषा में आज 150 से ज्यादा पत्र और पत्रिकाएं देश में छपती हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, अपना प्रश्न पूछिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह: महोदय, विश्व के अनेक देशों में अलग-अलग प्रतिशत में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। मैं उनके बारे में अलग-अलग जानकारी न देते हुए केवल उन देशों के नाम यहां बताना चाहता हूं। भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोग मारीशस, सूरीनाम, ट्रिनीडाड एण्ड टोबैगो, ब्रिटिश गुयाना, हालैण्ड, फिजी, जमैका, नेपाल, युगाण्डा, बैंकाक, केन्या, बर्मा, सिंगापुर, मालदीव, फिलीपीन्स, अमेरिका द्वीपीय भाग और दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। इन देशों में भोजपुरी भाषा बोलने वालों के प्रतिशत में अन्तर है, जहां सूरीनाम में 45 प्रतिशत लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं, वहीं अमेरिका के द्वीपीय हिस्सों में 10 प्रतिशत लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं। इस तरह दुनिया के इन 17 देशों में छः करोड़ लोगों द्वारा बोली जाने वाली इस भाषा के लोगों को इस देश में आज तक सम्मान नहीं मिला है। इस देश में जिन-जिन राज्यों में भोजपुरी भाषा बोली जाती है, उनमें से बहुसंख्या उत्तर प्रदेश और बिहार में रहते हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य और आपका इलाका अर्थात् पश्चिम बंगाल तो भोजपुरी भाषा का गढ़ है। श्री दासमुंशी जी इस समय यहां से चले गए हैं। उनके चुनाव जीतकर आने का अर्थ यही होता है कि भोजपुरी भाषा के लोग उनका साथ देते हैं। जिस दिन भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोग उनका साथ छोड़ देंगे, उस दिन वे बंगाल में रहेंगे, इस सदन में नहीं रहेंगे। इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आज उनकी सरकार है, आज इसके बारे में कोई स्पष्ट आश्वासन आना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हें यह जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि आप उसके बारे में बहुत चिंतित है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: महोदय, इस समय भोजपुरी का बोलबाला इतना ज्यादा है कि हिन्दी सिनेमा के अमिताभ बच्चन से लेकर जितने भी कलाकार हैं, वे सभी लोग भोजपुरी सिनेमा में शामिल हो रहे हैं। भोजपुरी भाषा के गीतों की कैसेट्स जब बजती हैं तो

[श्री प्रभुनाथ सिंह]
दुनिया के दूसरे देशों में लोग, भले ही वे भोजपुरी भाषा को नहीं जानते हैं, उसकी ताल और धुन पर नाचते हैं। आप ऐसा इंग्लैंड में भी देख सकते हैं। हमारे देश में भोजपुरी भाषा बोलने वाले 18 करोड़ लोग हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अपना प्रश्न पूछिए। अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो किसी अन्य माननीय सदस्य को बोलने का मौका नहीं मिल पाएगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह: महोदय, इस देश में 18 करोड़ लोगों और अन्य देशों में रहने वाले 6 करोड़ भोजपुरी भाषा भाषी लोगों को सम्मान देते हुए, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं और मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कोई टालमटोल या गोल-मोल उत्तर न देते हुए, साफ-साफ बताएं कि हालांकि इस सत्र में आप इस बिल को नहीं ला सकते हैं, लेकिन भोजपुरी और जो आपने राजस्थानी भाषा के बारे में कहा है, क्या इन दोनों को संविधान की आठवीं सूची में शामिल करने के लिए फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में बिल लाएंगे? इसका उत्तर अगर मंत्री जी 'हां' में देते हैं तो मैं अभी बैठ जाऊंगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अभी नहीं बोलेंगे, उनकी बारी आने पर उत्तर देंगे।

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय हम भी इस मामले के साथ अपने को सम्बद्ध करते हैं।

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): महोदय, मैंने भी इस विषय पर नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय: केवल नोटिस देने से होता है, यह आपको कहां से मालूम हुआ? इसके लिए मेरी परमीशन भी लेनी होती है। मैंने सिर्फ श्री शैलेन्द्र कुमार को बोलने की अनुमति दी है।

श्री शैलेन्द्र कुमार, आपको केवल प्रश्न पूछने का मौका दिया गया है।

श्री शैलेन्द्र कुमार: महोदय, मैं आपको बहुत सम्मान करता हूं, मैं आपसे कभी नहीं लड़ता हूं। मैं आपकी इजाजत से ही बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सम्मान करते हैं या नहीं, यह तब मालूम होगा जब आप केवल अपना प्रश्न पूछेंगे।

श्री शैलेन्द्र कुमार: महोदय, हमारे साथी श्री प्रभुनाथ सिंह जी ने महत्वपूर्ण मामला उठाया है। मैंने अभी शुक्रवार को ही इस मामले को शून्य प्रहर में उठाया था। मैं पिछले दो हफ्ते से मैं इस विषय को लाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मुझे शुक्रवार को शाम को 7.30 बजे यह मामला उठाने के लिए समय मिल सका।

महोदय, श्री प्रभुनाथ सिंह जी ने जो बातें बताई हैं, मैं उनके डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा। मैं स्वयं को सम्बद्ध करते हुए माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि फरवरी में बजट सत्र शुरू होने वाला है। उसमें ऐसी व्यवस्था कराएंगे जैसे अन्य भाषाओं के इंटरप्रिटेशन की यहां व्यवस्था है, उसी प्रकार से भोजपुरी भाषा को भी इस सदन में कोई सदस्य बोले तो हम उसका अनुवाद सुन सकें?

श्री आलोक कुमार मेहता: भोजपुरी भाषा की विशालता के बारे में जितना भी कहा जाए, वह कम है। 24 करोड़ लोगों द्वारा यह भाषा बोली जाती है।

अध्यक्ष महोदय: यह सब कहा जा चुका है। आप केवल प्रश्न पूछें।

श्री आलोक कुमार मेहता: मैं अपने आपको पूर्व वक्ताओं से सम्बद्ध करते हुए मांग करता हूं कि भोजपुरी भाषा को जल्द से जल्द आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: रासा सिंह जी, आपकी भाषा तो भोजपुरी नहीं है।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): मैं भोजपुरी के साथ राजस्थानी भाषा को भी आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग करना चाहता हूं। चार-पांच करोड़ लोगों द्वारा राजस्थानी भाषा बोली जाती है, जिसके व्याकरण और साहित्य को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। राजस्थान विधान सभा में भी चार साल पहले इस संबंध में एक संकल्प पारित हो चुका है। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या राजस्थानी भाषा को भी आगामी बजट सत्र में संविधान की आठवीं अनुसूची में स्थान दिलाने की निश्चित घोषणा मंत्री जी करेंगे? भोजपुरी के साथ राजस्थानी भाषा भी सारे देश के अंदर बोली जाती है इसलिए मंत्री जी निश्चित उत्तर दें कि इसे कब तक कार्यरूप दे दिया जाएगा?

अध्यक्ष महोदय: राजस्थानी भाषा बहुत मधुर भाषा है, इतनी जोर से बोलने की क्या जरूरत है।

श्री सीताराम सिंह (शिवहर): मैं अपने आपको माननीय सदस्य प्रभुनाथ सिंह जी की बातों से सम्बद्ध करता हूं कि उन्होंने भोजपुरी के सवाल को बड़ी मजबूती से यहां उठाया है। मैं जानना

चाहता हूं कि क्या संसद के आगामी बजट सत्र में भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने संबंधी विधेयक को लाकर वह पारित कराएंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मेरे पास ऐसे अन्य चार सदस्यों के नाम हैं। जिनके नोटिस काफी देर से 12.33 बजे प्राप्त हुए थे। मैं उन चारों सदस्यों के नाम पुकारता हूं उन्हें इस बात की अनुमति है कि वे चाहे तो बिना कोई वक्तव्य दिए कार्याही-वृत्तांत के उद्देश्य में सम्मिलित किए जाने के उद्देश्य से अपने आपको इस मामले से सम्बद्ध कर सकते हैं। उन सदस्यों के नाम है मो. सलीम, डा. देवेन्द्र प्रसाद यादव, श्री ब्रजेश बाठक, श्री जी.एल. भार्गव और श्री विजय कृष्ण वे अपने आपको इस मांग से सम्बद्ध कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): मेरी भी आपसे प्रार्थना है कि करोड़ों लोगों द्वारा बोली जाने वाली राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए।

अध्यक्ष महोदयः भार्गव जी, आपका नाम मैंने बोल दिया है और वह रिकार्ड में आ गया है। आप इतना अच्छा बोलते हैं, फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं।

श्री श्रीप्रकाश जायसवालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य प्रभुनाथ सिंह जी ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से जिस प्रश्न को उठाया है, मैंने अपने स्टेटमेंट में उन सारी बातों को स्पष्ट कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि लम्बे समय से भोजपुरी और राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग चली आ रही है। कई वर्षों से यह मांग चल रही है, लेकिन पूरी नहीं हुई है। इसलिए माननीय सदस्यों का इस चिंता से ग्रसित होना समझ में आता है। कई बार यह मामला यहां उठाया गया है और कई सरकारों ने इस संबंध में संकेत तो दिया, लेकिन आश्वासन नहीं दिया। मैं इतना ही कह सकता हूं कि भोजपुरी और राजस्थानी हमारे देश की बड़ी समृद्ध भाषाएं हैं। ये भाषाएं करोड़ों लोगों द्वारा देश के कोने-कोने में बोली जाती हैं। केवल देश में ही नहीं, कई देशों में भी ये भाषाएं बोली जाती हैं। खासकर भोजपुरी भाषा जिसके बारे में प्रभुनाथ सिंह जी ने बताया कि करीब आधा दर्जन देशों में यह बोली जाती है। मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि जो कुछ मैंने इस संबंध में बयान दिया है, उसे सुनने के बाद आपको किसी तरीके से 'किन्तु' या 'परन्तु' कहने की गुंजाइश नहीं है। जैसे आप भोजपुरी भाषा क्षेत्र के हैं, वैसे ही आपका यह छोटा सा मंत्री भी भोजपुरी क्षेत्र का है। इसलिए अब इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। हम उम्मीद करते हैं कि आगामी सत्र में शायद इस संबंध में यह बिल पारित कराया जाएगा, जिसके साथ ही इन दोनों भाषाओं को मान्यता मिलेगी। जिसके लिए लम्बे समय से न केवल भोजपुरी क्षेत्र के लोग, बल्कि हमारे माननीय सदस्य भी चिंतित रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मैं आशा करता हूं कि श्री प्रभुनाथ सिंह भाषांतरकारों की भी व्यवस्था करेंगे।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंहः अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि अगले सत्र में वे इसे जरूर लायेंगे।

अपराह्न 12.40 बजे

[अनुवाद]

(दो) कन्या भ्रूण हत्या की बढ़ती घटनाओं के कारण बालिकाओं की संख्या में आ रही निरंतर गिरावट से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

अध्यक्ष महोदयः अब सभा मद सं. 34 पर विचार करेगी।

श्री गुरुदास दासगुप्त

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले की ओर आकर्षित करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें:

"कन्या भ्रूण हत्या, जिसके कारण बालकों की तुलना में बालिकाओं के अनुपात में निरंतर गिरावट आ रही है, की बढ़ती घटनाओं से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

अध्यक्ष महोदयः मंत्री महोदय, .आप वक्तव्य सभा पटल पर रख सकते हैं। आशा है कि सभी माननीय सदस्यों को वक्तव्य मिल गया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): महोदय, आपकी अनुमति से मैं वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

*महोदय, लिंग अनुपात (प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या) जनसंख्या की विशिष्टताओं का अध्ययन करने में इस्तेमाल किए जाने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूचकों में से एक है। देश में लिंग अनुपात में कमी का रूझान सभी के लिए चिन्ता का विषय रहा है। भारत में लिंग अनुपात गत शताब्दी के दौरान वर्ष 1901 में 972 था जो कम होकर 1991 में 927 रह गया है। वर्ष 2001 की जनगणना से पता चला है कि देश में गत दशक में लिंग अनुपात बढ़ा है। वर्ष 1991 की जनगणना में प्रति 1000 पुरुषों में 927 महिलाएं थीं जबकि वर्ष 2001 में प्रति हजार पुरुष में महिलाओं की संख्या बढ़ कर 933 हो गई है।

इसके विपरीत वर्ष 2001 में 0-6 आयु वर्ग में बाल लिंग अनुपात प्रति हजार लड़कों पर 927 लड़कियां थीं जबकि 1991 की जनगणना के समय 945 लड़कियां दर्ज की गयी थीं। वर्ष 1991-2001 के दौरान लिंग अनुपात में यह उत्साहजनक रूझान 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिंग अनुपात में 18 प्वाइंट की कमी आने से बिगड़ गया। वर्ष 2001 की जनगणना आंकड़ों से यह भी पता चला कि 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग को बाल लिंग अनुपात की स्थिति से विशेष रूप से पंजाब (798), हरियाणा (819), चंडीगढ़ (845), दिल्ली (868), गुजरात (883) और हिमाचल प्रदेश (896) जैसे समृद्ध क्षेत्रों में काफी खराब है।

लिंग अनुपात और महिला भ्रूण हत्या के निरंतर निम्न स्तरों का पता लगाने के लिए किए गए अनुसंधान अध्ययनों से पता चला है कि पुत्र को प्राथमिकता, बालिका की उपेक्षा, दहेज की बढ़ती मांग, बालिका के पालन-पोषण में आने वाली कठिनाई, आसानी से अल्ट्रासाउंड उपलब्ध होना, विभिन्न प्राइवेट क्लीनिकों द्वारा गर्भपात सेवाएं देना, दो बच्चों के छोटे परिवार के इच्छुक लोगों की एक पुत्र की लालसा आदि में महिला भ्रूण हत्या के मुख्य कारण हैं।

भारत में लिंग निर्धारण तकनीकों का इस्तेमाल वर्ष 1975 के मुख्य रूप से आनुवांशिक अपसामान्यताओं का पता लगाने में किया जा रहा है। तथापि, इन तकनीकों का भ्रूण के लिंग का पता लगाने और यदि वह बालिका भ्रूण है तो गर्भपात कराने में व्यापक रूप से दुरुपयोग किया जा रहा था। ऐसे व्यक्ति जो अवैध रूप से ऐसी सेवा प्राप्त करते हैं और जो सेवा प्रदान करते हैं, दोनों कानून के उपबंधों का अवश्य ही उल्लंघन करते हैं। अन्य मामलों में तो केवल एक पक्ष को लाभ होता है परन्तु इसके विपरीत, इस काम में दोनों पक्षों को लाभ होता है। इसमें एक ओर तो लोग अवांछित लिंग के भ्रूण से छुटकारा पा लेते हैं और दूसरी ओर सेवा प्रदायक को आर्थिक रूप से लाभ भी होता है। साक्ष्य/गवाहों का उपलब्ध न हो पाना और दोषी डाक्टरों को रंगे हाथ न पकड़े जाना उन्हें दण्डित करने में एक मुख्य अड़चन है।

भ्रूण का लिंग पता लगाने के कार्य पर काबू पाने के लिए, जिससे बहुधा बालिका भ्रूण हत्या होती है, प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 पहली जनवरी, 1996 से लागू किया गया था। प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 को अधिक व्यापक बनाने के लिए अब इसमें संशोधन किया गया है जो संशोधन 14.2.2003 से लागू हुए हैं इसमें इसका नाम बदल कर ''गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994'' किया गया है।

गर्भधारण-पूर्व लिंग चयन की तकनीक को इस अधिनियम के दायरे में लाया गया है ताकि ऐसी प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर पहले से ही कार्रवाई की जा सके क्योंकि यह लिंग अनुपात में कमी लाने में काफी सहायक है। अल्ट्रासाउंड मशीनों के इस्तेमाल को भी अधिक स्पष्ट रूप से इस अधिनियम के दायरे में लाया गया है जिससे कि भ्रूण के लिंग का पता लगाने और तत्संबंधी जानकारी सार्वजनिक करने के लिए उनका दुरुपयोग न हो जिस कारण बालिका भ्रूण हत्या होती है। इस अधिनियम में भ्रूण के लिंग का पता लगाने तथा उसकी जानकारी सार्वजनिक करने पर रोक है। इसमें प्रसवपूर्व लिंग का पता लगाने के लिए विज्ञापनों पर भी रोक है। इसके प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दण्ड का प्रावधान है। जो व्यक्ति इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा उसे एक लाख रुपए का आर्थिक दंड तथा 5 वर्ष की कैद हो सकती है।

इस अधिनियम के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड को और सशक्त बनाया गया है। केन्द्रीय स्तर पर गठित केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड की तरह राज्य स्तर पर पर्यवेक्षी बोर्ड बनाए गए हैं जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अधिनियम के कार्यान्वयन पर नजर रखेंगे और उसकी समीक्षा करेंगे। राज्यों में अधिनियम के बेहतर कार्यान्वयन और मानीटरिंग पर नजर रखने के लिए राज्य/संघ राज्य स्तरीय समुचित प्राधिकरण को बहु-सदस्यीय निकाय बनाया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत अधिक कठोर दण्ड निर्धारित किए गए हैं ताकि अधिनियम का कम से कम उल्लंघन हो और यह

*सभा पटल पर रखा गया। देखिए संख्या एलटी-5631/2006

एक निरोधक के रूप में कार्य कर सके। समुचित प्राधिकारियों को कानून का उल्लंघन करने वालों की मशीनों, उपकरणों और अभिलेखों का पता लगाने, उन्हें जब्त करने और सील करने के साथ-साथ परिसरों को भी सील करने और गवाह की सुनवाई करने के लिए सिविल अदालतों को शक्तियां प्रदान की गई हैं। अल्ट्रासाउंड मशीनों के इस्तेमाल तथा भ्रूण के लिंग का पता लगा सकने वाले अन्य उपकरणों तथा गर्भधारण-पूर्व लिंग चयन के परीक्षणों और प्रक्रियाओं से संबंधित अभिलेखों का समुचित ढंग से रख-रखाव करना अनिवार्य कर दिया गया है। अल्ट्रासाउंड मशीनों की बिक्री केवल अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत निकायों को ही करने की शर्त निर्धारित करके विनियमित कर दी गई है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अधिनियम और इस बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

राष्ट्रीय निरीक्षण एवं मानीटरिंग समिति

समस्याग्रस्त राज्यों के दौरे करके वास्तविक स्थितियों का जायजा लेने के वास्ते केन्द्र में एक राष्ट्रीय निरीक्षण एवं मानीटरिंग समिति गठित की गई है। समिति ऐसे राज्यों/जिलों का दौरा करती है और अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड और संबंधित राज्य प्राधिकारियों को प्रस्तुत करती है। यह अधिनियम/नियमों के उपबंधों तथा भारत के उच्चतम न्यायालय के इस संबंध में दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करने वाले गैर-पंजीकृत निकायों और निकायों के विरुद्ध अभियोजनों पर भी नजर रखती है। इस समिति का मार्च, 2005 में पुनर्गठन किया गया है और इसमें महिला और बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय महिला आयोग, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है। इस समिति के पुनर्गठन के बाद एनआईएमसी ने महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा उत्तरांचल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा किया है। एनआईएमसी ने पुनः दिसम्बर, 2005 तथा अप्रैल, 2006 में दिल्ली का दौरा किया।

राष्ट्रीय सहायता और निगरानी प्रकोष्ठ

इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विदेशी सहायता से एक "राष्ट्रीय सहायता और निगरानी प्रकोष्ठ" को स्वीकृति प्रदान की गई है और इसमें पुलिस, चिकित्सा, कानून और समाज विज्ञान के व्यवसायियों को परामर्शदाताओं के रूप में नियुक्त किया गया है। आरंभ में यह प्रकोष्ठ पंजाब, हरियाणा, गुजरात, चंडीगढ़ और दिल्ली पर ध्यान देगा जहां पर समस्या अधिक गंभीर है। आशा है कि यह प्रकोष्ठ तंत्र को दुरूस्त करने में सहायता देगा ताकि वास्तविक रूप में गलत काम करने वाले लोगों (जो बालिका भ्रूण हत्या कर रहे हैं/बालिका भ्रूण हत्या को बढ़ावा दे रहा है) को समुचित प्राधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया जा सके। उनसे राज्य में समुचित प्राधिकारियों/चिकित्सा अधिकारियों के साथ तालमेल बनाए रखने और वास्तविक रूप से गलत कार्य में लगे लोगों को पकड़ने के लिए समुचित अधिकारियों द्वारा सफल "स्टिंग आपरेशन" में तेजी लाने में सहायता करने की आशा की जाती है।

समुचित प्राधिकारियों को सुग्राही बनाना

इस अधिनियम में समुचित प्राधिकारियों को मशीनों, उपकरणों और अभिलेखों का पता लगाने, उन्हें जब्त करने और सील करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसलिए इन समुचित प्राधिकारियों को अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन तथा संदेहों को दूर करने तथा विभिन्न विधिक विषयों पर सुग्राही बनाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 पर 17 फरवरी, 2003 को जारी की गई एक पुस्तिका (संशोधित संस्करण) समुचित प्राधिकारियों को उपलब्ध कराई गई है।

चिकित्सीय समुदाय को सुग्राही बनाना

परिवार कल्याण विभाग ने कानून और संबंधित विषयों पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की पत्रिका के दिसम्बर, 2003 अंक को सह-प्रायोजित किया। इस अंक में परिवार कल्याण विभाग के सचिव की ओर से एक अपील भी प्रकाशित की गई जिसमें चिकित्सक समुदाय से प्रसव-पूर्व लिंग निर्धारण और गर्भधारण-पूर्व लिंग चयन संबंधी कामों को रोकने का अनुरोध किया गया। इस पत्रिका का सर्कुलेशन लगभग 1.2 लाख चिकित्सा व्यवसायियों में होता है।

अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त समुचित प्राधिकारी अधिनियम के समुचित कार्यान्वयन के लिए आईएमए, आईआरआईए, एफओजीएसआई जैसे चिकित्सा संघों के प्रतिनिधियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं।

अधिनियम और नियमों में संशोधनों के बारे में विभाग के न्यूज लैटर का अप्रैल 2003 में एक विशेष संस्करण जारी किया गया। व्यापक सर्कुलेशन वाले इस न्यूजलैटर को देश के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों और गैर-सरकारी संगठनों को भेजा गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पीसी और पीएनडीटी अधिनियम

[डा. अंबुमणि रामदास]

के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हुए वर्ष 2006-07 के दौरान आईआरआईए को इसके सदस्यों के लिए जोनल सेमिनार आयोजित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की है।

अल्ट्रासाउंड मशीनों की बिक्री

गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 में अल्ट्रासाउंड मशीनों की बिक्री को केवल अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत निकायों तथा विनियमित किया गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत क्लिनिकों को अल्ट्रासाउंड मशीनों/इमेजिंग मशीनों की बिक्री को विनियमित करने के बारे में डाक्टरों और ऐसी मशीनों के निर्माताओं को जानकारी देने के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम में किए गए संशोधनों के बारे में देश भर के विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किए।

अल्ट्रासाउंड मशीनों के विनिर्माताओं से ऐसे क्लिनिकों/डाक्टरों के बारे में रिपोर्ट प्राप्त की जाती हैं जिन्हें मशीनें बेची गई हैं ताकि समुचित प्राधिकारियों द्वारा इन मशीनों के इस्तेमाल पर निगरानी रखी जा सके।

जागरूकता पैदा करना

तथापि, व्यवहार और पूर्वाग्रह से युक्त इस समस्या से निपटने के लिए केवल कानून ही काफी नहीं है। आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रिंट मीडिया यूनिटों के माध्यम से प्रसव-पूर्व लिंग निर्धारण और बालिका भ्रूणहत्या के विरुद्ध जागरूकता पैदा करने के लिए अनेक कार्यकलाप किए गए हैं। इस सामाजिक बुराई के विरुद्ध जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य/क्षेत्रीय/जिला/ब्लाक स्तरों पर स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कार्यशालाएं और संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं। इस प्रथा को रोकने के लिए धार्मिक/आध्यात्मिक नेताओं तथा स्वैच्छिक समुदाय से भी सहयोग मांगा गया है।

इस स्थिति में तभी बदलाव आ सकता है जब लड़कियों को बोझ और लड़कों को पूंजी न समझा जाए तथा लड़कियों के साथ लड़कों जैसा ही व्यवहार किया जाए। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा एवं सम्पत्ति में लड़कियों को समान अधिकार देने आवश्यक हैं।

भारत सरकार ने युवा लड़कियों की उपलब्धियों को प्रचारित करते हुए पुत्र चाह को कम करने के दृष्टिकोण से 'बालिका बचाओ अभियान' चलाया है। वर्ष 2004 के गणतंत्र दिवस परेड में परिवार कल्याण विभाग की झांकी का उद्देश्य भी 'बालिका बचाओ' था। वर्ष 2003-04 के दौरान सानिया मिर्जा 'बालिका बचाओ अभियान' की ब्रांड एम्बेसेडर थी। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाली सुश्री अरूणा केशवन को सरकार के 2004-05 में "बालिका बचाओ अभियान" के लिए ब्रांड एम्बेसेडर नियुक्त किया गया है। सुश्री जोशना चिनप्पा, जूनियर और सीनियर राष्ट्रीय एवं एशियन स्कवेश चैम्पियन 2005-06 की ब्रांड एम्बेसेडर है।

इस अधिनियम को इसकी सच्ची भावना से लागू करने के लिए किए गए व्यापक प्रयासों तथा साथ ही लड़की एवं बालिका भ्रूण हत्या के मुद्दे पर तैयार की गई जागरूकता के समग्र स्थिति में सुधार आने की आशा है।

प्रकाशन

(1) पी सी और पी एन डी टी अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में एक वार्षिक रिपोर्ट 2005: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पीसी और पी एन डी टी अधिनियम 1994 के कार्यान्वयन के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट 2005 प्रकाशित की है। यह रिपोर्ट जिला कलैक्टरों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के अलावा सभी राज्य स्वास्थ्य सचिवों और राज्य उपयुक्त प्राधिकारियों को परिचालित की गई है। रिपोर्ट संसद के सभी माननीय सदस्यों को भी परिचालित की गई है।

(2) "गुम" (मिसिंग) शीर्षक की पुस्तिका: माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा भारत में प्रतिकूल लिंग अनुपात वाले क्षेत्रों को दर्शाने वाले नक्शों पर 'गुम' नामक पुस्तिका का नवम्बर, 2003 में विमोचन किया गया।

(3) प्रसव-पूर्व निदान तकनीक अधिनियम पर पुस्तिका: प्रसव-पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 और संशोधनों (संशोधित संस्करण) पर पुस्तिका भी 17 फरवरी, 2003 को जारी की गई। इसमें पूरा अधिनियम और नियम संशोधनों के साथ दिए गए हैं। इसकी प्रतियां सभी राज्य सरकारों और समुचित प्राधिकारियों को भेजी गई हैं। अधिनियम और नियम तथा इनमें किए गए संशोधन आम जनता के उपयोग के लिए विभाग की वेबसाइट में रखे गए हैं।

(4) **प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न:** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि (यू एन एफ पी ए) के सहयोग से प्रसव-पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के बारे में "प्राय: पूछे जाने वाले

प्रश्न" तैयार किए गए हैं, जो आम आदमी, चिकित्सा समुदाय और समुचित प्राधिकारियों के लिए अधिनियम के उपबंधों के बेहतर तरीके से समझने और कार्यान्वयन में उपयोगी होंगे।

न्यायपालिका को प्रशिक्षण

न्यायपालिका को सुग्राही बनाने के लिए 2005-06 के दौरान राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल की सेवाएं ली गई थीं। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ने राज्य न्यायिक अकादमियों के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जो बाद में अपने क्षेत्राधिकार में न्यायपालिका का प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण का कार्य सितम्बर, 2005 में हुआ। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी से अनुरोध किया गया है कि वह न्यायपालिका का प्रशिक्षण शुरू करने तथा इस विषय को न्यायपालिका के प्रशिक्षण को नियमित पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए राज्य न्यायिक अकादमियों से आग्रह करें।

जिला मजिस्ट्रेटों की सहभागिता

जिला मजिस्ट्रेटों से उनके अपने जिलों में अन्य कार्यक्रमों के साथ गर्भधारण पूर्व एवं प्रसवपूर्ण निदान तकनीक अधिनियम के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है।

पी एन डी टी पर वेबसाइट: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय चलाए जा रहे कार्यकलापों के बारे में जनता को अवगत कराने के लिए एक वेबसाइट तैयार की गई है। इस वेबसाइट तक पहुंचने के लिए प्रयोक्ता को पहले मंत्रालय की वेबसाइट (www.mohfw.nic.in) पर जाना होगा। इस मुख्य पृष्ठ से 'इम्प्लीमेंटेशन आफ प्री-कन्सेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेकनीक एक्ट' पर जाया जा सकता है। इस वेबसाइट पर लिंग निर्धारण करने वाले डाक्टरों/क्लीनिकों के बारे में आनलाइन शिकायतें दर्ज करने के लिए व्यवस्था की गई है।

केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड की बैठकें: पी सी एंड पीएनडीटी एक्ट के केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड (सी एस बी) की बैठकें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में प्रत्येक छह माह में नियमित रूप से हो रही हैं। अभी तक 14 बैठकें हो चुकी हैं और अंतिम बैठक 14 जून 2006 को हुई थी जिसमें महिला संसद सदस्यों के साथ-साथ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात से माननीय संसद सदस्यों को आमंत्रित किया गया था।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, यदि आप मुझे बोलने की अनुमति दें, यह इंटरमीडिएट कक्षा का एक मध्यम स्तर का निबंध है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस मामले में कठोर शब्दों से सहायता नहीं मिलेगी।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: सरकार या कम से कम मंत्री महोदय देश में लिंग भेदभाव से उठने वाली समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसने देश का जनसंख्या संतुलन बिगाड़ रखा है। यह वक्तव्य दुर्भाग्यपूर्ण है और राष्ट्र के समक्ष सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण प्रश्न और समस्या के संबंध में किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता से रहित है।

मुझे इस मुद्दे को उठाते हुए बहुत शेष दुख और क्रोध के साथ-साथ शर्म आती है कि देश में बाल लिंग अनुपात में खतरनाक ढंग से आ रही गिरावट न केवल एक राष्ट्रीय विपत्ति, बल्कि एक आपदा का ही रूप है।

इसके लिए केवल डाक्टरों को ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता है या उन्हें ही नहीं फंसाया जा सकता है और न ही केवल सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। असंतुलन की इस मूलभूत समस्या जो कि धीरे-धीरे देश की जनसंख्या में समाती जा रही है से निबटने के लिए एक राष्ट्रीय जागरूकता आंदोलन छेड़ने में सक्षम न होने के कारण हम सभी को दोष दिया जाना चाहिए। जनसंख्या के बारे में असंतुलन से भारत की छवि खराब हो रही है और इससे निश्चित रूप से भारतीय राष्ट्रवाद की गरिमा को नुकसान होगा। इसके लिए न केवल पुरुषों को अपितु महिलाओं को भी समान रूप से दोष देना चाहिए। यह अत्यधिक शर्म की बात है कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय चार्ट में सबसे नीचे है, यहां नाईजीरिया और पाकिस्तान से भी बुरी स्थिति है। भारत केवल अपने महान पड़ोसी देशचीन से आगे है। यदि नकारात्मक लिंग अनुपात को नापा जाए तो 1000 लड़कों पर 937 लड़कियां हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार जो कि अभी प्रकाशित नहीं हुई है, यह पाया गया है कि पूरे भारत के अस्सी प्रतिशत जिलों में लिंग अनुपात घट रहा है।

सबसे बड़ा अपराधी पंजाब है। वहां पर एक हजार पुरुषों पर केवल 798 महिलाएं हैं। यह स्थिति समृद्ध राज्य पंजाब में है। पंजाब के तुरंत बाद हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल हैं। यहां तक कि सुदूरवर्ती अरुणाचल प्रदेश भी इस शर्मिन्दगी की सूची में शामिल हो गया है। यहां तक कि दिल्ली भी, जो कि राजनैतिक

[श्री गुरुदास दासगुप्त]

शक्ति का गढ़ है लिंग भेदभाव के दोषियों में शामिल है। यह भूमंडलीय शहर है, जैसा कि हम दावा करते हैं। तब भी इतनी बुरी स्थिति है। यह स्थिति निरंतर जारी है। हाल की अवधि में दिल्ली में जनसंख्या के गठन में 41 पाइंट की कमी हुई है। यह 915 से 865 पर आ गई है। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरा राज्य पश्चिम बंगाल भी एक चूककर्त्ता है। केरल ही अकेला अपनी भिन्नता को बरकरार रखते हुए चमक रहा है। यह पुदुच्चेरी और लक्षद्वीप के साथ है।

यूनिसेफ की रिपोर्ट के अलावा एक अन्य रिपोर्ट है। माननीय मंत्री अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा प्रकाशित किसी असुविधाजनक रिपोर्ट का संदर्भ नहीं देते। वह केवल सूचना तक अपनी पहुंच पर निर्भर है। भारत-कनाडा रिपोर्ट इस बारे में बताती है। महोदय, कितने शर्म की बात है कि 20 वर्षों में हमने एक करोड़ नवजात बच्चियों को मां के गर्भ में ही मार डाला। कितने शर्म की बात है। यह बहुत शर्मनाक है और इसके लिए प्रभारी मंत्री ने इस पर कोई शोक व्यक्त नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय: अब अपने विषय पर आइए। एक दूसरे पर दोषारोपण करने से क्या होगा? इससे सहायता नहीं मिलेगी।

श्री गुरुदास दासगुप्त: जी महोदय, मैं इसलिए दोषारोपण कर रहा हूं क्योंकि वक्तव्य किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता से रहित है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब अपना प्रश्न पूछिए।

श्री गुरुदास दासगुप्त: मुद्दा यह है। इस नकारात्मक लिंग अनुपात का प्रभाव क्या होगा? एक प्रभाव है। वह यह है कि लाखों कंवारे रह जाएंगे। चीन में इस समय 4 करोड़ कंवारे हैं। इस नकारात्मक अनुपात से सामाजिक विकृतियां, संघर्ष और एड्स एवं एचआईवी बढ़ेंगे। सबसे ज्यादा इससे सामाजिक शांति भंग होगी। माननीय प्रधान मंत्री जी यह शर्मनाक है। हमें देश में शांतिपूर्ण वातावरण की आवश्यकता है। किंतु नकारात्मक अनुपात से देश में सामाजिक शांति भंग होने जा रही है।

अध्यक्ष महोदय: अब अपना प्रश्न रखिए। मैंने आपको छह मिनट से ज्यादा दे दिए हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, कृपया मुझे दो मिनट और दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: नहीं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का सारा प्रयोजन लंबे भाषणों से समाप्त किया जा रहा है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: ऐसा नहीं है। देश को जानना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: इसे जानने के तरीके हैं। आप नियम 193 के अंतर्गत सूचना दे सकते हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्त: मुद्दा यह है कि कानून किस सीमा तक असफल हो चुका है। देश को व्यापक विस्तार को जानना चाहिए, जिसके बारे में मंत्री महोदय इस समय जागरूक नहीं हैं। *...(व्यवधान)*

लगभग 60 वर्षों का राजनैतिक स्वतंत्रता भी देश में लिंग जागरूकता पैदा करने में सफल नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदय: समस्या है। कृपया संगत प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त: इतना ही नहीं है। देश में महिलाओं की अवनति और विकृत पुरुषवाद पैदा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय: हम सभी उसके लिए उत्तरदायी हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्त: हम सभी उत्तरदायी हैं। मैं स्वयं को उसके लिए उत्तरदायी ठहराता हूं। किंतु मैं केवल एक बच्चे का पिता हूं, जो कि एक लड़की है।

अध्यक्ष महोदय: आप कुछ नहीं कर सकते थे।

श्री गुरुदास दासगुप्त: कुछ करने की समस्या मैं माननीय पीठासीन अधिकारी पर छोड़ता हूं। *...(व्यवधान)*

सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हमारे देश में संपन्न और समृद्ध लोग चूककर्ता हैं। गरीब आदमी उस सीमा तक चूक नहीं करता। दुर्भाग्यवश, चमकदार शहरी इसमें गलत पक्ष की ओर हैं। कमजोर ग्रामीण क्षेत्र के शहरी लोगों जितने चूककर्ता नहीं हैं। यह सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। अतएव, मैं इस राष्ट्रीय मंच के माध्यम से आपके नेतृत्व में राष्ट्र से इस पर चिन्तन करने की अपील करता हूं।

[अनुवाद]

मैं सभी सामाजिक शक्तियों, संपूर्ण राष्ट्र को, इस सामाजिक अत्याचार के खिलाफ विद्रोह स्वरूप खड़ा होने की अपील करता हूं, जो कि देश में देखते ही देखते बढ़ता जा रहा है और जिस पर सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

महोदय, मेरे विचार से, यह लड़का पैदा करने की चाहत है जो पूरे देश में व्यापक रूप से फैल गयी है। यह बालक की चाहत का अतिवाद है। अतः, बहुविषयक कार्यक्रम शुरू किये जाने चाहिए। वस्तुतः, केन्द्र में सरकार तो मौजूद है। लेकिन एक सामाजिक आंदोलन चलाया जाना चाहिए, एक सामाजिक जागरूकता होनी चाहिए और सभी राजनैतिक दलों, सामाजिक समूहों को देश में ऋणात्मक लिंगभेद अनुपात के संबंध में विनाशकारी प्रभाव का प्रतिकार करने के लिए कमर कस लेनी चाहिए।

साथ ही साथ सरकार को कानून का कड़ाई से पालन करने के मुद्दे पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। मैं देश की बालिकाओं के लिए प्रोत्साहन का अनुरोध करता हूं। बालिकाओं के सशक्तीकरण और उनकी शिक्षा के लिए भी वित्तीय प्रोत्साहन होने चाहिएं। साथ ही साथ, मैं यह अपील भी करता हूं कि सम्पूर्ण भारत में जो उल्लंघन हो रहा है। उसको मंत्रालय और सरकार द्वारा वर्तमान की तुलना में अधिक गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

मुझे आशा है कि राष्ट्र इस अवसर पर खरा उतरेगा और पंगु कर देने वाली इस महाविपत्ति का सामना करेगा, जो भारत की अपनी सामाजिक प्रणाली को चरमरा देगी। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: अध्यक्ष महोदय, देश में बालिका भ्रूण हत्या की जो घटनाएं हो रही हैं, वह एक बड़ा सामाजिक अपराध है। हम उसे जितनी गम्भीरता से लें, उतना ही आवश्यक है और उसे रोकने के लिए कदम उठाए जाएं। यहां एक वक्तव्य दिया गया और वक्तव्य में जिन राज्यों की चर्चा की गई, मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहूंगा लेकिन सम्पन्न राज्य जैसे दिल्ली, हरियाणा चंडीगढ़, गुजरात और हिमाचल प्रदेश हैं। वहां जिस अनुपात में उनकी कमी हो रही है, वह हमारे लिए चिन्ता का विषय है। इसके लिए सरकार द्वारा कुछ कदम भी उठाये गये थे। एक 'बालिका बचाओ अभियान' चलाया गया था। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि "बालिका बचाओ अभियान" द्वारा क्या फल और परिणाम सामने आए हैं? यह अभियान कुछ समय तक चला और उसके बाद समाप्त हो गया। आज उसके बारे में चर्चा भी नहीं होती है। क्या आप फिर से इस प्रकार का कोई कदम उठायेंगे जिससे सामाजिक जागरूकता पैदा हो और हम भ्रूण हत्या को बचा सकें।

तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो पर्यवेक्षी बोर्ड बनाए गए हैं, वे राज्यस्तरीय बनाए हैं। राज्य स्तरीय पर्यवेक्षी बोर्ड भी अभी तक बने हैं या नहीं? यदि बने हैं तो उनकी कितनी बार बैठकें हुई हैं? जिन राज्यों में पर्यवेक्षी बोर्ड नहीं बने हैं, उनके लिए आप क्या करने जा रहे हैं ताकि वहां पर्यवेक्षी बोर्ड बन जाएं और उनका कार्यान्वयन हो सके। मंत्री जी ने मॉनिटरिंग कमेटी की बात की है। उसकी कोई जागरूकता नहीं है और वस्तु स्थिति सामने नहीं आई है। वह किस तरह से कार्य कर रही है? मैं जानना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय मॉनिटरिंग कमेटी है और आपने जिन राज्यों को नामित किया है, कहां-कहां मानिटरिंग कमेटी ने दौरा किया है? दौरा करने के बाद वस्तु स्थिति का पता लगाया है तो वह क्या है? कितने ऐसे निकायों का पता लगाया है जो अपंजीकृत हैं, जिनके पास अल्ट्रासाउंड हैं और अल्ट्रासाउंड से आज भी ये कार्य हो रहे हैं? जो कम्पनियां अल्ट्रासाउंड बनाती हैं, उनको भी निर्देश दिया है कि वे किन-किन को बेच रही हैं, उनकी सूचना सरकार को दें ताकि ऐसे अपंजीकृत या पंजीकृत संस्थान जहां अल्ट्रासाउंड हैं और अवैध कार्य हो रहे हैं उनका पता लगाया जा सके तथा भ्रूण हत्या पर रोक लगायी जा सके।

अध्यक्ष महोदय: आपको एक प्रश्न पूछने का मौका मिला था लेकिन आपको पांच प्रश्न पूछने का मौका मिल गया।

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय: मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि इन पर रोक लगाने के लिए जो उपाय बताए हैं, उनके क्या परिणाम सामने आए हैं और उन उपायों की राज्य स्तरीय क्या व्यवस्था की है?

अध्यक्ष महोदय: श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी। आप केवल प्रश्न पूछिए।

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी (रीवा): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न तो करूंगा लेकिन उसके पहले एक निवेदन करना चाहूंगा। वक्तव्य में जो आंकड़े दिये गये हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या अनुपात में अन्तर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में है। उसके सबसे बड़े कारण का मैं इसलिए जिक्र करना चाहता हूं कि अगर रोग के कारणों को नहीं जानेंगे तो उनका निदान ठीक से नहीं हो पाएगा। इसका सबसे बड़ा कारण यह रहा है कि हमारे देश में अभी तक अधिकांश आक्रमण इन्हीं इलाकों से हुए और अपने सम्मान की रक्षा के लिए वहां एक हीन भावना भर गई है कि जब लड़कियों के साथ अपमान होता था, इसलिए जब तक वह भावना दूर नहीं की जाएगी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह डिसकशन नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी: अध्यक्ष जी, मेरा एक निवेदन सुन लीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी: अध्यक्ष जी, आखिर यह जो जनसंख्या का अनुपात आया है, इसके दो ही कारण है। एक तो लड़कों का जो सम्पत्ति पर अधिकार होता रहा है और दूसरा लड़कियों का अपमान होता रहा है। पांच-पांच लड़कियां हो जाती हैं। लेकिन एक लड़के के लिये लोग बच्चे पैदा करने का क्रम जारी रखते हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि जब तक लोगों में अवैयरनैस नहीं आएगी, तब तक ये जो भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, इनको रोका नहीं जा सकता। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जनसंख्या के अनुपात में जो स्त्री-पुरुष का अन्तर आया है और उसके अलावा जो ये भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, पिछले दस वर्षों में ये भ्रूण हत्याएं ज्यादा बढ़ी हैं। गरीब तबकों के बजाए ये हत्याएं पढ़े-लिखे तबकों में ज्यादा बढ़ी हैं। इसलिए कुछ कानून बना देने से ये भ्रूण हत्याएं नहीं रुकेंगी। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अगर किसी के एक लड़की ही है तो क्या उसके लिए केन्द्र सरकार कोई इनीशिएटिव लेने जा रही है? जब तक यह व्यवस्था नहीं होगी, तब तक यह घिसा-पिटा स्टेटमेंट देने से भ्रूण हत्या नहीं रुकेगी और यह जो जनसंख्या में स्त्री-पुरुष के अनुपात में जो अन्तर आया है, वह कम नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि सदन और देश को इस बारे में आश्वस्त करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इस प्रकार के मामले पर नियम 193 के अंतर्गत चर्चा किये जाने पर एतराज नहीं करता। यदि इस मामले पर नियम 193 के अंतर्गत चर्चा की जाती है तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। पहले भी, मैंने इस पर एक अन्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दी थी। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। किंतु हमें नियम और प्रक्रिया का पालन करना होता है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष जी, यह प्रश्न किसी विशेष वर्ग का या राजनीति का है, ऐसा नहीं है। यह सारे देश का प्रश्न है और 1901 से लेकर अब तक इसमें गिरावट आती चली गई है। इसलिए कोई एक सरकार या दूसरी सरकार जिम्मेदार है, ऐसी बात भी नहीं है। मैं तो केवल दो-तीन बातें माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। इसमें लिखा है कि पांच साल की सजा और एक लाख रुपया जुर्माना होगा। क्या एक भी व्यक्ति को आज तक पांच साल की सजा और एक लाख रुपया जुर्माना हुआ है? हर आदमी जानता है कि कौन से डॉक्टर ये कर रहे हैं। यहां पर स्टिंग ऑपरेशन में भी उन डॉक्टर्स की लम्बी लिस्ट आई जो इन भ्रूण हत्या में शामिल हैं। किसी पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। अगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और यह कानून बनाने के बाद भी किसी से भी पूछ लीजिए, वह बता देगा कि फला डॉक्टर के पास जाइए, वहां से पता चल जाएगा, वहां जाकर एबॉर्शन हो सकता है। ये सारी बातें सारे लोग जानते हैं परन्तु आज तक किसी के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए पहली बात यह है कि इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

दूसरे, क्या माननीय मंत्री महोदय सभी धार्मिक नेताओं से भी बातचीत करेंगे और उन धार्मिक नेताओं से बातचीत करके, क्योंकि कुछ धर्मों ने इस पर बैन लगा रखा है, कुछ धर्मों में ऐसा है, जैसे हमारे अपने ही धर्म में है कि जब विवाह होता है तो सौ पुत्रों की मां बने या पुत्रवती हो। इसी तरह के आशीर्वाद वहां दिये जाते हैं। क्या यह हो सकता है कि उनसे बातचीत की जाए और उनमें परिवर्तन किया जाए? ये जो सौ पुत्र पैदा हों या पुत्रवती हो और पुत्री का नाम कहीं नहीं आता है। इसी तरह से मुस्लिम धर्म में और दूसरे धर्मों में जो इस पर प्रतिबंध है कि इस प्रकार की कोई चीज नहीं करनी चाहिए। क्या इस बारे में उनके धार्मिक गुरुओं से बातचीत करके क्या मंत्री महोदय एक ऐसी अवैयरनैस बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा अभिशाप है जिस पर सारा देश एकमत होना चाहिए और न केवल इस काम में पुरुष ही बल्कि महिलाएं भी बहुत जिम्मेदार हैं, इस काम के लिए वे ही सामने आती हैं। सारे देश को मिलाकर इस अभिशाप को दूर करना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद, प्रो. मल्होत्रा। आपका बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न था।

श्रीमती मिनाती सेन (जलपाईगुड़ी): महोदय, मैं अध्यक्षपीठ से अनुरोध करती हूं कि एच.ए.क्यू, सेन्टर फार चाइल्ड राइट्स आन "गर्ल चाइल्ड" की सुश्री भारती अली द्वारा दी गई एक प्रस्तुति पर पुनः ध्यान दिया जाए, जिसे 10 दिसम्बर, 2006 को कमेटी आन पार्लियामेंटरी फोरम ऑन चिल्ड्रन के सदस्यों को परिचालित किया गया था।

अपराह्न 1.00 बजे

यह रिपोर्ट कन्या भ्रूण हत्या की एक भयावह तस्वीर पेश करती है। मैं सरकार से जानना चाहती हूं कि क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सुश्री अली द्वारा प्रस्तुत किये गये। विचार, आंकड़े और सूचना से सहमत है। इस रिपोर्ट के संबंध में सरकार की क्या राय है?

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, सर्वप्रथम मैं उन माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने सरकार का ध्यानाकर्षण करके एक अतिसंवेदनशील, अतिभावुकतापूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। जैसाकि माननीय सदस्यों ने कहा है, यह मुद्दा केवल एक चिकित्सीय मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक मुद्दा भी है, जो कि हमारी संस्कृति में व्याप्त है। जो कि काफी समय से मौजूद है। साथ ही साथ, इस बहुत बड़ी समस्या का समाधान ढूंढ़ने के लिए न केवल सरकार बल्कि सभी को, नागरिक समाज, गैर सरकारी संगठनों को मिलजुलकर इस समस्या का समाधान करने की आवश्यकता है।

हम आर्थिक रूप से काफी प्रगति कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहां लिंग अनुपात में गिरावट की समस्या भी मौजूद है। वर्ष 1901 में, यह 1972 था। वर्ष 1991 में लिंग अनुपात 927 तक कम हो गया। वर्ष 2001 में, इसमें प्रति हजार बालक शिशुओं की तुलना में 933 बालिका शिशुओं में थोड़ा वृद्धि हुई। किंतु यह कुल लिंग अनुपात है। लेकिन बाल लिंग अनुपात एक घोर समस्या है। वर्ष 1991 में यह 945 था और वर्ष 2001 में 927 तक कम हो गया। मैं पुनः कहूंगा कि यह एक घोर समस्या है और यह सरकार के लिए भी बहुत चिंता का विषय है।

सरकार ने सत्ता में आने के बाद अनेक कदम उठाए हैं। वस्तुतः, मेरी पूर्ववर्ती मंत्री, श्रीमती सुषमा स्वराज ने इस संबंध में बहुत ही शानदार कार्य किया था, जब वे मंत्री थीं और उन्होंने अनेक कदम उठाए थे। हमने उन्हें जारी रखा है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जिनमें हम सुधार कर रहे हैं। इस प्रकार, सरकार ने "प्री-कन्सेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट एक्ट" बनाया है। इस अधिनियम के अंतर्गत यह निकाय गठित किया गया है। जिसके बारे में माननीय सदस्यों ने कहा है। यह "केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड" है जिसका सभापति स्वास्थ्य मंत्री होता है। हाल ही में, हमने एक संशोधन अधिनियमित किया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की मंत्री भी सह-सभापति होंगी ताकि दोनों मंत्रालय इस गंभीर समस्या से निपटने में शामिल रहें।

इसी प्रकार, राज्य पर्यवेक्षी बोर्ड हैं। फिर सभी जिलों और राज्यों में हमारे समुचित प्राधिकारी हैं। ये प्रमुख प्राधिकारी हैं, जो इस मुद्दे पर ध्यान देंगे। यदि ऐसा कोई मुद्दा है, तो वे वहां जाते हैं। उन्हें यह शक्ति प्राप्त है कि वहां जाकर वे किसी संस्थान की जांच करे। उस पर कार्यवाही करें, अल्ट्रासाउंड उपकरण को जब्त करें और आगे कार्यवाही की सिफारिश करें।

इसके बाद हमारे पास नेशनल इंस्पेक्टिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी है जो सरकार को पूरे देश में जाकर संस्थाओं की जांच करने में सहायता देती है। हमारे पास एक और नेशनल स्पोर्ट एंड मानीटरिंग सैल भी है। ये दो समितियां और प्रकोष्ठ इनमें से किसी भी दोषी संस्थाओं अथवा डाक्टरों अथवा किसी अन्य डायग्नोस्टिक सेंटर के ऊपर निगरानी आपरेशन चलाते हैं। ...*(व्यवधान)* मैं उस पर भी आऊंगा।

श्री गुरुदास दासगुप्त: वे केवल वक्तव्य पढ़ रहे हैं।

डा. अंबुमणि रामदास: मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं। मुझे उत्तर देने दें। मैं जानता हूं कि यह बहुत ही भावनात्मक मुद्दा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय के भाषण में व्यवधान न डालें।

डा. अंबुमणि रामदास: निश्चित तौर पर, मेरा माननीय सदस्यों के साथ विचार-विमर्श हुआ था। मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं माननीय सदस्यों को उन कदमों के बारे में बता रहा हूं जो हम उठाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार ने न्यायपालिका को भी संवेदनशील बनाया है, जिसे अधिक संवेदनशील बनाए जाने की आवश्यकता है। भोपाल अकादमी में भी हमने ऐसा किया क्योंकि हम लोगों को पकड़ तो लेते हैं, लेकिन बाद में न्यायपालिका के कारण वे छूट जाते हैं। वे इन डाक्टरों को छोड़ देते हैं। इसलिए हम उन्हें इस स्थिति के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

[डा. अंबुमणि रामदास]

इसके अतिरिक्त हम चिकित्सक वर्ग को भी संवेदनशील बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अल्ट्रासाउंड मशीनों की बिक्री पर भी हमारा विनियमन है। आज हमारे पास, पूरे देश में 30,370 अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं। हमने उनके पंजीकरण और नियमितीकरण के लिए काफी सख्त पैटर्न बनाया है। यहां तक कि यदि वे पुरानी मशीनों को बदलते हैं, तब भी उन्हें प्राधिकारियों की अनुमति लेने की आवश्यकता है। साथ ही साथ, हम अनेक गैर-सरकारी संगठनों को भी शामिल कर रहे हैं। हमारे यहां देश के लगभग सभी जिलों में शुरुआती गैर-सरकारी संगठन हैं और हम उनका उपयोग वहां रहने वाले लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए कर रहे हैं।

वास्तव में, हम पिछले कुछ वर्षों से काफी कुछ कम रहे हैं और आपने अनेक आई.ई.सी. अभियान देखे होंगे, जो टेलीविजन और रेडियो पर चल रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत "बालिका बचाओ' अभियान और बालिका के महत्व के बारे में अनेक स्पाट दिखाये जा रहे हैं। वस्तुतः, प्रो. मल्होत्रा धार्मिक नेताओं के बारे में पूछ रहे थे। हम अनेक धार्मिक नेताओं का सहारा ले रहे हैं। मैंने भी धार्मिक नेताओं की सभाओं में भाग लिया है। जहां स्वामी अग्निवेश और अन्य मौजूद थे। उन्होंने इस अभियान की बागडोर संभाल ली है। उन्होंने पदयात्राएं शुरू की हैं और हम उन्हें संवेदनशील बना रहे हैं तथा इस मुद्दे को उठाने के लिए कह रहे हैं।

[अनुवाद]

हम पंचायत स्तर पर कार्यशालाएं लगा रहे हैं क्योंकि मुख्य व्यक्ति वे हैं जिन्हें इस कार्यक्रम में शामिल करना है तथा यह कार्य पंचायत स्तर से शुरू होता है।

भारत सरकार ने गत वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की है तथा सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं से "आशा" संबद्ध का निर्माण हुआ है ...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्तः उनका क्या विचार है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः यह क्या है? वे अपना वक्तव्य नहीं बदल सकते हैं क्योंकि वे उत्तर दे रहे हैं। उन्हें पूरा करने दें।

...*(व्यवधान)*

डा. अंबुमणि रामदासः मैं उस पर आ रहा हूं। आपको यह जानने की जरूरत है कि सरकार क्या कर रही है। मैं यही कह रहा हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः यदि उनके वक्तव्य में व्यवधान डाला जाएगा तो वे किस प्रकार अपनी बात पूरी करेंगे। कृपया उन्हें अपनी बात पूरी कहने दें।

डा. अंबुमणि रामदासः मैं आपके प्रश्न पर बाद में आऊंगा। पहले मैं कहूंगा कि यह सरकार क्या करने का प्रयास कर रही है तथा आपके व्यक्तिगत प्रश्न पर बाद में आऊंगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कृपया आगे बढ़ें।

डा. अंबुमणि रामदासः सभा को बताने का मेरा दायित्व बनता है कि यह सरकार कौन-कौन से कदम उठाने जा रही है। तब मैं प्रश्नों का उत्तर दूंगा।

महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता से संबद्ध 'आशा' एक महत्वपूर्ण संघटक है। 'आशा' को इस बात के प्रति सचेत किया जाता है कि वह तुरंत वहां जाए जहां उसे गर्भधारण या बच्चे के जन्म की सूचना मिले। अधिकारी को सूचित करना उसका दायित्व है। जहां भी गर्भधारण की सूचना मिले, 'आशा' के लोगों को इसका पंजीकरण करना होता है ताकि ये लोग गर्भपात या भ्रूणहत्या न करें। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण संघटक है जिसे हम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से जोड़ना चाह रहे हैं।

हमने कई कदम भी उठाए हैं। श्री मैक्सवेल परेरा, पुलिस के भूतपूर्व संयुक्त आयुक्त राष्ट्रीय पर्यवेक्षण तथा निगरानी प्रकोष्ठ में रहे थे। वे हमें सलाह दे रहे थे।

माननीय सदस्य के प्रश्न पर आते हुए, मैं जानता हूं कि श्री रामदास दासगुप्त काफी भावुक व्यक्ति हैं तथा काफी कड़े शब्दों का उपयोग करते हैं। वह ऐसा कहने में सही हैं कि न केवल सरकार पर सबों को जिम्मेवार ठहराना चाहिए। हम यहां किसी को जिम्मेवार नहीं ठहरा रहे हैं। महोदय, यह केवल चिकित्सीय मामला ही नहीं है वरन् एक सामाजिक मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदयः सभी जगह आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है।

डा. अंबुमणि रामदासः जी हां, महोदय, निश्चित रूप से। जून के माह में, वास्तव में 14 जून को मैंने संसद के सभी महिला सदस्यों तथा पांच राज्यों, यथा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात तथा हिमाचल प्रदेश के सभी संसद सदस्यों को केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया। हमने उन्हें आमंत्रित किया। लेकिन उनमें से केवल सत्रह (17) आए तथा

केवल एक महिला सांसद ही उस बैठक में आई। उस बैठक में हमने कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा की। हमने उनसे इस पर सुझाव देने के लिए कहा कि क्या करना चाहिए तथा सरकार को क्या करना चाहिए तथा सरकार किस प्रकार सभी संसद सदस्यों से सहयोग करे। यह एक सामाजिक समस्या है तथा संसद सदस्य को अपने निर्वाचन क्षेत्र में नेता होना चाहिए तथा वहां पर इसे चुनौतीपूर्ण ढंग से उठाना चाहिए।

उस बैठक में हमने निर्णय लिया कि जागरूकता बढ़ाने के लिए इन पांच राज्यों में हम प्रत्येक संसद सदस्य को 5 लाख रु. देंगे। प्रत्येक वर्ष गुजरात पंजाब तथा दिल्ली में लिंग अनुपात में कमी के मुद्दे पर जागरूकता लाने के लिए हम पांच लाख रु. देंगे। ऐसा करने का हम प्रयास कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर): महोदय, राजस्थान के लिए भी कुछ देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया उनके बोलने में व्यवधान पैदा न हो, किरण जी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ऐसा न करें यह क्या है?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: ये जो पांच लाख रु. एम.पीज को देंगे।

[अनुवाद]

यह समस्या खड़ी करेगा ...*(व्यवधान)*

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मुझे बात पूरी करने दें।

अध्यक्ष महोदय: तब मुझे यह चर्चा बंद करनी पड़ेगी। आप मंत्री के बोलने में व्यवधान उपस्थित नहीं कर सकते हैं।

डा. अंबुमणि रामदास: माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि सबसे ज्यादा विकसित राज्यों में समस्या बढ़ी है। हां, महोदय। वास्तव में, अधिकांश अमीर व्यक्ति पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली में ऐसा कदम उठाते हैं। वास्तव में, दिल्ली में हाल में सरकार ने 195 अल्ट्रासाउंड क्लीनिक को बंद किया जो मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर रहे थे। दो डाक्टरों को जेल भेजा गया। ऐसा दिल्ली में हुआ।

श्री गुरुदास दासगुप्त की यह बात उचित है कि यदि यही रुझान बना रहे तो अधिकांश लोग अविवाहित रह जाएंगे। पहले ही यहां एक सामाजिक समस्या है। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों से अपील की है। इसलिए बालिका को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। कुछ राज्य ऐसा राज्य स्तर पर कर रहे हैं। सरकार इस पर निश्चित रूप से विचार करेगी। डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय ने पूछा है कि 'बालिका शिशु बचाओ' अभियान का क्या हुआ। यह एक सतत अभियान है, जो जोर-शोर से चल रहा है। यदि आप देखें तो पिछले माह तथा वर्षों में मीडिया में कई तरह के अभियान को जगह मिली। हमारे पास ब्रांड एम्बेसडर हैं। पहले यह सुश्री सानिया मिर्जा थीं। अब सुश्री अरुणा केशवन तथा सुश्री ज्योत्स्ना चिनप्पा हैं। ये ब्रांड एम्बेसडर बालिका शिशु उपलब्धियों का सूचक है।

हम इससे बाहर निकलते हैं। यह सरकार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। कई अभियान तथा मल्टीमीडिया इस पर केन्द्रित है। सभी राज्यों में लगभग सभी बोर्ड व्यवस्थित कर दिये गये हैं। समस्या जिला स्तर पर उपयुक्त प्राधिकरण के स्तर पर है। इन बोर्डों के अध्यक्ष मेडिकल ऑफिसर हैं। हम आज समस्या का अनुभव कर रहे हैं क्योंकि कुछ मेडिकल आफिसर चूककर्त्ता डाक्टरों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करते हैं क्योंकि वे उनके सहकर्मी होते हैं। अतएव, हम इसमें परिवर्तन ला रहे हैं। अगले केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड की बैठक में जो अब से कुछ सप्ताह बाद जनवरी के माह में होगी हमारे पास कई परिवर्तन होंगे तथा कई परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। हम कड़ा कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

वास्तव में, प्रो. मल्होत्रा एक वर्ष में 5 लाख रु की बात कर रहे थे। हम अर्थदंड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तथा इसके माध्यम से उन्हें सचेत करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस संबंध में पी.एन.डी.टी, अधिनियम में संशोधन लाने की भी कोशिश कर रहे हैं। निश्चित ही, हम समिति की समस्याओं की तरफ ध्यान देंगे। हमने कई संस्थानों का पता लगाया है।

30 नवंबर की स्थिति के अनुसार, कुल 405 मामले उल्लंघनकर्त्ताओं पर दर्ज किये गये हैं। इन 405 मामलों में 56 मामलों में गर्भ के लिंग बताने, 192 पंजीकरण नहीं करने, 79 रिकार्ड का रखरखाव नहीं करने, 36 विज्ञापन हेतु तथा 42 मामले अन्य उल्लंघन के लिए दर्ज किये हैं। पंजाब में 74, गुजरात में

[डा. अंबुमणि रामदास]

71, दिल्ली में 56, महाराष्ट्र में 53 तथा तमिलनाडु में 47 मामले चल रहे हैं। इसके अलावा, 246 मामलों पर निर्णय दिया गया तथा उन्हें बंद कर दिया गया।

स्टिंग आपरेशन के बारे में मैं कहूंगा कि कुछ निजी व्यक्तियों तथा चैनलों ने इसे करने की कोशिश की। उन्होंने तीन स्टिंग आपरेशन उत्तर प्रदेश में, छह बिहार में, एक दिल्ली में तथा 62 राजस्थान में किये हमने सभी राज्य सरकारों को लिखा है। राजस्थान सरकार ने उनके खिलाफ कार्यवाही की है। प्राथमिकी दर्ज की गई है। गुजरात में तीन तथा मध्य प्रदेश में चार ऐसे आपरेशन हुए।

श्री त्रिपाठी प्रोत्साहन चाहते थे तथा प्रो. मल्होत्रा चाहते थे कि क्या कोई व्यक्ति अधिनियम के अंतर्गत हिरासत में लिया गया। चूंकि यह काफी संवेदनशील मामला है इसलिए सरकार इस समस्या पर पुनः आत्मनिरीक्षण करने की कोशिश कर रही है। अब तक एक स्वीकारोक्ति हुई है लेकिन सरकार समस्या पर पुनः आत्मनिरीक्षण कर रही है। इसलिए, मैं कहता हूं कि अगली सी.एस.बी. बैठक में हमारे पास काफी ज्यादा सुझाव होंगे। पिछली बैठक में, हमारे पास कई सुझाव थे। अगली बैठक में हमारे पास कई सुझाव होंगे ताकि हम पी.एन.डीटी. अधिनियम, में संशोधन करके इसमें और कड़ा तथा अर्थदंड वाला खंड ला सकें। हम इस मामले को देखने के लिए और ज्यादा कार्मिक लगाएंगे क्योंकि आज समुचित प्राधिकरण कार्यवाही कर रहा है तथा हमें इसमें वृहतर समाज तथा गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करना है।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त: क्या मंत्री महोदय सभी को शामिल करते हुए राष्ट्रीय अभियान चलाने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे?

डा. अंबुमणि रामदास: अवश्य महोदय।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने कहा है कि उन्होंने बैठक बुलाई थी और इसमें कुछ ही संसद सदस्य उपस्थित थे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हमें थोड़ा आत्म विश्लेषण करना चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जहां तक सदस्यों का संबंध है यह उचित प्रतीत नहीं होता है।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मेरा निवेदन है कि मैं इसे व्यक्तिगत चुनौती के रूप में लूंगा और निश्चित रूप से सरकार इसके लिए भरपूर प्रयास करेगी क्योंकि यह एक ऐसी समस्या है जिससे देश को भविष्य में जूझना होगा और इससे देश का संभावी विकास प्रभावित होगा। यह बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: सरकार को वचनबद्ध होना चाहिए।

डा. अंबुमणि रामदास: सरकार इस संबंध में शत प्रतिशत वचनबद्ध है। इसीलिए, मुझे इस मुद्दे को उठाने के लिए सभी माननीय सदस्यों के सहयोग की आवश्यकता है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाएं और इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करें क्योंकि यह एक सामाजिक समस्या है।

उन्होंने पूछा कि क्या मंत्री जी धार्मिक नेताओं के साथ वार्ता करेंगे। हम वार्ता कर रहे हैं। मैंने धार्मिक नेताओं के साथ व्यक्तिगत रूप से समारोहों में भाग लिया है क्योंकि वही लोग हैं जो वहां जाते हैं। अनेक पदयात्राएं की गई हैं।

श्रीमती मिनाती सेन ने कहा है कि क्या सरकार श्री अली की रिपोर्ट से सहमत है। मुझे यह रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। मैं रिपोर्ट का अध्ययन करूंगा और यदि रिपोर्ट में कुछ मुद्दे हैं, तो हम केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड की अगली बैठक में इनको रखेंगे।

महोदय, मैं सरकार की शत प्रतिशत वचनबद्धता को दोहराना चाहता हूं। यह हमारे देश के विकास के लिए बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम इस समस्या से निपटने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। हमें कुछ संशोधन और परिवर्तन करने की आवश्यकता है जिसका हम प्रयास कर रहे हैं। वस्तुतः हमने केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड की पिछली बैठक से अब उसी बोर्ड को पुनर्गठित किया है। हम बोर्ड में अति प्रतिबद्ध गैर-सरकारी संगठनों एवं राष्ट्रीय महिला आयोग को शामिल कर रहे हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्त: पंचायतों के बारे में क्या है?

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने इस बारे में कहा है।

डा. अंबुमणि रामदास: मैं इसका जवाब पहले ही दे चुका हूं। हम पंचायतों के संबंध में कार्यशालाएं आयोजित कर रहे हैं। यहीं से मुख्य मुद्दे उत्पन्न होते हैं। मुख्य मुद्दा पंचायत स्तर से आरंभ होता है। वस्तुतः हमने कई कार्यशालाएं की थीं, जिन्हें हम पुनः बढ़ाएंगे। मुझे पंचायतों में माननीय संसद सदस्यों की भागीदारी की आवश्यकता पड़ेगी। हम इस मुद्दे के संबंध में पूर्णतः वचनबद्ध हैं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, और भी ज्यादा करने की आवश्यकता है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब पूर्णतः असंतोषजनक है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है। भोजनावकाश नहीं होगा।

अपराह्न 1.15 बजे

भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) विधेयक, 2006*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, मद संख्या 35, श्री पी. चिदम्बरम।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

अपराह्न 1.15½ बजे

केन्द्रीय सड़क निधि (संशोधन) विधेयक, 2006*

[अनुवाद]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, खंड-II, दिनांक 18.12.2006 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री टी.आर. बालू: मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

अपराह्न 1.16 बजे

नियम 377 के अधीन मामले@

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मद संख्या 37, नियम 377 के अंतर्गत मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाए।

...*(व्यवधान)*

(एक) आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में नागरिक सुविधाएं बढ़ाने हेतु शहरी विकास योजनाओं का कार्यान्वयन किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री एम. अंजनकुमार यादव (सिकन्दराबाद): अध्यक्ष महोदय, हैदराबाद शहर में बड़ी तेजी के साथ जनसंख्या बढ़ रही है जिसके कारण हैदराबाद शहर में लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही है, जबकि इस शहर में साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर उद्योग तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और विदेशों से कई लोग पर्यटन के लिए सबसे पहले हैदराबाद आते हैं, यातायात यहां का सामान्यतः जाम रहता है, हैदराबाद को सुन्दर शहर बनाना अति आवश्यक है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है केन्द्र सरकार की शहरी विकास संबंधी योजनाएं हैदराबाद में तुरन्त लागू की जाएं।

(दो) राजस्थान बहरोड में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 और राजस्थान राजमार्ग संख्या 14 के चौराहे पर यातायात सिगनल लगाए जाने की आवश्यकता

डा. करण सिंह यादव (अलवर): अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर स्थित बहरोड कस्बे में एनएच-8 व राजमार्ग

@सभा पटल पर रखे माने गये।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

[डा. करण सिंह यादव]

सं. 14, जो नारनौल से बहरोड होते हुए अलवर-भरतपुर जाता है, के क्रासिंग चौराहे पर यातायात की भारी अव्यवस्था रहती है। ट्रैफिक सिगनल नहीं होने से यहां अक्सर दुर्घटनाएं होती रही हैं तथा एनएच-8 का द्रुतगामी यातायात भी बाधित रहता है।

अतः माननीय यातायात मंत्री से प्रार्थना है कि एनएच-8 व आरएसएच-14 के इस बहरोड चौराहे पर समीक्षा कर तत्काल ट्रैफिक सिगनल लगवाये तथा भविष्य में 6 लेन बनाते हुए इस स्थान पर फ्लाईओवर बनाया जाये।

(तीन) गुजरात के जूनागढ़ में ग्रामीण लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ (जूनागढ़): अध्यक्ष महोदय, गुजरात राजा के जूनागढ़ जिले का वन क्षेत्र काफी विस्तार में फैला हुआ है। इस वन क्षेत्र के अंतर्गत काफी संख्या में रेवेन्यू विलेज और फारेस्ट विलेज आते हैं। इन गांवों में रहने वाले निवासियों को उनकी मूल सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इन गांवों में पीने के पानी, खेती के लिए पानी, बिजली और सड़कों की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। पीने के पानी या खेती के लिए पानी की पाईप लाईन डालने के लिए विभाग को मोटी रकम अदा करनी पड़ती है। यह रकम पहले काफी कम हुआ करती थी और इसी तरह बिजली के पोल लगने हो या फिर सड़कों की मरम्मत करनी हो, सड़क तो लगभग है ही नहीं जहां है भी तो उनकी हालत काफी खराब है क्योंकि वन विभाग किसी भी कार्य की अनुमति नहीं देता है। किसी भी कार्य की अनुमति लेने के लिए जिले से बाहर सर्कल ऑफिस में जाना पड़ता है अनुमति मिलने में लगभग दो से तीन वर्ष का समय लग जाता है।

रेवेन्यू विलेज और फॉरेस्ट विलेज के विकास के लिए सरकार द्वारा दिये जाने वाले बजट का भी उपयोग नहीं हो पाता है क्योंकि इन गांवों में किसी भी प्रकार के कार्य के लिए वन विभाग से अनुमति प्राप्त होने में दो से तीन वर्ष लग जाते हैं, तब तक बजट के व्यय की समय सीमा और उस क्षेत्र के विकास के प्रस्ताव की समय सीमा समाप्त हो चुकी होती है।

भारत सरकार के नियम और कानूनों के अनुसार इन गांव वालों के जो भी मूल अधिकार हैं वह उन्हें दिये जाने चाहिए और वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रेवेन्यू विलेज और फॉरेस्ट विलेज के विकास तथा अन्य कार्य के लिए जो भी अनुमति चाहिए वह उसी जिले के मुख्य कार्यालय से दिये जायें और वन विभाग द्वारा किसी कार्य की फीस को भी कम किया जाये ताकि इन गांवों के विकास कार्य तथा गांव के निवासियों के हित के लिए किये जा रहे कार्यों में देरी न हो।

मैं भारत सरकार तथा वन मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि इन गांवों के निवासियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए शीघ्र उचित कार्यवाही की जाये।

[अनुवाद]

(चार) कर्नाटक राज्य सरकार की मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित लंबित परियोजनाओं को स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा): कर्नाटक सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के समक्ष निम्नांकित प्रस्ताव रखे थे:

(एक) 19.77 लाख अतिरिक्त बच्चों को बी.पी.एल. दरों पर चावल की अतिरिक्त मात्रा प्रदान करने के लिए 4.12.2005 को डी.ओ.सं.ई.डी. 144 एच.एम.एस. 2004 के माध्यम से छठी और सातवीं कक्षा के छात्रों के लिए बी.पी.एल. दरों पर खाद्यान्न जारी किया जाना।

(दो) वर्ष 2006-07 के लिए प्रयोज्य आंकड़ों के अनुसार (1) हासन-933; (2) मांड्या-2158; तथा (3)बंगलौर ग्रामीण-780 जिलों के लिए उसी वर्ष विशेष मामले के रूप में 24.4.2006 को सी.एम. 1274/एस.आई.पी./2006 के माध्यम से कर्नाटक को अतिरिक्त कक्षा कमरों की स्वीकृति के लिए अनुरोध;

(तीन) पत्र संख्या 1.10.2005/एस.एस.एच./एस.सी.एच.एल. अनुदान संशोधन 2005-2006, के माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालय अनुदान राशि की स्वीकृति के लिए मानदण्डों में परिवर्तन के लिए विद्यालयों में शिक्षकों के कुल वेतन के 5% तक विद्यालय अनुदान की स्वीकृति के लिए मानदण्डों में संशोधन हेतु जैसा कि महाराष्ट्र राज्य में विद्यालय अनुदानों में वृद्धि के द्वारा किया जाता है, के लिए अनुरोध।

उपर्युक्त सभी प्रस्ताव लंबित हैं और मैं सरकार से परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने का अनुरोध करता हूं ताकि कर्नाटक सरकार को छात्रों की आवश्यक अवसंरचना प्रदान करना लाभकर हो सके।

(पांच) असम के मालेगढ़ में 1857 के सैनिक विद्रोह वाले ऐतिहासिक स्थल पर लगाई गई बाड़ को बदले जाने की आवश्यकता

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य (करीमगंज): मैं सरकार का ध्यान लातू (असम स्थित मेरा निर्वाचन क्षेत्र) के मालेगढ़ स्थित एक स्थल की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जो कि ऐतिहासिक

रूप से इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस स्थान पर ब्रिटिश कमांडरों तथा सिपाहियों के बीच लड़ाई हुई थी। 1857 में सिपाही विद्रोह के दौरान सिपाही मारे गये थे। अतः, यह इस क्षेत्र के लोगों को आकर्षित करता है क्योंकि यह ऐतिहासिक महत्व का एकमात्र ऐसा स्थान है। यद्यपि यह स्थल शून्य रेखा से 150 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है, लेकिन यह कंटीले तार के बाड़ के बाहर है। अतः, मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि बाढ़ के संरेखण में परिवर्तन पर विचार किया जाए ताकि यह विशेष स्थल अपेक्षित आदर प्राप्त कर सके तथा यह स्पष्ट रूप से भारत के अंदर समझा जाए ताकि पर्यटक बिना किसी संकोच के इस स्थल पर जा सकें, क्योंकि असम सरकार भी इसे ऐतिहासिक महत्व के पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना चाहती है। यह स्मारक स्थल के आसपास तथा कांटेदार तार बाड़ के बाहर रहने वाले लगभग 200 परिवारों को भी दुर्गति से निजात दिलाएगा।

[हिन्दी]

(छह) गुजरात में अमरेली में स्थित 'कृषि विज्ञान केन्द्र' अमरेली, को चालू किये जाने की आवश्यकता

श्री वी.के. ठुम्मर (अमरेली): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली में एक कृषि विज्ञान केन्द्र को स्थापित करने की मंजूरी मिल चुकी है, परन्तु इस कृषि विज्ञान केन्द्र ने अभी तक काम करना शुरू नहीं किया है जिसके कारण सरकार के द्वारा दी जा रही सुविधा से मेरे संसदीय क्षेत्र के किसान अभी तक वंचित हैं। जबकि मेरा संसदीय क्षेत्र अमरेली का अमरेली जिला पूरी तरह से कृषि पर आधारित है और कपास, मूंगफली और तिल जैसे फसल बड़ी मात्रा में बोई जाती है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली में जल्द से जल्द किसानों के हित में जो कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति दी है उसको जल्द से जल्द शुरू किया जाये।

(सात) रेवाड़ी-सादुलपुर, सादुलपुर-हिसार, सादुलपुर-बीकानेर और रतनगढ़-डेगाना रेल खंड के आमान परिवर्तन हेतु कदम उठाये जाने की आवश्यकता

श्री राम सिंह कस्वां (चुरु): अध्यक्ष महोदय, रेवाड़ी-बीकानेर, सादुलपुर-हिसार, रतनगढ़-डेगाना रेल मार्ग के आमान परिवर्तन की मांग वर्षों से की जा रही है। रेवाड़ी-सादुलपुर व सादुलपुर-हिसार मार्ग के आमान परिवर्तन की स्वीकृति 8 वर्ष पूर्व जारी की गई थी, कार्य नाममात्र का चल रहा है। आमान परिवर्तन में उपरोक्त क्षेत्र की घोर उपेक्षा की गई है। चुरु संसदीय क्षेत्र में बीकानेर जिले को श्रीडूंगरगढ़ व नागौर जिले का लाडनू विधान सभा क्षेत्र शामिल हैं, यह सम्पूर्ण क्षेत्र ऐतिहासिक एवं भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बीकानेर का पाकिस्तान से लगता हुआ भूभाग सैनिक गतिविधियों के लिए अतिमहत्वपूर्ण क्षेत्र है, इस आमान परिवर्तन से देश का सीधा सम्पर्क हो जायेगा। विभिन्न कम्पनियों का कांडला बन्दरगाह से आने वाला तेल जोधपुर-डेगाना-रतनगढ़-सादुलपुर-हिसार होते हुए पंजाब व हरियाणा जायेगा, जिससे प्रतिवर्ष इन कम्पनियों को करोड़ों रुपये की बचत होगी। इस क्षेत्र के प्रवासी पूरे देश में व्यापार करते हैं, उन्हें भी बार बार गाड़ी बदलने के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारत निर्माण में इस क्षेत्र के प्रवासियों, वीर सैनिकों की अहम भूमिका रही है। बीकानेर रियासत के समय 1910 से 1912 के दौरान 400 कि.मी. रेल मार्ग का निर्माण किया गया था, लेकिन पीड़ा इस बात की है कि 95 वर्ष पश्चात भी इस क्षेत्र में रेल लाइन का कोई भी विकास नहीं किया गया है।

अतः मेरा नम्र निवेदन है कि रेवाड़ी-सादुलपुर, सादुलपुर-हिसार स्वीकृत भाग का अविलम्ब आमान परिवर्तन किया जाये एवं शेष भाग सादुलपुर-बीकानेर व रतनगढ़-डेगाना भाग के आमान परिवर्तन की स्वीकृति जारी कर आने वाले बजट में इसके लिए सम्पूर्ण राशि उपलब्ध करवाने का श्रम करें।

(आठ) कर्नाटक में बेल्लारी में एसजीएसवाई के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु धनराशि जारी किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री जी. करुणाकर रेड्डी (बेल्लारी): महोदय, मैं कर्नाटक के बेल्लारी जिले के दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों का उल्लेख करना चाहूंगा जो कि कर्नाटक सरकार द्वारा विधिवत अग्रेषित किये गये थे और केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं।

पहला प्रस्ताव एस.जी.एस.वाई. विशेष परियोजना के अंतर्गत बेल्लारी जिले में स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम, बेल्लारी डेयरी के विस्तार एवं आधुनिकीकरण के साथ-साथ डेयरी सहकारी समितियों में अवसंरचना सुविधाओं के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता जारी किये जाने के संबंध में है। परियोजना की संशोधित लागत 672.50 लाख रुपये है।

दूसरा प्रस्ताव इसी एस.जी.एस.वाई. विशेष परियोजना के अंतर्गत बेल्लारी जिले में देवदासियों के पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता जारी किये जाने के संबंध में है। आजीविका के लिए ये महिलाएं

[श्री जी. करुणाकर रेड्डी]

देवदासी प्रथा को अपना रही हैं और बदले में इन्हें एच.आई.वी./एड्स जैसे यौन संक्रमण जनित घातक रोगों से प्रभावित हो रही हैं। अत:, इस गलत परम्परा को हतोत्साहित किये जाने तथा बैंक एवं सरकारी विभागों से सहायता के जरिये स्वरोजगार के द्वारा उन्हें मुख्यधारा में लाये जाने की तत्काल आवश्यकता है। परियोजना की कुल लागत 963.727 लाख रुपये है तथा इसमें केन्द्र सरकार का हिस्सा 395.98 लाख रुपए है।

अत:, मैं केन्द्र सरकार से उक्त दोनों प्रस्तावों के लिए वित्तीय सहायता तत्काल जारी करने का अनुरोध करता हूं ताकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र बेल्लारी के लोग काफी हद तक लाभान्वित हो सकें।

[हिन्दी]

(नौ) पंचायतें अपने-अपने क्षेत्रों में विकास कार्य कर सकें इसके लिए उनके वित्तीय संसाधनों को बढ़ाए जाने हेतु योजनाएं बनाए जाने की आवश्यकता

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): अध्यक्ष महोदय, देश की 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है, भारत गांवों में बसता है और गांवों का विकास होना चाहिए यह सपना हमेशा भारतीय नेताओं व जनता का रहा है। लेकिन समय के बीतने के साथ-साथ गांवों का विकास नहीं हो पाया है। लोगों का रुझान शहरों में आकर बसने का रहा है। गांव की पंचायत के पास अपनी कोई निश्चित आय नहीं है। शहरों में नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिकाओं को अलग-अलग स्रोतों से आमदनी है, जो शहरों के विकास के लिए उपयोग की जाती है। गांव पंचायतों के पास में निश्चित आमदनी के स्रोत बने सरकार को ऐसी योजना बनाने की जरूरत है कि गांव पंचायत के पास आमदनी होगी तो गांव का विकास होगा।

(दस) महाराष्ट्र में मुर्तिजापुर और आकोट रेलवे स्टेशनों पर कम्प्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

श्री संजय धोत्रे (अकोला): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र अकोला जिले से सेंट्रल रेलवे की महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों का दिन रात आवागमन रहता है। हावड़ा-मुंबई, पुणे-हावड़ा, सूरत-हावड़ा तथा दक्षिण की ओर जाने वाली मेल तथा एक्सप्रेस गाड़ियां नियमित रूप से चलती हैं और इस जिले की जनता को इसका पूरा लाभ भी मिलता है। इस अकोला जिले के दो महत्वपूर्ण शहर मुर्तिजापुर तथा आकोट रेलवे स्टेशनों से यह गाड़ियां गुजरती हैं, किंतु जनता को इन लंबी दूरी वाली गाड़ियों में आरक्षण नहीं मिल पाता और इसका कारण यह है कि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटराइज्ड आरक्षण केन्द्र अब तक खोला नहीं गया जिसके लिए हम रेल मंत्रालय को बार-बार निवेदन देते हैं, फिर भी इस ओर कोई ध्यान नहीं देते। रेल बजट में हर साल नये-नये कम्प्यूटराइज्ड आरक्षण केन्द्र खोलने की घोषणा तो कर देते हैं, लेकिन जहां बहुत जरूरत है वहां यह केन्द्र नहीं खोलते।

सरकार से मेरा आग्रह है कि रेल मंत्रालय आगामी रेल बजट में इन दोनों शहरों में कम्प्यूटराइज्ड आरक्षण केन्द्र खोलने की घोषणा करें।

(ग्यारह) राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किये जाने की आवश्यकता

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थानी भाषा भारत की ही नहीं वरन् विश्व की समृद्ध भाषाओं में से एक है। 16 करोड़ लोगों की यह मात्र भाषा राजस्थान प्रदेश की प्रतीक है। राजस्थानी भाषा विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है। दूरदर्शन एवं आकाशवाणी केन्द्रों से बराबर राजस्थानी भाषा के कार्यक्रम प्रकाशित किये जा रहे हैं जो बहुत ही लोकप्रिय हैं। राजस्थानी भाषा का 1200 वर्ष पुराना समृद्ध साहित्य, इतिहास विश्व प्रसिद्ध जिसमें वीरता, श्रृंगार, भक्ति, करुणा सहित नौ रसों में लाखों ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। जिनमें से पांच लाख पांडुलिपियां आज भी सुरक्षित हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं होने के कारण इसका पूर्ण विकास एवं संवर्द्धन नहीं हो पाया है। इसका विशाल शब्द कोष लोकगीत, लोक कथाएं, लोग गाथाएं एवं कहावतें दुनिया की किसी भी भाषा से कम नहीं हैं। केन्द्रीय साहित्य अकादमी जो भारतीय भाषाओं के संवर्द्धन के लिए काम कर रही है। उसमें राजस्थानी भाषा भी शामिल है। राजस्थान विधान सभा की ओर से 25 अगस्त, 2003 को सर्वसम्मति से राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करके 16 करोड़ राजस्थानी भाषियों की भावनाओं का आदर किया जाना चाहिए। राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए पिछले 50 वर्षों से शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है। जिस पर सरकार को ध्यान देकर अतिशीघ्र संवैधानिक मान्यता का निर्णय लेना भारत देश एवं राजस्थान प्रदेश के लिए हित में होगा।

(बारह) सूचना का अधिकार अधिनियम का परिकल्पित मार्गनिर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन किये जाने की आवश्यकता

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): भारतीय संसद में जुलाई 2000 में भारतीय सूचना का अधिकार अधिनियम पुर:स्थापित किया गया। यह 12 अक्तूबर, 2005 से लागू हो गया। इस कानून के अंतर्गत

सूचना, नागरिक के लिए एक मूल अधिकार बन गई है। इस कानून के अंतर्गत सरकारी निकायों अथवा सरकार द्वारा वित्तपोषित एजेंसियों को एक जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) को मनोनीत करना होगा। यह सुनिश्चित करना पीआईओ की जिम्मेदारी है कि मांगी गई सूचना याचिकाकर्त्ता को 30 दिन के अंदर भेज दी जाए अथवा यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है तो वह सूचना उसे 48 घंटे के अंदर दे दी जाए।

कई बड़े खुलासों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन भंडार), आपदा राहत, राजमार्गों के निर्माण आदि में घोटालों का पर्दाफाश हुआ और अधिक खुलेपन और जवाबदेही की दिशा में भारत के अभियान में इस कानून को मील का पत्थर माना जाता है।

तथापि, आरटीआई भारत में कतिपय खामियां हैं। जिससे क्रियान्वयन प्रभावित हुआ है। एक केन्द्रीय पीआईओ के अभाव के कारण अनुरोधों हेतु सही पीआईओ का चयन करना कठिन हो जाता है। महाराष्ट्र में यह अनुमान लगाया गया है कि महाराष्ट्र सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत केवल 30 प्रतिशत अनुरोधों का ही वास्तव में निपटारा किया गया। इस कानून में राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा को प्रभावित करने वाली जानकारी तथा राष्ट्रीय हित संबंधी माने जाने वाले अन्य मामलों का खुलासा करने की मनाही है।

अत: मैं सरकार से निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार आरटीआई अधिनियम को क्रियान्वित करने का अनुरोध करता हूं।

(तेरह) पाय्यान्नूर से बंगलौर तक अंतर्राज्यीय सड़क का निर्माण किये जाने की आवश्यकता

श्री पी. करुणाकरन (कासरगौड): मैं, पायान्नूर से बंगलूर तक अंतर-राज्यीय सड़क के निर्माण की मालाबार क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को उठाना चाहता हूं।

पायान्नूर से बंगलौर तक अंतर राज्यीय सड़क के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार को पहले ही अभ्यावेदन दिये जा चुके हैं। यह सड़क, बंगलूर तक का छोटा मार्ग होगी। इससे प्रसिद्ध एजीमाला नौसेना अकादमी पुलीगेम में सीआरपी शिविरों तथा दोनों राज्यों के बहुत से अन्य तीर्थस्थलों के लिए सुविधा हो जाएगी। इस सड़क के निर्माण से दूरी लगभग 100 किलोमीटर तक कम हो जाएगी।

इसलिए, मैं सरकार से इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

(चौदह) केन्द्रीय विद्यालयों में प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के बजाय प्रोन्नति द्वारा भरे जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान केन्द्रीय विद्यालय में प्रिंसिपलों के प्रमोशन की ओर दिलाना चाहता हूं। पिछले कई सालों से प्रिंसिपलों की प्रमोसन नहीं हो रही है बल्कि उन्हें डेपुटेशन से भरा जा रहा है जिससे एस.सी./एस.टी. को चांस नहीं मिल रहा है क्योंकि डेपुटेशन में कोटा नहीं है।

अत: सरकार प्रिंसिपल की सीटों को डेपुटेशन के बजाय प्रमोशन से भरें।

(पन्द्रह) गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा किये जाने की आवश्यकता

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर): अध्यक्ष महोदय, देश के बड़े भूभाग पर गन्ने की खेती हो रही है और कई परिवार अपने परिवारों का लालन-पालन गन्ने की खेती के सहारे ही करते हैं। देश में धान एवं गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी गयी है जबकि गन्ने की फसल तैयार हो चुकी है और कई जगहों के बाजारों में गन्ना बिकने लगा है परन्तु सरकार ने अभी तक गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं की है। आज गन्ना किसान अपने गन्ने को अपनी लागत के मूल्य से बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं।

सदन के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय कृषि मंत्री जी शीघ्र गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करें।

(सोलह) बिहार के पटना में एक और केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव (पटना): अध्यक्ष महोदय, पटना शहर की आबादी करीब 18 लाख हो गयी है। वहां भारत सरकार के कई विभागों के कार्यालय हैं साथ ही साथ दानापुर में रक्षा मंत्रालय की छावनी है। वहां शिक्षा मंत्रालय द्वारा दो केन्द्रीय विद्यालय स्थापित हैं। अभी इसी वर्ष एक और विद्यालय शुरू किया गया है किंतु शहर की आबादी के अनुपात में यह बहुत ही कम है। वैसे ही बिहार हर क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है। प्राथमिक शिक्षा नागरिकों का मूल अधिकार है, किंतु वहां उचित संख्या में केन्द्रीय विद्यालय नहीं होने के कारण बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया नहीं हो पा रही है।

[श्री राम कृपाल यादव]

अत: मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मानव संसाधन मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और आग्रह करता हूं कि पटना शहर में एक और केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए अविलम्ब अनुमति देने की कृपा करें।

(सत्रह) उत्तर प्रदेश में रामगढ़ चीनी मिल के कार्यकरण की जांच किये जाने की आवश्यकता

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मिसरिख के अंतर्गत आने वाली रामगढ़ चीनी मिल में हो रही अनियमितताओं की शिकायत जनपद के जिलाधिकारी से गन्ना किसानों द्वारा की गयी, लेकिन अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गयी। गरीब किसानों को उनके गन्ने का उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है। इससे किसानों को गंभीर आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है और वे आत्महत्या करने पर मजबूर हो सकते हैं।

अत: मैं चाहूंगा कि उक्त चीनी मिल के द्वारा की जा रही अनियमितता की जांच करायी जाये और साथ-साथ गन्ने का भुगतान यथाशीघ्र दिलाया जाये।

(अठारह) महाराष्ट्र के परभनी और जालना जिलों में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय योजना कार्यान्वित किये जाने की आवश्यकता

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील (परभनी): अध्यक्ष महोदय, देश में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय योजना लागू हो गई है और कई जगहों पर इसने काम करना भी शुरू कर दिया है। मेरे संसदीय क्षेत्र परभनी के दो जिलों परभनी एवं जालना में अभी तक कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की कोई स्थापना नहीं की गई है, जिसके कारण केन्द्र सरकार द्वारा चलाई इस योजना का लाभ मेरे संसदीय क्षेत्र को अभी तक नहीं मिला है। और न ही इसे किन-किन स्थानों पर स्थापित किया जाना है उसकी भी आज तक मंजूरी नहीं मिली है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र परभनी के परभनी एवं जालना जिलों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को तत्काल लागू किया जाये।

(उन्नीस) उड़ीसा के लोगों को मोबाइल टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु फूलबनी के प्रखंडों में बीएसएनएल मोबाइल/डब्ल्यूएलएल टॉवर लगाये जाने की आवश्यकता

श्री सुग्रीव सिंह (फूलबनी): महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र फूलबनी, जो कि पिछड़ा तथा जनजातीय बहुल क्षेत्र है, की ओर दिलाना चाहता हूं। टेलीफोन विभाग ने अधिकांश खंडों में अभी तक बी.एस.एन.एल. मोबाइल/डब्ल्यूएलएल टॉवर नहीं लगाये गये हैं। बी.एस.एन.एल. मोबाइल/डब्ल्यू.एल.एल. टेलीफोन सेवाओं के न होने से शैकिया, खजूरीपाड़ा, के. नुआगाम और ब्रहमुनीगाम के ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान मोबाइल टेलीफोन की सेवा भी संतोषजनक नहीं है और मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को इससे बहुत कठिनाई हो रही है।

इंटरनेट, प्रौद्योगिकी और आधुनिकीकरण के इस युग में हमें अपने जनजातीय भाइयों और बहनों को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। देश में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित किसी भी विकास कार्यक्रम/योजनाओं का निर्णय करते समय हमें उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए।

इसलिए मैं संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री महोदय से मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए बी.एस.एन.एल. के कम से कम चार मोबाइल/डब्ल्यूएलएल टॉवरों हेतु स्वीकृति दें ताकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग मोबाइल टेलीफोन सुविधाओं का लाभ उठा सकें।

(बीस) कर्नाटक में बंगलौर के आस-पास पांच सेटेलाइट नगर विकसित करने हेतु एक हजार करोड़ रुपये दिये जाने की आवश्यकता

श्री एम. शिवन्ना (चामराजनगर): बंगलौर शहर में प्रतिदिन औसतन दो मौतें हो रही हैं तथा अठारह लोग घायल हो रहे हैं। सड़क यातायात में भीड़-भाड़ की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है।

महाराष्ट्र के राज्यपाल का कहना है कि ''बंगलौर सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) का आदर्श है तथा अन्य सभी शहर इसका अनुसरण करना चाहते हैं। वस्तुत: यह सही है।

दुर्भाग्यवश, बंगलौर शहर की सड़कें लोगों को सम्मोहित कर रही हैं। कैंप गौडा रोड, अवेन्यू रोड, बंगलौर बस तथा रेलवे स्टेशन, कृष्ण राजेन्द्र रोड, महात्मा गांधी रोड, चिकपेट, बालेपेट, शिवाजीनगर पर भारी भीड़ होती है और प्रतिदिन बहुमूल्य जिंदगियां खत्म हो जाती हैं।

इस गंभीर स्थिति को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने बिडाडी में पांच निकटवर्ती कस्बों तथा बंगलौर के आसपास चार अन्य केन्द्रों को विकसित करने का निर्णय किया है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना वास्तविकता केवल तभी बन सकती है जब पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाए। अत: मैं माननीय प्रधान मंत्री तथा

माननीय शहरी विकास मंत्री से कर्नाटक को सहायता के लिए तत्काल 1000 करोड़ रु. स्वीकृत करने का अनुरोध करता हूं ताकि कर्नाटक के लोगों की यह स्वप्निल परियोजना सफलतापूर्वक पूरी हो सके।

(इक्कीस) उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित जिलों में पुनर्वास/ पुनर्निर्माण कार्यों हेतु केन्द्रीय सहायता दिये जाने की आवश्यकता

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव (बोलनगीर): उड़ीसा ने जुलाई से अगस्त 2006 के बीच पांच बार विनाशकारी बाढ़ का सामना किया है। राज्य के तीस जिलों में से सत्ताइस जिले बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इसमें 105 लोगों के साथ-साथ 1656 मवेशी भी मारे गए। इसके कारण 1,20,446 मकानों को नुकसान पहुंचा है।

इस दौरान कुल 6,82,643 हेक्टेयर फसल क्षेत्र जलमग्न रहा जिसमें से 3,09,201 हेक्टेयर क्षेत्र में अनुमानतः पचास प्रतिशत से ज्यादा फसल का नुकसान हुआ।

इससे जनसुविधाओं और अवसंरचना को काफी नुकसान पहुंचा और उड़ीसा सरकार ने केन्द्र सरकार से पुनर्निर्माण के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सहायता अथवा 2,38,242 करोड़ रुपये मांगे।

बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजा गया। माननीय प्रधानमंत्री ने भी राज्य का दौरा किया और राज्य को एनसीसीएफ से 200 करोड़ रुपये की सहायता देने की घोषणा की। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।

उड़ीसा प्राकृतिक आपदा प्रवण राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा लोग 'गरीबी रेखा से नीचे' जीवन यापन करते हैं।

मैं सरकार से माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित धनराशि के साथ-साथ उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा मांगी गई धनराशि को जारी करने का अनुरोध करता हूं ताकि उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जा सके।

अपराह्न 1.19 बजे

(एक) प्रशासनिक अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2006

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा द्वारा यह सहमति व्यक्त की गई है कि अब मद संख्या 42 नामतः प्रशासनिक अधिकरण (संशोधन) विधेयक को लिया जाए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि इसे बिना विचार विमर्श किये ही पारित किया जा सकता है। इसे बिना विचार-विमर्श के ही पारित करने का अनुरोध किया गया है।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): जी नहीं, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप प्रशासनिक अधिकरण विधेयक पर बोलना चाहते हैं? आप सभा में उपस्थित नहीं थे और सभा में इस मुद्दे पर सर्वसम्मति थी।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, यदि कोई इस विधेयक पर बोलना चाहता है तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। इसमें केवल एक मामूली संशोधन किया गया है।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 राज्य सभा द्वारा यथापारित में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 323(ए) के अनुसरण में संसद ने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट, 1985 बनाया है। इस एक्ट में केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों अथवा किसी लोकल या किसी अन्य अथारिटी के सिविल कर्मचारियों के सेवा मामलों से जुड़े विवादों का निर्णय देने और सुनवाई के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना का प्रॉवीजन किया गया था। तदनुसार, केन्द्र सरकार और केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन नोटीफाइड कॉर्पोरेशन्स अथवा निकायों के कर्मचारियों के सेवा संबंधी विवादों में निर्णय देने के लिए दिनांक 28.9.1985 को भारत संघ द्वारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सिविल कर्मचारियों को तत्परता से न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से गठित किये गये थे और मुझे यह बताते हुए संतोष है कि उन अपेक्षाओं को पूरा किया गया है जिन्हें पूरा करने के लिए इनकी स्थापना की गई थी। दिनांक 1.11.1985 से 31.10.2006 की अवधि के दौरान सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में 482579 मामले इंस्टीट्यूट किये गये और 458059 मामलों का निपटान कर

[श्री सुरेश पचौरी]

दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट, 1985 के लागू करने के समय से ही सक्षम और योग्यताप्राप्त व्यक्तियों को आकर्षित करके एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स द्वारा दिये गये निर्णयों/आदेशों की गुणवत्ता के बारे में न्यायपालिका ने समय-समय पर टिप्पणियां भी की गई हैं।

महोदय, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट, 1985 में सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष उस समय रखी गई थी जब सरकारी कमचारियों की आयु 58 वर्ष तय थी। तदनुसार, जब सेवानिवृत्त सरकार कर्मचारी, ट्रिब्यूनल के सदस्य के रूप में नियुक्ति किये जाते थे तो उनका कार्यकाल सामान्यतया चार वर्ष का होता था। अब सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है। अतः अब सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाले सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों का मात्र दो वर्ष का कार्यकाल शेष रह जाता है। इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी सेवकों के लिए सदस्य के पद पर नियुक्ति उतनी आकर्षक नहीं रही।

इस समय पांच वर्ष के लिए नियुक्त सदस्य अगले पांच वर्ष की कार्यावधि के लिए पात्र हैं, परन्तु पुनः नियुक्ति के लिए उनके नाम पर विचार किये जाने से पहले उनकी समूची जो चयन प्रक्रिया है, उससे पुनः गुजरना होता है। इस बारे में अनिश्चितता भी इन नियुक्तियों के मामले में एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। पांच वर्षों के लिए उनका कार्यकाल और बढ़ाने के प्रावधान से यह अनिश्चितता समाप्त हो जायेगी और इससे योग्य, अनुभवी, सक्षम व्यक्ति ट्रिब्यूनल्स की तरफ आकर्षित होंगे। वस्तुतः माननीय उच्चतम न्यायालय ने सम्पत कुमार बनाम भारत सरकार के मामले में इस संबंध में चिंता व्यक्त की थी और यह सुझाव दिया था कि जब कभी भी इस अधिनियम में संशोधन लाया जाये तो मामले के इस पहलू पर भी विचार किया जाये कि जो समूची चयन प्रक्रिया है, उसके लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध हों। प्रस्तुत विधेयक प्रमुख रूप से सैण्ट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में एपाइंटमेंट्स को और अधिक आकर्षक करने की दृष्टि से तैयार किया गया है, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में अधिक प्रतिभासम्पन्न, अनुभवी, वरिष्ठ और उपयुक्त अधिकारियों को आकर्षित किया जा सके। इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए और ध्यान में रखते हुए इस विधेयक में सदस्यों की जो सेवानिवृत्ति की मौजूदा आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करके उनकी सेवा शर्तों में सुधार करके और उनकी अन्य सेवा शर्तों में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा शर्तों के समान किये जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा इस विधेयक में 65 वर्ष की आयु सीमा के अध्यधीन सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्षों तक और बढ़ाने का प्रावधान है। ट्रिब्यूनल्स का कामकाज कुशलता से हो सके, इसके लिए यह भी आवश्यक है कि ट्रिब्यूनल्स के अध्यक्षों का कम से कम पांच वर्ष का स्थिर कार्यकाल होना चाहिए। इस समय अध्यक्ष की नियुक्ति उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों में से की जाती है। अतः उनका कार्यकाल काफी थोड़ा होता है। इस विधेयक के प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य सदस्यों की श्रेणी में अधिक उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति और अध्यक्ष के स्तर पर स्थिर कार्यकाल का प्रावधान करना है। इन संशोधनों को भावी प्रभाव से लागू करने का प्रस्ताव है, क्योंकि मौजूदा सदस्यों को इनसीटू आधार पर सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा देने से इन संशोधनों का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा, क्योंकि मौजूदा संशोधनों का उद्देश्य उच्च योग्यता प्राप्त तथा अनुभवी, वरिष्ठ व्यक्तियों को आकर्षित करना है। तथापि मौजूदा अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों के मौजूदा कार्यकाल को समाप्त होने और उनके द्वारा निर्धारित आयु सीमा प्राप्त किये जाने तक, जैसा भी मामला हो, प्रोटैक्शन दिया जायेगा। अपने मौजूदा कार्यकाल के पश्चात वे दूसरे उम्मीदवारों के साथ कम्पीट कर सकते हैं और इस अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के आधार पर उनकी नये सिरे से नियुक्ति के लिए योग्यता के आधार पर चयन किया जा सकता है।

महोदय, मुझे विश्वास है कि विधेयक लागू हो जाने पर ट्रिब्यूनल के सदस्यों के रूप में प्रतिभासम्पन्न, अनुभवी और उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति का मामला खुल जायेगा और इससे ट्रिब्यूनल के कामकाज में और कुशलता आयेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को सदन में विचार करने के लिए पेश करता हूं।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय मैं माननीय मंत्री से प्रश्न करना चाहता हूं। क्या माननीय मंत्री सेवानिवृत्ति की आयु को 65 वर्ष करने पर विचार कर रहे हैं? मंत्री महोदय क्या आप सेवानिवृत्ति की आयु को 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप थर्ड रीडिंग में पूछिए। अच्छे आदमी आगे नहीं आ रहे हैं।

श्री सुरेश पचौरी: माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक ट्रिब्यूनल्स के मैम्बर का प्रश्न है, उनकी जो आयु सीमा 62 वर्ष है, उसे बढ़ाकर 65 वर्ष करने का प्रावधान है और चेयरमैन के लिए

65 वर्ष से 68 वर्ष करने का है, क्योंकि यदि हम दूसरे ट्रिब्यूनल देखते हैं, जैसे कंज्यूमर प्रोटैक्शन ट्रिब्यूनल है, उसमें चेयरमैन की आयु 70 वर्ष है और मैम्बर की आयु भी 70 वर्ष है। नेशनल एनवायर्नमेंट ट्रिब्यूनल में चेयरमैन की आयु 70 वर्ष है और मैम्बर की आयु 62 वर्ष है। नैशनल टैक्स ट्रिब्यूनल में चेयरमैन की आयु 68 वर्ष और मैम्बर की आयु 65 वर्ष है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में चेयरमैन की आयु 70 वर्ष और मैम्बर की आयु 65 वर्ष है। मान्यवर, यह इसलिए किया गया है कि पहले जो शासकीय अधिकारी 58 वर्ष की उम्र में रिटायर होते थे, अब वह आयु 60 वर्ष हो गई है। पहले 62 वर्ष की रिटायरमेंट एज मैम्बर की होती थी।

अब जब साठ वर्ष की आयु में शासकीय अधिकारी रिटायर होते हैं, तो उन्हें मात्र दो वर्ष मिल रहे हैं। दूसरी बात, ट्रिब्यूनल में चेयरमैन की आयु क्या रखी गयी है, मेंबर्स की आयु क्या रखी गयी है, इसे देखते हुए और आज शासकीय अधिकारी की जो सेवानिवृत्ति की आयु है, जो 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की गयी है, उसे ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सेवानिवृत्ति की आयु कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यही समस्या है।

प्रश्न यह है:

"कि प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 राज्य सभा द्वारा यथापारित में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न है:

"कि खंड 2 से 15, विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 15, विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

[हिन्दी]

श्री सुरेश पचौरी: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

[अनुवाद

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): यह एक सामान्य विधान है और मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं केवल एक बात जानना चाहता हूं। क्या उपाध्यक्ष के पद को समाप्त किया गया है। मंत्री महोदय ने बताया है कि चार लाख से ज्यादा मामले निपटान हेतु लम्बित है जो इस अधिनियम के दायरे में आते हैं। लेकिन मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस अधिकरण की सदस्य संख्या को बढ़ाने पर विचार करेगी ताकि मामलों का शीघ्र निपटान किया जा सके।

श्री गुरुदास दासगुप्त: मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। सरकार का विचार क्या करने का है? हम इस बात को समझते हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप अधिकरण से पूछ सकते हैं। न्यायालयों में करोड़ों मामले लम्बित हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्त: मैं यह कहना चाहता हूं कि या तो इस अधिकरण की और अधिक पीठें बनाए जाए अथवा या वे यह सुनिश्चित करें कि इस अधिकरण में आए मामलों में त्वरित निर्णय दिए जाएं।

अध्यक्ष महोदय: इससे मामलों में और अधिक वृद्धि होगी।

श्री बसुदेव आचार्य: मेरा अनुभव यह है कि बड़ी संख्या में मामले लम्बित हैं और बड़ी संख्या में पद भी रिक्त हैं। जब व्यथित कर्मचारियों को तीव्र न्याय प्रदान करने के लिए केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई थी तो क्या हो रहा है? जब भी कर्मचारी के पक्ष में निर्णय दिया जाता है तो सरकार अथवा विभाग अथवा न्यायालय उससे ऊंचे न्यायालय में अपील करते हैं। मैंने हर मामले में यही होते देखा है कि जब भी कुछ कर्मचारियों के पक्ष में कोई निर्णय दिया जाता है तो हर बार अपील की जाती है और यह सालों साल लम्बित रहती है। कर्मचारियों को न्याय नहीं मिलता है।

अध्यक्ष महोदय: आप किसी को अपील करने से नहीं रोक सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: इसका प्रयोजन व्यथित कर्मचारी को शीघ्रातिशीघ्र न्याय प्रदान करना था किन्तु ऐसा नहीं हो रहा है। यह

[श्री बसुदेव आचार्य]

हमारा अनुभव है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के कार्यकरण और इस अधिकरण के निर्णय के क्रियान्वयन के बारे में क्या सुधार किये जाने प्रस्तावित हैं।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा): जैसाकि मैं समझता हूं इस संशोधन के अनुसार उपाध्यक्ष का पद समाप्त हो जायेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसे क्यों समाप्त किया जा रहा है और इस स्थिति में अन्य विषयों के बारे में अधिकरण की अध्यक्षता कौन करेगा। उस स्थिति में सम्पूर्ण देश के लिए केवल एक ही अध्यक्ष होगा।

श्री सुरेश पचौरी: जहां तक उपाध्यक्ष के पद का संबंध है, मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु को 62 से 65 वर्ष तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, भावी आवेदकों के लिए इस पद को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए उच्च न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीशों की सेवा शर्तों में भी विस्तार करने का प्रस्ताव है। इससे उपाध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें समान हो जायेंगी। इसलिए, पृथक रूप से उपाध्यक्ष के पद को बनाए रखना अनिवार्य नहीं होगा।

तथापि, सदस्यों में से ही कतिपय सदस्यों को वित्तीय और प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन के लिए अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया जायेगा। उन्हें उपाध्यक्ष के रूप में प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों के निष्पादन के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त रूप से अदा किये जायेंगे।

[हिन्दी]

दूसरा प्रश्न था कि कितने प्रकरण लंबित थे? मैं बताना चाहूंगा कि यदि पुराने कार्यकाल से अभी तक हम ग्राफिकल पोजीशन देखें, तो पैडेंसी की संखया में ग्राफिकल पोजीशन डाउनवर्ड्स हो रही है। अभी तक लगभग 25 हजार केसेज पैंडिंग हैं। इसके बाद प्रश्न यह था कि क्या हम और भी ज्यादा बैंचिज पर विचार कर रहे हैं?

मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि ज्यादातर मैम्बर्स जो सलैक्ट होते हैं, वन टू वन रेशियो में एडमिनिस्ट्रेटिव और ज्यूडिशियल मैम्बर्स सलैक्ट होते हैं। मैंने अभी निवेदन किया कि अभी लोगों का ज्यादा रूझान मैम्बर बनने में नहीं है, क्योंकि मैम्बर्स को जितनी फैसिलिटीज दी जानी चाहिए, उतनी नहीं दी गयी। अब हाई कोर्ट जज के समकक्ष उन्हें बनाया गया है। जो एडीशनल सैक्रेट्री और सैक्रेट्री के रूप में आफिसर्स काम करेंगे, उनकी सेवा-शर्तों को बेहतर बनाने की दृष्टि से उनका समावेश इसमें किया जाये। पहले ज्वाइंट सैक्रेट्री लैवल के आफिसर्स लेते थे, लेकिन अब एडीशनल सैक्रेट्री और सैक्रेट्री लैवल के आफिसर ले रहे हैं। इसके साथ-साथ मैम्बर्स को भी हाई कोर्ट के जज के समकक्ष बना रहे हैं। इसलिए उसे हमने ज्यादा आकर्षक बनाया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब और अधिक सेवानिवृत्त न्यायाधीश आयेंगे।

[हिन्दी]

श्री सुरेश पचौरी: मान्यवर, लॉस्ट प्वाइंट यह है कि हम लोग वैकेन्सीज को भरने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं यह एक लैंथी प्रोसीजर है। यद्यपि सरकार की तरफ से वैकेन्सीज भरने के लिए प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जा रहा है, छः माह के अंदर हम लोग वैकेन्सीज निकालकर नाम आमंत्रित करते हैं, लेकिन सलैक्शन का प्रोसैस काफी लम्बा है। उसमें हम लोगों को चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन करना होता है। उनकी मीटिंग होती है, जिन लोगों के आवेदन आते हैं, उनके ट्रेडीशन्स वगैरह की जांच करनी होती है। उसमें थोड़ा समय लगता है।

जहां तक बैंचिज का प्रश्न है, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि दिल्ली के अलावा दूसरी बैंचिज में ज्यादातर मैम्बर के रूप में, चाहे ज्यूडिशियल साइड के मैम्बर हों या एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के मैम्बर्स हों, उनका जाने में उतना रुझान नहीं रहता। लेकिन जब हम स्टेटस बढ़ा रहे हैं और सर्विस कंडीशन्स बढ़ा रहे हैं, तो रूझान भी बढ़ेगा। मैं नहीं सोचता कि अब कोई दिक्कत आयेगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम आशा करते हैं कि अच्छा ही होगा।

प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 1.32 बजे

(दो) सिक्किम विश्वविद्यालय विधेयक, 2006
(तीन) त्रिपुरा विश्वविद्यालय विधेयक, 2006
और
(चार) राजीव गांधी विश्वविद्यालय विधेयक, 2006

अध्यक्ष महोदय: अब सभा मद संख्या 38, 39 और 40 पर एक साथ चर्चा करेगी।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): महोदय, मैं श्री अर्जुन सिंह की ओर से प्रस्ताव करता हूं:

"कि सिक्किम राज्य में एक अध्यापन और संबद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।

कि त्रिपुरा राज्य में अध्यापन और संबद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।

कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में अध्यापन और संबद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

अपराह्न 1.33 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

उपाध्यक्ष महोदय: हम इन विधेयकों पर अपराह्न 2 बजे तक चर्चा करेंगे।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि सिक्किम राज्य में एक अध्यापन और संबद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगम न करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।

कि त्रिपुरा राज्य में अध्यापन और संबद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में अध्यापन और संबद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

श्री कीरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम): महोदय, मैं राजीव गांधी विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 के साथ-साथ त्रिपुरा विश्वविद्यालय विधेयक और सिक्किम विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 नामक दो अन्य विधेयकों का समर्थन करता हूं।

महोदय, मैं आज अत्यधिक प्रसन्न हूं क्योंकि इस सम्मानित सभा में मेरे राज्य से संबंधित एक ऐतिहासिक विधेयक पारित किया जा रहा है। इस सभा ने कई ऐतिहासिक विधेयक पारित किये हैं किंतु जहां तक मेरे राज्य का संबंध है आज एक ऐतिहासिक दिन है। मैं, अरुणाचल प्रदेश की जनता की ओर से माननीय मंत्री जी और भारत सरकार को इस महत्वपूर्ण विधान को लाने के लिए बधाई देना चाहता हूं।

महोदय, मैं संक्षेप में अपने राज्य में विश्वविद्यालय की स्थापना के इतिहास के बारे में कहना चाहता हूं। सन् 1973 से पहले, सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोई भी उच्च शिक्षण संस्थान नहीं था। वर्ष 1973 में ही शिलांग में नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवरसिटी की स्थापना हुई और बाद में केन्द्र सरकार ने नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर नामक तीन विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में परिवर्तित कर दिया, किन्तु त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों को छोड़ दिया गया। वर्ष 1984 में राज्य सरकार ने अरुणाचल विश्वविद्यालय नामक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की। मैं यहां बताना चाहूंगा। हमें इस बात पर गर्व होता है जब पंजाब विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय अथवा मुम्बई विश्वविद्यालय अपने इतिहास और उपलब्धियों के 100 वर्षों के शानदार क्षणों को मनाते हैं। किन्तु अरुणाचल विश्वविद्यालय तो केवल 22 वर्ष पुराना है यद्यपि हमने पर्याप्त प्रगति की है फिर भी यह संतोषजनक नहीं है।

महोदय, जब मैं त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सिक्किम विश्वविद्यालय और राजीव गांधी विश्वविद्यालय विधेयक नामक तीन विधेयकों की ओर देखता हूं तो मुझे इसमें अरुणाचल प्रदेश का नाम नहीं दिखता है तथापि राजीव गांधी विश्वविद्यालय विधेयक मेरे राज्य अरुणाचल प्रदेश के लिए है। इसलिए मैंने इस बारे में एक संशोधन का

[श्री कीरेन रिजीजु]

प्रस्ताव किया है कि राजीव गांधी के स्थान पर अरुणाचल प्रदेश नाम रखा जाए। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि स्वर्गीय राजीव गांधी एक आदर्श हैं। मैं उनका आदर और सम्मान करता हूं। उन्होंने इस राष्ट्र की बहुत सेवा की है और वे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इस देश में कोई भी व्यक्ति अपने देश से और राज्य से बड़ा नहीं है। सबकी तरह मैं भी अपने देश और राज्य के नाम से प्यार करता हूं। मैं व्यथित होता हूं जब इस नाम को किसी व्यक्ति के नाम से बदलते हुए देखता हूं। मैंने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि मैं स्वर्गीय राजीव गांधी के स्तर और सम्मान को किसी भी प्रकार से कम नहीं करना चाहता हूं किन्तु इसके साथ ही मैं अनुरोध करता हूं कि इसे किसी राज्य के नाम को ताक पर रखकर नहीं किया जाना चाहिए। राज्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मैं मानता हूं कि सरकार को अरुणाचल प्रदेश शब्दों को हटाने पर विचार करना चाहिए।

महोदय, मैं इस मुद्दे को इस सभा में इसलिए उठा रहा हूं कि यह दर्शाया जा रहा है कि इस विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन केवल केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। मैं किसी भी तरह माननीय प्रधानमंत्री अथवा श्रीमती सोनिया गांधी अथवा केन्द्र सरकार पर दोष नहीं लगा रहा हूं किन्तु जब राज्य विधान सभा में नाम बदलने के मुद्दे पर चर्चा की गई तो यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे उन्हें अधिक धनराशि और केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हो सके। मैं नहीं सोचता कि केन्द्र सरकार का दृष्टिकोण इतना संकीर्ण है कि वे केन्द्रीय सहायता की तुलना विश्वविद्यालय के नाम बदलने के साथ करेंगे। मैं सरकार का सम्मान करता हूं; मैं किसी भी प्रकार से केन्द्र सरकार पर दोष नहीं लगा रहा हूं। किन्तु राज्य की ओर से जो अहसास दिलाया जा रहा है वह पूर्णतः गलत है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि केन्द्र सरकार किसी न किसी तरह का समाधान निकालेगी और विश्वविद्यालय का नाम अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यथावत बनाए रखा जायेगा।

[हिन्दी]

यदि कोई बच्चा जन्म लेता है और 22 साल में ही उसका गला घोंट दिया जाए तो इसे देखकर बड़ा दुख होता है। हमारी युनिवर्सिटी का जन्म 1984 में हुआ। आप सेक्शन 3 में देखें, उसमें आपने राजीव गांधी युनिवर्सिटी 1984 लिखा है, वह गलतफहमी हो सकती है। यह अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी 1984 है, जिसे 22 साल हो गए हैं। केवल 22 वर्ष की उम्र की इस यूनिवर्सिटी का गला आपने घोंट दिया और नाम बदल दिया। इससे हमारे मन में बड़ा दुख हुआ है। यूनिवर्सिटी जैसे मामले में राजनीति नहीं आनी चाहिए। हम लोगों को खुले दिमाग से और खुले दिल से काम करना चाहिए। शिक्षा जैसे मामलों में राजनीति नहीं आनी चाहिए। इस कारण मैं यह भावना व्यक्त कर रहा हूं, जो सिर्फ मेरी ही नहीं, पूरे प्रदेश की है।

[अनुवाद]

1984 से हमें काफी कम समर्थन मिल रहा है। जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात आती है तो वर्ष 1994-95 तक हमें यूजीसी से किसी भी प्रकार की धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के पिछले तीन वर्षों में केवल 75 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है।

[हिन्दी]

मंत्री जी सोचें कि हमें सिर्फ 75 लाख रुपये मिले थे। उसके बाद नौवीं पंचवर्षीय योजना में हमें 2.2 करोड़ रुपये मिले थे और दसवीं पंचवर्षीय योजना में चार करोड़ रुपये मिले थे। आप देखें कि इतने कम पैसों में कैसे एक यूनिवर्सिटी को चलाया जा सकता है। फिर भी वह यूनिवर्सिटी चल रही है, इसकी हमें खुशी है, लेकिन जब मैं अतीत को देखता हूं तो बड़ा दुख होता है।

[अनुवाद]

हमारा राज्य देश का सबसे कम साक्षर राज्य है और इसके लिए हम राज्य की नौजवान पीढ़ी को धोखा नहीं दे सकते हैं। उन्हें पढ़ाई का कोई अवसर नहीं दिया गया।

[हिन्दी]

हमारे यहां सही इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं, जहां बच्चे पढ़ सकें। हमने वहां अच्छी सुविधाएं नहीं दी, पैसा नहीं दिया और इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं कराया, तो वहां के बच्चे कहां पढ़ने जाएंगे। हम कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश लिटरेसी के मामले में सबसे पीछे है, तो हम सभी इसके लिए दोषी हैं, सरकार भी दोषी है। इसलिए कहीं न कहीं इसे रिजुनिवेट करने की जरूरत है।

मंत्री जी वहां आकर हमारी यूनिवर्सिटी को देखें। वहां चार-पांच बिल्डिंग्स के अलावा एक खुला मैदान है। खुले मैदान के अलावा कोई एक्स्ट्रा कैरीकुलम या अन्य कोई गतिविधि नहीं है। यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करने से ही यूनिवर्सिटी नहीं बन जाती, उसमें वे सब जरूरी सुविधाएं भी होना जरूरी हैं। हमारे यहां कंवेंसनल सब्जेक्ट्स ही पढ़ाये जाते हैं। आज कम्प्यूटर साइंस का जमाना है, अगर वहां कंवेंशनल सब्जेक्ट्स के अलावा जॉब ओरिएंटिड विषय

भी पढ़ाए जाएं तो वहां के बच्चे पढ़कर अपना जीवन अच्छी तरह से जी सकेंगे।

वहां नॉन टीचिंग सटाफ के लिए क्वार्टर्स नहीं हैं। छोटे-छोटे हट बनाकर वे लोग रहते हैं, लेकिन सरकार की ओर से उनके रहने की कोई सुविधा नहीं है। इन हालात में वह यूनिवर्सिटी चल रही है। मैं जब वहां जाकर यह देखता हूं तो बड़ा दुख होता है। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय भी देखा है और अन्य प्रदेशों के विश्वविद्यालय भी देखे हैं। जब मैं उनकी तुलना अपनी यूनिवर्सिटी से करता हूं तो पाता हूं कि हमारे यहां न के बराबर सुविधाएं हैं। इससे मुझे बड़ा दुख होता है। इतने दिनों से भारत सरकार ने इस चीज पर विचार नहीं किया और इस पहलू को नजर में नहीं रखा है।

पिछली बार जब मैंने सदन से वाकआउट किया था तो मेरे मन में बड़ा दुख था कि हमारी बात को क्यों नहीं सुना जाता है। मैं इस बारे में पर्सनली मंत्री जी से भी मिला था। सरकार पर हमने दबाव डाला और चेयर की तरफ से भी कहा गया था कि यह होना चाहिए, तब जाकर आज यह बिल आया है। वाकई में यह हमें बहुत दिनों तक याद रहेगा।

[अनुवाद]

राजीव गांधी विश्वविद्यालय की पहली बार शुरुआत हो रही है।

[हिन्दी]

मैं चाहूंगा कि यह अच्छी शुरुआत अपने मुकाम तक पहुंचे। दूसरे, एक-दो अमेंडमेंट्स हैं उनके बारे में कहना चाहूंगा। सैक्शन 3(4) में यूनिवर्सिटी का मुख्यालय ईटानगर में होना चाहिए, ऐसा आपने लिखा है तो ईटानगर के आगे आपको रोनोहिल्स शब्द जोड़ना चाहिए क्योंकि वह जगह हटकर है, वह पहाड़ी इलाका है, आइसोलेटेड जगह पर है। रोनोहिल्स मैंशन नहीं करेंगे तो एड्रेस में भी प्रॉब्लम हो सकती है। माननीय मंत्री जी, आप इस पर गौर कीजिएगा। सैक्शन (5) में जो ऑब्जैक्ट्स ऑफ यूनिवर्सिटी दिये हैं वे अच्छे हैं लेकिन उसमें मैं एक ही चीज जोड़ना चाहूंगा और वह है ''प्रेजरवेशन आफ ट्रैडिशनल इंटेरेस्ट्स'' यह आपको उसमें कहीं न कहीं जोड़ना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में 26 बड़े ट्राइब्स रहते हैं, उनका कल्चर है, ट्रैडिशन्स हैं इनको प्रीजर्व ही नहीं प्रमोशन करना भी जरूरी है। यूनिवर्सिटी के ऑब्जैक्ट्स पर ध्यान दिया जाना चाहिए, इससे लाभ होगा। सैक्शन (11) में यूनिवर्सिटी के ऑफिसर्स की जो लिस्ट दी गयी है उसमें डीन ऑफ स्टूडेंट वैलफेयर एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, इसको जोड़ा जाए तो अच्छा रहेगा। आपने यूनिवर्सिटी का नाम तो दे दिया, लेकिन आपको फाइनेंशियल पैकेज का एक मॉडल वर्क-आउट करना पड़ेगा, जिससे यूनिवर्सिटी का नाम ही नहीं काम भी होगा। इस बिल के पास होने के बाद मैं फिर आपसे मिलूंगा। अरुणाचल प्रदेश से सांसद, एमएलए और स्टूडेंट्स के डैलीगेशन यहां आये हैं लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। नाम को लेकर मैं बार-बार कह रहा हूं। इसमें अरुणाचल प्रदेश आपको कहीं न कहीं जोड़ना चाहिए। अगर आपने राजीव गांधी नाम को नहीं हटाना है तो राजीव गांधी अरुणाचल यूनिवर्सिटी भी बना सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश का नाम इस यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ा जाना चाहिए। अगर हमारे प्रदेश का नाम यूनिवर्सिटी से गायब हो जाता है तो यह बहुत दुःख की बात है और हम प्रदेश के लोग इससे दुःखी हैं। नाम बदलने का एक ही तर्क दिया गया है कि नाम बदलेगा तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलेगी, पैसा मिलेगा। राजीव गांधी नाम नहीं रखेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। मैं समझता हूं कि आपकी तरफ से ऐसा तो कभी नहीं कहा गया होगा। मैं नहीं समझता कि केन्द्र सरकार की तरफ से इस तरह की बात कही गयी होगी, ऐसा मैं विश्वास नहीं करता हूं। लेकिन यह रिकार्ड पर असेम्बली में कहा गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति से ऊपर उठकर हमें काम करना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी आपको, आपके ऑफिसर्स को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस बिल को सदन में लाकर आपने हमारे प्रदेश के लिए काफी काम किया है। साथ-साथ त्रिपुरा और सिक्किम यूनिवर्सिटी को आपने लिया है जो लिस्ट से छूट गये थे उनको भी शामिल किया है।

[अनुवाद]

श्री फ्रांसिस फैन्थम (नामनिर्दिष्ट): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, जैसाकि मेरे सहयोगी ने कहा है, निस्संदेह यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवसर है। सिक्किम राज्य में शैक्षणिक प्रभाग में ऐसा करने के नाते मैं यह जानता और समझता हूं कि उस क्षेत्र तथा उनके लिए विश्वविद्यालय होने का समर्थन करने का क्या अर्थ है।

महोदय, मैं अपनी बात सिक्किम विश्वविद्यालय पर ही केन्द्रित रखूंगा क्योंकि मेरे सहयोगी अन्य दो विश्वविद्यालयों के बारे में बोलेंगे। सिक्किम राज्य अपनी शांत परम्परा और कला, संस्कृति और संगीत में अपने योगदान के लिए जाना जाता है। निस्संदेह सिक्किम राज्य के लिए यह एक बड़ी बात है कि अब वहां पर

[श्री फ्रांसिस फैन्थम]

एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय होगा। जैसाकि आप जानते हैं कि भारतीय संघ में सिक्किम के विलय के लगभग तीन दशक बाद राज्य में विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है और इन वर्षों के दौरान क्षेत्र की यह एक चिरलंबित अभिलाषा रही है कि वहां पर एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय हो। आज, सिक्किम में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही निस्संदेह क्षेत्र में काफी हर्षोल्लास की स्थिति रहेगी।

महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषकर सिक्किम राज्य, शेष भारत के साथ अपनी पहचान बनाने का अनुरोध करता रहा है और यह विश्वविद्यालय शेष भारत के साथ उसकी पहचान का विलय होने का एक संकेत है।

जैसाकि आप जानते हैं कि सिक्किम में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने की लंबी परम्परा नहीं है। विश्वविद्यालय की स्थापना होने से अब वह अपने को एकीकृत और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी भूमिका को शामिल कर पाएगा।

महोदय, इस विधेयक में सामाजिक विज्ञान में उच्च मूल्यों के लिए शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में नई-नई तकनीक अपनाने और क्षेत्र की वनस्पति और जीव-जन्तु सहित वानिकी, अनुसंधान पर बल देने के साथ-साथ एक समग्र सांस्कृतिक पहचान के विकास का प्रावधान है। सिक्किम राज्य प्रमुखत: आर्किड और फलों के संकर उत्पाद की उच्च क्वालिटी के लिए जाना जाता है और अब विश्वविद्यालय उन महान लक्ष्य को आगे बढ़ाने में अपने संसाधनों का प्रयोग कर सकेगा जो राज्य ने उस क्षेत्र में अति विशिष्ट वनस्पति के विकास हेतु निर्धारित कर रखे हैं।

मैं यह समझता हूं कि हालांकि हम सिक्किम राज्य में केन्द्र द्वारा संचालित एक विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे हैं, फिर भी केन्द्र यह देखें कि उस विश्वविद्यालय के मानदंड अन्य क्षेत्रों और अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को प्रदान की जा रही अन्य सुविधाओं, सुख-सुविधाओं और सामान्य प्रबंध के बराबर हों। आमतौर पर होता यह है कि हम एक संस्थान स्थापित तो कर देते हैं किंतु उनके मानदंड अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के बराबर नहीं होते हैं। इसलिए, मैं यह समझता हूं कि केन्द्र इस पहलू पर ध्यान दे जैसा कि मेरे मित्र ने उल्लेख किया है कि विश्वविद्यालय में वैसा वित्तीय प्रबंध करना मुश्किल है जैसाकि अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में विद्यमान है। मैं समझता हूं कि केन्द्र इस पहलू पर विशेष ध्यान दे कि एक बार केन्द्रीय विश्वविद्यालय बन जाने के बाद यह महसूस न हो अथवा ऐसा न लगे कि वह दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों अथवा राज्य में स्थापित अन्य विश्वविद्यालयों से कमतर हो।

महोदय, एक बार फिर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान सिक्किम विश्वविद्यालय विधेयक के खंड-42 की ओर दिलाना चाहता हूं। खंड-42, विश्वविद्यालय के अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा सदाशयता से किये गये कृत्यों के प्रति किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही करने पर प्रतिबंध लगाता है। अब, कर्मचारी अथवा किसी अधिकारी के प्रत्येक कृत्य को सदाशयता के साथ देखा जा सकेगा। किंतु यह किसी मुद्दे पर कानून अथवा विधायी मानदंड को पूरा नहीं करता है। इसलिए, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के संबंध में और विशेषकर जहां पर कृत्य के मानदंडों से कोई असंतोष उत्पन्न न हो और यह संव्यवहार उस क्षेत्र में विद्यमान न हो, वहां पर नालेज इकोनोमी के संदर्भ में एक प्रावधान होने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों के कृत्य कानून के परीक्षण पर खरे उतरेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं सिक्किम विश्वविद्यालय के विधेयक, त्रिपुरा विश्वविद्यालय विधेयक और अरुणाचल प्रदेश में राजीव गांधी विश्वविद्यालय की स्थापना का समर्थन करता हूं।

श्री खगेन दास (त्रिपुरा-पश्चिम): महोदय, मेरा संबंध त्रिपुरा राज्य से है। मैं त्रिपुरा विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 का समर्थन करता हूं। विधेयक का स्वागत करते हुए मैं त्रिपुरा की ओर से सर्वप्रथम माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री और मंत्रालय के अधिकारियों को विश्वविद्यालय का संपूर्ण विकास करने हेतु चिरलंबित कदम उठाने पर बधाई देता हूं। राज्य का यह पहला विश्वविद्यालय है। इस विधान के अधिनियमन के माध्यम से इसे एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय में बदलने से काफी फायदा होगा।

मैं राजीव गांधी विश्वविद्यालय और सिक्किम विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में बदलने पर भी बधाई देता हूं। त्रिपुरा पूर्वोत्तर क्षेत्र के सुदूर कोने पर स्थित है। चारों ओर से भूमि से घिरा होने के कारण मानव संसाधन, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन है, का विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है। राज्य के हस्तक्षेप करने के फलस्वरूप त्रिपुरा की साक्षरता दर काफी अधिक है। राज्य सरकार ने सर्वशिक्षा अभियान और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से स्कूली शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने के लिए कदम उठाए हैं। उच्च शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक उपयुक्त कार्यक्रम द्वारा स्कूली शिक्षा का अनुसरण किये जाने की जरूरत है। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य में उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए 1987 में एक राज्य विश्वविद्यालय के रूप में त्रिपुरा

विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तब से लेकर राज्य सरकार त्रिपुरा विश्वविद्यालय को एक उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए कई कदम उठा रही है। किंतु त्रिपुरा जैसे एक विशेष श्रेणी राज्य के लिए वित्तीय बाधाएं आने के कारण यह इस प्रक्रिया को बाधित कर रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में अन्य राज्यों से इतर त्रिपुरा में उच्च शिक्षा के लिए कोई अन्य राष्ट्रीय स्तर का संस्थान नहीं है। इससे क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हुआ है जिसे ठीक किये जाने की आवश्यकता है।

राज्य में उच्च शिक्षा की सीमित सुविधा होने के कारण अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा हेतु अन्य राज्यों में भेजना पड़ता है। इसमें हवाई रेल यात्रा में तथा आवाजाही में भारी खर्च होता है जिसे बहुत से अभिभावक वहन नहीं कर सकते हैं। इसके फलस्वरूप, काफी मेधावी छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। अब, केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित होने से यह अंतर कम करने में सहायता मिलेगी और शैक्षिक उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध होगी।

राज्य के लोगों की राज्य में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने हेतु लम्बे समय से समय से मांग रही है। अतः त्रिपुरा विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में बदले जाने के निम्नलिखित लाभ होंगे।

पहले, इससे शैक्षिक उत्कृष्टता प्राप्त के लिए अच्छी शिक्षा मिलेगी। दूसरे, इससे अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों में सुविधा होगी। तीसरे, सतत् विकास के लिए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग में मदद मिलेगी। चौथे, उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग हेतु अन्य संस्थाओं से तालमेल रखने में सहायता मिलेगी। पांचवें, इससे ज्ञान के प्रसार में सहायता मिलेगी। छठे, यह आधुनिक विज्ञान आधारित पाठ्यक्रमों के दायरे को बढ़ाने में सहायता करेगा और सातवें, शेष देश से उपयुक्त प्राध्यापक वर्ग आकर्षित होंगे।

अपराह्न 2.00 बजे

फिर नए, व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं उनसे उत्पादक रोजगार सृजन से कुछ हद तक गरीबी और बेरोजगारी की समस्या हल होने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा, त्रिपुरा विश्वविद्यालय के केन्द्रीय विश्वविद्यालय में बदले जाने से राज्य में सामान्यतः मानव संसाधन का विकास तथा खासकर उच्च शिक्षा के विकास के क्षेत्र में नए युग का सूत्रपात होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं त्रिपुरा विश्वविद्यालय विधेयक, 2006; सिक्किम विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 और राजीव गांधी विश्वविद्यालय विधयेक, 2006 का समर्थन करता हूं।

अपराह्न 2.01 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

विदेश मंत्री द्वारा भारत-अमरीका असैनिक नाभिकीय सहयोग के संबंध में 12.12.2006 को दिया गया वक्तव्य

उपाध्यक्ष महोदयः अभी दो बजे हैं। अब हम मद सं. 43 लेंगे। नियम 193 के अधीन चर्चा समाप्त होने के बाद इन विधेयकों पर चर्चा जारी रखेंगे।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। न तो विदेश मंत्री और न ही प्रधान मंत्री यहां उपस्थित हैं। उनमें से कम से कम एक को यहां उपस्थित होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः वे आएंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर): उपाध्यक्ष जी, यह इतना महत्वपूर्ण मसला है और माननीय मंत्री जी को पहले से ही इसका पता है। उनको सदन में आ जाना चाहिए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः जिनको रिप्लाई करना है, जिनको इंटरविन करना है, उनको तो रहना चाहिए। इनमें से कोई अभी उपस्थित नहीं है।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): उपाध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री चार बजे वाद-विवाद में हस्तक्षेप करेंगे। विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री यहां ध्यान देने के लिए उपस्थित हैं और अब विदेश मंत्री आएंगे। ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः महोदय, इस वाद-विवाद पर विदेश मंत्री को उत्तर देना है, उन्हें यहां होना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशीः महोदय, चूंकि उन्हें वाद-विवाद का उत्तर देना है, उन्हें उचित ढंग से उत्तर देना चाहिए और इसीलिए

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]
उन्हें सारी जानकारी मिलेगी और वे अपनी तैयारी करेंगे और फिर वह जवाब देंगे ...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं इन लोगों द्वारा व्यक्त चिन्ताओं से पूर्णत: सहमत हूं। मैं माफी चाहता हूं कि इस समय हम विदेश मंत्री को नहीं बुला सकते हैं। मैं शीघ्र ही उनके कमरे में जाता हूं। इस बीच आप वाद-विवाद शुरू कर सकते हैं। विदेश राज्य मंत्री ध्यान देंगे। मैं एक बार फिर, श्री लालकृष्ण आडवाणी से क्षमा मांगता हूं। मैं सभा के नेता के कमरे में शीघ्र ही जा रहा हूं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्षपीठ द्वारा उन्हें यथावश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य ने अनुरोध किया है कि श्री लालकृष्ण आडवाणी को नियम 193 के अधीन चर्चा शुरू करने की अनुमति दी जाए। माननीय अध्यक्ष ने अपनी अनुमति दी है। मैं अब श्री लाल कृष्ण आडवाणी से चर्चा शुरू करने का अनुरोध करता हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): उपाध्यक्ष महोदय, आरंभ में मैं श्री बसुदेव आचार्य जी के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगा। बैलेट में उनका नाम पहला था और मेरा दूसरा और कार्यसूची में भी ऐसा ही था किन्तु वे कृपापूर्वक सहमत हुए हैं कि मैं वाद-विवाद की शुरुआत कर सकता हूं। मुझे ऐसा करने की अनुमति देने के लिए मैं अध्यक्षपीठ का भी आभारी हूं।

महोदय, यह दूसरी बार है जब हम इस विषय पर संसद में प्रमुखता से चर्चा कर रहे हैं। पहले भी ऐसे अवसर आए हैं जब संदर्भ दिया गया और प्रश्न पूछे गए थे किन्तु अंतिम बार अगस्त में प्रमुख वाद-विवाद हुआ था और यह दूसरी बार वाद-विवाद हो रहा है। हम पहले के वाद-विवाद को भी प्रमुख वाद-विवाद कह सकते हैं किंतु पहली चर्चा हमारे प्रधान मंत्री और अमरीकी राष्ट्रपति के संयुक्त वक्तव्य पर हुई थी। मुझे स्मरण है कि उस समय भी 18 जुलाई 2005 को करार सम्पन्न करने के पश्चात प्रधानमंत्री ने भारत लौटने से पहले 20 जुलाई 2005 को वाशिंगटन में संवाददाता सम्मेलन में निम्नवत् कहा था:

> "यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम व्यापक राष्ट्रीय सहमति के आधार पर ही इस विषय में आगे बढ़ सकते हैं।"

संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर होने तथा जारी होने के दो दिनों बाद 20 जुलाई 2005 को वाशिंगटन में प्रधानमंत्री ने यह वक्तव्य दिया था।

मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री यहां हैं। मैं कहूंगा कि आगे बढ़ने से पहले उन्होंने इस विषय पर एक व्यापक राष्ट्रीय सहमति की अपेक्षा की थी। क्या आज देश में वे ऐसा पाते हैं? क्या कोई व्यापक राष्ट्रीय सहमति बनी है जिसके आधार पर इस करार को आगे बढ़ाया जाए? उस समय मुझे याद है कि हाइड एक्ट नहीं था। उस समय प्रधानमंत्री और अमरीकी राष्ट्रपति के नीचे केवल एक संयुक्त वक्तव्य और प्रधानमंत्री और अमरीकी राष्ट्रपति के बीच एक करार था जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने भी महसूस किया कि आगे बढ़ने से पहले एक व्यापक राष्ट्रीय सहमति की आवश्यकता है। अब यह तथाकथित हाइट एक्ट भी है। यदि व्यापक राष्ट्रीय सहमति होती है तो मेरे विचार से, सरकार को समूची सभा की सहमति लेने में कोई झिझक नहीं होगी। आज सुबह मेरे सहयोगी ने यह मुद्दा उठाया था कि नियम 193 के अंतर्गत चर्चा के स्थान पर क्यों नहीं हम नियम 184 के अंतर्गत चर्चा कर लेते हैं जिसमें कम से कम सभा की राय व्यक्त हो जाएगी।

माननीय प्रधानमंत्री जी, जहां तक मैं देख रहा हूं विभिन्न दलों सांसदों और विभिन्न परमाणु वैज्ञानिकों द्वारा इस करार पर व्यक्त की गई राय के संबंध में आज संसद में सर्वसम्मति नहीं है। इस करार पर राजनैतिक दलों के बीच भी कोई सर्वसम्मति नहीं है। यहां तक कि यूपीए सरकार या संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में भी कोई सर्वसम्मति नहीं है। मैं इसे एक सरकार न कहकर यूपीए कहूंगा। इस करार के पक्ष में कोई सर्वसम्मति नहीं है और इस मामले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां तक मुझे याद है एक समय था जब प्रधानमंत्री जी का यह मत था कि यदि वैज्ञानिक सहमत होंगे तभी वे इस प्रकार के करार पर आगे बढ़ेंगे।

आज, जब परमाणु वैज्ञानिकों के बीच भी कोई सर्वसम्मति नहीं है, तो इस करार पर देश में एक व्यापक राष्ट्रीय सर्वसम्मति के बारे में क्या कहा जाए। मुझे यह कहते हुए खेद है और इसलिए यह मेरी पहली दलील भी है क्योंकि जहां तक इस अधिनियम का संबंध है, उस बारे में संयुक्त वक्तव्य देने के बारे में प्रधान मंत्री जी के दिमाग में भी व्यापक राष्ट्रीय सर्वसम्मति न होने की बात थी और जिसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे तथा जिसके बारे में मैं सभा में यह बताऊंगा कि यह कितनी खतरनाक है। मैं समझता हूं कि इस पर कोई सर्वसम्मति नहीं हो सकती है।

आज सुबह, देश के एक बड़े व्यक्ति जिनका मैं सदैव सम्मान करता हूं, का फोन आया यद्यपि मैं उनके विचार से सहमत नहीं हूं और न ही वे मेरे तथा मेरी पार्टी के विचारों से सहमत हैं। मैं न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर की बात कर रहा हूं। शायद कई वर्षों

के बाद उन्होंने मुझे फोन किया था। वे अभी बीमारी से उबरे हैं। वे दो महीनों तक अस्पताल में रहे। अब वे 90 वर्ष के हैं। इस वयोवृद्ध न्यायमूर्ति, जो काफी सम्माननीय हैं, ने मुझे फोन किया और उस भाषा का प्रयोग किया जिसको मैं केवल उद्धृत करूंगा।

उन्होंने मुझे बताया कि जब आज संसद में इस मुद्दे पर चर्चा होगी तो क्या होगा। क्या यह संसद इसे अस्वीकार कर देगी? मैं इस पर विस्तार से बात नहीं करूंगा क्योंकि संसद द्वारा इसे स्वीकार अथवा अस्वीकार करने की कोई बात नहीं है जैसाकि मैं पहले ही बता चुका हूं। यहां तक कि सभा की भावना को जानने में भी लोगों की रुचि नहीं है। किंतु उन्होंने कहा: "मैं आपको इसलिए फोन कर रहा हूं क्योंकि देश का परमाणु स्वराज दांव पर लगा है।"

उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया। ये शब्द काफी प्रभावशाली हैं किन्तु उन्होंने इसे इसी नजरिये से देखा और मैं केवल इसका उल्लेख ही कर सकता हूं। यह बात देश के कई चिन्तनशील व्यक्तियों की इस करार यदि उसे हाइड अधिनियम द्वारा दिये गये रूप में ही लागू किया जाता है के परिभाषा के बारे में भावना की उग्रता को दर्शाता है। मुझे याद है कि जब इसे पहली बार यहां अथवा दूसरी सभा में लाया गया था तो इस बात पर बल दिया गया था कि देश को अपने रिएक्टरों के लिए परमाणु ईंधन की जरूरत है और यह प्रयास मुख्यत: अमेरिका को परमाणु ईंधन की आपूर्ति करने हेतु अथवा अन्य परमाणु देशों का जो हमें इसकी आपूर्ति कर सकते थे को इस बात के लिए अथवा विभिन्न तकनीकी जानकारी पर से प्रतिबंध हटाने के लिए राजी करना था और इससे इस देश को आगे बढ़ने का काफी अवसर मिलेगा। मैं इन सभी बातों पर बाद में चर्चा करूंगा।

आज, जब हम हाइड अधिनियम को देखते हैं तो पाते हैं कि हाइड अधिनियम का मूल उद्देश्य प्रतिबंध लगाना फिर उसे हटाना और अंतत: भारत की परमाणु हथियार क्षमता को समाप्त करना है। इसका संबंध मुख्यत: भारत की परमाणु हथियार संबंधी विश्वसनीयता से है और हमारे गैर-सैनिक रिएक्टरों को परमाणु ईंधन की आपूर्ति करने की बात गौण हैं और यह आपूर्ति भी ऐसी शर्तों के अध्यधीन की जानी है जो शर्मनाक हैं।

यह चर्चा ऐसे समय में हो रही है और मैं यह कहूंगा कि भारत की सामरिक रक्षा का भाग्य अधर में लटक रहा है। इसलिए यह काफी महत्वपूर्ण चर्चा है। वस्तुत: यह मुद्दा ही अपने आप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो पूरे साल में अथवा शायद कई वर्षों में देश के सामने आया है जिसके कारण न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर को यह कहना पड़ा है कि हमारे परमाणु स्वराज दांव पर लगा है। मैं तो परमाणु स्वराज से भी आगे जाकर कहूंगा कि यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब विदेशी नीति में भारत की स्वतंत्रता और राजनीति संबंधी मामलों में उसकी संप्रभुता संबंधी राय का विकल्प मांगने की बात भी दांव पर लगी हुई है और इस पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं।

यह सच है कि इसमें ईरान का भी उल्लेख है किंतु उसमें अन्य प्रावधान यह हैं कि यदि उन्हें परमाणु ईंधन के मामले में भारत की सहायता करनी है, तो भारत की विदेश नीति अमेरिकी विदेश नीति के अनुरूप होनी चाहिए। यह एक ऐसी बात है जिसे विगत में भारत की कोई भी सरकार स्वीकार करने की इच्छुक नहीं रही है। चाहे हमारी अपनी प्राथमिकताएं, स्वतंत्र विकल्प रहे हों और ऐसी भी बातें हो सकती हैं जिसमें हमारे कृत्यों को रूस ने स्वीकार किया हो, अमेरिका ने नहीं अथवा कई बार अमेरिका ने स्वीकार किया हो, रूस ने नहीं। 1947 से लेकर हमारी सदैव अपनी स्वतंत्र विदेश नीति रही है और यदि यह करार होता है तो मैं यह कहूंगा कि ऐसा करना अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को गिरवी रखने के बराबर होगा।

महोदय, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि यूपीए सरकार इस हाइड अधिनियम के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक द्विपक्षीय गैर-सैनिक परमाणु सहयोग करार पर बातचीत को आगे बढ़ाती है तो ऐसा करने से प्रधानमंत्री जी द्वारा संसद में और मुख्यतया राज्य सभा में दिये गये प्रत्येक आश्वासन का उल्लंघन होगा। इसलिए जब इस हाइड अधिनियम को सर्वप्रथम सीनेट द्वारा और बाद में सभा द्वारा इसे पारित करने का इतनी बड़ी उपलब्धि बताया गया मानो कोई उल्लेखनीय चीज प्राप्त हो गई हो तो हमें काफी आश्चर्य हुआ।

मैं विधेयक में मिले द्विदलीय समर्थन पर बल देता हूं। मैं इस बात से इंकार नहीं करता हूं कि विधेयक को द्विदलीय समर्थन मिला है। इसके विरोध में थोड़े से स्वर उभरे हैं क्योंकि अधिकांश लोगों जिन्होने विधेयक के पक्ष अथवा विरोध में मत दिया है, उन्हें इस बात की चिंता है कि विधेयक हमारी हथियार क्षमता पर प्रतिबंध लगाता है या नहीं; और यदि लगाता है तो वे इसका समर्थन करते हैं।

जैसाकि मैंने कहा है पूरे अधिनियम में परमाणु ईंधन का मुद्दा छाया हुआ है और इसलिए, जब मैंने इस सुख मस्ति को देखा कि दोनों सभाओं के साथ-साथ सीनेट ने इस विधेयक को अनुमोदित कर दिया है और बहुत ही जल्दी उसे पारित कर दिया है और प्रधानमंत्री तथा अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस विधेयक को

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

अपनी सहमति दे दी है तो इस सुखभ्रांति से मुझे यह महसूस हुआ कि यह न्यायोचित नहीं है। इसे बेतुकी बात ही कहा जा सकता है।

ऐसा करके हम अपने आपको शर्मनाक शर्तों में बांध रहे हैं और लोग इस सभा में भी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं हालांकि शायद कांग्रेस पार्टी ही ऐसा कर रही है। मैं हैरान हूं कि क्या प्रधानमंत्री जी यह महसूस कर रहे हैं कि नहीं कि उनकी पार्टी इस मुद्दे पर कितनी अलग-अलग पड़ गई है।

मैं प्रधानमंत्री जी के सामने उन बातों को उद्धृत करूंगा जो उन्होंने 17 अगस्त, 2006 को कहा था। उन्होंने कहा था:

"मैं व्यक्त की गई शंकाओं को देखते हुए इस बात को पुनः दोहराता हूं कि भारत के साथ परमाणु सहयोग संबंधी प्रस्तावित अमेरिकी विधान को भारत की संप्रभुता को ताक पर रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।" प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था। उन्होंने आगे कहा था:

"हमारी विदेश नीति केवल हमारे राष्ट्रीय हितों द्वारा ही निर्धारित की जाती है।"

फिर उन्होंने यह कहा:

"विदेश में बना कोई कानून हमसे यह संप्रभु अधिकार नहीं छीन सकता है। इसलिए भारत को विदेशी कानून द्वारा बाध्य किये जाने का कोई प्रश्न नहीं है।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप ध्यान से इस संगत कानून का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि यह प्रधानमंत्री जी द्वारा दिये गये सभी आश्वासनों की खिल्ली उड़ाता है क्योंकि जब लोग इसकी आलोचना कर रहे थे। जब मेरे दो सहयोगी राज्य सभा में दोनों सभाओं की कार्यवाहियों में से विदेशी मामलों संबंधी समिति के प्रावधानों का उल्लेख कर रहे थे तो उन्हें कहा गया। इंतजार कीजिए, अधिनियम को आने तो दीजिए।" और अब यह हमारे सामने लिखित रूप में है। क्या इसमें हमारी संप्रभुता और विदेश नीति की स्वतंत्रता के साथ समझौता नहीं किया गया है? आखिरकार, प्रधानमंत्री जी ने कई बार वक्तव्य दिये थे और सबसे महत्वपूर्ण वक्तव्य 17 तारीख को दिया गया था। किंतु उन्होंने पहले भी 7 मार्च, 10 मार्च, 27 फरवरी और 29 जुलाई को भी वक्तव्य दिये थे। मुझे दुख है कि सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य इसे एक बड़ी जीत का मान रहे हैं?

इस बात की आलोचना हुई है कि अमेरिका इस कानून को बनाने की प्रक्रिया में बार-बार अपना रुख बदल रहा है। हमें इस बात की ज्यादा चिंता नहीं है कि अमेरिका क्या कर रहा है। हमें इस बात की ज्यादा चिंता है कि यूपीए सरकार ने हमारे द्वारा खींची गई 'लक्ष्मण रेखा' को 17 अगस्त के भाषण में बदल दिया है और कहा है कि 'हमें इन आश्वासनों के तहत यह स्वीकार्य है और यदि इन मानदंडों को नहीं रखा गया तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे।'

यदि आप एक प्रतिष्ठित नाभिकीय वैज्ञानिक या लगभग सभी महत्वपूर्ण नाभिकीय वैज्ञानिकों द्वारा 15 तारीख को जारी किये वक्तव्य का अध्ययन करें, तो आप यह देखेंगे कि हाइड एक्ट से संबंधित विधेयक में कैसे बाधा आई। मैं इन नाभिकीय वैज्ञानिकों के वक्तव्य को उद्धृत करता हूं:

"हमारे, नामतः वैज्ञानिकों द्वारा पहले व्यक्त की गई चिंताओं के जवाब में प्रधान मंत्री ने 17 अगस्त, 2005 को राज्य सभा में वक्तव्य दिया, और मैं उद्धृत करता हूं: "नाभिकीय हथियार हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा हैं और सभी नाभिकीय हथियारों को समाप्त करने और सार्वभौमिक अभेदभावकारी परमाणु निशस्त्रीकरण के लंबित रहने तक ऐसा बने रहेंगे। हमारे सामरिक कार्यक्रमों से संबंधित कार्य करने की हमारी स्वतंत्रता अप्रतिबंधित है।" यह प्रधान मंत्री का वक्तव्य है। मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने नाभिकीय हथियारों को हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अभिन्न हिस्सा बताया है। "भारत पर परमाणु अप्रसार संधि की तरह के प्रतिबंध लगाने में परमाणु समझौते को माध्यम नहीं बनने दिया जाएगा।"

अब क्या होगा? श्रीमती गांधी के समय से, हम परमाणु अप्रसार संधि को स्वीकार करने से दृढ़ता से इंकार करते रहे हैं। हम परमाणु अप्रसार संधि को स्वीकार नहीं करेंगे जो परमाणु हथियारों को रखने की हमारी इच्छा पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाता है और जो हमारे ऊपर अन्य गंभीर प्रतिबंध लगाते हैं। हम परमाणु अप्रसार संधि को स्वीकार नहीं करेंगे। हम सीटीबीटी को स्वीकार नहीं करेंगे। अब, पिछले दरवाजे से हम स्वयं को परमाणु अप्रसार संधि का सदस्य बनाने की अनुमति दे रहे हैं।

वस्तुत:, यदि यह विधेयक पारित किया जाता है अथवा इस समझौते को उसी रूप में स्वीकार किया जाता है जैसा हाइड एक्ट में इसका वर्णन किया गया है, तो मुझे खेद है। माननीय प्रधान मंत्री जी, मैं जानता हूं कि आप भारत को परमाणु सम्पन्न बनाने के पक्ष में नहीं रहे हैं। उस समय भी, जब पोखरण-2 का परीक्षण किया गया था, तो आपने हमारी आलोचना की थी। आपने उन

कदमों को उठाने के लिए हमारी आलोचना की थी जिससे मूल्यों में तेजी से वृद्धि होगी। उसका समर्थन कैसे किया जाएगा? मैं पूरे भाषण को उद्धृत नहीं करना चाहता हूं जिसे आपने राज्य सभा में दिया था क्योंकि पोखरण में लिये गये निर्णय पर होने वाले आक्रमण की अगुवाई की थी। ऐसा करने के आपके अधिकार को स्वीकारता हूं। मैं इससे इंकार नहीं करता हूं। परन्तु आज आपने कहा है कि नाभिकीय हथियार हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा है और जैसाकि मैंने उद्धृत किया है मैंने इसका स्वागत किया है। यह परिवर्तन है। परन्तु यदि आप समय परिवर्तन के साथ ऐसा होने देते हैं, तो इसका तात्पर्य है कि एनपीटी हमारे देश में पिछले दरवाजे से आएगा। हम इसके पक्षदार हो गए हैं।

वस्तुतः, यदि इस विशिष्ट समझौते पर पहले हस्ताक्षर किये जाते, तो कोई पोखरण-1 नहीं हो पाता। श्रीमती गांधी भी ऐसा नहीं कर पाती। इस प्रकार, निश्चित रूप से कोई पोखरण-2 नहीं हो सकता था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने इस अधिनियम में ऐसे उपबंध देखे हैं जिनमें यह कहा जाता है कि यदि देश यह भी कहता है कि यह केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, तो भी आपको इसकी अनुमति नहीं है। यदि कोई ऐसा करता है, यदि कोई परीक्षण करता है, तो इसको रिपोर्ट करने का दायित्व राष्ट्रपति पर होगा और राष्ट्रपति दी गई सभी नाभिकीय सुविधाओं को वापस लेने सिविल रिएक्टरों को दिये जा रहे ईंधनों की आपूर्ति को भी रोकने का पात्र होगा।

अब, ऐसे सब उपबंध इसमें हैं। जिसने भी इन उपबंधों को पढ़ा है, यह जानता है। मेरे सहयोगी राज्य सभा के श्री अरुण शौरी ने कई लेख लिखे हैं और उनको प्रकाशित किया गया है। एक भी तथ्य से इंकार नहीं किया गया है। अतएव, यदि आप इसे स्वीकार करते हैं, तो विपक्ष के पास यह कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा कि प्रधान मंत्री जानबूझ कर एवं सचेतन रूप से अमरीका द्वारा भारत को अप्रसार संधि के बंधन में बांधने के लिए पिछला दरवाजा खुला रख रहे हैं।

महोदय, अमेरिकी कानून के बारे में दूसरा विक्षुब्धकारी तथ्य है। इसी प्रकार से यह भारत और पाकिस्तान बराबर मानता है। हाइड एक्ट न केवल भारत और पाकिस्तान को बराबरी का दर्जा देता है बल्कि यह अमरीकी प्रशासन को ''भारत और पाकिस्तान के साथ एवं दोनों के बीच बातचीत, सहयोग एवं विचार-विमर्श की अपनी नीति को जारी रखने का भी निदेश देता है।''

कुछ दिन पहले अमरीका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट श्री रीचर्ड बाउचर-यहां आए और उन्होंने यह वक्तव्य दिया कि भारत को केवल पाकिस्तान के संबंध में अपने प्रतिरोध को परिभाषित करना चाहिए और इस्लामाबाद के साथ पारंपरिक एवं नाभिकीय क्षेत्रों में पारस्परिक समझौता करना चाहिए। मैं उस दल से हूं जिसने सर्वप्रथम यह मांग की कि भारत का स्वयं अपना नाभिकीय प्रतिरोध होना चाहिए। पाकिस्तान के साथ कोई समस्या नहीं थी। हमने 1962 में चीन के साथ पारंपरिक युद्ध में शर्मनाक हार पाई थी। 1964 में, जब चीन आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था जैसाकि आज है, फिर भी इसने लोपनूर में नाभिकीय विस्फोट किया। वर्ष 1964 में मेरे दल ने पहली बार यह महसूस किया कि सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हमने पहले से ही देश की सुरक्षा पर उचित ढंग से बयान दिया होता तो हो सकता था कि 1962 हमारे लिए शर्मनाक नहीं होता। अतएव, अब जब हमारा निकट पड़ोसी नाभिकीय शक्ति बनने जा रहा है। भारत को भी अपना न्यूनतम नाभिकीय प्रतिरोध विकसित करना है। यह संकल्प हमने 1964 में पारित किया था।

तब से, अन्य किसी राजनीतिक दल से कोई समर्थन नहीं पाने के बावजूद भी हमने इस बात का लगातार अनुसरण किया कि भारत को नाभिकीय हथियार सम्पन्न देश बनना चाहिए। तथापि हम विभिन्न समय पर रखे गए प्रस्तावों पर सहमत हुए जैसेकि श्री राजीव गांधी ने रखा था कि गैर-भेदभावकारी सार्वभौमिक नाभिकीय निशस्त्रीकरण की व्यवस्था होनी चाहिए। हम इससे सहमत हैं। मुझे विश्वास है कि आज भी देश के सभी दल इससे सहमत हैं। यह भारत का मत है। परन्तु जहां तक हमारी समस्याओं का संबंध है, सुरक्षा संबंधी चिंताओं का संबंध है, कांग्रेस का रवैया विकल्पों को खुला रखने का था और उन्होंने उन्हीं कारणों से एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किये, उन्होंने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किये जिन कारणों से हमने हस्ताक्षर नहीं किये थे। परन्तु विकल्पों को खुला रखने का मतलब होता है अनिश्चितता बरकरार है।

इसलिए, जब हमें लोगों से जनादेश मिला और वह जनादेश उस कार्यक्रम के आधार पर था जिस पर न केवल भाजपा बल्कि हमारे सभी सहयोगी सहमत थे कि यदि हम राजग के साझा घोषणापत्र के आधार पर सत्ता में आते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि हम नाभिकीय प्रतिरोध विकसित करेंगे। जैसे ही हमें जनादेश मिला हमने देरी नहीं की। हमने मार्च में सत्ता संभाली और मई में हमने पोखरण-2 किया। मैं यह सब इसलिए स्मरण करा रहा हूं कि हमने हमेशा से यह बनाए रखा है कि भारत का सामरिक नाभिकीय हथियार कार्यक्रम पाकिस्तान केन्द्रित नहीं है और भारत को हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु किसी भी स्रोत से मिलने वाली किसी भी धमकी के विरुद्ध विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध विकसित करना चाहिए।

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

हम माननीय प्रधानमंत्री के दूसरे आश्वासन की बात करें। मेरे पास वह वक्तव्य भी है जिसे उन्होंने आज दिया है कि केवल पांच नाभिकीय ब्राह्मण हैं। कोई भी अन्य देश हथियार सम्पन्न देश के रूप में शामिल नहीं हो सकता है चाहे उसके पास हथियारों की क्षमता हो तब भी। यह बहुत ही अच्छा वक्तव्य है। मैं उस समय उनके वक्तव्य के लिए उनको बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य यूनाइटेड (स्टेट्स) के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से दशकों से चला आ रहा परमाणु भेदभाव समाप्त हो जाएगा। उन्होंने 'भेदभाव (अपार्थेड)' शब्द का उपयोग किया कि हम इस स्थिति में कई दशकों से अछूत की तरह थे।

उन्होंने यह भी कहा कि भारत को वैश्विक परमाणु व्यवस्था में इसका उचित स्थान प्राप्त होगा। वे कहते हैं:

"हमें विश्वास है कि संयुक्त वक्तव्य में प्रतिबिम्बित सहमति के क्रियान्वयन से भारत को वैश्विक परमाणु व्यवस्था में इसका उचित स्थान प्राप्त होगा।"

अब सभी को यह विदित है कि इस वक्तव्य के बाद भी इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ है। वास्तव में, जब अमरीका की विदेश मंत्री कांडोलिजा राइस से अमरीकी कानून के अंतर्गत हासिल होने वाले दर्जे तथा आई.ए.ई.ए. के बारे में पूछा गया तो उनका उत्तर स्पष्ट एवं सुनिश्चित था। उन्होंने कहा:

"जबकि भारत के पास परमाणु अस्त्र है......"

अत:, यह रियायत है कि भारत के पास परमाणु अस्त्र हैं। इसमें आगे कहा गया है:

"और हमें इस तथ्य के साथ यथार्थवादी एवं व्यावहारिक तरीके से निपटना होगा। हम भारत को परमाणु अस्त्र सम्पन्न राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं देते हैं और न ही भारत के परमाणु अस्त्र कार्यक्रम को विधिसम्मत बनाना चाहते हैं। परमाणु अस्त्र अप्रसार संबंधी 1968 की संधि, एन.पी.टी. में परमाणु अस्त्र की क्षमता वाले राष्ट्र की परिभाषा में वे राष्ट्र आते हैं जिन्होंने 1 जनवरी, 1967 के पूर्व परमाणु अस्त्र अथवा अन्य परमाणु विस्फोटक साधन का निर्माण तथा विस्फोट किया है। भारत इस परिभाषा को पूरा नहीं करता है तथा हम अन्यथा प्रावधान करने के लिए इस संधि में संशोधन नहीं करना चाहते हैं। अमरीकी कानून में एन.पी.टी. परिभाषा अपनायी गयी है। अत:, अमरीकी कानून के प्रयोजनार्थ भारत एक परमाणु अस्त्र रहित राष्ट्र है।"

अत:, माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उत्तर दे सकेंगे कि उनके इस वायदे का क्या हुआ कि भारत के साथ अब परमाणु भेदभाव नहीं किया जाएगा अथवा उनके इस वायदे का क्या होगा कि भारत को वैश्विक परमाणु व्यवस्था में इसका उचित स्थान मिलेगा।

मेरी तीसरी आपत्ति यह है कि प्रथम वाद-विवाद के दौरान माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने बार-बार 'पारस्परिकता' शब्द पर बल दिया और यह कहा कि अमरीका के साथ हमारा समझौता पारस्परिक आधार पर है। उन्होंने इस वाक्यांश का उपयोग किया कि 'राष्ट्रपति बुश तथा प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के संयुक्त वक्तव्य में उल्लिखित सभी कदमों के क्रियान्वयन की कुंजी पारस्परिक आदान-प्रदान है।" उन्होंने 29 जुलाई, 2005 को संसद को आश्वासन दिया था। मैं उन्हें उद्धृत कर रहा हूं:

"कि भारत पारस्परिक रूप से सहमत होगा कि यह विकसित परमाणु प्रौद्योगिकी वाले अन्य अग्रणी देशों जैसे संयुक्त राज्य की तरह समान उत्तरदायित्वों तथा व्यवहारों का निर्वहन करने तथा समान लाभों को अर्जित करने के लिए तैयार है।"

हाइड अधिनियम में इसे स्पष्टरूप से वर्जित किया गया है। जैसाकि मैंने कहा कि यह हमारे ऊपर बेड़ियां लगाता है, भारत की परमाणु सैनिक क्षमता पर प्रतिबंध लगाता है, जो कि पांच परमाणु सम्पन्न 'ब्राह्मण' राष्ट्रों पर लागू नहीं होता है।

मेरी चौथी आपत्ति यह है कि अगर इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो हम पोखरण-3 अथवा पोखरण 4 नहीं कर सकते हैं। हमें इसे समझना होगा। सरकार में शामिल कुछ व्यक्ति इस संबंध में खुश हो सकते हैं। मुझे वास्तव में जानकारी नहीं है। कम से कम जब पोखरण 2 हुआ था, तब अप्रसन्नता व्यक्त की गई थी। जैसाकि मैं पहले कह चुका हूं कि आज के प्रधान मंत्री उस समय दूसरे सदन में विपक्ष के नेता थे और वहां उन्होंने अप्रसन्नता व्यक्त की थी। पूरा भाषण उपलब्ध है। हाइड अधिनियम की धारा 106 में यह आज्ञप्ति है कि इस कानून के लागू होने की तिथि के पश्चात् यदि राष्ट्रपति यह विनिश्चित करते हैं कि भारत ने परमाणु अस्त्र का विस्फोट किया है, तो भारत के साथ नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग प्रभावी नहीं रहेगा। हाइड अधिनियम की व्याख्यात्मक टिप्पणियों में अनिश्चितता की कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें कहा गया है:

"भारत द्वारा भविष्य में परमाणु विस्फोटक अस्त्र के किसी परीक्षण के विधेयक एवं नीतिगत परिणामों के संबंध में कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। उस स्थिति में राष्ट्रपति को निश्चित रूप से संयुक्त राज्य द्वारा परमाणु पदार्थों के सभी निर्यातों तथा पुनर्निर्यातों को समाप्त कर देना चाहिए।"

यह सुस्पष्ट है।

अमरीकी कानून यहीं नहीं रुकता है। मैं अधिनियम में वर्णित शब्दों को उद्धृत कर रहा हूं:

"भारत द्वारा भविष्य में किसी भी कारण से, जिसमें ऐसे कारण भी शामिल हैं जबकि भारत द्वारा अपने कार्यों को शांतिपूर्ण प्रयोजनों हेतु वर्णित किया जाता है, परमाणु परीक्षण किये जाने की स्थिति में, राष्ट्रपति को भारत को निर्यातित एवं पुनर्निर्यातित सभी परमाणु सम्बद्ध मदों, सामानों, तथा संवेदनशील परमाणु प्रौद्योगिकी को लौटाने की मांग करने के अमरीकी अधिकार का पूर्ण एवं तत्काल उपयोग करना चाहिए।"

क्या भारत ने पूर्व में अमरीका से परमाणु ईंधन प्राप्त करने के लिए किसी ऐसे समझौते को स्वीकार किया था? अन्यथा, न तो कांग्रेस सरकार पोखरण-1 कर पाने में सक्षम हो पाती और न ही एन.डी.ए. सरकार पोखरण-2 करने में।

माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मैं यह प्रश्न करना चाहता हूं। क्या आप पोखरण-3 और पोखरण-4 करने के भारत के संप्रभु अधिकार को बंधक रखना चाहेंगे? क्या आप भारत को इसके पोकरण पूर्व दर्जे में नहीं धकेंलेंगे, अर्थात् इस अवपीड़क समझौते पर हस्ताक्षर करके भारत को विधित: तथा वास्तविक रूप से गैर-परमाणु अस्त्र राष्ट्र के रूप में? मैं इस मुद्दे पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

जैसाकि मैंने कहा है, मेरे मन में एक संदेह बैठ गया है। मैंने उन लोगों के साथ काम किया है जो स्पष्ट रूप से भारत के परमाणु कार्यक्रम के विरुद्ध थे। मैंने उनके साथ काम किया है और मैं यह जानता हूं कि वे इसके लिए कितने उत्सुक थे कि भारत परमाणु कार्यक्रम के बारे में कभी विचार तक नहीं करे। मुझे संदेह है कि शायद प्रधानमंत्री जी यह चाहते हैं कि कोई और पोखरण न हो, और वे वास्तव में खुश होंगे अगर यह अधिनियम, जो हमारी परमाणु अस्त्र क्षमता पर उच्चतम सीमा आरोपित करता है, और तत्पश्चात् इसमें कमी करता है और अंतत: इसे समाप्त कर देता है। ये शब्द अधिनियम में उपयोग किये गये हैं, और ये शब्द मेरे नहीं हैं।

यदि डा. मनमोहन सिंह भारत की परमाणु क्षमता समाप्त करने के बारे में अन्य व्यक्तियों के उद्देश्य से वास्तव में सहमत हैं, तो उन्हें ऐसा कहना चाहिए। आखिरकार, परमाणु वैज्ञानिक इससे सहमत नहीं हैं। वे कहते हैं:

"विश्व की अनिश्चित रणनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारा यह मत है कि हमें भविष्य में परमाणु अस्त्रों का परीक्षण करने का अपना अधिकार प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से छोड़ना नहीं चाहिए अगर परमाणु अस्त्रों का परीक्षण हमारी न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक पायी जाती है।"

प्रधानमंत्री जी द्वारा 17 अगस्त को एक अन्य आश्वासन दिया गया था कि: "हमारी नागरिक परमाणु सुविधाओं को सुरक्षापायों के अंतर्गत रखने का हमारा प्रयास।" हम इसके लिए सहमत हुए हैं कि हम अपने सिविल रिएक्टरों और सैनिक रिएक्टरों को पृथक करने का कार्य करेंगे। इन्हें सुरक्षापायों के अंतर्गत अनवरत रूप से लाया जाना इस शर्त की पूर्ति के अध्यधीन हैं कि इन केन्द्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से ईंधन की पूर्ति आजीवन की जाएगी।

7 मार्च, 2006 को संसद में परमाणु कार्यक्रम को असैनिक और सैनिक हिस्सों में अलग-अलग करने संबंधी दिये गये अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री के स्वयं के शब्द हैं, अर्थात् "अपने पूरे जीवनकाल के लिए"। प्रधानमंत्री ने पुन: आश्वासन दिया कि अमरीका भारतीय रिएक्टरों की पूरी जीवन अवधि के दौरान आपूर्ति में किसी बाधा आने के विरुद्ध सुरक्षोपाय के रूप में परमाणु ईंधन के रणनीति भंडार के विकास के लिए भारतीय प्रयासों का समर्थन करेगा। हाइड एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। हाइड एक्ट न तो ईंधन की निर्बाध आपूर्ति की गारंटी देता है और न ही भारत को रिएक्टरों की पूरी जीवन अवधि के लिए सुरक्षोपाय के रूप में ईंधन को संचित करने की अनुमति देता है। वस्तुत: यह इस प्रकार के सहयोग पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाता है। इसमें कहा गया है:

"सुरक्षित असैनिक परमाणु प्रतिष्ठानों में उपयोग के लिए भारत सरकार को प्रदान किया गया। परमाणु ऊर्जा रिएक्टर ईंधन भंडार समुचित रिएक्टर परिचालन आवश्यकताओं के अनुपात में होगा।"

यह पूरी जीवन अवधि के लिए नहीं है तथा यह भंडारण के लिए नहीं है। एक्ट के व्याख्यात्मक विवरण में कहा गया है कि भारत को इतनी मात्रा में यूरेनियम का भंडारण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिससे कि वह अमरीका द्वारा को भविष्य में लगाए गए किसी प्रतिबंध का उल्लंघन कर सके।

इस एक्ट का प्रयोजन ही विक्षुब्धकारी है। ईंधन की आपूर्ति भावी आवश्यकताओं के प्रतिकूल केवल आवश्यकताओं तक ही सीमित रहेगी यहां तक कि परिचालनात्मक असैनिक परमाणु रिएक्टरों के लिए भी। इससे ज्यादा अपमानजनक स्थिति और कुछ नहीं हो सकती है।

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

प्रधानमंत्री ने 17 अगस्त को संसद में कहा था कि विखंडनीय पदार्थ के उत्पादन पर विलंब के लिए हम इच्छुक नहीं है। इसके बावजूद भी हाइड एक्ट का आशय भारत की परमाणु प्रतिरोधी क्षमता पर गुणात्मक और मात्रात्मक अधिकतम सीमाओं का अधिरोपण करना है। यह इस बात पर अत्यधिक बल देता है कि भारत को समस्त विखंडनीय पदार्थ के उत्पादन पर रोक लगाने के लिए सहमत किया जाए।

सातवां तथा मेरे विचार से हाइड एक्ट का सर्वाधिक विक्षुब्धकारी पहलू यही है। प्रधान मंत्री के इस आश्वासन के प्रतिकूल कि देश में स्वतंत्र परमाणु कार्यक्रम या इसकी संप्रभु विदेश नीति को प्रभावित करने वाला कोई कार्य नहीं किया जाएगा दिये गये वक्तव्य तथा आश्वासन कैसे हाइड एक्ट के अनुकूल हो सकते हैं। हाइड एक्ट के खंड 102 में कहा गया है कि यह भारत के साथ परमाणु सहयोग की सिफारिश करता है इसका एक कारण यह है कि यह भारत से ऐसी विदेश नीति की आशा करता है जो अमरीका की विदेश नीति के अनुरूप हों तथा परमाणु अप्रसार से जुड़ी महत्वपूर्ण विदेश नीति संबंधी पहलुओं पर अमरीका के साथ मिलकर कार्य करे।

खंड 103 में यह कहा गया है कि इस परमाणु समझौते के माध्यम से अमरीका के यह नीतिगत उद्देश्य पूरे किए जाने हैं। व्यापक जनसंहार के हथियार प्राप्त करने के प्रयासों को ईरान के हतोत्साहित करने उसे अलग-थलग करने तथा आवश्यक होने पर उस पर प्रतिबंध तथा अंकुश लगाने के अमरीकी प्रयत्नों में भारत का पूर्ण तथा सक्रिय सहयोग सुनिश्चित किया जाए। हाइड एक्ट के साथ संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन को पढ़ने पर मुझे पता चला कि ईरान का कम से कम पन्द्रह बार उल्लेख किया गया है। सार तथ्य यह है कि विभिन्न परमाणु हथियारों को रोकने के संबंध में अमरीकी नीति के उद्देश्यों को भारत को समर्थन देना पड़ेगा। यह स्पष्ट है कि इस एक्ट के माध्यम से अमरीका हमें आदेश दे रहा है कि हमारी विदेश नीति किस प्रकार की होनी चाहिए।

ईरान तथा अन्य देशों के प्रति हमारी विदेश नीति ऐसी भी हो सकती हैं जो अमरीका से बहुत भिन्न न हो लेकिन अमरीका हमें आदेश नहीं दे सकता है क्योंकि वह हमें परमाणु ईंधन दे रहा है, इसलिए हम इस पर हस्ताक्षर कर दें कि हम उनके साथ इन सभी मुद्दों पर सहयोग करेंगे। भारत अमरीका के रणनीति उद्देश्यों के लिए अपनी विदेश नीति को किस प्रकार से बंधन रख सकता है?

उपाध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री ने 17 अगस्त को संसद में वचन दिया था कि यदि अंतिम मसौदा जो वर्तमान रूप में है तथा जो इस एक्ट को अंगीकृत किए जाने से पहले था तो उस विधेयक को अपनाने में भारत को बहुत अधिक कठिनाइयां होंगी। अब ये गंभीर समस्याएं सरकार की नजरों में और अधिक गंभीर तथा और अधिक अनिष्ट सूचक हो गई हैं। लिखित शर्तों वाले सुस्पष्ट अंतिम मसौदा हमारे सामने है तथा यह प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासनों के एकदम प्रतिकूल है। यह बार-बार कहा गया कि अमरीका में हमारे मित्र इन सभी बातों का ध्यान रख रहे हैं तथा हमें पूर्ण विश्वास है कि जब इस एक्ट को पारित किया जाएगा तो हमारी सभी आशंकाओं को संज्ञान में लिया जाएगा।

हमारी आशंकाओं का समाधान नहीं किया गया है बल्कि अमरीकी विधान ने हमारे ऊपर नए नियंत्रण लगा दिए हैं। यह लगभग वैसा ही है जैसा कि अमरीका भारत के परमाणु कार्यक्रम पर अतिरिक्त क्षेत्रीय नियंत्रण रखना चाहता है तथा संप्रग सरकार इस संबंध में वाशिंगटन की मदद करने की इच्छा रखती है।

मेरे साथी अरुण शौरी ने कुछ दिन पहले हाइड एक्ट के उपबंधों से संबंधित संसद को दिये गये आश्वासनों के बारे में प्रधानमंत्री को चुनौती देते हुए 'लेट द प्राइम मिनिस्टर स्क्वायर द सर्किल'' शीर्षक से एक लेख लिखा था। मैं बताना चाहता हूं कि जहां तक मुझे समझ में आया कि हमारे विद्वान प्रधानमंत्री भी इस असंभव को संभव नहीं कर सकते हैं। यह कहते हुए मुझे खेद है। अमेरिका के साथ परमाणु संधि करने के विचार को अस्वीकृत करने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है।

मेरा कहना है कि सरकार के समक्ष विपक्ष की एकमात्र और पुरजोर मांग रही है कि वह भारत को आत्मदासता के खतरनाक जाल में न डाले। कृपया ऐसा मत कीजिए, बहुत देर हो जाए इससे पहले इसे रोकिए। इस विचार का समर्थन केवल राजग या वामपंथी दलों के ही लोग ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग करते हैं। मैं पूर्व प्रधान मंत्री श्री वी.पी. सिंह को भी इसकी बहुत तीव्र आलोचना करते हुए सुना है। मैंने इसकी डा. जयललिता द्वारा इसकी तीव्र निंदा करने वाला वक्तव्य भी देखा है।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): वह कोई परमाणु वैज्ञानिक नहीं हैं। हमें उनके कहे अनुसार चलने की आवश्यकता नहीं है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवधान न डालें। श्री आडवाणी जी के भाषण के सिवाय कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं उनकी प्रतिक्रिया समझ सकता हूं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। श्री आडवाणी के भाषण के सिवाय कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मेरी पार्टी तथा वामपंथियों, कम्युनिस्टों की एक मांग थी कि सभा की सहमति ली जाए, एक संकल्प आदि पारित किया जाए। मुझे याद है, हमारी आलोचना की गई थी तथा उनकी भी आलोचना की गई थी। ...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): कम्युनिस्ट आपके सुविधाजनक मित्र नहीं हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: यह मुझे पता है, इसलिए ही कई बार हमने राज्य सभा में राष्ट्रहित के मुद्दों पर एक साथ कार्य किया है।

महोदय, श्री प्रकाश करात ने इस पर 12 अगस्त को 'द हिन्दू' में एक पूरा लेख लिखा है जिसमें कहा गया है कि सत्ता पक्ष के कतिपय वर्गों ने संसद की राय के तौर पर प्रयासों को दर्शाने की मांग की कि सीपीआई (एम) भी भाजपा के साथ है। यह केवल मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए किया गया है। यह बात उन्होंने कही है।

मैं चाहता हूं कि सरकार इससे ध्यान न हटाए तथा सम्पूर्ण अधिनियम के मुख्य बिंदुओं पर आए एवं इसका जवाब दे। क्या आप इस बात को महसूस करते हैं कि इस पर आप किस प्रकार से अलग-थलग हैं? ऐसा नहीं है कि हम हमारे असैनिक रिएक्टरों के लिए परमाणु ऊर्जा की आवश्यकताओं से परिचित नहीं हैं, हम इसे अच्छी तरह से समझते हैं। भारत की तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था में परमाणु सहित अन्य स्रोतों से भी ऊर्जा उत्पादन की आवश्यकता है। पर हमारा यह मानना नहीं है कि वर्तमान स्वरूप में यह भारत-अमरीका परमाणु संधि भारत भी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने का सर्वोत्तम उपाय है। आने वाले वर्षों में परमाणु ऊर्जा के बारे में भारी भरकम अनुमानों के बारे में भारत के कुल ऊर्जा उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का योगदान जो अभी बहुत ही कम 3 प्रतिशत है, को बढ़ाने के बारे में विशेषज्ञों ने भी आशंकाएं जतायी हैं।

अपराह्न 2.48 बजे

[**श्री बालासाहिब विखे पाटील** *पीठासीन हुए*]

हम यह अंदाजा कैसे लगा सकते हैं कि इस प्रकार का समझौता हमें वह सब देगा जिसकी हमें आवश्यकता है? मैं इसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं। शीत युद्ध समाप्त होने के पश्चात् जब हम सत्ता में आए तो शायद उससे पहले भी विश्व के दो प्रमुख लोकतंत्रों के बीच संबंधों तथा सहमति को बढ़ाते रहने के सजग प्रयास किये गये थे। अतः मैं भारत और अमरीका के बीच बेहतर संबंधों तथा परमाणु सहयोग सभी क्षेत्रों में और अधिक सहमति का पक्षधर हूं।

परन्तु मैं इस बात पर बल देता हूं कि यह संबंध समानता, समाज व्यवहार, गैर भेदभावपूर्ण समझौता किये जाने वाले सिद्धांतों तथा स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के भारत के संप्रभु अधिकार, पर आधारित होने चाहिएं। भारत अमरीका का पिछलग्गू देश नहीं बन सकता। यदि हम इस संधि पर हस्ताक्षर करते हैं तो हमारी स्थिति वही हो जाएगी। यूपीए सरकार को इसके लिए तैयार रहना चाहिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: इस पटकथा का लेखक कौन है, जिसमें कहा गया है कि भारत, अमरीका का पिछलग्गू देश है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। परन्तु यदि आप अमरीका की विदेश नीति के अनुसार तथा उसके समान हमारी नीति बनाएंगे तो यह पिछलग्गु देश बन जाएगा।

यूपीए सरकार शायद ऐसा करना चाहती है परन्तु भारत के गौरवशाली तथा देशभक्त लोग निस्संदेह ऐसा नहीं चाहते।

कुछ विशेषज्ञों ने मुझे बताया है कि यदि भारत-अमरीका परमाणु समझौता अमरीकी संसद के कानून के वर्तमान स्वरूप पर आधारित है तो हमने जिस प्रकार के वादे किये हैं, उससे पीछे हटने का विकल्प भारत के पास नहीं हैं। यदि ऐसा है तो मुझे खेद है, यह देश इसे अस्वीकृत कर सकता है, यह संसद अस्वीकृत कर सकती है और यह सरकार भी इसे अस्वीकृत कर सकती है। चूंकि, आप स्वयं ही कह चुके हैं कि यदि वह मानदंडों के अनुरूप नहीं होगा तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। कृपया इसका क्रियान्वयन कीजिए। अन्यथा, आपकी सरकार जल्द ही गिर जाएगी। मैं केवल यही कहना चाहता था।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, इस देश में किसी को सपने देखने से रोकने के लिए कोई कानून नहीं है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि ये कहते तो आपको लगता कि ठीक है। परन्तु मैंने वे सभी मुद्दे उठा दिये हैं, जो मैं उठाना चाहता था। हाइड एक्ट प्रधान मंत्री जी द्वारा संसद विशेषकर राज्य सभा में 17 अगस्त को दिए गए आश्वासनों से मेल नहीं खाता है।

इसके अतिरिक्त मैंने अपनी टिप्पणी यह कहते हुए आरम्भ की थी कि संयुक्त वक्तव्य इस हाइड एक्ट से भी अधिक अस्पष्ट है, प्रधान मंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप में कहा था कि हम आगे केवल तभी बढ़ेंगे जब इस बारे में व्यापक राष्ट्रीय सर्वसम्मति होगी। मैं बताना चाहता हूं कि व्यापक राष्ट्रीय सर्वसम्मति की बात तो छोड़िए इस बारे में कोई सर्वसम्मति भी नहीं है। संसद में कोई सर्वसम्मति नहीं है, यूपीए गठबंधन में कोई सर्वसम्मति नहीं है, परमाणु वैज्ञानिकों के बीच कोई सर्वसम्मति नहीं है तथा राजनीतिक दलों के बीच कोई सर्वसम्मति नहीं है। अत: सरकार को निर्भय होकर यह निर्णय करने दीजिए कि यथापारित इस अधिनियम को हम स्वीकार नहीं कर सकते।

श्री रूपचंद पाल (हुगली): सभापति महोदय मैं विपक्ष के माननीय नेता के भाषण को बहुत ध्यान से सुन रहा था और जब उन्होंने यह कहा कि हमारे देश को अमरीका के इशारों और दबाव में नहीं आना चाहिए तो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे उन दिनों की याद आ गई जब पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने खुली घोषणा की थी कि भारत अमरीका का कनिष्ठ सहयोगी है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उन्होंने अपनी बात समाप्त नहीं की है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: श्री रूपचंद पाल के वक्तव्य के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: केवल असंसदीय शब्दों को ही हटाया जा सकता है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप बाद में स्पष्टीकरण दे सकते हैं। यदि कुछ गलत होगा तो उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: श्री पाल, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

श्री रूपचंद पाल के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: कृपया उन्हें उत्तर मत दीजिए। आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

श्री रूपचंद पाल: महोदय, यह इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसका कि कीमत तथा लाभ के आधार पर आकलन किया जाना चाहिए। देश को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी और इस देश को इससे क्या लाभ होगा? इस समझौते पर राय बनाने के लिए यही मानदंड होना चाहिए।

विपक्ष के माननीय नेता द्वारा कुछ प्रमुख चिंताओं का उल्लेख किया गया। मेरी भी कतिपय चिंताएं हैं जिनका मैं बाद में उल्लेख करूंगा। यह उल्लेख किया गया है कि ऊर्जा क्षेत्र में जानकारी को तीन दशकों से वंचित रखने वाली व्यवस्था को समाप्त किया जाना है। देश के दर्शन के अनुसार योजना आयोग के दर्शन के अनुसार तथा परमाणु ऊर्जा आयोग के दर्शन के अनुसार हमारी ऊर्जा संबंधी सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए ऐसा किया गया है। हम जानते हैं कि हमारे जैसे देश जहां विशेषकर पनबिजली, गैर-परंपरागत ऊर्जा तथा कोयले के संसाधन सीमित हैं, वहां परमाणु ऊर्जा की अपार संभाव्यता है। मैं बाद में इसका उल्लेख भी करूंगा।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अब यहां सभी विकल्पों पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है और भारत को मुख्य रूप से परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में जाना चाहिए। विभिन्न स्रोतों द्वारा अलग-अलग आंकड़े दिये गये हैं। माननीय विदेश मंत्री ने अपने वक्तव्य में कतिपय आंकड़ों का उल्लेख किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य मे कतिपय अन्य आंकड़े दिए। मैं यहां केवल योजना आयोग के एक दस्तावेज का हवाला देना चाहता हूं। यह उद्धरण पारिख समिति का है। मैं उद्धृत करता हूं:

> "ऐसा देखा गया है कि यदि भारत 1,50,000 मेगावाट की संपूर्ण जल विद्युत संभाव्यता का दोहन करने में सफल होता है तो ऊर्जा मिश्रण में पन बिजली का अंशदान पाचं से छह प्रतिशत होगा। इसी प्रकार से वर्ष 2031-32 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता में 24 गुना वृद्धि हो जाए तो भारत के ऊर्जा मिश्रण में परमाणु ऊर्जा के योगदान के अधिकतम पांच से छह प्रतिशत होने का अनुमान है।

अब हमें बताया जा रहा है कि प्रौद्योगिकी जानकारी से वंचित रखने वाले इस तंत्र को समाप्त करने से हमें बहुत लाभ होगा। मेरे पास एक और रिपोर्ट है। अमरीका इस बारे में आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से इतना अधिक उत्साहित क्यों है? मैं पहले इसके आर्थिक भाग का उल्लेख करना चाहूंगा। अब मैं इस कानून को बनाने से कुछ दिन पहले अमरीका में हुए एक सम्मेलन की रिपोर्ट का उल्लेख कर रहा हूं, जिसमें 200 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया था।

उन्होंने कहा था कि सेंट्रल पनीसिलवानिया में वर्ष 1979 में हुई एक दुर्घटना के बाद गत तीस वर्षों तक अमेरिकी ऊर्जा उद्योग ठप्प पड़ गया। अपने ऊर्जा क्षेत्र को पुनः जागृत करने के लिए उन्होने एक आकलन किया है। इस आकलन के अनुसार भारत में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 40 प्रतिशत ऊर्जा के दोहन का अवसर प्राप्त कर वे कुछ ही वर्षों के अंतराल में अपने उद्योग को पुनर्जीवित कर लेंगे।

अपराह्न 3.00 बजे

इससे लगभग 2,70,000 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा और 20 बिलियन डालर का व्यापार होगा। अतः अमरीका में रुग्ण परमाणु क्षेत्र का पुनरुद्धार करना ही इसका कारण रहा है और राजनीतिक रूप से एक ऐसा नया नीतिगत ढांचा बनाना चाहते हैं जिसमें भारत चीन पर अंकुश लगाने की उनकी अवधारणा में शामिल हों। अतः अमरीका के समक्ष ये दो लक्ष्य हैं अर्थात् वहां पर रुग्ण परमाणु क्षेत्र का पुनरुद्धार करने का आर्थिक हित और राजनैतिक रूप से भारत जैसा सहयोगी एशिया में उनकी दीर्घकालिक राजनैतिक राजनीति में सहायक होगा। ऐसे परिदृश्य में, मैं इस बात से असहमत नहीं हूं कि अभी भी भारत जैसे देश के लिए अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता का विस्तार करने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का अवसर है और इसका उपयोग किया जाना चाहिए। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन क्या अंततोगत्वा यह इसी प्रकार किया जाएगा? ये चिंताएं हैं। ये चिंताएं उजागर की गई थीं और माननीय प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था। वह आश्वासन क्या था? वह आश्वासन पूर्णतः यही था कि पूर्ण, संपूर्ण और अपरिवर्तनीय असैनिक परमाणु सहयोग की प्रतिबद्धता होगी. लेकिन हम पाते हैं, कि प्रधानमंत्री जी ने सदन में परमाणु ईंधन की सप्लाई, परमाणु रिएक्टर और ईंधन के पुनः प्रसंस्करण एवं अन्य मुद्दों संबंधी सभी प्रकार के सहयोग और प्रौद्योगिकी अंतरण संबंधी प्रतिबंधों को हटाए जाने का आश्वासन दिया था। परन्तु इस कानून में हमें देखने को क्या मिलता है? हम केवल इसमें परमाणु ईंधन के आयात की बात देखते हैं, परमाणु रिएक्टरों के आयात की बात देखते हैं, परमाणु रिएक्टरों के आयात है, परंतु परमाणु ऊर्जा के पुनः प्रसंस्करण की बात नहीं पाते। यह प्रमुख चिंता का विषय है।

राजनैतिक दलों ने अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। वैज्ञानिकों ने भी अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं और पहले भी माननीय प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के साथ-साथ परमाणु प्रतिष्ठानों के सेवानिवृत्त परमाणु वैज्ञानिकों से भी मिले थे और उन्हें आश्वासन दिया था। उन्होंने फिर से अपनी चिंता व्यक्त की है कि उद्देश्य बदल गए हैं। प्रधानमंत्री के राष्ट्र, सभा और परमाणु वैज्ञानिकों को दिये गये आश्वासन के बावजूद इस प्रकार का कुछ भी नहीं हुआ है।

जहां तक मानदंडों, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समुदाय, लेन-देन के बोध और संबंधित बातों का प्रश्न है तो हम इस समझौते में दिये गये आश्वासन का गंभीर उल्लंघन पाते हैं।

अपराह्न 3.04 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

अब हमारा प्रश्न "फुल साइकिल" और पूर्ण असैनिक परमाणु सहयोग के संबंध में, लेन-देन और आई.ए.ई.ए. सुरक्षोपायों के संबंध में उल्लंघन से संबंधित है। विपक्ष के नेता द्वारा यह उल्लेख किया गया है और यह कहा गया था कि हालांकि हम एक परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र हैं, तथापि हम अभी भी अप्रसार संधि के हस्ताक्षरकर्त्ता नहीं हैं। ऐसी स्थिति में, इस मामले के अंतर्गत देश के विशिष्ट सुरक्षोपायों का मुद्दा उठाया जाना चाहिए। तदनुसार,

[श्री रूपचन्द पाल]

यह कहा गया था कि पृथक्करण योजना को इस प्रकार से संकल्पना की गई है कि हमारे रणनीति कार्यक्रम और असैनिक परमाणु कार्यक्रम, जिन्हें चरणों में चलाया गया था, को पृथक रूप से इन निरीक्षणों और तत्संबंधी कार्यकलापों के लिए रखा जाएगा। इस संबंध में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी प्रकार का तीसरे पक्ष का निरीक्षण नहीं होगा।

हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारे परमाणु संयंत्रों के इर्दगिर्द घूमते अमेरिकी इंस्पेक्टरों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परन्तु अफसोस कि ऐसा नहीं हो पाया है। प्रधानमंत्री जी कृपया स्पष्ट करें कि उनके परमाणु प्रतिबंध क्यों नहीं हट रहे हैं और भारत के विशिष्ट सुरक्षा मानदंडों और उसकी प्रतिबद्धता का सम्मान क्यों नहीं हो पा रहा है।

प्रमाणन खंड के संबंध में यह कहा गया है कि एक बाहरी परिवर्तन किया गया है। रिपोर्टिंग के अनुसार शब्द बदल गया है।

इस संधि में, ''वार्षिक प्रमाणन'' जारी रहेगा। यह बाध्यकारी नहीं हो सकता है। प्रधान मंत्री ने उस समय सभा में क्या कहा था? यह जुलाई में दिये गये वक्तव्य की सच्ची भावनाओं के विपरीत है। यह एक अस्थायी रियायत है।

हर वर्ष ''एक अच्छे प्रमाण पत्र'' की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा है कि ऊर्जा क्षेत्र में समग्र संदर्शी नियोजन, विशेषत: परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में होने वाले नियोजन में भारी दिक्कत होगी और इससे उत्सर्जन खंड पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यह वार्षिक रूप से होगा न कि स्थाई तौर पर। पूरे परिदृश्य में अनिश्चितता का माहौल है। हमें तारापुर का अनुभव ज्ञात और प्राप्त है। एकाएक सप्लाई रोक दी गयी थी। पहले स्थिति भिन्न होती थी। यदि सप्लाई नहीं हुई तो हम और कहीं जा सकते थे। अब ऐसी स्थिति में एक नया खंड जोड़ा गया है। यदि यह बाजार के विफल होने की स्थिति हो, तब भी ''समाप्ति'' का कोई उल्लेख नहीं है। यदि इस समझौते को एक पक्षीय रूप से समाप्त कर दिया गया तो हम कहां जायेंगे? पहले ऐसा था कि कोई व्यक्ति मित्र देशों के साथ बैठक की व्यवस्था करेगा। अब चूंकि मेरा समझौता समाप्त हो जाता है, इसलिए परमाणु ईंधन आपूर्तिकर्त्ता देशों के समूह में से किसी भी देश को ईंधन की आपूर्ति करने की अनुमति नहीं होगी। हमारे परमाणु कार्यक्रम का क्या होगा? हमारे दीर्घकालिक परमाणु ऊर्जा हितों का क्या होगा। यह स्वीकार्य नहीं है। प्रधान मंत्री ने कहा था कि भावी सहयोग के संबंध में अनिश्चितता की स्थिति स्वीकार्य नहीं है। लेकिन हम पाते हैं कि यह अभी तक बनी हुई है। यह प्रत्यक्षत: मौजूद है। राष्ट्र 123 समझौते को किस प्रकार देखेगा? यह कहना आसान है कि यह हम पर बाध्यकारी नहीं है और यह उनका घरेलू कानून है। लेकिन हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। यह कहा जा सकता है कि रिपोर्टिंग खंड पहले से ही मौजूद था। यह कहा जा सकता है कि वर्ष 2002 में भाजपा सत्ता में थी और यह कि उस समय भारत सरकार को इसका पता आदि नहीं था। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। इसे हाइड अधिनियम में जारी रखा गया है। मेरे पास समय नहीं है। अन्यथा, मैं उसे उद्धृत करता, जो प्रेस में छपा है, कि 2002 का अधिनियम वर्तमान अधिनियम में जुड़ गया है। यह पहले से ही मौजूद था। भारत सरकार को मालूम नहीं था। उस वक्त भाजपा की सरकार थी।

भारत की स्थिति के बारे में क्या कहा गया है? यह कहा गया है, ''भारत एक उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी राष्ट्र है।'' परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र'' कहना बहुत कठिन हो सकता है क्योंकि अप्रसार संबंधी मुद्दे हैं और अप्रसार संबंधी लॉबी हैं। मैं यह समझता हूं। मैं नामकरण अथवा किसी विशेष शब्द का उपयोग किये जाने अथवा किसी विशिष्ट अभिव्यक्ति का इस्तेमाल किये जाने के बारे में असमंजस की स्थिति में नहीं हूं।

इस बात की सहमति हुई थी कि भारत की व्याख्या अमेरिका जैसे उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी प्राप्त देशों के साथ अधिकारों और लाभों की हिस्सेदारी करने वाले उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी वाले राज्य के रूप में की जाएगी। परन्तु हम बराबरी के भागीदार नहीं हैं। हम केवल भुगतने वाले हैं। हम इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? प्रधानमंत्री ने 17 अगस्त को और तत्पश्चात् भी राष्ट्र को आश्वासन दिया था, जब मेरी पार्टी ने विचार के लिए एक नोट प्रस्तुत किया था कि सभी नौ बिन्दुओं का समाधान किया जाना चाहिए। लेकिन हम पाते हैं कि लक्ष्य से भटकाव हो गया है, उद्देश्य बदल गए हैं। हमें पता चला कि जब उन्होंने कहा कि ये उपबन्ध अस्वीकार्य हैं, ये उपबंध विद्यमान थे। उन्हें हटाया नहीं गया है। अभी भी प्रतिबंधात्मक खंड लागू हैं। प्रौद्योगिकी और उसके दोहरे उपयोग की मनाही है। प्रौद्योगिकी का दोहरा उपभोग आसान नहीं है क्योंकि नागरिक प्रौद्योगिकी से आप चोरी छुपे परमाणु प्रौद्योगिकी और रणनीति कार्यक्रमों की ओर जा सकते हैं।

हमारे वैज्ञानिक इस बात से दुखी हैं। हमारे परमाणु प्रतिष्ठान इस बात से दुखी है कि सूक्ष्म-पदार्थ प्रबंधन तथा उन सभी चीजों का क्या होगा जहां इन परमाणु प्रौद्योगिकियों तथा इनका दोहरा उपयोग जरूरी है। हमें गर्व है कि हमारे वैज्ञानिक अपने स्तर को विश्व में सर्वोत्तम वैज्ञानिकों तक ले आए हैं। ऐसे क्षेत्रों के उन्हें हर चरण पर आगे बढ़ने से रोका जाता है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। 'वैज्ञानिक' प्रतिष्ठान तथा विशेष रूप से परमाणु वैज्ञानिक बहुत

नाखुश हैं ...*(व्यवधान)* यदि यह पता चलता है कि एक या अन्य अनुरोध के लिए, ऐसा हुआ है कि हमारे पास एक न्यूनतम परमाणु निवारक क्षमता है तथा हमारी अपनी परमाणु नीति है और हमारे पास परमाणु कार्यक्रम के त्रि-स्तरीय प्रबंधन की नीति है, हम यह देखते हैं कि तीन चरणों पर यह जोर दिया गया है कि यदि हमें दीर्घावधि सुरक्षा करनी है, तो हमें थोरियम आधारित वस्तुओं का प्रयोग करना होगा, तथा यदि हमें यूरेनियम से प्लूटोनियम तथा प्लूटोनियम से थोरियम चरण में जाना है, जिसके लिए हमारे पास प्रचुर संसाधन हैं, हम देखते हैं कि हमें ऐसा करने से रोका जा रहा है।

पुनः प्रसंस्करण को रोका जा रहा है और सामरिक कार्यक्रम के लिए होने वाले किसी भी कार्य के लिए भंडार नहीं दिया जा रहा है। यदि आपके पास एक अच्छा भंडार भी है, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। हमारे सामने उपयोग में लाए गए ईंधन की गम्भीर समस्या होगी। यहां फिर एक खंड है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमें इस बात का आश्वासन दें कि वे उन पर क्या कदम उठाने का विचार है जिन ठोस बातों के आधार पर उन्होंने सदन में आश्वासन दिया था, उनका उल्लंघन हो रहा है।

महोदय, उठाए गए विशिष्ट मुद्दों, जिनके आधार पर उन्होंने कहा है कि भारत समझौता नहीं करेगा—ईरान के मुद्दे पर—उन्होंने उन्हें साफ-साफ बता दिया था कि भारत सत्ता परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता तथा इसे मंजूरी भी नहीं देता। अतः ईरान के मुद्दे पर उन्होंने इसका उल्लेख किया है। परन्तु उन्होंने विपक्ष के माननीय नेता का कम से कम 15 बार उल्लेख किया था, कई बार ईरान का उल्लेख किया गया है कि भारत को यह करना होगा तथा उन्हें परमाणु कार्यक्रमों का नागरिक एवं शांति प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के अपने संप्रभुता के अधिकारों के संबंध में अपनी विदेश नीति के समनुरूप अमरीकी लाइन का अनुसरण करना होगा। एक ऐसा देश जो स्वतंत्र विदेश नीति के प्रति वचनबद्ध है, वह कैसे अपनी विदेश नीति को इस हद तक पराधीन बना सकता है? इसका उत्तर क्या है? माननीय प्रधानमंत्री यह सुनिश्चित करें कि इस सभा पटल पर 17 अगस्त को उन्होंने इस सदन में संसद और राष्ट्र से जो प्रतिबद्धता की थी उसे बनाए रखें। यह न्यूनतम आवश्यकता है।

अब, मैं रणनीतिक अनुसंधान, निरीक्षकों, सुरक्षोपाय खंडों, परमाणु राष्ट्रों की स्थिति के बारे में कहूंगा और यहां हम देखते हैं कि भारत के संबंध में संशोधित नयाचार लागू किया जा रहा है, जो गैर-परमाणु एनपीटी हस्ताक्षरकर्त्ताओं के लिए लागू है। हालांकि विभिन्न बातों का आश्वासन दिया गया था परन्तु कुछ अलग ही किया जा रहा है। सरकार कहती है कि अंततः यह एक घरेलू खंड है। इसका इन्तजार करना होगा। परन्तु श्री निकोलस बर्न्स का कहना है कि जुलाई के वक्तव्य तथा 2 मार्च के सेपरेशन प्लान में की गई वचनबद्धता के अनुरूप सब कुछ किया गया है तथा कुछ भी और किया जाना शेष नहीं है। उन्होंने यह टिप्पणी तब की थी जब वह भारत से जा रहे थे। किसका विश्वास किया जाए? निश्चित रूप से हमें माननीय प्रधान मंत्री की बातों पर विश्वास करना चाहिए। हमें माननीय विदेश मंत्री की बातों पर विश्वास करना चाहिए ...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। विखण्डय पदार्थों के उत्पादन पर विलम्बन के बारे में ...*(व्यवधान)* भारत भेदभाव रहित बहुस्तरीय रूप से परामर्श किये गये तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रमाण योग्य एफएमसीटी का तब भागीदार बनने को तैयार है जब भी इसे सम्मेलन में अंतिम रूप दिया जाएगा जिसके उपरांत सुरक्षा हितों को पूर्णतः हल किया जा सकता है।

वे क्या कहते हैं? सरकार ने राजीव गांधी कार्य योजना, वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति अपनी वचनबद्धता पर पुनः जोर दिया है। सच्चाई क्या है? हम यह जानना चाहते हैं। सरकार ने कहा है:

"हम क्षेत्रीय अप्रसार, क्षेत्रीय निरस्त्रीकरण को नहीं मानते ...*(व्यवधान)* क्या हो रहा है?

अध्यक्ष महोदय: आपका समय समाप्त हो गया है। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री रूपचंद पाल: मैं दो या तीन वाक्य बोलकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

दक्षिण-पूर्वी एशियाई निशस्त्रीकरण योजना विद्यमान है। अमेरिका के प्रयास से जापान, भारत तथा कुछ अन्य देशों को इसमें शामिल किया जाएगा। यह भारत सरकार को मंजूर नहीं। ऐसा बार-बार कहा गया था। परन्तु बार-बार यह सामने आ रहा है। इसके अतिरिक्त सरकार ने कहा:

"हम एकपक्षीय स्वैच्छिक विलम्बन तथा परमाणु परीक्षण के आगे जाने के लिए तैयार नहीं है।" सरकार अपनी वर्तमान स्थिति के संबंध में राष्ट्र के प्रति वचनबद्ध है। मैं मानता हूं कि यह अपने आश्वासनों पर कायम रहेगी।

मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। हाइड एक्ट अस्वीकार्य है। यह माननीय प्रधान मंत्री द्वारा सभा पटल पर दिए गए आश्वासनों का उल्लंघन है। यह आधारभूत हितों का

[श्री रूपचन्द पाल]

उल्लंघन है। इससे हमारे दीर्घकालिक परमाणु हित पूरे नहीं होते। यह हमारे प्रभुत्व वाले, स्वायत्त परमाणु कार्यक्रम को प्रभावित करता है। यह हमारी स्वतंत्र विदेश नीति के बदले अपनी खुद ही विदेश नीति तथा दर्शन शास्त्र के साथ हमें अंधेरे में रखने का प्रयास करता है। यह स्वीकार्य नहीं है। मैं मानता हूं कि प्रधान मंत्री इस संसद के माध्यम से इस देश को पुन: आश्वासन देंगे कि प्रधानमंत्री तथा सरकार 17 अगस्त को दिये गये आश्वासन पर कायम रहेंगे। किसी अधिनियम, किसी के भी द्वारा कोई उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार): महोदय मैं अमेरिका और भारत के बीच इस समझौते जिसे आम तौर पर परमाणु समझौता कहा जाता है का समर्थन करता हूं।

मैं विपक्ष के माननीय नेता की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। इसके बारे में मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा। मैं उनके कार्य से निराश था। मैं अपनी बात विपक्ष के माननीय नेता द्वारा उल्लिखित बात से करूंगा कि भारत एक परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र नहीं है। उन्होंने सुश्री कोन्डोलीजा राइस के एक पत्र को उद्धृत किया जिसमें उन्होंने इस बात को उचित ठहराने का प्रयास किया था कि भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र नहीं है। हम व्युत्पत्ति के पीछे नहीं लड़ रहे। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या विधि तथा यथार्थ स्थिति की कोई समझ है। विधिक स्थिति में वर्ष 1968 में हस्ताक्षरित परमाणु अप्रसार संधि के संदर्भ में लिये गये निर्णय पर विचार किया जाता है। जो इस समझौते के हस्ताक्षरकर्ता ये केवल वही परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र कहे जा सकते हैं। परन्तु इसका मतलब यह नहीं कि जिन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं उन्हें परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र नहीं माना जाएगा यह आवश्यक है कि हम इस बात को समझ लें कि भारत परमाणु हथियारों की क्षमता वाला देश है। यही बात भारत को वस्तुत: परमाणु हथियार सम्पन्न राष्ट्र बनाती है।

यह विधेयक भारत को एक परमाणु हथियार सम्पन्न राष्ट्र के रूप में वस्तुत: मान्यता देता है हालांकि, मैं पुन: दोहराता हूं, यह एनपीटी पर हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विधेयक में भारत को परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करना जरूरी नहीं है। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अमरीका भारत को नागरिक परमाणु प्रौद्योगिकी देने से इंकार नहीं करेगा और इसकी बजाय यह पूर्णत: नागरिक प्रयोजन के उद्देश्य वाली परमाणु सुविधाओं में आईएईए सुरक्षोपाय लागू करने के पक्ष में है।

अब भारत यूरेनियम का आयात कर सकता है, जिसकी कमी से हमारे रिएक्टर कार्यक्रम रुक जाते हैं तथा हमारा परमाणु विकास रुक जाता है।

महोदय ऐसा कहने के बाद, मैं यहां यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि यह विधेयक यह सुनिश्चित करेगा कि भारत को अपनी वर्तमान तथा भविष्य के परमाणु रिएक्टरों के लिए ईंधन की आपूर्ति हो सके तथा इसे परमाणु प्रौद्योगिकी मिल सके। विपक्ष के माननीय नेता द्वारा एक अन्य बात का उल्लेख किया गया था कि हाइड एक्ट में हमारे परमाणु हथियार कार्यक्रम पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया था।

मुझे इसे स्पष्ट कर देना चाहिए—मैंने स्वयं भी हाइड एक्ट देखा है। हाइड एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है जो भारत के परमाणु हथियार कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता है। वास्तव में, इस अमरीकी विधान के मूल में कुछ ऐसी अति महत्वपूर्ण बात है जो भारत को अमरीकी परमाणु ऊर्जा अधिनियम के उपबंधों को लागू करने से अमरीकी प्रशासन द्वारा स्थायी छूट प्रदान की गई है और जिसके द्वारा दोनों देशों के बीच असैनिक परमाणु ऊर्जा सहयोग की अनुमति दी जाती है। तीन छूट दी गई हैं और ये छूट हैं:

1. यह अपेक्षा कि भागीदार देश को परमाणु विस्फोट नहीं करना चाहिए। भारत ने एक बार नहीं बल्कि दो बार परमाणु विस्फोट किया है।

2. सुरक्षोपायों अर्थात् व्यापक सुरक्षोपायों के अंतर्गत सभी परमाणु सुविधाएं रखने वाले उस देश की अपेक्षा।

भारत को इसके अंतर्गत नहीं लाया जा रहा है। एकमात्र सुरक्षोपाय यह है कि हम अपनी सुविधाएं असैनिक उपयोग के लिए प्रदान कर रहे हैं।

तीसरा छूट महत्वपूर्ण है और यह विपक्ष के नेता द्वारा उठाई गई आपत्तियों को दूर करेंगे।

3. यह अपेक्षा कि देश के पास कोई सक्रिय परमाणु हथियार कार्यक्रम नहीं है जिसमें परमाणु हथियारों का विकास और उत्पादन सम्मिलित है।

अब, यदि हाइड एक्ट में ये छूटें दी गई हैं तो हमारे परमाणु हथियार कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाने का प्रश्न कहां आता है? हमारे परमाणु हथियार कार्यक्रम को अमरीकी पर्यवेक्षण के अंतर्गत रखने का प्रश्न कहां आता है? हमारे परमाणु कार्यक्रम में प्रगति की

रिपोर्ट अमरीका को बताने का प्रश्न कहां आता है? मेरे विचार से विपक्ष के माननीय नेता द्वारा अपने भाषण में किया गया प्रयास मुख्यत: इस मुद्दे पर भ्रम उत्पन्न करने का था और हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि हम भ्रम में नहीं पड़े। यह संप्रग सरकार की उल्लेखनीय उपलब्धि है कि इसने संयुक्त राज्य अमरीका के साथ सामरिक भागीदारी की है जोकि हमें परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता दिलाने की 30 वर्ष की प्रतीक्षा के अंत होने का संकेत देती है। मेरे विचार से यह एक महान उपलब्धि है। हमें इस सफलता पर संप्रग सरकार को बधाई देनी चाहिए, हमें माननीय प्रधान मंत्री और संप्रग अध्यक्ष को बधाई देनी चाहिए और इस प्रक्रिया में हमें इस सच्चाई को भी स्वीकार करना चाहिए कि यह समझौता केवल पूरी तरह से अमरीकी राष्ट्रपति की एकनिष्ठता के कारण संभव हो पाया है।

महोदय, हमारी उभरती शक्ति के रूप में पहले से ही प्रशंसा की जा रही है। इस समझौते से हमें एक बड़ा संघ बनने में सहायता मिलेगी। जब मैं बड़े संघ की बात करता हूं तो वह केवल उन राष्ट्रों का संघ नहीं है जो सैन्य शक्ति संपन्न हैं। हमारा लक्ष्य महाशक्ति बनने का है क्योंकि हम ज्ञान शक्ति बनना चाहते हैं और हम ज्ञान शक्ति को आर्थिक शक्ति के साथ मिलाना चाहते हैं।

परंतु ऐसे में हम इस तथ्य के प्रति सचेत हैं कि हम जनता को इस समर्थन की दृष्टि से देखने से रोकना चाहते हैं और इसका कारण यह है कि हमें राष्ट्र निर्माण, अपने राष्ट्र को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्र निर्माण करने की आवश्यकता है। इसीलिए, संप्रग सरकार के छह प्रमुख कार्यक्रम भारत निर्माण, राष्ट्र निर्माण के प्रति पूर्णत: समर्पित हैं और उनका यही लक्ष्य है। इन छह कार्यक्रमों में विशेषकर ग्रामीण सड़क निर्माण द्वारा सड़क संपर्क, ग्रामीण सिंचाई ग्रामीण, विद्युतीकरण, ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या का प्रावधान किया जाएगा और इन सभी का लक्ष्य आत्मनिर्भर राष्ट्र का दर्जा पाना होगा।

राष्ट्र निर्माण हमारा प्राथमिक लक्ष्य है और हम इसे प्राप्त करेंगे। परंतु इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अन्य बातों के साथ अपनी शक्ति में वृद्धि करने तथा इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विकल्प तलाशने की आवश्यकता है। जैसाकि माननीय विदेश मंत्री ने दिनांक 12 दिसंबर के अपने स्वत: वक्तव्य में उल्लेख किया था, हम स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों, कोलबेड मीथेन तथा गैस हाइड्रेट, विंडसोलर पॉवर और हाइड्रो एंड हाइड्रो एनर्जी के दोहन जैसे अनेक ऊर्जा विकल्पों की संभावना तलाश रहे हैं।

यह छोटी बात परमाणु ऊर्जा के बारे में भी है। परमाणु ऊर्जा के स्पष्ट लाभ हैं। यह सस्ती है। यह प्रदूषण रहित है और इसके उपयोग अनेक हैं। हम पहले से इसका उपयोग कर रहे हैं। परंतु यह अत्यंत सीमित है। अत: यह हमारे कुल ऊर्जा उपयोग का मात्र तीन प्रतिशत है। हम ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा का और अधिक उपयोग करना चाहेंगे और हमने स्वयं कतिपय लक्ष्य निर्धारित किये हैं। हम चाहते हैं कि हम वर्ष 2022 तक 30,000 मेगावाट और वर्ष 2064 तक 63000 मेगावाट उत्पादन करने की स्थिति में हों।

परंतु हमारी क्षमता सीमित है। इसके सीमित होने का कारण स्वदेशी यूरेनियम का सीमित मात्रा में उपलब्ध होना है। हमें इसे विदेश से प्राप्त करना होगा। परंतु वहां से भी इसकी प्राप्ति सीमित है, वास्तव में, यह सीमित नहीं है, यह निषेधात्मक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के कारण सीमित है। हम इस निषेधात्मक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली से छुटकारा पाना चाहते हैं। यदि हमें पहले ही यूरेनियम मिल गया होता तो हम कई वर्षों, कुछ दशकों पूर्व 1 लाख मेगावाट विद्युत उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेते। हम ऐसा इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमें यूरेनियम नहीं मिल पाया था। इसलिए, हमें परमाणु ईंधन प्राप्त करने के माध्यमों को तलाशने और इसकी निश्चित आपूर्ति सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में संयुक्त राज्य के साथ यह समझौता महत्वपूर्ण हो जाता है।

महोदय, विकास को इसके समुचित परिप्रेक्ष्य में भी देखे जाने की आवश्यकता है कि हम संयुक्त राज्य के साथ यह समझौता किस प्रकार कर पाते हैं। 40 वर्षों से भी अधिक समय से, पंडित नेहरू से शुरू करके, भारत में क्रमिक सरकारों ने निरंतर परमाणु हथियारों को समाप्त किये जाने की वकालत की है। हमने निरंतर सीटीबीटी का समर्थन किया है परंतु हमने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। हमने इस पर इसलिए हस्ताक्षर नहीं किये क्योंकि हमने इसे भेदभावपूर्ण पाया और जब हमने इसे भेदभावपूर्ण पाने पर इस पर हस्ताक्षर नहीं किये पर फिर भी हम इसका समर्थन करते रहे।

बाद में, वर्ष 1968 में जब एनपीटी आयी, हम पुन: इससे दूर रहे क्योंकि यह भी भेदभावपूर्ण थी। हमने अपने संयुक्त राज्य अमरीका जैसे देशों द्वारा इस पर हस्ताक्षर करने के लिए डाले गए दबाव के सामने झुकने से मना कर दिया। इस कारण ही इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र अमरीका का रवैया हमारे प्रति निरंतर द्वेषपूर्ण रहा है। इसने हम पर वर्ष 1970 में प्रतिबंध लगाए और जैसा कि आप जानते हैं 1998 के बाद भी इसने ऐसा ही किया है।

जब संयुक्त राज्य अमेरिका का रवैया हमारे प्रति द्वेषपूर्ण था तो अचानक इसमें कायाकल्प कैसे हो गया? इसका हृदय परिवर्तन

[श्री निखिल कुमार]

हुआ है। यह इसके द्वारा पुनर्विचार की ओर संकेत करता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि संयुक्त राज्य अमरीका को महसूस हो गया है कि भारत ने परमाणु क्षमता प्राप्त कर ली है।

इसने ऐसा बिना किसी गुपचुप युक्तियों और परमाणु प्रौद्योगिकी चोरी का सहारा लिए बगैर ही किया है। इसलिए, हमारा परमाणु कार्यक्रम स्पष्ट है। यद्यपि हमने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं, पर वस्तुत: हमारा राष्ट्र परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र है। इस क्षमता को प्राप्त करने के बाद, संयुक्त राज्य अमरीका का मानना है कि हम इसे नहीं छोड़ सकते। पिछले 30 वर्षों से संयुक्त राज्य अमरीका हमारा रुख बदलने के लिए भारत पर रौब जमाता रहा है और वह ऐसा कराने में असफल रहा है। इसीलिए, उसने सोचा कि उसे भारत के साथ हाथ मिला लेना चाहिए। वह इस सच्चाई से भी प्रभावित हुआ है कि भारत की विकसित हो रही आर्थिक स्थिति का पूरे विश्व को पता चल चुका है और वह धीरे-धीरे निरंतर इसकी विकास दर में वृद्धि, विदेशी निवेश हेतु इसका फलदायी आधार और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इसकी निर्विवाद श्रेष्ठता से भी वह प्रभावित हुआ है। इस बात को उस समय स्वीकार किया गया था जब चार वर्ष पूर्व चीन के प्रधान मंत्री यहां आए थे और उन्होंने एक प्रसिद्ध वक्तव्य दिया था, ''चीन का हार्डवेयर और भारत का साफ्टवेयर विश्व को आश्चर्य में ला सकते हैं।'' इसी वक्तव्य को चीन के राष्ट्रपति द्वारा भारत यात्रा के दौरान पुन: अभिव्यक्त किया गया था।

हमारे बंगलौर और हैदराबाद को सूचना प्रौद्योगिकी राजधानियों के रूप में देखा जा रहा है। ये ऐसे प्रगति संकेतक हैं जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। संयुक्त राज्य अमरीका ने इसकी उपेक्षा नहीं की है। कुछ वर्ष पहले 1991 में, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार केवल 14 दिनों तक की स्थिति में आ गया था। उसके बाद कायाकल्प हुआ। तत्कालीन वित्त मंत्री भारत की अर्थव्यवस्था में खुलापन लाए, उसे उदार बनाया, निवेश लाए और अब आज हमें पूरे विश्व में उभरती हुई आर्थिक शक्ति के लिए माना जाता है और वह सिर्फ इसलिए जिसका मैंने अभी उल्लेख किया है वह इस विकास दर और विदेशी निवेश की संभावना है।

इस समझौते के मामले में यही होने जा रहा है। हम परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने से भारत के लिए असीम संभावनाओं के द्वार खोल रहे हैं और भावी पीढ़ियां हमें बताएंगी, हमें इसका जिम्मेदार ठहराएंगी तथा हमें इस समझौते को करने का श्रेय देंगी और इसलिए, मुझे इस मुद्दे पर बोलने का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ है क्योंकि यह ऐसा मुद्दा है जो यथासमय भारत का कायाकल्प करेगा और भारत की तस्वीर बदल देगा।

यहां, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि किस प्रकार ऐतिहासिक और व्यापक सामरिक नीति अमरीका की भारत के प्रति मित्रतापूर्ण न रहने की दीर्घकालीन नीति का अंत करती है। यह खुले रूप से वैध परमाणु शक्ति के रूप में भारत के दर्जे को स्वीकार करता है।

इस समझौते पर हस्ताक्षर करते समय हमें यह भी पता होना चाहिए कि यह हथियार नियंत्रण है अथवा सीमन समझौता है। हमारे सामरिक कार्यक्रम अप्रभावित रहेंगे। माननीय विपक्ष के नेता ने सीमा के बारे में उल्लेख किया था। मैंने हाइड अधिनियम पढ़ा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, हाइड अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हमें अपने परमाणु आयुध कार्यक्रम पर रोक लगानी पड़े। दूसरी तरफ, निस्संदेह अमरीकी हाउस आफ रिप्रेजेन्टेटिव्स और सीनेट के बीच के मतभेदों को दूर करने के लिए जो कांफ्रेंस रिपोर्ट हुई थी उसमें उल्लेख है कि कांफ्रेंस समझती है कि भारत के साथ अमरीकी शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग भारत के परमाणु आयुध कार्यक्रम को रोकने के लिए नहीं है। इससे स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हाइड अधिनियम में ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे परमाणु आयुध कार्यक्रम को रोकने को कहे। हम जैसा चाहें उसे जारी रखने को स्वतंत्र हैं।

हमारे परमाणु वैज्ञानिकों द्वारा व्यक्त राय का भी उल्लेख किया गया था।

स्पष्टत: परमाणु वैज्ञानिकों द्वारा व्यक्त राय केवल आशाएं, उम्मीदें, इच्छा और कामना हैं। हम ऐसी स्थिति में होंगे कि उनकी इच्छा, उनकी आशाएं, उनकी उम्मीदें और उनके अभीष्ट पूरे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है जो भारत के परमाणु नीति के स्वतंत्र पालन में हस्तक्षेप करे।

महोदय, एक संदर्भ है, अतएव कुछ लोग, कुछ आलोचक कहते हैं कि कानून के अनुसार ''यदि भारत भविष्य में परमाणु परीक्षण करता है तो नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग पूरी तरह से बंद हो जाएगा और यह हमारे परमाणु आयुध कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाने जैसा है।

महोदय, मैं यहां आपको जवाहरलाल नेहरू के समय से जो भारत की परमाणु नीति रही है उसके बारे में बताना चाहूंगा। हमने लगातार परमाणु सशस्त्रीकरण की निंदा करने की सैद्धांतिक नीति अपनायी है। हमने सिद्धांतत: लगातार परमाणु निरस्त्रीकरण की मांग की है, हमने परमाणु शक्ति संपन्न देशों से लगातार मांग की है कि परमाणु निरस्त्रीकरण पर हस्ताक्षर करने से पूर्व शर्त के रूप में वे अपने परमाणु हथियार नष्ट करें। पहले भी, सीटीबीटी के दिनों

[श्री निखिल कुमार]

में भी हमारा यही रुख था। हम निरंतर परमाणु हथियारों और आयुधों के सशस्त्रीकरण के विरुद्ध रहे हैं। दूसरी तरफ, स्वयं परमाणु क्षमता हासिल करने के बाद भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे समझा जाना चाहिए। हमने स्वेच्छा से स्वयं ही हमारे परीक्षणों पर अधिस्थगन लगाया है। और इसी से हमने अमरीकी प्रशासन को स्पष्टत: अवगत कराया है कि हम यहां तक जाएंगे और इससे आगे नहीं तथा हमें इस पर कायम रहेंगे।

महोदय, अमेरिकी सीनेट और अमेरिकी कांग्रेस द्वारा जो कानून पारित किया गया है वह एक संप्रभु निकाय द्वारा पारित किया गया है; यह उतना ही संप्रभु है। जितनी की विश्व की कोई विधायिका। हम भी किसी दूसरे की तरह उतने ही संप्रभु हैं। हम यहां कोई भी कानून पारित कर सकते हैं किन्तु क्या हम अपने कानून को अमरीका के लिए अथवा किसी अन्य देश के लिए बाध्यकारी बना सकते हैं? हम संप्रभु राष्ट्र हैं। उनके द्वारा पारित कानून उनके लिए बाध्यकारी हैं, हमारे लिए बाध्यकारी नहीं है। जिस प्रकार हम उचित समझते हों उस प्रकार विदेश नीति, परमाणु कार्यक्रम को अपनाने का हमारा अधिकार हमारे पास सुरक्षित रहेगा और अगर हम आज निर्णय करते हैं कि हाइड अधिनियम में जो कुछ कहा गया है वह हमें अस्वीकार्य है तो अभी भी 123 समझौता शेष है। हमें इस पर बातचीत के बाद हस्ताक्षर करना चाहिए; और बातचीत में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी अनुसुलझे पहलुओं को सुलझा लिया जाए, हम इस स्थिति में हैं कि केवल वही बात स्वीकार करें जो हमारे राष्ट्रीय हित के अनुकूल और अनुरूप हो।

यह गलतफहमी हो रही है कि हाइड अधिनियम हम पर लागू हैं। मैं यह सुस्पष्ट कर दूं कि हाइड अधिनियम हम पर लागू न है; यह अमेरिका पर लागू है। इसमें जो भी प्रावधान हैं उन पर प्रतिक्रिया करने का संप्रभु अधिकार हमारे पास सुरक्षित है।

माननीय विपक्ष के नेता तैयार पाठ से पढ़ रहे थे, जिसमें यह कहा गया था: हमें कोने में धकेले जाने से सावधान रहना चाहिए। कोने में धकेले जाने का कोई सवाल नहीं है; यहां कोई कोना नहीं है। यह तो अमरीका द्वारा विधान पारित करने के अपने संप्रभु अधिकार का इस्तेमाल करने का प्रश्न है। हमारे संप्रभु हित में हम जो सही समझते हों वैसा करने का। हमें संप्रभु अधिकार है। यदि हम पाते हैं कि कोई बात हमारे हित में नहीं है तो यह हम पर है कि 'हां' या 'ना' कह सकें। यह बात हमें समझनी चाहिए, हमें यह समझना चाहिए कि अमरीका द्वारा जो कानून पारित किया जाता है उससे भारत की संप्रभुता प्रभावित नहीं होगी। किन्तु हां, यह हमें अवश्य ही समझना चाहिए कि अमरीका की ओर से हमारी चिन्ताओं को दूर करने तथा हम जो कह रहे हैं उसे स्वीकारने की ईमानदार पहल की गई है। और जो बात अब तक सामने आयी है उससे हमें ऐसा लगता है और अमरीकी प्रशासन के प्रति विश्वास जगता है कि वह हमारे संदेहों को दूर करेगा, जो भी स्पष्टीकरण हमें चाहिए वह देगा, उसे स्वीकार करेगा, हमें इसके प्रति आशावान रहना चाहिए।

हमें इसका स्वागत करना चाहिए न कि यहां छोटी-छोटी बातों पर लड़ना चाहिए, छोटे-छोटे शब्दों और सिफारिशी प्रकृति के तथा जो हम पर बाध्यकारी नहीं हैं उन प्रावधानों को लेकर लड़ना नहीं चाहिए। हमें इस विधेयक को इसके उचित परिदृश्य में ही देखना चाहिए। किन्तु यहां इस देश में अमरीका जो 30 वर्षों से हमारे प्रति वैर रखता था आज बदल गया है और हमसे साझेदारी करना चाहता है, एक करार करना चाहता है और यह करार हम दोनों के लिए बेहद लाभकारी है।

अमरीका ने ऐसा इन तीन छूटों को पारित करके किया है। इन छूटों में एक बात जो शामिल होगी वह विखंडनीय सामग्री उत्पादन पर रोक के संबंध में है। हाइड अधिनियम में इसका हवाला दिया गया है। किन्तु एक बार फिर, हाइड अधिनियम में विभिन्न धाराएं हैं। एक धारा सिफारिशी प्रकृति की है और यह प्रावधान हाइड अधिनियम के सिफारिशी भाग में है। यह केवल प्रशासन से कहता है कि वह भारत को विखंडनीय सामग्री उत्पादन पर प्रतिबंध स्वीकार करने के लिए भारत को राजी करे। यह केवल सिफारिशी प्रकृति का है और यह पूर्व शर्त नहीं है। मैं दुहराता हूं कि यह विधान के अंतर्गत संकल्पित नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग की शर्त नहीं है। हालांकि, हमें स्वयं मल्टी लैटेरल फीसील मैटेरियल प्रोडक्शन कट ऑफ ट्रिटी पर बातचीत करने के प्रति कृत संकल्प होना चाहिए।

जिनेवा में निरस्त्रीकरण संबंधी सम्मेलन में हमने रुख अख्तियार किया है कि ऐसी संधि को गैर-भेदभावकारी तथा अंतर्राष्ट्रीय एवं प्रभावी ढंग से सत्यापनीय होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार के संदेह का कोई कारण होना चाहिए, विखंडनीय सामग्री के उत्पादन के संबंध में कोई संदेह होना चाहिए। अमरीका ने स्वयं इस तथ्य को स्वीकारा है कि "ये छूटें आवश्यक होंगी क्योंकि भारत अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम के लिए विखंडनीय सामग्री का उत्पादन संभवत: जारी रखेगा। अब इससे अधिक कोई स्पष्ट और अधिक विशिष्ट बात नहीं हो सकती है। यदि फिर भी हम इसे नहीं देख पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है।

इससे जुड़ी एक बात और है। जिसे सभी आलोचकों द्वारा उठाया जा रहा है। इसके अनुसार हमें अपने कार्यक्रम के बारे में

अमरीकी राष्ट्रपति को सूचित करना आवश्यक है। हम यह और स्पष्ट कर दें कि यह सूचित करना हमारा काम नहीं है। ऐसी कोई शर्त हम पर नहीं लगायी जा रही है। यह शर्त अमरीकी कानून ने अपने प्रशासन पर लगाई है और संगोयवश ऐसा केवल भारत के ही बारे में नहीं है। यह रिपोर्ट अमरीकी कानून ने अलग संदर्भ में बनायी है और इसका नियमित आधार पर अनुपालन किया जा रहा है। हमें इसकी जानकारी नहीं है किन्तु ऐसा ही है।

मुझे पता है कि अमेरिकी प्रशासन हमारे परमाणु कार्यक्रम के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करता रहा है जैसाकि हम अन्य देशों के बारे में करते हैं जो हमारे संप्रभु अधिकारों के अंतर्गत है। यह उनके संप्रभु अधिकार के भीतर है। यदि वे ऐसा करते हैं तो यह उन पर है। भारत पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। भारत पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। भारत पर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली गयी है कि अमरीकी राष्ट्रपति या अमरीकी प्रशासन को किसी भी प्रकार की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। अतएव यह आलोचना पूर्णत: गलत है। यह पूर्णत: निराधार है।

यह सच है कि इस विधेयक को पारित किया जाना है किन्तु कई अनिश्चितताएं हैं। मैं कहूंगा कि यह अनिश्चितता अमरीका की आलोचना के कारण है। हमें ध्यान देना चाहिए कि भारत के साथ यह करार करने के कारण अमरीका की अपने देश के भीतर और बाहर बड़ी आलोचना हुई है। अमरीकियों पर परमाणु हथियारों के निरस्त्रीकरण की भावना के विरुद्ध जाने का आरोप लग रहा है। उन्हें लगता है कि परमाणु निरस्त्रीकरण के दर्शन का अमरीकियों द्वारा उल्लंघन किया गया है और राष्ट्रपति बुश को अपने ही लोगों को समझाना है। केवल अपने लोगों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को क्योंकि कई देशों द्वारा वक्तव्य दिये गये थे कि भारत जैसे देश को जिसने कभी निरस्त्रीकरण संधि पर कभी हस्ताक्षर नहीं किया, उसे आज तक परमाणु हथियार संपन्न देश के रूप में कैसे स्वीकारा जा रहा है।

मैं समझता हूं कि यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है और इसकी प्रशंसा किये जाने की जरूरत है। मैं बड़ी विनम्रता से यह कहता हूं कि यह सुखभ्रांति जिसके बारे में शुरू में माननीय नेता, विपक्ष बोले थे, बहुत ही न्यायोचित है। किंतु सच्चाई यह है कि यह हाइड अधिनियम अपने आप में अंतिम अधिनियम नहीं है। यह इस परमाणु करार के प्रश्न पर अमेरिका और भारत के बीच अंतिम संबंध नहीं है। हमें अभी समझौते पर बातचीत करनी है। इसी कानून के द्वारा ही यह करार हो पाया है। यह कानून भारत और अमेरिका के बीच करार होने के लिए जरूरी था और हम इस करार को करने के लिए अमेरिका से बातचीत करने के लिए तैयार हो रहे हैं। जब करार हो जाएगा तो हम यह कहने की स्थिति में होंगे कि हमने किस हद तक समझौता किया है अथवा हमें कितना लाभ हुआ है। किंतु इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हमने जो कुछ भी पाया है वह काफी उल्लेखनीय है और हमें इसकी प्रशंसा करनी चाहिए तथा यह कहना चाहिए कि यह ऐतिहासिक और न्यायोचित है।

एक अन्य आलोचना अमेरिकी आपूर्ति सामग्री पर अनवरत सुरक्षोपाय की स्वीकार्यता संबंधी आवश्यकता के बारे में है। यह भी उल्लेख किया गया है कि हम खर्च हुए ईंधन का पुनर्उपयोग नहीं कर पाएंगे। अनवरत सुरक्षोपाय की स्वीकार्यता को अबाधित ईंधन आपूर्ति के आश्वासन के साथ देखा जाना चाहिए। हमें प्रत्येक कार्यरत रिएक्टर के जीवनकाल हेतु अपनी सामरिक आपूर्तिओं के निर्माण का अधिकार भी दिया जा रहा है। यह एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यदि और जब कभी सुधारात्मक उपाय करने की जरूरत होगी तो हमारे पास वह करने का भी अधिकार सुरक्षित है।

क्या देश की संप्रभुता की रक्षा करने का इससे बड़ा कोई दावा हो सकता है? इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। हमारे पास एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में कार्य करने का अधिकार है और हम ऐसा करेंगे। इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है।

अब मैं अंतिम बात पर आता हूं। मैं विकास संबंधी योजनाओं, भारत निर्माण और यूपीए सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में बात कर रहा हूं। हमें परमाणु ऊर्जा की जरूरत है। हमें बहुत सारी बातों के लिए परमाणु ऊर्जा की जरूरत है। परमाणु ऊर्जा संबंधी हमारी जरूरतों का आकलन करते हुए मुझे आज स्वर्गीय श्री होमी भाभा के विजन की याद आती है। उन्होंने काफी पहले 1950 में, तीन चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम की परिकल्पना की थी। पहला चरण यूरेनियम आधारित परमाणु रिएक्टर था। दूसरा चरण एक प्लूटोनियम आधारित रिएक्टर था और तीसरे चरण में उसे शुरू किया जाना था। हम असैनिक उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा विकसित करने में उसी विजन का अनुसरण कर रहे हैं और हालांकि हम ऐसा कर रहे हैं। हमने अपने सामरिक कार्यक्रमों पर स्पष्ट रूप से अपना ध्यान केन्द्रित किया हुआ है।

इसलिए, अंतिम रूप से मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सुरक्षोपाय हमें दिये गये हैं अथवा जिनके अध्यधीन हमें रखा गया है वे केवल 14 सैनिक परमाणु रिएक्टरो के लिए ही है। यह सामरिक प्रयोजन हेतु प्रयोग किये जाने वाले 8 रिएक्टरों के लिए नहीं है। यह काफी महत्वपूर्ण बात है जिसे समझा जाना चाहिए। इसे उस पृथक्करण योजना में शामिल किया गया है जिस पर हम अमेरिका के साथ सहमत हुए हैं।

अध्यक्ष महोदयः माननीय प्रधानमंत्री जी 4 बजे इस पर बोलेंगे।

श्री निखिल कुमारः जब तक यह पृथक्करण योजना लागू नहीं होती, यदि इस पर सहमति नहीं होती तो आज हम यह कहने की स्थिति में नहीं होते कि यह यूपीए सरकार की उपलब्धि है। हमने यह कर दिखाया है। हमने स्पष्ट रूप से सारे विश्व को यह बता दिया है कि हमारा एक परमाणु कार्यक्रम है, एक परमाणु हथियार कार्यक्रम है और आप हमारे परमाणु हथियार कार्यक्रम का निरीक्षण करने की स्थिति में नहीं हो। यह हमारा कार्यक्रम है, हमारा ही रहेगा और यह किसी प्रकार के सुरक्षोपाय अध्यधीन अथवा खुला नहीं है। इस करार में यह बात उभर कर आई है। हमें इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है और इसके लिए मैं यूपीए सरकार की प्रशंसा करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं यूपीए की अध्यक्षा को भी हार्दिक बधाई देता हूं और मैं करार कराने में अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज बुश द्वारा निभाई गई भूमिका की भी सराहना करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान और अमरीका के बीच जो न्यूक्लियर एग्रीमैंट हुआ है, उसकी चर्चा में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा हो रही है। पूरे हिन्दुस्तान में इस चर्चा को बहुत गौर से सुना जा रहा है। 29 जुलाई, 2005 को माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस बारे में स्टेटमैंट दिया था। उसके बाद जो तथ्य प्रकाश में आए, वे ये हैं कि हिन्दुस्तान को विकास के लिए ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा संकट से मुक्ति दिलाने से लिये यह संधि जरूरी थी। यह बात भी सामने आई कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस बात को स्वयं स्वीकार किया था कि इस मुद्दे पर पूरे हिन्दुस्तान में आम सहमति बनाने का काम किया जाएगा और उसके बाद ही इस रास्ते पर आगे बढ़ा जाएगा। जैसी हाउस की राय है, आप सुन रहे हैं और हम भी सुन रहे हैं कि पूरा हाउस इस मुद्दे पर एकमत नहीं है।

हिन्दुस्तान की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं महत्वपूर्ण हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लगता है कि आज हिन्दुस्तान जिस रास्ते पर जा रहा है, क्या हिंदुस्तान का रास्ता बदलने वाला है? हिन्दुस्तान ने बहुत लम्बे समय तक गुट निरपेक्ष मूवमेंट का नेतृत्व किया और पूरी दुनिया को रास्ता बताया कि कैसे स्वाभिमान के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त की जाती है। आपस में छोटे-छोटे मुल्कों के बीच सहयोग बढ़ाकर एक शक्ति पुंज को जन्म दिया जाता है- इसे विश्व ने लम्बे समय तक देखा है। चूंकि धरती यूनीपोलर हो गयी है, ऐसे हालात में एक होड़ मची है कि कौन धरती का सबसे बड़ा दादा है। धरती के जो सबसे बड़े मालिक हैं, उनके साथ रहने के लिए कौन पहल करे। इस मामले में हम एनडीए को भी कहना चाहते हैं कि वे भी इससे बरी नहीं हैं।

जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब भी हमने देखा था कि किस तरह आंख मूंदकर हिन्दुस्तान को एक प्रो-अमेरिकन स्टेट बनाने की बातें हुआ करती थीं। ईरान-इराक के मुद्दे पर पूरे हिन्दुस्तान ने देखा कि किस तरह बरसों पुरानी दोस्ती को ताक पर रखकर, अमेरिका का साथ दिया गया। कमोबेश यहां पर भी यही हो रहा है। यूपीए सरकार भी उसी रास्ते पर जा रही है, जो बहुत गंभीर विषय है। आज हिन्दुस्तान, जो बड़ी ताकत बन रहा है, वह किसी के रहमो-करम पर नहीं है। हिन्दुस्तान के साइंटिस्ट, किसान, व्यापारी, बड़े-बड़े प्रबंधक और सभी जिम्मेदार लोग, जो हारमनी के साथ काम कर रहे हैं, यह उनकी ताकत है। मैंने पहले भी मीटिंग में कहा था कि आमतौर पर संधि और दोस्ती बराबर वालों के बीच में होती है, चूहे और बिल्ली की दोस्ती नहीं होती। वहां सिर्फ मतलब का काम निकाला जाता है। जैसे अभी पाल साहब कह रहे थे कि दो देशों के बीच जो संधि हुई है, इसमें कहीं न कहीं शंका है। अमेरिका की न्यूक्लियर इंडस्ट्री चक्कर में पड़ी थी, उसमें दिक्कत हो रही थी, उसे नयी जान देने के लिए यह कार्य किया गया है। इस बात का जवाब माननीय प्रधान मंत्री जी को देना होगा।

मैंने पहले भी एक बार सदन में कहा था कि हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी ताकत उसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। सदन जानता है, हिन्दुस्तान जानता है कि किस तरीके से हिन्द महासागर में अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए दुनिया की सारी बड़ी-बड़ी ताकतें हलचल मचाया करती थीं, आपस में कम्पीटिशन किया करती थीं। हमने इस ताकत को भूला दिया। हिन्दुस्तान का बढ़ता हुआ बाजार हिन्दुस्तान की बहुत बड़ी ताकत है। आज इस बात की जरूरत थी कि पूरी धरती के उद्योगपति, पूंजीपति शक्तियां इस बाजार के लिए प्रतिस्पर्धा करती और हम एक बेहतर पोजीशन में होते, हमने इस ताकत पर फैसले किये होते, इस ताकत पर समझौते किये होते, तो बहुत फर्क पड़ता। हमारी ताकत लोकतंत्र की ताकत है। जिंदगी की विपरीत परिस्थितियों में भी हिन्दुस्तान में लोकतंत्र चलता रहा है। आज हमने पूरी दुनिया को इस क्षेत्र में आइना दिखाया है।

यह हमारी ताकत थी, जिसके सहारे हम बात कर सकते थे। हिन्दुस्तान की आज जो 10 सैकड़ा की प्रोजेक्टेड इकोनोमिक ग्रोथ

[श्री रवि प्रकाश वर्मा]

है, यह हमारी स्ट्रेन्थ है। हिन्दुस्तान का जो टेक्नीकल बेस है, टेक्नोलॉजी का जिस तरह डेवलपमैंट हो रहा है, आज धरती का सबसे बड़ा टेक्नीकल पूल हिन्दुस्तान के पास है। जैसा सर्वे बता रहे हैं कि 15 साल बाद अधिकांश धरती बूढ़ी हो जाएगी, वहां काम करने के लिए जवान लोग नहीं होंगे, लेकिन हिन्दुस्तान में होंगे। हिन्दुस्तान सबसे नौजवान मुल्क है। यहां के जो टेक्नोक्रेट्स हैं, मैनेजर्स, इंजीनियर्स, इकोनोमिस्ट्स, पॉलिटशियन्स और दूसरे सभी क्षेत्रों के लोग हैं, वे दुनिया में सबसे ज्यादा नई उम्र के लोग होंगे। पूरी दुनिया के लिए यह हमारी ताकत है और इस ताकत के आधार पर बात होनी चाहिए थी। जिन हालात में यह फैसला किया गया, आज उन हालात का खुलासा मुल्क के सामने किया जाना आवश्यक है। अमेरिकन डिप्लोमेसी के बारे में कौन नहीं जानता है कि वे लोग धरती पर लिट्रली रूल कर रहे हैं।

पिछले दिनों हमने अखबारों में पढ़ा था कि अमेरिका अपना एक पर्सनल ट्रेड ब्लॉक बना रहा है। अमरिका यह ट्रेड ब्लॉक क्यों बना रहा है, क्या उसकी मंशा किसी से छिपी हुई है? यह एक नया कॉलोनियलिज्म है जो दूसरे रूप में हमारे सामने आ रहा है। क्या हम और हमारी पूरी लोकतंत्रीय ताकत इसका इसी तरीके से जवाब देगी जैसा दिया जा रहा है? यह सही रास्ता नहीं है। हमारे इस नौजवान मुल्क में ऐसी बहुत सी योग्यताएं हैं, ऐसी बहुत सी स्थितियां हैं, ऐसे बहुत से संसाधन हैं, जिनके माध्यम से हम पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर सकते हैं। आज इस पर सोचने का मौका है।

जहां तक न्युक्लियर डील की बात है, हमारे पूर्व वक्ताओं ने उसके पक्ष और विपक्ष में कई बातें कही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज के इस मोड़ पर जब आम सहमति बनाने की बात हो रही है, इस सरकार को और प्रधान मंत्री जी को हिन्दुस्तान के जितने भी सेकुलर लोग हैं, खास तौर पर जो अकलियतों के लोग हैं, उनको कांफिडेंस में लेना जरूरी होगा। पिछले दिनों हमने देखा कि अमेरिका ने ईरान की क्या हालत की, इराक और अफगानिस्तान की क्या हालत की और किस कीमत पर की? उन्होंने एक मोनोपली बनाने के लिए और मिडिल ईस्ट में अपना नियंत्रण बनाने के लिए इस तरह की कार्यवाहियां कीं। इराक के बारे में कहा जा रहा था कि वहां परमाणु शस्त्र हैं, लेकिन जब इराक को नेस्तनाबूद कर दिया गया, तो वहां कोई परमाणु शस्त्र नहीं मिला। वे यूएनओ को भी अपनी पॉकिट की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा उसका इस्तेमाल करते हैं। कौन सा विचार आपके पास है जिससे आप हिन्दुस्तान की अस्मिता की रक्षा करने जा रहे हैं? अगर अमेरिका ने एक कदम उठाकर पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच जो दूरियां, मतभेद और कारण रहे हैं, उनको दूर करने के लिए एक भी कार्य किया होता, जो पोलिटिकल ब्लॉक्स बने हुए हैं, उनको दूर करने का एक भी कार्य किया होता, साउथ ईस्ट एशिया को एक करने का कार्य किया होता तो आज किसी को उस पर शंका नहीं होती। हमने पहले भी देखा है कि जब भी कभी हिन्दुस्तान ने कोई सार्थक कदम आगे बढ़ाया, अमेरिका ने पाकिस्तान को शस्त्र देने का कार्य किया। अभी कुछ ही दिन पहले अमेरिका की सीनेट ने पाकिस्तान को सबसे बेहतरीन लड़ाकू हवाई जहाज देने का काम किया है। क्या यह सब हमारी निगाहों से ओझल हो गया है? मैं नहीं समझता हूं कि हमें इसे नजरअंदाज करना चाहिए। आज अमेरिका का दावा धरती से आतंकवाद समाप्त करने का है। पहले तो वे बात ही नहीं सुनते थे, लेकिन जब से नौ सितंबर की घटना हुई, तब से उनको यह बात समझ में आई कि यह एक बड़ी समस्या है। लेकिन उनका जो तौर-तरीका है, उनका काम करने का जो पहलू है, वह इसके माध्यम से आतंकवाद को खत्म करने का नहीं है, बल्कि एक तरीके की हेजिमनी कायम करने का प्रयास है जो भी उनके साथ में आए, वह उनकी तावेदारी को महसूस करे, उनकी ताकत और टेक्नोलॉजी के खौफ में जिये और उनके साथ रहे—क्या इस बात का जवाब देने का यही रास्ता है, इसका जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी को देना पड़ेगा। हिन्दुस्तान के पास जो बेस्ट टैलेन्ट्स हैं, टेक्नीकल टैलेन्ट्स हैं, मैनेजीरियल टैलेन्ट्स हैं, आज उनकी अमेरिका में जरूरत है। मैं इस सदन के माध्यम से आज याद दिलाना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के जो मजदूर खेती के लिए गिरमिटिया मजदूर बनकर फिजी, मारीशस और दूसरे देशों में गए, वहां उन्होंने उन मुल्कों को बनाने का काम किया है। हमने देखा है कि डब्ल्यूटीओ का क्या हश्र हुआ, जब वहां लेबर की बात आई। हिन्दुस्तान के पास अगर टेक्नोलॉजी है तो उसके पास वर्ल्ड क्लॉस की लेबर भी है।

अपराह्न 4.00 बजे

उसकी किसी को जरूरत नहीं है। आखिर हमारी पूरी कूटनीति और हमारी ताकत, देश के मजदूरों के लिए एक बढ़िया स्थान सुनिश्चित क्यों नहीं कर पाती। क्या अमेरिका इस संबंध में हमारी कोई मदद करेगा? इस सवाल का जवाब आपसे हिन्दुस्तान की जनता चाहती है।

अभी हमने अखबारों में पढ़ा कि चीन में एक स्टेटमेंट दिया गया कि चीन का राइज हो रहा है। इसके लम्बे समय के कूटनीतिक परिणाम होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि चीन के राजनीतिक, इकोनॉमिक राइस को कंटेन करने के लिए हिन्दुस्तान का इस्तेमाल किया जा रहा हो। हम लोग संसदीय शिष्टमंडल के तौर पर

हिन्दुस्तान से बाहर जाते हैं। हम लोगों से साउथ-ईस्ट एशियन देशों के कई प्रतिनिधियों ने बार-बार कहा कि क्या हिन्दुस्तान आगे आएगा, क्या हिन्दुस्तान अपनी सार्वभौमिकता की रक्षा करने के लिए साउथ-ईस्ट एशियन जोन की लीडरशिप करेगा? यह सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने जो अमेरिका के साथ परमाणु अप्रसार संधि की है, उसके माध्यम से क्या हम इसे सुनिश्चित कर पाएंगे? मुझे लगता है कि जिस तरह से अमेरिका इजराइल का मिडल ईस्ट एशिया में इस्तेमाल कर रहा है, शायद दक्षिण पूर्व एशिया में ऐसा दिन आ गया है कि आपको भी अमेरिका के पालतू एजेंट की तरह काम करना पड़े। यह हमारी बहुत गंभीर शंका है, इसका जवाब आपको देना होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि विषय काफी गम्भीर है इसलिए थोड़ा समय और लेना चाहता हूं।

हिन्दुस्तान एक बहुत बड़ा बाजार है। आज हम देखें कि हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था की गति दहाई में पहुंच रही है। इसके लिए हम आपको बधाई देना चाहते हैं कि आपने इस बारे में कुछ अच्छे निर्णय लिये हैं, लेकिन हमने अखबारों में यह भी पढ़ा कि यह विकास एकांगी है। प्राइमरी सैक्टर और सेकंडरी सैक्टर में ग्रोथ नहीं हो रही है, केवल सर्विस सेक्टर में ग्रोथ हो रही है। अमेरिका हमारे इस सर्विस सैक्टर का ही लाभ उठाना चाहता है और आपके बाजार में घुसना चाहता है। वाल मार्ट जैसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हिन्दुस्तान में आना चाहती है। अभी हमें पता चला है कि उसने भारती के साथ करार किया है ताकि वह हिन्दुस्तान के बाजार में प्रवेश करेगी। इस मामले में अमेरिका के लोग आउटसोर्सिंग नहीं करते हैं। फूड, कपड़ा, इलैक्ट्रानिक आदि मामलों में वह ब्राजील, अर्जेंटीना, लैटिन अमेरिका, वैनेजुएला आदि देशों से आउटसोर्सिंग करता है। क्या अमेरिका इस मामले में भी हमारी मदद करेगा? क्या इस संधि से हम एक ऐसा माहौल बना पाएंगे जिससे हमारे एक-एक गांव में खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयां खुलें? जितनी भी उपभोक्ता वस्तुएं हैं, उनकी आउटसोर्सिंग हिन्दुस्तान के गांवों से हो, और एक-एक गांव की टर्नओवर दो या तीन करोड़ रुपये को क्रॉस करे। क्या टैक्नीकल इनपुट के लेवल पर, फिलॉसफी के लेवल पर और केपिटल के लेवल पर अमेरिका हमारी मदद करेगा, आज हिन्दुस्तान की जनता आपसे यह जानना चाहती है?

इस संधि के मामले में आपको कुछ और चीजें स्पष्ट करनी पड़ेंगी। परमाणु मदद तो एक खुलासा है, यह तो एक शुरुआत हुई है। जैसा हमने पढ़ा कि ऊर्जा की जरूरतों के लिए हमें अमेरिका से न्यूक्लियर डील करनी पड़ी। सच्चाई तो यह है कि जो समझौता यहां हुआ था, उसका जो प्रस्ताव हमने यहां रखा था और जो चीज हमारे दिमाग में थी, अमेरिका की सीनेट में उसमें बहुत गम्भीर चेंजेज हुए हैं। यह तो शुरुआत है। हम जानते हैं कि हिन्दुस्तान का इलैक्ट्रानिक मीडिया, प्रिंट मीडिया उपभोक्ता बाजार के दबाव में है। मुझे यकीन है कि सभी माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि प्रिंट मीडिया, इलैक्ट्रानिक मीडिया जनता को सच्चाई का आईना नहीं दिखा रहे हैं। वे केवल कन्ज्यूमर मार्केट के दबाव में है। जिस तरह से बाजार चाहता है, उसी तरीके से लोग एक्सपोज किये जाते हैं और आगे बढ़ाते जाते हैं। मुझे शक है कि प्रिंट मीडिया और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया हिन्दुस्तान के इंटरनेट को इतना बढ़ाने का काम कर रहा है कि हिन्दुस्तान को हिन्दुस्तान की सच्चाई नहीं दिखेगी, अमेरिका की सच्चाई दिखेगी।

आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे मैंने पूछा कि उनका आखिरी सपना क्या है। वे कहते हैं कि यहां से पढ़-लिखकर अमरिका चले जाएं, वहीं शेष जिंदगी बिताएं और यहां नहीं आएं। ठीक है, उनकी मर्जी है कि वे कहां रहें। लेकिन जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, उससे हमें क्या मिलने वाला है, हमें यह देखना चाहिए। जैसा अभी रूप चंद पाल साहब बता रहे थे कि यह रैसिप्रोसिटी है कहां, यह तो वन वे ट्रैफिक है। एक इलाके का जबर्दस्त आदमी कुछ कह रहा है और हम दबाव में उसे मान रहे हैं। यह एक कठोर सच्चाई है, इसे हमें मानना पड़ेगा।

हमारी विदेश नीति स्वतंत्र विदेश नीति थी और उस नीति पर चलकर, हिंद महासागर के मुहाने पर भारत एक ताकत के रूप में सामने आ रहा है और आज हर भारतवासी को इस बात का फख्र होना चाहिए।

हमारे पूर्व-वक्ता बता रहे थे कि भारत के पास बहुत सारे ऊर्जा के आल्टरनेटिव रिसोर्सेज हैं। हाइडल-पावर हमारे पास हैं, समुद्र से, हवाओं से बिजली पैदा हो सकती है। इस प्रकार हमारे पास बहुत रिसोर्सेज हैं। इसलिए एक बार पुनः इस बात पर विचार कीजिएगा कि इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने का और कौन सा रास्ता है जिससे हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा हो। महामहिम राष्ट्पति जी कहते रहे हैं कि सन् 2020 में भारत एक विकसित राष्ट्र होगा और ऐसा वह किसी की बैसाखी लेकर नहीं बनेगा, अपने पैरों पर खड़े होकर बनेगा। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (डा. मनमोहन सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अतिमहत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे पर हो रही चर्चा में हस्तक्षेप करने

[डा. मनमोहन सिंह]

का यह अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। इस चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों के प्रति मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूं। यह चर्चा हमारी लोकतांत्रिक परम्परा और सिद्धांतों की द्योतक है। माननीय विपक्ष के नेता ने ऐसा भयावह चित्रण करने का प्रयास किया है जिसका इस मामले के तथ्यों से कोई संबंध नहीं है। इस प्रक्रिया में, उन्होंने इस आशा में यूपीए गठबंधन में दरार पैदा करने की कोशिश की है कि वे इस सरकार को गिराने में सफल हो जाएंगे। मैं श्री आडवाणी जी को यह यकीन दिलाता हूं कि उन्हें इसके लिए काफी लंबी प्रतीक्षा करनी होगी। इसके लिए उन्हें श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की अनुमति लेनी होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में कई मूल बातें हैं। पहली बात यह है कि हम अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ यह असैनिक परमाणु सहयोग करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि यह कार्यक्रम असैनिक परमाणु सहयोग के बारे में है। हमने अपने सामरिक कार्यक्रम की विषयवस्तु और व्यापकता के बारे में अमेरिका अथवा किसी अन्य से कभी भी चर्चा नहीं की है और मैंने पहले भी सभा को आश्वस्त किया था और पुन: यह आश्वासन देता हूं कि हमारे सामरिक कार्यक्रम अपने निर्णयों के अनुरूप होंगे और यह किसी भी अन्य देश की अन्तरराष्ट्रीय आधार पर की गयी संवीक्षा के अध्यधीन नहीं होंगे। मैंने इस असैनिक परमाणु सहयोग के कार्यक्रम पर आगे बढ़ने से पहले भी सभा को यह आश्वासन दिया था कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हमारे परमाणु ऊर्जा विभाग को अपने अनुसंधान और विकास, फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों के विकास तथा उनके द्वारा यूरेनियम से प्लूटोनियम तथा प्लूटोनियम से थोरियम हेतु थ्री साइकिल कार्यक्रम को जारी रखने में कोई नुकसान हो। मैं सभा को पुन: विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने उस वचन पर कायम हूं।

अब प्रश्न यह उठता है कि फिर यह हो-हल्ला क्यों? निश्चित तौर पर यह सच है कि अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पारित इस अधिनियम की कई मुख्य बातें हमारे पक्ष में हैं। अमेरिकी सरकार का भारत को छूट देने हेतु अमेरिकी कांग्रेस से कहना इस बात का द्योतक है कि विश्व समुदाय भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्वीकार करता है।

एक्ट की कुछ बातों का हम स्वागत करते हैं और कुछ बातें चिंता उत्पन्न करते हैं। अमरीकी प्रशासन ने हमें यह आश्वासन दिया है कि वे 18 जुलाई के वक्तव्य एवं 2 मार्च के सेपरेशन प्लान में उल्लिखित अपनी प्रतिबद्धताओं का पूर्णत: अनुपालन कर सकेंगे परन्तु ये बातें साकार होंगी या नहीं यह 123 द्विपक्षीय सहयोग समझौते की विषय-वस्तु पर प्रधानत: निर्भर करेगा जिसे हमें संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के साथ समझौता करना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब समय आएगा आप उस समझौते की विषय-वस्तु से हमें परख सकते हैं। परन्तु अभी फैसला देना जल्दीबाजी होगी कि विपक्ष के नेता ने ऐसा करने की मांग की है।

हमारी प्रमुख चिंता लगभग 35 वर्षों से नाभिकीय सामग्रियों, नाभिकीय उपकरण एवं नाभिकीय प्रौद्योगिकी के संबंध में भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध को हटाना है। हमारे नाभिकीय वैज्ञानिकों पर हमें गर्व है परन्तु यह भी सच है कि डा. भाभा द्वारा परिकल्पित नाभिकीय कार्यक्रम का उद्देश्य प्रचुर मात्रा में विद्युत का उत्पादन करना था। यह उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। मैं परमाणु ऊर्जा आयोग का सदस्य था और यह सत्तर का दशक था जब हमने 10,000 मेगावाट क्षमता का उद्देश्य निर्धारित किया था। अभी हम वर्ष 2006 में हैं और 2007 में प्रवेश करने वाले हैं। हमारी कुल क्षमता मात्र लगभग 3600 मेगावाट है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि नाभिकीय ऊर्जा मोर्चे पर हमारी सभी परेशानियों का रामबाण है बल्कि राष्ट्रीय मामलों में सरकारी हस्तक्षेप का उद्देश्य व्यापक विकास विकल्प होना चाहिए। मेरा पूर्ण विश्वास है कि यदि नाभिकीय प्रौद्योगिकी और उपकरणो के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आपकी पहुंच है तो इससे हमारी ऊर्जा संबंधी आपूर्ति के संबंध में हमारे विकास विकल्प व्यापक होंगे। यही वह प्राथमिक उद्देश्य है जिसे हम चाहते हैं और यही वह प्राथमिक उद्देश्य है जिसके आधार पर हमारी विवेचना की जानी चाहिए। साथ ही, यदि इस प्रक्रिया में हम राष्ट्रीय हितों से समझौता करते हैं और यदि इस प्रक्रिया में हम किसी विदेशी नीति की प्रतिबद्धताओं को मान लेते हैं जो हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुसरण अथवा हमारी राष्ट्रीय विदेशी नीति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता हैं तो सभा उचित कदम उठा सकती है और मैं सभा में अपील करने वाला अंतिम व्यक्ति होऊंगा कि हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें भारत की विदेश नीति वाशिंगटन अथवा किसी अन्य स्थान पर बनाई जाए।

अतएव, मेरा ऐसा विश्वास है कि ऐसे संवेदनशील मामलों से निपटने में सामंजस्य का अहसास होना चाहिए जिसका न केवल हमारे देश के विकास के भविष्य पर बल्कि विश्व की बड़ी ताकतों के साथ भविष्य में हमारे संबंधों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

तीन दिन पहले मैं जापान में था और जापान की सरकार, जापान के उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र में भारत की विकास संभावनाओं

के बारे में जैसा उत्साह मैंने देखा, वैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं विनम्रता के साथ कहता हूं कि यह अंशतः उस मान्यता के परिणामस्वरूप है जो हमें प्राप्त हुआ है। इस तथ्य के बावजूद कि हमें कल तक नाभिकीय विश्व में अछूत समझा जाता था, आज हमने नाभिकीय व्यवस्था में एक स्थान प्राप्त कर लिया है जो हमारे अनिवार्य हितों की रक्षा करता है। अतेव, हमें इन नाभिकीय समझौतों की प्रक्रिया में भारत के प्रति विश्व के दृष्टिकोण में आए परिवर्तन की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

महोदय, जैसाकि मैं कह रहा था, हमने पहला महत्वपूर्ण चरण जो पार करना था वह आस्थगन था जिसे अमेरिकी कांग्रेस ने अमरीकी राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। इस तथ्य के बावजूद कि हमारे पास नाभिकीय हथियार कार्यक्रम है, अमरीका हमारी असैनिक नाभिकीय क्षमताओं का विकास करने में हमारा सहयोग करने हेतु इच्छुक है। मेरे विचार से, यह एक बड़ा लाभ है। हम एनपीटी में परिभाषित शर्तों के अनुसार नाभिकीय हथियार युक्त देश नहीं हो सकते। तथापि, सभी व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है और ऐसी मान्यता हमें अमरीका से मिली है। रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और कई अन्य देश इस वास्तविकता को मान्यता देने के इच्छुक हैं कि भारत एक नाभिकीय हथियार युक्त देश है। यह मेरी प्रतिबद्धता है जिसे मैं कई अवसरों पर कह चुका हूं कि यह नाभिकीय हथियार कार्यक्रम किसी बाहरी, हस्तक्षेपशील पर्यवेक्षण अथवा निगरानी के अधीन नहीं होगा और मैं इस आश्वासन को दुहराता हूं। अमरीकी कांग्रेस द्वारा व्यापक द्विदलीय समर्थन से कानून को पारित किये जाने से अमरीका के साथ असैनिक नाभिकीय सहयोग की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है। श्री आडवाणी जी ने द्विदलीय समर्थन का माखौल उड़ाया है। मैं इसके महत्व को कम नहीं करता।

श्री आडवाणी जी की सरकार कई महीनों तक श्री स्ट्रोब टालबोट के साथ गोपनीय तरीके से वार्ता करती रही। उन्हें संसद को यह बताने का कभी भी साहस नहीं हुआ कि वे क्या वार्त्ता कर रहे हैं। मैंने प्रत्येक चरण में संसद को विश्वास में लिया है। 18 जुलाई के पश्चात, 2 मार्च के पश्चात और प्रत्येक चरण में संसद को सामने रखा गया है। राजग सरकार के मामले में ऐसा नहीं था। हम आज तक यह नहीं जानते हैं कि श्री जसवंत सिंह जी ने स्ट्रोब टालबोट के साथ क्या चर्चा की। हमें स्ट्रोब टालबोट की पुस्तक से यह पता करना पड़ा था कि एक तिथि विशेष को सीटीबीटी पर भारत के हस्ताक्षर कराने का वायदा किया गया था। यदि राजग के मेरे मित्र श्री स्ट्रोब टालबोट के शब्दों को मुझसे ज्यादा समझते हैं जिसे कुछ दिन पहले एक चैनल पर यह कहते हुए दिखाया गया था कि वह भारत के साथ यह समझौता करने के विरोध में था क्योंकि इससे भारत को बहुत अधिक लाभ मिला है। उन्होंने कहा है कि यदि अब भारत यह कहता कि हम इसे अस्वीकार करते हैं तो यह भारत में हित में नहीं होता। परन्तु भारत के हित में क्या है इसका निर्धारण करने वाले स्ट्रोब टालबोट कौन होते हैं। इसका निर्धारण इस संसद और इस सरकार द्वारा किया जाएगा और हम इस देश को बताए बिना कुछ नहीं करेंगे। हम इन सभी मामलों से देश को पूरी तरह अवगत रखेंगे।

जुलाई के संयुक्त वक्तव्य में संयुक्त राज्य अमरीका की घोषणा के अनुसरण में पारित समर्थकारी कानून यह है कि इसका उद्देश्य भारत के साथ पूर्णतः असैनिक नाभिकीय सहयोग प्राप्त करने हेतु अमरीकी कानूनों और नीतियों का समंजन करना है। भारत के साथ असैनिक नाभिकीय सहयोग को पुनः आरंभ करने हेतु यह अधिनियम अमरीका के लिए अनिवार्य है और यह भारत पर वर्तमान में लागू अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाने की दिशा में उठाया गया एक कदम भी है।

मुझे यह कहना चाहिए कि हमें अमरीकी प्रशासन द्वारा किये प्रयासों और अमरीकी कांग्रेस के द्विदलीय समर्थन का प्रशंसा करनी चाहिए जिसकी वजह से यह कानून पारित हुआ। इस कानून की कई सकारात्मक विशेषताएं हैं जो हमारी चिंताओं पर विचार करता है। तथापि इससे इंकार करने वाला मैं अंतिम व्यक्ति होऊंगा कि ऐसे क्षेत्र हैं जो अभी भी चिंता का कारण है और हमें द्विपक्षीय सहयोग समझौते को अंतिम रूप देने से पहले अमरीकी प्रशासन के साथ इन पर चर्चा करने की आवश्यकता होगी।

जो कुछ किया गया है वह अमरीकी प्रशासन को हमारे साथ वार्ता करने में समर्थ बनाती है। भारत के साथ अभी वार्ता होनी बाकी है और सभा में पूर्व के अवसरों पर मैंने जो वायदा एवं आश्वासन दिये हैं वही इन वार्त्ताओं में हमारे मार्गदर्शन का आधार होंगे।

महोदय, इस कानून के पारित होने से अमरीकी प्रशासन 18 जुलाई के संयुक्त वक्तव्य में अमरीका द्वारा की गई प्रतिबद्धता नामतः भारत के साथ असैनिक नाभिकीय सहयोग की अनुमति देने हेतु प्रतिबंधों को हटाने के लिए अन्तरराष्ट्रीय साझीदारों विशेषकर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से संपर्क करने में समर्थ हुआ है। हम यह सुनिश्चित करने की मांग करेंगे कि न्युक्लियर सप्लायर्स ग्रुप हमारे लिए स्वीकार्य शर्तों के अनुरूप पूर्ण असैनिक नाभिकीय सहयोग की अनुमति प्रदान करने हेतु कार्रवाई करे।

भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ असैनिक नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र में दीर्घकालिक,

[डा. मनमोहन सिंह]

स्थायी और दिशापरक सहयोग करने के प्रति इच्छुक है। अमरीका के साथ इस तरह की साझेदारी केवल तभी की जा सकती है जब कानून—इसका विस्तार क्षेत्र, विषयवस्तु एवं क्रियान्वयन 18 जुलाई के संयुक्त वक्तव्य एवं 2 मार्च के सेपरेशन प्लान में अमरीका द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने हेतु प्रशासन के हाथों को मजबूत करने के लिए हो। दूसरी ओर ये उद्देश्य बाहरी मुद्दों से बाधित हो सकते हैं जोकि 18 जुलाई के संयुक्त वक्तव्य एवं 2 मार्च के सेपरेशन प्लान के समझौते का अंग नहीं थे। भारत के लिए यह कठिन होगा और वह अमरीका के साथ किये गये समझौतों के अलावा अन्य कोई शर्त स्वीकार नहीं पर सकता है। मैंने पहले भी इसका उल्लेख किया है।

हमारा सामरिक कार्यक्रम उस चर्चा में शामिल नहीं था जिसका परिणाम 18 जुलाई का संयुक्त वक्तव्य था। हमारे सामरिक कार्यक्रमों पर 2 मार्च को हुए समझौतों संबंधी वार्त्ता में कोई चर्चा नहीं हुई थी। हमारे सामरिक कार्यक्रम की कोई बाह्य जांच या अन्य किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। इसलिए, श्री आडवाणी को नाभिकीय कार्यक्रम के भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए।

सामरिक कार्यक्रम की स्वायत्तता का बचाव करना सरकार का परम कर्त्तव्य है। ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा जिससे इसकी सुरक्षा के प्रबंधन एवं राष्ट्रीय हितों पर भारत की पूर्ण स्वायत्तता से कोई समझौता अथवा इसमें कमी हो। मैं यह दोहराता हूं कि किसी अन्य देश का कोई कानून राष्ट्रीय हितों के अनुरूप विदेशी संबंधों के संचालन के हमारे सम्प्रभु अधिकार को नहीं छीन सकता चाहे वह इरान के साथ संबंध हो अथवा किसी अन्य देश के साथ हो।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी ओर से यह आश्वस्त किया है कि कांग्रेस द्वारा यथापारित विधान इसे 18 जुलाई के संयुक्त वक्तव्य तथा 2 मार्च की पृथक्करण योजना में की गई सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में समर्थ बनाएगा। हम यह महसूस करते हैं कि स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक हैं, क्योंकि अधिनियम में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो चिन्ता के कारण हैं। अतः, स्पष्टीकरण आवश्यक हैं और संयुक्त राज्य अमरीका से इसकी मांग की जाएगी कि ऐसा किस प्रकार किया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय वार्ताएं एक जटिल प्रक्रिया है। हम यह मानते हैं कि परिणामों की पूर्णतया भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है और न ही ये हमेशा नियंत्रण में होते हैं, लेकिन मैं यह निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि समझौते, अगर कोई हों, बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं कर सकते। मेरा विश्वास है कि जोखिमों एवं अवसरों की गणना युक्तियुक्त तथा पारदर्शी तरीके से किये जाने की आवश्यकता होगी। लेकिन स्पष्टतया हम ऐसी किसी बात के लिए राजी नहीं हो सकते हैं जो हमारे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों के संगत नहीं हैं जिसमें हमारे रणनीतिक कार्यक्रम की स्वायत्तता, त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की सम्पूर्णता को बनाए रखना तथा फास्ट ब्रीडर कार्यक्रम सहित घरेलू अनुसंधान एवं विकास शामिल हैं। यह हमारा आधारभूत दृष्टिकोण होगा-और यहां मैं श्री रूपचंद पाल को उत्तर दे रहा हूं-जब हम द्विपक्षीय 123 समझौते पर वार्ता करेंगे, जो कि हमारे असैनिक परमाणु सहयोग का आधार होगा।

पीछे नजर डालने पर हम देखते हैं कि यद्यपि 18 जुलाई के संयुक्त वक्तव्य तथा 2 मार्च की पृथक्करण योजना में जटिल मुद्दे शामिल हैं, तथापि हमें विश्वास है कि हम ऐसे परिणाम प्राप्त कर सके हैं जिससे भारत के हितों से किसी रूप में समझौता नहीं हुआ है। वास्तव में, जब मुद्दों को पूर्णतया स्पष्ट किया गया तो इसे व्यापक जन समर्थन प्राप्त हुआ। ऐसा इन जटिल मुद्दों के प्रति नए तथा रचनात्मक दृष्टिकोणों के उपयोग से संभव हो सका है। मैं मानता हूं कि हमारे अलगाव को दूर करने तथा अंतर्राष्ट्रीय मुख्य धारा में इस तरीके से शामिल होने के लिए हमारे देश में इसके लिए व्यापक समर्थन विद्यमान है जिससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ पूरा असैनिक परमाणु सहयोग प्राप्त हो सके और इसके साथ ही हमारा रणनीतिक कार्यक्रम सुरक्षित रहना चाहिए, हमारे त्रिस्तरीय कार्यक्रम की सम्पूर्णता तथा घरेलू अनुसंधान एवं विकास जारी रखा जाना चाहिए। जहां तक द्विपक्षीय परमाणु समझौते का संबंध है, यही उद्देश्य निर्धारित किया गया है।

संसद को यह मेरा पूर्ण आश्वासन है कि सरकार इसके लिए हर प्रयास करेगी जिससे जुलाई वक्तव्य का विजन वास्तविकता बन सके, यह उद्देश्य हमारे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों की लागत पर प्राप्त नहीं किया जाएगा। स्पष्ट रूप से, आगे कठिन वार्ताएं होंगी। इन वार्ताओं के प्रति हमारा व्यापक दृष्टिकोण तथा प्रत्याशाएं लोगों के रिकार्ड में हैं।

17 अगस्त 2006 के अपने बयान में मैंने सविस्तार यह बताया है कि भारत जुलाई वक्तव्य तथा मार्च पृथक्करण योजना के क्रियान्वयन को किस रूप में समझता है। मैं संसद को की गई प्रतिबद्धताओं पर अडिग हूं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इंडो-यू.एस. सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, भारत-अमरीका नागरिक नाभिकीय सहयोग पर सदन में चर्चा हो रही है। इसमें अभी माननीय प्रधानमंत्री जी

के हस्तक्षेप से बहुत कुछ साफ हो चुका है। इस पर माननीय नेता प्रतिपक्ष के जरिये से कुछ सवाल उठाये गये थे और कुछ शंकाओं का जिक्र किया गया था। यहां तक कहा गया था कि जो प्रतिबद्धता है, वचनबद्धता है, या जो सार्वभौमिकता है या हमारे देश की जो सॉवरेनिटी है, वहां भी प्रश्नचिन्ह लगाया गया। यहां तक कि यह भी कहा गया कि हमारे देश की परमाणु शक्ति हमारी राष्ट्र परिभाषा के हिसाब से नहीं है, कई इस तरह की बातें उठायी गयी। इसीलिए अभी माननीय प्रधान मंत्री जी ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय हित में कोई बाधा नहीं होगी और विदेश नीति कभी यू.एस.ए. में नहीं बनेगी। इतनी बात कहने के बावजूद भी मैं समझता हूं कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता की शंका का समाधान हो गया होगा। ...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): आपकी शंका का समाधान हो गया? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप चेयर को सम्बोधित करिए।

अपराह्न 4.31 बजे

[**श्रीमती कृष्णा तीरथ** *पीठासीन* हुई]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: यह सवाल कोई पक्ष और विपक्ष का नहीं है। यह राष्ट्रीय महत्व का विषय है। आपकी शंका का समाधान नहीं होगा तो आप नीयत पर शंका नहीं कर सकते। इस देश में माननीय प्रधान मंत्री जी पर इस परमाणु ऊर्जा के सवाल पर इस देश को पूरा भरोसा, आस्था और प्रतिबद्धता है। आप आस्था, प्रतिबद्धता और नीयत पर सवाल नहीं उठा सकते। इसमें आपकी सोच में थोड़ा फर्क हो सकता है और उसमें कुछ मतभेद या मतैक्य हो सकता है। लेकिन राष्ट्र के व्यापक हित और राष्ट्र के सर्वोपरि सवाल पर नीयत पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। चूंकि माननीय प्रधान मंत्री जी ने पहले ही 17 अगस्त को अपनी बात स्पष्ट कर दी थी। आज भी उन्होंने उसका जिक्र किया है और 11 दिसम्बर को माननीय विदेश मंत्री जी ने साफ-साफ इस देश की सम्प्रभुता और सार्वभौमिकता के विषय में अपनी बात कही है। इसीलिए मैंने कहा कि इस पर नीयत पर शंका करना न्यायोचित नहीं है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय सवाल है कि आज देश क्या चाहता है?

भारत-अमेरिका नागरिक नाभिकीय सहयोग में न केवल देश के आर्थिक विकास का सवाल है, बल्कि देश में जो ऊर्जा संकट है, उसका भी सवाल उससे जुड़ा हुआ है। मैं इसीलिए उसका जिक्र कर रहा हूं कि जो इंडो-यू.एस.ए. सिविल न्यूक्लियर कोआपरेशन है, इसमें देखा जाए कि भारत में आज एक लाख 24 हजार इलैक्ट्रिक पॉवर सिस्टम है। इस एक लाख 24 हजार मेगावॉट इलैक्ट्रिक पॉवर सिस्टम में जो कोल बेस्ड है, वह 55 प्रतिशत है। जो हाइडल बेस्ड है, वह 26 प्रतिशत है, जो खासकर नेचुरल गैस बेस्ड है, वह 10 प्रतिशत है और जो नॉन-कंवेंशनल है, जैसे विंड से है, सोलर एनर्जी है, यह सब मिलाकर 5 प्रतिशत है। न्यूक्लिअर के शेयर सिर्फ न्यूक्लिअर नाम के ऊर्जा क्षेत्र में मात्र न्यूक्लिअर बेस 3 प्रतिशत है। आज भारत में 8 प्रतिशत पॉवर सप्लाई की कमी है। जब पीक ऑवर होता है, शाम और सुबह का वक्त होता है, उस समय में 12.5 प्रतिशत होना चाहिए। आज देश में कई लाख गांवों में बिजली नहीं है। बिहार के गांवों में 11.7 प्रतिशत है। हमारी इकॉनोमी 8 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। मैंने इसीलिए इस सवाल का जिक्र किया कि देश में इलैक्ट्रिक पॉवर में बिजली आज की तुलना में 6 और 7 गुना होनी चाहिए तभी हमारे देश की बिजली की आवश्यकताओं को हम पूरा कर सकते हैं। जो परमाणु ऊर्जा है, खासकर विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में, इसके लक्ष्यों को पाने के लिए न्यूक्लिअर एनर्जी ही एकमात्र विकल्प है। देश के सामने और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसीलिए देश की जो बिजली की आवश्यकता है, उसमें न्यूक्लिअर एनर्जी की मांग है और यह समय की मांग है। इसीलिए न्यूक्लिअर एनर्जी को हमारे राष्ट्र के व्यापक हित में बढ़ावा देना जरूरी है। हमारे देश की जो आवश्यकता है, उसके लिए भी और खासकर टैक्नॉलोजी के क्षेत्र में, अमरीका में टैक्नॉलजीकल डिनायल पॉलिसी में बदलाव आया है। इस पॉलिसी के चलते हमारा सिविल न्यूक्लिअर प्रोग्राम थम सा गया था। लेकिन अब इंडो-यूएस सिविल न्यूक्लीयर एग्रीमेंट लागू होते ही हमारे सिविल न्यूक्लीयर क्षेत्र को एक नई दिशा मिली है, इससे एक नया एंगल मिलेगा, भारत एक नई दिशा को प्राप्त करेगा। इस समझौते से न केवल न्यूक्लीयर एनर्जी का सवाल है बल्कि ट्रेड के क्षेत्र में भी बढ़ावा मिलेगा। हमारा देश एक सौवरिन देश है। वह अपने व्यापक हितों के खिलाफ समझौता नही कर सकता है, ऐसा माननीय प्रधान मंत्री जी ने अभी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि हम किसी भी देश के सामने, अमरीका हो या कोई दूसरा साम्राज्यवादी देश हो, अपने हितों के खिलाफ कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। हम किसी देश के आगे नहीं झुक सकते हैं, यह स्वाभिमान का सवाल है। प्रधानमंत्री जी ने दो टूक शब्दों में इस बात को दोहराया है कि किसी भी देश को हमारे परमाणु संयंत्रों पर निगरानी रखने का अधिकार नहीं होगा और न बाहर से किसी को फटकने का अधिकार होगा।

सभापति महोदया, यह बात स्पष्ट रूप से सामने आई है कि कुछ वैज्ञानिकों ने हमारे देश के प्रति चिन्ता व्यक्त की है। मैं

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को वैज्ञानिकों द्वारा दर्शायी गयी चिन्ता पर गौर करना चाहिए। इन चिन्ताओं को निर्मूल करने के लिए जो भी वार्ता करना जरूरी हो, वैज्ञानिकों के क्या सुझाव है, उनका क्या मंतव्य है, उन पर जरूर एक वार्ता होनी चाहिए। मेरे विचार से एक बार वैज्ञानिकों की चिन्ता निर्मूल होने के बाद बाकी बातों पर भी सम्पर्क करना चाहिए। इसलिए हमारे वैज्ञानिकों के सुझावों पर ध्यान देना चाहिए।

सभापति महोदया, भारत और अमरीका एक-दूसरे को शक की निगाहों से देखते रहे हैं और परिस्थितियों को देखते हुए एक दूसरे पर शक करना स्वाभाविक था लेकिन आज परमाणु क्षेत्र में भारत-अमरीका नागरिक नाभिकीय सहयोग के क्षेत्र में जो वार्ता हो रही है, उससे द्विपक्षीय संबंध मजबूत हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस समझौते से द्विपक्षीय संबंध और बढ़ेंगे और जो एक-दूसरे के प्रति लैक ऑफ कांफिडेंस था, उससे यह विश्वास एक बार फिर से बढ़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए मैंने कहा कि यदि वैज्ञानिकों ने इस समझौते के प्रति आशंका और चिन्ता व्यक्त की है तो हमारे देश की परमाणु नीति से उस समझौते में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। इस समझौते से हमारे सामरिक हितों को धक्का नहीं लगेगा। हम अपने सामरिक कार्यक्रमों को विदेशी जांच से मुक्त रख सकेंगे। हम किसी भी प्रकार से किसी देश को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं दे रहे हैं, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट रूप से कहा है।

सभापति महोदया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दोनों सदनों में इस बात का आश्वासन दिया था कि हमारी वचनबद्धता पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं किया जाना चाहिए और न किसी प्रकार का संदेह किया जा रहा है। देश की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने का सवाल उठाया गया, मैं समझता हूं कि यह न्यायोचित नहीं है। नाभिकीय एनर्जी के मामले में भी इसी तरह का सवाल उठाया गया था। मेरे ख्याल से इस प्रकार का मामला उठाने की जरूरत नहीं है। आज देश की आवश्यकता और मांग है कि हमें अपने देश की नाभिकीय ऊर्जा को बढ़ाना है क्योंकि अभी यह केवल 3 प्रतिशत है, इसे और आगे बढ़ायेंगे। हमारी कमी 8 प्रतिशत है और मैं समझता हूं कि इसे 5-6 प्रतिशत और बढ़ाये जाने की जरूरत है। इसलिए इंडो-यूएस डील के चलते जो हमारी कमी 6 प्रतिशत है, वह बढ़ेगी और हमारा देश उन्नति करेगा, प्रगति करेगा। सभी को मालूम है कि एनर्जी और बिजली क्षेत्र में हमारी क्या हालत है। इसलिए जो अमरीका-भारत न्युक्लीयर समझौता हुआ है, वह भारत के व्यापक हित में है। इस समझौते से भारत के व्यापक हित में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं पहुंच रही है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य 17 अगस्त को आया और 2 मार्च का जो समझौता है और जब 11 दिसम्बर को विदेश मंत्री जी ने सदन में स्पष्ट रूप से कहा था कि अमरीका प्रशासन ने स्पष्ट रूप से उन्हें आश्वासन दिया है कि एक विधान पर वहां चर्चा हो रही है, वह भारत के हितों के खिलाफ नहीं जायेगा। उस विधान में साफ तौर पर कहा गया है कि 11 अगस्त को किये गये समझौते के आधार पर यह विधान अमरीका को उन सभी वचनों को पूरा करने में समर्थ बनाता है। यह बात 18 जुलाई और 2 मार्च के सभी वक्तव्यों में थी। यह विधान दोनों वक्तव्यों के अनुरूप भारत के साथ असैनिक नाभिकीय सहयोग किये जाने के लिए स्पष्ट रूप से प्राधिकृत करता है। हम पूरी आशा करते हैं कि 123 पॉइंट का जो करार है, उसके पाठ में 18 जुलाई का वक्तव्य और 2 मार्च की पृथक्करण योजना परिलक्षित होगी। उन सिद्धांतों पर या इस करार पर अब कोई संदेह करने की गुंजाइश नहीं है। यह हमारे देश के व्यापक हित में है और जो दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी मुख्यधारा में हमारे देश का स्थान होगा, परिभाषा के अनुसार टैक्निकली हमें परमाणु संपन्न राष्ट्र मानें या न मानें, लेकिन परमाणु क्षमता में हम अंतर्राष्ट्रीय मुख्यधारा में जुड़ेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सभापति महोदया, आरम्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि अमरीकी कांग्रेस के दोनों सदनों में पारित विधेयकों के महत्व तथा निहितार्थों के बारे में हमारे देश में काफी भ्रांति है। माननीय विदेश मंत्री जी ने सही कहा है:

> "यद्यपि किसी विधान का पारित किया जाना उस देश का आंतरिक मामला है जिस पर हमें अन्यथा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए ....."

उन्होंने ऐसा बिल्कुल सही कहा है, किंतु चूंकि ये विधेयक हमसे संबंधित हैं, इसलिए उन पर चर्चा किये जाने की आवश्यकता है। राजनीतिक विरोध आंशिक रूप से अमरीकी विधान की अस्पष्टताओं के कारण उत्पन्न होता है। हमारी सरकार की भी गलती है। विगत जुलाई से सरकार यह कहती रही है कि अगले चरण के पश्चात् सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब यह मामला कांग्रेस के समक्ष था, तब हमें बताया गया था: 'सीनेट द्वारा विधेयक पारित किये जाने तक इंतजार करें।' तत्पश्चात्, जब यह सीनेट गया, तब हमें कहा गया '123 समझौते का इंतजार करें।" आज भी, हमसे यही कहा जा रहा है। अब, हमसे अंतिम प्रोडक्ट का इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। सरकार को यह स्पष्ट रूप से बताना चाहिए अंतिम प्रोडक्ट क्या होगा और यह कब तक आएगा।

महोदया, अभी हम भारत-संयुक्त राज्य असैनिक परमाणु ऊर्जा सहयोग के संबंध में विदेश मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर विचार-विमर्श कर रहे हैं और पहली बार कम से कम 'डील' शब्द को अब हटा दिया गया है और 'सहयोग' शब्द का उपयोग हुआ है। अब हमसे कहा जा रहा है:

"भारत के लिए इस प्रक्रिया की जांच हमारे रणनीतिक कार्यक्रम को सुरक्षित तथा हमारे त्रि-स्तरीय परमाणु कार्यक्रम की सम्पूर्णता एवं घरेलू अनुसंधान एवं विकास को कायम रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पूर्ण असैनिक न्यूक्लियर सहयोग प्राप्त करना है।"

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि वे सम्पूर्ण ब्यौरे के साथ बिल्कुल विश्वासोत्पादक रूप से आए हैं। इसके अतिरिक्त, मैं यह उम्मीद करता हूं-और मैं केवल उम्मीद करता हूं-संयुक्त राज्य अमरीका, 45 सदस्यीय परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह तथा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण (आई.ए.ई.ए.) भारत सरकार को ऐसा करने देंगे। जहां तक मैं समझता हूं, अभी भी तीन और चरण को पूरा किया जाना है। यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि काफी प्रयास एवं दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है। हेनरी एलिस ने यह कहा था:

"जीने की सम्पूर्ण कला छोड़ने और दृढ़ रहने के उत्कृष्ट मिश्रण में निहित है।"

हमें विदित है कि अमेरिकी संविधान आधारभूत रूप से हमारे संसदीय संविधान से भिन्न है। उनकी विधायी प्रक्रिया, प्रशासन पर उनका प्रभाव तथा कार्यपालिका, जो कि अमेरिका का राष्ट्रपति है, का अपनी पहल पर विदेश नीति संचालित करने का उत्तरदायित्व हमारी व्यवस्था से बिल्कुल भिन्न है। मुझे इसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एकमात्र बात जो पहले कही गयी थी वह यह है कि यह विधान अमेरिकी कांग्रेस का घरेलू विधान है, जिसके द्वारा पहले के विधान में संशोधन किया गया है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत जैसे किसी देश, जो कि एन.पी.टी. का सदस्य नहीं है, के साथ किसी असैनिक परमाणु सहयोग से मना करता है।

अब, यह विधान संयुक्त राज्य अमेरिका को हमारे साथ वार्ताएं करने तथा असैनिक परमाणु सहयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। इसके साथ ही, मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि यह हमारे लिये बाध्यकारी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि क्या वह विधान संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है अथवा नहीं। हम सरकार से सुनना चाहते हैं।

संयुक्त राज्य की विधायिका का मत भिन्न है। अगला कदम क्या होगा। हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। यह लक्ष्य स्वयं को प्रौद्योगिकी वंचन से मुक्त करना है, जिसे संयुक्त राज्य अमरीका ने चार से अधिक दशकों से हमारे ऊपर आरोपित कर रखा है। संयुक्त राज्य अमरीका ने स्वयं अपने हित में यह निर्णय किया है कि अगर इसे शक्ति संतुलन की दुनिया में अपनी प्रतिस्पर्धी एवं नवाचारी शक्ति के आधिपत्य को सफलतापूर्वक कायम रखना है तो इसे भारत को एक रणनीतिक भागीदार बनाना होगा।

संयुक्त राज्य भारत के साथ प्रौद्योगिकी भेदभाव को खत्म करने के लिए उत्सुक है। मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि दो वर्ष के बाद बुश राष्ट्रपति नहीं रहेंगे। इस बात की गारंटी भी नहीं है कि यू.पी.ए. भी दुबारा चुनकर सत्ता में बनी रहेगी। किसी भी समझौते अथवा डील में, विशेषकर संसदीय लोकतंत्र में विचारों के आदान-प्रदान की आवश्यकता होती है। मेरी धारणा है कि यह दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है।

इस सदन में हम बार-बार इस पर चर्चा कर रहे हैं। वक्तव्य दिये जा रहे हैं। लेकिन मैं सरकार से यह अनुरोध एवं आग्रह करूंगा कि क्यों न सभी राजनैतिक दलों को विश्वास में लिया जाए। अन्य परमाणु वैज्ञानिकों को विश्वास में क्यों नहीं लिया जाता? इस देश की विचारशील जनता को विश्वास में क्यों नहीं लिया जाता? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लम्बी अवधि के एक समझौते की दिशा में बढ़ रहे हैं। हम अमरीका के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। लोग कह सकते हैं कि यह एकध्रुवीय विश्व बन चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है।

आज हमारे पास विकल्प हैं। शीत युद्ध के पश्चात् एक समय हमारे पास विकल्प था और उस दौरान नेतृत्व ने यह निर्णय किया था कि हम दोनों महाशक्तियों से अलग रहेंगे तथा इसी तरह गुट-निरपेक्ष आंदोलन शुरु हुआ। आज, बहुत से विकल्प हैं। अमरीका ही एकमात्र विकल्प नहीं है। फ्रांस है, रूस है, जापान है, चीन है और आपके पास पर्याप्त विकल्प हैं। अतः बेहतर तरीके से अपने विकल्पों का उपयोग कीजिए और राष्ट्रीय हित की रक्षा कीजिए।

भारत के प्रति अपनी नीति में अमरीका ने यू-टर्न लिया है। विश्व की प्रमुख शक्तियां अपनी नीतियों में इस प्रकार के यू-टर्न लेने के लिए जानी जाती हैं, जैसाकि खून-खराबे वाले युद्ध के 18 वर्ष बाद 1971 में अमरीका और चीन ने ऐसा किया था।

[श्री भर्तृहरि महताब]

यदि विश्व स्तर पर स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। आज के बहुध्रुवीय, विश्व में शक्ति प्रणाली का एक संतुलन है तथा भारत का नेतृत्व दो ध्रुवीय विश्व में शक्ति संतुलन का खेल सफलतापूर्वक खेल चुका है तथा उससे गुट-निरपेक्ष आंदोलन को बढ़ावा मिला।

हमें अमरीकी संसद में हाइड बिल को सभी पार्टियों से मिले समर्थन को समझना चाहिए। बिल्कुल, भारत को चर्चा करनी ही चाहिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: कृपया आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। कृपया उन्हें कुछ और समय दीजिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: वह पहले ही 10 मिनट ले चुके हैं। यहां समय-सीमा होती है।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: महोदया, वे चाहते हैं कि विपक्ष भी वही कहे, जो वे चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: इस चर्चा में बहुत से सदस्यों को बोलना है।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: सभापति महोदया, जब भी विपक्ष का कोई सदस्य बोलना शुरू करता है, आप हर दो मिनट बाद घंटी बजा देती हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: वह पहले ही 11 मिनट ले चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: उन्हें अपना समय तो लेने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब: सभापति महोदया, अमेरिका न्यूनतम संभव लागत पर भारत से भागीदारी चाहता है। यदि हमें अधिकतम लाभ उठाना है तो हमें अपनी युक्तिसंगतता में वृद्धि करनी होगी, रूस, यूरोपीय संघ, जापान और चीन के साथ सामरिक भागीदारी विकसित करनी होगी। परन्तु ऐसा केवल तभी किया जा सकता है जब हम प्रौद्योगिकी से वंचित रखने वाले उस तंत्र को उखाड़ फेंके, जो साढ़े तीन दशकों से अधिक समय से लागू था ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए। आप पहले ही 12 मिनट ले चुके हैं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदया, वह कुछ और समय लेंगे। सभा देर तक बैठकर इस मामले पर चर्चा कर सकती है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: कृपया अध्यक्षपीठ से इस प्रकार की बात मत कीजिए। इस बारे में बहुत से सदस्यों को बोलना है। अब उन्हें उनका भाषण समाप्त करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: हम 6 बजे के बाद भी बैठ सकते हैं। उन्हें अब कुछ और समय बोलने दीजिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: अध्यक्षपीठ से बोलने का यह तरीका नहीं है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: यह बहुत ही गंभीर मामला है। इस महत्वपूर्ण मामले पर हमें अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब: महोदया, मैं एक रुचिकर रिपोर्ट के बारे में बताना चाहूंगा। इसमें कहा गया है कि:

> "अमेरिका अपने खर्च हुए ईंधन को पुनः प्रसंस्कृत नहीं करता। अमरीका में हजारों टन खर्च हुआ ईंधन जमा हो चुका है।"

> "हाल ही में राष्ट्रपति बुश ने नीति में परिवर्तन की घोषणा की। उन्होंने प्लूटोनियम से छुटकारा पाने तथा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिए नए डिजाइन किये गये प्रसार रोधी रियेक्टरों में सभी प्लूटोनियम को जलाने का प्रस्ताव किया है। इस कार्यक्रम को जीईएनपी कहा जाता है तथा इसमें सभी प्रमुख परमाणु प्रौद्योगिकी सम्पन्न राष्ट्र शामिल हैं।"

मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मुझे बताया गया है कि इसमें शामिल होने के लिए भारत को भी आमंत्रित किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि स्थिति क्या है और भारत को इसमें शामिल होने को कहा गया है या नहीं? यदि ऐसा है, तो इसका क्या अर्थ है? इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यदि अंतिम हुए समझौते हमारे राष्ट्रीय हित में नहीं होते तो क्या भारत एनएसजी द्वारा प्रौद्योगिकी पर से प्रतिबंध हटवाने के लिए इस व्यवस्था को अस्वीकृत कर सकता है तथा अपने असैन्य रिएक्टरों को भारत के विशिष्ट आईएईए रक्षोपायों के अंतर्गत रखेगा? कृपया स्पष्ट शब्दों में कहिए। हम इसका स्पष्ट उत्तर चाहते हैं।

अमेरिका हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम भी अमरीका के लिए महत्वपूर्ण हैं। अमरीका पूरे जोर-शोर से हमें आकर्षित कर रहा है। इससे ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा मुख्य कार्य हमारे राष्ट्रीय हित का ध्यान रखना तथा शेष पांच प्रमुख शक्तियों के साथ सामरिक भागीदारी विकसित करना है।

अंत में, मैं भारत-अमेरिका परमाणु सहयोग के विरोधियों से पूछना चाहता हूं कि भारत के असैन्य परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक यूरेनियम की कमी को पूरा करने के लिए उनका क्या प्रस्ताव है? यह कमी अटकलों का मामला नहीं है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि समीक्षा दस्तावेज में इसका उल्लेख है।

'जुलाई 2005 में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष डा. ए. गोपालकृष्णन ने इकोनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली में लिखा था कि:

"इस समय डीएई (परमाणु ऊर्जा विभाग) को प्राकृतिक यूरेनियम की गंभीर कमी का सामना करना है, यहां तक कि वर्तमान में परिचालन अथवा निर्माणाधीन भारी जल रिएक्टरों को ईंधन देना भी कठिन हो गया है।"

जब स्थिति ऐसी है तो आप उत्तर क्या देंगे?

मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि एक शुरुआत हो रही है। हम 35 अथवा 36 वर्षों से चले आ रहे परमाणु रंगभेद के युग से बाहर निकलने के कगार पर हैं। अभी कुछ कदम उठाये जाने शेष हैं परन्तु हमें सावधानी बरतनी होगी। मुझे याद आ रहा है, मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था:

"उम्र का संबंध दिमाग के साथ है। यदि आप ऐसा नहीं सोचते हैं तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य का स्वागत करता हूं। मैं इनके रुख की सराहना करता हूं और मैं इनसे हमारी वास्तविक चिंताओं, हमारी वाजिब चिंताओं पर गौर करवाना चाहता हूं। अमरीकी प्रबंधन, अमेरिकी सरकार और अमरीकी प्रशासन पर हमें हमेशा संदेह रहा है।

भारतीय इतिहास के विभिन्न कालों में ऐसे अवसर आए हैं जब हमने अमरीका को अपने विरुद्ध खड़ा पाया है। इसलिए इस समय हमें यह विश्वास नहीं होता कि अमरीका हमारी सहायता कर रहा है और हमारी बिजली की कमी की समस्या को दूर करने के लिए आगे आ रहा है। हम इसे संदेह की नजर से देखते हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हमें भारत सरकार की रणनीति के प्रति कोई संदेह है। उनका आश्वासन स्वागतयोग्य है।

लेकिन अमरीकी साम्राज्यवाद और अमरीकी सरकार विश्व में जिस तरह से व्यवहार कर रही है इससे संदेह उत्पन्न होता है।

महोदया, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि "हम संसद को विश्वास में लेंगे।" मैं इसका स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा यह भी कहा गया है कि "हमारी चिंताओं का भी समाधान किया जाएगा" यह अच्छा है। क्या मैं माननीय प्रधानमंत्री से आदर सहित यह पूछ सकता हूं कि यदि ऐसा है तो क्या वे इसके लिए तैयार हैं? क्या सरकार इस करार पर हस्ताक्षर किये जाने से पूर्व इसे संसद में रखेगी और इस पर संसद की राय लेगी? मैं जानबूझकर यह बात कह रहा हूं। अमरीका में अंतरराष्ट्रीय करारों को अमरीकी संसद द्वारा अनुमोदित किया जाता है। भारतीय संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है। संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है और माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इस करार को अंतिम रूप देने से पहले वे इस संबंध में अपने मित्रों और प्रतिपक्ष से भी विचार-विमर्श करेंगे इसलिए हमारे पास सरकार से अनुरोध करने का यही बढ़िया मौका है। हमें संविधान में संशोधन करना चाहिए और महत्वपूर्ण करारों के अनुमोदन के लिए संसद के समक्ष रखना चाहिए।

अपराह्न 5.00 बजे

अन्यथा इससे अटकलबाजियां समाप्त नहीं होगी और न ही माननीय प्रधानमंत्री के वक्तव्य से हमारे संदेह समाप्त होंगे।

महोदया, सरकार को नाराज नहीं होना चाहिए। इस स्थिति में सरकार द्वारा अमरीका के साथ करार की पहल को इस समय

[श्री गुरुदास दासगुप्त]

संसद का विश्वास प्राप्त नहीं है। विपक्ष इससे सहमत नहीं है और इससे सरकार का समर्थन करने वाले उसके मित्रों को भी यह विश्वास नहीं है कि यह अच्छा कदम है। इसलिए यहां एक समस्या है और यह कोई कृत्रिम समस्या नहीं है। यह निष्ठा की समस्या है। यह विश्वास की समस्या है और निष्ठा और विश्वास अमेरिकी सरकार से संबंधित है।

इसलिए ऐसी स्थिति में जब हमारे प्रधानमंत्री को यह विश्वास है कि यह सही दिशा में उठाया गया कदम है और जब हमें यह विश्वास है कि यह सही दिशा में उठाया गया कदम नहीं है तथा जब प्रधान मंत्री यह कहते हैं कि वे हमें विश्वास में लेंगे और हमारी चिंताओं का समाधान करेंगे, तब मेरे लिए यह एक मौका है कि मैं सरकार को यह सुझाव दूं कि हमें बीते हुए समय को भुला देना चाहिए। हमें बीते हुए समय को भुलाकर एक ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि इस प्रकार के करार को संसद के समक्ष रखा जाएगा और उन्हें इसका अनुमोदन लेना चाहिए।

अन्यथा इस पर कैसे गौर किया जा रहा है? माननीय प्रधान मंत्री जी मेरी बात समझेंगे। यह कैसा प्रतीत होता है? कार्यपालिका एक ऐसा निर्णय ले रही है जिसे संसद के बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं है। बल्कि कार्यपालिका संसद के अल्पमत समर्थन के आधार पर निर्णय ले रही है। इससे तो यही प्रतीत होता है। यदि ऐसा होता है तो लगता है कि कार्यपालिका एक ऐसा निर्णय ले रही है जिसे संसद के बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं है तो इससे निस्वय ही चिन्ता होगी चाहे माननीय प्रधानमंत्री की सदिच्छा पर हमें कितना भी विश्वास हो या है। ऐसा लगता है कि संसद में अल्पमत समर्थन के आधार पर कार्यपालिका द्वारा यह कदम उठाया जा रहा है।

इसके क्या कारण हैं? इसके दो कारण हैं। क्या मैं आदर सहित सरकार से यह प्रश्न पूछ सकता हूं? यह करार करने से आपको कौन सा राजनीतिक लाभ होगा? मैं ये नहीं कहता कि आप उसमें फंस जाएंगे। लेकिन इससे आपको क्या राजनीतिक लाभ मिलेगा? आपको इससे राजनीतिक लाभ कैसे मिलेगा जब यह समझा जाएगा और जब देश को पता चलेगा कि अधिकतर राजनीतिक शक्तियों ने इसका समर्थन नहीं किया है। मैं लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। यदि माननीय प्रधानमंत्री लोगों के बारे में बात करते हैं तो जनमत संग्रह कराना एक रास्ता है लेकिन यह संभव नहीं है। मैं भी इसका सुझाव नहीं देता। इसलिए, हमें संसदीय समर्थन के आधार पर लोगों की राय को आंकना है। इसलिए ऐसा लगता है कि इस कदम को उठाकर सरकार को कोई राजनीतिक लाभ नहीं होने वाला है।

तत्पश्चात आर्थिक लाभ का प्रश्न आता है? इससे हमें क्या आर्थिक लाभ मिलेगा? मैं यह स्वीकार करता हूं कि बिजली की कमी है। बिजली की कमी से निपटने के लिए हम परमाणु ऊर्जा की ओर देख रहे हैं। जहां तक लागत परिकलन का संबंध है तो इसकी लागत ज्यादा है। पूरे विश्व में यह सर्वविदित है कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन की लागत ज्यादा है। हम उच्च लागत को क्यों अपना रहे हैं जबकि हमारे पास थोरियम है, कोयला है और जलविद्युत ऊर्जा उत्पादन है? आप आखिरी विकल्प को क्यों अपना रहे हैं? इसका आर्थिक आधार क्या है?

माननीय प्रधानमंत्री एक अर्थशास्त्री हैं। क्या सरकार द्वारा इस आखिरी विकल्प को उच्च प्राथमिकता देने के संबंध में आर्थिक मूल्यांकन किया गया है? देश को ऊर्जा की जरूरत है। क्या इसके लिए यह जरूरी है कि हमें ईंधन के लिए अमरीका की ओर देखना चाहिए? लेकिन, क्या इसका यह अर्थ है कि हमें अमरीका से पॉवर रिएक्टर्स की आवश्यकता है? इस संबंध में अन्य विकल्प भी मौजूद है। इसलिए मेरा यह मानना है, मैं संदेह नहीं कर रहा हूं कि सरकार के मन में कुछ और है। ऐसा कुछ है जो सरकार खुलकर नहीं बता रही है। हर चीज का खुलासा नहीं किया जा सकता है।

ये कुछ और क्या है? क्या ये कुछ और यह है कि सरकार देश में और अधिक निवेश कराने के लिए अमरीका के समीप जाना चाहती है। क्योंकि सरकार की घरेलू संसाधनों में वृद्धि करने की कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं है इसलिए सरकार अंतरराष्ट्रीय निवेश पर भरोसा कर रही है ताकि उच्च वृद्धि दर लाकर लोगों की मूलभूत समस्याओं को हल किया जा सके। यदि ऐसा है तो सरकार को खुलकर बताना चाहिए।

दूसरा, मेरा मानना है क्या इसकी कोई बुनियाद है अथवा ये बेबुनियाद है यह तो केवल इतिहास ही बता सकता है। हम इस बात पर भरोसा करके राजनीतिक रूप से अमरीका के समीप जाना चाहते हैं कि विश्व एकध्रुवीय है, यह मानकर कि अब कोई सोवियत संघ नहीं है और यह मानकर कि हमें उसके समीप जाने से कोई नुकसान नहीं होगा। इसके कई कारण हैं। इसी कारण हम अपने किसी एक पड़ोसी से डरते हैं? क्या हमें पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को रोकने और इससे लड़ने के लिए अमरीकी सहायता की आवश्यकता है? क्या हमें कश्मीर समस्या का समाधान करने के लिए अमरीका का साथ चाहिए? लोगों के मन में अनेक कारण, मुद्दे और विचार विद्यमान हैं। यह महत्वपूर्ण है कि सरकार इनका ध्यान रखे।

महोदया मेरे पास इनके द्वारा अधिनियमित अधिनियम की एक प्रति है। मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय विदेश मंत्री का ध्यान पृष्ठ आठ, धारा 3 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें यह उल्लेख किया गया है "ईरान द्वारा सैनिक परमाणु हथियारों और संवर्द्धित यूरेनियम और पुनर्प्रसंस्कृत परमाणु ईंधन की क्षमता सहित व्यापक जन संहारक हथियारों की प्राप्ति संबंधी उसके प्रयासों को हतोत्साहित करने, उसे अलग-थलग करने और यदि आवश्यक हो तो उस पर प्रतिबंध और रोक लगाने के अमरीकी प्रयासों में भारत की संपूर्ण और संक्रिय भागीदारी निश्चित करना।" कानून में यही है? आप इसमें सामंजस्य कैसे करेंगे? अमरीकी कानून के सामने माननीय प्रधानमंत्री ने जो साहसिक रुख अख्तियार किया आप उस स्थिति के साथ सामंजस्य कैसे बिठा पाएंगे? आप सामंजस्य कैसे बिठाएंगे? जबकि इसमें मूलभूत विरोधाभास है।

मुझे मालूम है कि इनके दिमाग में यह सब चल रहा है। अन्यथा उन्होंने यह नहीं कहा होता कि चिंता के कुछ क्षेत्र हैं। मेरे लिए यह बहुत ही चिंता का क्षेत्र है। हम इसका मूल्य चुका रहे हैं और यह मूल्य नाममात्र का नहीं है। मूल्य यह है कि शायद ईरान से गैस आपूर्ति परियोजना खटाई में पड़ सकती है। मुझे बताया गया है कि यह परियोजना खटाई में नहीं पड़ेगी लेकिन ईरान ज्यादा पैसे मांग रहा है। ईरान द्वारा ज्यादा कीमत मांगी जा रही है इसका एक कारण हमारा अमरीका के समीप आना हो सकता है। यह एक कारण हो सकता है। यह हमारे हितों के विरुद्ध है। यह एक आशंका है जोकि एक वास्तविक आशंका है। आप केवल संसद में बुद्धिमत्तापूर्ण बोलकर इससे इंकार नहीं कर सकते हैं। यह एक वास्तविक आशंका है।

महोदया, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। कृपया मुझे और दो मिनट का समय दीजिए।

दूसरे, यहां एक और मुद्दा है। वह है—भारत और पाकिस्तान के माध्यम से चीन गणराज्य पर परमाणु विस्फोटक उद्देश्य के लिए विखंडनीय सामग्री के उत्पादन के संबंध में यथाशीघ्र संभव तिथि से अधिस्थगन लगा दिया जाए। वे हमें बहलाना चाहते हैं। क्या इसका यह अर्थ है कि अमरीका भारत को इस बात के लिए राजी करना चाहता है कि वह अपनी परमाणु रणनीति त्यागने के लिए राजी करने में सहायक बन सके? हमें चीन के विरुद्ध तैयार किया जा रहा है। क्या हमें ऐसा करना चाहिए?

इसमें एक और बात शामिल है। वह है दक्षिण एशिया में परमाणु हथियार के बढ़ते भंडार पर रोक लगाने की मांग। क्या हमें—मैं पिछलग्गू शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता; यह आपके लिए काफी कटु हो सकता है—सहभागी होना चाहिए; क्या हमें अमरीकी परमाणु रणनीति का भागीदार होना चाहिए जिससे ऐसी स्थिति बन सके कि दक्षिण एशिया में हथियारों की दौड़ में कमी की जा सके।

हमें अमेरिका का सहभागी बनना चाहिए। क्या यह सही है? क्या यह गलत है? क्या यह हमारे राष्ट्रीय हित के अनुकूल है? प्रधानमंत्री महोदय, मैं आपकी विकट स्थिति समझता हूं। ऐसी कई चिंताएं हैं, जिन्हें आप अभिव्यक्त नहीं कर सकते। कदाचित मैं आपकी भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूं। ऐसा हो भी सकता है अथवा नहीं भी। लेकिन मुद्दा यह है कि ये वास्तविक चिंताएं हैं। इसलिए, अपनी बात समाप्त करते हुए, मैं कहना चाहता हूं कि उन समस्याओं से अनजान रहते हुए जिनका हमें भविष्य में सामना करना पड़ सकता है, इस समझौते में शामिल होना न आर्थिक रूप से अर्थक्षम है और न ही राजनैतिक रूप से कोई समझदारी है। कूदने से पहले परख लें। इसलिए, मैं सरकार को सुझाव दे रहा हूं कि अमरीका के साथ समझौता करने का कदम त्याग दें। कम से कम इस मुद्दे पर तो देश स्पष्ट रूप से बंटा हुआ है। यह साझा सरकार हमारे समर्थन से चल रही है। हम ईमानदारी से अपना समर्थन दे रहे हैं। आपको माननीय प्रधान मंत्री की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। हम राजनैतिक बाध्यताओं से ऐसा कर रहे हैं और हम ऐसा करेंगे लेकिन क्या आपके स्तर पर ऐसा कदम उठाना सही है, जबकि देश इस प्रकार बंटा हो और मित्रगण इतने आलोचनापूर्ण हों?

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): महोदया, मुझे भारत-अमरीकी समझौते के संबंध में इस जोशपूर्ण चर्चा में भाग लेने से प्रसन्नता है। सर्वप्रथम, मैं कहना चाहता हूं कि पहली मक्कल काची जो कि यूपीए सरकार का एक सहयोगी है, भारत-अमरीकी समझौते के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री के पूर्व वक्तव्यों का समर्थन करता है। मैं समझता हूं कि आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य को सुनने के पश्चात् अब भाजपा और अन्य दल भी माननीय प्रधानमंत्री के कदम का समर्थन करेंगे क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण इतना संतोषजनक है कि भारत की कोई भी चिंता समझौते पर हस्ताक्षर करने के अंतिम चरण में ताक पर नहीं रखी जाएगी।

भाजपा की सदैव ही तथ्यों को तोड़ मरोड़कर पेश करने और देश में सनसनी फैलाने की प्रवृत्ति रही है और श्री आडवाणी जी का आज का हस्तक्षेप इसका अपवाद नहीं है। उन्हें यह मालूम होना चाहिए। वाद-विवाद में हस्तक्षेप करते वक्त उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री जी अलग-थलग पड़ गए। अब प्रधानमंत्री जी को सुनने

[प्रो. एम. रामदास]

के पश्चात् उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि ये श्री आडवाणी और उनकी भाजपा है, जो अलग-थलग पड़ गए हैं। हम सभी प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। हम सभी यूपीए सरकार के साथ हैं। हम जानते हैं कि यह सरकार देश के हित का ध्यान रखेगी। हमारे विद्वान प्रधान मंत्री इस देश के हित को गिरवी रखने वाले अंतिम व्यक्ति होंगे।

हम जानते हैं कि वे न केवल अंतर्राष्ट्रीय रूप से विख्यात एक अर्थशास्त्री हैं बल्कि उच्च कोटि के देशभक्त और राष्ट्रवादी भी हैं। उन्होंने हमें बताया है कि जब वे जापान गए थे, तो उन्होंने भारत की विकास क्षमता के बारे में जापानियों के बीच एक अभूतपूर्व उत्साह महसूस किया था। अब यह इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि वे सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। अर्थशास्त्र के उनके ज्ञान और अर्थशास्त्र में उनकी गहन विशेषज्ञता ने भारत को बहुत ऊंचाई पर लाकर खड़ा कर दिया है। तभी, आज विश्व में प्रत्येक देश भारत की ओर स्पष्ट रूप से देख रहा है। जबकि विश्व अर्थव्यवस्था प्रति वर्ष केवल 3.2 प्रतिशत वृद्धि दर्ज कर रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने गत ढाई वर्षों में 8 से 9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। यह प्रधान मंत्री की एकमात्र दृढ़ धारणा है और नीति निर्धारण में उनका यह विश्वास है, जिसने भारत को विश्व में सबसे तेजी से विकास करने वाला देश बना दिया है। अत: मैं आडवाणी जी की बातों से सहमत नहीं हूं।

मैं उन सब बातों से भी सहमत नहीं हूं। जो श्री दासगुप्त ने कही हैं। उन्होंने कहा है कि अमरीका के साथ आना राजनीति से प्रेरित है। इस बात पर विचार किये बिना कि यह राजनीति से प्रेरित है अथवा कुछ और है। अमरीका के साथ हमारा सहयोग इस समय अपरिहार्य बन जाता है, जबकि देश बहुत तेजी से विकास कर रहा है। हमें अमरीका से अपने हित को ताक पर रखे बिना वह सब मिल रहा है, जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसलिए हमें पता है कि हमारे लिए सबसे बेहतर क्या है और हमें इन सब चीजों की परवाह नहीं करनी चाहिए।

आज हम किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं? इस मुद्दे पर ध्यान देने वाले किसी भी निष्पक्ष व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि हम अमरीकी विधेयक के परिप्रेक्ष्य में भारत-अमरीकी समझौते पर चर्चा कर रहे हैं। हम एक विधेयक के बारे में चर्चा कर रहे हैं और श्री आडवाणी ने कहा कि यह हाइड अधिनियम है। मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने यह नहीं कहा कि यह एक गुप्त एजेंडा है क्योंकि भाजपा इसके लिए ही जानी जाती है। जैसाकि वे हाइड अधिनियम के बारे में चर्चा कर रहे थे, मैंने सोचा कि वे गुप्त एजेंडे के बारे में उल्लेख कर रहे थे। यहां कोई भी गुप्त एजेंडा नहीं है और यहां केवल यूपीए सरकार का पारदर्शी एजेंडा है। यह एक खुली किताब है, जिसे कोई भी समझ सकता है।

श्री दासगुप्त ने कहा कि भारत-अमरीकी समझौते के संबंध में संसद को भी विश्वास में लिया जा सकता है। यदि यह संभव है और यदि यह संवैधानिक आवश्यकता है, तो इस पर भी विचार किया जा सकता है।

हेनरी जे. हाइड यूनाइटेड स्टेट्स-इंडिया पीसफुल एटॉमिक एनर्जी कोआपरेशन एक्ट, 2006 पारित किया गया है और इस विधेयक को अंतिम रूप से पारित किए जाने के लिए इस पर अमरीकी राष्ट्रपति श्री जार्ज बुश द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं। विधेयक को अंतिम रूप से पारित नहीं किया गया है। अमरीकी सदनों में केवल विधान पारित किया गया है। इसे अभी तक पारित नहीं किया गया है और यदि आप मुझे अनुमति दें, तो मैं एक तुलनात्मक स्थिति पेश करना चाहता हूं, चूंकि आप पीठासीन हैं। मान लीजिए कोई मां गर्भवती है और बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है। श्री आडवाणी जी बच्चे के पैदा होने से पहले ही कह रहे हैं कि बच्चा काला और कमजोर हैं। वे ऐसा कैसे कह सकते हैं? कौन इसे मानेगा यदि वे बच्चे के पैदा होने से पहले कहें कि बच्चा काला और कमजोर है? इसी प्रकार जो अंतिम रूप से तय हुआ है हम उसके बारे में नहीं जानते और जिन मुद्दों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वे अभी भी स्पष्ट नहीं हैं। यह कहना समय से पूर्वमात्र होगा कि यह हमारे हित को प्रभावित करेगा, क्योंकि किसी दूसरे देश में एक विधान पारित किया गया है। इसलिए ऐसा कहना सही नहीं है।

मैं केवल चार महत्वपूर्ण चिंताओं का उल्लेख करूंगा जिन्हें हमें ध्यान में रखना होगा। प्रथम, विदेश मंत्री ने ठीक ही कहा है कि यह विधेयक संयुक्त राज्य का आंतरिक मामला है। तथापि अमरीकी प्रशासन ने हमारी सरकार को आश्वासन दिया है कि वे हमारी समस्त चिंताओं को दूर कर देंगे, जब हम समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। बाल अब राष्ट्रपति बुश के पाले में है। यह उनके और उनकी टीम के ऊपर है कि वह ऐसे समझौते का मसौदा तैयार करें जो पर्याप्त रूप से हमारी आवश्यकताओं को पूरा करें। इसी स्तर पर हमारे वार्ताकारों को भारत के लिए सर्वोत्तम समझौते हेतु प्रयास करना चाहिए। उन ब्यौरों पर अभी चर्चा करना समयपूर्व होगा। हालांकि भारत में सरकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियों के संबंध में संसद की स्वीकृति लेने की कोई संवैधानिक आवश्यकता नहीं है, तथापि ऐसी आशा करना अनुचित नहीं होगा कि संसद द्वारा उजागर की गई चिंताओं को सरकार द्वारा ध्यान में रखा जाएगा।

दूसरे, हमें इस समझौते को केवल भारत-अमेरिका की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हमें इसे व्यापक भू-राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। शीत युद्ध युग का द्वि-ध्रुवीय विश्व बहु-ध्रुवीय विश्व में तब्दील हो रहा है। हालांकि अमरीका सैन्य रूप से और आर्थिक तौर पर भी सबसे शक्तिशाली है, तथापि यूरोपीय संघ, जापान, रूस, चीन, ब्राजील और भारत भी शक्तिरोधी केन्द्रों के रूप में विकसित हो रहे हैं। वर्तमान समझौते को अन्य शक्तियों के साथ सुधरते रिश्तों की पहली श्रृंखला के रूप में देखा जाना चाहिए। वास्तव में, माननीय प्रधानमंत्री, की हाल ही की ब्राजील और जापान की यात्राओं और चीन के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के फलस्वरूप इन देशों के साथ अधिकाधिक संपर्क हुआ है। भारत को विश्वव्यापी भू-राजनैतिक खेल में एक प्रभावी खिलाड़ी होने के नाते एक विदेश नीति ईजाद करनी चाहिए।

तीसरा, यह समझौता प्रौद्योगिकी भेदभाव को समाप्त करेगा। भारत को न केवल परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आधुनिकतम प्रौद्योगिकी से वंचित रखा गया है अपितु अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी यह भेदभाव किया गया है। उदाहरणस्वरूप, भारत के कृषि क्षेत्र को मौसम संबंधी भविष्यवाणियों की परिशुद्धता बढ़ाकर काफी लाभ दिया जा सकता था।

अन्ततः हम सबसे खराब स्थिति पर चर्चा करते हैं। मान लीजिए, इस समझौते में किन्हीं शर्तों के कारण भारत को अपनी विदेश नीति या राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में कोई दुविधा होती है तो हम उस समय इन शर्तों पर पुनः वार्ता कर सकते हैं। ऐसा हमने पहले भी सफलतापूर्वक किया है। हमने वर्ष 1991 में लगाई आईएमएफ की कुछ शर्तों जैसे पूर्ण पूंजी लेखा परिवर्तनीयता को पूरा नहीं किया। मैं समझता हूं कि सभा को ज्ञात होगा कि वर्ष 1991 में जब भारत आर्थिक संकट में था और जब हमने आईएमएफ तथा विश्व बैंक के साथ एक समझौता किया था-उसमें कई शर्तें थीं परन्तु हमने वे सब शर्तें नहीं स्वीकार की। आज भी पूंजी परिवर्तनीयता से संबंधित शर्त को हमने पूरा नहीं किया है।

कौन कह सकता है कि वर्ष 1991 के संकट से पहले की तुलना में आज हम आर्थिक रूप से कमजोर हैं? वर्तमान में हमें उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए दरवाजे खोलने तथा अच्छा सौदा करने पर ध्यान देना चाहिए। यदि हमें भविष्य में समझौता तोड़ने की भी आवश्यकता महसूस होती है, तो हमारी स्थिति वर्तमान स्थिति से खराब नहीं होगी जब हमें आवश्यक प्रौद्योगिकी तथा ईंधन आपूर्ति नहीं हो रही है। अतः मेरे विचार से इस मुद्दे को सनसनीखेज बनाना, जल्दी करना होगा। इस मामलों को माननीय प्रधानमंत्री के सुरक्षित हाथों में सौंप दें। वह हमारी चिंताओं का ध्यान रखेंगे। अमरीकी सीनेट में इस विधेयक के पारित होने के बाद संप्रभुता, राष्ट्रीय हित, आर्थिक विकास तथा अन्य बातों से संबंधित चिंताएं दूर हो जाएंगी।

श्री मानवेन्द्र सिंह (बाड़मेर): महोदया, चौदहवीं लोक सभा में बार-बार परमाणु समझौते अथवा लाभ के पद पर चर्चा हो रही है। ये दो मुद्दे बार-बार इस सभा में आए हैं। दोनों मुद्दे इस बात में समान है कि इनमें व्यक्त पहलुओं की बजाय इनमें अनकहे पहलू हैं।

आज प्रधानमंत्री जी ने हस्तक्षेप करके अगस्त में संसद में दिये गये अपने आश्वासन को दोहराया। मैं इसके लिए उनका आभारी हूं। परन्तु जो कहा नहीं गया-तथा जो इस समझौते का महत्त्वपूर्ण निर्धारक है-वह यह बात है कि समाज-जैसा कि हम जानते हैं, सारा विश्व जानता है स्थिर नहीं है। न तो समाज स्थिर हैं और न ही प्रौद्योगिकी स्थिर है। यदि भारतीय निवारक 1998 में एकत्रित आंकड़ों पर आधारित है तथा जिसे आज विश्वसनीय माना जाता है, जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास होता है वही निवारक प्रासंगिक नहीं रहता। वह निवारक प्रौद्योगिकी तथा समाज के विकसित होने पर लागू नहीं होगा। यदि किसी देश को, अपने तकनीकी आधार को अद्यतन रखने के लिए और परीक्षण करने की आवश्यकता होती है, इस निवारक की प्रौद्योगिकी, यह परीक्षण इस समझौते को समाप्त कर देगा।

चाहे आप इस सभा में कोई भी आश्वासन दें, चाहे कुछ भी अनकहा रह जाए, अमरीकी कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो अमरीका को किसी ऐसे देश से संबंध बनाने से रोकता है, जिस देश ने परमाणु उपकरण का परीक्षण किया है। मैं समझता हूं कि भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी क्षति तो यह है कि यदि भारत सरकार देश की भावी पीढ़ियों को ऐसी स्थिति में बांध दे कि किसी भी भावी सरकार को तत्समय उपलब्ध प्रौद्योगिकियों के आधार पर अपने परमाणु निवारक उपायों का परीक्षण, आधुनिकीकरण और उन्हें अद्यतन बनाने की अनुमति न हो और यह अनकहा मुद्दा है जिसकी ओर मैं पहले संकेत कर रहा था।

जहां तक इस अलिखित समझौते का प्रश्न है सबसे महत्वपूर्ण पहलू परीक्षण के प्रति वचनबद्धता है। मैं समझता हूं कि एक समझौता कतिपय कालक्रम के अनुसार चलता है। विधेयक के बाद जिसे आज हाइड एक्ट कहा जा रहा है, वह राष्ट्रपति बुश के हस्ताक्षर करने पर आज या कल एक विधेयक बन जाएगा, भारतीय तथा अमरीकी वार्ताकार मिलकर इसे एक समझौता बना देंगे। अतः आज हमारे सामने अमरीकी तथा भारतीय पक्ष की ओर से किया

[श्री मानवेन्द्र सिंह]

गया प्रस्ताव हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो दोनों प्रस्तावों का विलय किया जाना है। व्यापक रूप से भिन्न इन दोनों प्रस्तावों के विलय की प्रक्रिया में ही चालाकी है। प्रधानमंत्री जी ने सभा को आश्वासन दिया है, आज इस आश्वासन को दोहराया है कि विलय की इस प्रक्रिया में भारत के तीन-चरण वाले कार्यक्रम, भारत के रणनीतिक कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। परन्तु समझौता होने के बाद वह अमरीकी कांग्रेस के पास वापस आएगा क्योंकि जैसाकि माननीय गुरुदास दासगुप्त ने कहा है कि अमरीकी सरकार द्वारा किये गये अंतर्राष्ट्रीय दायित्व, अंतर्राष्ट्रीय संधियां अमरीकी विधि कर्त्ताओं के पास वापस जाती हैं।

जब ये अमेरिकी विधायकों के पास वापस जाते हैं, तो क्या वे उस विधेयक से अलग किसी बात को स्वीकार करेंगे जिस पर वे पहले ही सहमति दे चुके हैं यदि हमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिये गये आश्वासन के आधार पर एक समझौता करना है, यदि हमें भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के आधार पर एक समझौता करना है, तो निश्चित रूप से हाइड एक्ट अपर्याप्त है। यदि हम हाइड एक्ट से बाहर जाते हैं, अमरीकी विधिकर्त्ताओं की 123 समझौते करने की इस घोषित नीति से बाहर जाते हैं, तो जब यह अमरीकी कांग्रेस में वापस जाता है, तब मुझे डर है कि हम इस पूरी प्रक्रिया को पुनः दोहराएंगे। इसके अलावा इस देश के सभी भावी प्रशासनों, सरकारों को परीक्षण न करने की वचनबद्धता में बांध कर हम अपने नागरिक और ऊर्जा कार्यक्रमों को भी इस विधेयक में निर्धारित शर्तों में बांध देंगे। अमरीकी विधिकर्त्ताओं के इस दृष्टिकोण को व्यक्त करने वाले वक्तव्य में पुनः प्रक्रम की प्रक्रिया में भाग लेने का कोई अवसर नहीं है। हम समझते हैं कि वे त्रि-स्तरीय परमाणु कार्यक्रम का समर्थन नहीं करते हैं और जहां कि हम उन शर्तों से बांधे जा रहे हैं, वहां देश के लिए इस सुरक्षा को समाप्त करना क्या उचित है?

विडम्बना देखिए कि 18 जुलाई को जब दोनों सरकारों ने यह समझौता किया था इसकी प्रक्रिया शुरू की। भारत की पवन अधिष्ठापन क्षमता परमाणु अधिष्ठापन क्षमता से अधिक थी। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि भारत की अधिष्ठापन क्षमता में मेरे जिले तथा राज्य का महत्वपूर्ण योगदान है। 18 जुलाई, 2005 से आज तक पवन अधिष्ठापन क्षमता में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। ऐसा इसमें कोई तकनीकी मत कोई नहीं दे सकता कि पवन ऊर्जा परमाणु ऊर्जा से निर्बाध नहीं है, कि किसी अन्य देश के साथ कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता करके पवन ऊर्जा की आपूर्ति को रोका जा सकता है। जबकि इस मामले में भविष्य में किये जाने वाला कोई भी भारतीय परीक्षण इस समझौते को प्रतिबंधित करता है जो हम करना चाहते हैं। भारत-अमरीका मुद्दे से हटकर, यह अमरीकी प्रसासन पर भी जोर डालता है कि वह अन्य सदस्यों पर यह दबाव डाले कि वे भारत के कार्यक्रम को चालू रखने के लिए प्रौद्योगिकियां तथा ईंधन देने से इन्कार कर दें। यह केवल द्विपक्षीय रोक नहीं है जो चिंता का विषय है बल्कि इसके बड़े अंतर्राष्ट्रीय पहलू भी हैं और जैसा कि विधेयक में परिकल्पित है, यदि हम कुछ वाणिज्यिक संधियां करना चाहते हैं, तथा जो विभिन्न रिएक्टर बनाये जाने हैं, वे बन जाते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से जैसा कि मैंने पहले कहा क्योंकि प्रौद्योगिकी का विकास होगा और प्रौद्योगिकी हमें भविष्य में परीक्षण करने पर मजबूर करेगी। वैश्विक परिस्थिति हमें भविष्य में परीक्षण करने पर बाध्य कर सकती है। जब ऐसा होगा इन रिएक्टरों के लिए ये सारी ईंधन, उपकरणों की आपूर्ति जिसके लिए हमें काफी बैंकिंग संबंधी रियायतें देनी होंगी तथा महत्वपूर्ण बीमा रियायतें भारत की जनता की देयताएं बन जाएंगी। मेरे विचार से यह देयता इस देश के परमाणु कार्यक्रम के आधार पर प्राप्त किये गये महत्वपूर्ण रणनीतिक स्वायत्तता को समाप्त करने की बहुत ऊंची कीमत होगी।

महोदया, भारत की परमाणु नीति तथा हथियार संबंधी नीति विश्वसनीय न्यूनतम निवारक पर आधारित है। विश्वसनीय न्यूनतम निवारक एक स्थिर आंकड़ा नहीं है। यह भूमंडलीय परिवर्तनों, क्षेत्रीय परिवर्तनों तथा निकटवर्ती परिवर्तनों के साथ बदलता है। यह परिमित आंकड़ा नहीं है। हमें निवारक का विस्तार करने की आवश्यकता हो सकती है और यदि परिस्थितियों में सुधार होता है तो हम इसे संकुचित करने की स्थिति में भी हो सकते हैं। परन्तु यह छूट हमारे वैज्ञानिकों, हमारे परमाणु योजनाकारों तथा भारत सरकार से छिन जाएगी जब 123 समझौता हम पर लागू हो जाएगा क्योंकि जैसाकि भारत ने बार-बार कहा है कि तब क्या होगा यदि हम संधि पर सहमत होते हैं तथा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता करते हैं, हम इसका उल्लंघन नहीं करते। यदि हमें इस काल्पनिक समझौते का उल्लंघन नहीं करना है, फिर मुझे डर है कि इस अधिनियम के बाध्यकारी पहलुओं के कारण हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों की रक्षा नहीं हो पाएगी। जैसाकि हमने आज देखा है।

सभापति महोदया: श्री अधीर चौधरी बोलेंगे। आपके पास केवल पांच मिनट का समय है।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): महोदया, भारत-अमरीका परमाणु समझौते पर चर्चा विपक्ष के नेता द्वारा शुरू की गई है और विपक्ष के नेता द्वारा विभिन्न भारी भरकम शब्द बोले गए हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि परमाणु प्रसार प्रणाली से निपटने के लिए वर्ष 1945 में हैरी टू मैन, एटली और मैकेंजी की उपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज तैयार किया गया था। उस

समय, भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। वर्ष 1947 में पंडित जवाहर लाल नेहरू की अंतरिम सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में यह दलील दी थी कि यह परमाणु प्रसार प्रणाली भेदभावपूर्ण है और उन्होंने निरस्त्रीकरण की वकालत की थी। इसलिए, अब, यदि कोई हमें उपदेश देने का प्रयास करता है तो मेरे विचार से पहले उन्हें आत्मावलोकन करना चाहिए। इसका कारण यह है कि कांग्रेस दल को लम्बे समय से वैचारिक रूप से वामपंथ की ओर झुकाव रखने वाले दल के रूप में माना गया है। यह भी माना जाता रहा है कि हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अमरीकी साम्राज्यवाद के पिछलग्गू के रूप में कार्य कर रहे थे।

दूसरी तरफ, हम देख रहे हैं कि ड्रैगन चीन बड़ी तेजी से उभर रहा है और अमरीका पहले ही चीन को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र का दर्जा दे चुका है जोकि हमारे पास नहीं है। फिर भी, चीन ने विश्व स्तर पर अपनी चमक और प्रमुखता नहीं खोई है। इसलिए, सुश्री जयललिता द्वारा दिये गये तर्क के साथ इस सभा में कुछ सदस्यों को संशय प्रेरित विश्वास नहीं लाना चाहिए। इसलिए, मैं सभा में यह उल्लेख करना चाहता हूं कि कांग्रेस ही स्वतंत्रता के बाद से विश्व महाशक्ति द्वारा अपनाए जा रहे परमाणु पक्षपात के विरुद्ध संघर्ष करती रही है। भारत ने पहली बार 1954 में परमाणु परीक्षण पर रोक लगाने का आह्वान किया था। भारत ने 1965 में परमाणु अप्रसार पर पक्षपात रहित संधि के समर्थन में तर्क दिया था।

भारत 1978 से परमाणु हथियारों का प्रयोग न करने पर संधि किये जाने के पक्ष में तर्क देता रहा है। भारत 1982 से परमाणु हथियारों का इस्तेमाल बंद करने के पक्ष में वर्ष 1988 में परमाणु हथियारों को पूर्ण रूप से समाप्त करने के समर्थन में तर्क देता रहा है। इसलिए, हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि यह कांग्रेस के नेतृत्व वाली भारत सरकार है जो देश की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के मद्देनजर उत्साहपूर्वक इस स्वतंत्र नीति का पालन कर रही है।

महोदय, मैं श्री मानवेन्द्र सिंह का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि आज जो वह समझते हैं उसे श्री जसवंत सिंह द्वारा नहीं समझा गया था। वर्ष 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद यह उल्लेख किया गया था कि उन्होंने यह कहा था:

"वह भविष्य में स्वैच्छिक विलंबन काल का पालन करेगा और भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करने से बचेंगे। इसने इस घोषणा को विधित: तैयार करने की दिशा में कार्रवाई करने की अपनी इच्छा भी व्यक्त की है। इस तरह सीटीबीटी के इस दायित्व का निर्वहन हो जाता है कि और अधिक परमाणु परीक्षण नहीं किये जाएंगे क्योंकि भारत परमाणु परीक्षण निषेध संधि का पहले से ही अनुमोदन कर रहा है और अब सिर्फ उस पर वास्तविक रूप से हस्ताक्षर करना ही शेष रह जाता है।"

महोदय, यहां में दिनांक 24 सितंबर, 1998 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 53वें अधिवेशन में श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिये गये वक्तव्य का भी उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था:

"यह परमाणु परीक्षण प्रतिबंध वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण का पालन करने की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता में कमी का संकेत देता है। तदनुसार, इस सीमित परीक्षण कार्यक्रम को चलाने के बाद भारत ने आगे के भूमिगत परमाणु परीक्षणों पर स्वैच्छिक विलंबन काल की घोषणा की थी। हमने दायित्वों को विधित: तय करने की दिशा में कार्रवाई करने के लिए अपनी इच्छा से अवगत करा दिया था। विलंबन काल की घोषणा कर भारत सीटीबीटी के मूलभूत दायित्व को पहले ही स्वीकार कर चुका है। वर्ष 1996 में भारत इस कार्य को स्वीकार नहीं कर सकता था क्योंकि इससे हमारी क्षमता घट जाती और हमें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता करना पड़ता।"

इसलिए, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें 1974 से आधुनिक प्रौद्योगिकी से वंचित रखा गया है जिसके कारण हमारे सभी तकनीकी एवं वैज्ञानिक प्रयोग प्रभावित हुए हैं।

अत:, हम अनेक वर्षों से विश्व शक्तियों से यह आग्रह करते रहे हैं कि एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति संपन्न देश होने के नाते प्रौद्योगिकी न दिये जाने की इस व्यवस्था को समाप्त किया जाए। भारत अब रूपान्तरित होकर श्रम शक्ति प्रधान राष्ट्र से विचार शक्ति प्रधान राष्ट्र बन गया है। भारत एक जिम्मेदार देश है जो बड़ी सख्ती के साथ अपनी निर्यात नियंत्रण प्रणाली को बनाए रखे हुए हैं। भारत की विशिष्टता, हमारे देश के आर्थिक विकास और बौद्धिक शक्ति के कारण अमरीका ने हमारी मांग स्वीकार कर ली है और यही हमारी सफलता है। महोदय, मैं विपक्ष के माननीय नेता से कहना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति को धैर्य से काम लेना चाहिए और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।

महोदय, हेरोडोटस ने एक बार और कहा था, मैं उसका उद्धरण देता हूं:

"मुझे इस बात की संतुष्टि है कि लोगों को हमारी कथनी पर कम और करनी पर अधिक विश्वास है।"

[श्री अधीर चौधरी]

हम जो कर रहे हैं वह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के निदेशों पर आधारित हैं और वह हमारी अर्थव्यवस्था के विकास के हित में है और वैश्विक क्षेत्र में अपने देश को महत्वपूर्ण स्थान दिलाने की दिशा में है।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदया, प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया आश्वासन 29 जुलाई, 2005, 27 फरवरी, 2006, 7 मार्च 2006 और उसके बाद दिये गये पहले के आश्वासनों के बाद का है। प्रधान मंत्री द्वारा आश्वासन दिये गये थे कि इस सौदे से असैनिक परमाणु प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूर्णतया आसान हो जाएगा, परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर न करने पर लगाए गए सभी प्रतिबंध उठा लिए जाएंगे तथा यह समझौता भारत के सामरिक परमाणु कार्यक्रम को सीमित नहीं करेगा।

बदले में, भारत अपनी असैनिक परमाणु सुविधाओं को सैनिक सुविधाओं से अलग करने के लिए सहमत हो गया जिसका अर्थ है कि अलग करने का निर्णय पूर्णत: भारत का होगा। परन्तु विधेयक की शर्तें इन आश्वासनों के प्रति संदेह उत्पन्न करती हैं। उदाहरणार्थ, इसमें कुछ ऐसे उपबंध हैं जो स्पष्टतया इस धारणा से अलग करते हैं और भारत की विदेश नीति अमरीकी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाये जाने को बाध्य करने वाले प्रतीत होते हैं। हमारी वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास क्षमताएं आई.ए.ई.ए. के द्वारा हस्तक्षेपशील जांच और अन्य अमरीकी निरीक्षकों के अध्यधीन हो जाती हैं। इस संबंध में अमरीका की कोई अप्रसन्नता भी गंभीर चिंता का विषय है। यदि अमेरिका भारत को अपनी आपूर्ति रोक दे तो क्या होगा? किसी कारण यह परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह को प्रभावित करेगा और ऐसा नहीं है कि भारत किसी अन्य विक्रेता के पास जा सकता है। यह हमारे हित में एक गंभीर रुकावट है। यह भी एक मामला है कि क्या ईंधन प्रसंस्करण, गुरुजल के संवर्धन और उत्पादन संबंधी प्रतिबंध भारत पर उपकरण और प्रौद्योगिकियों के लिए भी उपकरण और प्रौद्योगिकियों के लिए भी जारी रहते हैं या नहीं। एकमात्र राहत यह है कि परमाणु अप्रसार अवरोधक परमाणु ईंधन और रिएक्टरों तक ही सीमित है।

वास्तविक चिंता यह है कि विधेयक में एक खंड है जो यूरेनियम संवर्धन से संबंधित उपकरणों, सामग्रियों अथवा प्रौद्योगिकी के निर्यात तथा व्यवहृत नाभिकीय ईंधन के पुनर्प्रसंस्करण तथा गुरु जल के उत्पादन पर रोक लगाता है। ये सारी बातें चिन्ता का विषय है।

मैं यह भी कहता हूं कि मैं विस्तार से नहीं बोलूंगा-ईरान, चीन और दक्षिण एशिया के बारे में किये गये उल्लेख भी गंभीर चिंता के विषय हैं। जहां तक हमारे अधिकार हमारी विदेश नीति का संबंध है तो यह किसी भी अन्य देश से प्रभावित न होकर अलग होनी चाहिए।

अंत में, मैं यह भी कहता हूं कि कुछ खंड अनुशंसात्मक प्रकृति के हैं। उदाहरणार्थ, बंधक रखे जाने के बारे में खंड हैं जिनका पहले ही विशेष रूप से उल्लेख किया जा चुका है। किन्तु क्या हम यह आशा कर सकते हैं कि क्या अमेरिकी प्रशासन विधायिका की इच्छा का किसी भी प्रकार से विरोध करेगा। यदि वह इसे पारित कर देती है? हमारी यही कुछ चिताएं हैं। मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री ने पहले ही कुछ चिंताओं का विस्तारपूर्वक निरूपण किया है और कहा है कि इनसे सकारात्मक ढंग से निपटा जायेगा। परन्तु जब यह समझौता लागू होगा ये चिंताएं बनी रहेगी।

इसलिए, मैं यह अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में सरकार द्वारा कोई अन्य कदम उठाये जाने से पहले और अधिक आत्मावलोकन करना चाहिए।

श्री खारबेल स्वाईं: सभापति महोदया, मैंने पूर्ण एकाग्रता से माननीय प्रधानमंत्री जी की बात सुनी। मेरी यह अवधारणा सही है कि मीडिया कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आज कल जवाब देना सीख गये हैं। यह बहुत ही अच्छी बात है। यह चालाक राजनीतिज्ञ का परिवर्तन है न कि किसी राजनेता का। वह अब विपक्ष के नेता के विरुद्ध सभा में वैयक्तिक और व्यंग्यात्मक टिप्पणी करना सीख गये हैं। यदि किसी दिन श्री आडवाणी जी इस देश के प्रधान मंत्री बन जाते हैं तो वह प्रधान मंत्री अपने गुणों और योग्यता के बलबूते पर बनेंगे न कि किसी की दया के सहारे ...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: वाद-विवाद को गरिमापूर्म ढंग से चलने दे। हमें इस मुद्दे पर गरिमापूर्ण ढंग से चर्चा करनी चाहिए। अभद्रता से बहस में कोई लाभ नहीं होगा ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: मैं इसी बात को दोहराना चाहता हूं ...*(व्यवधान)* आपको यह बात उनको भी कहनी चाहिए थी जब उन्होंने श्री आडवाणी जी को यह कहा था कि वे श्री अटल बिहारी वाजपेयी की अनुमति से प्रधान मंत्री बन जायेंगे। ...*(व्यवधान)* केवल मुझे ही सलाह न दे ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया, प्रधान मंत्री जी पहले हमेशा यही कहा करते थे, "अगले प्रस्ताव तक प्रतीक्षा करें। प्रतिनिधि सभा के प्रस्ताव की प्रतीक्षा करें; और सीनेट के प्रस्ताव की प्रतीक्षा करें।" किन्तु देश हर बार अविश्वास की स्थिति में रहता है और यह संदेह की स्थिति है।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विपक्ष के माननीय नेता ने जो कहा वह ''सनसनी फैलाने'' वाला है। ये समाचार पत्रों की खबरें हैं। एक शीर्षक कहता है, ''न्यूक्लियर ज्वैल इज अप फोर सेल।'' यह लेख किसने लिखा है? इसे भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष डा. ए. गोपालकृष्णन ने लिखा है। एक अन्य शीर्षक कहता है, ''इंडिया में लूज कंट्रोल ओवर इट्स न्यूक्लियर फ्यूचर।'' यह लेख किसने लिखा? इसे परमाणु ऊर्जा आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री एम.आर. श्रीनिवासन ने लिखा। एक और शीर्षक कहता है, ''नॉट सो फाइन प्रिंट।'' इस लेख को किसने लिखा? इसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि श्री सतीश चन्द्रा ने लिखा है। क्या वे यह कहना चाहते हैं कि ये सभी बातें सनसनी फैलाने वाली हैं। श्री गुरुदास दासगुप्त ने भी कुछ कहा था। यद्यपि हम उनसे सहमत नहीं हैं, क्या यह ''सनसनी फैलाने'' वाला है? यह बिल्कुल भी ''सनसनी फैलाने'' वाला नहीं है। हम केवल अपनी वास्तविक चिंताएं दर्शा रहे हैं और अपनी वास्तविक चिंताओं का उल्लेख कर रहे हैं। इसलिए, प्रधानमंत्री जी को यह नहीं कहना चाहिए कि हम ''सनसनी फैला'' रहे हैं।

हमें प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से बार-बार सूचित किया जाता है, ''123 समझौते की प्रतीक्षा कीजिए।'' हाईड एक्ट 123 समझौते को लागू करने वाला कानून है। यह वाशिंगटन और नई दिल्ली को एक द्विपक्षीय समझौता करने की अनुमति देता है। सरकार के नेता यह कहते हैं कि हाईड एक्ट के माध्यम से अमेरिका चाहे जो भी करे यह उनका आन्तरिक मामला है और इससे भारत पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार बार-बार यही कह रही है।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात जो कही जा रही है कि भारत केवल द्विपक्षीय 123 समझौते से आबद्ध है। यह अन्य किसी बात से आबद्ध नहीं है चाहे यह हाइड एक्ट हो या सीनेट का प्रस्ताव हो अथवा प्रतिनिधि सभा का कोई प्रस्ताव हो।

इस सभा के माननीय नेता, विदेश मंत्री जी ने पिछले सप्ताह इस सभा में स्पष्ट वक्तव्य दिया था कि, ''हाईड एक्ट में कुछ ऐसे विषयेतर और आदेशात्मक प्रावधान हैं जिनका समाधान 123 समझौते के माध्यम से किया जा सकता है।'' हम सोचते हैं कि यह कहना भ्रामक होगा कि 123 समझौता हमारे द्वारा उठाई जा रही सभी चिंताओं का समाधान कर देगा। मैं यह सब इसी वजह से कह रहा हूं। अमेरिका में एटोमिक एनर्जी एक्ट, 1954 है। यह एक व्यापक कानून है जो परमाणु मुद्दों संबंधी अमेरिकी नीतियों को शासित करता है। अध्याय 11, खण्ड 123 में अन्य देशों के साथ समन्वय की बात की गई है। इसीलिए, एटामिक एनर्जी एक्ट, द हाईड एक्ट और द्विपक्षीय 123 समझौता सभी पद सोपान क्रम में एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। पदसोपान क्रम में ये तीनों एक दूसरे के साथ सम्बद्ध है। एटामिक एनर्जी एक्ट के खंड 123 के अंतर्गत कोई भी समझौता अमेरिकन कानून की परिभाषा के अनुसार होगा। इन प्रकार के समझौते पर बातचीत करते समय, अमेरिकी प्रशासन अपने आंतरिक कानून के विरुद्ध नहीं जा सकता तथा अन्तर्राष्ट्रीय समझौते और अमेरिकी कानून में टकराव होने की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय समझौते के बजाय अमेरिकी कानून सर्वोपरि होगा। मैं आपको एक सामान्य सा उदाहरण देता हूं। तारापुर परमाणु संयंत्र को ईंधन की आपूर्ति के लिए भारत ने अमेरिका के साथ ईंधन आपूर्ति समझौता किया हुआ है। किन्तु जब स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1974 में भारत ने परमाणु बम परीक्षण किया था तो तारापुर को की जाने वाली ईंधन आपूर्ति को रोक दिया गया क्योंकि अमेरिकी घरेलू कानूनों के अनुसार प्रयुक्त ईंधन का पुन: चक्रण अनुमेय नहीं है। इसलिए, मैं यहां उपस्थित माननीय विदेश मंत्री के समकक्ष एक प्रश्न रख रहा हूं कि यदि भविष्य में भी ऐसा हुआ और यदि हमसे कहा गया कि क्योंकि आपने नाभिकीय बम का परीक्षण किया है इसलिए हम आपको प्रदान की जाने वाली सभी आपूर्तियों, प्रौद्योगिकियों आदि को बन्द कर रहे हैं तब हमारा क्या होगा? उस स्थिति में हम क्या करेंगे क्योंकि हमारे पास इसका दुखद उदाहरण है जब यह बात तारापुर में हुई थी। इसीलिए, मैं कह रहा हूं कि यदि हाईड एक्ट भारत की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है तो इसे 123 समझौते से पूरा किया जायेगा, मुझे यह सच नहीं लगता है। यह अधिनियम पूर्ण नाभिकीय चक्र समन्वय की अनुमति नहीं देता है। असैनिक परमाणु विद्युत संयंत्रों के लिए 'सुरक्षोपायों में निरन्तरता' के बदले ईंधन आपूर्ति की अवधि की कोई गारंटी नहीं है।

उदाहरण के लिए, अमेरिका अपने नाभिकीय शस्त्र भंडार के आधुनिकीकरण के लिए 'विश्वसनीय प्रतिस्थापन शस्त्र (आरआरडब्ल्यू)' के डिजाइन पर कार्य कर रहा है और यदि आवश्यकता पड़ी तो यह भविष्य में परीक्षण कर सकता है। फिर चीन भी अपने उन्नत डिजायन का परीक्षण कर सकता है। पाकिस्तान भी अपने किन्हीं कारणों से परीक्षण कर सकता है। भविष्य में भारत सरकार पूरी तरह से अपनी रक्षा करने में असमर्थ होगी यदि भारत-अमेरिका समझौते के अंतर्गत इसके हाथ बांध दिये जाते हैं। यह उसी स्थिति में होगा जब भारत आयातित नाभिकीय ईंधन का उपयोग करके आयातित रिएक्टरों की स्थापना करेगा। इसलिए, माननीय विदेश मंत्री के समक्ष मेरा यह मुख्य मुद्दा है। इसलिए वह जब भी प्रत्युत्तर दे तो उन्हें इसके लिए संतुष्ट करना होगा कि हम जो कह रहे हैं वह गलत है।

[श्री खारबेल स्वाईं]

अब, इस ईंधन आपूर्ति का आश्वासन पूरा नहीं होगा। यह भारत की चिंता कम करता है ...*(व्यवधान)* महोदया, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं तीन या चार मिनट में अपनी बात पूरी कर दूंगा। इसलिए आज की चिंता को कम करने के लिए अमेरिका इस बात पर सहमत हुआ कि आपूर्ति में संभावित रुकावट से निबटने के लिए भारत परमाणु ईंधन का पर्याप्त भंडार रख सकता है। अमेरिका द्वारा दिया गया यह पहला आश्वासन था। इसने अन्य परमाणु आपूर्तिकर्त्ताओं से मिलकर भारत को परमाणु ईंधन प्राप्त करने के लिए भी कार्य करने में सहमति जतायी ताकि इसके परमाणु विद्युत स्टेशन अंत तक कार्य कर सकें।

महोदया, 'हाइड' एक्ट ने इस संरक्षण को हटा दिया है। जो आश्वासन हमें दिया गया था, उसे हम वर्तमान के 'हाइड' एक्ट में नहीं पाते हैं। यह आश्चर्यजनक है कि अधिनियम अमेरिकी प्रसासन से परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने के लिए कहता है कि भारत को परमाणु ईंधन की आपूर्ति नहीं मिले, यदि इस अधिनियम में वर्णित कारणों से ऐसा हो तो अमेरिका भारत को परमाणु ईंधन की आपूर्ति रोक दे। इसलिए मेरा विचार है कि भविष्य में वार्त्ता और भी कठिन होने जा रही है। यह विशाल पर्वत पर चढ़ने जैसा है। अब आपको आईएईए से वार्त्ता करनी होगी तथा चीन के परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह से बातचीत करनी होगी। चीन अब कहता है कि वह 45 सदस्यीय गैर परमाणु आपूर्ति समूह का सदस्य है। परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह में प्रत्येक निर्णय सर्वानुमति के आधार पर लिये जाते हैं। चीन ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं परन्तु अप्रत्यक्ष रूप से कहा है कि यह अमेरिका द्वारा दर्शाई जा रही संकीर्णतावाद है; यह उचित नहीं है; यह तटस्थता का प्रश्न नहीं है। यह इस प्रकार है: जब अमेरिका उत्तर कोरिया तथा ईरान पर आपत्ति उठा रहा है तो वह किस प्रकार परमाणु प्रौद्योगिकी की आपूर्ति भारत को कर सकता है जिसके पास भी परमाणु प्रौद्योगिकी है? साथ ही यह अतिरिक्त प्रोटोकोल जो भारत आईएईए के साथ हस्ताक्षर करता है वह मॉडल प्रोटोकॉल 540 पर आधारित होना चाहिए जो परमाणु हतियार सम्पन्न राष्ट्रों पर लागू होता है।

अतएव, अंत में, मैं माननीय मंत्री से इस पर विचार करने का अनुरोध करूंगा। हम भी इस राष्ट्र के पक्ष में हैं। यह कहा जाता है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने राष्ट्र को सूचित नहीं किया, संसद को सूचित नहीं किया। यह इसलिए है क्योंकि अमेरिका के साथ कोई हमारा कोई संयुक्त वक्तव्य नहीं था। हमारे पास कुछ नहीं था। केवल बातचीत चल रही थी। जब हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे थे तब सरकार संसद को क्या सूचित करती? अतएव, वार्त्ता की प्रक्रिया जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय से शुरु हुई उसे यह सरकार आगे बढ़ा रही है। यह इस देश के लोगों के मस्तिष्क में पार्टी तथा राजनीतिक परिदृश्य से ऊपर उठकर अत्यधिक संशय की भावना पैदा करती है। अतएव मैं माननीय मंत्री से अपील करूंगा कि यदि वह ऐसा समझते हैं कि वह इस देश की प्रभुसत्ता का संरक्षण करेंगे तथा देश के स्वतंत्र विचार का संरक्षण करेंगे तो उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए क्या हमारी दुविधा को दूर करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): सभापति महोदया, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने भारत की शक्ति को मजबूत करने के लिए संसद में बहुत अच्छी बात रखने का प्रयत्न किया है। नेता विरोधी दल बोल रहे थे कि अमरीका के साथ जो समझौता हो रहा है, उसके लिए संसद को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आडवाणी जी के सामने ही बताया है कि भारत देश को मजबूत करने का प्रयत्न उनकी सरकार कर रही है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने सेंचुरी लगाने के लिए एक-एक रन न लेकर 10 छक्के और 10 चौकों का सहारा लिया है। आडवाणी जी ने हमारी बैटिंग को उखाड़ने की कोशिश की लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला।

सभापति महोदया, अमरीका भारत के साथ न्यूक्लीयर समझौता करने के लिए तैयार है, यह हमारे लिए अभिमान की बात है। अमरीका बहुत बड़ा देश है और वह भारत के साथ परमाणु समझौता कर रहा है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका गये थे तो प्रेजीडेंट बुश उनके साथ लगातार तीन दिन रहे जबकि इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। यह एक बहुत ही अच्छी बात है। मैं आडवाणी जी से रिक्वैस्ट करूंगा कि हमारी सरकार के बारे में वह बिल्कुल चिन्ता न करें क्योंकि हमारी सरकार जाने वाली नहीं है। कम्युनिस्ट भाई हमारे मित्र हैं, वे हमारा समर्थन करेंगे। उन्हें मालूम है कि हमारी सरकार पांच साल चलनी है। हां, कुछ मतभेद जरूर होते हैं। एन.डी.ए. सरकार में भी थे और हमारी सरकार में भी हैं लेकिन हमारी सरकार सैकुलर है जबकि एन.डी.ए. सरकार में कुछ सैकुलर पार्टियां थीं और कुछ नॉन-सैकुलर पार्टियां थी। हमारी सरकार के घटकों में झगड़ा नहीं होता है और वे सब मिलकर चलते हैं और इस कारण हमारी सरकार पांच साल तक जाने वाली नहीं है।

सभापति महोदया, मैं प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। अमरीका के साथ जो हमारे देश का समझौता होने वाला है, उसके पहले सामने बैठने वाले लोगों ने कहा था कि संसद को विश्वास में लिया जाना चाहिए था।

सायं 6.00 बजे

इसलिए आप हम सब लोगों की चिन्ता मत करिये। आपने हमको कभी नहीं पूछा, लेकिन हम आपको पूछेंगे क्योंकि हमें पांच साल सरकार चलानी है जिसके लिए हमें अपोजीशन की भी आवश्यकता है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अपनी पार्टी से मैं अकेला हूं, इसलिए मुझे समय कम मिलता है लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी ज्यादा समय मिलता है। मैं प्रधान मंत्री जी का एक बार फिर अभिनन्दन करता हूं और आखिर में इतना ही कहना चाहता हूं कि साउथ अफ्रीका में जिस तरह से इंडिया ने जीत हासिल की है और साउथ अफ्रीका को हराया है, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने भी आडवाणी जी की टीम को आज हराया है और हम यह मैच जीत गए हैं। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदया: अभी 6 बजे हैं। इस चर्चा के बाद हमें विश्वविद्यालय से संबंधित तीन लंबित विधेयकों को पारित करना है फिर हम अविलंबनीय लोक महत्व के मामले को लेंगे। यदि सभा सहमत हो, तो हम सभा की बैठक इन मदों को निबटने तक बढ़ा सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य: हां।

सभापति महोदया: मेरे विचार से सभा इस प्रस्ताव पर सहमत है और इसलिए हम सभा की बैठक इन सभी मदों को निबाटने तक बढ़ाते हैं।

अब मैं माननीय मंत्री से उत्तर देने के लिए अनुरोध करती हूं।

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): सभापति महोदया, मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। इस चर्चा में कई मुद्दे उठाये गये हैं। सदस्यों ने राष्ट्रीय हित से संबंधित कई मुद्दों को रेखांकित किया तथा उस दृष्टिकोण पर भी विचार किया जो सरकार इस मामले पर अपना रही है।

सामान्यतया, इस तरह के वाद-विवाद में परस्पर विरोधी दृष्टिकोण आते हैं। यही प्रजातंत्र का मूलमंत्र है। लेकिन साथ ही यह एक प्रकार से राष्ट्र के मानस को दर्शाता है कि किस प्रकार परस्पर विरोधी दृष्टिकोण जो राजनीति में उभरते हैं वह विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की टिप्पणियों से उजागर होते हैं।

जब प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया कि एक व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति है तो उनका मतलब था कि इस संबंध में देश में आम सहमति है कि भारत आगे बढ़े क्या वह प्रौद्योगिकी प्राप्त करे जिससे उसे अब तक वंचित रखा गया था। यदि हमारे वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकीविद के पास यह प्रौद्योगिकी आ जाये तो वे आश्चर्यजनक उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं तथा मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति जो इस सभा में बैठे हुए हैं, इस उद्देश्य से असहमत होंगे। इसी उद्देश्य को लेकर सरकार ने अमेरिका के साथ असैनिक परमाणु सहयोग व्यवस्था की प्रक्रिया की शुरुआत की।

उस वृहत उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 18 जुलाई, 2005 के संयुक्त वक्तव्य, जो इस समझौते की आवश्यक परिसीमाओं के मूल को प्रदर्शित करता है, को सभा पटल पर रखा गया। पृथक्करण योजना, जो तैयार किया गया था अमेरिका इस पृथक्करण योजना में पूरी तरह शामिल था-को भी तथा 2 मार्च, 2006 के समझौते को भी सभा पटल पर रखा गया। तत्पश्चात, प्रधानमंत्री जी ने 17 अगस्त, 2006 के वादविवाद के अपने उत्तर में सभी मुद्दों से संबंधित ब्यौरे दिये।

मैं पहले मुद्दे की चर्चा करूंगा जिस संबंध में विपक्ष के नेता ने काफी जोरदार वकालत की है। उन्होंने इशारा किया कि हमने विदेश नीति को गिरवी रख दिया है, हमने अपनी सुरक्षा को जोखिम में डाल दिया है; पोखरान-तीन तथा पोखरान-चार कभी नहीं होगा। पोखरन-एक तथा पोखरन-दो हो चुके थे। लेकिन विनम्रतापूर्वक मैं इस सभा के विचारार्थ यह प्रस्तुत करना चाहता हूं कि किसने एकपक्षीय अधिस्थगन की घोषणा की। किस वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ा? दूसरे पोखरण विस्फोट के कुछ महीनों बाद ही उन्हें ऐसा किस वजह से करना पड़ा?

यह मई 1998 में हुआ था। वे मार्च 1998 में सत्ता में आए। निश्चय ही एक आम आदमी भी मानेगा कि सब कुछ तैयार था। पिछली सरकार ने कुछ अच्छी वजह से निर्णय नहीं लिया था और उन्होंने वह निर्णय लिया। एक ही बात हम बार-बार और उचित ही दुहराते हैं और हम उस पर कायम हैं कि हां, हमारे पास क्षमता है। इसीलिए, हमने अपना परमाणु विकल्प खुला रखा। हमने वह विकल्प बंद नहीं किया। यही संदेश हमारे युवा प्रधानमंत्री ने

[श्री प्रणब मुखर्जी]

निरस्त्रीकरण सम्मेलन में विश्व समुदाय को दिया था कि हम परमाणु हथियार विनिर्माण की स्थिति में हैं, यदि हम ऐसा चाहते हैं तो। हम बस उस चरण से थोड़ी ही दूर हैं और हम उस दहलीज पर बने रहना चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र बने, यदि परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र तथा दुनिया के अन्य देश पूर्णतः परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए सहमत हो जाते हैं। हमने यही कहा था।

सायं 6.08 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

हमने अपनी क्षमता 1974 में बना ली थी। हम बस थोड़ी ही दूर थे। इसीलिए सत्ता में आने के तीन महीने बाद ही ये ऐसा कर पाए। विपक्ष के नेता ने किस कारण से कहा कि आने वाले समय के लिए पोखरण-III और पोखरण-IV को गिरवी रख दिया गया है? उन्होंने क्या कहा?

24 सितम्बर 1998 के संयुक्त राष्ट्र महासभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था और मैं उसे उद्धृत करता हूं:

"इन परीक्षणों से परमाणु हथियार निरस्त्रीकरण के प्रति भारत की वचनबद्धता के कम होने का संकेत नहीं मिलता। इसीलिए इस सीमित परीक्षण कार्यक्रम को समाप्त करने के पश्चात भारत ने स्वेच्छा से आगे भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट पर अधिस्थगन की घोषणा की है। हम इस दायित्व के विधितः पालन की ओर उन्मुख होने की अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। अधिस्थगन की घोषणा करके भारत ने पहले ही सीटीबीटी का मूल प्रतिबद्धता को स्वीकार कर लिया है। 1996 में भारत उस प्रतिबद्धता को स्वीकार नहीं कर सकता था क्योंकि ऐसी रोक से हमारी क्षमता घटती तथा हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता होता।"

अतएव इन्होंने ऐसा किया और इन्होंने इसे स्वीकार किया। इस वक्तव्य को अगले साल तत्कालीन विदेश मंत्री द्वारा दुहराया गया और आज ये हम पर आरोप लगा रहे हैं कि अब पोखरण 3 और पोखरण 4 नहीं हो सकता है।

आपने स्वयं स्वीकर किया था कि इसका एक मूल उद्देश्य परमाणु निरस्त्रीकरण है। आज भी हमने संयुक्त राष्ट्र में एक पत्र प्रस्तुत किया है कि हम परमाणु निरस्त्रीकरण चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने पहले ही आपको आश्वस्त किया है कि पृथक्करण योजना बनाने का औचित्य क्या है। यदि अमरीका के साथ नागरिक परमाणु समझौते में सामरिक कार्यक्रम भी शामिल होते तो पृथक्करण योजना बनाने का औचित्य क्या था? इसी से पता चलता है कि यह समझौते का भाग नहीं हो सकता जो हम अमरीका के साथ कर रहे हैं। यह बिल्कुल अलग योजना है और निश्चय ही इस कार्यक्रम में उनसे कोई समर्थन की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। हम यह कार्यक्रम जारी रखेंगे; हम अपना सामरिक कार्यक्रम जारी रखेंगे; हम अपना ईंधन और सामग्री जिस चीज की भी आवश्यकता होगी इस्तेमाल करेंगे और इसी कारण प्रधानमंत्री पूर्णतः आश्वस्त हैं कि इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और जहां तक इसका सवाल है इसकी कोई जांच नहीं हो सकती है।

महोदय, कई सदस्यों द्वारा कतिपय अंशों को उद्धृत किया गया है। अत्यंत आदरपूर्वक, मैं कहना चाहूंगा कि यह अमरीकी विधान की पद्धति है, खासकर दो धाराओं के संदर्भ में। लगभग सभी विधान में, धारा 101 विधेयक का सामान्य लघु शीर्षक होता है। धारा 102 और धारा 103 में एक सभा की सहमति की बात करता है तो दूसरे में अमरीका की नीतियों की बात और ये अनुशंसात्मक प्रकृति का है। ये अनिवार्य प्रकृति का नहीं है। यदि इन सिफारिशों में से कुछ के संदर्भ में एफएमसीटी का हवाला आता है, परमाणु हथियार कार्यक्रम का संदर्भ आता है, तो यह अमेरिकी प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि वह कांग्रेस को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराए किन्तु यह मेरी या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएं। वे स्वयं जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं और वास्तव में वे ऐसा कर रहे हैं।

अमेरिकी प्रशासन द्वारा मानव अधिकारों के संदर्भ में, बंधुआ मजदूरों के संदर्भ में, बालश्रम के संदर्भ में कांग्रेस के पास कई रिपोर्ट दी जाती हैं। यह उनकी प्रणाली है। जहां तक हमारा सवाल है। प्रधान मंत्री ने ठीक ठीक बता दिया है कि यह विधेयक क्या है। मैंने ऐसा क्यों कहा कि सामान्यतः हम दूसरे देश के विधान पर टिप्पणी नहीं करते हैं? इस विधेयक का उद्देश्य क्या है? इस विधेयक का उद्देश्य छूट देना है, भारत को छूट देना नहीं, अमरीकी प्रशासन को छूट देना ताकि वे भारत के साथ नागरिक परमाणु कार्यक्रम के लिए समझौता कर सकें। इस छूट की आवश्यकता क्यों थी? इसकी जरूरत इसलिए थी क्योंकि 1954 अधिनियम के अनुसार यदि किसी देश ने परमाणु विस्फोट परीक्षण किया हो तो वे किसी भी परमाणु कार्यक्रम में अमरीका के भागीदार होने से प्रतिबंधित होंगे।

यदि किसी देश में सभी परमाणु व्यवस्थाएं आईएईए के पूर्ण सुरक्षोपायों के अंतर्गत नहीं हैं तो वह देश किसी परमाणु सहयोग

कार्यक्रम के लिए अमरीका का भागीदार बनने के योग्य नहीं है। अमरीकी कानून के हिसाब से यदि किसी देश के पास परमाणु हथियार है तो वह देश अमरीका के साथ नागरिक परमाणु सहयोग की व्यवस्था में भगीदार होने के योग्य नहीं है। अतएव इन छूटों की आवश्यकता थी। इन छूटों के बिना नागरिक परमाणु सहयोग व्यवस्था के संदर्भ में अमरीकी प्रशासन भारत के साथ करार नहीं कर सकता है। अतएव, ऐसा किया जा रहा है।

यह कहते हुए कई प्रश्न उठाये गये हैं: जब इस पर अमरीकी कांग्रेस में चर्चा होती है। यह अंतिम स्थिति नहीं है; जब इस पर अमरीकी सीनेट में चर्चा होती है, यह अंतिम चरण में नहीं है। जब सामंजस्य कांफ्रेंस होता है तब भी आप कह रहे हैं कि यह अंतिम चरण नहीं है। जी हां, यह अंतिम चरण नहीं है। यह प्रक्रिया के विभिन्न चरण हैं। प्रक्रिया अभी पूरी होनी है। उनके अधिनियम की धारा 123 के अंतर्गत बातचीत पुनः शुरू होनी है; और हमने जो बताया है कि हम किस प्रकार अपने हितों की रक्षा करेंगे।

जब प्रधानमंत्री पारस्परिकता की बात करते हैं तो वह क्या कहते हैं? वह कहते हैं कि, 'इससे पहले कि हम सुरक्षोपायों को स्वीकार करें, इस 123 समझौते को अंतिम रूप दिया जाना है।'' यही व्यवस्था है क्योंकि एक बार जब हम सुरक्षोपाय स्वीकार कर लेंगे तो उन आयातित सामग्रियों, उपकरणों और ईंधनों के संदर्भ में ये सुरक्षोपाय स्थायी होंगे। किन्तु हम ऐसा करें उससे पहले हमारी सभी चिंताएं 123 समझौते में प्रतिबिंबित होनी चाहिए जिसे किया जाना अभी शेष है।

एनएसजी (न्यूक्लीयर सप्लायर्स ग्रुप) को भी अपने नियमों, दिशानिर्देशों को संशोधित करना है क्योंकि उनका उन देशों से कोई लेनदेन नहीं होता है जो परमाणु हथियार कार्यक्रम चला रहे हैं।

इसलिए, उन दिशानिर्देशों को भारतीय आवश्यकता के अनुरूप संशोधित किया जाना है। जब हम सुरक्षोपाय और प्रोटोकोल के संबंध में आईएईए के साथ करार करने जा रहे हैं तो वह भारत पर ही केन्द्रित होना चाहिए क्योंकि यह असैनिक परमाणु सहयोग संबंधी करार करने हेतु अपेक्षित एक शर्त है और भारत इस आवश्यकता को पूरा करता है। इसलिए इन करारों को भारत केन्द्रित बनाया जाना चाहिए।

अब कोई यह कह रहा था कि ''इसमें बड़ी बात क्या है?'' यह सच है कि तात्कालिक संदर्भ में परमाणु ऊर्जा हमारी ऊर्जा स्रोतों का एक बड़ा संघटक नहीं है। हमें कोयले, जल विद्युत आयातित हाइड्रोकार्बन पर निर्भर रहना है; और हमें अपने गैर-पारम्परिक ऊर्जा पर निर्भर रहना है। किंतु इसके साथ-साथ पूर्वज्ञेय भविष्य में परमाणु ऊर्जा एक प्रमुख संघटक बनने जा रहा है क्योंकि यह उपलब्ध सर्वाधिक स्वच्छ ऊर्जा है। तेल बाजार में हो रहे उतार-चढ़ाव का सभी को पता है और इसे विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है।

कोई यह कह रहा था कि हमारे पास थोरियम का भारी भंडार है। यह सही है कि कुल थोरियम का 1/3 भाग हमारे देश में है। हमारे देश में थोरियम भंडार का 30 प्रतिशत हिस्सा है।

किंतु सबसे बड़ी बाधा प्रौद्योगिकी की सुलभता है। इस रुकावट को दूर किया जाना चाहिए। यह बात केवल परमाणु ऊर्जा के बारे में ही नहीं है, हमें इस क्षेत्र में से भेदभाव को दूर करना चाहिए। विपक्ष के नेता ने 'भेदभाव' शब्द पर आपत्ति जतायी है। यह भेदभाव है बेहतर बुद्धिमत्ता, प्रतिभा के बावजूद हमारे वैज्ञानिक प्रौद्योगिकियों और उपकरणों की कमी के कारण अपनी पूरी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। क्या हम यह नहीं जानते हैं कि एक सुपर कम्प्यूटर अथवा क्रायोजनिक इंजन प्राप्त करने में हमें कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा था और इससे हमारे कुछ महत्वपूर्ण सामरिक कार्यक्रम किस प्रकार प्रभावित हुए थे? यहां तक कि हमारी पहुंच में दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकी भी नहीं हैं।

अमेरिका की क्या प्रासंगिकता है? एक सदस्य ने इसमें अप्रासंगिक राजनैतिक बातों का समावेश करने की कोशिश की है। इसमें राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक अमेरिका इसे हरी झंडी नहीं दिखा देता और अपना सहयोग नहीं देता है कोई और देश ऐसा नहीं करेगा। कम से कम विपक्ष के नेता को तो यह बात पूरी तरह से पता होनी चाहिए और उन्हें तथ्य का पूरी तरह से पता होना चाहिए क्योंकि वे चालू अवधि के दौरान कम से कम 5-6 वर्षों तक सरकार में रहे थे।

हमें अपनी आवश्यकता के अनुरूप प्रौद्योगिकी, उपकरण और सामग्री को प्राप्त करने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? किंतु क्या इसका यह अर्थ है कि हमें अपने मूल राष्ट्रीय हितों से समझौता कर लेना चाहिए? विपक्ष के नेता का यह कहना है कि भारत की विदेश नीति गिरवी रख दी गई है। मैंने इस बात को अनगिनत बार सुना है। मैं यह नहीं जानता हूं कि संप्रभुता को कितनी बार गिरवी रखा जा सकता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, 1994 में, जब मैंने विश्व व्यापार संगठन संबंधी करार पर हस्ताक्षर किये थे तो एक वरिष्ठ सहयोगी-जिनका मैं नाम नहीं लूंगा-ने इस सभा में यह कहा था कि आपंने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के हमारे संप्रभु अधिकार को बेच दिया है। कुछ वर्षों बाद, जब वे सत्ता

[श्री प्रणब मुखर्जी]

में आए तो उन्होंने इस करार में कोई भी बदलाव नहीं किया और करार को न्यायोचित ठहराने के लिए उन्होंने भी वही तर्क दिए थे जो मैंने सभा में दिये हैं।

अत: इन बातों को हल्के तौर पर न लें। कांग्रेस पार्टी, जिसने अपने लम्बे इतिहास में इस देश की आजादी के लिए संघर्ष किया है, की तो बात ही छोड़िए, कोई भी इस देश की संप्रभुता को गिरवी नहीं रख सकता है। आजादी के बाद भी कांग्रेस को सब तरह की रुढ़िवादी ताकतों से लड़ना पड़ा; और यहां तक कि रूढ़िवादी ताकतों से लड़ने में उन्हें महात्मा गांधी से लेकर इंदिरा गांधी—राजीव गांधी तक अपने बड़े नेताओं की जान तक गंवानी पड़ी। इसलिए वे यह न समझें कि एक कांग्रेसी प्रधानमंत्री देश की संप्रभुता, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता अथवा व्यापक राष्ट्रीय हित को गिरवी रखेगा।

अब विभिन्न विधायी निकायों द्वारा विचार प्रकट करने को ही लीजिए। एक दिन मैं इसे काफी रुचि से देख रहा था, हालांकि मेरा इससे कोई सरोकार नहीं है। किंतु पश्चिम बंगाल के मेरे मित्र शायद उस भाषा को जानने में रुचि रखते हों जिसमें पश्चिम बंगाल विधान सभा ने इराक पर हमले की भर्त्सना करते हुए एकमत से एक संकल्प पारित किया था। यह उनका स्वयं का संप्रभु विधान है। उन्होंने उसे व्यक्त किया है। कई विधायकों ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किये हैं।

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं यह महसूस करता हूं कि हमें गैर-मुद्दों पर अनावश्यक रूप से उत्तेजित नहीं होना चाहिए। मुख्य मुद्दा यह है कि क्या हम उन मानदंडों को कायम रखेंगे जिनका हमने 18 जुलाई और 2 मार्च के वक्तव्य में उल्लेख किया है और जिन्हें हम 123 करार, जिन पर हम हस्ताक्षर करेंगे, में भी स्पष्ट रूप से दर्शाएंगे।

अत: हमारा विकल्प यह होना चाहिए। यदि करार पूरी तरह से नहीं होता है और यदि उसमें हमारे मानदंडों का उल्लेख नहीं होता है तो हम करार नहीं करेंगे। लेकिन हम यह क्यों कहें? हम इसके लिए प्रयत्न क्यों न करें? संसार में हरेक यह समझता है और मुझे विश्वास है कि यदि संयोगवश, सामान्य तौर पर होने की कोई संभावना नहीं है, वे सत्ता में आ गए हैं तो वे इस कार्यवाही जिसे वे कर रहे हैं, के बचाव में यही तर्क देंगे। इसलिए, हमें मुद्दों के इस पहलू पर बात नहीं करनी चाहिए।

यह भी पूछा गया है कि क्या हमारे स्वतंत्र, श्री स्टेज (त्रिस्तरीय) अनुसंधान कार्यक्रम को बरकरार रखा जोगा। इसे बरकरार रखा जाएगा। इसमें रुकावट उत्पन्न नहीं की जा सकती है क्योंकि हमें इसे बचाना है। वे यह क्यों कह रहे हैं कि अमेरिकी प्रसासन ऐसा कह रहा है? यह विधेयक पारित करते हुए भी अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह कहा कि प्रशासन 2 मार्च और 18 जुलाई के वक्तव्यों में भारत को दिये गये वचनों को लागू करेगा। वे इससे भलीभांति अवगत हैं। उन्होंने अपने उस विधान का विश्लेषण किया है जिसे उनकी कांग्रेस ने पारित किया है। जब वे ऐसा कह रहे हैं और जब हम यह करार करेंगे तो हमें इसके लिए इंतजार करना चाहिए। इसमें हर्ज ही क्या है?

हम संसद को अंधेरे में रखकर कुछ भी नहीं करेंगे। हर बार जब यह मांग की गई है कि इस पर चर्चा हो तो हम इस पर तुरन्त तैयार हो गए। मैं समझता हूं कि यह तीसरी या चौथी चर्चा है। यदि जरूरत होगी तो ऐसा किया जाएगा। ऐसा अगली बार भी किया जाएगा। किंतु यदि कोई चर्चा और बातचीत का दायरा बढ़ाना चाहता है, तो अध्यक्ष महोदय मुझे अफसोस है कि ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि संसद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय करारों की अभिपुष्टि की जाए। ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि यह एक बड़ा विषय है। इसके लिए आपको जनादेश की आवश्यकता है। हममें से किसी ने भी यह नहीं कहा कि संविधान में संशोधन करेंगे और इस प्रावधान को संविधान के अंतर्गत लाएंगे। जी हां, कई देशों में यह प्रावधान है। जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का प्रारूप तैयार किया, तब वे इसके बारे में पूर्णतया अवगत थे। उन्होंने इसे शामिल नहीं किया था।

मैं उदाहरण नहीं दूंगा, लेकिन मुझे जानकारी है। मैंने 1995 में किसी समय तत्कालीन विदेश मंत्री की हैसियत से किसी जल विद्युत परियोजना के लिए अपने पड़ोसी देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये थे। लेकिन उस देश की आंतरिक राजनीतिक स्थिति तथा वहां की संसद में विद्यमान स्थिति के कारण 2006 तक इसका अनुसमर्थन नहीं किया गया था। अत:, इन मुद्दों को भी ध्यान में रखना होगा। हमें भावना में बहना नहीं है। हां, यह मांग किये जाने पर कि संसद को विश्वास में लिया जाना चाहिए, संसद को सूचित किया जाना चाहिए और हम इसके लिए पहले से ही तैयार हैं।

वैज्ञानिक समुदाय के बारे में प्रश्न उठाये गये हैं। मुझे यह जानकारी नहीं है कि क्या किसी सरकार ने वैज्ञानिक समुदाय के साथ इतने सुविस्तृत ब्यौरों सहित चर्चा की है अथवा इतनी बार चर्चा की है जितनी कि इस वर्तमान सरकार ने की है। डा. मनमोहन सिंह स्वयं परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य थे, कई वर्षों तक उनके वैज्ञानिक समुदाय के साथ बन्धुत्वपूर्ण संबंध थे। स्वाभाविक रूप से वैज्ञानिक समुदाय कतिपय क्षेत्रों के बारे में

चिंतित हो सकता है। जब भी वे चिंतित होते हैं, उनकी चिंताओं को ध्यान में रखा जाता है। जैसाकि उन्होंने कहा है, मैं यह दुहरा सकता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा जो हमारे घरेलू विकास, घरेलू अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम के मार्ग में बाधक हो सकता है, क्योंकि वही हमारी मूल शक्ति है और हम किसी भी स्थिति में हमारी अर्थव्यवस्था की मूल शक्ति, हमारी राष्ट्रीय परिसम्पत्ति के साथ समझौता नहीं कर सकते।

विदेश नीति के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी सविस्तार बता चुके हैं।

हम ऐसा नहीं मानते हैं कि किसी एक देश के साथ हमारा संबंध किसी अन्य देश के साथ हमारे संबंध पर निर्भर है। हमने इस मान्यता को कभी स्वीकार नहीं किया है। हाल ही में चीन के राष्ट्रपति का काफी सफल दौरा हुआ। चीन के पाकिस्तान के साथ काफी अच्छे संबंध हैं। यह उनके साथ हमारे अच्छे संबंध के निर्माण के मार्ग में नहीं आते हैं। अत:, ये संबंध स्वतंत्र हैं। अगर कोई यह कहना चाहता है कि यह अन्तर्वेधी है, तो मैंने स्वयं यह कहा है कि कतिपय वाक्यांश ऐसे हैं जो विषयेतर और आदेशात्मक हैं। वे इस प्रकार के शब्दों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हमें इसकी चिंता नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुख्य समझौते के मूलपाठ का संबंध है, मैं यह समझता हूं कि मैंने उठाये गये मुद्दों को सामान्य रूप से कवर किया है। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है। मुझे दुहराने की आवश्यकता नहीं है।

अपने विचारों को आपके साथ बांटने का यह मौका देने के लिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय तथा माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

सायं 6.31 बजे

सिक्किम विश्वविद्यालय विधेयक, 2006
त्रिपुरा विश्वविद्यालय विधेयक, 2006
और
राजीव गांधी विश्वविद्यालय विधेयक, 2006

अध्यक्ष महोदय: मद सं. 38, 39 तथा 40 पर हम चर्चा पुन: आरम्भ करते हैं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय अध्यक्ष महोदय, सिक्किम विश्वविद्यालय विधेयक, त्रिपुरा विश्वविद्यालय विधेयक, राजीव गांधी विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इन तीनों विधेयकों के समर्थन में बोलने के लिए मैं आपके बीच में खड़ा हूं।

सायं 6.32 बजे

[**श्री अर्जुन सेठी** *पीठासीन* हुए]

जैसे तमाम सम्मानित सदस्यों के विचार और सुझाव आये हैं खासकर हमारे सम्मानित साथी श्री कीरेन रिजीजू जी ने बड़े विस्तार से पूर्वोत्तर राज्यों के तीनों विश्वविद्यालयों के बारे में अपनी बात रखी है, मैं बल देते हुए उनकी बातों का समर्थन करता हूं। यह बात सत्य है कि पूरे देश में अगर देखा जाये, तो अन्य जगहों पर इस प्रकार के विश्वविद्यालय हैं। अभी बैसीमुथियारी जी कह रहे थे कि हमारे बोडोलैंड में विश्वविद्यालय नहीं है। माननीय मंत्री जी इस पर भी गौर करें कि बोडोलैंड, जो असम में हैं, वह भी पूर्वोत्तर राज्यों में है और हिन्दुस्तान का अंग है। वह आपका बहुत अच्छा प्रदेश है इसलिए वहां भी इस प्रकार के विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए।

यह भी देखा गया है कि चाहे सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश या असम हो, जो भी पूर्वोत्तर राज्य हैं, वहां की अपनी भारतीय संस्कृति, सभ्यता आज भी है। हमें सीख लेनी चाहिए कि जितने भी स्टेट्स हैं, वे ज्यादातर दूसरे देश के बॉर्डर पर बसे हुए हैं। उन्हें संरक्षित, सुरक्षित तथा शैक्षणिक और सांस्कृतिक आधार पर बढ़ावा देना होगा। यदि देखा जाये तो अन्य प्रदेशों की तुलना में वहां साक्षरता दर भी बढ़ी है। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों के हमारे नौजवानों को, पढ़े-लिखे लोगों को अगर हॉयर एजुकेशन लेनी है, तो उन्हें इसके लिए अपने प्रदेश में न पढ़कर अन्य प्रदेशों में जाना पड़ता है। हमारे साथी नकुल दास राई जी इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, नैनी में पढ़े हुए हैं। उन्होंने जब हमें यह बताया कि हम आपके नगर से पढ़कर आये हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई।

आज इस बात की जरूरत है कि अगर पूर्वोत्तर राज्यों में साक्षरता दर अच्छी है, लोग पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें हॉयर एजूकेशन में बड़ी दिक्कत आती है, उन्हें इसके लिए दिल्ली या अन्य प्रदेशों में जाना पड़ता है, इसलिए मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा।

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

आपने तीनों विश्वविद्यालयों के लिए कार्य योजना तैयार की है, इसमें पूर्वोत्तर राज्यों के तमाम साथियों ने अपने विचार रखे हैं। अगर कहीं भी कोई कमी हो, तो उसे पूरा करें ताकि हमारा देश सक्षम देश बने, यहां के लोग पढ़-लिखकर विदेशों में जाएं और हमारे देश का नाम रोशन कर सकें। मैं मांग करूंगा कि पूर्वोत्तर राज्यों के बीच में कम से एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए ताकि वहां के नौजवानों को दूसरे प्रदेशों में न जाना पड़े और वे वहीं पढ़ाई कर सकें। कई तरीके के सब्जेक्ट्स हैं, कई तरीके की टैक्नोलॉजीज हैं, अनेक विषय हैं, उनका अध्ययन करके वे देश की मुख्यधारा से जुड़ सकें। यही निवेदन करते हुए, मैं इन तीनों बिलों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं सिक्किम, त्रिपुरा तथा अरुणाचल प्रदेश में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए इन विधेयकों को लाने के लिए सरकार को, विशेषकर संबंधित मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। ये तीन राज्य उत्तर पूर्व क्षेत्र के हैं, जो कि देश की मुख्यधारा से कटे हुए हैं। इन उत्तरपूर्वी राज्यों को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए इस महान सदन के कई माननीय सदस्यों ने पैकेज की घोषणा किये जाने की इच्छा व्यक्त की थी।

अरुणाचल प्रदेश के माननीय सदस्य ने विधेयक के नाम के मुद्दे पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। त्रिपुरा तथा सिक्किम के लिए विधेयकों के मामले में राज्य के नाम का उल्लेख किया गया है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के मामले में राज्य के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है और विधेयक का नामकरण राजीव गांधी विश्वविद्यालय विधेयक के रूप में किया गया है। इसके लिए राजीव गांधी के नाम का उपयोग क्यों किया जा रहा है? स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के प्रति यथोचित सम्मान रखते हुए मैं अरुणाचल प्रदेश के माननीय सदस्य की भावनाएं भी समझता हूं। अतः, सरकार को इस मामले पर विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए।

असम, मेघालय आदि सहित उत्तर पूर्व क्षेत्र के अन्य राज्यों सहित इन तीन राज्यों के छात्र उच्च शिक्षा से बहुत हद तक वंचित हैं। त्रिपुरा में कोई विश्वविद्यालय नहीं है और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके पास कोई सुविधा नहीं है। अगर त्रिपुरा, सिक्किम अथवा अरुणाचल प्रदेश के छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें कोलकाता, दिल्ली अथवा अन्य शहरों में जाना पड़ता है। यह समाज के मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग तथा गरीब तबकों के छात्रों के लिए काफी खर्चीला हो जाता है। हमारी स्वतंत्रता के इतने वर्ष बीत जाने के उपरांत भी कुछेक अपवादों को छोड़कर काफी संख्या में छात्र उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके हैं। उन्हें उच्च शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। मुझे आशा है कि इस विधेयक से उनकी आकांक्षाएं तथा भविष्य की संभावनाओं की पूर्ति होगी। सरकार को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए।

सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इन तीनों राज्यों में न केवल केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने, बल्कि विभिन्न विषयों को उपलब्ध कराने के लिए यथेष्ट धनराशि का प्रावधान करने के बारे में भी विचार करना चाहिए। इन विश्वविद्यालयों को छात्रों के लिए विभिन्न विषय उपलब्ध कराना चाहिए। विभिन्न विषयों के लिए व्याख्याताओं की व्यवस्था करनी चाहिए, आदि, और इन सबके लिए धन की आवश्यकता है। अतः, सरकार को न सिर्फ इन तीन विश्वविद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए, बल्कि इन तीनों विश्वविद्यालयों के सुचारू रूप से संचालन के लिए पर्याप्त धनराशि का भी प्रावधान करना चाहिए।

चर्चा में भाग लेते हुए मैं एक और बात कहना चाहूंगा। हमारा देश काफी लोकतांत्रिक देश है क्योंकि 18 से 21 आयु वर्ग के छात्रों को भी मताधिकार मिल रहा है। मैंने विधेयक को सावधानीपूर्वक पढ़ा है और मैंने यह पाया कि छात्रों के लिए छात्र संघों के गठन की कोई गुंजाइश नहीं है। छात्र हमारे देश के भविष्य के नेता हैं। श्री चन्द्रप्पन, श्री सुधाकर रेड्डी, श्री हन्नान मोल्लाह जैसे कई वर्तमान वरिष्ठ नेताओं ने अपनी राजनैतिक यात्रा छात्र संघों के माध्यम से शुरू की। न सिर्फ मेरी पार्टी के बल्कि अन्य सभी राजनीतिक पार्टियों के कई नेता छात्र आंदोलन से आए हैं। श्री प्रियरंजन दासमुंशी पश्चिम बंगाल के कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्र नेता थे। तथापि, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन तीनों विश्वविद्यालयों में छात्र संघों के गठन का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। छात्र संघों का गठन करना छात्रों का कानूनी अधिकार है।

लखनऊ में जो भी हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है और हममें से कोई भी इसकी पुनरावृत्ति नहीं चाहेगा। हम लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ द्वारा किये गये दुष्कृत्य का समर्थन नहीं करते हैं। लिंगदोह रिपोर्ट के बाद उन छात्रों को वहां से निष्कासित कर दिया गया। हम छात्र संघ के गठन का समर्थन करते हैं। मुझे आशा है कि सरकार इस मामले पर विचार करेगी। मंत्री जी को अफसरशाहों से मार्गनिर्देश नहीं लेना चाहिए। वे सभी लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित व्यक्ति हैं। वे लोगों के बीच से चुनकर आते हैं। उन्हें छात्रों की भलाई का ध्यान रखना तथा इन विश्वविद्यालयों में छात्र संघों के गठन का प्रावधान करना चाहिए।

सरकार द्वारा इन विश्वविद्यालयों का अधिग्रहण कर इन्हें पूर्ण विकसित विश्वविद्यालयों में बदलने की सरकार की ओर से की गई यह काफी अच्छी पहल है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के पश्चात् देश के इस पिछड़े क्षेत्र में रहने वाले लोगों की उम्मीदें तथा आकांक्षाएं पूरी होंगी। स्वतंत्रता के पहले से ही वे उच्च शिक्षा के अवसरों से वंचित रहे हैं।

सरकार का यह कदम इन क्षेत्रों को देश की मुख्यधारा में लाएगा और इन क्षेत्रों के छात्रों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित सीखने की प्रत्येक विधा में प्रगति करने का अवसर मिलेगा। मेरा मानना है कि इस कानून से इन क्षेत्रों के छात्रों तथा सामान्यत: लोगों की आशाएं और आकांक्षाएं पूरी होंगी।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): सभापति महोदय, इस समय हम सिक्किम विश्वविद्यालय विधेयक, 2006, त्रिपुरा विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 और राजीव गांधी विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 पर चर्चा कर रहे हैं। मैं इन तीनों विधेयकों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

यह अच्छी बात है कि भारत सरकार ने इन तीनों विश्वविद्यालयों को अपने नियंत्रण में लेने तथा उन्हें केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय किया है। जैसाकि हम सभी जानते हैं कि इन तीनों राज्यों सिक्किम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के ये तीनों विश्वविद्यालय तथा कॉलेज, पश्चिम बंगाल के उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। इन विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर अध्ययन हेतु कोई संकाय नहीं है। इसलिए पूर्वोत्तर के छात्रों को स्नातकोत्तर अध्ययन करने में काफी कठिनाइयां हो रही हैं। यद्यपि, इन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा उनकी तकनीकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा अध्ययन की आवश्यकता पूरी नहीं होगी। अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इन विश्वविद्यालयों में भी ये सुविधाएं प्रदान करने पर विचार करे।

हमें पूर्वोत्तर के लोगों को देश की मुख्यधारा में लाना चाहिए। हमें उनकी राष्ट्रीय भावना तथा उनके सांस्कृतिक चिन्हों का सम्मान करना चाहिए। हमें उनका समर्थन करना चाहिए तथा उनकी सहायता करनी चाहिए। इन छात्रों को चिकित्सा शिक्षा मिलनी चाहिए। केन्द्र सरकार को इन तीनों विश्वविद्यालयों में तकनीकी इंजीनियरिंग तथा प्रबंधन कॉलेजों को भी चलाना चाहिए ताकि पूर्वोत्तर के छात्रों को उससे लाभ हो।

मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के लोगों की भावनाएं विश्वविद्यालय को दिये जा रहे नाम से आहत होंगी। सिक्किम और त्रिपुरा विश्वविद्यालयों के नाम उनके राज्य के नामों पर रखे गए हैं जबकि अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का नाम स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है। मैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी का बहुत आदर करता हूं और विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर रखे जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु लोगों की भावनाओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। हमें लोगों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। जैसाकि श्री कीरेन रिजीजू ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश के लोग उनके विश्वविद्यालय को दिये गये नाम से असहज महसूस कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि इस तरह नाम रखकर हम शैक्षणिक क्षेत्र में भी राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं।

यह हमारे लिए, सरकार तथा देश के लिए ठीक नहीं होगा। अत: मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह अरुणाचल प्रदेश के लोगों तथा प्रतिनिधियों के अनुरोधों पर ध्यान दे और विश्वविद्यालय का नाम बदल दें। सरकार को एक और संशोधन करना चाहिए, जैसाकि माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है। मैं उन्हें अपना समर्थन देता हूं तथा सरकार से आग्रह करता हूं कि वह विश्वविद्यालय में उनके राज्य का नाम रखे ताकि उनकी भावनाएं आहत न हों तथा उनकी भावनाओं का सम्मान हो। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय उत्तर देते समय इसका जवाब देंगे।

विभिन्न राज्यों में कोटा है। पूर्वोत्तर के छात्र विभिन्न राज्यों में अध्ययन कर रहे हैं। इन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना से उनकी कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी तथा उनकी शैक्षणिक आवश्यकताएं पूरी होंगी।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान अपने राज्य उड़ीसा से संबंधित मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। यह सही है कि मैं पूर्वोत्तर में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना किये जाने से बहुत खुश हूं। उड़ीसा में भी अभी तक कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। क्या माननीय मंत्री महोदय तथा सरकार उड़ीसा के प्रमुख कॉलेजों अथवा विश्वविद्यालयों में से किसी एक को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने पर विचार करेंगे। उड़ीसा के लोगों की अनेक मांगों में से यह एक मांग है। उनके विश्वविद्यालयों में से किसी एक को केन्द्रीय विश्वविद्यालय माना जाना चाहिए। पहले यह परंपरा तथा मानक थे कि एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय को कतिपय विषयों तथा कतिपय पहलुओं के बारे में विशेष योग्यता प्राप्त होना चाहिए। विभिन्न सरकारें, कतिपय विषय में विशेष योग्यता के साथ केन्द्रीय विश्वविद्यालय चला रही हैं। अब यह बदल रहा है। पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तथा अन्य विश्वविद्यालय कतिपय विषयों में विशेष योग्यताप्राप्त थे।

[श्री बृज किशोर त्रिपाठी]

उड़ीसा में लगभग 36 प्रतिशत जनजातीय जनसंख्या है। अत: मैं सरकार से इस प्रकार के विश्वविद्यालय की स्थापना करने पर विचार करने का अनुरोध करता हूं जो उड़ीसा के जनजातीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करे। जनजातीय लोगों की अलग संस्कृति, परंपरा आदि होती है। सरकार को इस संबंध में उड़ीसा के लोगों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए।

हम इस सभा में बार-बार मांग कर रहे हैं और हमने भारत सरकार से अनुरोध किया है तथा उड़ीसा के सभी संसद सदस्यों ने प्रधान मंत्री महोदय से मिलकर एक राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की स्थापना की मांग की है। परन्तु सरकार ने इस संबंध में राज्य के लोगों से धोखा किया है। पिछली सरकार ने उड़ीसा में भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान जैसे एक केन्द्रीय संस्थान की स्थापना करने का निर्णय किया था परन्तु इसे देश के किसी अन्य भाग में स्थानांतरित कर दिया गया है। हमने इस पर आपत्ति नहीं की। परन्तु हमारी मांग है कि सरकार को एक राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान खोलने पर भी पुनर्विचार करना चाहिए। हमें खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने परमाणु ऊर्जा मंत्रालय के तत्वावधान में भुवनेश्वर में एक विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने के बारे में कुछ घोषणा की थी। मेरी समझ में नहीं आता कि अभी तक संस्थान के बारे में कोई निर्णय क्यों नहीं लिया गया जबकि प्रधानमंत्री महोदय अगस्त में भुवनेश्वर में इसकी घोषणा कर चुके हैं। सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है कि परमाणु ऊर्जा मंत्रालय संस्थान को किस प्रकार चलाएगा तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसकी स्थापना क्यों नहीं की जा रही जबकि, वह इस विषय से संबंधित मामलों को देखता है।

मुझे समझ नहीं आता कि परमाणु ऊर्जा मंत्रालय इस संस्थान की स्थापना कैसे करेगा। अभी तक कुछ नहीं किया गया है। सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। जहां तक मुझे पता है, कोई वित्तीय व्यवस्था अथवा बजटीय व्यवस्था नहीं की गई है। इस बारे में कुछ भी नहीं किया गया है। माननीय मंत्री महोदय इस सभा में तथा अन्य सभा में अपने उत्तर में कह चुके हैं कि इस प्रकार के संस्थान की स्थापना करने का उनका कोई कार्यक्रम नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि अगस्त में भुवनेश्वर में इस संबंध में प्रधानमंत्री महोदय की घोषणा के बाद ऐसा कैसे कह सकते हैं और मानव संसाधन विकास मंत्रालय कैसे कह सकता है कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव उनके पास नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि इस बारे में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री जी की घोषणा के अनुसार परमाणु ऊर्जा मंत्रालय को इस संस्थान की स्थापना करनी थी। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को वर्तमान सत्र में, दोनों सभाओं में यह उत्तर नहीं देना चाहिए था कि मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि वास्तविक स्थिति क्या है, विशेषकर जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय इस बारे में घोषणा कर चुके हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार द्वारा भुवनेश्वर में ऐसे किसी संस्थान की स्थापना की जाएगी अथवा नहीं।

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व): सभापति महोदय, मैं यहां से बोलने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं।

मैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और त्रिपुरा की जनता की ओर से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री को सलाम करता हूं जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और त्रिपुरा में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्वीकृति देकर पूर्वोत्तर राज्य की जनता और विशेषकर वहां की युवा पीढ़ी के लिए वास्तव में एक सराहनीय कार्य किया है।

पिछली बार हमने पुरजोर तरीके से अपनी बात कही थी और माननीय मंत्री श्री अर्जुन सिंह जी ने हमें यह आश्वासन दिया था कि वे संसद के आगामी सत्र में इस संबंध में विधेयक लाएंगे। अत: वे ये विधेयक लेकर आए हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की जनता की ओर से उनका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं।

हम पूर्वोत्तर राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं: हम जैसे माननीय सदस्यों को उस समय परिणामों को भी भुगतना पड़ता है जब पूर्वोत्तर राज्यों के लड़के-लड़कियों को दिल्ली और देश के अन्य महानगरीय शहरों के विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन तीनों राज्यों में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की स्वीकृति मिलने के बाद कम से कम हमारी युवा पीढ़ी और भावी पीढ़ी इन तीनों विश्वविद्यालयों की सुविधाएं प्राप्त कर सकेगी। पूर्वोत्तर राज्यों के लड़के और लड़कियों के लिए यह एक महान अवसर है।

मैं पूरे आदर और तहेदिल से यह बात कह रहा हूं कि हम हमारे संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रियरंजन दासमुंशी का वास्तव में बहुत सम्मान करते हैं और अब मैं मुद्दे की ओर ध्यान आकृष्ट करता हूं। श्री शैलेन्द्र कुमार ने पूर्वोत्तर की तीन संस्थाओं का नाम लिया था। इससे राज्यों के भौगोलिक स्थानों का पता चलता था उन्होंने उन राज्यों के विश्वविद्यालयों का नाम सिक्किम विश्वविद्यालय और त्रिपुरा विश्वविद्यालय रखा लेकिन अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में इसका नाम राजीव गांधी विश्वविद्यालय रखा। इस विधेयक में

अरुणाचल प्रदेश राज्य का नाम ढूंढ़ने के लिए आपको 2-3 पेज पलटने पड़ते हैं। हम राजीव गांधी जी का सम्मान करते हैं। वे इस देश के युवा प्रधानमंत्री थे, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं देश और अरुणाचल प्रदेश की जनता राजीव गांधी को बहुत प्यार करती है, ऐसा कोई भी नहीं है जो उनका सम्मान न करता हो।

लेकिन इस विशेष मामले में जब उन्होंने इस विश्वविद्यालय का नाम राजीव गांधी रखा तो किसी की भी अरुणाचल प्रदेश राज्य का नाम ढूंढ़ने के लिए इस विधेयक के 2-3 पेज पलटने पड़ते हैं। वास्तव में इससे अरुणाचल प्रदेश की जनजातीय जनता की भावनाओं पर प्रभाव पड़ता है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं वहां पर "राजीव गांधी" का नाम नहीं होना चाहिए। मैंने और मेरे सहयोगी श्री कीरेन रिजीजू ने इसमें संशोधन करने के लिए नोटिस भी दिये हैं। यदि आपको लगता है कि इस नाम को हटाने से उनका अनादर होगा तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप विधेयक के नाम में "राजीव गांधी" के बाद 'अरुणाचल' शब्द जोड़ दें। हम इसे "राजीव गांधी अरुणाचल विश्वविद्यालय" कह सकते हैं।

हम माननीय संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हैं। बौद्ध उत्सव के दौरान जब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने तवांग का दौरा किया था तो उन्होंने कुछ कहा था और हमें श्रीमती सोनिया गांधी जी की आवाज सुनकर वास्तव में बहुत खुशी हुई थी उन्होंने कहा था:

"हम आपके हैं और आप हमारे हैं।"

इसलिए जब अरुणाचल प्रदेश की जनता को जहां ऐसा वक्तव्य सुनकर गर्व का अहसास होता है वहीं जब इस विश्वविद्यालय का नाम 'अरुणाचल' शब्द के बिना रखा जाता है तो इससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं और यह बौद्ध उत्सव के दौरान श्रीमती सोनिया गांधी जी द्वारा दिये गये वक्तव्य के विपरीत है। अतः मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से हमारे छात्र संघ की भावनाओं को देखते हुए और अरुणाचल प्रदेश के राजनेताओं की भावनाओं को देखते हुए तथा अरुणाचल प्रदेश की आम जनता की भावनाओं को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से संबंधित विधेयक के नाम में "राजीव गांधी" के बाद "अरुणाचल" शब्द जोड़ने का अनुरोध करता हूं। इस विश्वविद्यालय की भौगोलिक स्थिति का उल्लेख करने से वहां की आम जनता को प्रसन्नता होगी।

महोदय, यदि इस विधेयक का प्रारूप इसी आधार पर तैयार किया जाए तो यह बहुत अच्छा होगा। इसे इस आधार पर तैयार नहीं किया गया है लेकिन इसे दिल्ली में बैठे हुए अधिकारियों अथवा मंत्रालयीन कर्मचारियों द्वारा तैयार किया गया है। इस विधेयक में एक बात बड़ी आश्चर्यजनक है जिसका मैं यहां पर उल्लेख करना चाहता हूं। खंड 4 में नाम का उल्लेख "राजीव गांधी विश्वविद्यालय", ईटानगर के रूप में किया गया है। लेकिन इस विश्वविद्यालय का वास्तविक स्थान "रोनो हिल" है जोकि ईटानगर से 30 किलोमीटर दूर है। विधेयक के अनुसार अरुणाचल प्रदेश सरकार को सभी स्ट्रक्चरों को ईटानगर में अंतरित करना होगा। इसलिए 'ईटानगर' के स्थान पर 'रोनो हिल' शब्द लिखा जाना चाहिए। अन्यथा, यदि आप अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, ईटानगर में कोई पत्र या किसी आदमी को भेजेंगे तो उसे इस विश्वविद्यालय को ढूंढ़ने के लिए 30 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। इसलिए, उस विश्वविद्यालय के वास्तविक पते के लिए 'ईटानगर' के स्थान पर 'रोनो हिल' शब्द लिखा जाए, जहां पर कुछ हद तक इस विश्वविद्यालय की अवसंरचना की स्थापना की गई है।

इस विधेयक के खंड 8 के अतिरिक्त हाल ही में पारित विधेयक के खंड 4 नामतः सेन्ट्रल एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन्स रिजर्वेशन इन एडमिशन बिल, 2006 के उपबंधों को जोड़ा जाए। इससे इस संस्थान की आरक्षण और नीतियों के बारे में काफी कुछ पता चलेगा। इसे विश्वविद्यालय विधेयक के खंड 8 के बाद जोड़ा जाए।

हमें केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है चाहे वह त्रिपुरा हो या सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश में लेकिन हमें केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की भावनाओं को प्राप्त करने की आवश्यकता है। अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी हिस्से के आंतरिक हिस्सों में तत्काल इस देश का कानून पहुंच जाएगा लेकिन देश के इस हिस्से का विकास नहीं हुआ है। इसलिए इन तीनों विश्वविद्यालयों में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की सच्ची भावनाएं दी जानी चाहिए ताकि हमारे लड़के और लड़कियों को अन्य विषयों की पढ़ाई के लिए देश के महानगरीय शहरों में यहां-वहां न भागना पड़े।

मैं दो संस्थाओं का उल्लेख करना चाहूंगा। अरुणाचल प्रदेश का पहला महाविद्यालय मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आता है। उस महाविद्यालय का नाम जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय है जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी। अब आपको विश्वास नहीं होगा कि अभी भी लड़के और लड़कियों के कुछ छात्रावास कुछ सामान्य से भवनों में स्थित हैं। हमारे माननीय मंत्री जी ने भी इस संस्था का दौरा किया है। हमें वास्तव में बहुत दुख होता है जब हम इस देश के निर्माता पं. जवाहर लाल नेहरू के साथ भयादोहन (ब्लैकमेलिंग) करते हैं। लेकिन अभी भी अधिकतर छात्रावासों को लकड़ी की सामग्री से एक सामान्य से भवन में बनाया गया है।

[श्री तापिर गाव]

यह उस व्यक्ति का अनादर है जिसके नाम पर इस महाविद्यालय का नाम रखा गया है।

मेरे संसदीय क्षेत्र में एक अन्य महाविद्यालय है, यानि कि इंदिरा गांधी महाविद्यालय। मुझे उस संस्था का दौरा करने में हिचकिचाहट होती है क्योंकि मेरे एक अध्यापक, जिन्होंने मुझे पालीघाट महाविद्यालय में पढ़ाया था वह आज उस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। जब मैं इंदिरा गांधी महाविद्यालय, तेजू गया तो मैंने पाया कि उस संस्था में कोई छात्रावास सुविधा नहीं है। महाविद्यालय के छात्रों ने स्वयं सहायता आधार पर महाविद्यालय के प्रांगण के इर्द-गिर्द पत्तियों और बांसों से कुछेक साधारण भवननुमा झोपड़ियां बनाई हैं। अरुणाचल प्रदेश में यह स्थिति है।

सायं 7.00 बजे

महोदय, हमें विश्वविद्यालय का नाम राजीव गांधी के नाम पर किये जाने के बारे में कोई परेशानी नहीं है लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया इसमें ''अरुणाचल प्रदेश'' जोड़ दें। अन्यथा, इस विश्वविद्यालय का भी वही हश्र होगा जो स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जैसे महान अंतर्द्रष्टाओं के नाम पर रखे गए महाविद्यालयों का हुआ है। इसमें वे सभी अपेक्षित सुविधाएं होनी चाहिए, जो बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय जैसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय में मौजूद हैं। मुझे उस विश्वविद्यालय का दो बार दौरा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यदि इस विश्वविद्यालय को सभी सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती हैं तो इसका भी वही हश्र होगा जो स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू और स्वर्गीय इंदिरा गांधी के नाम पर अन्य दो महाविद्यालयों का हुआ है।

महोदय, मैं एक अन्य मुद्दा उठाना चाहता हूं। यदि इस संस्था को स्वायत्त शक्ति दी जाती है तो यह अपने कार्यकलाप स्वतंत्र रूप से चलायेगी। किंतु विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऐसा अक्सर देखा गया है कि चाहे त्रिपुरा हो अथवा सिक्किम अथवा अरुणाचल प्रदेश हो, समुचित निगरानी का अभाव है और विकास, शिक्षा देने और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में जवाबदेही का अभाव है। अत: इन संस्थाओं में निगरानी तंत्र को सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है, अन्यथा यूजीसी के प्रतिनिधि इन स्थानों का दौरा नहीं करेंगे। अत:, विश्वविद्यालय की प्रबंधन को पर्याप्त रूप से मजबूत बनाना होगा।

महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को पुनः स्मरण कराना चाहता हूं कि ''राजीव गांधी'' के नाम से कोई भी इसे भौगोलिक रूप से नहीं ढूंढ़ पाएगा और इसलिए ''अरुणाचल प्रदेश'' शब्द का जोड़ा जाना अत्यधिक सहायक होगा और यह अरुणाचल प्रदेश के लोगों की भावनाओं को शांत करने में भी सहायक होगा।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं आपका एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रादन किया। आज संसद में त्रिपुरा विश्वविद्यालय विधेयक, 2006, सिक्किम विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 और अरुणाचल प्रदेश में राजीव गांधी विश्वविद्यालय खोलने हेतु राजीव गांधी विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 रखा गया है। यहां पर श्री राजीव गांधी जी के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे हैं। नॉर्थ-ईस्ट में ये इलाके बहुत उपेक्षित रहे हैं। वहां इतनी बड़ी तादाद में पढ़ने वाले लोगों की संख्या है लेकिन विश्वविद्यालय नहीं हैं और जो हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब है। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अच्छा निर्णय है क्योंकि ये उपेक्षित इलाके रहे हैं और इसे देखते हुए यह बहुत उचित कदम है कि वहां राजीव गांधी विश्वविद्यालय की स्थापना करने जा रहे हैं। यह केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, हम इसका पूर्णतया समर्थन करते हैं लेकिन हम यह समझते हैं कि अभी भी ऐसे कई राज्य हैं जहां केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने की आवश्यकता है। आपने इसमें कारण बताया है कि इन तीन राज्यों में राज्य सरकार पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं करा पा रही है इस वजह से उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। वहां के बच्चे शिक्षा के लिए दिल्ली, बांग्लादेश या दूसरी जगह पर जाते हैं, वहां के साधारण परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है, उनके बच्चे दिल्ली में आकर पढ़ें, उच्च शिक्षा हासिल करें यह आम परिवार के लिए संभव नहीं है। आपने बहुत ठोस निर्णय लिया है, मैं इसकी जितनी ताईद करूं वह कम होगी। बिहार प्रदेश में भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान बिहार की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि निश्चित तौर पर बिहार हर मामले में पिछड़ा हुआ है। हमेशा से हम यह मांग करते आ रहे हैं और बिहार की अवाम की तरफ से भी यह मांग उठती रही है कि उसे विशेष दर्जा दिया जाए। बिहार की प्रोग्रैस के लिए, उसके उत्थान के लिए मैं समझता हूं कि समय-समय पर सरकार ध्यान भी देती रही है, लेकिन बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए आज बिहार की स्थिति ठीक नहीं हैं। बिहार का अपना एक इतिहास रहा है। आपने

नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा। दुनिया के लोग वहां शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। उसकी अपनी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। यह वही बिहार है, जहां वैशाली से लिच्छवी गणतंत्र का जन्म हुआ था और पूरी दुनिया में यह डैमोक्रेसी गई। लेकिन उस बिहार की आज क्या स्थिति है। आप स्वयं भी उस प्रदेश से आते हैं, जहां की हालत इतनी खराब है। हमारा और आपका प्रदेश भाई थे, सब एक थे। लेकिन सब अलग-अलग हो गये। पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा सब एक जगह थे। लेकिन समय के साथ सब अलग हो गये और आज सबकी हालत खराब है। बिहार राज्य से झारखंड के अलग होने के बाद हमारी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई है। हम अपने विश्वविद्यालय के माध्यम से बिहार के मेधावी छात्रों को प्रोपर शिक्षा नहीं दे पाते हैं। मैं खास तौर से आपको पटना विश्वविद्यालय के बारे में बताना चाहता हूं कि उसकी अपनी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। वर्षों से उसका अपना एक रुतबा और पहचान रही है। उस विश्वविद्यालय ने एक से एक विद्वान लोगों को पैदा किया है। वर्षों से हम बिहार के लोग इस बारे में मांग करते आ रहे हैं। मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूं। यदि आप बिहार के पिछड़ेपन, वहां की गरीबी और फटेहाली को दूर करना चाहते हैं, वहां की उच्चतर शिक्षा को मजबूती प्रदान करना चाहते हैं, यद्यपि बिहार की माध्यमिक शिक्षा को मजबूती प्रदान करने के बारे में माननीय मंत्री कई उपाय कर भी रहे हैं। मगर वहां जो उच्चतर शिक्षा प्रदान करने वाला पटना विश्वविद्यालय है, उसकी तरफ मंत्री जी का ध्यान नहीं गया है। हमने इस बारे में कई बार सदन में मांग की है और वर्षों से यह मांग करते आ रहे हैं कि पटना विश्वविद्यालय को भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। लेकिन सरकार द्वारा उसकी तरफ कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया गया है। माननीय मंत्री जी अभी यहां नहीं हैं। श्री अर्जुन सिंह जी जब पटना गये थे तो वहां डी.एन. कालेज का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा था। उन्होंने वहां आश्वासन दिया था। लेकिन आज तक उस आश्वासन को वह पूरा नहीं कर पाये हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा राजीव गांधी के नाम पर ही दे दीजिए। हम उसका स्वागत करेंगे। राजीव गांधी का देश के प्रति बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, वह हमारे बड़े नेता रहे हैं। आप उन्हीं के नाम से केन्द्रीय विश्वविद्यालय दे दीजिए। आप बिहार को विशेष दर्जा तो देते रहिये, लेकिन जो शैक्षणिक रूप से पिछड़ा प्रदेश है, उसे अपलिफ्ट करने के लिए कुछ सहायता करने का काम कीजिए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप वहां केन्द्रीय विश्वविद्यालय देने की कृपा कीजिए।

माननीय मंत्री जी आप स्वयं बिहार से हैं। बिहार के प्रति आपका दर्द है और मैं समझता हूं कि पूरे सदन को दर्द होगा। चाहे इस पक्ष के लोग हों या उस पक्ष के लोग हों। संसदीय कार्य मंत्री, दादा दासमुंशी जी भी यहां बैठे हैं। श्री कपिल सिब्बल जी भी पटना को रिप्रज़ैन्ट कर चुके हैं, मगर चुप बैठे हैं। आप कुछ कीजिए। ...*(व्यवधान)*

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): आज सुबह हो गया।

श्री राम कृपाल यादव: उसके लिए आपको बधाई।

सभापति महोदय: राम कृपाल जी, आप अपनी बात खत्म करिए, टाइम बहुत कम है।

श्री राम कृपाल यादव: सर, मैंने अभी प्रारम्भ ही किया है। मैं उड़ीसा के बारे में भी कह रहा हूं कि वहां भी एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय दिया जाए। वहां की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और वहां के बच्चे भी ठीक ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं। हम आपके पक्ष में भी खड़े हैं। हमने पहले ही कहा है कि जिन राज्यों की माली हालत ठीक नहीं है, वहां के बच्चे कैसे विश्वविद्यालयों में पढ़ेंगे। हमारे यहां के विश्वविद्यालय में अच्छी लैबोरेटरी नहीं हैं, वाचनालय नहीं है और बिल्डिंग भी बहुत खराब हो गई है। वहां बहुत मेधा रखने वाले शिक्षक और छात्र हैं। ऐसी बात नहीं है, आप भी पटना विश्वविद्यालय के विषय में जानते हैं। मेरी सरकार से करबद्ध प्रार्थना है कि वह तीन प्रदेशों अरुणाचल, त्रिपुरा और सिक्किम को केन्द्रीय विश्वविद्यालय प्रदान कर रही है। नॉर्थ ईस्ट का यह बैकवर्ड इलाका है ...*(व्यवधान)* जहां-जहां नहीं दिया है, सब जगह दीजिए, लेकिन पटना को जरूर दीजिए। इसके लिए बिहार का हक बनता है। इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देकर उसके साथ न्याय करने का काम कीजिए। जो पिछड़ा प्रदेश है जहां के बच्चे बहुत प्रतिभा रखते हैं। आप राष्ट्रीय स्तर पर आकलन कर लीजिए। आप देखेंगे कि पटना विश्वविद्यालय का एक से बढ़कर एक लड़का कहीं आईएएस है, कहीं इंजीनियर है तो कहीं साइंटिस्ट है और दुनिया में नाम कर रहा है लेकिन मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए कठिनाई हो रही है। मैं विश्वास करता हूं कि माननीय मंत्री जी जब आप जवाब दीजिएगा तो सकारात्मक जवाब दीजिएगा और पूरा सदन आपको इसके लिए बधाई देगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपने अपनी बात कह दी है, अब समाप्त कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव: इसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। सर, मैं समर्थन तो कर दूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: ठीक है। आपने समर्थन भी कर दिया है। आपने पटना के बारे में भी बोला। अब अधीर चौधरी जी बोलेंगे।

श्री राम कृपाल यादव: सर, आपका सहयोग और संरक्षण चाहिए।

सभापति महोदय: मैंने तो आपको सहयोग दिया है।

श्री राम कृपाल यादव: सर, आप मंत्री जी को कहिए कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय पटना में खुले। लोगों की मांग है और बिहार के लोगों के साथ न्याय कीजिए।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): महोदय, मैं इन तीन विधेयकों अर्थात् त्रिपुरा विश्वविद्यालय विधेयक; सिक्किम विश्वविद्यालय विधेयक और राजीव गांधी विश्वविद्यालय विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

आपको मालूम ही है कि हमारे देश का पूर्वोत्तर क्षेत्र सामरिक महत्व का क्षेत्र है। अत:, हमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के संबंध में हर प्रकार से विशेष बल देने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक सम्पदाओं, जैव-विविधताओं और जल परिसंपत्ति का प्राचुर्य है। किंतु यह कहना खेदजनक है कि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि निचले स्तर पर नहीं पहुंच पातीं, जिससे कई बार व्याप्त रोष भड़क उठता है। नस्ली पहचान की अभिव्यक्ति संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है।

बंटवारे के पश्चात्, संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र चारों ओर भूमि से घिरे हुए क्षेत्र में तब्दील होकर रह गया है। अत:, संचार, शैक्षणिक और अन्य सुविधाओं के अभाव में अलगाववादी तत्व कई वर्षों से इस विशिष्ट क्षेत्र में अपनी अलगाववादी गतिविधियां चला रहे हैं।

जहां तक त्रिपुरा विश्वविद्यालय विधेयक का संबंध है, इस विधान का कथित उद्देश्य पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराना है क्योंकि त्रिपुरा संसाधन में कमी से जूझता रहा है। इसलिए यह केन्द्र सरकार की उदारता है, जो पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराना चाहती है ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में विद्यमान शैक्षिक असंतुलन को समाप्त किया जा सके। इस संबंध में, केन्द्र सरकार त्रिपुरा विश्वविद्यालय को पहले ही केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे चुकी है। विश्वविद्यालय की वित्तीय आवश्यकता का प्रतिवर्ष अनुमान गैर-आवर्ती खर्चों के लिए 38.27 करोड़ रु. और आवर्ती खर्चों के लिए 9.82 करोड़ रु. रखा गया है। त्रिपुरा एक बहुत ही छोटा राज्य है। इसकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। सीमा के सटे होने की वजह से कई वर्षों से घुसपैठ की घटनाएं जारी हैं। त्रिपुरा एक ऐसा क्षेत्र है, जो अनेक वर्षों से नस्लीय संघर्ष से ग्रस्त है। मैं समझता हूं कि संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र का शैक्षिक एकीकरण अलगाववादी गतिविधियों के असर को ठोस तरीके से रोक पाएगा क्योंकि संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनेक नस्लीय जातियां, अनेक जनजातियां कई वर्षों से रह रही हैं। अत:, उस विशिष्ट क्षेत्र में नस्लीय पहचान सुस्पष्ट है। नस्लीय लोगों के बीच उभरता रोष कभी-कभार भड़ककर नस्लीय संघर्ष का विस्फोट कर देता है।

इसलिए, शिक्षा संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक एकीकरण कर देगी और उसे सांस्कृतिक, शैक्षिक और बौद्धिक रूप से एकीकृत कर देगी, जो अन्ततोगत्वा उस क्षेत्र में स्थिति सामान्य करने में सहायक होगा। जो अनेक वर्षों से विभिन्न पहलुओं से संवेदनशील रही है। संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र भूकंप प्रवण क्षेत्र है। मैं सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव करता हूं कि उन विश्वविद्यालयों में जिनकी स्थापना की जानी है। मौसम विज्ञान, जैव-विविधता और पर्यावरण संबंधी विषय शामिल किये जाने चाहिए। माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री भी यहां उपस्थित हैं। मैं उनका ध्यान भी इस मुद्दे की ओर आकर्षित करता हूं।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर भी दिलाना चाहता हूं। यहां इस विधेयक में, छात्र संघ के गठन का कोई उपबंध नहीं है। मैं समझता हूं कि लोकतांत्रिक पहचान होने के नाते, छात्रों को उनके स्वतंत्र विचार अभिव्यक्त करने के लिए उन्हें संघ बनाने की अनुमति देनी चाहिए।

दूसरा, जहां तक कुलपति की नियुक्ति का संबंध है, यहां इसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं दी गई है। मैं समझता हूं कि किसी भी कुलपति की पृष्ठभूमि शामिल की जानी चाहिए।

तीसरा, इस विधेयक में लाइब्रेरियन की आयु सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है। मैं विशेष रूप से माननीय मंत्री महोदय के समक्ष यह प्रस्ताव करता हूं कि जहां तक त्रिपुरा का संबंध है, इन विश्वविद्यालयों में जनजातीय लोगों को प्रवेश में निष्पक्ष मौका दिया जाना चाहिए क्योंकि त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है, जहां जनजातीय जनसंख्या को विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि वह जनसंख्या पूर्वोत्तर क्षेत्र की जनसंख्या के साथ मुख्यधारा में शरीक हो सके।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

प्रो. बसुदेव बर्मन (मथुरापुर): महोदय, मैं सिक्किम विश्वविद्यालय विधेयक, 2006; त्रिपुरा विश्वविद्यालय विधेयक, 2006; तथा राजीव गांधी विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, विधेयकों की बात करने से पहले, मैं आपके माध्यम से इस सभा के माननीय सदस्यों का ध्यान भारत में शिक्षा विशेष रूप से उच्च शिक्षा एवं शोध से संबंधित कुछ सामान्य बातों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

महोदय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जिसकी 1992 में समीक्षा की गई थी, में इस बात पर जोर दिया गया है कि अप्रत्याशित तथा तेजी से बढ़ते विकास और ज्ञान तथा विकसित होते डाटा बेस के विस्तार के संदर्भ में, उच्च शिक्षा प्रणाली को गतिशील बनाकर इसे देश एवं मानव जाति की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं की ओर उन्मुख बनाया जाये जिससे कि यह निरंतर रूप से शिक्षा के नए क्षेत्रों की अंतर्दृष्टि बनकर उन नये क्षेत्रों को अपने में मिलाती चले और युवाओं के दिलों दिमाग में सभी के लिए अच्छा करने की मनोस्थिति पैदा करने के उद्देश्य से शैक्षणिक गतिविधियों के क्षेत्र में साहस एवं परीक्षण करने की भावना जागृत करती चले। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह प्रस्ताव किया गया है कि देश के अधिकांश विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं में चहुंमुखी विकास किये जाने की आवश्यकता है और मुख्य रूप से बल इस बात पर दिया गया है कि इसका विस्तार तथा समेकीकरण हो जिससे कि किन्हीं अनेक कारणों से औपचारिक उच्च शिक्षा नहीं ले सकने वाले लोगों को भी शिक्षा दी जा सके। ग्रामीण विश्वविद्यालयों पर भी बल दिया गया है कि वे लोगों को इस तरह की शिक्षा दें जिससे कि वे ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान को चुनौतियां मानकर चलें ताकि देश एक आदर्श समाज बनाने के अपने लक्ष्य को बिना किसी विलम्ब के हासिल करने हेतु कारगर कदम उठा सके। अतः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपातकालीन आधार पर बल और ध्यान देना बहुत जरूरी है और इसलिए जम्मू और कश्मीर तथा विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे भौगोलिक रूप से गैर-लाभप्रद क्षेत्रों में पहुंच एवं समानता में सुधार लाने पर तत्काल जोर तथा ध्यान देना आवश्यक है।

अब इन तीन विधेयकों की बात करें, तो मैं भारत सरकार तथा विशेष रूप से मानव संसाधन विकास मंत्रालय को बधाई दूंगा कि उन्होंने देश के एक वंचित क्षेत्र में तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कदम उठाए। वास्तव में इन विधेयकों के पारित होने से दो राज्य विश्वविद्यालयों—अरुणाचल प्रदेश में एक तथा त्रिपुरा में एक विश्वविद्यालय—को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा और सिक्किम में एक नया केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।

वर्तमान में जैसा कि पहले ही बताया गया है सिक्किम में कोई विश्वविद्यालय नहीं है इस राज्य के अवर स्नातक महाविद्यालय पश्चिम बंगाल के उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। सिक्किम राज्य में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम देने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके फलस्वरूप छात्रों को उच्च शिक्षा लेने का अवसर नहीं मिलता है। अतः सिक्किम में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना से राज्य के लोगों की शैक्षिक आवश्यकताएं पूरी हो सकेंगी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं में असंतुलन कम हो सकेगा जिससे लोगों की तर्कसंगत तथा लम्बे समय की आकांक्षाएं पूरी हो सकेंगी।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

प्रो. बसुदेव बर्मन: यदि आप कहें तो मैं बैठ जाऊं।

सभापति महोदय: मैं आपसे समय की सीमितता के कारण बात समाप्त करने के लिए कह रहा हूं।

प्रो. बसुदेव बर्मन: मैंने केवल दो या तीन मिनट ही लिए हैं।

सभापति महोदय: बिल्कुल ठीक, हर सदस्य को इतना ही समय आवंटित किया गया है।

प्रो. बसुदेव बर्मन: धन्यवाद महोदय, इससे हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं में असंतुलन कम हो सकेगा जिससे सिक्किम राज्य में रह रहे हमारे भाई बहनों की तर्कसंगत तथा काफी समय से चली आ रही आकांक्षाएं पूरी हो सकेंगी।

त्रिपुरा विश्वविद्यालय की स्थापना एक राज्य विश्वविद्यालय के रूप में वर्ष 1987 में अगरतला में की गई थी। हमें याद है कि यह पिछली सदी के सत्तर के दशक में कलकत्ता विश्वविद्यालय के एक स्नातकोत्तर केन्द्र के रूप में शुरू हुआ था। राजीव गांधी विश्वविद्यालय की स्थापना 1984 में अरुणाचल प्रदेश की राजधानी इटानगर में की गई थी। इन दोनों राज्य की सरकारें अपने सीमित संसाधनों से इन विश्वविद्यालयों के विकास हेतु पर्याप्त वित्तपोषण, विशेष रूप से जैव प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान, पदार्थ विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्र अध्ययन तथा अनुसंधान सहित अंतर-विषयात्मक अनुसंधान के लिए वित्तपोषण करने की स्थिति में नहीं है।

[प्रो. बसुदेव बर्मन]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मुद्दे पर विचार करने के लिए दोनों विश्वविद्यालयों के लिए एक-एक समिति गठित की थी ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री बर्मन, यदि आप चाहें तो आप अपना लिखित भाषण सभा पटल पर रख सकते हैं।

प्रो. बसुदेव बर्मन: महोदय मैंने अनुरोध किया है कि आप मुझे यह बतायें कि क्या मैं अपनी सीट पर बैठ जाऊं। मैंने आपको बताया था कि मैं बैठ जाऊंगा। मैं कोई पेपर सभा पटल पर नहीं रखने वाला। धन्यवाद।

सभापति महोदय: मैं क्या कह सकता हूं? समय की कमी के कारण मैं आपको बार-बार रोक रहा हूं।

प्रो. बसुदेव बर्मन: मैं हाथ जोड़ कर यह कह रहा हूं कि मैंने ज्यादा समय नहीं लिया है। जैसा आप चाहते हैं कि मैं बैठ रहा हूं।

सभापति महोदय: बर्मन जी मुझे क्षमा करें। मेरा मतलब यह नहीं था कि आप बैठ जाएं। परन्तु मैंने आपसे अनुरोध करने का प्रयास किया कि आप संक्षेप में और समय सीमा में बोलें। कृपया आप अपनी बात कहें।

प्रो. बसुदेव बर्मन: मैं यह कह रहा था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन्हें केन्द्रीय विश्वविद्यालय में बदलने तथा वित्तपोषण के संबद्ध मुद्दों आदि पर विचार करने के लिए समितियों का गठन किया था। इस प्रकार गठित यूजीसी की समितियों ने संसद के एक अधिनियम के माध्यम से राजीव गांधी विश्वविद्यालय, ईटानगर तथा त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला को पूर्ण दर्जा प्राप्त विश्वविद्यालय में बदलने की सिफारिश की। इन तीन विश्वविद्यालयों के उद्देश्य समान हैं। वे विश्वविद्यालय द्वारा उचित ठहराए गई पाठन की शाखाओं में निदेश देने तथा अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करके ज्ञान का प्रचार प्रसार एवं विकास करेंगे, मानविकी, प्राकृतिक एवं भौतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, वानिकी तथा अन्य संबद्ध विषयों में एकीकृत पाठ्यक्रमों हेतु प्रावधान बनाना; जनजातीय जीवन और संस्कृति में अध्ययन हेतु विशेष प्रावधान बनाना; अध्यापन पठन प्रक्रिया, अंतविषयात्मक अध्ययनों तथा अनुसंधान में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए उचित उपाय करना; संबद्ध राज्यों के विकास हेतु श्रमशक्ति को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करना और राज्यों के लोगों के कल्याण तथा सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, उनकी समझ, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विकास में सुधार लाने के लिए विशेष ध्यान देना।

महोदय, अब तक जो मैंने कहा, उससे यह स्पष्ट है कि तीन राज्यों में इन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना, जिसकी तुलना में कोहिमा, सिल्चर, तेजपुर, आइजाल, इम्फाल तथा शिलांग के ऐसे संस्थानों का होना, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में काफी सहायक होगा। तथापि मैं एक बात और कहना चाहूंगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से केन्द्र सरकार आगामी दशकों में इनकी दीर्घकालिक वृद्धि एवं विकास हेतु इन नवीन संस्थानों पर चौकसी तो बरतेगी ही साथ ही इन पर प्रेम भरी दृष्टि भी रखेगी।

इन शब्दों के साथ, मैं एक बार फिर इन विधेयकों का समर्थन करता हूं और इस सम्मानित सभा में अपने माननीय साथियों से इन विधेयकों को आज पारित करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): सभापति महोदय, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी बिल, 2006, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी बिल, 2006 और सिक्किम यूनिवर्सिटी बिल, 2006, इन तीनों विधेयकों के ऊपर जो चर्चा चल रही है, उस अवसर पर मुझे भी बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मंत्री जी का भी इस विधेयक को लाने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर मैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के तमाम लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं।

[अनुवाद]

आज अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और त्रिपुरा की जनता के लिए ऐतिहासिक दिन है। अत:, मैं इस अति शुभ अवसर पर अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और सिक्किम की जनता को बधाई देता हूं।

परंतु इसके साथ-साथ मैं आपको एक तथ्य से अवगत कराना चाहता हूं कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय और अन्य उच्च शैक्षिक संस्थाओं को स्वीकृति देने के मामले में बोडोलैंड क्षेत्र की जनता के साथ बड़ा भेदभाव किया गया है आप जानते हैं कि बोडोलैंड क्षेत्र सभी प्रकार से बहुत अधिक पिछड़ा हुआ, उपेक्षित और भेदभावग्रस्त क्षेत्र रहा है। यद्यपि इस क्षेत्र को वर्ष 2003 में भारत के संविधान की छठी अनुसूची के उपबंधों के अंतर्गत लाया गया है परंतु शिक्षा के क्षेत्र के साथ अन्य क्षेत्रों में भी यह क्षेत्र बहुत अधिक उपेक्षित है।

[हिन्दी]

आज तक बोडोलैंड एरिया में हमें कोई विश्वविद्यालय नहीं दिया गया। नार्थ-ईस्टर्न स्टेट्स के कुछ इलाकों में कुछ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दिया गया है, लेकिन हमारे बोडोलैंड एरिया के लोगों के साथ इस दिशा में काफी भेदभाव किया गया है। उसका उदाहरण मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं। असम के गोहाटी में एक राज्य विश्वविद्यालय और एक मेडिकल कालेज है। वहीं पर एक वेटनरी कॉलेज भी है। डिब्रुगढ़ में एक स्टेट विश्वविद्यालय है और वहीं पर एक मेडीकल कालेज भी है। जोरहाट में भी एक एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय है और एक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कालेज भी है। तेजपुर में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है और वहीं पर एक कृषि कालेज भी है। सिल्चर में एक असम सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और वहीं पर एक मेडिकल कालेज और एक एनआईआईटी भी है, लेकिन हमारे बोडोलैंड एरिया में क्या है? कुछ साल पहले गोहाटी विश्वविद्यालय का एक कैम्पस कोखराझाड़ में दिया गया था, लेकिन वह भी कुछ काम के लायक नहीं है। इस प्रकार से हमारे साथ और कितना भेदभाव करते रहेंगे?

सायं 7.29 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन* **हुए]**

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से जबरदस्त मांग करता हूं कि हमारे बोडो अंचल के लोगों के विकास के लिए भी एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बोडोलैंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय नाम से देने का कष्ट करें।

सभापति महोदय, बोडोलैंड में एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, एक मेडीकल कालेज, एक ए.आई.आई.एम.एस. की जरूरत है। कुछ साल पहले एन.डी.ए. गवर्नमेंट ने छः राज्यों में आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मैडीकल साइंस की तरह के छः इस्टीट्यूट खोलने की घोषणा की, लेकिन हमारे बोडोलैंड में एक भी इंस्टीट्यूट खोलने की बात नहीं की गई। स्वराज के संग्राम के दौरान दी गई कुर्बानी का हमारा हिस्सा कहां गया? वहां आई.आई.टी. की जरूरत है। वहां एक एम्समॉडिल का इंस्टीट्यूट, एक नैशनल इंस्टीट्यूट आफ वस्त्र और फैशन डिजाइन टैक्नौलौजी, एक नैशनल इंस्टीट्यूट आफ बायोटैक्नौलौजी और एक आर.ई.सी. की जरूरत है। वहां सात पालीटैक्निक इंस्टीट्यूट खोले जाने की जरूरत है। आज तक हमारे बोडोलैंड के चार जिलों में से एक में भी पालीटैक्निक कालेज नहीं खोला गया है। हमने क्या कसूर किया है?

[अनुवाद]

बोडोलैंड की जनता ने क्या अपराध किया है? यहां इस तरह का भेदभाव क्यों होता है? यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

[हिन्दी]

महोदय, हमारे बोडोलैंड एरिया के अलावा भी असम राज्य के सारे बड़े इलाकों में बड़ी छात्र छात्राएं बोडो भाषा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन उन स्कूलों में से काफी प्राइवेट क्षेत्र में हैं। मैं मांग करता हूं कि इस प्रकार के जितने भी प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल हैं उन्हें प्रादेशिक करण सिस्टम में लाने के लिए भारत सरकार की तरफ से असम सरकार पर प्रैशर डालना चाहिए। आप सारे नार्थ ईस्टर्न रीजन में देखिए, सभी जगह सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन बोडोलैंड में नहीं है। मेघालय में एन ई एच यू नाम से एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, नागालैंड में नागालैंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और मणिपुर की भी एक सेंट्रल यूनीवर्सिटी दी गई है। सिक्किम को भी आज देने जा रहे हैं। इसके लिए तो मैं केन्द्र सरकार का धन्यवाद करता हूं। अब आप अरुणाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय को भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय की मान्यता देने जा रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं और त्रिपुरा के प्रादेशिक विश्वविद्यालय को भी उन्नत करके केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने जा रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन हमें देंगे या नहीं?

[अनुवाद]

मैं सरकार से विशेषकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय से स्पष्ट वचनबद्धता लेना चाहता हूं।

[हिन्दी]

हमारी जो नौजवान पीढ़ियां हैं, वे कहां जायेंगे? वहां के छात्र मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद, उच्चतर माध्यमिक परीक्षा पास करने के बाद, और स्नातक परीक्षा पास करने के बाद कहां जाएं? क्या उन्हें मास्टर डिग्री एम फिल और पीएचडी करने का मौका नहीं मिलना चाहिए?

[अनुवाद]

अतः क्या उन्हें जंगल में जाते रहना चाहिए और क्या उन्हें भूमिगत होते रहना चाहिए। जमीनी हकीकत को समझने का समय आ गया है। आज मैं अत्यधिक उद्वेलित और व्यथित महसूस कर रहा हूं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने वर्ष 1998 में जिस दिन से

[श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी]

इस देश के शीर्ष विधान मंडल में प्रवेश किया है तब से मैं भारत सरकार को बोडो जनता की अनगिनत त्रासदियों और उनके मन की बात के बारे में बताता रहा हूं।

[हिन्दी]

लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यहां केवल रिकार्ड होता है।

[अनुवाद]

कोई उचित उत्तर नहीं मिलता है। हमारे प्रश्नों, हमारी समस्याओं और शिकायतों का के लिए कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिलता है।

[हिन्दी]

क्या करना चाहते हैं? आप लोग क्या करेंगे?

[अनुवाद]

यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारी बात कौन सुनेगा? इन सब वास्तविक शिकायतों का निवारण कौन करेगा? आप सदैव अपने सकल घरेलू उत्पाद की दर के आठ प्रतिशत से दस प्रतिशत तक की वृद्धि के बारे में बात करना पसंद करते हैं। आप भारत की अर्थव्यवस्था के विकासात्मक परिदृश्य भारत की अर्थव्यवस्था के वर्ष 2020 तक विश्व की सबसे सुदृढ़ अर्थव्यवस्थाओं में से एक अर्थव्यवस्था बनने के बारे में बात करते हैं।

[हिन्दी]

उससे हमारा क्या होगा? अगर हमें जस्टिस नहीं देना चाहते हैं, तो उस इकनौमी ग्रोथ से हमारा क्या फायदा होगा?

[अनुवाद]

आप भारत-अमरीका परमाणु समझौते के बारे में बात करते हैं। आप सदैव इन और उन बड़ी बातों तथा मुद्दों के बारे में बात करते हैं। आप इस वित्त आयोग और उस आयोग इत्यादि की बातें करते हैं।

[हिन्दी]

ये हमारे क्या काम आएगा*? सिर्फ मुंह से बात करने से काम नहीं चलेगा, दिल से प्यार और मोहब्बत करने से ही काम चलेगा। ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदयः इस शब्द को कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारीः मुझे यह कहते हुए बड़ा खेद है कि आप सदैव अपने मुंह से कहते रहते हैं। परंतु आप अपने दिल से अपनी भावनाओं से नहीं कहते हैं।

सभापति महोदयः अब कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारीः मैं आखिर में हमारे बोडोलैंड एरिया के लिए एक सैण्ट्रल यूनिवर्सिटी देने के लिए, कम से कम एक सैण्ट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देने के लिए, एक आई.आई.टी. देने के लिए, एक आई.आई.एम. देने के लिए, एक नर्सिंग कालेज देने के लिए और एक नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टैक्सटाइल एण्ड फैशन टैक्नोलोजी देने के लिए और एक मेडिकल कालेज देने के लिए सरकार से मांग करता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया अब आप अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदयः अब, श्री नकुल दास राई।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदयः आप बैठ जाइये, आपका भाषण रिकार्ड में नहीं जा रहा है। श्री नकुल दास राय का नाम मैंने पुकार लिया है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः अब आपका भाषण समाप्त हो गया। रिकार्ड में आपकी कोई बात नहीं जा रही है।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदयः श्री नकुल दास राय, आप बोलिये। आपकी बात रिकार्ड होगी, श्री बैसीमुथियारी जी की बात रिकार्ड नहीं होगी।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आप बैठ जाइये, आपका भाषण हो गया। आपकी कोई बात रिकार्ड में नहीं जा रही है। आप बोलिये न, आपका भाषण रिकार्ड में जायेगा, बैसीमुथियारी जी का भाषण रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री नकुल दास राई (सिक्किम): सभापति महोदय, इस वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर देने पर धन्यवाद। मैं इन तीनों विधेयकों—सिक्किम विश्वविद्यालय विधेयक, 2006; त्रिपुरा विश्वविद्यालय विधेयक, 2006; और राजीव गांधी विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 का समर्थन करता हूं।

आज मैं बहुत प्रसन्न हूं और अत्यंत हर्ष के साथ इन तीनों विधेयकों का स्वागत करता हूं तथा मैं सिक्किम की जनता की ओर से मानव संसाधन विकास मंत्रियों और साथ ही संप्रग सरकार को धन्यवाद देता हूं।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, सिक्किम एक छोटा परंतु सुंदर राज्य है। इससे बढ़कर यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक अति शांतिपूर्ण राज्य है तथा यहां पर डा. पवन कुमार चमलिंग के नेतृत्व वाली स्थायी सरकार ने सुशासन सुनिश्चित किया है। प्रभावी प्रशासन, सुनिश्चित शांति, चरमपंथियों का न होना और पंचायत स्तर तक सत्ता को पहुंचाकर जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना की सर्वत्र प्रशंसा हुई है। चूंकि कोई भी छात्र शांतिपूर्ण माहौल में अध्ययन करना चाहता है तो ऐसी परिस्थितियों में पूर्वोत्तर क्षेत्र बिहार और पश्चिम बंगाल के सभी भागों से बड़ी संख्या में छात्र सिक्किम विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहेंगे। इसलिए सिक्किम विश्वविद्यालय की अवसंरचना अन्य भारतीय विश्वविद्यालयों के समान होनी चाहिए।

इस संदर्भ में, मैं कुछ मुद्दे उठाना चाहूंगा जिन्हें संशोधनों में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता है। वित्तीय ज्ञापन के माध्यम से मुझे पता चला कि विश्वविद्यालय की वर्ष 2006-07 और 2008-09 की वित्तीय आवश्यकता का प्राक्कलन 55 करोड़ रुपये अनावर्ती और 32.60 करोड़ रुपये आवर्ती किया गया है।

आबंटित धनराशि अपर्याप्त है क्योंकि विश्वविद्यालय की अवसंरचना लागत पर्वतीय क्षेत्रों में मैदानी भागों की तुलना में दोगुनी होगी।

इसलिए, केन्द्र सरकार और माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी कृपया इस मामले की जांच करें और सिक्किम में विश्वविद्यालय की पूर्ण स्थापना तक आबंटन धनराशि में वृद्धि करें तथा सहायता प्रदान करें।

महोदय, जैसा कि मेरे साथी श्री कीरेन रिजीजू ने ठीक ही उल्लेख किया है, वित्तीय पैकेज पर्याप्त होना चाहिए। केवल तभी, विश्वविद्यालय में शैक्षिक कार्यक्रम उचित रूप से चल पाएंगे। अतः, हमें वित्तीय आर्थिक पैकेज दिया जाना चाहिए।

इसी प्रकार, वाद-विवाद में भाग लेते समय, हमारे मित्र श्री अधीर चौधरी ने भी अवसंरचना के संबंध में अति महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था। पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र भूकंप-प्रवण क्षेत्र है और जिनीवा विश्वविद्यालय के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वोत्तर में किसी भी समय भूकंप आ सकता है, कोई आपदा आ सकती है। अतः, निकट भविष्य में वहां पर अवसंरचना निर्माण के समय भूकंपरोधी इमारतें बनाई जानी चाहिए।

जहां तक पाठ्यक्रमों का संबंध है तो सामान्य पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त, मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से अनुरोध कर रहा हूं कि छात्रों को पेशेवर जगत में योग्यता संपन्न बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी जैसे, जिनकी विश्व में अत्यधिक मांग है। जैव-प्रौद्योगिकी; पत्रकारिता और जनसंचार, एमबीए, पर्यावरण और हिमालयी अध्ययन वाले कतिपय विभागों को सम्मिलित किया जाए। सिक्किम के हिमालय में स्थित होने के कारण, इस पाठ्यक्रम का क्षेत्र के लिए अत्यधिक महत्व होगा। वास्तव में, आगामी वर्षों में विश्वविद्यालय में हिमालयी अध्ययन का अलग केंद्र हो सकता है। इसके अतिरिक्त, यह एक नया विषय भी है।

अन्य विभाग, नामतः, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति-स्नातकोत्तर; फिल्म अध्ययन/स्नातक संगीत (आनर्स)-सैद्धांतिक और व्यावहारिक; स्नातक स्नातकोत्तर (आनर्स)-मनोविज्ञान/भूगोल; शारीरिक शिक्षा और विधि को इसमें सम्मिलित किया जाए। मैं अनुरोध करता हूं कि इन पाठ्यक्रमों को सिक्किम विश्वविद्यालय से शुरू किया जाना चाहिए।

महोदय, भारत में कुछ ऐसे विश्वविद्यालय जहां पर पाठ्यक्रमों की विस्तृत सूची है। उदाहरणार्थ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में डेंटल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, पोलीटेक्निक और वोकेशनल पाठ्यक्रम हैं। इसी प्रकार, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में चिकित्सा विज्ञान संस्थान, प्रौद्योगिकी संस्थान, कृषि विज्ञान संस्थान इत्यादि हैं। सिक्किम विश्वविद्यालय को भी इन विश्वविद्यालयों की इसी पद्धति अथवा माडल का पालन करना चाहिए जहां पर तकनीकी शिक्षा और रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित किया गया

[श्री नकुल दास राई]

है। केवल तभी सिक्किम विश्वविद्यायल कम से कम पाठ्यक्रमों के संदर्भ में अन्य भारतीय विश्वविद्यालयों की बराबरी पर आ पाएगा।

अतएव, मैं भारत सरकार और केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री से इन सभी बिन्दुओं पर विचार करने का आग्रह करता हूं जो मैंने अपने भाषण में उठाए हैं।

मैं एक बार पुन: सिक्किम विश्वविद्यालय विधेयक 2006; त्रिपुरा विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 और राजीव गांधी विश्वविद्यालाय विधेयक, 2006 का स्वागत करता हूं।

डा. टोकचोम मैन्या (आंतरिक मणिपुर): सभापति महोदय, मैं सिक्किम विश्वविद्यालय विधेयक, 2006; त्रिपुरा विश्वविद्यालय विधेयक 2006 और राजीव गांधी विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 नामक तीन विधेयकों पर विचार करने और पारित करने में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इन तीनों विधेयकों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सर्वप्रथम, मैं संप्रग सरकार और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इस चालू सत्र में इन विधेयकों को लाने के लिए बधाई देना चाहूंगा। यह इन क्षेत्रों के लोगों की दीर्घकालीन मांग थी। इससे उत्तर-पूर्व क्षेत्र को मानव संसाधन विकास और विशेषकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश के बाकी हिस्से के समकक्ष लाने में निश्चित रूप से सहायता मिलेगी।

इन विधेयकों का समर्थन करते हुए, मैं इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा के इतिहास को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित करना चाहूंगा। उत्तर-पूर्व क्षेत्र में उच्च शिक्षा हेतु उचित अवसंरचना नहीं थी। 1948 तक पूरा क्षेत्र कलकत्ता विश्वविद्यालय के नियंत्रणाधीन था। तत्पश्चात गुवाहाटी क्षेत्र की उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गुवाहाटी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तत्पश्चात 70 के दशक में हमने कुछ राज्य विश्वविद्यालय प्रारंभ किए। एक डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय है। किन्तु इन लोगों की आकांक्षा तब पूरी हुई जब पर्वतीय क्षेत्रों विशेषकर नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लिए उत्तर-पूर्व पर्वतीय विश्वविद्यालाय की स्थापना की गई। अब, इस उत्तर-पूर्व पर्वतीय विश्वविद्यालय से हमारे पास नागालैंड विश्वविद्यालय है। तत्पश्चात्, मेघालय के पास उत्तर-पूर्व पर्वतीय विश्वविद्यालय है। तत्पश्चात् हमारे पास मिजोरम विश्वविद्यालाय है।

गत वर्ष इस चौदहवीं लोक सभा में भारत सरकार ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साथ मणिपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है। अत: तीन राज्य नामत: सिक्किम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश छूट गए थे।

नि:संदेह, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा आश्वासन दिए गए थे कि इन विश्वविद्यालयों के लिए इस बार विधेयक लाए जाएंगे और उन्हें पारित किया जाएगा। मैं वास्तव में उनको बधाई देना चाहता हूं क्योंकि इस समय हम बहुत खुश हूं बल्कि मैं अरुणाचल प्रदेश से अपने मित्रों के साथ हूं। वे इनकी मांग कर रहे थे। आज बहुत अच्छा दिन है। बल्कि यह अरुणाचल प्रदेश और अन्य दोनों राज्यों के लोगों के लिए एक यादगार दिन है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना अंतिम मुद्दा रखना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं "न से देर भली" एक बार पुन: मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर): महोदय, मैं अपनी पार्टी की ओर से त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में तीन विश्वविद्यालयों के सृजन हेतु विधेयक के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, मैं केवल दो बातों का उल्लेख करना चाहूंगा, जिनका अन्य सदस्यों ने पहले ही समर्थन किया है? इन विश्वविद्यालयों को पुराने ढर्रे वाले विश्वविद्यालयों की तरह नहीं होना चाहिए जो ऐसे स्नातक पैदा करते हैं। जो कि लाभप्रद रोजगार पाने में असमर्थ हैं। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि मंत्री जी को नए विषय और आधुनिक पाठ्यक्रम शुरू करने चाहिए जो कि वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें ताकि वे उन्हें लाभप्रद रोजगार प्रदान करा सके।

मैं श्री बैसीमुथियारी जी के सुझावों का भी समर्थन करता हूं क्योंकि गुवाहाटी से धुबरी तक असम के समूचे निचले हिस्से में विश्वविद्यालय को छोड़िए उच्च शिक्षा का कोई संस्थान भी नहीं है। अत: मैं श्री बैसीमुथियारी जी द्वारा बोडोलैंड में उच्च शिक्षा हेतु किसी भी प्रकार के संस्थान की स्थापना के लिए लाए गए प्रस्ताव का दृढ़तापूर्वक समर्थन करता हूं। यह बोडोलैंड के लोगों की बिलकुल वास्तविक और जरूरी मांग है।

[हिन्दी]

श्री मो. ताहिर (सुल्तानपुर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले सिक्किम विश्वविद्यालय, त्रिपुरा विश्वविद्यालय और राजीव गांधी विश्वविद्यालय, 2006 के लिए मंत्री जी को अपनी और बहुजन समाज पार्टी की ओर से मुबारकबाद देता हूं। माननीय मंत्री जी का यह बहुत अच्छा कदम है। इससे पूर्वोत्तर राज्यों को रिलीफ मिलेगा और काफी डैवलपमैंट होगी। हम इसके लिए सरकार को भी बधाई देते हैं।

उत्तर प्रदेश, बिहार से सटा हुआ है और मंत्री जी बिहार राज्य से बिलांग करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश बहुत ही गरीब राज्य है। मैं सुल्तानपुर से चुनकर आया हूं। उसके बगल में श्री राहुल गांधी का लोक सभा क्षेत्र अमेठी है। वहां, खास तौर से सदर क्षेत्र में कोई विश्वविद्यालय नहीं है। ...*(व्यवधान)* उस बैल्ट की पोजीशन बहुत खराब है। वहां के लोग पढ़ने के लिए बहुत दूर जाते हैं। उनके पास और कोई जरिया नहीं है। वहां बहुत ज्यादा गरीबी है। मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि आप सुल्तानपुर की ओर नजरें इनायत कीजिए। हम सरकार का विशेष ध्यान दिलाना चाहेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर लोक सभा क्षेत्र को देख लें। वह बहुत पिछड़ा इलाका है। वहां भी विश्वविद्यालय बनवा दिया जाए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः श्री मणि चारेनामै बोलेंगे। कृपया सटीक और केवल दो मिनट बोलिए।

श्री मणि चारेनामै (बाहरी मणिपुर): सभापति महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। मैं सिक्किम विश्वविद्यालय विधेयक, त्रिपुरा विश्वविद्यालय विधेयक तथा राजीव गांधी विश्वविद्यालय विधेयक को पारित करने के समर्थन में खड़ा हूं। उत्तर पूर्व क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो अपने पिछड़ेपन के लिए जाना जाता है। यह कई क्षेत्रों में तथा विभिन्न मोर्चों पर विशेषरूप से शिक्षा के क्षेत्र में देश के अन्य भागों से पिछड़ रहा है। इसलिए देश के उत्तर पूर्व भाग के लोग राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में पूरी तरह सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पा रहे हैं।

सभापति महोदयः कृपया अपनी बात समाप्त करें। कृपया मुख्य मुद्दे पर आएं।

श्री मणि चारेनामैः महोदय, इस क्षेत्र के लोग हमारी समृद्ध जैव विविधता के बावजूद हमारे क्षेत्रों की विपुलता तथा विलक्षणता के बारे में ज्यादा नहीं जान पाए हैं। हम जैव विविधता में विपुल हैं। लेकिन हमारे पास विश्वविद्यालय नहीं है, हमारे पास अध्ययन का स्थान नहीं है। इसके अलावा, उत्तर पूर्व क्षेत्र में विशेषरूप से त्रिपुरा, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश में जहां आदिवासियों की काफी जनसंख्या है, हमारे पास कोई विभाग या संकाय नहीं है जहां इन आदिवासियों की संस्कृति पर शोध किया जाये या महत्व दिया जाये। महोदय, आदिवासी संस्कृति पर शोध के संकाय को महत्व भी दिया जाना चाहिए।

महोदय, इसके अलावा, अद्यतन विज्ञान और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर विज्ञान, नैनो टैक्नोलाजी, जैव प्रौद्योगिकी तथा बिजनेस तथा मैनेजमेंट पाठ्यक्रम भी अनिवार्य रूप से इन विश्वविद्यालयों का भाग होना चाहिए।

सभापति महोदयः धन्यवाद।

श्री मणि चारेनामैः महोदय, कृपया एक मिनट और।

इसके अलावा, योग्य प्राध्यापक तथा शिक्षक जो इस क्षेत्र में पढ़ाना चाहते हैं, जो स्वेच्छा से इस क्षेत्र में जाते है तथा पढ़ाते हैं, को उचित प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदयः प्रो. महादेवराव शिवनकर अब बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री मणि चारेनामैः जब तक हमारे पास अच्छे तथा नियमित शिक्षकों का समूह नहीं होगा तब तक हम उस तरह की शिक्षा नहीं दे पाएंगे जिसकी हम आशा करते हैं। इसके अलावा हम माननीय मंत्री को बधाई दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः प्रो. शिवनकर के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदयः शिवनकर जी, आप बोलिए। आपकी हिन्दी बहुत अच्छी है।

प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर): सभापति महोदय, मैं केवल दो मुद्दों पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक यह है कि जब हम बिल के डिटेल्स में गये तब हमारे ध्यान में आया कि इसमें माननीय राष्ट्रपति जी विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे और माननीय राज्यपाल जी कुलसचिव होंगे। उसके बाद प्रोसीजर के अनुसार बाकी पदों की नियुक्तियां होंगी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपको सैंट्रल गवर्नमैंट के डिपार्टमैंट्स बनाने हैं? उन यूनीवर्सिटीज के अंदर लोकतंत्र रहेगा या नहीं, इसका खुलासा बिल पास होने से पहले आप करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। अधिकांशतः ऐसा होता है कि जो प्रशासक है, कर्मचारी है, आफिसर्स हैं, वे बिल बनाते समय सामान्य रूप से सारी सत्ता

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[प्रो. महादेवराव शिवनकर]

अपने हाथ में कैसे आये, इस प्रकार का प्रयत्न करते हैं। यदि आप बिल को देखें तो यही बात आपके ध्यान में आएगी। मान लीजिए अगर यूनिवर्सिटीज को कभी फण्ड नहीं मिलता है, कहीं गड़बड़ होती है और उस पर आडिट आब्जेक्शन आती है तो वह रिस्पांसिबिल्टी राष्ट्रपति पर जाएगी क्योंकि वे कुलाध्यक्ष हैं और वह रिस्पांसिबिल्टी राज्यपाल पर भी जाएगी क्योंकि वे उसके कुलसचिव हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी किसी भी यूनिवर्सिटी में या अन्य स्थानों पर माननीय राष्ट्रपति या वहां के राज्यपाल के किसी भी आधार पर कोई पद न रहें। राष्ट्रपति जी का भारत के लिए सर्वोच्च स्थान है, हमने उनको यहां डालकर उस पद को छोटा कर दिया है और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, हालांकि आप इसे अभी तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैंने अपनी ओर से कोई अमेंडमेंट नहीं दिया है, कि आने वाले सत्र में इन दोनों पदों को इसमें कम करें और राज्यपाल तथा बाद में नियुक्त किए गए कुलसचिव या अन्य पद हों, जो भी आप नियुक्ति करें, उसे आप जैसे अन्य राज्यों में होता है, उसी पद्धति से करें। मैं इसके लिए आपसे गंभीर रूप से प्रार्थना करना चाहता हूं।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि यह बिल तो आप पारित कर लेंगे, लेकिन ये यूनिवर्सिटीज कब से आप प्रारम्भ करेंगे, यह स्पष्ट नहीं है। संसद में बिल पारित होने के बाद भी कोई कट आफ डेट न होने की वजह से वे शुरू नहीं हो पाएंगी। इन्हें आप कब से शुरू करेंगे, यह भी बताएं। इसके साथ ही आपने इसके लिए फाइनेंशियल इस्टीमेट बनाया होगा कि इसमें कितना पैसा लगेगा, आपने इसके लिए कितने पैसे का प्रावधान किया है और कितने पैसे आप खर्च करना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इसके लिए फाइनेंशियल मेमोरेण्डम संलग्न है।

प्रो. महादेवराव शिवनकर: फाइनेंशियल असर्समेंट का खुलासा करने की जरूरत है और मैं जानना चाहूंगा कि इन यूनिवर्सिटीज में आप क्या-क्या टेक्नीकल एजुकेशन देंगे क्योंकि आज विश्व में स्पर्धा है? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: शिवनकर जी, आप अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन कृपया सहयोग कीजिए।

प्रो. महादेवराव शिवनकर: महोदय, लोक सभा आंख मूंदकर इसे पारित नहीं कर सकती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इसका खुलासा करें और आने वाले समय में इसमें संशोधन करें अन्यथा मैं इन बिलों का विरोध करूंगा।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा लाए गए इन सभी बिलों का स्वागत करता हूं। आज हमारे सामने सिक्किम यूनिवर्सिटी बिल, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी बिल और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी बिल रखे गए हैं। इस विषय पर पूर्व वक्ताओं ने अपनी बातें कही हैं, मैं उनसे स्वयं को सम्बद्ध करता हूं, खास तौर पर भाई श्री कीरेन रिजीजू की बात का समर्थन करता हूं जिन्होंने इनके लिए जमीन की बात कही और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के साथ अरुणाचल नाम जोड़ने की बात कही है। इसके साथ ही मैं दो बातें कहना चाहूंगा। हालांकि नार्थ ईस्ट में प्राइमरी शिक्षा स्तर बढ़िया है, लेकिन वहां एक्सेस टू हायर एजुकेशन नेशनल एवरेज से बहुत कम है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन यूनिवर्सिटीज के माध्यम से वहां पर ह्युमन रिसोर्स डेवलप होगा और बहुत बड़ी तादाद में लोग एक्सेस टू हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकेंगे। सच्चाई तो यह है कि जब समाज में शिक्षा का स्तर उठता है तो वहां के समाज और राजनीति पर भी एक पाजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और उससे पाजिटिव थिंकिंग और पाजिटिव फीलिंग पैदा होती है।

महोदय, एक बात सुनिश्चित करनी होगी कि नार्थ ईस्ट राज्यों से बड़ी तादाद में लड़के-लड़कियां प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश करें। आज यह दुखद स्थिति है कि सभी नार्थ ईस्ट राज्यों से लड़के-लड़कियां भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में बहुत कम संख्या में हैं क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे थे जो वहां से निकलकर दिल्ली आए या दूसरे शहरों में जाकर पढ़ाई कर सके। मुझे उम्मीद है कि इन यूनिवर्सिटीज के बनने के बाद वहां के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को हायर एजुकेशन में एक्सेस मिलेगी और प्रशासनिक सेवाओं में आ सकेंगे।

रात्रि 8.00 बजे

नालेज बेस सोसाइटी बनने के साथ वहां पर इसका जो रिसर्च बेस होगा, जो जीन पूल डाटा है, जो सोशल इंटरैक्शन डाटा हैं, उसमें पब्लिक की एक्सेस बढ़ेगी। मेरा यह मानना है कि अब समय आ गया है कि केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि जहां भी अच्छे संस्थान हैं, उन्हें सेंटर आफ एक्सीलेंस बनाकर डवलप करना चाहिए, जिससे बच्चे आगे निकल सकेंगे और हिन्दुस्तान के विकास में भी इससे इजाफा होगा।

नार्थ-ईस्ट रिजन बायो डाइवर्सिफिकेशन का मूल केन्द्र है। आज जो ग्लोबल ट्रेड सिस्टम पैदा हो रहे हैं पेटेंट के माध्यम से और इन जीन पूल के माध्यम से जीन मोनोपली बन रही है, वहां की जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो पोलिटिशियंस हैं, वे इन सम्भावनाओं पर काम कर सकते हैं कि नार्थ-ईस्ट में रिमोट एरिया में भी होते

हुए जीन पूल रिजर्व की पोटेंशिएलिटी है, उसका ग्लोबल बिजनेस हारनैस कर सकेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और इस तरह की युनिवर्सिटीज बनाए जाने के लिए वहां के लोगों को और मंत्री को बधाई तथा शुभकामनाएं देता हूं।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरांयिकिल): महोदय, मैं इन तीन विधेयकों के समर्थन में खड़ा हूं। मैं विश्वविद्यालयों के कार्यकरण से सम्बद्ध हूं। मैं उनके परिचालन के कई तरीकों से भी परिचित हूं। मेरी दिवंगत पत्नी केरल विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थीं तथा मेरी दो बेटियां केरल विश्वविद्यालय में प्रौफेसर के ग्रेड में कार्य कर रही हैं। इन कारणों के चलते मुझे विश्वविद्यालय के कार्यकरण से वाकिफ होने का मौका मिला।

मुझे विश्वविद्यालय के वर्तमान कार्यकरण के बारे में कई बातें और कहनी हैं लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं क्योंकि समय की कमी है। अतएव, मैं यह भविष्य में करूंगा। दो एक दिन पूर्व केरल उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया जो वस्तुत: मेरे लिए दु:खदायी था। केरल उच्च न्यायालय का निर्णय महाविद्यालयों में चुनाव कराने के संबंध में उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसरण में था। केरल उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि आगे से कोई छात्र संगठन चुनाव में भाग नहीं ले सकता। यह उनका निर्णय है। अ.भा.वि. परिषद पर प्रतिबंध लगा, स्टूडेंट्स कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा, तथा एस एस आई पर प्रतिबंध लगा। छात्र स्वयं के आधार पर चुनाव लड़ें, यह केरल उच्च न्यायालय का आदेश है।

60 वर्ष पूर्व मैं तत्कालीन त्रावणकोर स्टेट कांग्रेस का पदाधिकारी निर्वाचित हुआ था। मैं कांग्रेस संगठन का अध्यक्ष चुना गया था। जिसने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। अतएव, छात्र संगठन एक नयी संकल्पना नहीं क्योंकि इसका काफी पहले से भारत में अस्तित्व रहा है। लेकिन, दुर्भाग्यवश विद्वान न्यायाधीश इस तथ्य से परिचित नहीं हैं।

अब मैं आपका ध्यान एक रोचक उपबंध की ओर आकृष्ट करूंगा। इन तीनों विश्वविद्यालयों में 'विजिटर' के लिए एक खंड है। 'विजिटर' और कोई नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रपति हैं। वे इन तीनों विश्वविद्यालयों के 'विजिटर' कहलाएंगे तथा उन्हें दिशानिर्देश जारी करने की शक्ति है। उन्हें विश्वविद्यालय को उचित रूप से चलाने के लिए पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं और मैं इस कदम का स्वागत करता हूं। किन्तु प्रेसीडेन्ट कौन है? वह पार्टी के आधार पर चुना जाता है।

विश्वविद्यालय में विजिटर अति महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वह विजिटर स्वयं एक निर्वाचित प्रतिनिधि है। वह पार्टी के समर्थन से चुना जाता है। किन्तु दुर्भाग्यवश, केरल उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि कालेज चुनावों में पार्टी से संबद्धता या किसी संगठन से संबद्धता नहीं होनी चाहिए।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचुर): इन विधेयकों में विद्यार्थी संघ के लिए कोई उपबंध नहीं है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं उसकी चर्चा भी करूंगा। विजिटर एक निर्वाचित व्यक्ति होता है। विश्वविद्यालय भविष्य में प्रशासन संभालने की क्षमता रखने वाले लोगों को तैयार करने के लिए काम कर रहे हैं। संसदीय लोकतंत्र में प्रशासन का आधार क्या है? संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है कि एक सत्तापक्ष होगा और एक विपक्ष होगा। इसके बिना संसदीय लोकतंत्र नहीं हो सकता है। किन्तु हमारे विद्वान न्यायाधीश इस बात से पूर्णत: अनभिज्ञ हैं कि वे जो कह रहे हैं यदि वह लागू हो जाता है तो कालेजों में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण नहीं मिलेगा।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: विद्यार्थी मतदाता भी हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: वे कह रहे हैं कि चुनाव के बारे में उन्हें कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, उन्हें संगठनात्मक आधार पर निर्वाचित होने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यह विस्मयकारी है। अत: मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस संबंध में एक विधान लाएं।

विधेयक के खंड 21 में विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की चर्चा है। आपको इस खंड में कालेज विद्यार्थी परिषद या कालेज यूनियन के बारे में उपबंध भी जोड़ना चाहिए। आपने कई प्राधिकारी बनाए हैं किंतु दुर्भाग्यवश, विद्यार्थी संघ या कालेज यूनियन का उसमें उल्लेख नहीं है। अत: मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ऐसा एक उपबंध उसमें डालें। अन्यथा, केरल उच्च न्यायालय के निर्णय की जीत होगी। कमोबेश उच्चतम न्यायालय का निर्णय भी ऐसा ही होगा। हमारा विगत अनुभव कटु रहा है। जब केरल उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि 'बंद' अवैध है तो उच्चतम न्यायालय ने भी उस पर मुहर लगा दी। अत: अगला कदम होगा कि केरल उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप उच्चतम न्यायालय भी सभी विद्यार्थी संगठनों पर पूरे देश में प्रतिबंध लगा देगा। अभी यह केवल केरल तक ही सीमित है। यह सभी राज्यों में लागू होगा। केरल उच्च न्यायालय ने ऐसा पूर्वोदाहरण स्थापित किया है। उन्होंने कहा है कि किसी ए बी वी पी और एस एफ आई को अनुमति नहीं होगी। यह निर्णय है। जो लोग यहां प्रशासन चला रहे हैं उन्हें

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

भी चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यदि उच्चतम न्यायालय ने भी इस पर मुहर लगा दी तो इसका कुल मिलाकर परिणाम यह होगा कि हमारे पास ऐसे लोग होंगे जिन्हें संसदीय प्रक्रिया का कोई अनुभव नहीं होगा।

हमारा लोकतंत्र एक संसदीय लोकतंत्र है। हम चुनावों में विश्वास करते हैं। हमारी न्यायपालिका इस सीमा तक आ गयी है। यह वैश्वीकरण का प्रभाव है। संसदीय लोकतंत्र के मौलिक सिद्धांतों को भूलाते हुए, यहां तक कि उन्होंने संविधान की मूलधाराओं को भुला दिया है और प्रबंधन के पक्ष में निर्णय देने की चिंता में उन्होंने संगठन आधार पर चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को अनुमति नहीं दी है। अत: मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस स्थिति को सुधारने के लिए एक विधान लाएं।

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): सभापति महोदय, आज हमारे 19 साथियों ने तीन बिल, जो सदन के सामने प्रस्तुत हुए, उन पर चर्चा में भाग लिया है। मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है क्योंकि सदन में यह बहुत कम देखने को मिलता है कि जब कोई बिल सरकार लेकर आए, तो सभी तरफ से उसका समर्थन हो और उसे पास करने में मदद मिले। इसके लिए मैं पूरे सदन का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस बिल को पास करने का वायदा किया है और अपना-अपना समर्थन दिया है। आज जिस इलाके में यूनिवर्सिटी खोलनी है, तारीखी ऐतबार से, भौगोलिक ऐतबार से बहुत वजहों से इस इलाके में यूनिवर्सिटी का खोलना बहुत अहम था। आप जानते ही हैं कि नार्थ ईस्ट में आठ राज्य हैं और पांच राज्यों में कम से कम छह सैंट्रल यूनिवर्सिटी पहले से मौजूद हैं, लेकिन तीन राज्य ऐसे थे, जिनके अंदर एक भी सैंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं थी। आज बहुत खुशी का दिन है कि इन तीन राज्यों में, जहां एक भी सैंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं थी, कम से कम अब सभी आठ राज्यों में एक-एक सैंट्रल यूनिवर्सिटी हो जाएगी। ...*(व्यवधान)* आपका बोडोलैंड भी आएगा। मैं बताना चाहता हूं कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था, उस समय सैंट्रल और राज्य यूनिवर्सिटी मिला कर केवल 20 यूनिवर्सिटीज थी। आज इस बिल के पास होने के पहले 20 यूनिवर्सिटीज तो सैंट्रल यूनिवर्सिटी हैं और अगर सभी को मिला लें तो 357 यूनिवर्सिटीज इस मुल्क के अंदर हैं। जब मुल्क आजाद हुआ, उस वक्त सिर्फ 500 कालेजिज हुआ करते थे, आज इस मुल्क में 18 हजार कालेजिज हैं। हम धीरे-धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बिल थोड़े दिनों पहले अंग्रेजी और फारेन लेंग्वेजिज यूनिवर्सिटी पास हुआ था। सबको मिला कर 24 सैंट्रल यूनिवर्सिटीज मुल्क के अंदर होंगी। तकरीबन 105 लाख विद्यार्थी आज उनमें एनरोल्ड हैं। इस एज ग्रुप के कालेज में जाने के लायक जो बच्चे हैं, उसमें से अब भी सिर्फ 1.14 परसेंट ही कालेज में जा पाते हैं, इसलिए हमें उच्च शिक्षा को और भी आगे बढ़ाना है।

जिस इलाके में ये यूनिवर्सिटीज खोली गई हैं, उसके कुछ इलाके को मैंने भी देखा है। मैं समझता हूं कि यूपीए सरकार का जो कमिटमेंट था, जब सरकार बनी थी, तभी हमने कहा था कि नार्थ ईस्ट में हम जितनी हो सकेगी, उतनी मदद देने का काम करेंगे और जहां दूसरी चीजों के लिए मदद करेंगे, हम शिक्षा के क्षेत्र में भी उस इलाके को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज वह कमिटमेंट, ये तीन यूनिवर्सिटीज का बिल आने के बाद, मैं समझता हूं कि वह वायदा आज पूरा हो गया है और इसके लिए मैं उस इलाके के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। हम आज यह बिल लोक सभा में लाए हैं, पहले यह बिल राज्य सभा में पेश हुआ था, बाद में इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया। स्टैंडिंग कमेटी ने 17 रिकमैंडेशंस राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के सिलसिले में की थीं, जिनमें से 16 त्रिपुरा और सिक्किम यूनिवर्सिटी के बारे में थीं। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के लिए जो 9 रिकमंडेशंस आई थीं, उन्हें हम लोगों ने माना है और आठ जो दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं, उसी रिकमैंडेशंस को इसमें शामिल करने का काम किया। हमारे बहुत से साथियों ने बहुत कुछ जानना चाहा है और मैं समझता हूं कि सैंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग मुख्तलिफ राज्यों में, जैसे उड़ीसा के भाई ने उठाई, बोडो भाई ने उठाई और कुछ ईस्टर्न यूपी से भी मांग आई, श्री राम कृपाल यादव मौजूद हैं, बिहार से भी सैंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग आई है। मैं आज ही इतना कहना चाहता हूं कि जो यूनिवर्सिटी आज चल रही हैं, उसी को पूरी ताकत दें। हमने 11वें प्लान में पैसा मांगा है। ...*(व्यवधान)*

श्री रवि प्रकाश वर्मा: उत्तर प्रदेश के बारे में बता दें।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: उत्तर प्रदेश में चार सैंट्रल यूनिवर्सिटी हैं-अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। ईस्टर्न इलाके में भी बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी मौजूद है। बहुत से राज्यों में आज भी सैंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है।

प्रो. रासा सिंह रावत (अमजेर): राजस्थान में भी नहीं है।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: राजस्थान में भी नहीं है। इस विषय में पहले कोई नहीं बोला था। राज्य सभा में कहा था इसलिए मैंने वहां इसका जवाब दिया। सदन के अन्दर और

बाहर मांग हो रही है कि बिहार में सैंट्रल यूनिवर्सिटी हो। 11वें प्लान में हमने जो पैसा मांगा है, अगर वह मिलता है और हम लोग यूनिवर्सिटी खोलने के लायक होंगे तो उस पर विचार करेंगे। *...(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव: बिहार में सैंट्रल यूनिवर्सिटी हो।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: मैंने आपका नाम लेकर कहा कि बिहार से मांग है। मैंने सैंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कही। *...(व्यवधान)* मैंने सब के लिए कहा कि जितना पैसा रहेगा उसके हिसाब से काम होगा। जितनी बड़ी चादर होगी, उतना पैर फैलाया जाएगा। *...(व्यवधान)* अभी मुल्क में हायर एजुकेशन देने की बहुत जरूरत है। इसमें बहुत स्कोप है। यूनिवर्सिटी बननी चाहिए और कालेज बनने चाहिए। केवल 1.4 परसेंट वे नौजवान कालेज के अन्दर जा पाते हैं जो हमारा कल हैं और फ्यूचर है। उस पर पूरा-पूरा ध्यान रखा जाएगा। पैसा उपलब्ध होने पर आगे की कार्रवाई होगी।

यहां कुछ सवाल नाम को लेकर हुए। खास तौर से इधर के माननीय सदस्यों की राजीव गांधी जी के नाम को लेकर आपत्ति हुई। कई मैम्बर्स ने इन सवाल को उठाने का काम किया। सबसे पहली बात यह है कि जो हमारे बीच न हो, उसका आदर करना चाहिए और जितनी रिसपैक्ट हो सके करनी चाहिए। एक ऐसा आदमी जिस ने इस मुल्क की खिदमत की हो। *...(व्यवधान)* एक आदमी जो इस मुल्क का वजीरे आजम रहा हो, जिस की इतनी खिदमात रही हो और जिसने इस मुल्क की खिदमत करते जान दे दी हो, उनके नाम पर आपत्ति होना मुनासिब नहीं हो। हमने इस नाम को प्रपोज नहीं किया। तीनों जो यूनिवर्सिटीजी बन रही हैं, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी उसका नाम पहले से था हमने उसे एज सच लिया, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नाम स्टेट का दिया हुआ था, हमने उसे एज सच लिया। लोकेशन को लेकर भी बात हुई। जो यूनिवर्सिटी जहां है, अभी हमने उसे टेक-अप किया है। क्योंकि इसकी फैसिलिटी को भी इस्तेमाल करना है। न हम जगह चेंज कर रहे हैं और न ही नाम चेंज कर रहे हैं। आप इस चीज को समझ लें।

इधर के एक साथी ने खास तौर पर स्टूडैंट यूनियन के बारे में बात उठायी। उनका कनसर्न बहुत दुरूस्त है। मैं समझता हूं कि यूनिवर्सिटी स्टूडैंट्स के सीखने की जगह है। मैं खुद भी यूनियन में रह चुका हूं और एक साल नहीं, दो साल इंजीनियरिंग कालेज एसोसिएशन में रहा हूं, तीन साल यूनियन में कैबिनेट मैम्बर रहा हूं और दो साल अलीगढ़ मुस्लिम का जनरल सैक्रेटरी रहा हूं। इसलिए मैं यह महसूस करता हूं कि स्टूडेंट्स यूनियन बननी चाहिए, चलनी चाहिए और जहां भी स्टूडेंट यूनियन बनाना चाहेंगे, उनके लिए कहीं बार नहीं है, उन्हें कहीं रोका नहीं गया है। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन बन सकती है और अपने कामों को देख सकती है।

यहां भुवनेश्वर के बारे में सवाल उठा था कि भुवनेश्वर में एनडीए सरकार ने कोई इंस्टीट्यूट स्वीकार किया था। मैं समझता हूं कि नेशनल इंस्टीट्यूट आफ साइंस, भुवनेश्वर एनाउंस हुआ था, मेरे ख्याल से यूजीसी ने इसे एनाउंस किया था जबकि उसे एनाउंस करने का अधिकार नहीं था जब वह ला डिपार्टमेंट में गया तो बाद में मालूम हुआ कि उनको एनाउंस करने का अधिकार नहीं था, जिसे बाद में ड्राप कर दिया गया।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस, टेक्नोलाजी एंड रिसर्च के बारे में पिछले अगस्त महीने, जब माननीय प्रधानमंत्री वहां गए थे, एनाउंस करके आए थे।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: भुवनेश्वर में जो साइंस इंस्टीट्यूट एनाउंस किया गया था, मैं उसकी बात कह रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: वह तो वर्ष 2003 में था और मैं अभी गत अगस्त की बात कर रहा हूं जब प्रधानमंत्री वहां गए थे, उन्होंने भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित करने की घोषणा की थी। परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा धनराशि दी जानी थी किन्तु कुछ भी नहीं हुआ है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्य सभा में उत्तर दिया है कि यह नहीं बनाया जा रहा है। इसे श्री त्रिपाठी ने पूछा था।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: डिपार्टमेंट आफ एटामिक एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट आफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जो एनाउंस हुआ, उसके बारे में बताना चाहता हूं।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री ने नेशनल इंस्टीट्यूट आफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च की भुवनेश्वर में परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालय होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट के अंतर्गत स्थापना होने की घोषणा की थी। परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार होमी भाभा इंस्टीट्यूट इस मामले में आगे कदम उठा रहा है।

[श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी]

[हिन्दी]

महोदय, जहां तक यह सवाल पैदा होता है कि पैसे कितने लगेंगे, इसके लिए इसमें प्रावधान मौजूद है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी को नान-रिकरिंग में 105 करोड़ रुपए और रिकरिंग में 9.34 करोड़ रुपए, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी को नान-रिकरिंग में 38.27 करोड़ और रिकरिंग में 9.82 करोड़, सिक्किम को नान-रिकरिंग में 55 करोड़ और रिकरिंग में 32.6 करोड़ रुपए प्रति वर्ष उपलब्ध कराए जाएंगे। माननीय सदस्यों ने जानना चाहा है कि ये तीनों यूनिवर्सिटीज कब प्रारम्भ होंगी, जैसे ही यह बिल पास होगा और एक्ट में तब्दील होगा तब से ये यूनिवर्सिटीज काम करने लगेंगी। इन तीन विश्वविद्यालयों को नान-रिकरिंग फंड के तौर पर 198.59 करोड़ रु. और रिकरिंग फंड के तौर पर 51.76 करोड़ रु. दिए जाएंगे। यह इसका खर्च आएगा।

हमारे अनेक साथियों ने यहां बोडो लैंड के बारे में सवाल उठाए हैं।

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता से कोकराझार, बोडो लैंड में एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी स्थापित किया गया है। वर्ष 2006-07 से डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने की जिम्मेदारी एन ई आर आई एस टी, इटानगर के निदेशक को दी गयी है।

[हिन्दी]

ये कदम वहां पर उठाए जा रहे हैं। जैसे हमारे पास साधन होंगे, इस तरह के रिमोट, गरीब इलाकों में उपलब्ध कराएंगे, हिंदुस्तान के बहुत से इलाकों से मांग है।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: यह तो सिर्फ डिप्लोमा कोर्स के लिए है।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: डिप्लोमा कोर्स चल रहा है, कम से कम इतना तो हो रहा है, 2006-2007 में प्रारम्भ होगा। मैं सदन से निवेदन करता हूं कि आप सबने बिल का समर्थन किया है। इस बिल में वह सब कुछ मौजूद है जो आप चाहते हैं। मैं समझता कि इससे हिंदुस्तान के उन इलाकों में, जहां डैवलपमेंट की गति कम है और खास तौर से शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह की यूनिवर्सिटी की जरूरत थी। जिसे आज यह सदन पास करेगा। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से आपने शुरू में इसका समर्थन किया है, इस बिल को पास करने में आप पूरी-पूरी मदद करेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा मद सं. 38 पर विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि सिक्किम राज्य में एक अध्यापन और संबद्ध विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेगी।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): महोदय, मैंने कतिपय संशोधन करने के लिए नोटिस दिया था किंतु उन संशोधनों को परिचालित नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आपका अमैन्डमैन्ट बियान्ड स्कोप था।

[अनुवाद]

मुझे आपको यह सूचना देनी है कि आपके संशोधनों को अस्वीकार कर दिया गया है। विगत में ऐसे कई उदाहरण हैं जब ऐसे संशोधनों, जो विधेयक के क्षेत्र से बाहर के थे, को अस्वीकार कर दिया गया था।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, मैं इससे सहमत नहीं हूं। कृपया आप नियम 80 (एक) को देखें। इसके अनुसार और जिसको मैं उद्धृत करता हूं:

"संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो उसके विषय से संगत होगा।"

यह संशोधन इन विश्वविद्यालयों में यूनियन बनाने के बारे में है जिसके बारे में कई सदस्यों ने बोला है। फिर यह किस प्रकार से संगत नहीं है? मैं यह संशोधन लाना चाहता हूं कि खंड-24 के बाद इन विश्वविद्यालयों में यूनियन बनाने की अनुमति देने के लिए खंड 24(क) का समावेश किया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: बिल में स्टूडैन्ट यूनियन का कोई जिक्र नहीं है।

[अनुवाद]

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: सरकार ने उसके बारे में नहीं कहा है और इसका यह अर्थ नहीं है कि यह विधेयक की व्याप्ति से बाहर है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: यह आलरेडी डिसअलाऊ इसीलिए किया गया है, आप देख सकते हैं। यह रिलेटिड नहीं है। यह क्लाज 80 में आलरेडी मैन्शन है, वियान्ड दि स्कोप है। आलरेडी डिसअलाऊ हो गया है।

[अनुवाद]

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: इसे कैसे अस्वीकार किया जा सकता है? यह नियमानुसार नहीं है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: संशोधन विधेयक के क्षेत्र के भीतर होना चाहिए और खंड की उस विषय-वस्तु से संगत हो जिससे वह संबंधित है।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: कोई यह कैसे कह सकता है कि यह विधेयक की विषय-वस्तु से संबंधित नहीं है। ...*(व्यवधान)* क्या आप नियम को देखेंगे? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैंने पहले ही नियम 80(एक) का उल्लेख किया है और आपका संशोधन विधेयक के क्षेत्र से बाहर का है।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, मैं आपके विनिर्णय पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगा रहा हूं किंतु मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि किस प्रकार यह विधेयक के क्षेत्र से बाहर है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह इसके लिए उचित समय नहीं है।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, यदि यह समय उचित नहीं है तो फिर मैं कब अपना संशोधन रख सकता हूं? ...*(व्यवधान)* मैं यह कहूंगा कि यह मनमाने तरीके से किया गया है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 46 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 26 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

खंड-1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब हम मद सं.-39 अर्थात् त्रिपुरा विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 पर विचार करेंगे।

प्रश्न यह है:

"कि त्रिपुरा राज्य में अध्यापन और संबद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 48 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 48 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा मद सं.-40 अर्थात् राजीव गांधी विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 पर विचार करेगी।

[अनुवाद]

प्रश्न यह है:

"अरुणाचल प्रदेश राज्य में अध्यापन और संबद्ध विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ करेगी।

खण्ड 2

परिभाषाएं

श्री कीरेन रिजीजू: सर, मैं यह क्लेरिफाइ कर दूं क्योंकि मंत्री जी ने बोला था, वह तो गलतफहमी थी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपनी सीट पर बैठ जाए। किसी भी स्पष्टीकरण को अनुमति नहीं दी जायेगी।

...(व्यवधान)

श्री कीरेन रिजीजू: सर, एक प्वाइंट पर मैं बोलना चाहता हूं। क्लेरिफाइ करना जरूरी है।

सभापति महोदय: हो गया। आप मूव कर रहे हैं? बोलिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री कीरेन रिजीजू: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"पृष्ठ 3, पंक्ति 9,-

"राजीव गांधी" के स्थान पर

"अरुणाचल" प्रतिस्थापित किया जाए। (2)

सर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि राजीव गांधी के नाम से हमें आपत्ति है। हमने शुरू में क्लिअर कर दिया है कि हम राजीव गांधी जी का आदर करते हैं। उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारी आपत्ति यह है कि जो इम्प्रैशन और जो वहां असेम्बली में कहा गया है कि सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी का नाम अरुणाचल था। अरुणाचल यूनिवर्सिटी को चेंज करके अगर राजीव गांधी नाम नहीं रखेंगे तो सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी भी नहीं मिलेगी और पैसा भी नहीं मिलेगा।

[अनुवाद]

इससे गलत प्रभाव पड़ेगा। और इसीलिए, मैं यह संशोधन लाया हूं। कृपया मेरे मुद्दे को स्पष्ट करें। मैं राजीव गांधी विश्वविद्यालय विधेयक के पूर्ण समर्थन में हूं।

[हिन्दी]

इसमें कोई बात नहीं है लेकिन गलतफहमी फैलाई गई है और हमने आखिरी बार यह कहा है कि राजीव गांधी जी के नाम पर अगर रखना है तो रख दीजिए, हमें आपत्ति नहीं है। हम अमेंडमेंट भी विदड्रा करेंगे लेकिन उसमें जो अरुणाचल शब्द है, वह डाल दिया जाए क्योंकि अरुणाचल नाम गायब हो गया है। अगर मंत्री जी इस बारे में एस्योरेंस देंगे तो,

[अनुवाद]

मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिए तैयार हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मल अली अशरफ फातमी: बड़ी खुशी की बात है कि आपने इस चीज को माना कि राजीव गांधी जी का नाम रहे तो उसमें आपको आपत्ति नहीं है। *...(व्यवधान)* मेरी बात सुनिए। लेकिन चूंकि मैंने आपसे पहले ही बताया कि हम कोई नाम नहीं रख रहे हैं। वहां से जो नाम आया है, हम वही नाम यहां पर दे रहे हैं। जो भी स्टेट में नाम था, हम लोग उसी नाम को कंसीडर कर रहे हैं। दूसरे, यह जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी नाम

है, यह नाम स्टेट असेम्बली ने पास करके भेजा है। इसमें हम यहां इंटरफिअर नहीं कर सकते। ...*(व्यवधान)*

श्री कीरेन रिजीजू: सर, यह तो क्लिअर करना जरूरी है। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो कहा है, वह गलत बात कही है। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: देखिए। एक बात सुनिए। सेन्ट्रल गवर्नमेंट कभी यह नहीं कहती कि अमुक नाम रखा जाए तभी पैसा देगी। ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं कहा। ...*(व्यवधान)* आप पहले मेरी बात सुनिए। स्टेट में क्या हुआ, वह मुझे नहीं मालूम। स्टेट से जो नाम आया है, उसी को हम लोगों ने इस बिल में लाने का काम किया है और चूंकि यह बिल राज्य सभा से भी पास हो गया है, स्टैंडिंग कमेटी में भी जा चुका है और सब जगह से यहां थ्रू होकर आया है। इसलिए आपको इसमें आपत्ति नहीं करनी चाहिए। यह एक अच्छा कदम है, इसे आगे बढ़ाना चाहिए और स्टेट असेम्बली ने नाम दिया है। यह नाम हमने नहीं दिया है। ...*(व्यवधान)*

श्री कीरेन रिजीजू: मैंने यह अमैंडमेंट अरुणाचल नाम जोड़ने के लिये दिया है। हमें राजीव गांधी के नाम से ऐतराज नहीं है। मैं मंत्री जी से रिक्वैस्ट करूंगा कि इस पर विचार करें।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: इस काम को वहां की असैम्बली में कराने की जरूरत थी। चूंकि यह नाम वहीं से आया है, इसलिये वही नाम रख दिया गया है। मेरी सदस्य से रिक्वैस्ट है कि वह अपना अमैंडमेंट विदड्रा कर लें।

[अनुवाद]

श्री कीरेन रिजीजू: हम श्री राजीव गांधी के नाम के विरुद्ध नहीं हैं।

[हिन्दी]

सभापति जी, मंत्री जी एश्योरेंस दे दें तो मैं विदड्रा करने के लिए तैयार हूं। मंत्री जी, आप इतना बता दें कि क्या फ्यूचर में देख लेंगे?

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: आपकी स्टेट से ही आयेगा। सदन को विचार करने का बराबर अधिकार है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री कीरेन रिजीजू: लेकिन यह सैंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई है।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: आप बिल तो पास होने दीजिये, उसके बाद देखेंगे।

श्री कीरेन रिजीजू: मैं बार-बार रिक्वैस्ट कर रहा हूं कि आप एश्योरेंस तो दीजिये।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: आप बिल तो पास होने दें, उसके बाद देखा जायेगा।

श्री कीरेन रिजीजू: सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने कह दिया है तो मैं अमैंडमेंट विदड्रा करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: क्या सभा श्री कीरेन रिजीजू द्वारा रखे गए संशोधन संख्या 2 को वापस लेने की अनुमति देती है?

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3

विश्वविद्यालय की स्थापना

श्री कीरेन रिजीजू: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 3, पंक्ति 11,-

''राजीव गांधी'' के स्थान पर

''अरुणाचल'' प्रतिस्थापित किया जाए। (3)

पृष्ठ 3, पंक्ति 13,-

''राजीव गांधी'' के स्थान पर

''अरुणाचल'' प्रतिस्थापित किया जाए। (4)

सभापति महोदय: क्या आप अपने संशोधन वापस ले रहे हैं?

श्री कीरेन रिजीजू: जी, हां।

सभापति महोदय: क्या सभा श्री कीरेन रिजीजू द्वारा रखे गए संशोधन संख्या 3 और 4 को वापस लेने की अनुमति देती है?

संशोधनों को, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

श्री तापिर गाव: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 3, पंक्ति 19–

"इटानगर" के स्थान पर

"रोनो हिल" प्रतिस्थापित किया जाए। (5)

मैं एक स्पष्टीकरण मांगना चाहता हूं। देशवासी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री का आवासीय पता 7, रेस कोर्स मार्ग है। यदि माननीय प्रधान मंत्री के पते को राष्ट्रपति भवन के रूप में दर्शाया जाए तो कैसा प्रतीत होगा? इसी प्रकार यहां विश्वविद्यालय रोनो हिल पर स्थित है। किन्तु विधेयक में इसका उल्लेख 'इटानगर' के रूप में किया गया है। इसलिए, मैं मंत्री जी से 'इटानगर' के स्थान पर 'रोनो हिल' को प्रतिस्थापित करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: सभापति जी, मैंने पहले ही बता दिया है कि जहां पर वह यूनिवर्सिटी है, वह वहां से चलेगी। जैसे सैंट्रल यूनिवर्सिटी बनायी है।

श्री तापिर गाव: मैं आपकी बात से समहत हूं। इसमें दो राय नहीं हैं लेकिन यह यूनिवर्सिटी रोनो हिल्स में लोकेटेड है और दूर है। अगर ईटानगर की जगह रोनो हिल्स डाल दिया जायेगा तो अच्छा रहेगा।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: जो जगह है, वहीं रहेगी।

श्री तापिर गाव: लेकिन जगह का नाम तो रोनो हिल्स है।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: वह आटोमैटिकली रहेगा।

[अनुवाद]

श्री तापिर गाव: मैं एक और स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री उस पर विश्वास कर रहे हैं जिसे विधान सभा ने पारित किया है। मान लीजिए, अरुणाचल प्रदेश सरकार चीन में मिलने का संकल्प पारित कर देती है तो क्या संसद सहमत होगी? *...(व्यवधान)* यह सुधार के अध्यधीन है। *...(व्यवधान)*

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): इसे स्थायी समिति को भेजा गया था। *...(व्यवधान)*

श्री तापिर गाव: महोदय, जब यह सुधार के अध्यधीन है तो हम यह सुधार संसद में ही कर सकते हैं। मैं सम्माननीय सभा को गुमराह नहीं कर रहा हूं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: सभापति जी, मैंने पहले ही बताया कि यह बिल पहले राज्य सभा में आया, फिर स्टैन्डिंग कमेटी में गया, फिर राज्य सभा में पास हुआ और इस नाम के बारे में मैंने पहले भी कहा कि स्टेट असैम्बली के पास होकर आया। उसी को हमने कंसिडर किया। जब दूसरे माननीय सदस्य ने विदड्रा किया है तो आपसे भी निवेदन है कि आप भी इसको विदड्रा कर लें।

[अनुवाद]

श्री विजय हान्डिक: ये संशोधन कभी भी किये जा सकते हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री तापिर गाव, क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री तापिर गाव: महोदय, मैं इसे वापस नहीं लूंगा। अरुणाचल प्रदेश के लोगों को यह देखने दीजिए कि इस सभा में क्या हो रहा है। जहां तक पते में परिवर्तन का संबंध है, मैं पते में कोई परिवर्तन नहीं करने वाला हूं। मैं वास्तविक पता दे रहा हूं कि 'रोनो हिल' मेरा पता है। मैं विधेयक के विरुद्ध नहीं हूं और मैं किसी चीज के विरुद्ध नहीं हूं। परन्तु मैं नाम में केवल परिवर्तन चाहता हूं। *...(व्यवधान)* इसलिए, मैं संशोधन प्रस्तुत करता हूं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: यह जिस तरह से स्टेट असैम्बली से आया, उसमें जिस तरह का नाम है, हमने उसी नाम को यहां देने का काम किया। हमने उसमें कोई तब्दीली नहीं की। जो एड्रैस पहले से था, जिस नाम से वहां था, वही है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री तापिर गाव, क्या आप अपना शंशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं या वापस ले रहे हैं?

श्री तापिर गाव: महोदय, जब कोई सभा में सच बोलता है तो हमें राजनीति के संख्या संबंधी खेल को सम्बद्ध नहीं करना चाहिए जिससे अरुणाचल प्रदेश की युवा पीढ़ी पर गलत प्रभाव न पड़े। फिर भी, मैं माननीय मंत्री और सरकार से सही पता देते हुए भविष्य की और पुनः देखने का अनुरोध करता हूं। अन्यथा, यदि संसद, विश्वविद्यालय को पत्र भेजता है, तो यह ईटानगर पहुंचेगा जो 30 कि.मी. दूर है। इसलिए, इसे निश्चित करने के लिए मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं। मैं माननीय मंत्री से संसद में हमने जो कुछ कहा है उस पर कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं। मैं संशोधन वापस लेता हूं।

सभापति महोदय: क्या सभा माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति देती है?

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

संशोधन, सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय: श्री कीरेन रिजीजू क्या अपने संशोधन संख्या 6 से 12 रख रहे हैं।

श्री कीरेन रिजीजू: जी हां, महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 3, पंक्ति 21

"राजीव गांधी" के स्थान पर

"अरुणाचल" प्रतिस्थापित किया जाए। (6)

पृष्ठ 3, पंक्ति 23-

"राजीव गांधी" के स्थान पर

"अरुणाचल" प्रतिस्थापित किया जाए। (7)

पृष्ठ 3, पंक्ति 25-

"राजीव गांधी" के स्थान पर

"अरुणाचल" प्रतिस्थापित किया जाए। (8)

पृष्ठ 3, पंक्ति 28-

"राजीव गांधी" के स्थान पर

"अरुणाचल" प्रतिस्थापित किया जाए। (9)

पृष्ठ 4, पंक्ति 6-

"राजीव गांधी" के स्थान पर

"अरुणाचल" प्रतिस्थापित किया जाए। (10)

पृष्ठ 4, पंक्ति 10-

"राजीव गांधी" के स्थान पर

"अरुणाचल" प्रतिस्थापित किया जाए। (11)

पृष्ठ 4, पंक्ति 15-

"राजीव गांधी" के स्थान पर

"अरुणाचल" प्रतिस्थापित किया जाए। (12)

श्री कीरेन रिजीजू: महोदय, माननीय मंत्री जी से आश्वासन पाने के बाद मैं संतुष्ट हूं। मैं भविष्य में सुधार के अध्यधीन अपने संशोधन वापस लेता हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: क्या सभा माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति देती है?

अनेक माननीय सदस्य: जी, हां।

संशोधनों को सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदयः प्रश्न है:

"कि खंड 5 से 30 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 से 30 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 31-अध्यादेश बनाने की शक्ति

सभापति महोदयः श्री कीरेन रिजीजू, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत करने जा रहे हैं?

श्री कीरेन रिजीजूः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 13, पंक्ति 20 और-

"राजीव गांधी" के स्थान पर

"अरुणाचल प्रदेश" प्रतिस्थापित किया जाए।

सभापति महोदयः क्या आप इसे वापस ले रहे हैं?

श्री कीरेन रिजीजूः मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

सभापति महोदयः क्या सभा माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति देती है?

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

"कि खंड 31 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 31 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 32 से 49 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

खंड 1

विधेयक का संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

सभापति महोदयः श्री कीरेन रिजीजू, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करने जा रहे हैं?

श्री कीरेन रिजीजूः मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 1, पंक्ति 3-

"राजीव गांधी" के स्थान पर

"अरुणाचल" प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

सभापति महोदयः क्या आप इसे वापस ले रहे हैं?

श्री कीरेन रिजीजूः मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

सभापति महोदयः क्या सभा माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति देती है?

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमीः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः अब मैं 'शून्य काल' आरम्भ कर रहा हूं।

श्री रामजीलाल सुमन—उपस्थित नहीं। श्री शैलेन्द्र कुमार।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से, इस सदन के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण

विषय पर मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। इस लोक सभा का टी.वी. चैनल अभी कुछ ही महीने पहले शुरू हुआ है और उसकी एक सलाहकार परिषद का भी गठन हुआ है, जिसके चेयरमैन सम्मानित अध्यक्ष हैं। मुझे उसमें मेम्बर होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रथम बैठक में यह कहा गया कि इस चैनल को पूरे भारतवर्ष में दिखाया जाए, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिसमें लगभग 16 से लेकर 22 करोड़ रुपए व्यय हुए हैं। सभी लोगों की यह मंशा रही है कि जो टी.वी. चैनल लोक सभा शुरू हुआ है, वह पूरे हिन्दुस्तान के दूरदराज इलाकों में दिखाया जाए। सदन के माननीय सदस्यों की भी यह मंशा रही कि कम से कम जो देश की सबसे बड़ी पंचायत लोक सभा में हमारे प्रतिनिधि चुन कर आए हैं, वे किस तरीके से अपने क्षेत्र की बात, अपने क्षेत्र की समस्या और अपने क्षेत्र के विकास की बात रख रहे हैं, उनकी क्या परफोरमेंस है, उसे कम से कम उस क्षेत्र की जनता वहां देखे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि कम से कम एक तरीके से सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर या वहां के मुख्य सचिव को एक पत्र सरकार की तरफ से जाना चाहिए कि इसे कड़ाई से लागू करें और जो भी हमारे पार्लियामेंट के मेम्बर्स हैं, उनके दूरदराज इलाके में, जहां भी प्राईवेट केबल आपरटेर्स हैं, वे लोक सभा चैनल को जरूर दिखाएं और यदि न दिखाएं तो उनका लाइसेंस रद्द किया जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर तरीके से मांग करता हूं कि इसकी व्यवस्था की जाए।

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के वित्त मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि 16 तारीख को जीवन बीमा निगम के एजेंट्स ने देश भर में धरना दिया, प्रदर्शन किया। उनकी मांग यह है कि जीवन बीमा निगम में जो एजेन्ट्स हैं, उनकी तीन-चार मोटी-मोटी मांगें हैं, वहां एक व्यक्ति 10-15 वर्ष काम करता है।

महोदय, जीवन बीमा निगम के एजेंट बढ़िया काम करते हैं, लेकिन छोटी-मोटी कंपलेंट पर उनकी एजेंसी समाप्त कर दी जाती है और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। जीवन बीमा निगम के एजेंटों को न कोई पेंशन मिलती है, न ग्रेच्युटी मिलती है, न कोई मैडीकल क्लेम की सुविधा है जबकि वे निगम के काम को आगे बढ़ाने में सदैव तत्पर रहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जाती है।

महोदय, कुछ दिन पूर्व जो धरना उन्होंने दिया वह इसी बात को लेकर था। उनमें रोष था कि जीवन बीमा निगम ने अपने स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के नाम पर 800 किलो सोना अधिकारियों में बांट दिया, लेकिन एजेंटों को एक ग्राम सोना भी नहीं दिया गया और न ही अन्य प्रकार का कोई लाभ दिया गया। दूसरी ओर निगम के पूर्व चेयरमैन की बच्ची के कार्यक्रम में मौरीशस में आठ करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन देशभर में फैले 10 लाख एजेंटों को जीवन बीमा निगम ने आज तक कोई सुविधा प्रदान नहीं की है। इसलिए मैं आपके माध्यम से खासतौर से वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि जीवन बीमा निगम के जो एजेंट निगम का काम बढ़ाने में लगे हुए हैं, जो जीवन बीमा निगम की रीढ़ के समान हैं, उन्हें सभी प्रकार की सुविधा प्रदान करें। धन्यवाद।

रात्रि 8.51 बजे

[**श्री वरकला राधाकृष्णन** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

***श्री लोनाप्पन नम्बाडन** (मुकुन्दपुरम): यह हमारे लिए कलंक का मामला है कि स्वतंत्रता के 59 वर्षों के पश्चात् भी हमारे देश में हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शा तथा साइकल रिक्शा विद्यमान हैं। रिक्शाचालक अपने साथी मनुष्यों का बोझ ढोने के लिए अभिशप्त हैं रिक्शा दासता प्रणाली का एक अवशेष है और हमें इसे रोकना चाहिए।

आज भी, कई नगरों तथा शहरों में हाथ से खींचा जाने वाला रिक्शा तथा साइकल रिक्शा देखा जा सकता है। इस क्षेत्र में लाखों गरीब श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है। उनमें से कई गंभीर रोगों के शिकार हो जाते हैं और उनको असामयिक मृत्यु हो जाती है।

हमने कई मोर्चे पर तरक्की की है, लेकिन यह खेद का विषय है कि हम रिक्शाचालकों की जीवन दशाओं में सुधार नहीं कर सके। रिक्शा चालकों को आटो-रिक्शा खरीदने के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए सब्सिडी दी जानी चाहिए। इस तर्ज पर एक केंद्रीय विधान तैयार किया जाना चाहिए। रिक्शाचालकों के लिए कल्याण निधियां तथा पेंशन योजना होनी चाहिए।

मैं सरकार से तत्काल कदम उठाने तथा इस क्षेत्र में लाखों गरीब मजदूरों को बचाने का अनुरोध करता हूं।

श्री भर्तृहरि महताब: सभापति महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के एक महत्वपूर्ण मामले को उठाना चाहता हूं। यह नदियों

---

*मूलत: मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री भर्तृहरि महताब]

की सफाई के कार्य को केंद्रीय परियोजना के रूप में लेने की आवश्यकता से संबंधित है।

जबकि भारत की सर्वाधिक महत्वाकांक्षी नदी सफाई परियोजना गंगा कार्य योजना-1 तथा गंगा कार्य योजना-2 काफी असफल साबित हुई हैं और परियोजनाएं अपने निर्धारित समय से 13 वर्ष पीछे चल रही है, यह कुछ सर्वाधिक प्रदूषित नदियों को राष्ट्रीय नदी घोषित करने तथा इन नदियों की सफाई के लिए सीधे हस्तक्षेप करने का सही समय है।

राष्ट्रीय नदी अवधारणा नई नहीं है तथा केन्द्रीय जल आयोग को नदियों के लिए मानदण्ड तैयार करना चाहिए तथा शीघ्र इसे अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। इसके उपरांत ही केंद्र सरकार नदी सफाई को केंद्रीय परियोजना के रूप में ले सकती है। जैसा कि हमें विदित है कि 1997 में एक विशेष अध्यादेश के द्वारा जल को केंद्र सूची से हस्तांतरित कर राज्य विषय के रूप में सूचीबद्ध किया गया।

गंगा कार्य योजना की 2006 की सरकारी लेखापरीक्षा में यह कहा गया है कि योजना में इसके मलजल ट्रीटमेंट का मात्र 39 प्रतिशत लक्ष्य पूरा हुआ। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है कि गंगा की सफाई पर 30 करोड़ रुपए व्यय करने के पश्चात् भी गंगा पहले की तरह अस्वच्छ है।

यही स्थिति देश की अन्य सभी प्रमुख नदियों की है। चाहे कटक हो अथवा सम्बलपुर, महानदी की स्थिति धीरे-धीरे गंगा की तरह हो रही है। महानदी को प्रदूषण के काफी ऊंचे स्तर तथा जल की गुणवत्ता के क्रमिक ह्रास का सामना करना पड़ रहा है। महानदी के कैचमेंट तथा प्रमुख उद्योगों का लगभग 80 प्रतिशत मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के अपस्ट्रीम क्षेत्र में अवस्थित हैं। राजनंदगांव, भिलाई, दुर्ग, बिलासपुर तथा कोरबा जैसे बड़े शहर इसकी सहायक नदियों के किनारे हैं। वहां अवस्थित उद्योग नदी में बहिःस्राव छोड़ते हैं और इस प्रकार नदी प्रदूषण की कहानी आरंभ होती है।

परेशान करने वाली बात यह है कि अपने प्रदूषकों के साथ नदी जल स्तर को और अवक्रमित करती है और सम्बलपुर से गुजरकर कटक पहुंचने पर इसका पानी मानव के पीने लायक नहीं रह जाता है।

मैं सरकार से नदी सफाई का कार्य केंद्रीय परियोजनाओं के रूप में शीघ्र लेने तथा इसमें महानदी तथा ब्रह्ममिनि को शामिल करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत): महोदय, पूरे देश में हर वर्ष किसानों की समस्याओं पर चर्चा होती है। किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वे आत्महत्याएं कर रहे हैं। सारा देश जानता है कि कितनी बार इस पर बहस हुई है।

हरियाणा में वैसे तो सारे देश में एस.ई.जेड. के नाम पर जमीनें एक्वायर हो रही हैं, कहीं पानी के लिए, कहीं किसी चीज के लिए किसान सत्याग्रह कर रहे हैं। हरियाणा जैसे प्रान्त में 8-9 जगह किसान सत्याग्रह कर रहे हैं, कहीं एस.ई.जेड. बन रहा है, तो वहां पर किसानों की जमीन सस्ती एक्वायर हो रही हैं, 18-18 लाख रुपये में ढाई-ढाई करोड़ रुपये एकड़ की जमीन एक्वायर कर रहे हैं, इससे किसान एजीटेटिड हैं, कहीं डी.ए.पी. खाद और कहीं यूरिया खाद नहीं मिल रहा है, उस कारण एजीटेशन में हैं, कहीं सूखे में मर रहे हैं और बागा भिवानी जिले में एक ऐसा स्थान है, वहां के किसान बिजली की कमी के कारण कई महीनों से लगातार एजीटेशन कर रहे हैं। उनकी मांग है, उन्होंने कनैक्शन के लिए पैसे एडवांस में जमा करा रखे हैं, कई-कई साल हो गये, लेकिन उनको बिजली के कनैक्शन नहीं मिल रहे हैं। वाटर लेविल इतना नीचे चला गया, वे उस हिसाब से मांग करते हैं कि स्लैब प्रणाली लागू हो जाये। ट्यूबवैल के पैसे के बारे में उनको आप बतायें, उन किसानों को बिजली मिल नहीं रही है और एक तरफ सरकार ने बिजली के रेट बढ़ा दिये, दो फेज की बिजली तो मिलने का तो सवाल ही नहीं है। ऐसी बिजली नहीं मिलती है तो पावर के बिना उसकी सारी मोटरें जल जाती हैं, ऐसी स्थिति बनी हुई है।

हरियाणा जैसा खुशहाल प्रान्त जिसे कहा जाता है, वहां लोग किसानों के नाम पर राजनीति करते हैं। राज बनने के बाद वे किसानों को भूल जाते हैं। आज पूरे प्रदेश का किसान एजीटेटिड है, बिजली की कमी की वजह से, खाद की कमी की वजह से, उनकी जमीनें सस्ते दामों पर एक्वायर हो रही हैं, किसान लुट रहा है, इसलिए मेरी आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग है कि वह इसमें इण्टरफियर करे और सरकार को डायरैक्शन दे कि उनकी बात सुने। वह कम से कम बात तो सुने, आज कोई उनकी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। आज किसान इतने अपमानित हुए बैठे हैं, इसलिए उनकी हर तरह की समस्या का समाधान करे।

श्री राजनरायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ.प्र.): सभापति महोदय, मैं स्कूली बच्चों से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। आज देश के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छोटे-छोटे

बच्चे, जिनकी आयु चार साल से 12 साल तक है, उन्हें उनके वजन के प्रतिशत के आधार पर अधिक वजन के बस्तों को लेकर स्कूल जाना पड़ता है। जहां पर यातायात के साधन तथा नजदीक स्कूल की सुविधा नहीं है, वहां पर इन बच्चों को पैदल ही बस्ता लेकर जाना होता है, जिस कारण बच्चों में पीठ दर्द, कमर दर्द एवं पेट दर्द जैसी समस्याएं आम होती जा रही हैं। आज ज्यादातर स्कूलों, विशेषकर निजी स्कूलों में नर्सरी से लेकर कक्षा आठ तक पढ़ने वाले बच्चों पर बस्तों का बोझ जरूरत से बहुत ज्यादा होने से उक्त शिकायतें बढ़ती जा रही हैं।

इस बात को लेकर कई देशों में सर्वेक्षण हुआ है, जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि बच्चे के वजन के दस फीसदी से ज्यादा वजन का बस्ता नहीं होना चाहिए।

रात्रि 9.00 बजे

लेकिन भारत में 11 से 14 साल के बच्चों का वजन तो 30 से 35 किलोग्राम होता है, जबकि उनके बस्ते का वजन सात से दस किलोग्राम तक होता है अर्थात निर्धारित सीमा से लगभग दोगुना वजन भारतीय बच्चे वहन कर रहे हैं।

अत: सरकार से बच्चों के भविष्य निर्धारण के लिए मांग करता हूं कि सरकार के नियंत्रण में चलने वाले स्कूलों एवं अन्य निजी स्कूलों में बस्ते के बोझ को कम कराने हेतु तत्काल कदम उठाये जाने चाहिए।

श्री संतोष गंगवार (बरेली): महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र बरेली स्थित एशिया की एक मात्र सबसे बड़ी कृत्रिम रबड़ बनाने वाली फैक्ट्री मेसर्स सिन्थेटिक्स एंड कैमीकल्स लिमिटेड के प्रबंधकों की अदूरदर्शिता एवं कुप्रबंधन के कारण 15 जुलाई, 1999 से बंद पड़ी है। इसके करीब तीन हजार स्थायी श्रमिक व एक हजार से अधिक दैनिक वेतनभोगी श्रमिक इसमें कार्यरत थे तथा इससे करीब दस हजार परिवार प्रभावित हो रहे हैं। उक्त फैक्ट्री कृत्रिम रबड़ बनाने की एशिया की एक मात्र फैक्ट्री होने के कारण करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा भी बचाती थी।

यूं तो प्रबंधन द्वारा सभी कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश पर भेजा गया है, परंतु प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों को वेतन व अन्य देयों का भुगतान फरवरी, 1999 से आज तक नहीं किया गया है। प्रबंधन समय-समय पर फैक्ट्री को चलाने एवं समस्य देयों का भुगतान करने का झूठा आश्वासन देता आया है।

इन लगातार असत्य एवं भ्रामक आश्वासनों के कारण सभी कर्मचारी गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। कुछ कर्मचारियों को आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या तक करनी पड़ी है तथा धनाभाव के कारण ये लोग अनेकों समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

यह फैक्ट्री जो बी.आई.एफ.आर. में चली गयी है, प्रबंधकों द्वारा उचित प्रक्रिया न अपनाये जाने के कारण अब तक कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकल पाया है। निरंतर प्रयास जारी हैं।

मेरा केंद्र सरकार से आपके माध्यम से आग्रह है कि जनहित में इस महत्वपूर्ण संस्थान को अधिग्रहीत कर इसे चलाये जाने के निर्देश करें तथा मजदूरों के अवशेष देय व वेतन आदि का अतिशीघ्र समय पर भुगतान कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करवायें।

[अनुवाद]

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश (कनकपुरा): आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं केंद्रीय रेलवे बोर्ड द्वारा सभी अनुदेश-सूचनात्मक साइनबोर्ड हिन्दी तथा अंग्रेजी में लगाने तथा क्षेत्रीय भाषाओं के सभी साइनबोर्ड हटाने के लिए जारी किए गए दुर्भाग्यपूर्ण परिपत्र से संबंधित मामला उठाना चाहती हूं, जिसके परिणामस्वरूप मेरे राज्य कर्नाटक में लोगों में व्यापक असंतोष है।

वर्षों से हमारे लोगों ने रेलवे सूचना को अपनी मातृभाषा में जानने के विशेषाधिकार का लाभ उठाया है। रेलवे बोर्ड के गैर-जिम्मेदार अधिकारी हमारे लोगों के बुनियादी अधिकार को रातोंरात कैसे छीन सकते हैं। इस अविवेकपूर्ण कार्य के पीछे मंशा क्या है? जबकि उन्होंने तमिलनाडु को हिन्दी के बोर्ड प्रदर्शित करने से छूट दी है तथा तमिलों को स्थानीय राजकीय भाषा, अर्थात् तमिल का उपयोग हिन्दी के स्थान पर करने की अनुमति दी है, फिर वे कर्नाटक को कन्नड़ के उपयोग की अनुमति क्यों नहीं दे रहे? क्या वे इस अविवेचित कार्य द्वारा बढ़ने वाले जमीनी अप्रत्यक्ष परिणामों के प्रति असंवेदनशील हैं?

हमारी भाषा कन्नड़ कर्नाटक राज्य की राजभाषा है, जिसे देश की क्षेत्रीय भाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। इसे सात ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं, जो कि देश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। इसका 2000 वर्ष पुराना समृद्ध प्राचीन साहित्यिक इतिहास है और कन्नड भाषी केंद्र सरकार से कन्नड़ के लिए प्राचीन भाषा का दर्जा प्रदान किए जाने की उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। महोदय, मैं सरकार से कन्नड़ भाषा को प्राचीन भाषा का दर्जा शीघ्र प्रदान करने की मांग करती हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप अपनी मांग पर आइए।

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश: महोदय, यह एक काफी संवेदनशील मुद्दा है। कृपया मुझे कुछ और समय दीजिए।

महोदय, इन परिस्थितियों में रेलवे बोर्ड का व्यवहार बहुत भड़काने वाला तथा कन्नड़ भाषियों के सम्मान को चोट पहुंचाने वाला है। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक देशभक्त संसद सदस्या हूं मैं हमेशा ही राष्ट्रीय एकता तथा अखण्डता की पक्षधर रही हूं। तमिलभाषियों की तरह हमने हिन्दी भाषा का हिंसात्मक रूप से विरोध नहीं किया है। ...*(व्यवधान)*

श्री जे.एम. आरून रशीद (पेरियाकुलम): कृपया तमिलभाषियों को हिंसक मत कहिए। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश: कृपया पूरी तरह से सुनिए। हिंसक होना आपका अधिकार है। ...*(व्यवधान)* मैं आपके अधिकार का समर्थन करती हूं। आप उद्वेलित क्यों हो रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: महोदया कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए।

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश: महोदय, हिन्दी के प्रति कन्नड़भाषियों का रवैया बहुत ही प्रगतिशील रहा है। लेकिन हमारे दिमाग के खुलेपन को कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। साथ ही हमारी सुविधा के लिए हम हिन्दी भाषा को स्वीकार करते हैं बशर्ते कि हमारी स्थानीय भाषा अर्थात् कन्नड़ को सभी जगह प्राथमिकता दी जाए। हम कन्नड़ पर हिन्दी या अंग्रेजी की श्रेष्ठता तानाशाही या थोपे जाने की अनुमति नहीं देंगे या स्वीकार नहीं करेंगे। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वह विशेष उल्लेख नहीं है। यह भाषण है।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश: रेलवे बोर्ड के परिपत्र को वापस लेने तथा यथास्थिति बनाए रखने के लिए रेलवे स्टेशनों, रेलगाड़ियों पर कन्नड़ भाषा में संकेत, सूचनाएं तथा अनुदेश लिखे जाने हेतु मेरे द्वारा अनुरोध करने के बावजूद भी इसे वापस नहीं लिया गया है। यदि वे नया परिपत्र लागू करते हैं तो मुझे प्रबल विरोध शुरू करने तथा संसद भवन में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

इसलिए, मैं रेल मंत्री श्री लालू जी से अनुरोध करती है कि वे इस पर ध्यान दें ...* अन्यथा, इस प्रकार के कार्यों से देश बंट जाएगा तथा देश की अखण्डता एवं मातृत्व को नुकसान होगा।

सभापति महोदय: श्रीमती तेजस्विनी, कृपया अपनी सीट पर बैठिए। आप भाषण दे रही हैं। यह 'शून्य काल' चल रहा है तथा बहस नहीं चल रही है।

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश: महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री से मांग करती हूं कि संविधानिक रूप से मान्यता प्राप्त सभी राज्य भाषाओं को रेलवे के संबंधित गंतव्य स्थानों में प्रयोग किये जाने की अनुमति दी जाए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम लोकतंत्र की संघीय प्रणाली अपनाए हुए हैं जिसमें राज्यों के पास अपनी शक्तियां हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: महोदया, आप अपना भाषण सभा पटल पर रख सकती हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब, श्री चेंगरा सुरेन्द्रन बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश: महोदय, मेरा लालू जी से अनुरोध है कि वे इस पर शीघ्र कार्रवाई करें तथा इस नए परिपत्र को वापस लेने हेतु रेलवे बोर्ड को निदेश दें। एक बार फिर मैं रेलवे बोर्ड द्वारा बिना परिणाम जाने जारी किए गए इस विषमय एवं अपरिपक्व परिपत्र की निन्दा करती हूं।

सभापति महोदय: आपने तो हद ही कर दी।

भाषण के वे भाग जो नीति के अनुरूप नहीं हैं उन्हें निकाल दिया जाए।

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन (अडूर): महोदय, मैं खाड़ी देशों में भारतीय मजदूरों की समस्याओं से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उठाना चाहता हूं। खाड़ी देशों में लाखों भारतीय काम कर रहे हैं। उनमें से अधिकांश केरल के हैं। भारत में विकासात्मक कार्यों में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सरकार ने उनकी समस्याओं पर कभी ध्यान नहीं दिया है। उनकी समस्याएं भर्ती स्तर से ही शुरू हो जाती है। आजकल इन भर्ती एजेंसियों पर भारत सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए, बड़ी संख्या में मजदूरों को इन एजेंसियों द्वारा ठगा जाता है एवं उनका शोषण किया जाता है। अकुशल मजदूर विशेषकर महिला मजदूर सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। वीजा में विनिर्दिष्ट काम उन्हें नहीं मिलता है। समाचार पत्रों की रिपोर्टों के अनुसार उनमें से कई महिलाओं को वेश्या केन्द्रों में जाना पड़ता है। प्रायोजकों द्वारा मानसिक तथा शारीरिक उत्पीड़न एक और समस्या है।

सभापति महोदय: श्री सुरेन्द्रन, कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त कर ही रहा हूं। यह बहुत ही गंभीर मामला है।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह खाड़ी देशों में मजदूरों के लिए तत्काल कदम उठाए जैसा कि: (1) भारत तथा विदेशों में भर्ती एजेंसियों पर समुचित नियंत्रण; (2) उचित हवाई टिकट प्रभार, (3) उत्प्रवास अनापत्ति प्राप्त करने में जटिलताओं को समाप्त किया जाना, (4) काम की सुरक्षा तथा वेतन संरक्षण, (5) अनुचित विलम्ब किए बगैर मृतकों के शवों को भिजवाने की कार्रवाई, (6) आप्रवासन शुल्क के रूप में एकत्रित की गई धनराशि को मजदूरों के कल्याण हेतु उपयोग में लाना; तथा (7) विमानपत्तनों पर जटिल कस्टम अनापत्ति प्रक्रिया को समाप्त करना।

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा): महोदय, मैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को स्थापित किए जाने के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रही हूं। वर्ष 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्री ने गुजरात सहित पांच राज्यों में पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को स्थापित करने की घोषणा की थी। मुझे यह बताते हुए खेद है कि ऐसा प्रतीत होता है कि अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं कि इस मामले में शीघ्रताशीघ्र आवश्यक कार्रवाई करे।

[हिन्दी]

श्री शिशुपाल एन. पटले (भण्डारा): सभापति महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सरकार को पता है कि महाराष्ट्र के विदर्भ में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। आत्महत्याएं रोकने के लिए हमें प्रधान मंत्री जी से लेकर राष्ट्रपति जी तक गुहार लगानी पड़ी। प्रधान मंत्री जी ने पिछले महीने विदर्भ का दौरा किया और किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं को रोकने का प्रयास किया था। लेकिन एक तरफ आत्महत्याओं को रोकने के लिए पैकेज दिया जा रहा है और दूसरी तरफ खदानों में क्लास फोर्थ के स्थानीय कामगारों को लेने के बजाय दूसरे राज्यों से कामगारों को लाकर भर्ती किया जा रहा है। वहां के स्थानीय किसानों ने उन खदानों के लिए, डेवलपमैंट के लिए अपनी जमीन दी है। भंडारा लोक सभा क्षेत्र में जो चिखला माइन्स है, वहां का मैग्नीज इतना अच्छा है कि इंटरनैशनल मार्केट में उसकी डिमांड है। ऐसे डेवलपमैंट के कामों के लिए किसानों ने अपनी जमीन दी है। वहां अच्छी तरह से खान चालू हुई। जब वहां क्लास फोर्थ के कामगारों को लेने की बात आयी, तो वहां के किसानों, उनके बच्चों को छोड़कर दूसरे राज्यों से कामगारों को लाकर भर्ती किया जा रहा है। इस कारण वहां किसानों के बच्चे हड़ताल कर रहे हैं। पिछले दस साल से वे डिमांड कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि वहां के स्थानीय किसानों द्वारा जमीन दी गयी है, इसलिए उन खदानों में किसानों के बच्चों को लिया जाये। जिन माइनिंग अधिकारियों ने इस तरह की अनियमितताएं कीं कि दूसरे राज्यों से लाकर क्लास फोर्थ के कामगारों को भर्ती किया, ऐसे अधिकारियों को दंडित किया जाये।

[अनुवाद]

श्री जी. करूणाकर रेड्डी (बेल्लारी): कृपया मुझे दो अथवा तीन मिनट बोलने की अनुमति दीजिए क्योंकि मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूं।

सभापति महोदय: यदि यह लिखित भाषण है तो आप उसे दे सकते हैं।

***श्री जी. करुणाकर रेड्डी:** सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं सरकार का ध्यान कन्नड़ भाषी लोगों और कन्नड़ भाषा के समक्ष उपस्थित समस्याओं तथा उसके तिरस्कार की ओर दिलाना चाहता हूं। कर्नाटक के लोग शांति प्रिय लोग हैं और आत्मसम्मान उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्री जी. करुणाकर रेड्डी]

है। मेरा कर्नाटक राज्य खूबसूरत उद्यानों और नदियों वाला स्थान है। इसे प्रसिद्ध कवियों के प्रख्यात केन्द्र के रूप में जाना जाता है। कर्नाटक में चंदन की लकड़ी बहुतायत में पाई जाती है। कर्नाटक की राजधानी को भारत का सिलिकोन शहर कहा जाता है, जहां पिछले एक दशक से अधिकांश सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां फल-फूल रही हैं।

अब समस्त कर्नाटक राज्य 1.11.1956 को इसके एकीकरण के गौरवपूर्ण क्षणों के स्मरणोत्सव को ''स्वर्ण कर्नाटक'' के रूप में मना रहा है। आश्चर्य है कि इस शुभ अवसर पर भारत सरकार द्वारा कन्नड़ लोगों तथा कन्नड़ भाषा के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है। मैं बहुत दुख के साथ यह बता रहा हूं।

कन्नड़ लोग शांति प्रिय हैं। साथ ही साथ मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं जब उनकी भाषा तथा लोग संकट में होते हैं तो वे चुप नहीं रहते। वे हर प्रकार के बलिदान के लिए तैयार हैं। कर्नाटक के एकीकरण के लिए बेल्लारी के कय्यागल रमजान साहब ने अपने जीवन का बलिदान किया था। इसी प्रकार से अनजावाड़ी सन्ना बसावनगौडा ने चुनाव लड़कर तथा जीतकर बेल्लारी को कर्नाटक में रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

महोदय, कर्नाटक के एकीकरण के लिए बलिदान देने वाले निस्वार्थ प्रभावशाली व्यक्तियों का स्मरण करना मेरा दायित्व है।

भारत की स्वतंत्रता से पहले विश्वरैया विद्यावारध का संगा कर्नाटक स्कूल की स्थापना का गौरव बेल्लारी को प्राप्त है। कन्नड़ भाषा का इतिहास दो हजार वर्ष से अधिक पुराना है। सभी प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच कन्नड़ भाषा और ज्यादा मजबूत होती जा रही है।

प्राचीन कन्नड़ साहित्य, दासा साहित्य, आधुनिक साहित्य, दलित साहित्य, बंडाया साहित्य तथा अन्य नवीन साहित्यिक आंदोलनों को बहुत सफलता प्राप्त हुई है।

कन्नड़ भाषा की सात ज्ञानपीठ पुरस्कार (साहित्यिक कार्यों के लिए देश में सबसे बड़ा पुरस्कार) मिल चुके हैं। कुवेम्पू बेन्द्रे, शिवराम करांथा, मास्तीवेंकटेश अय्यंगर यू आर अनंत मूर्ति, वी.के. गोकाक और गिरिश कनार्ड ने सबसे बड़े इन पुरस्कारों को जीतकर कन्नड़ का नाम रौशन किया है। कर्नाटक को इन साहित्यकारों पर गर्व है।

साहित्य के क्षेत्र में बेल्लारी जिले का महत्वपूर्ण योगदान है। बेल्लारी के जिन प्रख्यात लेखकों ने कन्नड़ भाषा को समृद्ध किया वे हैं—श्री नागेश शास्त्री, व्याकरण तीर्थ श्री चन्द्रशेखर शास्त्री, बेल्लारी राघव, जोलाड़ा राशि डोडाना गौड़ा, बेल्लारी बीची तथा अन्य।

चारोजी एरम्मा, निरक्षर होने के बावजूद प्राचीन कन्नड़ साहित्य की कविताएं गातीं थीं। जी.एस. शिवरूद्रप्पा को उच्च ''राष्ट्रकवि पुरस्कार'' दिया गया। जी.एस.एस. ने के.एश. निसार अहमद, जी.पी. राजरतन, के.एस. नरसिम्हा स्वामी, शशि मारूलइयाह और कासरगौड़ के कच्वारा किन्नाराई कर्नाटक की सेवा कर रहे हैं। प्रख्यात लेखक पाटील पुटप्पा मेरे राज्य कर्नाटक के ही हैं। कन्नड़ के लिए संघर्ष करने में वह सबसे आगे हैं।

कर्नाटक जैसे इस महान राज्य का आज अपमान किया जा रहा है। रेल मंत्रालय के हाल ही के परिपत्र से सभी कन्नड़ लोगों को आघात पहुंचाया है। इसने कन्नड़ भाषा के दर्जे को कम किया है। उस परिपत्र के अनुसार बोगियों से कन्नड़ वाली नाम पट्टिकाएं हटा दी गई हैं तथा और हिन्दी और अंग्रेजी की नाम पट्टिकाओं को रहने दिया गया है क्या इस सम्माननीय सभा में कोई कल्पना भी कर सकता है कि 21वीं शताब्दी में एक राष्ट्र भाषा के साथ इस प्रकार का बर्ताव किया जा रहा है? मेरी मांग है कि इस परिपत्र को तत्काल वापस लिया जाए। वस्तुत: इस परिपत्र के विरोध में कई आंदोलन शुरू हो गए हैं। सभी कन्नड़ भाषियों के इस अपमान को किसी भी परिस्थिति में सहन नहीं किया जा सकता है।

रेल विभागों में भी कन्नड़ लोगों का अपमान और तिरस्कार किया जा रहा है। उन्हें रेलवे में नौकरियां नहीं मिल रही हैं। मंत्रालय को इस संबंध में तत्काल उचित कदम उठाने चाहिए तथा कम से कम कर्नाटक राज्य में कन्नड़ लोगों को वरीयता दी जानी चाहिए।

महोदय, कन्नड़ साहित्य का दो हजार वर्षों से अधिक का इतिहास है। सबसे प्राचीन तमिल व्याकरण पुस्तक 'शिलापडीकर्म' में कन्नड़ शब्द पाए जाते हैं। प्राचीन यूनानी साहित्य में कन्नड़ शब्दों का उल्लेख है। 'कर्नाटक' शब्द जिसका अर्थ कन्नड़ है का रामायण और महाभारत में प्रयोग किया गया है। इस प्राचीन भाषा को पृष्ठभूमि में धकेला जा रहा है तथा इसका अपमान किया जा रहा है। भारत सरकार को तत्काल जाग जाना चाहिए और 6 करोड़ कन्नड़ भाषियों की भावनाओं और जज्बातों को समझने का प्रयास करना चाहिए। केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह बिना किसी और विलम्ब के कन्नड़ भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा प्रदान करे। कन्नड़ भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा देने की मांग को लेकर पूरे कर्नाटक में धरने और प्रदर्शन हो रहे हैं। यह स्थिति बद से

बदतर हो सकती है और कोई भी अवांछित घटना घट सकती है। अतः इस प्रकार की सभी घटनाओ को रोकने के लिए केन्द्र को उचित कदम उठाने चाहिए। कन्नड़ भाषा को तुरन्त क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया जाए। रेलवे के सभी विभागों के नामपट्टों, संकेतपट्टों (साइन बोर्ड) इत्यादि को कन्नड़ में तैयार करना चाहिए। कर्नाटक से चलने वाली सभी ट्रेनों के लिए रेलवे स्टेशनों से की जानी सभी घोषणाएं भी कन्नड़ में की जानी चाहिए। धन्यवाद महोदय। इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्रीमती अर्चना नायक (केन्द्रपाडा): मैं सभापति महोदय को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं ग्रामीण विकास मंत्री के विचारार्थ निम्नलिखित मामला उठाना चाहती हूं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले गरीबों को आश्रय देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इंदिरा आवास योजना का क्रियान्वयन और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत दंगों, बाढ़, चक्रवातों और अग्निकांडों से प्रभावित व्यापत्तियों को तत्काल एवं समय पर राहत दी जाती है। लेकिन दुख की बात यह है कि किसी नागरिक को जिसने अपना एकमात्र घर और संपत्ति खो दी है, को इस कारण यह सुविधा नहीं दी जाती क्योंकि वह गरीबी रेखा से ऊपर जीवन-यापन करता है। इस असमानता को समाप्त किया जाना चाहिए। इसलिए मैं माननीय ग्रामीण मंत्री विकास मंत्री से गरीबी सेवा से नीचे जीवन यापन करने वाले और गरीबी रेखा से ऊपर जीवन-यापन करने वाले लोगों के बीच व्याप्त विभेद को दरकिनार करते हुए दंगों, चक्रवातों, बाढ़, अग्निकांड अथवा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अपना घर खो चुके सभी लोगों को इंदिरा आवास योजना की सुविधाएं देने का अनुरोध करती हूं।

इसी प्रकार इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों के लिए 25,000/- रुपए प्रति यूनिट और पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्रों के लिए 27,500/- रुपए की जो धनराशि जारी की जाती है यह धनराशि अपर्याप्त है। अतः इस धनराशि को बढ़ाकर समतल क्षेत्रों के लिए 35,000/- रुपए और पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्रों के लिए 45,000/- रुपए किया जाना चाहिए। धन्यवाद।

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर): महोदय, महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में गत सप्ताह कपास उत्पादक किसानों पर गोली चलाई गयी जिसमें एक किसान मृत हुआ एवं अन्य किसान घायल हुए। कपास उगाने वाले किसानों का कपास केन्द्र पर सरकार खरीदी में विलंब होने के कारण तथा कपास खरीदी के सेंटर कम होने के कारण किसान त्रस्त थे और इसलिए सोले टाइप पानी की टंकी पर चढ़कर लोगों ने आंदोलन किया। इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि नाबार्ड, एफसीआई या अन्य एजेंसियों के माध्यम से कपास खरीद केन्द्र बड़ी परिमाण में शुरू करें और किसानों को 3,000 रुपए प्रति क्विंटल कपास का भाव मिले, धान उगाने वाले किसान और कपास उगाने वाले किसानों का कर्जा माफ किया जाए। कृषि ऋण पर ब्याज दर 4 प्रतिशत हो, व्यापक वनीकरण किया जाए, जल प्रबंध के लिए विदर्भ में केन्द्र सरकार स्पेशल पैकेज दे, खाद, बीज, बिजली, पानी, कीटनाशक, कृषि के उपकरण आदि पर सब्सिडी बढ़ाई जाए, विज्ञान और तकनीकी का निवेश गांव में अधिक किया जाए, हर घर में 10 दुधारू गाय दी जाएं और फीशरीज पर विशेष ध्यान दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री प्रहलाद जोशी (धारवाड़ उत्तर): महोदय, आपने बोलने का यह अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश और श्री करूणाकर रेड्डी की बातों का समर्थन करते हुए मैं भारतीय रेल, यूपीए सरकार के व्यवहार की कड़ी भर्त्सना करता हूं। इन्होंने ट्रेनो पर गंतव्य स्थलों की जानकारी देने वाले बोर्डों को केवल हिन्दी और अंग्रेजी में तैयार किए जाने संबंधी जो नया परिपत्र जारी किया गया है। उससे पूरे देश में नया हंगामा शुरू हो गया है और इस परिपत्र का कड़ा विरोध किया जा रहा है। सरकार को इस बात की जानकारी है कि सभी एक्सप्रेस ट्रेनों और अन्य ट्रेनों के नाम क्षेत्रीय भाषा के साथ अंग्रेजी और हिन्दी में भी प्रदर्शित किया जाता था। उदाहरणार्थ मेरे राज्य कर्नाटक में सभी ट्रेनों पर गंतव्य बोर्ड को कन्नड़ भाषा में प्रदर्शित किया जाता था जोकि उन लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक था जिनको केवल कन्नड़ आती है।

यह व्यवस्था न केवल अत्यंत उपयोगी थी अपितु इससे वहां के लोगों में संतोष था और उन्हें इस पर गर्व था। लेकिन अब यह बहुत ही खेदजनक है कि रेलवे बोर्ड ने इस उपयोगी व्यवस्था को समाप्त कर दिया है और अपने दिनांक 22 नवम्बर, 2006 के अपने परिपत्र के माध्यम से नामपट्टों को केवल हिन्दी और अंग्रेजी में लिखे जाने के अनुदेश जारी किए हैं। तथापि तमिलनाडु में स्थित कोचिंग डिपुओं में प्राथमिक अनुरक्षण के लिए आने वाली ट्रेनों को इससे छूट दी गई है। यह भेदभाव क्यों? मैं सरकार से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं। सरकार को इसका उत्तर देना चाहिए।

सभापति महोदय: इसके बारे में पहले ही पूछा जा चुका है।

श्री प्रहलाद जोशी: मैं कहना चाहता हूं कि यह न केवल अलोकतांत्रिक है अपितु यह राष्ट्रीय एकता और संविधान के संघीय ढांचे के भी विरुद्ध है। मैं ऐसे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं

[श्री प्रहलाद जोशी]

जहां पर पहले ही लोग सड़कों पर आ चुके है और वे भावनात्मक रूप से रेलवे बोर्ड के इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं। यदि सरकार ने लोगों की इस संवेदनशील मांग के प्रति अपनी आंखें नहीं खोली तो बहुत जल्दी ही पूरे राज्य में असंतोष फैल जाएगा। सरकार को यह बताना चाहिए कि ऐसे कौन से कारण और स्थितियां है जिनके चलते रेलवे बोर्ड को क्षेत्रीय भाषाओं में नामपट्ट दर्शाने की विद्यमान व्यवस्था में अचानक परिवर्तन करने का बेतुका निर्णय लेना पड़ा।

मैं रेल मंत्री से भी इस संबंध में उत्तर देने की मांग करता हूं। मैं सरकार से तत्काल इस अलोकप्रिय निर्णय को वापस लेने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, पिछले सप्ताह मेरे सहयोगी द्वारा यह मामला उठाया गया था। लेकिन अभी तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तमिलनाडु राज्य को इससे छूट दी गई है। ...*(व्यवधान)*

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, मैं इसे रेल मंत्री के ध्यान में लाऊंगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

...*(व्यवधान)**

श्री प्रहलाद जोशी: कृपया मेरी बात सुनिए। ...*(व्यवधान)*

श्री विजय हान्डिक: मैं इसे रेल मंत्री के ध्यान में लाऊंगा। ...*(व्यवधान)* मैं जानता हूं कि यह राजभाषा समिति के निदेश का उल्लंघन है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: किसी भी भाषा विशेष के लिए किसी भी संदर्भ में कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रहलाद जोशी: कृपया एक सेकंड के लिए मेरी बात सुनें। ...*(व्यवधान)*

महोदय, यह आपके राज्य पर भी लागू होगा और मलयालम भाषा के बोर्डों को हटा लिया जाएगा। राज्य की भाषा वाले बोर्डों को हटा लिया जाएगा।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

यह बहुत ही गंभीर मामला है। सरकार को अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए और इस संबंध में कार्रवाई करनी चाहिए। अन्यथा, मैं चेतावनी दे रहा हूं कि यदि ऐसा नहीं किया जाता, तो कर्नाटक से कोई भी रेलगाड़ी नहीं चलेगी। मैं इस सम्मानित सभा से यह चेतावनी दे रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री बसनगौडा आर. पाटिल (यत्नाल) का नाम भी इस मामले से जोड़ा जाएगा।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): सभापति महोदय, मैं एक साधारण सा प्रश्न उठा रहा हूं। इस समय जयपुर शहर में गैस की सप्लाई में काफी दिक्कत आ रही है और जो गैस सिलेण्डर मिलते हैं, उनमें भी पूरी गैस नहीं होती। एक गैस सिलेण्डर देने में दो महीने का समय लग रहा है। इस वक्त सर्दी का मौसम है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसके अलावा राजस्थान सरकार को मिट्टी के तेल का जो कोटा दिया जाता था, वह भी कम कर दिया गया है। इस वजह से जो लोग चिमनी जलाकर या स्टोव से काम चलाते थे, उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गैल कम्पनी ने मुझे एक मीटिंग में आश्वस्त किया था कि जयपुर शहर में गैस पाइपलाइन के जरिए सप्लाई की जाएगी। अगर ऐसा होता है, तो बड़ी अच्छी बात है। इससे मेरे शहर में गैस की कमी नहीं रहेगी और मिट्टी के तेल के कोटे में केन्द्र सरकार द्वारा जो कमी की गई है, उससे भी निजात मिल जाएगी। मेरा निवेदन है कि जब तक यह गैस पाइपलाइन नहीं डाली जाती, तब तक जयपुर शहर में गैस सिलेण्डर्स की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को दिए जाने वाले मिट्टी के तेल के कोटे में कटौती की है, उसे भी समाप्त करके पूरा कोटा जारी किया जाए।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन में किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे लोक सभा क्षेत्र जालौन जनपद में कठौंत ब्लाक में दिसम्बर माह में एक लघु सीमांत हरिजन कृषक राम कुमार ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसे पलेवा के लिए समय पर पानी नहीं मिला। इसी तरह से डकूट ब्लाक में ग्राम गनोरा में कमल सिंह कुश्वाहा ने पलेवा के लिए जल नहीं मिलने की वजह से आत्महत्या कर ली। राम कुमार जौ कठौंत ब्लाक के बिचौली ग्राम

का था, उसके पास 80 बिसवा जमीन थी। उससे वह अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। मेरी आपके द्वारा केन्द्र सरकार से मांग है कि मेरे जनपद के किसानों के भरण-पोषण के लिए पानी की उचित व्यवस्था की जाए, क्योंकि पर्याप्त पानी की सप्लाई नहीं होने से बुंदेलखंड में किसान द्वारा आत्महत्या करने का सिलसिला शुरू हो गया है। जिन दो किसानों ने आत्महत्या की है, उनके परिवार वालों को दो-दो लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इसे रोकने के लिए विदर्भ की तरह बुंदेलखंड को भी विशेष दर्जा दिया जाए जिससे आत्महत्याएं रुक सकें।

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): मान्यवर, मेरा संसदीय क्षेत्र सागर मध्य प्रदेश एवं बुन्देलखंड क्षेत्र का सागर संभाग औद्योगिक एवं रोजगार के क्षेत्र में अत्यधिक पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में कोई भी बृहद उद्योग अथवा खनन, उन्नत कृषि आदि संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। इस कारण मेरे क्षेत्र के युवक-युवतियों में उद्यमिता का अभाव है। साथ ही यहां पर कुशल कारीगरों का अभाव इस विशाल समस्या को और भी बड़ा देता है। मेरे क्षेत्र में युवक-युवतियों को प्रशिक्षण प्रदान कर यदि लघु उद्योग स्थापित कराये तो उसमें एक उद्योग में कई व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो सकता है जिससे क्षेत्र का बहुआयामी विकास होगा।

मेरे क्षेत्र के इंजीनियरिंग महाविद्यालय से तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवक-युवतियों को उचित रोजगार नहीं मिल पाता है। उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ की स्थापना से युवाओं को अपने ही क्षेत्र में अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए क्षेत्र के विकास में सहभागी रहकर आने वाली जनरेशन हेतु आदर्श की स्थापना कर सकेंगे।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की राष्ट्रीय उद्यमिता विकास बोर्ड की योजना के अंतर्गत तकनीकी संस्था सागर मध्य प्रदेश के इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय में उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ की स्थापना करवाने का सहयोग करें जिसके अंतर्गत उद्यमिता विकास प्रशिक्षण तथा विज्ञान एवं तकनीकी विधियों के द्वारा तकनीकी कुशलता को उन्नत कर स्थापित किया जा सके।

श्री हंसराज जी. अहीर (चन्द्रपुर): मान्यवर, केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा भुगर्भ के जल स्तर की निरंतर हो रही कमी का संज्ञान लेकर राज्यों को इस पर नियंत्रण रखने के निर्देश दिये गये। लेकिन राज्य सरकारें इस विषय पर असाधारण रूप से उपेक्षा करने से भुगर्भ के जल स्रोत की कमी भविष्य में चिंता तथा चिंतन का विषय होगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित अंबुजा सीमेंट के भारी संयंत्र द्वारा भारी मात्रा में जलदोहन के कारण इसके परिसर में भुगर्भ जल स्तर की भारी कमी हो गयी है। इस संयंत्र द्वारा 200 से 250 मीटर गहरे ट्यूबवेल लगाकर जलदोहन करने से आस पास के गांवों के कुएं, तालाब, नाले, ट्यूबवेल सूख गये हैं, या उनके जल-स्तर अधिक गहराई में चले गये हैं। जिला प्रशासन से किसी प्रकार की स्वीकृति लिये बिना अंबुजा सीमेंट संयंत्र द्वारा भारी मात्रा में जलदोहन करने से इससे जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों में जलसंकट निर्माण हुआ है। प्रशासन की अनभिज्ञता और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों पर छाया जलसंकट देखते हुए अंबुजा सीमेंट संयंत्र पर भारी मात्रा में जलदोहन करने की जांच कर भुगर्भ के जलस्तर में कमी लाने के दोषी समझकर उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। आस-पास के गांवों में जलस्तर की जो गिरावट आई है, उससे जिनके कुएं, ट्यूबवैल सूख गये हैं, ऐसे आपदाग्रस्त किसानों, लोगों को अंबुजा सीमेंट की तरफ से मुआवजा भी दिलाना जाना चाहिए। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार द्वारा इसे प्राथमिकता देकर आवश्यक कार्रवाई करने का मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं, तथा राज्य सरकार को भी इस मामले में पूछा जाए।

[अनुवाद]

***श्री पी. मोहन** (मदुरै): महोदय, हमारे देश में तेल कंपनियों विशेषकर उनके एलपीजी-रसोई गैस प्रभागों द्वारा पूरे देश में अपने ग्राहकों के घर पर गैस सिलिंडरों की सुपुर्दगी करने के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर लाखों लोगों को इस काम में लगाया गया है। केवल तमिलनाडु में ही वितरकों और गैस एजेंसियों द्वारा ऐसे लाख से भी ज्यादा लोगों की डिलिवरी बाय के रूप में रखा जाता है। इस समस्त डिलीवरी स्टाफ के रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं है। ये ईएसआई और पीएफ लाभों के अंतर्गत नहीं आते। नियमित रूप से भत्ते और वेतन प्राप्त करने के लिए वेतन पंजिका में उनका नाम नहीं है। तेल कंपनियों द्वारा गैस एजेंसियों को कमीशन अथवा हैंडलिंग प्रभार के रूप में प्रति सिलिंडर 16.50 रु. का भुगतान किया जाता है। यह भी निर्धारित किया गया है कि डिलीवरी स्टाफ को प्रति सिलेंडर आठ रुपए अवश्य अदा किए जाने चाहिए। तेल कंपनियां यह आठ रुपए विशेष रूप से घर पर सुपुर्दगी के खर्चे की भरपाई के लिए अदा करती हैं। मैंने पाया है कि गैस एजेंसियां इस राशि को डिलीवरी बायज को अदा नहीं कर रही हैं और यहां तक कि ये एजेंसियां उनसे डिलीवरी स्टाफ के रूप में रखे जाने के लिए उनसे धन लेती हैं। हम पाते हैं कि पूरे देश में लाखों की तादाद में यह डिलीवरी स्टाफ रोजगार सुरक्षा, नियमित वेतन और ईएसआई तथा पीएफ जैसे सेवा लाभों के बगैर गैस एजेंसियों के लिए काम कर रहे हैं। यह चिंता का विषय है क्योंकि यह सभी संबंधित लोगों के हितों को प्रभावित करता है। मैं सरकार

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री पी. मोहन]

से आग्रह करना चाहता हूं कि रसोई गैस सिलिंडर की सुपुर्दगी करने वाले स्टाफ की सेवाओं को नियमित किया जाए। जिन्हें रोजगार की सुरक्षा प्राप्त नहीं है और उनके लिए ई.एस.आई. और पीएफ जैसी अन्य नियमित सेवा शर्तों को लागू किया जाए तथा उन्हें एलपीजी सिलिंडरों की सुपुर्दगी के लिए निर्धारित धनराशि में से नियत वेतन दिया जाए।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): सभापति महोदय, मैं अति लोक महत्व का प्रश्न उठाना चाहता हूं। भारत सरकार ने राशन की दुकानों से मिट्टी के तेल की कालाबाजारी रोकने के लिए फ्री सेल का डिपो हर जिला स्तर पर स्थापित करने का निर्णय लिया था, लेकिन अभी तक फ्री सेल के मिट्टी के तेल की कीमत तय नहीं की गई है। हालांकि कम्पनियों ने डीलर्स तय कर दिए थे, लेकिन मिट्टी के तेल की कीमत तय न होने के कारण यह योजना पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं हो पाई है। अत: मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी फ्री सेल के जो डिपो स्थापित किए जाने हैं, उनके लिए मिट्टी के तेल की कीमत निर्धारित कर दें, जिससे कि पूरे देश के अंदर मिट्टी के तेल की कालाबाजारी पर रोक लग सके।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से एफसीआई के गोदामों से जो गेहूं बीपीएल परिवारों को, मिड डे मील के लिए, आईसीडीएस स्कीम्स के लिए या राशन की दुकानों में वितरित किया जा रहा है, वह लाल रंग का गेहूं बहुत घटिया तथा स्वादहीन है, जिसे खा कर लोग कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। कई जगहों से ग्रामीण उपभोक्ता संस्थानों तथा समाचार पत्रों के माध्यम से भी इस प्रकार की शिकायतें निरंतर आ रही हैं। लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल घटिया किस्म का आयातित गेहूं, जो राशन की दुकानों के माध्यम से दिया जा रहा है, मिड डे मील के लिए दिया जा रहा है, तुरंत उस पर रोक लगाई जाए और उसके स्थान पर बढ़िया गेहूं जो पौष्टिकता प्रदान करने वाला हो, वह मिड डे मील के लिए, आईसीडीएस के लिए तथा बीपीएल परिवारों के लिए मुहैया कराया जाए।

[अनुवाद]

श्री अबु अयीश मंडल (कटवा): माननीय सभापति महोदय पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की ओर से केन्द्र सरकार को पश्चिम बंगाल की तटरेखा पर एक नए "डीप सी पोर्ट" की स्थापना करने संबंधी एक प्रस्ताव एक वर्ष से भी पहले भेजा गया था। लेकिन इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्य मंत्री ने 26 सितम्बर 2006 को नई दिल्ली में माननीय प्रधान मंत्री से भेंट करके इस मुद्दे पर चर्चा की और राज्य में डीप-सी-पोर्ट की स्थापना करने के प्रस्ताव को जल्दी मंजूरी देने हेतु उनके हस्तक्षेप की मांग की। यह परियोजना अभी भी प्लान पैनल के विचाराधीन है। मैं माननीय पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से पश्चिम बंगाल तट पर बिना और विलम्ब किए डीप-सी-पोर्ट की स्थापना के लिए आवश्यक उपाय करने का अनुरोध करता हूं।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): सभापति महोदय, मैं माननीय पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के इन मामले की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। आप भली भांति जानते हैं कि केन्द्रीय अन्तरदेशीय जल परिवहन निगम एक पुराना संगठन है, जो अन्तरदेशीय जल परिवहन प्राधिकरण के अंतर्गत नेशनल वाटरवे वन तथा नेशनल वाटरवे टू का संचालन करता है जिसमें निजी क्षेत्र नहीं आना चाहता। तथापि यह पता चला है कि केन्द्र सरकार अब केन्द्रीय अन्तरदेशीय जल परिवहन निगम के नदी प्रभाग का अधिकार वंचन करने वाली है। राज्य बागान डोकयार्ड जो पहले केन्द्रीय जल परिवहन निगम का एक घटक था, को पहले ही रक्षा मंत्रालय को सौंप दिया गया है और यह अच्छा कार्य कर रहा है। मैं पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि केन्द्रीय अन्तरदेशीय जल परिवहन निगम के नदी प्रभाग का भारतीय अन्तरदेशीय जल परिवहन प्राधिकरण, कलकत्ता पोर्ट ट्रांसपोर्ट अथवा किसी अन्य मिलते-जुलते संगठन जैसे किसी संरचनात्मक रूप से समान संगठन के साथ विलय किया जाना चाहिए ताकि यह चल सके। जहां तक सी आई डब्ल्यू एस की क्षमता का सवाल है। इसके पास 100 से अधिक पोत हैं।

इसके पास विशेषज्ञता है तथा ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनका कार्यकाल 10 से 20 वर्ष से अधिक शेष है। भारत में अन्तरदेशीय जल प्रणाली की भारी संभावनाओं के बावजूद इस पर उचित ध्यान तथा महत्व नहीं दिया गया है जैसा कि स्पष्ट है कि अंतरदेशीय जल परिवहन का माडल शेयर कम है। वर्तमान में यह केवल दो प्रतिशत है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में अन्तरदेशीय जल परिवहन के माडल शेयर को बढ़ाकर चार प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है। इस तथ्य को देखते हुए मेरे विचार से केन्द्रीय अन्तरदेशीय जल परिवहन निगम के नदी प्रभाग पर यदि उचित ध्यान दिया जाए तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अत: मैं माननीय पोत परिवहन, सड़क परिवहन और

राजमार्ग मंत्री से केन्द्रीय अंतरदेशीय जल परिवहन निगम के नदी प्रभाग का किसी अन्य मिलते-जुलते संगठन में विलय करने का अनुरोध करता हूं।

डा. सी. कृष्णन (पोल्लाची): बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं श्री वाइको की अध्यक्षता वाले मारूमालार्ची द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से बोल रहा हूं। मैं सरकार का ध्यान तमिलनाडु के लोगों विशेष रूप से थेनी, डिन्डीगुल, मदुरई, सिवगंगई तथा रामनाथपुरम जिलों के लोगों की दर्द भरी भावनाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिन्हें डैम मुलैईपेरियार से पीने तथा सिंचाई के लिए जल मिलता है।

इस बांध का निर्माण तत्कालीन राजा महामहिम किंग और ट्रेवनकोर के साथ समझौते के अंतर्गत 1886 के दौरान किया गया था। उस समय इसे 152 फीट जल स्तर ऊंचाई के लिए बनाया गया था। यह समझौता 999 वर्षों के लिए था। परन्तु 1970 के दौरान यह सोचकर कि बांध कमजोर है बांध के जल स्तर को कम करके 136 फीट कर दिया गया था। परन्तु तत्कालीन तमिलनाडु सरकार द्वारा मरम्मत कार्य किया गया था और विशेषज्ञों की राय के अनुसार बांध को मजबूत बनाया गया था। जिसके बाद हालांकि श्री एस.एस. बार तथा श्री टी.के. मित्तल की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति ने कहा कि जल स्तर को 145 फीट तक बढ़ाया जा सकता है। जल स्तर को 136 फीट पर ही रखा गया। इससे भी अधिक माननीय उच्चतम न्यायालय ने बांध को मजबूत पाया और 27 फरवरी, 2006 को स्पष्ट फैसला दिया कि जल स्तर को 136 फीट से बढ़ाकर 142 फीट कर दिया जाए। दुर्भाग्यवश केरल सरकार ने उच्चतम न्यायालय के 27 फरवरी, 2006 के फैसले को रद्द करने के लिए एक अवैध विधान किया। साथ ही, तथा यह दुर्भाग्य की बात है कि केरल सरकार द्वारा भारतीय नौसेना के कार्मिकों को बांध की मजबूती के बारे में एक रिपोर्ट देने तथा मूल्यांकन करने के लिए भेजा गया।

सभापति महोदय: अपना भाषण सभा पटल पर रखें। इस मुद्दे पर प्रत्येक सरकार के प्रतिनिधि संबद्ध मंत्रियों द्वारा चर्चा की जा रही है।

डा. सी. कृष्णन: राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के अधिकार और विशेषाधिकारों के हनन के इस कार्य को उन राज्यों के लिए एक उदाहरण नहीं बनना चाहिए, जो ऐसे अप्रिय कदम उठाने में सक्षम हैं, जिनसे भारत की एकता और अखण्डता को खतरा है।

अत: मैं मारूमालार्ची द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से अनुरोध करूंगा कि केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और बांध के जल स्तर को 136 फीट से बढ़ाकर 142 फीट करके न्याय करना चाहिए।

सभापति महोदय: कलैनर जी पहले ही इस मुद्दे को उठा चुके हैं। आप सभा का समय क्यों बर्बाद करना चाहते हैं?

डा. सी. कृष्णन: मेरे प्रिय नेता श्री वाइको जो तमिलों के नेता हैं, मुलईपेरियार बांध के स्तर को 136 से बढ़ाकर 142 फीट करने की हमारी लम्बे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों को प्रभावित करने के लिए छः दिनों तक मदुरई से कूडालूर तक पद यात्रा पर हैं। धन्यवाद महोदय।

[हिन्दी]

श्री मो. ताहिर (सुल्तानपुर): सभापति महोदय, मेरे लोक सभा संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश एवं सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के सभी खंडों के अधिशासी अभियन्ताओं के ठेकेदारों से मिलीभगत होने की वजह से बड़े पैमाने पर 90 परसेंट काम बहुत घटिया स्तर पर किए हैं और लगातार अभी हो रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि पिछले तीन वर्षों में हुई धांधली एवं फर्जी भुगतान की निष्पक्ष रूप से जांच करा कर, दोषी लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने हेतु आदेश देने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री आरून रशीद। मुझे हैरानी है कि आप यहां उपस्थित हैं। अब मुझे समझ आया कि आपने अपना नाम दिया है और इसलिए आप यहां हैं।

श्री जे.एम. आरून रशीद (पेरियाकुलम): कृपया मुझे तमिल में बोलने की अनुमति दें।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): हम काफी समय से इन्तजार कर रहे हैं, उन्हें बोलने दें।

श्री जे.एम. आरून रशीद: तमिलनाडु में एल पी जी उपभोक्ता रसोई गैस सिलिन्डरों की आपूर्ति में विलम्ब से परेशान हैं। उपभोक्ता आपूर्ति की पिछली तिथि से 30 दिनों के बाद ही गैस बुक करवा सकते हैं और गैस रिफिल की 5-10 दिनों के बाद ही आपूर्ति की जा रही है। पिछले दो सालों से ऐसा चल रहा है। पहले भाजपा के शासन में उन्होंने अच्छी आपूर्ति व्यवस्था रखी थी। विभाग में भाजपा समर्थक अधिकारी हैं और वे आम जनता के लिए असुविधा पैदा कर रहे हैं।

सभापति महोदय: इस देर समय में दलगत राजनीति मत लाइए।

श्री जे.एम. आरून रशीद: महोदय, वे आपूर्ति में देरी करके आम जनता के लिए बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इससे सभी गृहणियों को अत्यधिक कठिनाई हुई है। एक और दो सिलेंडर वाले दोनों ही प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति मानदंड एक समान है। परिणामत: दूसरे सिलेंडर से कामचलाऊ सिलेंडर के रूप में कोई काम नहीं चलता क्योंकि इसे पुन: भरा नहीं जा सकता है और सदा खाली रहता है। सामान्यत: परिवारों के लिए पेश आने वाली यह कठिनाई सर्दी और त्यौहारों के मौसम में और बढ़ जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, बकरीद आ रही है, किसमस आ रहा है, नव वर्ष आ रहा है और पोंगल आ रहा है परंतु परिवारों के लिए भरे हुए सिलेंडर सही तरीके से नहीं दिए जा रहे हैं। ग्रामीण परिवार अपनी आपूर्तियां प्राप्त करने में एक ओर कठिनाई का सामना कर रहे हैं। अधीकांश गांवों को निकटतम शहरी डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा आपूर्ति की जा रही है।

सभापति महोदय: आपको अपने निवेदन के उत्तर की आवश्यकता नहीं है। यदि आप पढ़ना चाहें, तो आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री जे.एम. आरून रशीद: यह महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय: मैं आपसे कभी उत्तर की आशा नहीं करता हूं।

श्री जे.एम. आरून रशीद: शहरों में ग्राहकों के पास रसोई गैस की निरंतर आपूर्ति के अभाव में वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध नहीं होता है।

*यदि अल्प आय वर्ग के व्यक्ति सरकारी कंपनियों से गैस कनेक्शन लेते हैं तो उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली से मिट्टी का तेल नहीं मिल पाता क्योंकि उनके राशन कार्डों में इसका वर्णन होता है। उन्हें मिट्टी का तेल नहीं दिया जाता है। गैस सिलेंडरों और रिफिल के लिए राशन कार्ड दिखाया जाना आवश्यक है। इस कारण अल्प आय वर्ग और निम्न मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों को उस समय असुविधाएं और कठिनाइयां होती है जब वे अपने विकल्पों का उपयोग करना चाहते हैं। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं। उन्हें दोनों तरह से परेशानी होती है।

विनियमित आपूर्ति प्रणाली में, तेल कंपनियों ने प्रत्येक ग्राहक के लिए अपनी मर्जी से प्रति व्यक्ति उपभोग निर्धारित कर दिया है और इसके कारण वितरकों को गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पिछले वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत तक कम कर दी गई है। ग्राहकों विशेषकर गृहिणियों को पेश आने वाली इन सभी कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है और ऐसा केवल तभी होगा जब तेल कंपनियां वास्तविक प्रति व्यक्ति आफटेक को अपनाकर विनियमित आपूर्ति पर यथार्थ रूप से विचार करें। एलपीजी की इस कम आपूर्ति से गृहिणी को मानसिक पीड़ा से बचाने के लिए बुकिंग पर से इन सभी प्रतिबंधों का हटाया जाना नितांत आवश्यक है।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपके माध्यम से आपूर्ति को तत्काल सुचारू बनाने और उन्हें पर्याप्त आपूर्ति देने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय: क्या अब आप संतुष्ट है।

श्री जे.एम. आरून रशीद: जी हां, महोदय।

श्री खारबेल स्वाईं: आप हमेशा चिल्लाकर हमें चुप करने का प्रयास करते हैं, परंतु हम आपको केवल बचाने के लिए आते हैं।

सभापति महोदय: अब सभा कल 19 दिसंबर, 2006 को पूर्वाह्न 11 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 9.44 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा मंगलवार, 19 दिसंबर, 2006/ 28 अग्रहायण, 1928 (शक) के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर	362
2.	श्री एम. अंजनकुमार यादव श्री जीवाभाई ए. पटेल	363
3.	श्री नवीन जिन्दल	364
4.	श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	365
5.	श्री एम. राजामोहन रेड्डी श्री फ्रांसिस फैन्थम	366
6.	श्री एम. शिवन्ना श्री हरिकेवल प्रसाद	367
7.	श्री रायापति सांबासिवा राव	368
8.	श्री काशीराम राणा श्री वी.के. ठुम्मर	369
9.	श्री के.एस. राव	370
10.	श्री उदय सिंह श्री संतोष गंगवार	371
11.	श्री लक्ष्मण सिंह	372
12.	श्री सीताराम सिंह	373
13.	श्रीमती अर्चना नायक श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार	374
14.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	375
15.	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	376
16.	श्री जसवंत सिंह बिश्नोई	377
17.	श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' श्री रामजीलाल सुमन	378
18.	श्री जसभुाई धानाभाई बारड़	379
19.	श्री बाडिगा रामकृष्णा श्री ए. साईं प्रताप	380
20.	श्री रवि प्रकाश वर्मा	381

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम.	3758, 3762
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	3693, 3705, 3733
3.	अहीर, श्री हंसराज जी.	3618, 3684
4.	अप्पादुरई, श्री एम.	3615
5.	अर्गल, श्री अशोक	3599
6.	आठवले, श्री रामदास	3632, 3714
7.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	3675, 3708
8.	बर्मन, श्री रनेन	3663, 3715
9.	बर्क, डा. शफीकुर्रहमान	3640
10.	बखला, श्री जोवाकिम	3645
11.	भडाना, श्री अवतार सिंह	3627
12.	भगोरा, श्री महावीर	3636, 3717
13.	भक्त, श्री मनोरंजन	3653
14.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	3662
15.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	3696
16.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	3595, 3675, 3723
17.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	3600
18.	चक्रवर्ती, श्री अजय	3649
19.	चारेनामै, श्री मणि	3670, 3721, 3738
20.	चौरे, श्री बापू हरी	3625
21.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	3644
22.	चिन्ता मोहन, डा.	3642
23.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	3702, 3732

1	2	3
24.	चौधरी, श्री पंकज	3650
25.	चौधरी, श्री अधीर	3617, 3689
26.	धनराजु, डा. के.	3643, 3704
27.	धोत्रे, श्री संजय	3625
28.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	3611
29.	गढ़वी, श्री पी.एस.	3622
30.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	3620, 3686, 3759
31.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	3625
32.	जार्ज, श्री के. फ्रांसिस	3638
33.	गोहेन, श्री राजेन	3639
34.	गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द	3699
35.	हर्ष कुमार, श्री जी.वी.	3668, 3718
36.	हसन, चौधरी मुनव्वर	3637, 3707, 3737
37.	जगन्नाथ, डा. एम.	3629, 3691, 3734, 3746, 3751
38.	जटिया, डा. सत्यनारायण	3652
39.	जय प्रकाश, श्री	3610, 3646
40.	जयाप्रदा, श्रीमती	3633, 3760
41.	झा, श्री रघुनाथ	3683, 3761
42.	जिन्दल, श्री नवीन	3678
43.	जोशी, श्री प्रहलाद	3614
44.	खां, श्री सुनील	3601
45.	खारवेनथन, श्री एस.के.	3613, 3682
46.	कोली, श्री रामस्वरूप	3757
47.	कृष्ण, श्री विजय	3660
48.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	3671, 3722
49.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	3674
50.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	3655
51.	महरिया, श्री सुभाष	3626, 3719
52.	महतो, श्री सुनिल कुमार	3621, 3630, 3641
53.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	3662
54.	महताब, श्री भर्तृहरि	3673
55.	महतो, श्री टेक लाल	3688, 3730
56.	माझी, श्री परसुराम	3652
57.	माने, श्रीमती निवेदिता	3620, 3686, 3759
58.	मिश्रा, डा. राजेश	3627
59.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	3598, 3692
60.	मोहन, श्री पी.	3654
61.	मोहिते, श्री सुबोध	3605
62.	मुर्मु, श्री हेमलाल	3648
63.	नायक, श्री अनन्त	3673
64.	नायक, श्रीमती अर्चना	3701
65.	निखिल कुमार, श्री	3631
66.	निजामुद्दीन, श्री गुंडलूर	3761
67.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	3609, 3680, 3726, 3741
68.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	3756
69.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	3687, 3739, 3749, 3755
70.	पाठक, श्री ब्रजेश	3667
71.	पटले, श्री शिशुपाल एन.	3634

1	2	3
72.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	3606, 3622, 3679, 3725, 3742
73.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	3641, 3703
74.	राजगोपाल, श्री एल.	3616, 3658
75.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	3603, 3709
76.	राव, श्री के.एस.	3695, 3711
77.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	3694, 3763
78.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	3608, 3720
79.	रावत, प्रो. रासा सिंह	3612, 3681, 3727, 3745, 3750
80.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	3593, 3676, 3724, 3740, 3752
81.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	3630, 3698, 3703
82.	सज्जन कुमार, श्री	3627
83.	सांगवान, श्री किशन सिंह	3669
84.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	3651, 3706, 3728, 3764
85.	सरोज, श्री दरोगा प्रसाद	3659, 3713
86.	सरोज, श्री तूफानी	3661
87.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	3624, 3697, 3709
88.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	3656, 3712, 3735, 3747, 3754
89.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	3622, 3742
90.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	3646
91.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	3693, 3705, 3733
92.	शिवन्ना, श्री एम.	3699
93.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	3672
94.	शुक्ला, श्रीमती करुणा	3607
95.	सिद्धेश्वर, श्री जी.एम.	3594

1	2	3
96.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	3652
97.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	3620, 3686
98.	सिंह, श्री मोहन	3631
99.	सिंह, श्री राकेश	3628, 3666
100.	सिंह, श्री सीताराम	3700
101.	सिंह, श्री सुग्रीव	3596, 3687, 3739, 3749, 3755
102.	सिंह, श्री उदय	3689, 3731, 3744
103.	सिप्पीपाराई, श्री रविचन्द्रन	3602, 3710
104.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	3604
105.	सुब्बारायण, श्री के.	3664, 3716, 3736
106.	सुमन, श्री रामजीलाल	3642
107.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	3677, 3729, 3743
108.	थामस, श्री पी.सी.	3647
109.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	3756
110.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	3619, 3685, 3728, 3748, 3753
111.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	3635
112.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	3716
113.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	3597, 3690
114.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	3693, 3733
115.	विजयशंकर, श्री सी.एच.	3623
116.	वीरेन्द्र कुमार, श्री	3665, 3717
117.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	3698
118.	यादव, श्री गिरिधारी	3621, 3630
119.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	3634, 3672
120.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	3657, 3731

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	365, 367, 370, 372, 374, 380
रसायन और उर्वरक	:	373
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	375, 377, 378
पर्यावरण और वन	:	362, 364, 368, 371, 376
सूचना और प्रसारण	:	363, 369
श्रम और रोजगार	:	
संसदीय कार्य	:	
इस्पात	:	
जल संसाधन	:	366, 379, 381

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	3597, 3599, 3609, 3610, 3620, 3623, 3632, 3633, 3634, 3641, 3644, 3646, 3647, 3651, 3652, 3656, 3657, 3660, 3662, 3670, 3672, 3674, 3678, 3690, 3693, 3695, 3702, 3703, 3704, 3712, 3713, 3716, 3718, 3723, 3726, 3730, 3731, 3733, 3740, 3747, 3756, 3760, 3761, 3763
रसायन और उर्वरक	:	3617, 3658, 3705, 3707, 3719, 3737, 3742, 3748, 3751, 3753
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	3598, 3608, 3618, 3619, 3622, 3626, 3628, 3637, 3642, 3643, 3654, 3659, 3671, 3696, 3700, 3701, 3722, 3732, 3752, 3754
पर्यावरण और वन	:	3595, 3604, 3606, 3611, 3613, 3631, 3635, 3638, 3645, 3649, 3650, 3653, 3663, 3666, 3673, 3675, 3677, 3679, 3683, 3684, 3691, 3715, 3717, 3720, 3721, 3724, 3725, 3738, 3746, 3750
सूचना और प्रसारण	:	3596, 3603, 3624, 3625, 3627, 3630, 3636, 3661, 3669, 3682, 3714, 3728, 3734, 3741, 3757, 3758, 3759, 3762, 3764
श्रम और रोजगार	:	3600, 3602, 3605, 3607, 3616, 3639, 3640, 3655, 3664, 3676, 3685, 3586, 3687, 3694, 3698, 3710, 3711, 3735, 3736, 3743, 3744, 3755
संसदीय कार्य	:	3615
इस्पात	:	3601, 3648, 3692, 3706, 3739, 3749
जल संसाधन	:	3593, 3594, 3612, 3614, 3621, 3629, 3665, 3667, 3680, 3681, 3688, 3689, 3697, 3699, 3708, 3709, 3727, 3729, 3745.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टीवी चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/24/19/2006 (एन०)
232

© 2006 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मै. श्री एन्टरप्राइजेज, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।